

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अनुसार
30 जून 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में
बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2008-09



भारतीय रिज़र्व बैंक

बिक्री मूल्य:

- भारत में – 350 रु. (सामान्य)
– 425 रु. (डाक प्रभार सहित)
– 260 रु. (रियायती – काउंटर पर)
– 335 रु. (रियायती – डाक प्रभार सहित)
विदेश में – 36 अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)

टिप्पणी: यह प्रकाशन मै. जैन बुक एजेंसी, सी-9, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001. फोन: 011 23416390-94, फैक्स: 011 41513850, वेबसाइट: www.jba.in, ई-मेल: sales@jba.in तथा उनके डीलर के नेटवर्क के पास भी उपलब्ध है।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2009

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए।

श्रीमती गुणजीत कौर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा एल्को कोर्पोरेशन, ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प), मुंबई 400 013 में अभिकल्पित एवं मुद्रित।



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण पत्र

संदर्भ सं.आविनीवि.डीबीडी. 5855 /13.01.01/2009-10

अक्टूबर 22, 2009
29 आश्विन 1931 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय सचिव महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,
डी. सुब्बाराव
(डी. सुब्बाराव)

विषय-सूची

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
अध्याय I : संभावनाएं		
1.	परिचय	1
2.	वैश्विक प्रवृत्तियों से संभावनाएं	2
3.	भारतीय परिप्रेक्ष्य	12
4.	निष्कर्ष और भावी मार्ग	23
अध्याय II : वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां		
1.	भूमिका	25
2.	वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य	25
3.	वैश्विक बैंकिंग की प्रवृत्ति	31
4.	वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का परिदृश्य	38
5.	वैश्विक संदर्भ में भारतीय बैंकिंग	38
6.	निष्कर्ष	42
अध्याय III: नीतिगत वातावरण		
1.	प्रस्तावना	43
2.	मौद्रिक नीति	44
3.	ऋण सुपुर्दगी	48
4.	वित्तीय समावेशन	55
5.	विवेकपूर्ण विनियमन	65
6.	पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षणात्मक नीति	73
7.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	78
8.	सहकारी बैंक	82
9.	वित्तीय बाजार	90
10.	बैंकों में ग्राहक सेवा	93
11.	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	96
12.	प्रौद्योगिकीय गतिविधियां	101
13.	विधिक सुधार	103
14.	निष्कर्ष	104
अध्याय IV: वाणिज्य बैंकों का परिचालन और कार्यनिष्पादन		
1.	परिचय	105
2.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताएं और आस्तियां	106
3.	तुलनपत्रेतर परिचालन	121
4.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन	122
5.	सुदृढ़ता संकेतक	127
6.	पूंजी बाजार में बैंकों के परिचालन	136

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
7.	बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास	140
8.	बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार	143
9.	ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश	145
10.	व्यष्टि वित्त	148
11.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	150
12.	स्थानीय क्षेत्र के बैंक	153
13.	निष्कर्ष	155
अध्याय V: सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां		
1.	परिचय	157
2.	भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना	158
3.	शहरी सहकारी बैंक	159
4.	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं	169
5.	नाबार्ड और ग्रामीण ऋण	184
6.	निष्कर्ष	188
अध्याय VI: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं		
1.	परिचय	191
2.	वित्तीय संस्थाएं	192
3.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	198
4.	प्राथमिक व्यापारी	218
5.	निष्कर्ष	224
अध्याय VII: वित्तीय स्थिरता		
1.	परिचय	225
2.	वित्तीय स्थिरता : संकल्पना और मापन	227
3.	केंद्रीय बैंक और वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें	228
4.	वित्तीय स्थिरता के लिए विश्व-व्यापी पहलें	232
5.	भारतीय वित्तीय प्रणाली का मूल्यांकन	238
6.	घरेलू वित्तीय बाजार	247
7.	भारत ने किस प्रकार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की	262
8.	समग्र मूल्यांकन एवं प्रगति पथ	267
अनुबंध II.1 : संकट के प्रति नीतिगत जवाबी कार्रवाई: वित्तीय क्षेत्र के बचाव हेतु प्रयास.....		
		270
अनुबंध III.1 : वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किए गए पहल - 2008-09 (जुलाई-जून)		
		271
अनुबंध VII.1 : केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें : महत्वपूर्ण विशेषताएं		
		274
अनुबंध VII.2 : आम तौर पर प्रयोग की गई चर राशियां		
		278

बाक्स सूची

बाक्स संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
I.1	वित्तीय संकट और कारपोरेट अभिशासन	6
I.2	बड़ी रकम के भुगतानों में वैश्विक प्रवृत्तियां और उनके प्रमुख संचालक	7
I.3	लेखांकन सिद्धांतों पर बासल समिति (अध्यक्ष: नॉट वेल्लिक)	8
I.4	वैश्विक बैंकिंग संकट पर समेकित प्रतिक्रिया केंद्रीय बैंक गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों का समूह, बासल	9
I.5	Rवैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार	10
I.6	शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए भावी मार्ग: कुछ चिंताएं	16
II.1	वैश्विक वित्तीय संकट: क्रमविकास और उसके चरण	34
II.2	वित्तीय क्षेत्र बचाव कार्यक्रम - एक मूल्यांकन	39
II.3	वित्तीय संकट के बाद वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य - ड्यूश बुंड्सबैंक रिसर्च का दृष्टिकोण	40
III.1	माइक्रो तथा लघु उद्यम (एमएसइ) क्षेत्र को ऋण प्रवाह	53
III.2	वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति (सीएफएसआर) की रिपोर्ट - वित्तीय समावेशन संबंधी सिफारिशें	57
III.3	व्यवसाय संपर्की (बीसी) मॉडल की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल : प्रमुख सिफारिशें	59
III.4	वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)	60
III.5	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट	63
III.6	'विवेकपूर्ण विनियमन को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता को बेहतर बनाने' के संबंध में जी-20 कार्यदल की रिपोर्ट -सिफारिशों का सार	66
III.7	भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली के संबंध में सीएफएसए की टिप्पणियां	74
III.8	मुद्रा वितरण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में गठित उच्चस्तरीय दल की रिपोर्ट - सिफारिशों का सार	79
III.9	यूसीबी क्षेत्र को समेकित और सुदृढ़ बनाना	84
III.10	यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसिकरण नीति का उदारीकरण	86
III.11	ओएसएस रिपोर्टिंग सिस्टम : शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के प्रभावी पर्यवेक्षण की ओर एक कदम	89
III.12	बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 का संशोधन (बीओएस)	94
III.13	सीएफएसए द्वारा भुगतान प्रणालियों का मूल्यांकन	102
III.14	मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस)	103
IV.1	एससीबी की चालू खाता और बचत खाता जमाशायियों (सीएएसए) की प्रवृत्ति	110
IV.2	उचित मूल्य लेखांकन-मुद्दे और परिप्रेक्ष्य	134
IV.3	बासेल I और बासेल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता-भारतीय अनुभव	137
V.1	शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र पर सहमति ज्ञापन और टैफकब का प्रभाव :कमजोर बैंकों का बहिर्गमन	160

बाक्स संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
V.2	सीएफएसए द्वारा यूसीबी क्षेत्र का वित्तीय मूल्यांकन	167
V.3	राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की आस्ति गुणवत्ता में हाल की प्रवृत्ति	175
V.4	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों को शामिल करना	180
V.5	नाबार्ड द्वारा प्रमुख विकासात्मक पहलें - 2008-09	189
VI.1	एनबीएफसी द्वारा झेले गए वित्तीय दबावों को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक ने किए उपाय	216
VI.2	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की हामीदारी	221
VII.1	केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें : तुलनात्मक आकलन	229
VII.2	वित्तीय स्थिरता के महत्वपूर्ण खंड और चर	231
VII.3	सुदृढ़ तनाव-परीक्षण पद्धतियों और पर्यवेक्षण के सिद्धांत बैंकों के लिए सिद्धांत	235
VII.4	सीएफएसए, 2009 द्वारा तनाव परीक्षण	245
VII.5	पूंजी बाजार और बैंकिंग शेयरों के बीच सहसंबंध	258
VII.6	भारत के वित्तीय बाजारों में जोखिम मूल्य निर्धारण	260
VII.7	केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टियां - सीएफएसए द्वारा मूल्यांकन	262
VII.8	प्रति-चक्रीय विवेकपूर्ण विनियमन - भारत का अनुभव	264

सारणी सूची

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
II.1	वैश्विक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि	26
II.2	अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार	29
II.3	वैश्विक ओवर-दि-काउंटर व्युत्पन्नी बाजार का शेष	32
II.4	प्रमुख बैंकों की लाभप्रदता	35
II.5	घोषित बैंक घाटे की संरचना	36
II.6	वित्तीय प्रणाली को वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना	37
II.7	विभिन्न देशों के चुनिंदा बैंकिंग संकेतक - एक तुलना	41
II.8	वित्तीय और अन्य क्षेत्रों को सहायता	42
III.1	प्राथमिक चलनिधि का वास्तविक / संभावित निर्मोचन -सितंबर 2008 के मध्य से	47
III.2	बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए समयसारणी	67
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र	107
IV.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों में वृद्धि : बैंक समूह-वार	108
IV.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख घटक-बैंक समूहवार	109
IV.4	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकार के अनुसार (मार्च अंत के अनुसार)	111
IV.5	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन - प्रवाह (वर्ष में घट-बढ़)	112
IV.6	सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार (मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)	112
IV.7	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)	113
IV.8	विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य और संवितरण	113
IV.9	बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो	115
IV.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को उधार (मार्च के अंत में)	115
IV.11	संवेदनशील क्षेत्र को उधार - बैंक समूहवार (मार्च अंत के अनुसार)	116
IV.12	एससीबी के निवेश और जमाराशि में वृद्धि	116
IV.13	एससीबी के गैर -एसएलआर निवेश	117
IV.14	गैर -सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की संरचना	117
IV.15	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां-प्रकारानुसार	118
IV.16	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण-अवधिपूर्णता एवं क्षेत्रवार (मार्च के अंत में)	118
IV.17	भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे (मार्च के अंत में)	119
IV.18	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन	119
IV.19	चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का बैंक समूहवार अवधिपूर्णता स्वरूप (मार्च के अंत में)	121
IV.20	जमा और उधार की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव	123

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
IV.21	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूहवार	124
IV.22	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक	124
IV.23	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय-व्यय में घट-बढ़	125
IV.24	परिचालन लाभ तथा निवल लाभ - बैंक समूहवार	127
IV.25	अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहवार उतार चढ़ाव	128
IV.26	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विविध माध्यमों के जरिए वसूल किया गया एनपीए	129
IV.27	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली	129
IV.28	प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का ब्योरा	129
IV.29	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ - बैंक समूहवार	130
IV.30	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक समूहवार सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियाँ (मार्च के अंत में)	130
IV.31	निवल अनर्जक आस्तियाँ-निवल अग्रिम अनुपात के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण	131
IV.32	ऋण आस्तियों का वर्गीकरण-बैंक समूहवार (मार्च के अंत में)	131
IV.33	क्षेत्रवार-एनपीए-बैंक समूह-वार	132
IV.34	निवेश के मूल्य ह्रास पर प्रावधानों में बैंक समूहवार उतार -चढ़ाव	133
IV.35	अनुसूचित वाणिज्य बैंक घटकवार - सीआरएआर (मार्च के अंत में)	135
IV.36	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बैंक समूहवार (मार्च के अंत में)	135
IV.37	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर के अनुसार बैंकों का वितरण	136
IV.38	बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम	138
IV.39	बैंकों द्वारा निजी स्थानन के जरिए जुटाए गए संसाधन	138
IV.40	बैंक स्टॉक का कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ	138
IV.41	बैंक स्टॉक का संबंधित अंश - टर्नओवर तथा बाजार पूंजीकरण	139
IV.42	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयर धारिता (मार्च के अंत में)	139
IV.43	भारतीय बैंकों में विदेशी वित्तीय संस्थाओं (अनिवासी) की शेयर धारिता (मार्च के अंत में)	139
IV.44	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण (मार्च के अंत में)	141
IV.45	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (मार्च 2009 के अंत में)	141
IV.46	फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेनदेन	142
IV.47	कुल जमाराशियों तथा समग्र बैंक ऋण में शीर्ष के सौ केंद्रों का हिस्सा	143
IV.48	भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन	146
IV.49	बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त बैंकसमूहवार शिकायतें - 2008-09	147
IV.50	बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त क्षेत्र-वार शिकायतें	147

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
IV.51	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गए नो फ्रिल्स खातों की संख्या	147
IV.52	एजेसी वार स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम (मार्च अंत के अनुसार)	148
IV.53	एसबीएलपी के अंतर्गत बकाया बैंक ऋण (मार्च अंत के अनुसार)	149
IV.54	स्वयं सहायता समूहों की बैंकों में बचत (मार्च अंत के अनुसार)	149
IV.55	स्वयं सहायता समूहों के प्रति बैंक ऋणों का एजेसीवार वसूली निष्पादन (मार्च अंत के अनुसार 2009)	150
IV.56	एमएफआइ को उपलब्ध कराए गए बैंक ऋण (मार्च अंत के अनुसार)	150
IV.57	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - समेकित तुलनपत्र	152
IV.58	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम	152
IV.59	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	153
IV.60	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबारी तथा वित्तीय संकेतक	154
IV.61	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की रूपरेखा	154
IV.62	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन (मार्च के अंत में)	155
V.1	शहरी सहकारी बैंकों का श्रेणीवार वितरण	159
V.2	शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों तथा अग्रिमों का श्रेणीवार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	160
V.3	जमाराशियों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	161
V.4	अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	161
V.5	आस्तियों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	161
V.6	शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप (मार्च 2009 के अंत में)	162
V.7	शहरी सहकारी बैंकों का टियर वार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	162
V.8	शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	163
V.9	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश	163
V.10	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंको की देयताएं और आस्तियां	164
V.11	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	164
V.12	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवेश की संरचना	165
V.13	सभी शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	165
V.14	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	166
V.15	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	166
V.16	शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां	166
V.17	शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर-वार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	167
V.18	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम (मार्च 2009 के अंत में)	168
V.19	शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	168

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
V.20	शहरी सरकारी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों का राज्यवार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)	169
V.21	श्रेणीवार शहरी सहकारी बैंकों की केंद्र-वार संख्या (मार्च 2009 के अंत में)	170
V.22	अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड (मार्च 2008 के अंत में)	171
V.23	ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का स्वरूप (मार्च 2008 के अंत में)	172
V.24	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	173
V.25	अनुसूचित सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख संकेतक	173
V.26	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन	174
V.27	राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	174
V.28	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	176
V.29	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन	177
V.30	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	177
V.31	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा तुलनपत्र के संकेतक	179
V.32	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां-सदस्य और उधारकर्ता	179
V.33	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	181
V.34	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन	182
V.35	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	182
V.36	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	183
V.37	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन	183
V.38	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	184
V.39	नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि	185
V.40	राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण	185
V.41	आरआइडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋण (मार्च 2009 के अंत में)	186
V.42	जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (मार्च 2009 के अंत में)	187
VI.1	पुनर्वित्त सुविधाओं का उपयोग	193
VI.2	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	194
VI.3	वित्तीय संस्थाओं की देयता और आस्ति (मार्च के अंत में)	195
VI.4	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन	196
VI.5	मुद्रा बाजार से वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा जुटाए गए संसाधन	196
VI.6	वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन की प्रवृत्ति	196
VI.7	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता	197
VI.8	चयनित वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) की दीर्घावधि पीएलआर संरचना	197
VI.9	चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन	197

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
VI.10	वित्तीय संस्थाओं के चयनित वित्तीय मानदंड (मार्च के अंत में)	198
VI.11	विशुद्ध अनर्जक आस्तियां (मार्च के अंत में)	198
VI.12	वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण (मार्च के अंत में)	199
VI.13	चयनित वित्तीय संस्थाओं की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (मार्च के अंत में)	199
VI.14	रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या	202
VI.15	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा	202
VI.16	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र	203
VI.17	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक	204
VI.18	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां	205
VI.19	जमा स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों की सीमा	205
VI.20	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि- क्षेत्र-वार	206
VI.21	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियाँ-जमाराशि पर ब्याज दर-दायरा-वार	206
VI.22	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप	206
VI.23	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियां-वर्गीकरण-वार	207
VI.24	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियों का स्रोत	207
VI.25	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक	208
VI.26	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियाँ- आस्ति के आकार दायरे के अनुसार	208
VI.27	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां-कार्यकलाप	209
VI.28	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन	209
VI.29	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी की ब्याज लागत	209
VI.30	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के अनर्जक आस्ति - अनुपात	210
VI.31	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां	211
VI.32	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी की आस्तियों का वर्गीकरण	212
VI.33	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात	213
VI.34	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियां की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि	213
VI.35	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियां की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	214
VI.36	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल	215

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
VI.37	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार	215
VI.38	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप	215
VI.39	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों के स्रोत	217
VI.40	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ	218
VI.41	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियां	218
VI.42	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक	219
VI.43	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	219
VI.44	जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियां	219
VI.45	प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य निष्पादनसारणी (मार्च के अंत में)	222
VI.46	द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य निष्पादन	222
VI.47	प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग	223
VI.48	प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य -निष्पादन	223
VI.49	प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक	223
VI.50	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक (मार्च के अंत में)	224
VII.1	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की बैचमार्किंग	240
VII.2	ब्याज दरों का ढांचा	254
VII.3	म्यूच्युअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण	259
VII.4	लेनदेनों की मात्रा और मूल्य	261

चार्ट सूची
ब्योरे

चार्ट संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
II.1	निजी क्षेत्र को बैंक ऋण	27
II.2	निजी क्षेत्र की ऋण वृद्धि	28
II.3	निजी क्षेत्र के लिए घरेलू बैंक ऋण	28
II.4	अमरीकी वाणिज्यिक पत्रों और 3-माह वाले खजाना बिल के प्रतिफल	28
II.5	अमरीकी कारपोरेट बांड और खजाना प्रतिफल	29
II.6	उभरते बाजार के कारपोरेट बांड का स्प्रेड (ट्रेजरी की तुलना में)	29
II.7	एमएससीआइ विश्व तथा ईएमई सूचकांक	30
II.8	अमरीकी शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव	30
II.9	अमरीकी डॉलर की तुलना में प्रमुख विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव	31
II.10	संकट के अब तक के पांच चरण	35
IV.1	कुल जमाराशियों में अंश - बैंक समूहवार	109
IV.2	मीयादी ऋण और निवेश	111
IV.3	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन	114
IV.4	एसएलआर प्रतिभूतियों में एससीबी का निवेश (एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में)	116
IV.5	एससीबी का ऋण और निवेश-जमा अनुपात	120
IV.6	ऋण-जमा अनुपात-बैंक समूहवार (मार्च के अंत में)	120
IV.7	कुल आस्तियों की तुलना में तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर (मार्च के अंत में)	122
IV.8	कुल आस्तियों की तुलना में तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर (मार्च के अंत में)	122
IV.9	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार दरों के बीच स्प्रेड	123
IV.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज तथा ब्याज से इतर आय का अंश	125
IV.11	ब्याज और ब्याज से इतर आय की वृद्धि दर	125
IV.12	परिचालन व्यय की तुलना में वेतन बिल	126
IV.13	भारत में बैंक समूह की निवल लाभप्रदता	127
IV.14	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर और एनपीए में उतार-चढ़ाव (मार्च के अंत में)	128
IV.15	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर (मार्च के अंत में)	135
IV.16	पांच सबसे बड़े बैंकों का सीआरएआर (मार्च के अंत में)	136
IV.17	एटीएम-बैंक समूहवार अंश (मार्च 2009 के अंत में)	141
IV.18	(क): ईसीएस लेनदेन (मात्रा) (ख): ईसीएस लेनदेन (मूल्य)	142
IV.19	आरटीजीएस में प्रगति	143
IV.20	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का बैंक समूहवार वितरण	143
IV.21	बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण	144
IV.22	एससीबी का क्षेत्रवार ऋण-जमा अनुपात	145

चार्ट संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
V.1	भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना	158
V.2	शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां, ऋण और निवेश	163
V.3	शहरी सहकारी बैंकों का सकल और निवल अनर्जक आस्ति अनुपात	167
V.4	राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के वितरण का प्रतिशत	175
V.5	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के वितरण का प्रतिशत	177
VI.1	एआइएफआइ द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	195
VI.2	व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा	203
VI.3	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	210
VII.1	मुद्रा बाजार में ब्याज दरें	248
VII.2	जमा प्रमाणपत्रों के डब्ल्यूएडीआर का उतार-चढ़ाव और औसत मांग मुद्रा दर	248
VII.3	रातभर के अंतर-बैंक बाजार की प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव	250
VII.4	विनिमय दर - रुपया बनाम अमरीकी डालर	252
VII.5	करेंसियों की प्रवृत्ति एवं उतार-चढ़ाव	253
VII.6	सरकारी बांड प्रतिलाभ वक्र के संबंध में 10 वर्षीय प्रतिलाभ बिंदु की प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव	255
VII.7	बीएसई सेंसेक्स को तिमाही घटबाढ़ का गुणांक	256

परिशिष्ट सारणी सूची

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
IV.1 (अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलनपत्र	281
IV.1 (आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलनपत्र	282
IV.1 (इ)	भारत के विदेशी बैंकों के समेकित तुलनपत्र	283
IV.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र	284
IV.3	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन	285
IV.4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	286
IV.5	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम	287
IV.5 (अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	288
IV.6	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	289
IV.7	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम	290
IV.7 (अ)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राप्त लक्ष्य	291
IV.8	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	292
IV.8 (अ)	विदेशी बैंकों द्वारा माइक्रो तथा लघु उद्योग (एमएसई) और निर्यात क्षेत्र के लिए अग्रिम	293
IV.8 (आ)	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	294
IV.9	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विनियोजन	295
IV.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का निभाव	296
IV.11	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार	297
IV.12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	298
IV.13	ऋण-जमाराशि अनुपात	299
IV.14	भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर	300
IV.15	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आय - घटकवार	301
IV.16	महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक - बैंक समूहवार	302
IV.17 (अ)	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	304
IV.17 (आ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	305
IV.17 (इ)	राष्ट्रीयकृत बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	306
IV.17 (ई)	स्टेट बैंक समूह का वित्तीय कार्य - निष्पादन	307
IV.17 (उ)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	308
IV.17 (ऊ)	निजी क्षेत्र के नए बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	309
IV.17 (ए)	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	310
IV.18	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	311
IV.19	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि	314
IV.20	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि	317

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
IV.21	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से प्राप्त आय	320
IV.22	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज	323
IV.23	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय / मार्जिन	326
IV.24	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय	329
IV.25	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय	332
IV.26	पुनः पूंजीकरण बांडों के ब्याज के समायोजन पूर्व और बाद के परिचालनगत और निवल लाभ - राष्ट्रीयकृत बैंक	335
IV.27	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां	336
IV.28	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां	339
IV.29 (अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	342
IV.29 (आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	343
IV.29 (इ)	विदेशी बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	344
IV.30 (अ)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों पर अनर्जक आस्तियां - सरकारी क्षेत्र के बैंक	345
IV.30 (आ)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों पर अनर्जक आस्तियां - निजी क्षेत्र के बैंक	346
IV.31	पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	347
IV.32	बंबई शेयर बाजार में बैंक स्टॉक का शेयर मूल्य तथा मूल्य / अर्जन अनुपात	350
IV.33	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप	351
IV.34	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास पर किया गया व्यय	353
IV.35	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण	354
IV.36	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम	355
IV.37	भारत में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव- बैंक समूह और जनसंख्या समूहवार	358
IV.38	वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव - क्षेत्र/राज्य/संघशासित प्रदेशवार	359
IV.39	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश + ऋण-जमा अनुपात-क्षेत्र/राज्यवार	360
IV.40	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण	361
V.1	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (मार्च 2009 के अंत में)	364
V.2	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक	365
V.3	राज्य सहकारी बैंकों के क्षेत्रवार तथा राज्यवार कार्यकारी परिणाम	368
V.4	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के क्षेत्र तथा राज्यवार कार्य परिणाम	369
V.5	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार	370
V.6	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम	373

सारणी संख्या	ब्योरे	पृष्ठ सं.
V.7	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम	374
V.8	मीयादी ऋण के लिए नाबार्ड की ब्याज दरें - 2008-09	375
V.9	ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार	376
V.10	किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति	379
VI.1	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	380
VI.2	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन	381
VI.3	वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और विनियोजन	382
VI.4	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बांडों/डिबेंचरों के जरिए जुटाए गए संसाधनों की भारित औसत लागत/परिपक्वता	383
VI.5	प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य निष्पादन	384
VI.6	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	385

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर सूची

एबीएस	आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां	बीआइए	मूल सूचक दृष्टिकोण
एसीएच	स्वचालित समाशोधन गृह	बीआइएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
एएसीएस	सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य	बीआइएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
एडी	प्राधिकृत व्यापारी	बीएलए	बांड लेजर खाता
एडीआर	अमरीकी निक्षेपागार रसीद	बीओ	बैंकिंग लोकपाल
एईबीसी	अमेरीकन एक्सप्रेस बैंकिंग कापॉरेशन	बीओपी	भुगतान संतुलन
एईबीएल	अमेरीकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड	बीओएस	बैंकिंग लोकपाल योजना
एएफसी	आस्ति वित्त कंपनी	बीपीएलआर	बेंचमार्क मूल उधार दर
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड
एआइसीसीसीए	स्वतंत्र उपभोक्ता ऋण सलाहकार एजेंसी संघ	बीएससी	संतुलित स्कोकार्ड
एआइएफआइ	अखिल भारतीय वित्तीय संस्था	बीएसई	मुंबई शेयर बाजार
एएलडी	जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयता	बीएसआर	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी
एएलएम	आस्ति देयता प्रबंधन	सीएएलसीएस	पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन एवं प्रणाली
एएमसी	आस्ति प्रबंधन कंपनी	सीएएमईएलएस	पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि, प्रणाली एवं नियंत्रण
एएमएल	धन शोधन निवारण	सीएआर	क्षमता आकलन रेटिंग
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण	सीएसएस	सामान्य लेखांकन प्रणाली
एपीआरएसीए	एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ	सीएसएसए	चालू और बचत खाते
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	सीबीएलओ	संपार्श्वकीकृत उधार लेने-देने संबंधी दायित्व
एआरसीआइएल.	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लिमिटेड	सीबीएस	कोर बैंकिंग प्रणाली
एएसआइसी	ऑस्ट्रेलियन प्रतिभूति और निवेश आयोग	सीबीएस	कंपनी बांड स्प्रेड
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन	सीसीसीएस	उपभोक्ता ऋण परामर्श सेवा
बीसी	कारोबारी संपर्क	सीसीडीएम	क्रेडिट परामर्श और ऋण प्रबंध
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति	सीसीएफ	ऋण परिवर्तन कारक
बीसीपी	व्यवसाय निरंतरता योजना प्रक्रिया	सीसीआइएल	भारतीय समाशोधन निगम लि.
बीसीपी	बासेल के मुख्य सिद्धान्त	सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
बीसीएसबीआइ	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड	सीसीपी	चेक समाशोधन नीति
बीएफ	बैंकिंग सुकरकर्ता	सीसीआर	जाली नोटों पर रिपोर्ट
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड		

सीसीटीवी	क्लोज सर्किट टेलीविजन	सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीडीबीएमएस	केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली	सीपीई	ग्राहक परिसर उपस्कर
सीडीबीएस	बैंकिंग सांख्यिकी निर्देशन समिति	सीपीएडीएस	केन्द्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली
सीडीएफ	सहकारी विकास निधि	सीपीसी	चेक प्रसंस्करण केंद्र
सीडीओ	संपाश्विक ऋण दायित्व	सीपीडी	संपाश्विककृत ऋण दायित्व
सीडीआर	कंपनी ऋण पुनर्संरचना	सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीडीआरएम	कंपनी ऋण पुनर्संरचना तंत्र	सीपीओएस	पर्यवेक्षण केंद्र बिंदु
सीडीएस	ऋण-चूक स्वरूप	सीपीजीआरएमएस	लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली
सीईएम	चालू एक्सपोजर पद्धति	सीपीपीएपीएस	सार्वजनिक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
सीईओबीएसई	ऋण समतुल्य राशि - तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर	सीआरएआर	जोखिम भारत आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात
सीएफसीएसी	पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति	सीआरसीएस	सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक
सीएफएमएस	केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली	सीआरई	वाणिज्यिक स्थावर संपदा
सीएफएस	समेकित वित्तीय विवरण	सीआरआइएसआइएल	भारतीय ऋण रेटिंग सूचना सेवा लि.
सीएफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति	सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएफएसपी	वित्तीय क्षेत्र योजना समिति	सीआरआर	आरक्षित नकदी/निधि अनुपात
सीएफएसआर	वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति	सीएसए	सहकारी समिति अधिनियम
सीएफटी	आतंकवाद वित्तपोषण से संघर्ष	सीएससी	सार्वजनिक सेवा केंद्र
सीजीएफ	ऋण गारंटी निधि	सीएसडी	ग्राहक सेवा विभाग
सीजीटीएमएसई	ऋण गारंटी ट्रस्ट और सूक्ष्म और छोटे उद्यमी	सीएसजीएल	ग्राहक की सहायक सामान्य खाता बही
सीजीटीएसआइ	छोटे उद्योगों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट	सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
सिबिल	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड	सीएसआर	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीआइसी	ऋण सूचना कंपनी	सीटीआर	नकद लेनदेन रिपोर्ट
सीआइटी	मार्गस्थ नकदी	सीटीएस	चेक ट्रैकेशन प्रणाली
सीएलसीसी	केंद्रीय श्रम समन्वय समिति	सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीएलसीएसएस	ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना	डीएंडबी	डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट इनफॉर्मेशन सर्विसेस इंडिया (प्रा.) लि.
सीएलएफ	संपाश्विककृत ऋण सुविधा	डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
सीएमए	ऋण निगरानी व्यवस्था	डीएपी	विकास कार्य योजना
सीएमपी	संघर्ष प्रबंधन नीति	डीसीसी	जिला परामर्शदात्री समिति
सीओबीआईटी	सूचना और संबद्ध प्रौद्योगिकी हेतु नियंत्रण उद्देश्य		

डीसीसी	जिला समन्वय समिति	ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	ईओआइ	अभिरुचि प्रदर्शन
डीसीआरआर	सहकारी पुनरुत्थान और सुधार विभाग	ईएसओपी	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
डीईआर	ऋण इक्विटी अनुपात	ईएसआरबी	यूरोपीय प्रणालीगत जोखिम बोर्ड
डीएफआइ	विकास वित्त संस्थाएं	ईटीएफ	अधिकार प्राप्त कार्यदल
डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	ईडब्ल्यूएस	पूर्व चेतावनी प्रणाली
डीएलआइसी	जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति	एकजिम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
डीएलआइएमसी	जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति	एफएक्यू	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डीएमए	प्रत्यक्ष विपणन एजेंट	एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्यदल
डीएनएसएस	आस्थगित निवल निपटान प्रणाली	एफबीटी	अनुषंगी लाभ कर
डीटी	संचार विभाग	एफसी	वित्तीय संगुट
डीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	एफसीएसी	पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता
डीआर	आपदा संरक्षा	एफसीएल	लचीली ऋण व्यवस्था
डीआरआइ	विभेदक ब्याज दर	एफसीएनआर	विदेशी मुद्रा अनिवासी
डीआरआइपी	जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना	एफसीएनआर (बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
डीआरटी	ऋण वसूली ट्रिब्यूनल	एफडीआइ	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
डीएसए	सीधी बिक्री एजेंट	एफडीआइसी	फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
डीटीए	आस्थगित कर आस्तियां	एफइडीएआइ (फेडाई)	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
डीटीएल	मांग और मीयादी देयता	एफईएमए (फेमा)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
डीटीएल	आस्थगित कर देयताएं	एफएफआइ	विदेशी वित्तीय संस्था
डीवीपी	सुपुर्दगी बनाम भुगतान	एफएफएमसी	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक
ईएआर	जोखिमभरा उपार्जन	एफआइ	वित्तीय संस्था
ईबीआर	पुनर्बट्टाकृत निर्यात बिल	एफआइटीएल	वित्त पोषित ब्याज मीयादी ऋण
ईबीटी	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण	एफआइएफ	वित्तीय समावेशन निधि
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार	एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेश
ईसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम	एफआइएमएमडीए	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ
ईसीएम	आर्थिक पूंजी मॉडल	एफआइएनओ	वित्तीय सूचना नेटवर्क और परिचालन
ईसीआर	निर्यात ऋण पुनर्वित्त	एफआइपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं	एफआइटीएफ	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि
ईईएफसी	विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा	एफआइयू-आइएनडी	वित्तीय आसूचना इकाई-भारत
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	एफएलसीसी	वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र

एफएमसी	वायदा बाजार आयोग	आइबीएस	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी
एफएमडी	वित्तीय बाजार विभाग	आइसीएएपी	आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया
एफआरए	वायदा दर करार	आइसीएआइ	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
एफआरबी	अस्थिर दर बांड	आइ-कैट	संस्थागत क्षमता निर्धारक साधन
एफआरबीएम	राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम	आइसीसीओएमएस	समन्वित करेंसी चेस्ट परिचालन और प्रबंध प्रणाली
एफआरएमएस	धोखाधड़ी की सूचना और निगरानी प्रणाली	आइसीडी	आंतर कंपनी जमा
एफएसए	वित्तीय सेवा प्राधिकरण	आइडीबीआइ	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड	आइडीएफसी	बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम	आइडीएल	आंतर-दिवसीय चलनिधि
एफएसएफ	वित्तीय स्थिरता मंच	आइडीआर	निवेश-जमा अनुपात
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	आइडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
एफएसटी	वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी	आइएफसीआइ	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.
एफवीए	उचित मूल्य लेखांकन	आइएफआर	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
जी 20	20 देशों का समूह	आइएफएससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता
जीएपी	सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांत	आइआइबीआइ	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
जीबी	ग्रामीण बैंक	आइआइएफसीएल	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड	आइआइपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
जीसीएस	गोल्ड कार्ड योजना	आइएमडी	इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट
जीडीसीएफ	सकल घरेलू पूंजी निर्माण	आइएमजीसी	भारतीय बंधक गारंटी कंपनी
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद	आइएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी)रसीद	आइएनएफआइएनईटी	इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा	आइओएससीओ	इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन आफ सिक्योरिटीज कमीशन
जीआइसी	भारतीय साधारण बीमा निगम	आइपीए	जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेंट
जीएलसी	ऋण की सामान्य व्यवस्था	आइपीसी	अप्रतिसंहरणीय भुगतान प्रतिबद्धता
जीएसए	श्रेणीकृत पर्यवेक्षी कार्रवाई	आइपीडीआइ	नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियों	आइपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
एचएफटी	ट्रेडिंग के लिए धारित	आइआरएसी	आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित	आइआरबी	आंतरिक रेटिंग आधारित
आइएडीआइ	जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ	आइआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आइएएस	आंतरिक लेखांकन प्रणाली	आइआरडीपी	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
आइएएसबी	अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड		

आइआरएफ	ब्याज दर फ्यूचर्स	एमजीसीएस	बंधक गारंटी कंपनियां
आइआरएस	ब्याज दर स्वैप	एमआइबीओआर	मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर
आइएस	सूचना प्रणाली	एमआइसीआर	चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान
आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी	एमआइएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
आइटीइएस	आंतर-समूह लेनदेन और एक्सपोजर	एमजेटी	चल कार्य प्रशिक्षक
आइटीजीजीएसएम	सरकारी प्रतिभूति बाजार पर आंतरिक तकनीकी समूह	एमएलआरओ	धन शोधन निवारण रिपोर्टिंग कार्यालय
आइटीजीआई	आइटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट	एमएमबीसीएस	चुंबकीय मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली
आइटीआईएल	आइटी इफ्रास्ट्रक्चर लायब्रेरी	एमएमएस	बहु पद्धति निपटान
आइडब्ल्यूजी	आंतरिक कार्यदल	एमएनबीसी	विविध गैर बैंकिंग कंपनियां
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह	एमएनएसबी	बहुपक्षीय निवल निपटान बैच
जेपीसी	संयुक्त संसदीय समिति	एमओयू	समझौता ज्ञापन
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड	एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग
केवीआईबी	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	एमएसई	सूक्ष्म तथा लघु उद्यम
केवीआईसी	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	एमएसएमई	व्यष्टि ,लघु और मझौले उद्यम
केवायसी	अपने ग्राहक को जानिए	एमएसओई	परिचालन कार्यक्षमता का न्यूनतम स्तर
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक	एमएसएस	बाजार स्थिरीकरण योजना
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा	नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एलआईबीओआर	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर	एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम	एनबीसी	निवल बैंक ऋण
एलएमई	लंदन धातु बाजार	एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एलओसी	चुकौती आश्वासन पत्र	एनबीएफसी-एनडी	जमाराशियां न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एलओएलआर	अंतिम ऋणदाता	एनबीएफसी-एनडी-एसआइ	जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एलटीसीसीएस	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा	एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एलटीवी	लोन-टू-वैल्यू	एनबीवी	निवल बही मूल्य
एम3	व्यापक मुद्रा	एनसीएएफ	नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा
एमएपी	निगरानी योग्य कार्य योजना	एनसीईयूएस	असंगठित क्षेत्र के उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग
एमबीसी	पारस्परिक लाभ कंपनी	एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एमडीबी	बहुपक्षीय विकास बैंक	एनडीसी	बेबाकी प्रमाणपत्र
एमईडीपी	व्यष्टि उद्यम विकास कार्यक्रम	एनडीएस	वार्तालय लेनदेन प्रणाली
एमएफडीईएफ	व्यष्टि वित्त विकास और इक्विटी निधि	एनडीएस - ओएम	एनडीएस ऑर्डर मैचिंग
एमएफआइ	व्यष्टि वित्त संस्थान		

एनडीटीएल	निव्वल मांग और मीयादी देयता	ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
एनईसीएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	ओएलआरआर	ऑन लाइन रिजेक्ट रिपेअर
एनईडीएफसी	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम	ओएलटीएएस	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली
एनईएफआइएस	देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय समावेशन प्रणाली	ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	ओआरएफएस	ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम
एनएफए	नई वित्तीय संरचना	ओएसएमओएस	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
एनफसीसी	राष्ट्रीय ऋण सलाहकार फाउंडेशन	ओएसएस	अप्रत्यक्ष चौकसी प्रणाली
एनएफजीबीसी	खाद्येतर सकल बैंक ऋण	ओटीसी	ओवर द काउंटर
एनएफआर	गैर वित्तीय रिपोर्टिंग	ओटीएस	एक बारगी निपटान
एनएफएस	राष्ट्रीय वित्तीय स्विच	पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन	पीआइएस	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक	पीबीआर	सिद्धांत आधारित विनियमन
एनएचसी	राष्ट्रीय आवास ऋण	पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनआइए	न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनी लि.	पीसीओ	सार्वजनिक टेलीफोन
एनआइसी	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण	पीसीपीएस	सतत संचयी अधिमान शेयर
एनआइसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	पीसीआर	लोक ऋण पंजी
एनआइएमसी	राष्ट्रीय कार्यान्वयन निगरानी समिति	पीडी	प्राथमिक व्यापारी
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र	पीडीआइ	स्थायी ऋण लिखत
एनओएफ	निव्वल स्वाधिकृत निधि	पीडीओ	लोक ऋण कार्यालय
एनपीए	अनर्जक आस्तिया	पीएफएम	पेंशन निधि प्रबंधन
एनपीसी	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
एनपीएफए	अनर्जक वित्तीय आस्तियां	पीआइएमसी	परियोजना कार्यान्वयन निगरानी समिति
एनपीएल	अनर्जक ऋण	पीआइओ	प्रधान निरीक्षण अधिकारी
एनआर(ई)आरए	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता	पीकेआइ	प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी सुविधा
एनआरई	अनिवासी -बाह्य	पीएलआर	मूल उधार दर
एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	पीएमईजीपी	प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम
एनआरआइ	अनिवासी भारतीय	पीएमएलए	धन शोधन निवारण अधिनियम
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार	पीएमआरवाइ	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
ओबीई	तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	पीएनसीपी	सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर
ओबीएस	तुलनपत्रेतर	पीओएस	बिक्री केंद्र
ओबीयू	अपतटीय बैंकिंग इकाइयां	पीपीआइडी	समन्वित विकास की प्रायोगिक परियोजना

पीपीपी	क्रय शक्ति समता	एसबीएलपी	स्वयं-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एससी	अनुसूचित जाति
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	एनसीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीएसएलसी	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
पीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
पीवी	वर्तमान मूल्य	एसडी	स्थायी विकास
क्यूआइएस	परिमाणात्मक प्रभाव अध्ययन	एसडीएस	विशेष जमा योजना
आरबीए	रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	एसईबी	राज्य विद्युत बोर्ड
आरबीआइए	जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा	एसईबीआइ	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
आरबीएस	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण	एसईएफसी	लघु उद्यम वित्तीय केंद्र
आरसीपीएस	प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर	एसईएफटी	विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
आरसीएस	सहकारी समिति पंजीयक	एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
आरडीए	रुपया आहरण व्यवस्थाएं	एसएफएसी	लघु कृषक कृषि कारोबार सहायता संघ
आरईजीपी	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	एसएफसी	राज्य वित्त निगम
आरएफए	परिक्रामी निधि सहायता	एसएफआइओ	गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय
आरआइडीएफ	ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि	एसएफएमएस	संरचित वित्तीय संदेश प्रेषण प्रणाली
आरएमएल	रिवर्स बंधक ऋण	एसजीएल	सहायक सामान्य खाता बही
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां	एसजीएसवाइ	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
आरएनसीपीएस	प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर	एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ	एसएचपीआइ	स्व-सहायता संवर्धक संस्थाएं
आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार	एसआइडीबीआइ	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
आरओई	इक्विटी पर प्रतिफल	एसआइडीसी	राज्य औद्योगिक विकास निगम
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	एसआइपीएस	प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली
आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान	एसजेएसआरवाइ	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एसएए	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण	एसएलए	सेवा स्तरीय करार
एसएसपीपी	विशेष कृषि ऋण योजना	एसएलएएफ	द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा
एसएसपीआरईडी	कृषि ऋण विकास योजना	एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समितियां
एसएओ	मौसमी कृषि कार्य	एसएलईपीएस	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियां
एसएआर	स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएआरएफएई	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन	एसएलआरएस	स्केवेंजर उद्धार और पुनर्वास योजना
एसआइ		एसएमई	लघु और मझौले उद्यम
एसएआरएस	गंभीर श्वसन सिंड्रोम	एसपीवी	विशेष प्रयोजन के साधन

एसआर	प्रतिभूति रसीद	यूबीबी	एकसमान तुलन बही
एसआरएफ	विशेष पुनर्वित्त सुविधा	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
एसआरएमएस	मैनुअल स्केवेंजरो के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना	यूसीसी	अनचाहा वाणिज्यिक संपर्क
एसआरपी	पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया	यूआईए	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लि.
एसआरईपी	पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया	यूटीआइ	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
एसएससी	विशेष उप समितियां	यूटीएलबीसी	संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति
एसएसआइ	लघु उद्योग	वीएआर	जोखिम -मूल्य
एसएसएस	प्रतिभूति निपटान प्रणाली	वीसीएफ	उद्यम पूंजी निधि
एसटी	अनुसूचित जनजाति	वीडीपी	ग्राम विकास कार्यक्रम
एसटीसी	स्थायी तकनीकी समिति	वीकेसी	ग्राम ज्ञान केंद्र
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक	वीपीएन	आभासी निजी नेटवर्क
एसटीसीसीएस	अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा	वीआरएस	स्वैच्छक सेवा निवृत्ति योजना
एसटीसीआरई	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण	वीएसएटी	वीसैट (वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल)
एसटीपी	स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग	डब्ल्यूएडीआर	भारित औसत बट्टा दर
एसटीआर	संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट	डब्ल्यूसीटीएल	कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण
एसटीआरआइपीएस	प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग ट्रेडिंग	डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
एसडब्ल्यूआइएफटी (स्विफ्ट)	विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार समिति	डब्ल्यूजीआरएफआइएस	वित्तीय संस्थाओं की भावी भूमिका के संबंध में कार्य दल
टीएसएमपी	मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति	डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
टीएफसीयूबी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल	एक्सबीआरएल	एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
टीएफसीआइ	भारतीय पर्यटन वित्त निगम	एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज
		वाइटीएम	परिपक्वता प्रतिफल

संभावनाएं

वैश्विक वित्तीय ढांचे के सामने विद्यमान चुनौतियों के बारे में किसी भी विचार-विमर्श की शुरुआत उन महत्वपूर्ण घटकों के आकलन से हो सकती है जिन्होंने इस संकट की शुरुआत से पहले वैश्विक वित्तीय प्रणाली को आकार प्रदान किया था। वैश्विक वित्तीय संकट और इसके बाद आई मंदी ने वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाली वित्त व्यवस्था को कलंकित किया। वैश्विक प्रवृत्तियां बहुत-सी महत्वपूर्ण संभावनाओं को उजागर कर रही हैं। इनका दायरा वित्तीय नव-संकल्पनाओं की महती भूमिका के साथ-साथ विनियामक पहलुओं पर सवाल उठाने से लेकर बहुत-से अन्य विषयों तक फैला हुआ है। नीति निर्माताओं और विद्वानों दोनों ही के समूह अपनी-अपनी संकल्पनाएं लेकर सामने आ गए हैं, जिनमें संकट के कारणों के विश्लेषण और तात्कालिक और दीर्घविधि समाधानों के बारे में आकलन किए गए हैं। यद्यपि, वैश्विक संभावनाओं से काफी कुछ सीखने को है और विभिन्न वैश्विक नव-संकल्पनाओं से काफी कुछ लाभ मिलेगा, तथापि, भारतीय बैंकिंग की बहुत-सी ऐसी परिपाटियां हैं जिन्हें दूसरे देश अपना सकते हैं। वर्ष 2008 में वित्तीय रूप से शुरू हुए वैश्विक संकट के बीच भारतीय बैंकिंग सफलता की कहानी कह रही है, जिसका श्रेय विद्यमान विनियामक परिवेश और संरचनाबद्ध बैंकिंग संचालकों को जाता है। यह एक भीतरी शक्ति है जिसका दोहन किया जा सकता है और यह आगे के लिए अनुकूल दृष्टिकोण का निर्माण करती है। इन घटकों का पता लगाकर इनका समेकन करने की जरूरत है।

1. परिचय

1.1 वित्तीय प्रणाली की प्रमुख भूमिका यह है कि सर्वाधिक उत्पादक कार्यों में पूंजी का निवेश करवाया जाए। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की प्रबल वृद्धि और प्रौद्योगिकीय प्रगति को देखते हुए यही लगता है कि हमारी वित्तीय प्रणाली अपने कार्य को लम्बे समय से बखूबी निभा रही है। हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट और इसके बाद आई मंदी ने इस रिकार्ड को कलंकित किया है। ऐसा समय आ गया है जब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 'क्या अतिसमर्थ वित्तीय व्यवस्था वृद्धि का दशमांश लेती ही है?' इस मूलभूत प्रश्न पर भी चर्चा हो रही है कि हमारी वित्तीय प्रणाली हमारी अर्थव्यवस्था को वास्तव में क्या प्रदान कर रही है, और इस कार्य के बदले क्या भरपाई करनी पड़ रही है। यह भी तर्क दिए जाते हैं कि वित्तीय संकट के बाद परिष्कार कैसे हो और ऐसी ही दूसरी किसी घटना से बचाने के लिए अपनी अपघात-संभाव्य वित्तीय प्रणाली को किस प्रकार सुधारें - जैसी समस्याओं पर होने वाले लम्बे वाद-विवाद इस समस्या पर आकर रुक गए हैं कि बाजारों को किस प्रकार विनियमित किया जाए कि इनसे होने वाले लाभों पर कोई असर न पड़े।

1.2 विशेषकर 1997 में हुए पूर्वी एशियाई संकट के बाद यह सर्वमान्य हो गया है कि विगत दो दशकों में नाटकीय रूप से

बढ़ चुके विदेशी पूंजी के विशाल प्रवाह के परिवेश में वित्तीय क्षेत्र को प्रतिरोधी और सुनियंत्रित होना ही चाहिए। विद्यमान वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान यह तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि भलीभांति परीक्षित मौद्रिक नीति और विनियामक व्यवस्था वाले विकसित वित्तीय बाजार भ्रमी इस प्रकार की अप्रत्याशित और असाधारण गतिविधियों से मुक्त नहीं हैं। खुले बाजारों की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रभावी विनियमन की जरूरत है। वित्तीय नवोन्मेषों और एकीकरण ने आस्तियों के सभी वर्गों और एक से दूसरे देश तक पहुंचने वाले आघातों की सीमा और गति को बढ़ा दिया है, और सर्वांगीण रूप से विकसित और अविकसित संस्थाओं के बीच की सीमारेखाएं धूमिल हो चुकी हैं। लेकिन विनियमन और पर्यवेक्षण का ध्यान विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की तरफ है। विनियामक व्यवस्थाओं में स्वदेशी संस्थाओं के क्रियाकलापों के प्रणालीगत और अंतरराष्ट्रीय निहितार्थों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जाता है।

1.3 वर्तमान वैश्विक और भारतीय बैंकिंग प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए खंड 2 में वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है, खंड 3 में उभरते भारतीय परिप्रेक्ष्य का विवरण है और खंड 4 में अध्याय का समापन किया गया है।

2. वैश्विक प्रवृत्तियों से संभावनाएं

1.4 वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के सामने विद्यमान चुनौतियों के बारे में किसी भी विचार-विमर्श की शुरुआत उन महत्वपूर्ण घटकों के आकलन से हो सकती है जिन्होंने इस संकट की शुरुआत से पहले वैश्विक वित्तीय प्रणाली को आकार प्रदान किया था। आपस में मिलकर प्रबल होते जा रहे घटकों के तीन समूहों पर विनियामक और मौद्रिक प्राधिकरणों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, तर्क दिया जाता है कि इनसे प्रणालीगत जोखिम को बढ़ावा मिला। पहला, विगत दशक के दौरान वैश्विक समष्टि आर्थिक असंतुलनों के कारण ब्याज दरें कम हुईं, इससे अधिकाधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, और समूचे विश्व में आस्ति कीमतों में अस्थायी उछाल आ गया। दूसरे, वित्तीय क्षेत्र संरचना में परिवर्तन और वित्तीय नवोन्मेषों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन में विफलता - छाया बैंकिंग प्रणाली को महत्व प्रदान करने सहित प्रतिभूतिकरण की प्रवृत्ति - इन सबने विगत दो दशकों के दौरान प्रणाली को अस्थिरता की ओर धकेल दिया। और, तीसरे, लीवरेज वाली वित्तीय संस्थाओं में यह प्रवृत्ति होती है कि ये प्रणालीगत जोखिम को आंतरिक रूप से परखे बिना अत्यधिक जोखिम उठाती हैं, और यही मुख्य कारण भी है कि इन पर नियंत्रण की जरूरत है।

1.5 नीति निर्माताओं और विद्वानों दोनों ही के समूह अपनी-अपनी संकल्पनाएं लेकर सामने आ गए हैं, जिनमें संकट के कारणों का विश्लेषण और तात्कालिक और दीर्घावधि समाधानों के बारे में निष्कर्ष दिए गए हैं। (उदाहरण के लिए डी लैरोसीयर रिपोर्ट (2009), दि टर्नर रिव्यू (2009), दि जेनेवा रिपोर्ट (2009), दि ग्रुप ऑफ थर्टी रिपोर्ट (2008) और द आइएमएफ लैसन्स पेपर (2009)। वित्तीय संकट ने विद्यमान विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं की कमजोरियों को उजागर किया है। हाल ही के घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संकट की स्थितियों को कम करने और जब कभी भी संकट पैदा हो उससे निपटने के लिए कम-से-कम चार क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। ये हैं (क) अच्छे समय के दौरान प्रणालीगत जोखिम का आकलन करने और इनके जमाव को रोकने के लिए बेहतर तरीकों की तलाश; (ख) पारदर्शिता बढ़ाना तथा बाजार के विभिन्न सहभागियों द्वारा उठाई जा रही जोखिमों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देना; (ग) रचनात्मक विविधता की रक्षा करते हुए विनियमन के दायरे को अंतर-संस्था और सीमा-पार देशों तक बढ़ाना;

और (घ) अधिक प्रभावी, समन्वित कार्रवाई के लिए क्रियाविधि तैयार करना।

1.6 वित्तीय विनियमन के दायरे का पुनरीक्षण करने और चलनिधि के प्रावधान में सुधार की जरूरत है। वैश्विक वित्तीय संकट में सबसे ज्यादा योगदान अपर्याप्त विनियमनों का था - इनकी प्रकृति विखंडित थी और इन्हें लागू करने में ढील की गई। विनियामक संरचनाओं का पुनरीक्षण किया जाए, ताकि प्रणालीगत जोखिमों के पुनः बढ़ाने को रोका जा सके, वैश्विक वित्तीय मध्यस्थता के जरिये वैश्विक बचतकर्ताओं और निवेशकों को आपस में जोड़ने के लिए मजबूत आधार प्रदान किया जाए, और जब भी वित्तीय अस्थिरता पैदा हो तो उससे निपटने के लिए स्पष्ट और संगत विधि सुनिश्चित की जा सके। प्रणालीगत संकटों से बचाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने की अपेक्षा है, जैसे -

- *विनियमों की परिधि*, या विनियामकों के अधिकार क्षेत्र में कौन-सी संस्थानों और परिपाटियों को लिया जाना चाहिए;
- *अनुचक्रीयता*, व्यवसाय चक्र को बढ़ाकर दिखाने के लिए कुछ विनियामक और व्यवसायी परिपाटियों के लिए प्रवृत्ति होना;
- वित्तीय प्रणाली में जोखिम की जानकारी और इनके प्रसार के बारे में *सूचना में अंतराल*;
- राष्ट्रीय विनियामक नीतियों और कानूनी व्यवस्था को समरूपी बनाना ताकि सीमापार देश में परिचालन करने वाले फर्मों और बाजारों के *समन्वित पर्यवेक्षण* और समस्याओं के समाधान को बढ़ाया जा सके; और
- बाजारों को *चलनिधि प्रदान करना* ताकि निवेश और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण के लिए निधियों का सहज प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

1.7 विनियमों की परिधि : नवीनतम संकट से यह सबक मिला है कि विनियमों की परिधि का विस्तार करने की जरूरत है ताकि उन संस्थाओं और बाजारों को भी इनके दायरे में लाया जा सके जो विनियमों की परिव्याप्ति से बाहर थे, और कुछ मामलों में विनियामकों और पर्यवेक्षकों की पकड़ से दूर थे। इनमें से कुछ संस्थाएं तो ऐसी थीं जो दीर्घावधि आस्तियों में निवेश के लिए अल्पावधि ऋण प्राप्त करने में सफल रहीं और अपनी लीवरेज

(आस्ति खरीदने के लिए ऋण का प्रयोग) को ऐसे स्तर तक ले गई कि अल्पावधि कर्जदाताओं द्वारा अपनी निधियां वापस मांगने पर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को खतरा हो गया। तथापि, सभी वित्तीय मध्यस्थों को दायरे में लेना आवश्यक नहीं है और उन विशिष्ट कमजोरियों का सावधानीपूर्वक अभिनिर्धारण महत्वपूर्ण है, जिन पर व्यापक विनियमन के माध्यम से ध्यान देते हुए बाजार की विफलता को दूर किया जाएगा। इसे दोहरी-परिधि वाले दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है - वित्तीय संस्थाएं और क्रियाकलाप बाहरी परिधि में रहेंगे और इन पर प्रकटीकरण की अपेक्षा लागू होगी, जबकि प्रणालीगत जोखिम पैदा करने वाली संस्थाओं को आंतरिक परिधि में लाया जाएगा और इन पर विवेकपूर्ण विनियम लागू होंगे।

1.8 अनुचक्रीय व्यवहार : वर्तमान वित्तीय संकट बैंकिंग में अत्यधिक अनुचक्रीयता का एक उदाहरण है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि तेजी के दौरान कर्ज देने के बारे में बहुत गलतियां होती हैं। कर्ज लेने वाले और देने वाले दोनों ही निवेश परियोजनाओं के प्रति जरूरत से ज्यादा विश्वास जताने लगते हैं और ऋण के मानकों को शिथिल करने की प्रवृत्ति बन जाती है। मंदी के दौरान बैंक अचानक ही रूढ़िवादी बन जाते हैं और ऋण देने के मानकों को सख्त कर देते हैं। इसके अलावा, यदि मौद्रिक नीति काफी लम्बे समय तक नरम बनी रहती है तो इससे बैंकों द्वारा जोखिम उठाने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन बढ़ सकते हैं, क्योंकि बैंकों को प्रतिफल की तलाश रहती है।

1.9 ऋण-हानि के गतिशील प्रावधान बैंकिंग में अनुचक्रीयता से निपटने में मदद कर सकते हैं। ये ऋण संविभागों में क्रेडिट हानियों को पहले ही पकड़कर इनके संबंध में प्रावधान करके बैंकों को अच्छे समय में बफर का निर्माण करने में मदद करते हैं, जिसका प्रयोग दुर्दिनों में किया जा सकता है। इनकी प्रतिचक्रीयता वाली प्रकृति बैंक-विशेष और सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली की आघात-सहनीयता को बढ़ाती है।

1.10 बैंकिंग क्षेत्र के लिए नई विनियामक संरचना का एक अन्य तत्व है पूंजी के संशोधित नियम। पूंजी संबंधी अनुचक्रीयता नियमों

की समस्या का निराकरण करके वित्तीय संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए पूंजी का बफर पर्याप्त रूप से बढ़ा किया जाना चाहिए। नए नियमों में बैंकों के लिए यह बाध्यता होनी चाहिए कि लाभ कमाने के दौरान वे विनियामक पूंजी को बढ़ाएं, क्योंकि उस समय ऐसा करना आसान होता है, इससे अधिक कठिन हालात में हानियों को सहन करने के लिए बफर मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लगातार ऋण प्राप्त होते रहेंगे।

1.11 इस संकट से लीवरेज की भूमिका भी सामने आ गई है। सिद्धांत रूप में जोखिम भारत पूंजी अपेक्षाओं से अत्यधिक लीवरेज पर नियंत्रण रहेगा, जिसमें कम जोखिम वाली आस्तियों की तुलना में अधिक जोखिम वाली आस्तियों के लिए ज्यादा पूंजी अपेक्षित है। तथापि, जोखिम मॉडलों की अपर्याप्तता के कारण पूंजी की अपेक्षित मात्रा का आकलन कम होने से लीवरेज में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अतः तेजी¹ के दौरान वित्तीय संस्थाओं में समग्र लीवरेज को सीमित करने के लिए तुलनपत्र से इतर मदों सहित लीवरेज अनुपात (पूंजी को आस्तियों से भाग करके) जैसे अपेक्षाकृत सरल मापक का उपयोग करना लाभदायक होगा।

1.12 संस्थाओं द्वारा वर्तमान-बाजार कीमतों का प्रयोग करते हुए आस्तियों का मूल्यांकन करने की अपेक्षा रखने वाली उचित मूल्य लेखांकन विधियां यद्यपि अधिकांश स्थितियों में अच्छे निर्देश-चिह्न हैं, तथापि संकट ने यह आभास दिया है कि तनाव के समय में ये कीमतों के घटने की गति को और बढ़ा सकती हैं। लेखांकन नियमों में ट्रेड की जाने वाली आस्तियों वाली वित्तीय फर्मों को यह अनुमति दी जाए कि वे 'मूल्यांकन आरक्षित निधि' आबंटित करें, जो कि तेजी के दौरान अति मूल्यांकन को प्रकट करते हुए बढ़ जाती हो और मंदी के दौरान न्यूनतर मूल्यांकन की ओर गिरावट की दशा में बफर के रूप में कार्य करती हो। इसी प्रकार संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त आस्तियों, जैसे घरों के मूल्यों में भी चक्र के साथ चलने की प्रवृत्ति रहती है। लेखांकन नियम पुस्तकों में अधिक गुंजाइश रखने की जरूरत है ताकि प्रगतिशील और मापन योग्य संकेतकों के आधार पर अधिक रूढ़िवादी मूल्यांकनों की रिपोर्टिंग हो सके।

¹ लीवरेज अनुपात सामान्यतः कुल समायोजित आस्तियों की तुलना में टियर I पूंजी का प्रतिशत होता है जिसमें आस्तियों के समायोजन में वे मदें होती हैं जिन्हें टियर I से पहले ही घटा दिया जाता है, जैसे सुनाम (गुडविल)। इस प्रयोजन हेतु यही परिभाषा अमरीका आदि देशों में प्रयोग में लाई जाती है और इसे विश्व बैंक (2009) द्वारा लीवरेज अनुपात पर अवधारणा नोट 'बैंकिंग एंड लीवरेज रेश्यो' में स्पष्ट किया गया है जो www.crisistalk.org में उपलब्ध है।

1.13 वित्तीय प्रणाली का एक अन्य अनुचक्रियता लक्षण है चलनिधि के लिए वित्तपोषण - अर्थात् उधार देने के लिए निधि प्राप्त करने में वित्तीय फर्मों की सक्षमता। निधियों में यह प्रवृत्ति है कि तेजी के दौर में इनकी प्रचुरता रहती है और मंदी के दौरान इनकी कमी हो जाती है। निधियों की सुस्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में चलनिधि जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन की तकनीकें पहली रक्षापंक्ति होती हैं। निधीयन के कमोबेश परिवर्तनशील रूपों, जैसे अल्पावधिक एकमुश्त निधीयन के स्थान पर छोटी जमाराशियों पर निर्भरता बेहतर रहती है।

1.14 सूचना अंतरालों को दूर करना : इस संकट के सर्वाधिक परेशान करने वाले पहलुओं में से एक यह भी रहा कि यह तथ्य नहीं देखा जा सका कि विभिन्न धारकों के बीच किस प्रकार की जोखिमों का बंटवारा हुआ और ये धारक कौन थे। संरचनाबद्ध नए क्रेडिट उत्पादों में से कई ऐसे थे जिनमें यह अपेक्षित था कि जोखिम उनमें विभाजित हो जो इसका प्रबंधन करने में सर्वाधिक सक्षम हो। लेकिन बहुत से मामलों में, पर्यवेक्षक और बाजार के अन्य सहभागी यह नहीं देख सके कि विभिन्न जोखिम कहां-कहां पर थी, क्योंकि जोखिमों को इस प्रकार से छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था कि जोखिमों के पैकेजों और क्रेताओं को पूरी तरह से यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने किस प्रकार की जोखिम बेची या खरीदी है। प्रणालीगत जोखिमों और दुर्बलताओं को जानने के लिए संभवतया प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की जोखिम संभावनाओं से संबंधित डाटा की सर्वाधिक जरूरत होती है - साथ ही इनके स्तर, इनकी जोखिमों का संकेन्द्रण और देश-विदेश की संस्थाओं और बाजारों में इनके सम्पर्क संबंधी तथ्य जरूरी होते हैं।

1.15 वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए बेहतर प्रकटीकरण नियम अपेक्षित है ताकि सूचना को अधिक विशिष्ट और तथ्यपरक बनाया जा सके। विशेष रूप से, रिपोर्टिंग में तुलनपत्रों में शामिल की गयी और शामिल न की गयी दोनों प्रकार की मदें शामिल होनी चाहिए क्योंकि बहुत-सी जोखिम संबंधी मदों को निवेशकों और पर्यवेक्षकों से छिपाए रखने के लिए तुलनपत्रों से हटा दिया जाता है। यदि ओवर-दि-काउंटर डेरिवेटिव बाजारों (ओटीसी) की कीमतों, लेनदेन की राशियों से जुड़ी और अन्य संबंधित जानकारी (व्यापकता, प्रतिपक्ष का प्रकार, और बाजार में समग्र संकेन्द्रण) अधिक सुगमता

से प्राप्त हों तो बाजार बेहतर कार्य करेंगे। इसी प्रकार आपस में जुड़ी हुई बहुत-सी पार्टियों की बीमा पॉलिसी के रूप में रखे हुए क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) संबंधी जानकारी की जरूरत होती है। सीडीएस के लिए केन्द्रीकृत क्लियरिंग सुविधाओं का अभी निर्माण किया जा रहा है, और इनसे काउंटर पार्टी जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी और सूचना संग्रहण में भी मदद मिलेगी।

1.16 देश-विदेश के मध्य समन्वय में सुधार: संकट के दौरान देश-विदेश के बीच सूचना के प्रवाह और विनियामकों के बीच सहयोग में असंगति रही है। संकट के साथ जुड़े हुए प्रणालीगत और वैश्विक जोखिमों से सहजतापूर्वक निपटने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय फर्मों के पर्यवेक्षण में यह अपेक्षित है कि जिन देशों से अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के वित्तीय संगुटों द्वारा परिचालन किए जाते हैं उन देशों के नीतिनिर्माता साथ-मिलकर काम करें ताकि राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था की असंगतियों को दूर किया जा सके। दूसरे, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बैंक को दिवालिया घोषित करने की व्यवस्था मूल देश और मेजबान देशों में इस प्रकार की हो कि उनमें मूलभूत रूप से एकरूपता रहे। बैंकों की समस्याओं के समाधान की शुरुआत करने के लिए ट्रिगर्स, समय सीमा और क्रियापद्धति सहित दिशानिर्देशों का एक सुसंगत संग्रह एक फर्म की फ्रेन्चाइजी के मूल्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

1.17 सभी अधिकार क्षेत्रों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाया जा सकता है, उदाहरण के लिए जिन देशों में वह फर्म व्यवसाय कर रही हो उसके नियामकों का एक कॉलेज की स्थापना करके। उस कॉलेज का प्रधान अर्थात् प्रमुख पर्यवेक्षक (विशेष तौर पर बैंक के मूल देश से) सम्पूर्ण फर्म में जोखिम संकेन्द्रण के साथ-साथ उसकी प्रमुख मजबूतियों और कमजोरियों की स्पष्ट छवि तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। फर्म के अनुमेय क्रियाकलापों के बारे में प्रमुख पर्यवेक्षक और अन्य सक्षम पर्यवेक्षकों द्वारा निर्णय किया जाएगा। यह कॉलेज फर्म के क्रियाकलापों का निरीक्षण करेगा और जरूरत के अनुसार जानकारी का संग्रह करेगा।

1.18 बाजारों को चलनिधि प्रदान करना : इस संकट ने बाजारों को चलनिधि प्रदान करने के विविध तरीकों की शुरुआत की है। केन्द्रीय बैंकों ने काउंटरपार्टियों की संख्या में बढ़ोतरी की है, उनके द्वारा

स्वीकार की जाने वाली सांपाश्विक प्रतिभूति के प्रकारों को व्यापक बनाया है, और चलनिधि सहायता की परिपक्वता अवधि को बढ़ा दिया है। कुछ मामलों में नई सुविधाओं की शुरुआत हुई है। यह महत्वपूर्ण है कि जरूरतमंद कर्जदारों को आपातकालीन चलनिधि और मध्यस्थता में ऐसा कोई तत्व अवश्य शामिल किया जाए कि स्थितियां सामान्य होते ही इन पद्धतियों को किस प्रकार समाप्त कर दिया जाएगा। चलनिधि और क्रेडिट के आकस्मिक परिवर्तन से बचने के लिए इस निकास की समयबद्धता में समन्वय रखना होगा। निकास रणनीतियों में ऐसे प्रोत्साहन होने चाहिए जो बाजार के सहभागियों को धीरे-धीरे केंद्रीय बैंकों से अलग करके पुनः सामान्य चलनिधि प्रदाताओं की ओर ले जाएं, इनसे अनावश्यक झटकों की संभावना भी नहीं रह जाएगी।

1.19 वित्तीय नवोन्मेषों के पक्ष-विपक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है। चार दशकों तक हुए अभूतपूर्व वित्तीय नवोन्मेषों के बाद विगत दो वर्ष की घटनाओं ने वित्तीय नवोन्मेषों की जोखिम के बारे में बहस को जन्म दिया है। सर्वाधिक स्पष्ट रूप से उपयोगी नवोन्मेष रिटेल वित्तपोषण के क्षेत्र में हुए हैं। ये भुगतान बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रयोक्ता-हितैषी की आदर्श स्थिति की श्रेणी में आते हैं, जैसे स्वचालित रूप से रकम देने वाली मशीनें। प्लास्टिक कार्ड जैसे तो दैनिक लेनदेन को बहुत आसान बनाते हैं, लेकिन कई बार ग्राहकों के लिए ऋणग्रस्तता की समस्याएं पैदा करने का कारण बन जाते हैं। बड़ी मात्रा के वित्तपोषण के लाभ तो अनेक हैं पर इनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इन्होंने 1970 के दशक में नियत विदेशी मुद्रा विनिमय दर को समाप्त किए जाने और ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त करने के बाद आए उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद की जो क्षेत्र विशेष में सीमित हो गए थे। नवोन्मेष के बारे में विनियामकों के लिए शंकाग्रस्त रहने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आधुनिक विश्व में अधिकांश नवोन्मेषों का उद्देश्य विनियामक और कर व्यवस्था से बचाव की सुविधा प्रदान करना रहता है, जैसे कि बैंकों द्वारा तुलनपत्रों से इतर मदों के प्रतिभूतिकरण क्रियाकलापों से स्पष्ट होता है। इस समस्या से निपटने के लिए पूंजी पर्याप्तता नियंत्रण पद्धति का प्रयोग करना बेहतर है, क्योंकि (i) सामाजिक लागत और लाभों का आकलन आसानी से नहीं हो सकता, (ii) अधिक आधारभूत तथ्य यह है कि विगत में हुए अधिकांश वित्तीय संकटों की भांति इस बार भी वास्तविक प्रणालीगत नुकसान वित्तीय लिखतों के कारण नहीं बल्कि

लीवरेज के कारण हुआ है - पूंजी को ही सुरक्षा पंक्ति में प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने के पीछे यह एक अन्य कारण है।

1.20 कारपोरेट अभिशासन : वित्तीय संकट से यह प्रकट हो चुका है कि कारपोरेट अभिशासन में गंभीर कमियां थीं। सर्वाधिक जरूरत के समय सुदृढ़ कारोबारी व्यवहार को सुधारने में वित्तीय संस्थाओं की जरूरत के अनुसार नियंत्रणों और प्रतिबंधों को लागू करने में ये प्रायः विफल रहे। कुछ बड़ी वित्तीय फर्मों पर आए संकट के केंद्र में कारपोरेट अभिशासन की विफलता की भूमिका स्पष्ट थी। संकट के बाद वित्तीय क्षेत्र में सरकारें प्रमुख शेयर धारक बन चुकी हैं। अतः, उनके आपातकालीन सहायता उपायों से अलग हो जाने पर हितों का टकराव हो सकता है। निजी क्षेत्र के अन्य निकायों सहित सभी संस्थाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार किया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट अभिशासन के सहमत-मानकों का बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। पारिश्रमिक और प्रोत्साहन व्यवस्था को संस्था के अधिकारियों के हितों के साथ-साथ कंपनी और शेयरधारकों के दीर्घावधि हितों के अनुरूप होना चाहिए। इन संरचनाओं में विरूपण होने से अतिरिक्त जोखिम उठाने के प्रति अल्पावधिक झुकाव हो सकता है, बहुत से देशों में यह प्रवृत्ति कर प्रावधानों से प्रबल हुई है। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार और विश्लेषण की जरूरत है: जोखिम-प्रबंधन व्यवस्था की बोर्ड द्वारा निगरानी; बोर्ड की प्रथाएं; पारिश्रमिक प्रक्रिया का अभिशासन; और शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोग (बॉक्स I.1)।

वैश्विक भुगतान प्रणाली

1.21 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट से काफी सबक लिए जा चुके हैं और हमारे सभी अनुभव नकारात्मक नहीं रहे हैं। खुदरा ग्राहकों और उद्यमों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सभी स्थानों की भुगतान प्रणालियों ने सही तरह से कार्य किया। इस प्रकार इन प्रणालियों ने ऐसे समय के दौरान भी आर्थिक क्रियाकलापों को बरकरार रखने में मदद की, जब काउंटरपार्टियों के प्रति भरोसा निचले स्तर था (बॉक्स I.2)।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक

1.22 वित्तीय संकट ने लेखांकन मानकों में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया है। जुलाई 2009 में बासल समिति ने ट्रेडिंग बुक के लिए उच्चतर पूंजी मानकों की श्रृंखला जारी की, क्योंकि यह माना

बॉक्स I.1 : वित्तीय संकट और कारपोरेट अभिशासन

- कंपनी के अभिलक्षणों के आधार पर, पारिश्रमिक और प्रोत्साहन व्यवस्था पर बोर्ड (और कई बार विनियामक) के दृष्टिकोण का फोकस होना चाहिए और इस प्रकार व्यापक दृष्टिकोण रखा जाए, इसका फोकस केवल प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और बोर्ड सदस्यों तक ही सीमित न रहे।
- पारिश्रमिक/प्रोत्साहन प्रणालियों का अभिशासन बहुधा विफल ही रहा है क्योंकि निर्णय और समझौते पर्याप्त दूरी रखते हुए नहीं किए जाते। कार्य निष्पादन आधारित पारिश्रमिक के स्तर और शर्तों पर मैनेजर्स और अन्य का इतना प्रभाव रहता है कि बोर्ड अपने उद्देश्यपरक, स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम या असहाय हो जाता है।
- कई मामलों में यह तथ्य चकित करने वाला रहा कि कार्यनिष्पादन और पारिश्रमिक के बीच का संबंध बहुत कमजोर था या इसका प्रतिपादन कठिन रहा। उदाहरण के लिए, कंपनियों ने कई बार फर्म विशेष के सापेक्षिक कार्यनिष्पादन के बजाय स्टॉक-कीमत के सामान्य उपाय का प्रयोग किया। सीईओ के नियंत्रण में न आने वाले घटकों पर कई बार जोर दिया गया।
- प्रतिपूर्ति की स्कीमें भी कई बार बहुत ही जटिल या इतनी दुर्बोध होती हैं कि स्थिति को छिपा लेती हैं। पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन करने के मामले में तो यह विशेष रूप से कठिन हो जाता है। यह असंगत भी होती हैं जिनमें सीमित अधोगामी जोखिम होती हैं, जिनसे अधिकाधिक जोखिम उठाने को प्रोत्साहन मिलता है। पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है, जिसका सीधा-सा आशय है अधिक से अधिक प्रकटीकरण, जिसमें हाल ही के वर्षों में सुधार हुआ है। कारपोरेटों को अपने कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रतिपूर्ति कार्यक्रमों के मुख्य लक्षणों का ब्यौरा सरल और गैर-तकनीकी शब्दों में देने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कार्यक्रम की कुल लागत; प्रयोग में लाए गए कार्यनिष्पादन मानदंड, और संबंधित जोखिमों के लिए प्रतिपूर्ति के समायोजन की विधि शामिल होनी चाहिए।
- प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन प्रणालियों को इस प्रकार रखा जाए, जो दीर्घावधिक कार्य निष्पादन को प्रोत्साहन दें और इसके लिए ऐसी लिखतों की अपेक्षा

होती है, जिनका भुगतान तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब कार्यनिष्पादन का लाभ मिल जाए। इन लिखतों में नकदी के बजाय लॉक-इन प्रावधान वाले शेयर, क्लॉ-बैक, आस्थगित प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं। बाद में कार्यक्रम का वास्तविक आकलन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की स्कीमें जटिल होती हैं और यह संभव नहीं है कि कानूनी सीमाएं जैसे कैप्स और कुछ राजकोषीय उपाय इस प्रयोजन को प्राप्त कर सकें। यह भी जोखिम है कि तयशुदा प्रतिपूर्ति में बढ़ोतरी का सहारा ले लिया जाए जो कि कंपनी की दीर्घावधिक सफलता के साथ जुड़े हुए प्रोत्साहनों को कमजोर कर देगा।

- इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि सुदृढ़ अभिशासन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिपूर्ति निर्धारित की जाए, जिसमें परामर्शदाताओं और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी लोगों की भूमिका और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके अलग-अलग बताया गया हो। कई बार पारिश्रमिक प्राप्त परामर्शदाताओं को नियुक्त करना पड़ सकता है और ऐसी नियुक्ति प्रबंधन के बजाए बोर्ड के नॉन एक्जीक्यूटिव सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए। बोर्ड के कार्यपालक सदस्यों को इसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके हितों में आंतरिक संघर्ष हो सकता है।
- यदि प्रतिपूर्ति की नीतियों को वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है और शेयरधारकों के अनुमोदन से उचित ठहराया जाता है तो इसे अच्छी परिपाटी माना जाए।
- वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम द्वारा जारी 'प्रिन्सिपल्स फॉर साउंड कम्पेनसेशन प्रैक्टिसेज' का अनुसरण कर सकती हैं।

संदर्भ:

किर्कपैट्रिक, ग्रान्ट (2009), दि कारपोरेट गवर्नेंस : लैसन्स फ्रॉम दि फाइनेंशियल क्राइसेस, ओईसीडी आलेख। <http://www.oecd.org/dataoecd/32/1/42229620.pdf>

गया कि बासल-II फ्रेमवर्क में ट्रेडिंग बुक के लिए पूंजी की जरूरत को गंभीर रूप से कम आंका गया है। इसलिए, बासल समिति ने ट्रेडिंग बुक के लिए पूंजी के नए नियम निर्धारित किए हैं, जिनमें ट्रेडिंग बुक की पूंजी अपेक्षाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया गया है। इसमें पुनः प्रतिभूतिकरण और तुलनपत्रेतर माध्यमों के लिए उच्चतर पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण किया गया है। वित्तीय संकट के दौरान उजागर हुए बुक कीपिंग संबंधी मुद्दों के बारे में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएएसबी) की सहायता के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति ने दिशानिर्देशक सिद्धांतों का संग्रह जारी किया है (बॉक्स I.3)। इन प्रस्तावों में प्रावधानीकरण, उचित मूल्य आकलन और संबंधित प्रकटीकरण पर फोकस किया गया है।

विनियमन का भविष्य

1.23 बासल समिति ने तनाव परीक्षण और जटिल उत्पादों के मूल्य निर्धारण के साथ-साथ चलनिधि जोखिम निधीयन के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत बनाए गए हैं। इसने पिलर 2 पर्यवेक्षकीय समीक्षा प्रक्रिया में एफएसबी के क्षतिपूर्ति मानकों को शामिल किया और ट्रेडिंग संबंधी क्रियाकलापों, प्रतिभूतिकरण और तुलनपत्र से इतर मदों के लिए जोखिम पर जोर देते हुए पिलर 3 के तहत प्रकटीकरण को बढ़ा दिया।

1.24 बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु व्यापक उपायों की श्रृंखला की समीक्षा हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के पर्यवेक्षीय निकाय के रूप में केंद्रीय बैंक

बॉक्स I.2 : बड़ी रकम के भुगतानों में वैश्विक प्रवृत्तियां और उनके प्रमुख चालक

प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष, बैंकिंग में संरचनागत परिवर्तन और केंद्रीय बैंक की नीतियों में क्रमविकास - ये तीन प्रमुख कारण बड़ी रकमों के भुगतान में नये विकास का आधार रहे हैं। प्रथम, तो यह कि प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष ने बड़ी-रकमों के भुगतान की विद्यमान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने के अवसरों का सृजन किया। इन नवोन्मेषों ने नए प्रकार की प्रणाली के लिए बैंकिंग उद्योग की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया है जिससे यह प्रणाली किसी एक ही देश या एक ही मुद्रा तक सीमित नहीं रह गई है। दूसरे, यह कि विगत कुछ दशकों में वित्तीय क्षेत्र ने अत्यधिक वृद्धि का अनुभव किया है, जिसके साथ-साथ फर्म विशेष की भूमिका और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों में भी बदलाव आया है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाएं और उनकी सेवाएं अधिकाधिक वैश्विक बन चुकी हैं। इन संरचनागत परिवर्तनों ने सहभागियों द्वारा बड़ी-रकम के भुगतान की प्रणालियों के प्रयोग को प्रभावित किया है। तीसरे, हाल ही के वर्षों में बड़ी रकम की भुगतान प्रणालियों में केंद्रीय बैंकों की भूमिका में काफी परिवर्तन आया है। भुगतान प्रणालियों में केंद्रीय बैंक अधिकाधिक शामिल होते जा रहे हैं और औपचारिक तथा प्रणालीगत निरीक्षण कार्यों का सृजन कर चुके हैं। इनका मुख्य फोकस एलवीपीएस में सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने और समग्र वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखने पर है। विद्यमान और योजनाबद्ध प्रणालियों की निगरानी, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रणालियों के आकलन और यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन करने में केंद्रीय बैंकों ने अधिक सक्रिय भूमिका अपनाई है।

बड़ी रकम के भुगतानों के निपटान में वैश्विक स्तर पर दस प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनका दायरा काफी विस्तृत है। ये प्रवृत्तियां हैं : (1) तत्काल सकल भुगतान प्रणालियों का विस्तार शामिल करना, (2) संकरित प्रणालियों की शुरुआत, (3) क्रॉस-बॉर्डर और ऑफशोर प्रणालियों का उदय, (4) सतत सहयोजित निपटान बैंकों की शुरुआत, (5) वृद्धिशील निपटान मूल्य और मात्राएं, (6) औसत भुगतान का घटता आकार, (7) प्रणालीगत सहभागियों की घटती संख्या, (8) प्रचालन के बड़े हुए घंटे, (9) लेनदेन की घटती फीस, और (10) बड़ी रकम वाली भुगतान प्रणालियों के लिए एकसमान मानकों को अपनाना।

आगामी गतिविधियां

प्रश्न यह है कि ये प्रवृत्तियां किस प्रकार विकसित होंगी और कौन-सी नई गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

- वर्तमान में आरटीजीएस का प्रसार भली प्रकार चल रहा है। आरटीजीएस और निवल निपटान प्रणालियां - दोनों की विशेषताएं इन्हें वांछनीय बनाती हैं, जब तक चलनिधि महंगी है तब तक आरटीजीएस का संकरीकरण चलता रहना संभावित है।
- बहुत से केंद्रीय बैंकों में कार्य दिवस के दौरान (इन्ट्रा डे) क्रेडिट के लिए भी सांपाश्विक अपेक्षित है। वित्तीय बाजारों की बढ़ती गतिविधियों के साथ-साथ सांपाश्विक को भी भुगतान निपटान की तुलना में अधिक लाभप्रद रूप से प्रयोग करना संभावित होगा। इससे चलनिधि की लागत बढ़ेगी और परिणामस्वरूप चलनिधि बचत के लिए मांग बढ़ेगी और यह आरटीजीएस के परिप्रेक्ष्य में नेटिंग और ऑफ सेटिंग से प्राप्त समायोजन से ज्यादा होगी। इसलिए प्रणालियों के अधिकाधिक संकरीकरण की प्रवृत्ति बने रहना संभावित है।
- क्रॉस-बॉर्डर प्रणालियों की शुरुआत यूरो की शुरुआत और सीएलएस बैंक की स्थापना से जुड़ी अद्वितीय घटनाओं से सम्बद्ध है। भविष्य में क्रॉस-बॉर्डर प्रणालियों का दुर्लभ हो जाना संभावित है। हालांकि दूरस्थ सहभागिता का अधिक प्रचलन हो सकता है। ऑफशोर प्रणालियां जिनमें विदेशी मुद्रा का निपटान किया जाता है, वर्तमान में छोटी हैं और विशिष्ट बाजारों का

कारोबार संभालती हैं - खासतौर पर स्थानीय फॉरेक्स बाजार या किसी एक क्षेत्र और टाइमजोन के बैंकों की जरूरतों को पूरा करना, ताकि वे आपस में विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले भुगतानों का निपटान कर सकें। नए वित्तीय केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में इस प्रकार की मांग पैदा हो सकती है, उदाहरण के लिए मध्य पूर्व या चीन में, जहां पर प्यूपल्स बैंक ऑफ चायना द्वारा यूएसडी क्लियरिंग प्रणाली तैयार की जा रही है।

- अधिकांश विद्यमान या योजनाबद्ध ऑफशोर प्रणालियां किसी देश विशेष तक सीमित हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में विकास के साथ-साथ इस प्रकार की प्रणालियों पर आने वाली निश्चित लागत घटती जाती है। परिणामस्वरूप, हम देख सकेंगे कि और भी ऑफशोर प्रणालियां स्थापित होंगी, लेकिन संभावना है कि ये भी इस समय विद्यमान प्रणालियों की तरह विशिष्ट प्रकार के कारोबार ही करेंगी।
- निपटान मूल्यों में आगे चलकर जीडीपी की गति से ही सतत बढ़ोतरी संभावित है, और ये वित्तीय बाजार क्रियाकलापों के साथ अल्पावधि में चक्रीय रहेंगी - विगत दस वर्ष के दौरान ऐसा ही हुआ है। 1980 के दशक और 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में वित्तीय अविनियमन और नवोन्मेषों की वजह से मूल्यों में तेजी से हुई बढ़ोतरी काफी हद तक अवशोषित हो चुकी है। एलवीपीएस में प्रोसेस किए जा रहे भुगतानों का औसत वास्तविक मूल्य घट चुका है। लगता है कि लेनदेन पर आनेवाली कीमतें भी घटेंगी, तो यह आशा की जा सकती है कि तत्काल निपटान से मिलने वाले लाभ छोटे-छोटे वित्तीय लेनदेन के विभिन्न प्रकारों पर आने वाली लागत से अधिक होगा। इस प्रकार बड़ी रकम वाले भुगतानों के औसत मूल्य में लगातार गिरावट की आशा है।
- वित्तीय सेवाओं का लगातार समेकन हो रहा है। विशेषकर यूरोप में क्रॉस-बॉर्डर समामेलन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा, टारगेट-2 (TARGET2) की शुरुआत और यूरोपियन संघ की सभी आरटीजीएस प्रणालियों का समेकन करके एकल प्रणाली कर देने के बाद एलवीपीएस के सहभागियों की संख्या में गिरावट आएगी, क्योंकि यूरोपियन संघ के विभिन्न देशों में कार्यरत बैंक अपने भुगतानों का केंद्रीय स्तर पर बंदोबस्त करने की बेहतर स्थिति में हो जाएंगे।
- प्रणालियों से प्राप्त साक्ष्यों, जिनके बारे में कीमत संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं, से प्रकट होता है कि एलवीपीएस में किए जाने वाले भुगतानों की लागत में तेज गिरावट हुई है। इसके आंतरिक कारण नियामक परिवर्तनों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की कम लागत, और कई देशों में शायद सरकारी और निजी प्रणालियों के एक साथ परिचालन के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा के रूप में हैं। इन कारणों में बदलाव होने की संभावना नहीं है और भुगतान करने की लागत में कमी आने की संभावना है।
- अंतिम प्रवृत्ति यही होगी कि एक जैसे मानकों का प्रयोग करते हुए बड़ी-रकम के भुगतानों की प्रणालियों का मानकीकरण होगा। “दि कोर-प्रिन्सिपल्स फॉर सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट पेमेन्ट सिस्टम्स” को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका है, और विश्व भर में इसे लागू किया जाना जारी रहेगा।

संदर्भ:

फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयार्क (2008): इकॉनॉमिक पॉलिसी रिव्यू, सितंबर, वाल्यूम 14, नवम्बर 2: <http://www.newyorkfed.org/research/epr/08v14n2/0809prei.pdf>.

बॉक्स I.3 : लेखांकन सिद्धांतों पर बासल समिति (अध्यक्ष: नॉट वेल्लिंक)

वित्तीय संकट द्वारा सरेखित बुक कीपिंग मुद्दों के बारे में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएएसबी) की सहायता के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति ने दिशानिर्देशक सिद्धांतों का संग्रह जारी किया है। इन प्रस्तावों में प्रावधानीकरण, उचित मूल्य आकलन और संबंधित प्रकटीकरण पर फोकस किया गया है।

चूंकि आइएएसबी वित्तीय लिखतों के लिए लेखांकन के नए मानक तैयार करता है, इन सिद्धांतों की सहायता से ऐसे मानक तैयार हो सकेंगे जो निर्णय की उपयोगिता में सुधार और विवेकपूर्ण विनियामकों सहित प्रमुख पणधारियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की संगतता में सुधार करेंगे। इसके अलावा, इन सिद्धांतों से यह भी सुनिश्चित होगा कि अनुचक्रीयता और प्रणालीगत जोखिम के बारे में इन लेखांकन सुधारों में व्यवस्था है।

इन सिद्धांतों को तैयार करने में बासल समिति ने वित्तीय संकट से मिले सबक का बारीकी से परीक्षण किया है। जितने सबक मिले उनमें से एक यह भी है कि कोई भी नया लेखांकन नियम जोखिम प्रबंधन में सुदृढ़ संव्यवहारों के अनुरूप होना चाहिए और पर्यवेक्षकों, बैंकों, निदेशकों और अन्य पणधारियों को अपने-अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए पारदर्शिता को बढ़ाने का कार्य करे।

ये सिद्धांत “मूल्यांकन और प्रावधानीकरण संबंधी मानकों में सुधार और उच्च कोटि के वैश्विक लेखांकन मानकों का एकल संग्रह तैयार करने के लिए लेखांकन मानक निर्धारकों को तत्काल ही पर्यवेक्षकों और विनियामकों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए” का ध्येय पूरा करने के लिए जी-20 में शामिल सरकार प्रमुखों द्वारा अप्रैल में की गई सिफारिश के अनुरूप हैं।

आइएएसबी को ये सिद्धांत जुलाई में प्राप्त हुए।

सिद्धांतों में कहा गया कि नए मानक में निम्नलिखित को शामिल किया जाए:

- प्रबल प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए कर्ज से होने वाली हानियों को शीघ्र समझने की जरूरत को प्रकट करें;
- यह ध्यान रखें कि जब बाजार विस्थापित या चलनिधि रहित हो गए हों तो उचित मूल्यांकन प्रभावी नहीं रह जाता है;
- उचित मूल्य के स्थान पर परिशोधित लागत वर्ग में पुनःवर्गीकरण करने की अनुमति; बिजनेस मॉडल में स्पष्ट रूप से परिवर्तन कर देने वाली घटनाएं होने के बाद इसकी अनुमति विरल परिस्थितियों में ही दी जाए; संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में समस्तरीय कारोबारी अवसरों को बढ़ावा देना;
- यदि मूल्यांकन में महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो तो प्रारंभिक और परवर्ती दोनों प्रकार के लाभ-हानि के परिज्ञान के बारे में गलत-विवरण से बचने के लिए मूल्यांकन समायोजनों के लिए प्रावधान करके अनुचक्रीयता के बारे में विशिष्ट चिंताओं पर ध्यान देना; और
- यह सुनिश्चित करना कि ऋण-हानि के प्रावधान प्रबल और ऐसी मजबूत क्रियापद्धतियों पर आधारित हैं, जो पोर्टफोलियो की समूची समयावधि में बैंकों के मौजूदा ऋण पोर्टफोलियो में संभावित क्रेडिट हानियों को दर्शाते हैं।

संदर्भ:

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (2009), गाइडिंग प्रिन्सिपल्स फॉर दि रिप्लेसमेंट ऑफ आइएएस-39, अगस्त।

के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के दल की बैठक 6 सितंबर 2009 को आयोजित की गई। इन उपायों से आर्थिक और वित्तीय दबाव की तीव्रता और संभावना में पर्याप्त रूप से कमी आयेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण के नये मानकों की स्थापना के लिए इनकी आवश्यकता है। यह व्यापक-विवेकपूर्ण वातावरण की स्थापना की दिशा में किया गया प्रयास है जिसमें प्रतिचक्रीय पूंजी तथा प्रावधानन बफर के साथ-साथ प्रणालीगत, अंतर-संयुक्त बैंकों से पैदा होने वाली जोखिमों के समाधान हेतु उठाये जाने वाले व्यावहारिक कदम भी शामिल हैं (बॉक्स I.4)। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इन विनियमनों की पुनर्संरचना की आवश्यकता को दुहराते समय यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इन विनियमनों को समयबद्ध और विश्वसनीय तरीके से लागू किए जाने हेतु पर्यवेक्षकों की क्षमता और इच्छा शक्ति पर जोर दिए जाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए। विनियमनों की पुनर्संरचना में समय लगने वाला है परंतु सही दिशा में चलने की इच्छाशक्ति मजबूत है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा

1.25 विभिन्न प्रयासों के जरिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और आगे चलकर इससे 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को निर्माण होगा (बॉक्स I.5)।

1.26 अंत में कह सकते हैं कि, विकास और समृद्धि के लिए बढ़ते बाजार महत्वपूर्ण हैं, हाल की घटनाएं सुदृढ़ और प्रभावी विनियामक ढांचे और उचित पर्यवेक्षण के महत्व को दर्शाती हैं। वास्तव में, यह संकट बाजार और नीति दोनों की विफलता का परिणाम है। हमारे सम्मुख यह कार्य है कि एक सुदृढ़ अभिशासन और विनियामक ढांचे का निर्माण किया जाए जो एक ओर बाजारों और दूसरी ओर नीति हस्तक्षेपों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाये रखने हेतु उत्प्रेरकों में तारतम्य बिठाने का कार्य करने के लिए, सरकारों को इनसे संबंधित संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होगा। वित्तीय संकट ने यह उजागर किया है कि पूंजी, जमा बीमा, कर प्रावधानों, कारपोरेट

बॉक्स I.4 : वैश्विक बैंकिंग संकट पर व्यापक प्रतिक्रिया केंद्रीय बैंक गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों का समूह, बासल

विश्व के 27 प्रमुख देशों के बीच समझौते किए गए और इनकी अनिवार्यता भी है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नए मानकों का निर्धारण करते हैं। एक सम्यक विवेकपूर्ण व्यवस्था की शुरुआत की दिशा में कार्य करने की जरूरत है, जिसमें प्रति-चक्र्रीय पूंजी-बफ़र के साथ-साथ प्रणालीगत, अंतर-संयुक्त बैंकों से होने वाली जोखिम से निपटने के लिए व्यावहारिक उपायों को शामिल किया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपायों पर समझौता किया :

- टियर-1 पूंजी आधार की गुणवत्ता, अनुरूपता और पारदर्शिता को बढ़ाना। टियर-1 पूंजी में प्रमुख रूप में सामान्य शेयरों और प्रतिधारित आय को अवश्य शामिल किया जाए। बिना संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए समुचित सिद्धांत तैयार किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कंपनियों के पास भी उच्च कोटि की टियर-1 पूंजी का तुलनीय स्तर है। इसके अलावा, कटौतियों और विवेकपूर्ण फिल्टरों को अंतरराष्ट्रीय रूप से सुमेलित किया जाए और बिना संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के मामले में इसे सामान्य इक्विटी के स्तर या इसके समतुल्य सामान्य रूप से लागू किया जाए। अन्ततः पूंजी आधार के सभी घटकों को पूरी तरह से प्रकट किया जाए।
- उचित समीक्षा और कैलिब्रेशन पर आधारित पिलर-1 व्यवस्था की तरफ बढ़ने की दृष्टि से बासल-II जोखिम आधारित संरचना के लिए अनुपूरक उपाय के रूप में लीवरेज अनुपात की शुरुआत करना। समतुल्यता सुनिश्चित करने के लिए लीवरेज अनुपात के विवरणों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुमेलित किया जाएगा, जिनमें लेखांकन विभेदों को पूरी तरह समायोजित किया गया हो।
- चलनिधि के लिए रकम जुटाने के लिए न्यूनतम वैश्विक मानक की शुरुआत करना जिसमें दीर्घतर अवधि के संरचनागत चलनिधि अनुपात का सहारा लेते हुए दबावग्रस्त चलनिधि कवरेज अनुपात की अपेक्षाएं शामिल हैं।
- न्यूनतम अपेक्षा के ऊपर प्रतिचक्र्रीय पूंजी-बफ़र के लिए व्यवस्था की शुरुआत करना। इस व्यवस्था में पूंजी संरक्षण उपाय शामिल होंगे, जैसे कि पूंजी वितरणों को संयमित करना। बासल समिति द्वारा अर्जन और क्रेडिट आधारित परिवर्तियों जैसे संकेतकों के समुचित समूह की समीक्षा की जाएगी, जिससे पूंजी बफ़र के संग्रह और इसमें से रकम लेने की शर्त का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा, यह समिति संभावित हानियों को नजर में रखते हुए अधिक प्रगतिशील प्रावधानों का निर्धारण करेगी।
- सीमा-पार बैंकों की समस्याओं से जुड़ी प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए सिफारिश करना।

यह समिति प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की जोखिम को कम करने के लिए पूंजी पर सरचार्ज की जरूरत का आकलन भी करेगी। बासल समिति इन उपायों पर 2009 के अंत तक ठोस प्रस्ताव जारी करेगी। यह अगले वर्ष की शुरुआत में प्रभावों का आकलन करेगी, और साथ ही 2010 के अंत तक नई अपेक्षाओं के साथ कैलिब्रेशन पूरा हो जाएगा। इन नए उपायों को इस प्रकार समाहित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यान्वयन मानक विकसित किए जाएंगे जो वास्तविक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में बाधक नहीं होंगे। सरकार द्वारा दी जानेवाली सहायता को सभी वर्तमान नियमों, विनियमों से छूट प्राप्त होगी।

समय के साथ-साथ इन उपायों के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में उच्चतर पूंजी और चलनिधि अपेक्षाएं और न्यूनतर लीवरेज, न्यूनतर अनुचक्र्रीयता, तनाव के प्रति बैंकिंग क्षेत्र में अधिकाधिक आघात-सहनीयता और सुदृढ़ प्रोत्साहनों का विकास होगा जिससे दीर्घावधिक कार्यनिष्पादन और विवेकपूर्ण जोखिम-बंदोबस्त के साथ समुचित रूप से सहयोजित प्रतिपूर्ति व्यवहार सुनिश्चित होगा।

बैंकिंग प्रणाली में पूंजी की गुणवत्ता और उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह ने निम्नलिखित सिद्धांतों की प्रतिपुष्टि की :

- प्रतिचक्र्रीय पूंजी बफ़र के लिए व्यवस्था तैयार करते समय पर्यवेक्षकों को बैंकों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे अतिशय लाभांश भुगतान, शेयरों की वापसी खरीद और प्रतिपूर्ति को सीमित करने की कार्रवाई सहित पूंजी संरक्षण उपायों के संयोजन से अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाएं।
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के प्रतिपूर्ति संबंधी सुदृढ़ सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित प्रतिपूर्ति को विवेकपूर्ण जोखिम-व्यवस्था और दीर्घावधिक निर्वहनीय कार्य निष्पादन के साथ समायोजित किया जाए।
- बैंकों से अपेक्षा रहेगी कि वे पूंजी के स्तर और गुणवत्ता को नए मानकों तक जाने के लिए तेजी से बढ़ें, लेकिन ऐसे तरीके अपनाते हुए जो राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था और व्यापक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बढ़ाएं।

पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंकों के लिए पूंजी संबंधी योजना इन सिद्धांतों के अनुरूप है।

संदर्भ:

बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्स (2009), कम्प्रीहेन्सिव रेसपॉन्स टू दि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसेस, बीआइएस, प्रेस रिलीज, दिनांक 7 सितंबर।

अभिशासन, प्रतिस्पर्धा नीति, लेखांकन नियमों और कार्यपालक को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति के बीच गहरी अंतर-संयुक्तता है, जो समग्र

रूप से ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, जिसमें जोखिम उठाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

बॉक्स I.5: वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार

आर्थिक सहयोग के वर्तमान संस्थागत ढांचे की डिजाइन 1940 के दशक में युद्ध के संदर्भ में राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने हेतु की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटन वुड्स संस्थाओं, नामतः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तथा उसकी सहयोगी संस्था विश्व बैंक की स्थापना हुई। वर्तमान वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढांचे के निर्माण एवं उसके सुदृढ़ीकरण हेतु हाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि एशियाई संकट ने वैश्वीकरण के लाभ तथा हानियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करने की जरूरतों के बारे में एक व्यापक तथा महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी थी। 1999 में, वित्तीय बाजार पर्यवेक्षण तथा निगरानी के संबंध में सूचनाओं के अदान-प्रदान के बढ़े हुए स्तर तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) की स्थापना की गयी जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली जोखिमों तथा संवेदनशीलताओं के आकलन तथा इनके समाधान हेतु समन्वित प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने का दायित्व 12 सदस्य देशों को दिया गया। इसने जी-7 के देशों, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, नीदरलैंड, सिंगापुर तथा स्विटजरलैंड के राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकारियों (केन्द्रीय बैंक, पर्यवेक्षी प्राधिकारी तथा वित्त मंत्रालय) तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय विनियामक तथा पर्यवेक्षी समूहों, केन्द्रीय बैंकों की विशेषज्ञों की समिति तथा यूरोपियन केन्द्रीय बैंक को लेकर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकारियों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विनियामकों तथा पर्यवेक्षकों के सेक्टर विशेष के अंतरराष्ट्रीय समूहों तथा केन्द्रीय बैंक के विशेषज्ञों की समितियों को एक साथ लाने का कार्य किया।

2007 के मध्य में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दा ठअभिशासन, विशेष रूप से आइएमएफ के अभिशासन का था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भावी प्रबंध निदेशक के चयन, कार्यकारी मंडल में प्रतिनिधित्व तथा मतदान का अधिकार शामिल था। आइएमएफ की 'वैधता' कथित रूप से संदेह के घेरे में आ गई। 2007 के मध्य से स्थिति में काफी बदलाव आ गया है। विश्वव्यापी मंदी की संभावना ने 'अभिशासन सुधार' के विषय को पीछे धकेल दिया तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में उल्लेखनीय रूप से तत्काल सुधार की जरूरत को प्रोत्साहित किया। वर्तमान संकट ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की गति को तीव्र किया।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार के प्रयासों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है; प्रथम, संसाधनों में वृद्धि तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की लिखतों में संशोधन, तथा द्वितीय, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करना। की गयी अथवा की जा रही प्रमुख कार्यवाहियां निम्नानुसार हैं:

- **आइएमएफ से वित्तीय सहायता की मांग:** 2003 के अंत से चल रहे निरंतर संकुचन के कारण आइएमएफ के गैर-रियायती ऋण की मात्रा घटकर मार्च 2008 में लगभग 6 बिलियन विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) हो गयी जो कि 7 बिलियन यूरो के बराबर है। वित्तीय सहायता हेतु सदस्यों देशों द्वारा किए गए आवेदनों की संख्या में हुई वृद्धि से 2008 की दूसरी छमाही तथा

2009 के पहले कुछ माह के दौरान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की बिगड़ती स्थिति की झलक मिलती है। आइएमएफ ने लगभग 100 बिलियन एसडीआर (115 बिलियन यूरो) की 19 नई ऋण सुविधाओं का अनुमोदन किया।

- **आइएमएफ की उधार क्षमता में वृद्धि:** आइएमएफ से वित्तीय सहायता की मांग में हुई वृद्धि को देखते हुए जी-20 ने अप्रैल 2009 में आइएमएफ द्वारा दिए जाने वाले गैर-रियायती ऋण की अधिकतम राशि को 250 बिलियन अमरीकी डॉलर से तीन गुना बढ़ाकर 750 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
 - उधार देने की क्षमता में द्विपक्षीय ऋण करारों तथा उधार की नई व्यवस्था (एनएबी) द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि भी शामिल है। प्रारंभ में, इसमें से लगभग आधी राशि द्विपक्षीय ऋणों के जरिए उपलब्ध करायी जाएगी और यह राशि जापान (100 बिलियन अमरीकी डॉलर), ईयू के देश (100 बिलियन अमरीकी डॉलर, निधि के कोटे में संबंधित अंशदान के आधार पर), स्विटजरलैंड तथा कनाडा (प्रत्येक द्वारा 10 बिलियन अमरीकी डॉलर) तथा नॉर्वे (4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर) द्वारा दी जाएगी। बाद में, इन ऋणों को एनएबी में शामिल किया जाएगा तथा नये सहभागियों को भी यह सुविधा दी जाएगी एवं 250 बिलियन अमरीकी डॉलर तक का अंशदान करके इस राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। हाल में, अमरीका ने बढ़ाई गयी नयी उधार व्यवस्था में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक का अंशदान करने का वचन दिया है।
 - अगली सामान्य कोटा समीक्षा को जनवरी 2011 में लाने का निर्णय लिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्यावधि में भी कोष के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो।
- **विशेष आहरण अधिकार का नया आबंटन:** जी-20 ने 250 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर एसडीआर के नये सामान्य आबंटन का अनुमोदन करने का वचन दिया है जिसमें से 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि उभरते तथा विकासशील देशों के लिए होगी।
- **आइएमएफ के उधार संबंधी साधन (टूलकिट) में संशोधन:** वैश्विक अर्थव्यवस्था की बिगड़ते हालात को ठीक करने के लिए आइएमएफ ने अपने उधार देने संबंधी साधनों में व्यापक संशोधन करना शुरू कर दिया है। किए जाने वाले प्रमुख सुधार निम्नलिखित से संबंधित हैं: (क) वे शर्तें जिन्हें निधि से संसाधन प्राप्त करने के लिए देशों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है; (ख) नयी सुविधा, लचीली ऋण सुविधा (एफसीएल) का अनुमोदन, तथा कभी-कभार उपयोग होने वाली सुविधाओं को समाप्त करना; (ग) निधि की पारंपरिक एवजी व्यवस्था के उपयोग के संबंध में अधिक लचीलापन लाना; (घ) लागत तथा परिपक्वता ढांचे का सरलीकरण; तथा (ङ) पहुंच सुविधा को दुगुना करना। साधारण संसाधनों तक पहुंच की सीमा को वार्षिक आधार पर 100 प्रतिशत से दुगुना करके देश के कोटे का 200 प्रतिशत तथा तीन वर्षीय आधार पर 600 प्रतिशत किया गया।

(जारी....)

(.... समाप्त)

- **संकट की रोकथाम संबंधी मानदंडों के आधार पर लचीली ऋण सुविधा:** यह सुविधा कोई संकट न होने पर भी पूर्णतः एहतियाती प्रयोजनों के लिए छह माह अथवा एक वर्ष के लिए उल्लेखनीय मात्रा की राशि उन देशों को प्रदान करने में सहायता करती है जिनकी आर्थिक संरचना सुदृढ़ है तथा जिनमें बेहतर नीतिगत व्यवस्थाएं स्थापित हैं। एक बार मंजूर होने के बाद संबंधित देश एफसीएल से बिना और किसी शर्त के, संभवतः एक बार में, राशि का आहरण कर सकता है। यह सुविधा नवीकरणीय है तथा अन्य साधारण ऋण सुविधाओं की तुलना में इस सुविधा तक पहुंच की कोई सीमा नहीं है।
- **लागत तथा ऋण चुकौती के परिपक्वता ढांचे को सरल बनाना:** ऋण की चुकौती समयपूर्व करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गयी प्रशासनिक व्यवस्था, विशेष रूप से 'समय आधारित पुनर्खरीद प्रत्याशा नीति' का प्रतिस्थापन चुकौती संबंधी अनुसूची को सरल बनाते हुए समय आधारित सरचार्ज नीति के द्वारा किया गया है।
- **बहुपक्षीय विकास बैंकों के संबंध में प्रयास:** जी-20 ने कम आय वाले देशों के आर्थिक संकट के असर को कम करने के लिए इन देशों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए तथा संसाधनों के संवितरण को त्वरित करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) की वित्तपोषण क्षमता को सुदृढ़ करने तथा नई लिखतों के विकास को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के संबंध में दूसरी श्रेणी के अंतर्गत किए गए प्रमुख प्रयास निम्नानुसार हैं:

- **वित्तीय स्थिरता बोर्ड:** जी-20 ने मार्च तथा अप्रैल 2009 में निर्णय लिया कि वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) को विस्तारित करके सुदृढ़ संस्थागत आधार पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के रूप में उसकी पुनर्स्थापना की जाए। जी-20 के सभी देशों (जी-20 के नए सदस्यों, जो एफएसएफ के सदस्य नहीं थे, नामतः अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका तथा तुर्की) को शामिल करने के लिए एफएसबी में सहभागिता को विस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त, स्पेन तथा यूरोपियन कमीशन भी एफएसएफ के सदस्य बन गए। अप्रैल 2009 में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के साथ विस्तारित एफएसएफ की वित्तीय स्थिरता बोर्ड के रूप में पुनर्स्थापना की गयी। यह वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी तथा अन्य नीतियों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने के साथ-साथ संवेदनशीलताओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय प्राधिकारियों, मानक निर्धारक संस्थाओं (एसएसबी) तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए एक माध्यम की भूमिका सहित एक सुदृढ़ संस्थागत आधार उपलब्ध कराएगी। एफएसबी तथा आइएमएफ, अपने पूर्वगामी को निर्धारित किए गए कार्यों के अलावा, एक दूसरे की भूमिका में मदद पहुंचाते हुए पूर्व चेतावनी संबंधी कार्य करने के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों तथा संवेदनशीलताओं के विश्लेषण हेतु आपस में समन्वय करेंगे।

- **पर्यवेक्षण तथा वित्तीय मानकों के क्षेत्र संबंधी उपाय:** प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सभी संस्थाएं, लिखतें तथा बाजार समुचित विनियमन तथा पर्यवेक्षण के अधीन होने चाहिए। व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की प्रणाली में सुधार किया जाएगा।
- **आइएमएफ तथा विश्व बैंक में प्रतिनिधित्व एवं अभिशासन के ढांचे में सुधार:** जी-20 ब्रिटेन वुड संस्थाओं के अभिशासन में प्रभावी सुधार पर बल देता है। इसका लक्ष्य गरीब तथा उभरते देशों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देना, उच्च प्रबंधन तंत्र के चयन के मानदंडों में परिवर्तन करना तथा संस्थानों के नियामक संस्थाओं तथा तकनीकी स्टाफ के बीच कार्यों तथा दायित्वों के विभाजन को स्पष्ट करना है।
- **विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा प्रक्रिया की शुरुआत:** फोरम दो चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण की शुरुआत पहले ही हो चुकी है जिसमें मूल मतदान को दुगुना करने, आर्बिट्रेशन न किए गए कुछ शेरों का समनुदेशन करने तथा अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र के लिए बोर्ड में एक अतिरिक्त स्थान रखने संबंधी बातें शामिल हैं। दूसरे चरण में संबंधित देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक महत्व तथा विकास वित्तपोषण के क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर सदस्य देशों के मतदान के अधिकार को संशोधित करना शामिल है; यह बोर्ड के कार्यकलापों की प्रभावकारिता, विश्व बैंक के स्टाफ को राष्ट्रिकता के आधार पर रखने तथा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जैसे अभिशासन से जुड़े नाजुक मुद्दों को सुलझाएगा।

इन संस्थाओं के भावी अधिकार, प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता हेतु स्पष्ट सुधारों की जरूरत है ताकि गतिशील उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को पर्याप्त महत्व मिल सके। इस बात पर सहमति हुई कि जिन देशों का आइएमएफ में अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व है उनके कम-से-कम 5 प्रतिशत कोटे को कम प्रतिनिधित्व वाले देशों को अंतरित कर दिया जाएगा। इस सुधार से वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके महत्व के स्तर के अनुसार गतिशील उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आइएमएफ में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि विश्व बैंक में उभरते बाजार तथा विकासशील देशों के मतदान के अधिकार में कम-से-कम 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इससे वैश्विक गरीबी को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने, जिनके लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित कार्य करने की जरूरत है, में विश्व बैंक की क्षमता में वृद्धि होगी। उभरते अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में जी-20 एक दूसरे से जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में सुधार हेतु एक अग्रणी वैश्विक आर्थिक फोरम के रूप में उभरा है।

संदर्भ:

वित्तीय स्थिरता फोरम (2009), 12 मार्च तथा 2 अप्रैल 2009 की प्रेस प्रकाशनी।
बैंका द' इटालिया (2009), 115 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 29 मई। <http://www.pittsburghsummit.gov>

3. भारतीय परिप्रेक्ष्य

1.27 आधुनिक आर्थिक प्रणाली भी मध्यस्थों के जरिए वित्तपोषण के विश्वसनीय स्रोत पर निर्भर है। आधुनिक जीवन में बैंकों, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति का कारोबार करने वाली फर्मों, म्यूच्युअल फंडों, वित्त कंपनियों, पेंशन निधियों और सरकारों के निर्बाध परिचालन की अपेक्षा की जाती है। ये संस्थाएं बचत करने वालों से संसाधन जुटाकर निवेश करने वालों तक पहुंचाती हैं और उनसे आशा की जाती है कि वे जोखिम वहन न कर सकने वाले लोगों से, जोखिम वहन करने के इच्छुक एवं समर्थ लोगों की तरफ जोखिम अंतरित करें। भारत में भी काफी वैविध्यपूर्ण वित्तीय प्रणाली विद्यमान है, जिसमें अभी तक बैंक की मध्यस्थता का बोलबाला है, जबकि 1990 के प्रारंभ से शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण से पूंजी बाजार का आकार उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटकों को मोटे तौर पर इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है; वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआई) और बीमा क्षेत्र। भारत की वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों का 70 प्रतिशत भाग वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा सम्मिलित रूप से रखा जाता है।

1.28 क्रेडिट-जीडीपी, एम3-जीडीपी अनुपातों के साथ-साथ निधि प्रवाह संकेतकों से यह देखा जा सकता है कि कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप में वित्तीय सघनता आती जा रही है। कई देशों के विपरीत, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय रूप से यह लक्षण विचारणीय है कि वित्तीय सघनता के संकेतकों में वृद्धि होने के साथ-साथ घरेलू बचत दर में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों, कुल समग्र उत्पादकता में वृद्धि और निवेश में आयी तेजी की पृष्ठभूमि में हाल ही की अवधि के दौरान वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक देशी बचत दर में विशेष रूप से वृद्धि हुई है।

1.29 जैसा कि बाद में अध्याय II में चर्चा की गई है, बैंकिंग प्रवृत्तियों में अंतरराष्ट्रीय स्तरों के विपरीत भारत में महत्वपूर्ण विरोधाभासों के लक्षण हैं। भारतीय बैंकिंग पर इस संकट का कम प्रभाव पड़ने की बात दो तत्वों से स्पष्ट हो जाती है: (i) भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं को सब प्राइम बंधक के कारण

प्रत्यक्ष जोखिम से होने वाले प्रभाव नाममात्र के हैं। हालांकि, विदेश स्थित शाखाओं वाले कुछ भारतीय बैंकों ने संपार्श्विकीकृत ऋण दायित्व (सीडीओ) पत्रों/बांडों में निवेश किया था, जिनमें से कुछेक के साथ सब-प्राइम जोखिम वाली संस्थाएं अन्तर्निहित थीं। इस प्रकार बाजार मूल्य आधारित मूल्यांकन से हुई हानियों के कारण कुछ बैंकों को नुकसान हुआ, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड का दायरा बढ़ जाने के कारण सावधि चलनिधि बाजार पर सब प्राइम प्रकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि, संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों और लाभ के स्तर की तुलना में क्रेडिट स्प्रेड के बढ़े हुए दायरे से उत्पन्न बाजार मूल्य आधारित मूल्यांकन के कारण हुई हानियों के लिए प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं बहुत महत्व नहीं रखती थीं। (ii) अनुमान लगाया गया है कि भारतीय स्टॉक बाजार पर विदेशी संकट का अप्रत्यक्ष प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप इक्विटी निवेशों के प्रति भारतीय बैंकों के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभाव न्यूनतम हैं क्योंकि पूंजी बाजारों के प्रति बैंकों की जोखिम के बारे में विवेकपूर्ण सीमाएं विधिवत लागू हैं। अप्रैल 2007 से पूंजी बाजार जोखिम से संबंधित औचित्यपूर्ण मानदंडों के लागू हो जाने के साथ ही पूंजी बाजार में एकल बैंक की कुल जोखिम की उच्चतम विनियामक सीमा को विगत वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार बैंक की निवल मालियत का 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, शेयरों, परिवर्तनीय बांड/ऋण पत्रों, इक्विटी अभिमुख म्यूच्युअल फंडों की यूनियों में बैंकों के प्रत्यक्ष निवेश और उद्यम पूंजी निधियों में सभी जोखिमों की सीमा निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं में यह सुनिश्चित किया गया है कि पूंजी बाजार में बैंकों की सहभागिता सीमाओं के भीतर रहती है।

1.30 इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली में ऋण देने की क्षमता के बारे में यह उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय संकट का उदय होने से पहले भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट विनियोजन के साथ-साथ उच्च क्रेडिट वृद्धि रही, जिसमें तीन वर्ष के दौरान औसत लगभग 30 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई। बैंक क्रेडिट वृद्धि और कतिपय खंडों में आस्ति बुलबुलों के निर्माण को नरम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक और प्रतिक्रिय विवेकपूर्ण उपायों का एक सतर्क और न्यायपूर्ण संयोजन तैयार किया है।

1.31 भारतीय बैंकिंग प्रणाली सापेक्षतया अच्छी हालत में है। बैंकों के तुलनपत्र मजबूत प्रतीत हो रहे हैं और वित्तीय बाजारों में असमायोजित स्थितियों से बहुत कम ही प्रभावित हुए हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता और मानदंडों की सुदृढ़ता विगत अवधि में महत्वपूर्ण रूप से समुन्नत हुई है।

1.32 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (2009) के अनुसार, इन सबके बावजूद भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति दिखाती है कि वैश्विक बाजारों में वित्तीय गिरावट ने भरोसे पर भी संकट पैदा कर दिया है और इसकी कुछ प्रतिध्वनि भारतीय वित्तीय प्रणाली में भी सुनाई दी है। 2007-08 तक देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत 2008-09 के दौरान भारत को होने वाले पूंजी प्रवाह की दिशा बदल गयी थी। इससे भारतीय वित्तीय बाजारों में कुछ व्यवधान पैदा हुए, खासकर इक्विटी और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों में। इस पृष्ठभूमि में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति ने वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय मजबूती का आकलन किया और पाया कि बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक गिरावट के झटकों को झेल लिया है और सितंबर 2008 में इसके प्रमुख वित्तीय मानदंडों अर्थात् पूंजी अनुपात, आस्ति गुणवत्ता, आय और लाभप्रदता में से किसी पर भी कोई उल्लेखनीय आघात नहीं पहुंचा है।

1.33 वित्तीय क्षेत्र की इस समस्या का एक हिस्सा नहीं होने के बावजूद भारत पर भी इस संकट का प्रभाव पड़ा है, जो वित्तीय वास्तविक तथा विश्वास चैनलों के कारण हुए बाह्य आघातों और घरेलू दुर्बलताओं के प्रतिसूचना चक्र के माध्यम से था। इस संकट के प्रत्युत्तर में की गई कार्रवाई का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि समूचे विश्व में संकट का उद्गम एकसमान रूप से हुआ, फिर भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर इस संकट का प्रभाव अलग-अलग रूप में पड़ा। इस तथ्य पर खास ध्यान देना होगा कि जिन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह संकट पैदा हुआ वहां इसका प्रसार वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक क्षेत्र की ओर रहा। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में स्वदेशी दुर्बलताओं पर इस बाह्य आघात का प्रभाव यथारूप वास्तविक क्षेत्र से वित्तीय क्षेत्र की ओर रहा। अपने-अपने देश-विशेष की परिस्थितियों के आधार पर सभी देशों ने इस संकट मुकाबला किया। इस प्रकार, वैसे तो अलग-अलग देशों में नीतिगत उपाय मोटे तौर पर एक जैसे रहे हैं, तथापि उनका परिशुद्ध डिजाइन, मात्रा, क्रमबद्धता और

सामयिकता में भिन्नता रही। विशेष तौर पर, जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत उपायों का ध्यान वित्तीय संकट और गहराती जा रही मंदी को रोकने पर रहा वहीं भारत में नीतिगत उपायों का प्रमुख ध्यान आर्थिक वृद्धि में गिरावट को रोकने पर रहा।

1.34 सितंबर 2008 के मध्य के बाद किए गए उपायों से यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय वित्तीय बाजार व्यवस्थित ढंग से कार्य करते रहें। इस उपयुक्त आकार की चलनिधि उपलब्ध कराने हेतु किए गए उपायों ने नवंबर 2008 के मध्य से सहज चलनिधि स्थिति सुनिश्चित कर दी है, जैसा कि भारत औसत मांग मुद्रा दर, और 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल और वाणिज्यिक बैंकों की प्रभावी उधार-दरों से स्पष्ट है।

1.35 पीछे मुड़कर देखें तो भारत में 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र सुधारों की महत्वपूर्ण सफलता यह रही कि समूचे विश्व में बारंबार हुए वित्तीय संकटों की अवधि में भी यहां की वित्तीय स्थिरता बरकरार रही। समय का तकाजा तो यही है कि संकट के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय क्षेत्र सुधारों को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया जाए। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय विनियंत्रण के परिणामस्वरूप भारत में कोई वित्तीय संकट नहीं हुआ, लेकिन इससे इस निर्णय के औचित्य के प्रमाण भी हैं कि वैश्विक मानकों में हो रहे सुधारों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करने की जरूरत है।

1.36 भारत ने क्रेडिट की अतिशय वृद्धि की अवधि के दौरान विवेकपूर्ण प्रतिचक्रीय उपाय लागू कर दिए गए थे। इस तथ्य को समझते हुए कि घटनाओं के अचानक और बड़े परिवर्तन से आस्तियों का मूल्य सामान्य से नीचे जा सकता है, कुछ प्रतिचक्रीय उपायों जैसे उच्चतर जोखिम भार और बहुत ज्यादा क्रेडिट वृद्धि दशाने वाले कतिपय क्षेत्रों में प्रावधानीकरण अपेक्षाएं, जिन्हें 2006 में लागू किया गया था, पुनः मूल स्तरों पर तय कर दी गईं। बाह्य स्थितियों में अचानक और तीव्र गिरावट से प्रभावित आस्तियों के आर्थिक और उत्पादक मूल्य को बचाए रखने के प्रयोजन से बैंकों को कहा गया कि वे कमजोरियों को तेजी से पकड़ने और व्यवहार्यता के सावधानीपूर्वक आकलन के लिए कार्रवाई करें, और व्यवहार्य खातों के लिए समयबद्ध ढंग से पुनर्चना पैकेज लागू करें।

सावधानी के तौर पर यह जोर दिया गया कि पुनर्संरचना का मूल प्रयोजन समस्याग्रस्त खातों को बेहतर दिखाने का प्रयास न होकर यूनितों के आर्थिक मूल्य का बचाव करना होना चाहिए।

1.37 भारत में वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाना और विकसित करना वास्तविक क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप रहा है। हमेशा यही प्रयास रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सुमेलित विकास सुनिश्चित किया जाए। इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जा चुके सिद्धांतों पर आधारित बहुत से उपायों को इस संकट से बहुत पहले ही भारत में लागू किया जा चुका था। इनमें बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए लीवरेज पर प्रतिबंध, चलनिधि की सरल अपेक्षाएं, प्रतिचक्रिय विवेकपूर्ण उपाय, टियर-1 पूंजी में मान्यता न दी गई बहुत-सी मर्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनका अनुकरण अब किया जा रहा है, जारी की गई प्रतिभूतियों की समयावधि के दौरान एसपीवी की प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ का परिज्ञान तथा अप्राप्त लाभों की गणना अर्जन में न करने या टियर-1 पूंजी में शामिल न करने जैसी व्यवस्थाओं को शामिल किया जा चुका था। चुनौती यह है कि पर्याप्त संरक्षा-उपायों और जोखिम प्रबंधन की सुदृढ़ नीतियों का पालन करते हुए किस प्रकार वित्तीय उत्पादों और नवोन्मेषों के माध्यम से वास्तविक क्षेत्र की वृद्धि को आगे बढ़ाया जाए।

वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन और कार्यनिष्पादन

1.38 भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने अपने वैश्विक प्रतिपक्षियों के विपरीत वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभावों के समक्ष पर्याप्त आघात-सहनीयता दिखाई। इसके बावजूद, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों पर इसका कुप्रभाव पड़ा और उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन में गिरावट आई, जिससे यही प्रकट होता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के दुष्प्रभावों से पूरी तरह से विमुक्त नहीं थी। यद्यपि 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण और जमाराशियों में गिरावट दर्ज हुई, तथापि ये काफी हद तक सकारात्मक बनी रहीं। 2008-09 के दौरान बैंकों द्वारा उद्योगों, व्यक्तियों और सेवा क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में कमी दर्ज हुई, जबकि कृषि और इसके सहयोगी

क्रियाकलापों को दिए गए बैंक-ऋण में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। एनडीटीएल में एसएलआर निवेश का अनुपात काफी बढ़ गया जो कि सरकार द्वारा बाजार से उच्चतर उधार लेने के कार्यक्रम को दर्शाता है।

1.39 पिछली प्रवृत्ति में बदलाव को दर्शाते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर (ओबीएस) मर्दों से संबंधित एक्सपोजर में 2008-09 के दौरान 26 प्रतिशत की गिरावट हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय के साथ-साथ खर्चों में भी गिरावट आई, फलस्वरूप निवल लाभ भी कम हुआ। अग्रिमों पर औसत प्रतिलाभ में वृद्धि के बावजूद लाभ में हुई यह गिरावट आंशिक रूप से जमाराशियों और लिए गए उधारों की बढ़ती औसत कीमतों के कारण ही नहीं बल्कि निवेशों के घटते प्रतिलाभ से भी हुई।

1.40 भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के दबाव को सहन कर लिया है, जैसा कि जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) से स्पष्ट है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र सीआरएआर मार्च 2008 के अंत में 13.0 प्रतिशत थी, जो बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार यह 9.0 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारण से काफी ऊपर बनी रही। एनपीए की स्थिति कुछ बिगड गई, जो कि सकल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए अनुपात में मामूली बढ़ोतरी से स्पष्ट है। तथापि, अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए यह अपेक्षित ही था। हालांकि इस अत्यधिक उथल-पुथल भरे वर्ष में भी समग्र भारतीय बैंकिंग प्रणाली का कार्यनिष्पादन पर्याप्त रूप से अच्छा रहा है। सकल अग्रिम राशियों के प्रति सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च 2009 के अंत में 2.3 प्रतिशत रहा जो मार्च 2008 के अंत की स्थिति के बराबर है। इसी प्रकार आस्तियों से होने वाले प्रतिलाभ मार्च 2008 के अंत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 1.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा जो बैंकों द्वारा उनकी आस्तियों के अभिनियोजन की दक्षता में कमी न आने की ओर संकेत करता है। इक्विटी से होने वाले प्रतिलाभ मार्च 2008 के अंत के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 13.3 प्रतिशत हो गये जो कि बैंकों द्वारा पूंजी के प्रयोग में बढ़ी हुई दक्षता को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन

1.41 वित्तीय समावेशन, वित्तीय रूप से वंचित वर्गों की औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बनाकर आर्थिक विकास में योगदान देता है। सरकार और रिजर्व बैंक का प्रयास रहा है कि भारत में विभिन्न चैनलों के जरिए भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जाए। वित्तीय समावेशन की दिशा में अब तक किए गए विभिन्न उपाय तथा शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा में आड़े आ रही कुछ चिंताओं का विवरण संक्षेप में बॉक्स 1.6 में दिया गया है।

1.42 आगे, देश के विकास में समावेशी वृद्धि अहम भूमिका निभाती है तथा विकास की इस प्रक्रिया में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुभवों से पता चलता है कि बैंकों ने विकास की प्रक्रिया में काफी सहयोग दिया है परंतु इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन तथा समावेशी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। समय की मांग है कि बैंक खाता रखने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के पास एक बैंक खाता हो। बैंकों ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं वे उत्साहवर्धक रहे हैं। तथापि, खोले गए कई खाते परिचालन में नहीं हैं। अतः, वित्तीय शिक्षा के निरंतर प्रयास के जरिए जनसाधारण के बीच जागरूकता को और बढ़ाने की जरूरत है।

1.43 बैंकों को वित्तीय समावेशन को न केवल प्रतिबद्धता बल्कि एक अवसर के रूप में भी लेना चाहिए। बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी को व्यापक स्तर पर अपनाया जाना चाहिए तथा बीसी के समुचित उपयोग के जरिए वित्तीय प्रणाली की परिधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कम बैंक सुविधायुक्त क्षेत्रों सहित बैंक रहित क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सके।

कारपोरेट अभिशासन

1.44 वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय स्थिरता के लिए कारपोरेट अभिशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बाह्य पर्यवेक्षण के साथ साथ, वित्तीय संस्थाओं के भीतर अधिकाधिक पर्यवेक्षी सुविधाजनक स्थिति उपलब्ध कराने की दृष्टि से कारपोरेट अभिशासन को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। हाल में आए वित्तीय संकट से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में कारपोरेट अभिशासन की भूमिका फिर से

महत्वपूर्ण हो गई है और विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न श्रेणी की वित्तीय संस्थाओं तथा देशों के बीच कारपोरेट अभिशासन संबंधी कार्य-व्यवहार तथा सिद्धांतों में अधिक एकरूपता लाए जाने की जरूरत बढ़ गई है।

1.45 भारतीय बैंकों में कारपोरेट अभिशासन के मानकों को सुदृढ़ बनाने और इन मानकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई में *अन्य बातों के साथ साथ* निम्नलिखित बातें शामिल हैं: सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के निर्वाचित निदेशकों के लिए 'सुयोग्य और उचित' मानदंड निर्धारित करना, समीक्षा के लिए कार्यक्रम की सूची में शामिल मदों में संशोधन करना और बैंकों द्वारा बनाई जानेवाली कारोबारी योजनाओं के संबंध में नीतिगत समीक्षा करने की सिफारिश करना।

1.46 भारतीय वित्तीय प्रणाली में कारपोरेट अभिशासन संस्कृति को और मजबूत बनाने की दृष्टि से ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय वित्तीय प्रणाली वैविध्यपूर्ण स्वरूप की है जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंक जैसा विभिन्न बैंक श्रेणियां और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं तथा प्रत्येक श्रेणी की संस्था के अपने अलग अभिशासन संबंधी मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियों का अभिशासन अधिकांशतः राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में है, इन विषयों का समाधान हाल में रिजर्व बैंक/नाबार्ड के साथ राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सहायता से किया गया है। साथ ही, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों जैसी संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच कारपोरेट अभिशासन में समरूपता लाए जाने की जरूरत है। बैंक समूहों के बीच कारपोरेट अभिशासन की प्रथाओं के मानकीकरण, विशेष रूप से बैंकों के बोर्डों पर व्यावसायिकों को नियुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में, के मुद्दे को सीएफएसए, 2009 द्वारा बल दिया गया है।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली

1.47 बैंकों में उत्पादों और सेवाओं में जटिलता एवं नवीनता से जुड़े नवोन्मेषों और साथ-साथ लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धा की

बॉक्स I.6: शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए भावी मार्ग: कुछ चिंताएं

समावेशी वृद्धि के महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में वित्तीय प्रणाली को और समावेशी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में वित्तीय समावेशन समिति (अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन) ने वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन का गठन करने के लिए सुझाव देते हुए यह मत व्यक्त किया है कि वित्तीय समावेशन को एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने पर लोगों को लेनदेन तथा भुगतान संबंधी कई सारी सेवाएं लेने, कम लागत पर ऋण, बीमा तथा सुरक्षित बचत संबंधी उत्पाद प्राप्त करने में सुविधा होती है। यह देखा गया है कि जिन लोगों के पास बैंक खाते नहीं होते वे सामान्यतः असहाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। बैंक खाते के न होने से इन लोगों को सरल-से ऋण उत्पाद का लाभ लेने से भी वंचित रहना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें निर्दयी अथवा यहां तक कि अवैध ऋणदाता के शरण में जाना पड़ता है और इसके कारण वे हमेशा ऋण में डूबे रहते हैं।

भारत में 1969 तथा 1980 में प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक विस्तार के बावजूद पारिवारिक इकाइयों का एक उल्लेखनीय हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की परिधि से अभी भी बाहर है। ये परिवार अपनी ऋण जरूरतों के लिए अनौपचारिक ऋणदाताओं पर आश्रित रहे हैं तथा अपनी जमा राशि को रखने के लिए उनके पास बहुत कम माध्यम है। किसी बैंक शाखा में जाने पर इतना समय लगता है कि उन्हें उस दिन की मजदूरी गंवानी पड़ती है।

वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की पहचान तथा इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना, सेवा क्षेत्र ऋण योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के वितरण हेतु ध्यान दिया जाना तथा बैंकों द्वारा माइक्रोफाइनेंस हेतु समर्थनकारी नीतियां बनाने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केवाईसी मानदंडों का सरलीकरण, नो-फ्रिल खातों, किसान क्रेडिट कार्डों, सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्डों की शुरुआत, नो-फ्रिल खातों में कम राशि का ओवरड्राफ्ट देने की व्यवस्था तथा कारोबार संपर्की तथा कारोबार सहूलियतकर्ता मॉडलों के उपयोग करने हेतु बैंकों को अनुमति दिए जाने आदि ऐसे उपाय थे जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए थे।

वर्ष 2005-06 के भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषित किया गया था कि रिजर्व बैंक ऐसी नीतियों को लागू करेगा जो निचले तबके के लोगों सहित समाज के लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ऐसा न करने वाले बैंकों को निरुत्साहित करेंगे। बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप अपनी विद्यमान प्रथाओं में सामंजस्य लाएं।

वित्तीय समावेशन के प्रयास की दिशा में ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) को सूचित किया गया है कि वे शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु एक अथवा एकाधिक जिलों की पहचान करें। बैंक खाता रखने के इच्छुक लोगों को यह सुविधा प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र विशेष के बैंकों के बीच गांवों को बांट दिया गया है। शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक एसएलबीसी ने शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु 431 जिलों की पहचान की है। 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार, 18 राज्यों में 204 जिलों तथा 5 संघ शासित प्रदेशों ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

तथापि, शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कई अड़चनें हैं। इस प्रयास से जुड़ी कुछ चिंताएं निम्नानुसार हैं :

व्यापित : भारत का आकार तथा उसकी जनसंख्या विशाल होने के कारण राष्ट्रीय स्तर के किसी भी कार्यक्रम की सुविधा सभी तक पहुंचने में दिक्कतें आती हैं। शहरी तथा महानगरीय केंद्रों पर समावेशन संबंधी प्रयास में, विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों के मामले में कठिनाइयां आती हैं जिनके पास अपने कार्य के स्थल पर परिचय संबंधी कोई साक्ष्य नहीं होता। ये प्रवासी मजदूर अपने गृह शहर में जो विप्रेषण भेजते हैं उसके लिए वे आम तौर पर अनौपचारिक चैनलों पर निर्भर करते हैं।

बुनियादी ढांचा : देश के कई भागों में बुनियादी ढांचा कमजोर रहने के कारण विकास की प्रक्रिया बाधित हुई है। यह जरूरी है कि सड़क, रेल, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा एवं बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों जो कि बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

वित्तीय उत्पाद : यह जरूरी है कि वे उत्पाद उपलब्ध हों जो जनसाधारण की जरूरतों को पूरा करते हों। जनसाधारण के लिए अत्याधुनिक लिखतों के बजाय सरल प्रकृति के उत्पादों की जरूरत है जो उन्हें किरायाती लागत पर उपलब्ध हो सके। उत्पादों तथा सेवाओं का जरूरत के अनुसार होना चाहिए तथा यह एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

वितरण मॉडल : वित्तीय समावेशन के लिए सबसे बेहतर वितरण / कारोबारी मॉडलों की पहचान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पारंपरिक तरीके की बैंक शाखाएं लाभप्रदता तथा अन्य कारणों से सभी गांवों के लिए व्यवहार्य नहीं हैं। बैंकों को सैटलाइट शाखाओं, मोबाइल शाखाओं, कारोबारी संपर्की/ पीओएस, तथा मोबाइल टेलिफोनी सेवाओं जैसे वितरण मॉडलों का प्रयोग करना/ अपनाना चाहिए। व्यवसाय संपर्की (बीसी) मॉडल यद्यपि लाभदायक संकल्पना है, परंतु इसका अभी विकास होना है। बीसी मॉडल की समीक्षा हेतु रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल ने कुछ व्यक्तियों/ संस्थाओं की सिफारिश की है जिन्हें बीसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान के साथ-साथ बीसी मॉडल में ऐसी संभावनाएं हैं जिनके जरिए उन लोगों को बैंकिंग की सुविधा दी जा सकती है जो अब तक इससे वंचित रहे हैं।

प्रौद्योगिकी : प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने के बावजूद मानकीकरण, इंटर ऑपरेबिलिटी तथा लागत जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रौद्योगिकीय समाधान को आसानी से लागू करने मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। आईटी के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सेवाएं समुचित रूप से मानकीकृत, सभी स्थानों पर उपयोग के योग्य तथा किरायाती होनी चाहिए। देश के भीतरी भागों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में हो रही धीमी गति का एक प्रमुख कारण कम मूल्य के लेनदेन अधिक मात्रा में होने से से जुड़ी उच्च परिचालन लागत है। प्रौद्योगिकी के जरिए लेनदेनों की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका : वित्तीय समावेशन हेतु सभी बैंक समान रूप से तैयार नहीं हैं। जहां वाणिज्य बैंकों ने वित्तीय समावेशन की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है।

सहभागी प्रयास : इस प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्षों को वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर कार्य करने के जरूरत है। बैंकों, राज्य सरकारों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, विनियामकों तथा विकासमूलक गतिविधियों से जुड़ी एजेंसियों को संपूर्ण वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास हेतु मिलकर कार्य करना चाहिए।

भावना के चलते बैंकों के सम्मुख जोखिमों के आयाम बदल गये हैं। विभिन्न कारोबारी गतिविधियां करनेवाले बड़े बैंक समूहों के अस्तित्व में आने से ऐसे संगठनों के लिए जोखिमों के आयामों तथा उनके संभाव्य प्रणालीगत परिणामों का स्पष्ट आकलन कर लेना जरूरी हो गया है। प्रत्येक एक्सपोजर के संबंध में अलग-अलग प्रबंधन करना मात्र पर्याप्त नहीं है और यह महत्वपूर्ण है कि समूचे संगठन के समग्र एक्सपोजर पर वे पर्याप्त ध्यान दें अर्थात् समूचे संगठन में जोखिमों की पहचान की जानी चाहिए और उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए।

1.48 सीएफएसए जिसने वर्ष 2008 में भारत के वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन किया था, ने महसूस किया कि हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से बासल के वर्तमान के कोर (मूलभूत) सिद्धांतों की सीमाएं उजागर हुई हैं, यहां तक कि उक्त मूल्यांकन में एसआइवी/एनबीएफसी जैसे क्षेत्रों या गतिक प्रावधानन और प्रति-चक्रीय मानदंडों जैसे पहलुओं को विशेष रूप से शामिल नहीं किया है। अतः, सीएफएसए का मानना है कि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासल समिति को उक्त नये क्षेत्रों को शामिल करने की दृष्टि से बासल के कोर सिद्धांतों पर फिर से विचार करना चाहिए। दूसरे, सीएफएसए ने पाया कि हालांकि बीसीपी वाणिज्य बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं पर पूर्णतः लागू नहीं हैं, फिर भी बीसीपी निर्धारण की व्याप्ति अन्य संस्थाओं तक बढ़ाने के प्रयास ऐसी संस्थाओं को संभाव्य रूप से संबद्ध किये जाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर पर उनके प्रभाव के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सराहनीय है। रिजर्व बैंक भी पहले से ही गैर-बैंकिंग संस्थाओं पर ऐसे मानदंड लागू करता रहा है जो कतिपय न्यूनतम आवश्यकताओं तथा उनके परिचालन के स्वरूप की शर्त पर हैं।

1.49 एक मुद्दा जिसने अब मुख्य रूप से उल्लेखनीय स्वरूप धारण किया है वह है 'जोखिम प्रबंधन' और उसका यथोचित ज्ञान। बैंकों की जोखिमों पर हमेशा ही बैंक विशेष के स्तर पर और अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी दलील दी जाती है कि व्यष्टि विवेकपूर्ण विनियमन का कुछेक समष्टिगत-जोखिम बढ़ाने में योगदान रहा है। समग्र रूप से, बैंकिंग गतिविधियों की बढ़ती जटिलताओं तथा संबद्ध जोखिम घटकों के चलते प्रणालीगत जोखिम अधिकाधिक सुस्पष्ट होती जा रही

है। बैंकों को समस्त जोखिम घटकों का यथोचित ज्ञान होना चाहिए और साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहक भी सम्बद्ध जोखिम के बारे में जानकारी रखते हैं एवं और अपने परिचालनों के दौरान उसे मानते हैं।

1.50 वर्तमान की संकट की स्थिति की पृष्ठभूमि में जोखिम प्रबंधन से जुड़े विषयों में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैंकों में चलनिधि जोखिम प्रबंधन है। चलनिधि के संपूर्णतः बाधित हो जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण चलनिधि के अत्यधिक अभाव का सामना करना पड़ सकता है। इस परिदृश्य में, चलनिधि के अभाव के कारण बैंक की पूंजी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी तथा इस कारण बैंक डूबने की स्थिति में आ जाएगा। दूसरा परिदृश्य ऐसा हो सकता है कि बाजार में चलनिधि की प्रचुरता के चलते मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अतः, सतर्क रहने तथा बाजार की स्थितियों पर अधिक कड़ाई से निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है।

1.51 हाल के समय में, क्रेडिट की वृद्धि का निधीयन करने के लिए भारी मात्रा की जमाराशियों पर बैंकों की निर्भरता में हुई बढ़ोतरी महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि इसमें चलनिधि एवं लाभ के निहितार्थ हैं। आवास ऋणों, भू-संपदा तथा बुनियादी संरचना के एक्सपोजरों में अधिक वृद्धि हो जाने से बैंक आस्तियों के परिपक्वता संविभाग की परिपक्वता अवधि लंबी खिंचती गई है। खरीदी गई चलनिधि पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और आस्तियों में वृद्धि के निधीयन हेतु बड़ी मात्रा वाली जमाराशियों जैसी अस्थिर देयताओं पर भारी निर्भरता के कारण बैंकों के तुलनपत्रों में अतरल बैंकों के तुलनपत्रों में अतरल घटक में भी वृद्धि हो गयी है। इसके साथ ही, अवशिष्ट परिपक्वताओं की अवधि में कमी आ गई है जिसके कारण आस्ति-देयता असंतुलन उच्चतर हो गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाए जाने तथा साथ ही, मूल जमा आधार को बढ़ाए जाने की जरूरत है और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल आस्तियों का कुशन तैयार रखा जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जहां किसी एक व्यक्तिगत ग्राहक के स्तर पर फुटकर जमाराशियां अस्थिर हो सकती हैं, परंतु बैंक और समग्र रूप से बैंकिंग तंत्र के लिए उससे बैंकों को बुनियादी

संरचनाओं एवं उसी प्रकार की कारोबारी गतिविधियों जैसी दीर्घावधिक आस्तियों को निधि प्रदान करने के लिए ठोस आधार उपलब्ध हो जाता है। कारोबारी मॉडल में और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में इस पहलू को कैसे ढाला जाए यह एक चुनौती है।

1.52 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) और बैंकों की जोखिम-प्रबंधन प्रथाओं से संबंधित मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छी 'केवाइसी' नीतियों और प्रक्रियाओं से न केवल बैंक की समग्र सुरक्षा तथा सुदृढ़ता को मदद मिलती है, अपितु, इनसे बैंकों के मनी लांडरिंग, आतंकियों के वित्तपोषण और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के साधन बन जाने की संभावना को कम करते हुए बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता की रक्षा भी होती है। इसके तीन घटक हैं। 'ग्राहक को जानना' ही बैंकों के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपने ग्राहकों के 'कारोबार' की जानकारी भी होनी चाहिए; और यदि बैंक अपने ग्राहकों के कारोबार के बारे में जानते हैं तो वे अपने हर ग्राहक के कारोबार से जुड़ी जोखिमों को भी समझ सकेंगे तथा उनका निर्धारण भी कर सकेंगे। यह प्राथमिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होने के साथ-साथ एक अच्छा कारोबारी ज्ञान भी है। इस क्षेत्र में विनियामक का हस्तक्षेप भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। प्रमुख बैंकों की मोबाइल शाखाओं सहित शाखाओं के व्यापक नेटवर्क, ग्राहक आधार की व्यापकता तथा ग्राहकों की पहचान संबंधी साक्ष्यों की जटिलता को देखते हुए भारत में केवाइसी मानदंडों को लागू करने की दिशा में अपनी तरह की समस्याएं हैं। वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय सुविधाओं के विस्तार पर अधिक बल दिए जाने के संदर्भ में केवाइसी तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करने की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

ग्राहक सेवा

1.53 भारत में बैंकों के सम्मुख ग्राहकों के एक व्यापक वर्ग को सेवाएं प्रदान करने की चुनौती है, जहां एक ओर अत्याधुनिक कारपोरेट और उच्च निवल मालियत वाले व्यक्ति हैं तो दूसरी ओर निम्न वर्ग के उधारकर्ता हैं जिनकी जरूरतें सूक्ष्म (अल्प) वित्त प्रदान कर पूरी की जाती हैं। समयांतर में, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित

शामिल हैं : बैंकिंग लोकपाल योजना के जरिए शिकायतों का निवारण, बैंक के भीतर विभिन्न बढ़ते स्तरों पर ग्राहक सेवा समितियों का गठन, रिजर्व बैंक में एक ग्राहक सेवा विभाग का गठन। इन सबके बावजूद दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने में अंतराल बने हुए हैं जिससे ग्राहक की शिकायतें बढ़ रही हैं। भविष्य में, बैंकों द्वारा वित्तीय शिक्षण, ऋण परामर्श सेवा और सूचना के प्रचार-प्रसार में सुधार जैसे उपायों के जरिए ग्राहक सेवा में सुधार किये जाने की जरूरत है। रिजर्व बैंक द्वारा हाल में वित्तीय साक्षरता-व-परामर्श सेवा केंद्र गठित करने संबंधी की गई पहल इस दिशा में उठाया गया एक कदम है।

1.54 ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप सेवाओं की बढ़ती मांग के परिप्रेक्ष्य में ग्राहकों का डाटाबेस विकसित करना अत्यावश्यक है। तथापि, ऐसे डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएफएसए ग्राहकों की मांग के अनुरूप विशिष्ट प्रकार के उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्राहकों के डाटाबेस तथा संबंध आधारित मूल्यन का लाभ उठाने के लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक और लक्ष्यकेंद्रित प्रयोग पर बल देता है। सीएफएसए ने यह भी सिफारिश की है कि ग्राहक सेवा के संबंध में आवश्यक न्यूनतम रेटिंग प्राप्त न करने वाले बैंकों को शाखा लाइसेंसिकरण के रूप में मिलनेवाले लाभों से वंचित किया जा सकता है।

1.55 ग्राहकों को निष्पक्ष सेवा प्रदान करने के लिए विनियामक तथा बाजार-आधारित समाधानों के मिले-जुले स्वरूप को अपनाना होगा। इन दोनों के बीच किस प्रकार संतुलन रखा जाए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। उत्पाद की संपूर्ण अवधि के दौरान ग्राहक के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने संबंधी उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- उत्पाद की डिजाइन और अभिशासन;
- लक्ष्य बाजारों की पहचान;
- उत्पाद की मार्केटिंग और उसे बढ़ावा देना;
- बिक्री तथा सूचना संबंधी प्रक्रियाएं;
- बिक्री के बाद की जानकारी व्यवस्था; और
- शिकायतों का समाधान।

व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लिखते और प्रतिभूतिकरण

1.56 वित्तीय डेरिवेटिवों का भारतीय बाजारों में विनिमय दर और ब्याज दर जोखिमों की हेजिंग करने के लिए व्यापक पैमाने पर किया जाता है। डेरिवेटिव लेनदेनों में अन्य देशों की तुलना में भारत में मात्रात्मक वृद्धि तेज रही है। सीएफएसए ने नोट किया है कि भारत के वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजरों में हाल के वर्षों में हुई वृद्धि मुख्य रूप से डेरिवेटिवों के कारण थी। समिति ने उल्लेख किया है कि चालू लेखांकन मानकों में डेरिवेटिव लेनदेनों से होनेवाली हानि और लाभ को किस प्रकार लेखाबद्ध किया जाए यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सीएफएसए ने नोट किया कि हाल में हुई सबप्राइम उथल-पुथल से यह महसूस किया गया कि जटिल डेरिवेटिव उत्पादों से उत्पन्न होनेवाली जोखिमों को कम करने के लिए एक केंद्रीकृत नेटिंग प्रणाली का होना जरूरी है।

1.57 डेरिवेटिवों के संबंध में, रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया गया था कि बैंकों के पास उपयुक्तता और अनुरूपता संबंधी नीति होनी चाहिए। बाजार निर्माता को चाहिए कि वे उपयोगकर्ताओं को उत्पाद का प्रस्ताव करने से पूर्व उत्पाद के 'उपयोगकर्ता के लिए सही' और 'योग्य' होने के संबंध में समुचित सावधानी बरतें। प्रत्येक बाजार निर्माता को डेरिवेटिव कारोबारों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'ग्राहक अनुरूपता और उपयुक्तता नीति' अपनानी चाहिए। इस संबंध में, सीएफएसए ने नोट किया कि रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का बैंकों द्वारा कड़ाई से पालन करना चिंता का विषय बना हुआ है।

1.58 इस बात पर कोई असहमति नहीं है कि प्रतिभूतिकरण से बैंकों को उनकी पूंजी आवश्यकताएं कम करने में सहायता मिलती है परंतु प्रतिभूतिकरण की सफलता उच्च गुणवत्तावाली आस्तियों के समूहन तथा सभी संबद्ध पार्टियों द्वारा इसमें निहित संरचना और मानकों के समुचित ज्ञान पर निर्भर करती है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिभूतिकरण के अनुचित कार्यान्वयन तथा साथ ही, गलत चयन एवं नैतिक जोखिम के कारण अमरीका में वित्तीय उथल-पुथल हुई। इस प्रकार, वित्तीय उथल-पुथल ने प्रणाली की समग्र स्थिरता के हित में डेरिवेटिवों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं की जरूरत को पुनः रेखांकित किया है।

1.59 हाल में, कुछ अग्रणी अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंकों ने एक पारदर्शी तथा कम जटिल रूप में जोखिम, पूंजी तथा निधीयन दक्षता हासिल करने के लिए आस्तियों के संविभागों की पुनर्संरचना हेतु आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की व्यवस्था हेतु योजना बनाए जाने की सूचना दी है। इन बैंकों का दावा है कि ये नयी प्रतिभूतिकरण योजनाएं दो कारणों से पुरानी प्रतिभूतिकरण योजनाओं से भिन्न हैं: पहले, नई प्रतिभूतिकरण योजना में बैंकों के नए दिए गए उधारों की अपेक्षा वर्तमान आस्तियां शामिल हैं और दूसरे, बैंकों का कहना है कि नया उत्पाद जोखिम अंतरण को छिपाता नहीं है। साथ ही, इन उत्पादों की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग भी की जाएगी।

1.60 प्रतिभूतिकरण को पुनः लागू किये जाने पर इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय अनुभव को देखते हुए सावधानीपूर्वक इसकी निगरानी करनी होगी। नई प्रतिभूतिकरण योजना के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं : (i) हालांकि बैंकों का दावा है कि ये नई योजनाएं लीवरेज के लिए नहीं हैं, फिर भी प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया से न्यून पूंजी आवश्यकता के रूप में लाभ अधिक हो तो वे लीवरेज का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होंगे; (ii) बैंक अपनी ऐसी वर्तमान आस्ति संविभाग का प्रतिभूतिकरण करते समय अपने लाभ के लिए अपने उधारकर्ताओं से संबंधित आंतरिक जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रतिकूल चयन की समस्या पैदा हो सकती है; और (iii) चूंकि प्रतिभूतिकृत आस्तियों को बैंक के तुलनपत्र से हटा दिया जाता है, अतः, मूल रूप से क्रेडिट देनेवाले बैंक के लिए इन ऋण आस्तियों पर निगरानी रखने में रुचि समाप्त हो जाती है। इससे नैतिक जोखिम का विषय उभारकर सामने आता है। इस प्रकार, विनियामकों को समूहबद्ध की गई आस्तियों से निर्मित डेरिवेटिव से तब सतर्क रहना चाहिए जब उनका उपयोग विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से बचने के रूप में किए जाने का संदेह हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी योजनाएं एक व्यापक पूंजी अंतरपणन का रूप धारण न करें।

1.61 प्रतिभूतिकरण के संबंध में अप्रैल 2009 के लंदन शिखर सम्मेलन के बाद हाल ही में किए गए उपायों में बासल पूंजी ढांचे में स्थित उन कमियों को दूर करना शामिल था जो पूर्व में बैंकों के लिए तुलनपत्र से इतर मर्दों के प्रतिभूतिकरण को प्रोत्साहित करते थे। लेखांकन प्रथाओं की उन कतिपय कमियों का भी समाधान कर लिया गया जो तुलनपत्रों से इतर मर्दों से संबंधित एक्सपोजर को प्रोत्साहित

करती थीं। अब तक किए गए उपायों के अलावा, बासल समिति आगे और सुधारों के बारे में विचार कर रही है जिनको विभिन्न देशों के पर्यवेक्षकों तथा विनियामकों के द्वारा लागू किया जाएगा। इनमें पूंजी, चलनिधि तथा प्रावधान को शामिल करते हुए वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ पूंजी बफर के गठन के प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा, बासल समिति द्वारा प्रतिभूतिकरण के संबंध में पूंजीगत अपेक्षाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में किए गए उपायों को निकट भविष्य में लागू किया जाएगा जिसमें प्रतिभूतिकरण तथा पुनःप्रतिभूतिकरण पर उच्चतर जोखिम भार तथा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों का बेहतर प्रकटन शामिल है।

ब्याज दर परिवेश

1.62 मौद्रिक संप्रेषण तंत्र का तात्पर्य उस सीमा और गति से है जिस सीमा और गति से केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों में होनेवाले बदलाव का असर ब्याज दर की मीयादी संरचना के जरिए बाजारों में संप्रेषित होता है। इसका प्रभाव सर्वप्रथम अल्पावधि दरों, अर्थात् मांग मुद्रा दर और अल्पावधि खजाना बिलों की दरों में अंतरित होता है। इसके बाद उक्त प्रभाव दीर्घावधि की दरों अर्थात् दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूति में प्रतिफल में अंतरित होता है। यही प्रतिफल ऋण बाजार में उधार दरों को प्रभावित करता है और परिणामतः बचतों और निवेशों में परिवर्तन के जरिए आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में, नीतिगत दरों ने मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों को जिसे प्रकार प्रभावित किया है उसमें उल्लेखनीय दक्षता विद्यमान रही है।

1.63 सितंबर 2008 से वैश्विक वित्तीय संकट के और गहराने के बाद रिजर्व बैंक ने प्रणाली में चलनिधि की मात्रा बढ़ाने के लिए नीतिगत दरें कम करने के लिए कई उपाय किये। इस प्रकार, मांग मुद्रा दरें नवंबर 2008 के प्रारंभ से अनौपचारिक एलएएफ कॉरिडोर के अंदर अथवा उसके निचले स्तर से नीचे बनी रहने के कारण चलनिधि की स्थिति सुधरकर अच्छी हो गई है। तथापि, सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहनों का सहारा लिया जिनके वर्ष 2009-10 में बने रहने की आशा है। रिजर्व बैंक प्रणाली में सक्रिय रूप से चलनिधि का प्रबंधन कर रहा है, इसके बावजूद सरकारी उधारों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने के फलस्वरूप जनवरी 2009 से प्रतिफल में वृद्धि हुई है। मध्यावधि में रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती अबाधित रूप में सरकारी उधारों

का प्रबंधन करना रही है। यह इसलिए है कि प्रतिफल में वृद्धि होना उस कम ब्याज दर दौर की भावना के विरुद्ध होगा जिसकी कि वर्तमान परिस्थिति में आर्थिक वृद्धि के पुनरुज्जीवन के लिए अर्थव्यवस्था को जरूरत है।

1.64 रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों में की गई कटौती से संकेत पाकर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों ने अपनी जमाराशि और उधार की दरों में कटौती की। तथापि, उधार दरों में की गई कटौती कुछ अंतराल के बाद हुई। सभी परिपक्वताओं की जमाराशियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जानेवाली ब्याज दरों में अक्टूबर 2008 के बाद मामूली कमी परिलक्षित हुई। इसके अलावा, दिसम्बर 2008 के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की सभी परिपक्वताओं की जमा दरों में भी गिरावट देखी जा सकती है। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दर में भी अक्टूबर 2008 से गिरावट आई है। हालांकि, विदेशी बैंकों के बीपीएलआर में कोई कमी नहीं हुई। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के गैर निर्यात ऋण की वास्तविक ब्याज दर और 2 लाख रुपए तक की मीयादी उधार दर में कमी आई लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में, नीतिगत दरों और मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद सितम्बर 2008 और दिसम्बर 2008 के बीच इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई और दिसम्बर 2008 और जून 2009 के बीच इसमें कमी आई।

1.65 मोटे अनुमानों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए प्रभावी औसत उधार की ब्याज दर मार्च 2008 के 12.3 प्रतिशत की तुलना में गिरकर मार्च 2009 में 11.1 प्रतिशत हो गई। प्रभावी उधार दर में 2009-10 की पहली तिमाही में गिरावट की संभावना है।

अनर्जक आस्ति प्रबंधन

1.66 अनर्जक आस्ति के स्तर में बढ़ोतरी से कई नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। बैंकिंग प्रणाली की दृष्टि से, उच्च ऋण हानि प्रावधानों से निवल लाभ में कमी होती है, और उधार संबंधी दरों पर दबाव पड़ता है। उच्च वास्तविक उधार दरें नए और ऋण के लिए पात्र उधारकर्ताओं को बैंकों से ऋण लेने से हतोत्साहित करती हैं जो वास्तविक आर्थिक गतिविधियों के लिए नकारात्मक परिणाम लाती

है। समष्टि आर्थिक नीति की दृष्टि से बड़ी मात्रा में अनर्जक आस्ति के कारण उधार संबंधी ब्याज दरों में आई सख्ती मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कम कर देती है। इसके अलावा, ऋण हानियों के कारण सरकार द्वारा जिस सीमा तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण करना पड़ता है, उस सीमा तक अनर्जक आस्ति अर्ध-राजकोषीय देयताओं जैसी होती है।

1.67 अनर्जक आस्ति अनुपात में वर्षों के दौरान लगातार गिरावट आ रही है। पिछले पांच वर्षों में उच्च जीडीपी वृद्धि के साथ-साथ उच्च ऋण वृद्धि के संदर्भ में ऋण में वृद्धि और अनर्जक आस्ति की प्रवृत्ति के बीच कुछ अंतराल होना सर्वविदित है। इसलिए कई विश्लेषक यह मानते हैं कि अनर्जक आस्तियों के अनुपात में वृद्धि देखने में आएगी, विशेषकर ऋणों की पुनर्संरचना के संदर्भ में।

1.68 जहां मंदी में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि की उम्मीद करना अस्वाभाविक नहीं है, वहीं बैंक अनर्जक आस्तियों के उच्चतर स्तर के प्रभाव को कम करने के लिए अच्छी तरह से पूँजीकृत हैं। पिछले दस वर्षों में बैंकों की निवल मालियत में हुई वृद्धि और उनकी अनर्जक आस्ति में हुई लगातार कमी को देखते हुए अनर्जक आस्ति के लिए पूँजीगत रक्षा विवेकपूर्ण स्तर पर है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी)

1.69 एक कुशल, प्रभावी, संवेदनशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल वित्तीय प्रणाली बनाने की भारतीय बैंकिंग की यात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग महत्वपूर्ण अंग है। ग्राहक संबंधों को बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी और समर्थनकारी नवोन्मेष एक अहम साधन है। वे वित्तीय लेनदेन की लागत में कमी, वित्तीय संसाधनों के आबंटन में सुधार और वित्तीय संस्थानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं एवं कुशलताओं में बढ़ोतरी करते हैं।

1.70 भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां प्रभावी रहने के बावजूद इसके लिए भविष्य में कार्य की व्यापक कार्ययोजनाएं हैं। मौजूदा वित्तीय क्षेत्र के अग्रणियों को नई प्रौद्योगिकीय और सूचना आधारित प्रणालियों से अधिक से अधिक फायदा लेने और भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के दायरे को अभी भी

बढ़ाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के ऐसे बाजारों में जहां बैंकिंग सेवाएं अल्प मात्रा में मिल पा रही हैं, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता बहुत ज्यादा है। दूर-दराज क्षेत्रों में स्मार्ट कार्ड तकनीक, मोबाइल एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नेटवर्क के अंतर्गत डाकघरों को शामिल करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस तरह वित्तीय समावेशन भी हो सकता है।

1.71 भारत में मोबाइल संचार टेक्नोलॉजी का प्रसार अति तीव्रता से हो रहा है और यह एक ऐसी प्रगति है जिसे वित्तीय क्षेत्र अपने काम में लगा सकता है। मोबाइल फोन के प्रयोक्ता समाज के सभी वर्गों, महानगरीय केंद्रों, कस्बों और गांवों में फैले हैं। दूरसंचार क्षेत्र की इस पहुंच का लाभ बैंक इस माध्यम से सेवाएं प्रदान कर ले सकते हैं। हालांकि, ऐसी क्षमताओं का विस्तार आवश्यक स्तर की न्यूनतम सुरक्षा और ग्राहक लेनदेन की गोपनीयता से संबंधित स्थापित नियमों के अनवरत अनुपालन के साथ किया जाना चाहिए।

1.72 बहु वितरण चैनलों के माध्यम से जनसाधारण को सस्ती और कम लागत में बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल समय की मांग है। प्रदत्त की जा रही सेवाओं की रेंज बैंक के आकार और प्रकार के अनुसार बैंक-दर-बैंक अलग-अलग होती है। इंटरनेट बैंकिंग से बैंकिंग उद्योग का चेहरा बदल रहा है और बैंकिंग संबंधों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। निकट भविष्य के सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता में निम्नलिखित भी शामिल होगा:

- ग्राहक सेवा में विभेदीकरण करना;
- डाटा वेयर हाउस में संग्रहीत और प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ग्राहक संबंध के प्रबंधन (सीआरएम) को सुविधाजनक बनाना;
- बैंकों के आस्ति-देयता प्रबंधन में सुधार लाना, जो बैंकों के लाभ पर सीधे प्रभाव डालता है;
- धन-शोधन निवारक विनियमों के अनुपालन को बढ़ाना; और
- बासल II मानदंडों का अनुपालन।

1.73 प्रौद्योगिकी की संगणन की चमत्कारी क्षमता ने स्पीड, लागत में कमी लाने तथा परिशुद्धता की दृष्टि से कारोबारी प्रक्रिया को निःसंदेह अत्यंत कुशल बना दिया है। तथापि, इस विकासक्रम से जुड़ी परिचालनगत जोखिमों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः सूचना सुरक्षा (आइएस) एक अहम प्राथमिकता बन गई है। सूचना की सुरक्षा के प्रबंधन हेतु बेहतर सॉल्यूशनों, सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजना(बीसीपी) तथा आपदा के बाद बहाली की व्यवस्था(डीआर) संबंधी ढांचे एवं सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा संबंधी टूल की तलाश जारी रहनी चाहिए।

बैंकिंग में सरकारी क्षेत्र की भूमिका

1.74 बैंकों के स्वामित्व के दो मॉडल हैं, पहला एंग्लो-सेक्सन मॉडल और दूसरा एशियाई मॉडल² - पहला मॉडल अधिकांश विकसित देशों में अपनाया जा रहा है, जबकि दूसरा मॉडल भारत जैसे कुछ विकासशील देशों में देखा जा सकता है। पहले मॉडल के अंतर्गत, प्रमुख निर्णय शीर्ष कार्यपालकों द्वारा अल्पावधि प्रतिफलों के अनुसार अधिकांशतः स्वतंत्र रूप से लिया जाता है और विनियामक आवश्यकतानुसार कठोर नहीं हैं। इसके विपरीत, भारत जैसे देशों में वित्तीय प्रणाली पर्याप्त रूप से सरकारी क्षेत्र की स्वामित्व वाली है और शीर्ष कार्यपालकों के लिए भिन्न प्रोत्साहन संरचना है। इस मॉडल में जटिल व्युत्पन्नियों के रूप में वित्तीय नवोन्मेष कम होने की संभावना है और इसमें जोखिम उठाने हेतु प्रोत्साहन कम रहता है। इस प्रकार, यह क्षेत्र कम नवोन्मेषी और कम कुशल हो सकता है परंतु यह अधिक सुस्थिर भी रहेगा। जैसा कि हाल के संकट के दौरान देखा गया, संकट के समय में इस क्षेत्र को सरकारी समर्थन का सहारा रहता है और यही बात इसके पक्ष में जाती है। जहां पहला मॉडल हाल के संकट के दौरान दबाव में आया, वहीं बड़ी मात्रा में सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व वाले दूसरे मॉडल ने ही भारतीय वित्तीय प्रणाली को अच्छी तरह बचाए रखा। यह इस तथ्य से उजागर होता है कि संकट के प्रभाव के तौर पर वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्ति के अनुपात में काफी वृद्धि हुई और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनर्जक आस्तियों के अनुपात

में कमी आई और यह बैंक के सभी समूहों में सबसे कम था (अध्याय IV की सारणी IV.30 देखें)।

1.75 सरकारी स्वामित्व का होना भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए कमजोरी के बजाय मजबूती का पर्याय सिद्ध हुआ। बैंकिंग प्रणाली सरकारी स्वामित्व की भूमिका के बारे में दृष्टिकोण पर चर्चा करते वक्त कुछ मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, इस धारणा के विपरीत कि सरकारी स्वामित्व आबंटन दक्षता को कमजोर कर देते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विश्लेषणात्मक अध्ययन दर्शाते हैं कि हाल के वर्षों में भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आबंटन, तकनीकी और लागत दक्षता निजी और विदेशी बैंकों की तुलना में बहुत अच्छी है। दूसरा, भारत में वित्तीय प्रणाली के सरकारी स्वामित्व का महत्वपूर्ण पहलू विकासात्मक वित्त के सामाजिक और पुनर्वितरण उद्देश्यों को पूरा करने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो भारत जैसे एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है।

मध्यावधि में भारत में संरचनागत वृद्धि के कारक

1.76 जब वैश्विक वित्तीय संस्थान वृद्धि एवं आस्ति-गुणवत्ता मुद्दों का सामना कर रहे हैं, तब भारतीय बैंक न्यूनतम तुलनपत्र जोखिम के साथ वृद्धि की अच्छी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में, बैंकिंग क्षेत्र की जमा राशियों में अनेक कारणों से अच्छी वृद्धि हुई है: सांकेतिक जीडीपी वृद्धि में तेजी; बचत दर में बढ़ोतरी; कुल वित्तीय बचत में बैंक जमाराशियों का बढ़ता अनुपात; और गैर- खुदरा जमाराशियों का प्रवाह। इन कारकों के अपने चरम पर होने के कारण, भविष्य में खुदरा जमाराशियों की वृद्धि अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार पर निर्भर करेगी। भारत में बैंकों की ग्राहकों तक पहुंच वर्तमान में कम है जो उनके लिए मध्यावधि में ढांचागत वृद्धि हेतु प्रेरक कारक बन सकता है। इस संबंध में एक समर्थनकारी कारक अनुकूल जनसांख्यिकी है, जो इस बात से स्पष्ट होता है कि 30 प्रतिशत भारतीयों की आयु 15 वर्ष से नीचे है और अगले 5 से 10 वर्षों में वे “बैंकिंग कारोबार योग्य जनसंख्या” की श्रेणी में तबदील हो जाएंगे।

² गुडहर्ट, सीएई(2009), “बैंकर्स एंड द पब्लिक सेक्टर अथारिटी”, बीआइएस बैंकिंग पेपर, अगस्त।

युवा पीढ़ी के उपभोक्ता ऋण, बीमा, म्यूच्युअल फंड, धन प्रबंधन जैसे वित्तीय उत्पादों के प्रति ज्यादा जागरूक है और इसलिए वित्तीय-सेवा प्रदाताओं के लिए आय का बृहद आधार प्रदान करता है।

4. निष्कर्ष और भावी मार्ग

1.77 जबकि दुनिया भर में नीतिगत कार्रवाई तत्काल स्थिरता संबंधी चिंताओं से निपटने पर केंद्रित है, मौजूदा मंदी के प्रभाव को कम करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सतत विकास के रास्ते पर लाने के लिए व्यापक रणनीति की भी आवश्यकता है। इसमें दीर्घावधि में वृद्धि को बढ़ाने के लिए उत्पादकता को बढ़ाने वाले सुधार अवश्य शामिल होने चाहिए। इस संकट में कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे अन्य महत्वपूर्ण संरचनागत गंभीर चुनौतियों से ध्यान नहीं हटना चाहिए। प्रभावी और स्थायी वैश्विक प्रतिक्रिया में सभी प्रमुख भागीदारों की भागीदारी के साथ-साथ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच बेहतर समन्वय और अधिकतम सामंजस्य आवश्यक है।

1.78 पुनरावलोकन करें तो भारत में 1990 के दशक की शुरुआत में आरंभ किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की सफलता इस अवधि के दौरान वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है जब पूरे विश्व में वित्तीय संकट बार-बार दिखाई दे रहा था। सुधार की प्रक्रिया न केवल आई कठिनाइयों के लिए बल्कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत के अब तक के परिवर्तनों के विभिन्न आयामों में परिवर्तनों के लिए भी ध्यान देने योग्य है। आगे समय की मांग यह है कि वित्तीय क्षेत्र के सुधार नपेतुले ढंग से हों और संकट से भी सबक लिया जाए। नीतिगत चुनौतियां मूल्य स्थिरता के साथ उच्च वृद्धि को प्राप्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय उथल-पुथल की इस अवधि के दौरान भारत में वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

1.79 वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए विकसित किया जा रहा एजेंडा महत्वाकांक्षी है। रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी कदम उठाने का इरादा है। विनियमन पहलुओं पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विवादास्पद मुद्दे उठने की संभावना है। जहां इस विनियामक ओवरहाल

के सिद्धांत को अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है, वहीं उनकी व्यावहारिकता और कार्यान्वयन के तरीकों के संबंध में कई चुनौतियां आएंगी:

- सबसे पहला, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विनियामक और पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने लिए अपने संकल्प पर दृढ़ रहें कि प्रणाली में जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है और सिद्धांतों और रूपरेखा का सटीकता से एवं उसकी भावना के साथ पालन किया जा रहा है।
- दूसरा, बाजार और संस्थाओं में परस्पर संबंधों के कारण केंद्रीय बैंक, बैंकिंग, प्रतिभूति तथा बीमा विनियामकों के लिए किसी भी समय प्रणालीगत जोखिम का आकलन करने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान और निरंतर संपर्क हेतु घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है।
- तीसरा, अनेक प्रतिचक्रीय प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में आर्थिक और बैंकिंग परिस्थितियों के आकलन पर निर्भर करते हैं जो बफर पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करेगा - जाहिर है ये एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र अलग-अलग होगा, साथ-ही-साथ चक्र भी अलग अलग होंगे। बैंकों के विश्वभर में परिचालन करने का यह परिणाम होगा कि पूंजीगत आवश्यकता विभिन्न अधिकार क्षेत्र में भिन्न हो सकती है - लेनदेनों को अधिक अनुकूल अधिकार क्षेत्र में रखने की बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जटिल प्रतिभूतियों और विभिन्न कर ढांचे के साथ विनियामक और कर विवाचनों को कम करना एक चुनौती बनी रहेगी।
- चौथा, देशों के संकल्प संबंधी मुद्दे कठिनाई पैदा करते रहेंगे विशेष कर जब राष्ट्रीय विनियामक घरेलू जमाकर्ताओं और हितधारकों की हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे।
- पांचवां, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों में एकरूपता होना न केवल देश के लिए उचित मानकों के परिवर्तन लाने के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण होगा बल्कि उसकी ओर अभिमुख होने के लिए प्रणाली और सक्षमता का निर्माण भी चुनौतीपूर्ण होगा। अप्राप्त लाभ का वितरण न करने से संबंधित विवेकपूर्ण फिल्टर जैसे मुद्दे भी सामने आएंगे।

- छठा, जब वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं, वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन की वास्तविक परीक्षा इन सबसे बाहर निकलने की प्रक्रिया के दौरान होगी। हमारी जैसी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती वैश्विक स्थिरीकरण की इस प्रक्रिया के प्रभाव को प्रबंधित करने की होगी।
- सातवां, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त चुनौती यह है कि वे अस्थिर अंतरराष्ट्रीय पूंजीगत प्रवाहों का सामना करती हैं जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए समष्टि आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर उपयुक्त विनियामक नीतियों को आवश्यक बनाती है।
- अंत में, भारत जैसे देश में, देर से शुरुआत का यह फायदा है कि नए उत्पादों एवं लिखतों को लागू करते वक्त उनके पास वैश्विक अनुभव का लाभ होता है जिससे नवोन्मेष का फायदा उठाते वक्त नुकसान से बचा जा सकता है।

वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां

सितंबर 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट की घटना का एक वर्ष पूरा हो गया। सितंबर 2008 में अमरीका के बड़े निवेश बैंकों में से एक अर्थात् लीमन ब्रदर्स की विफलता की घटना के बाद आर्थिक, वित्तीय तथा मनोवैज्ञानिक संकट के दौर का जो सिलसिला-सा चल पड़ा उसने शीघ्र ही पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। वैश्विक वित्तीय संकट से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण 2008-09 एक ऐसा वर्ष बन गया है जिसने वैश्विक बैंकिंग उद्योग के भावी विकास को प्रमुख चर्चा का विषय बना दिया है। वित्तीय प्रणाली की बहाली प्रमुख प्राथमिकता होने के कारण वैश्विक स्तर पर बचाव के उपाय किए गए। इन सभी उपायों ने, विशेष रूप से प्रमुख बैंकों की चूक संबंधी जोखिम को कम किया और “सबसे खराब स्थिति” से बचने में मदद की। उतार-चढ़ाव के दौर के बाद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार 2009 की दूसरी तिमाही में सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रही है। तथापि, अटलांटिक के दोनों ओर के देशों में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य जटिल बना हुआ है। केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों द्वारा की गई सक्रिय तथा शीघ्रता से की गई कार्रवाई एवं विनियामक एवं पर्यवेक्षी नीति संबंधी उपायों के कारण संकट का प्रतिकूल प्रभाव नियंत्रणाधीन रहा। 2010 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की बहाली हो जाने की संभावना है जो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा।

1. भूमिका

2.1 2009 की पहली तिमाही तक दबाव में रहे वैश्विक वित्तीय बाजार में उसके कतिपय खंडों के कार्यकलापों में वृद्धि होने के कारण दूसरी तिमाही में उतार-चढ़ाव एवं जोखिम स्प्रेड में कमी देखी गयी। वास्तविक क्षेत्र के कार्यकलापों में गिरावट की दर में कमी आने, वित्तीय क्षेत्र के लिए बचाव योजनाओं तथा कुछ प्रमुख बैंकों की हानियों की मात्रा की बेहतर स्पष्टता के कारण जोखिम उठाने के प्रति रुचि में वृद्धि हुई जिसके कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्टॉक की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों ने 2009 की पहली तिमाही में नरम मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखा जो 2009 की दूसरी तिमाही तक जारी रहा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए गए बेहतर रूप से समन्वित एवं संयोजित मौद्रिक उपायों ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। वैश्विक ऋण स्प्रेड में कमी आना शुरू हो गया है। ऐसे संकेत मिले हैं कि जहां कई देशों की ऋणात्मक वृद्धि दर में कमी आना शुरू हो गया है वहीं निजी क्षेत्रों को प्रदान किए गए ऋण की मात्रा में वृद्धि होना भी शुरू हो गया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अक्टूबर 2009 के अनुसार वैश्विक वित्तीय प्रणाली के तात्कालिक परिदृश्य में अप्रैल 2009 के परिदृश्य से उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है।

2.2 इस परिदृश्य में, छह खंडों में विभाजित इस अध्याय के खंड 2 में वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य का विहगावलोकन प्रस्तुत

किया गया है। खंड 3 में वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है। खंड 4 में वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्ति के परिदृश्य पर चर्चा की गयी है। खंड 5 में वैश्विक संदर्भ में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिसके बाद खंड 6 में निष्कर्ष दिया गया है।

2. वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य

2.3 2008 के मध्य से वैश्विक परिदृश्य में गिरावट की जो प्रवृत्ति देखी गयी वह 2009 की दूसरी तिमाही तक जारी रही, हालांकि इस बीच स्थिरता के अस्थायी संकेत उभरने लगे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अक्टूबर 2009 के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में 2009 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1.1 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान लगाया गया है जो अप्रैल 2009 के पूर्वानुमान के 1.3 प्रतिशत तथा जुलाई 2009 के अद्यतन के 1.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। तथापि, 2010 में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सुधार होकर 3.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है (सारणी II.1)।

2.4 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अक्टूबर 2009 में जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) में 2009 में अमरीका के वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2.7 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान लगाया गया है जिससे डब्ल्यूईओ के जुलाई 2009 अद्यतन

सारणी II.1 : वैश्विक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि

(प्रतिशत)

देश / क्षेत्र	2009	2010
1	2	3
अमरीका	(-) 2.7	1.5
ब्रिटेन	(-) 4.4	0.9
यूरो क्षेत्र	(-) 4.2	0.3
जापान	(-) 5.4	1.7
चीन	8.5	9.0
भारत	5.4	6.4
उन्नत देश	(-)3.4	1.3
उभरते और विकासशील देश	1.7	5.1
विश्व	(-)1.1	3.1

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, अक्टूबर 2009।

के 2.6 प्रतिशत के मुकाबले थोड़ी खराब स्थिति प्रदर्शित होती है। जून 2009 में बरोजगारी की दर बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो जाने से, जो कि पिछले 3 दशकों में सर्वाधिक है, 2009 की दूसरी तिमाही में प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतक प्रतिकूल बने रहे। तथापि, अभूतपूर्व मौद्रिक, वित्तीय तथा राजकोषीय नीति संबंधी हस्तक्षेप उपभोक्ताओं के खर्चों तथा आवास एवं वित्तीय बाजारों को सुस्थिर करने में सहायता कर रहे हैं और यह 2009 की दूसरी छमाही में वृद्धि दर में फिर से मामूली सुधार आने की ओर इंगित करता है। अप्रैल-जून 2009 के अमरीका के उत्पादन संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि उसके वास्तविक जीडीपी में गिरावट की प्रवृत्ति में 2009 की पहली तिमाही के छह प्रतिशत की कमी की तुलना में एक प्रतिशत की कमी आएगी। यूरो क्षेत्र का परिदृश्य अमरीका से भी खराब है। यूरो क्षेत्र में 2009 में 4.2 प्रतिशत का संकुचन तथा 2010 में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है - जो कि डब्ल्यूईओ द्वारा जुलाई में दोनों वर्षों के लिए किए गए पूर्वानुमानों से 0.6 प्रतिशत का सुधार दर्शाता है। यूरो क्षेत्र में वृद्धि की संभावना में हुए सुधार का प्रमुख कारण फ्रान्स तथा जर्मनी में सकारात्मक वृद्धि होना है। 2009 की दूसरी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन, खपत तथा निर्यात संबंधी आंकड़ों में सुधार हुआ। तथापि, निजी क्षेत्र में ऋण वृद्धि की दर में कमी आने तथा जनवरी - जून 2009 के दौरान बेरोजगारी की दर में वृद्धि होने के कारण यूरो क्षेत्र की आर्थिक बहाली कमतर रहने का अनुमान है। सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स के दिवालिया हो जाने के बाद टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में आई कमी के कारण घरेलू मांग के कम होने, श्रमिक बाजारों की स्थितियां बिगड़ने, आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण रहने तथा अप्रयुक्त क्षमता में वृद्धि होने के कारण जापान

के सकल घरेलू उत्पाद में दो तिमाहियों में वार्षिकीकृत आधार पर 10 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, बाद के आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्पादन के स्तर में स्थिरता आ रही है और उपभोक्ताओं के विश्वास के स्तर में सुधार हो रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था में 2009 में 5.4 प्रतिशत की कमी आने तथा 2010 में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

2.5 आइएमएफ ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2009 में उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 2008 के 6.0 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत हो जाएगी तथा 2010 में बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो जाएगी। तथापि, आइएमएफ ने विकासशील एशिया के लिए चीन, भारत तथा एशियान-5 देशों की बेहतर संभावनाओं का उल्लेख करते हुए विकासशील एशिया के वृद्धि परिदृश्य में बेहतर दिखाई है। 2009 में अब तक (जुलाई 2009 तक) एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। सबसे उल्लेखनीय बात चीन के औद्योगिक उत्पादन में बहाली थी जो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा स्थिर पूंजी निवेश में भारी बढ़ोतरी तथा सुदृढ़ ऋण वृद्धि के कारण थी। चीन घरेलू मांग, विशेष रूप से सरकारी निवेश मांग में वृद्धि करके निर्यात में हुए संकुचन के असर को अंशतः कम करने में सफल रहा। कोरिया तथा ताइवान के औद्योगिक उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.6 डब्ल्यूईओ के अक्टूबर, 2009 निर्गम के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के सुदृढ़ कार्यनिष्पादन तथा अन्य देशों में स्थिरता आने अथवा स्थिति में थोड़ी बेहतर आने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पुनः वृद्धि की ओर अग्रसर हो रही है। व्यापक स्तर पर किए गए सार्वजनिक हस्तक्षेप ने मांग को बढ़ाने में सहायता की तथा वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता तथा प्रणालीगत जोखिम को कम किया। वित्तीय प्रणाली प्रभावित होने, सार्वजनिक नीतिगत समर्थनों को क्रमशः हटाए जाने की जरूरत, तथा आस्ति मूल्यों के चरमरा जाने से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को उच्च बेरोजगारी का सामना करने के साथ-साथ पारिवारिक इकाइयों की बचत को बढ़ाने की जरूरतों को देखते हुए बहाली की गति मंद रहने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार

2.7 वैश्विक वित्तीय बाजारों ने पिछले कुछ वर्षों में गंभीरतम में से एक आघात का अनुभव किया। वैश्विक वित्तीय बाजार 2009 की


पहली तिमाही तक दबाव में था परंतु बाजार के कुछ खंडों में सुधार के चलते दूसरी तिमाही में इसमें उतार-चढ़ाव तथा जोखिम स्प्रेड में कमी देखी गयी। वास्तविक कार्यकलापों में गिरावट की दर में कमी आने, वित्तीय क्षेत्र के लिए बचाव योजनाओं तथा कुछ प्रमुख बैंकों की हानियों की मात्रा की बेहतर स्पष्टता के कारण जोखिम उठाने के प्रति रुचि में वृद्धि हुई जिसके कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्टॉक की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कतिपय उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के न्यूनतम स्तर को छू लेने की संभावना तथा वैश्विक प्रवृत्ति के चलते इन देशों के इक्विटी बाजारों में तेज सुधार का रुख देखा गया। कतिपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरों में और कटौती किए जाने के साथ-साथ मुद्रा बाजारों की अच्छी चलनिधि स्थिति के चलते मुद्रा बाजार दरों में गिरावट का रुख रहा तथा स्प्रेड में कमी आने के साथ-साथ बाजारों के विभिन्न खंडों की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के प्रति निवेशकों की जोखिम लेने की बढ़ती अभिरुचि बांड के स्प्रेड में उल्लेखनीय कमी आने के रूप में परिलक्षित हुई। प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता के कारण सरकारी बांड के प्रतिफल में कमी आई परंतु सुरक्षित निवेश संबंधी चिंताओं तथा घाटा एवं सार्वजनिक ऋण के बढ़ने की चिंता के चलते दीर्घावधि बांड प्रतिफलों में वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के कतिपय खंडों के कार्यकलापों में सुधार के साथ 2009 की दूसरी तिमाही तथा 2009 की तीसरी तिमाही के शुरुआती समय में स्थिरता के लक्षण दिखाई दिए। लगातार रूप से किए गए नीतिगत उपायों ने बाजार की अनिश्चितता को कम करने में योगदान दिया तथा वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाने में मदद की। इनमें मौद्रिक स्थिति को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए और उपाय, अप्रैल 2009 में घोषित जी-20 की कार्य-योजना, बैंकों के लिए विशेष रूप से अमरीका तथा यूके में विशिष्ट बचाव पैकेज योजना का प्रकाशन तथा यूएस फेड की बैंकों के तनाव परीक्षण आधारित कार्य योजना के परिणामों की घोषणा शामिल हैं।


2.8 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने सितंबर 2008 तक संकट से निपटने में उल्लेखनीय आघात-सहनीतयता का परिचय दिया, परंतु मुख्यतः तीन वित्तीय चैनलों के जरिए संकट के फैल जाने से वे 2008 की अंतिम तिमाही से दबाव में आ गईं। पहला चैनल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का पलायन था जिसके कारण स्टॉक बाजारों में गिरावट आई और इसने निर्यात मांग में तेज कमी लाने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा दरों पर उल्लेखनीय दबाव डाला।

दूसरा चैनल बैंकों तथा कंपनियों के लिए विदेशी ऋण के स्रोतों का सूख जाना था जिसके कारण उनकी मांग का रुख घरेलू ऋण बाजारों की ओर हो गया। तीसरा, व्यापार वित्त के स्रोत सूख जाने के कारण व्यापार पर तीव्र प्रतिकूल असर पड़ा। अतः, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई को वित्तीय क्षेत्र से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के बजाए वास्तविक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं से निपटना पड़ा।

ऋण बाजार

2.9 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार 2010 के अंत तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिति में समायोजन के चलते डिलीवरेजिंग की गति में तेजी आने के कारण वैश्विक ऋण संकुचन की समस्या गहरी हो जाएगी तथा लंबी अवधि तक बनी रहेगी। संकट से पूर्व लीवरेज का जो स्तर बना था वह काफी अधिक था। यूके, यूएस तथा यूरोपियन यूनियन के लिए वर्तमान का दायरा 1990 के जापान के संकट के समान प्रतीत होता है (चार्ट II.1)। आइएमएफ ने आगे यह भी अनुमान लगाया है कि डिलीवरेजिंग की प्रक्रिया का असर अत्यधिक नकारात्मक होने के कारण यूएस तथा यूरोप के देशों में निजी क्षेत्र को प्रदान किये जाने वाले ऋण की मात्रा में तिमाही-दर-तिमाही चार प्रतिशत की वार्षिकीकृत दर पर कमी आने की संभावना है (चार्ट II.2)। ऋण की वृद्धि की दर में कमी





आने पर भी यह कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 2009 की पहली तिमाही तक दो अंकीय (एक वर्ष पूर्व की स्थिति की तुलना में) बनी रही। कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में देशी बैंक ऋण की मात्रा में निरंतरता बनी रही अथवा उसमें ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी गई (चार्ट II.3)।



2.10 ऋण बाजार में सार्वजनिक नीतिगत कार्रवाई के कारण यूएस में बैंक ऋण के स्प्रेड में कमी आने तथा उभरती बाजार



अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता के संकेत उभरने के चलते दूसरी तिमाही में निवेशकों की जोखिम सहनीयता में बढ़ोतरी हुई। तथापि, लीमन ब्रदर्स की घटना के पूर्व के स्तर की तुलना में स्प्रेड उच्चतर स्तर पर बना रहा तथा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) तथा वाणिज्यिक पत्र (सीपी) बाजारों में कमियां देखी गई (चार्ट II.4)।

कारपोरेट बांड बाजार

2.11 अमरीका में कारपोरेट बांड बाजार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है तथा यह बात कारपोरेट बांडों के प्रतिफल, जिसमें 2009 की पहली तिमाही के दौरान 3 माह वाले अमरीकी खजाना बिल एवं 10 वर्षीय अमरीकी सरकारी बांड प्रतिफल की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, से स्पष्ट होती है। तथापि, 2009 की दूसरी तिमाही के उत्तरार्ध में इस अंतर में कमी आई (चार्ट II.5)।

2.12 2009 की प्रारंभिक अवधि के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारपोरेट बांडों के स्प्रेड (ट्रेजरी की तुलना में) में भी कमी आई। तथापि, यह स्प्रेड लीमन ब्रदर्स की घटना से पहले के स्तर से अधिक रहा तथा आस्ति समर्थित प्रतिभूति (एबीएस) तथा वाणिज्यिक पत्र बाजारों में कमियां स्पष्ट थीं। सभी विकसित बाजारों में चूक की स्थिति में बेहतर आने की बात 2009 की दूसरी तिमाही में सीडीएस के स्प्रेड में आई कमी से स्पष्ट होती है (चार्ट II.6)।





शेयर बाजार

2.13 इक्विटी के मूल्यों में गिरावट वर्ष 2008-09 की विशिष्टता रही। कई उन्नत तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं

के इक्विटी मूल्य सूचकांकों में 30-66 प्रतिशत के दायरे में गिरावट देखी गई (सारणी II.2)। अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों के आशा और निराशा के बीच - इस बात की आशा कि अर्थव्यवस्थाओं को

सारणी II.2: अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार

देश (सूचकांक)	परिवर्तन, प्रतिशत में (वर्ष-दर-वर्ष)		प्रतिशत परिवर्तन		पी / ई अनुपात			परिवर्तन का गुणांक
	अंत मार्च 2008	अंत मार्च 2009	मार्च 2008 के अंत की तुलना में अगस्त 2008 के अंत में	मार्च 2009 के अंत की तुलना में अगस्त 2009 के अंत में	अंत मार्च 2008	अंत मार्च 2009	अंत अगस्त 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उभरते बाजार								
इंडोनेशिया (जकार्ता कम्पोजिट)	33.7	-41.4	-11.5	63.28	14.7	14.8	29.82	26.6
ब्राजील (बोवेस्पा)	33.1	-32.9	-8.67	38.03	13.8	12	23.48	25.3
थाईलैंड (सेट कम्पोजिट)	21.3	-47.2	-16.23	51.39	16.4	15.1	26.57	27.9
भारत (बीएसई सेंसेक्स)								
दक्षिण कोरिया (कोस्पी)	17.3	-29.2	-13.48	31.97	12.6	26	30.59	20.4
चीन	9.1	-31.7	-30.97	12.41	26.1	23.7	29.57	23.4
ताइवान (ताइवान सूचकांक)	8.7	-39.2	-17.81	31.42	14.3	65.6	159.7	27.6
रूस (आरटीएस)	6.1	-66.4	-19.85	54.65	9.4	4.5	11.5	54.3
मलेशिया (केएलएसई कम्पोजिट)	0.1	-30.1	-11.78	34.58	13.7	14.6	22.74	15.4
सिंगापुर (स्ट्रेट टाइम्स)	-4.9	-43.5	-8.89	52.52	10.8	8.2	20.16	26.5
विकसित बाजार								
अमरीका (डो जोन्स औद्योगिक औसत)	-0.7	-38	-5.87	24.8	15.2	14.1	13.64	19.3
अमरीका (नास्डाक कम्पोजिट)	-5.9	-32.9	3.88	31.43	27.3	22.4	33.25	21.7
यूरो क्षेत्र (एफटीएसई यूरोटॉप 100)	-15.7	-40.1	-4.59	31.25	11.2	15.4	23.18	20.4
यूके (एफटीएसई 100)	-9.6	-31.1	-1.15	25.03	11.4	17.4	70.72	16.8
जापान (निक्केई 225)	-27.5	-35.3	4.37	29.39	15.1	26	-	23.9
हांगकांग (हेंग सेंग)	15.4	-40.6	-6.95	45.29	13.4	12.2	21.24	26.1
जापान:								
एमएससीआई विश्व	-5.1	-44	-6.44	34.82	14.2	15.1	25.55	24.9
एमएससीआई उभरते बाजार	18.9	-48.4	-13.44	47.28	13.1	12	19.18	34


स्रोत: ब्लूमबर्ग और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)

प्रोत्साहित करने में नीतियां कारगर होंगी तथा निराशा इस बात की कि वर्तमान दौर के वित्तीय संकट से उत्पन्न समस्याएं बनी रहेंगी - अनिश्चय की स्थिति में रहने के कारण वर्ष के दौरान बाजारों में उतार-चढ़ाव तीव्र था। तथापि, 2009-10 के दौरान अब तक (अप्रैल-अगस्त) उभरती तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों में वृद्धि का रुख देखा गया। इंडोनेशिया, भारत, रूस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ऐसे देश थे जिनमें मार्च 2009 के अंत तक इक्विटी बाजारों में 50 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई।


2.14 उन्नत तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में मार्च 2009 से उल्लेखनीय बहाली हुई, हालांकि प्रतिकूल समाचारों के कारण बीच-बीच में कमियां भी आईं। यद्यपि उत्पादन में कमी आने के कारण अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधियों में गिरावट देखी गई, फिर भी आर्थिक कार्यक्रमों में गिरावट की गति में कमी आने संबंधी समष्टि आर्थिक आंकड़ों तथा कुछ अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट का स्तर निम्नतम तक पहुंच जाने के प्राथमिक संकेतों के चलते बाजारों में वृद्धि का रुख रहा। अधिकांश विकसित बाजारों ने अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान सूचकांक में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि के दौरान एमएससीआइ उभरते बाजार सूचकांक तथा एमएससीआइ विश्व सूचकांक ने क्रमशः 47.3 प्रतिशत तथा 34.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.7)। मार्च 2009 के बाद अमरीकी स्टॉक बाजार में भी उल्लेखनीय बहाली हुई (चार्ट II.8)। शेयर बाजारों में आए सुधार का स्तर कुछ व्यापक था जो कारपोरेट अर्जनों की बेहतर संभावनाओं तथा स्पष्ट सार्वजनिक नीति कार्रवाइयों के कारण वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता में कमी आने के चलते वित्तीय, औद्योगिक तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सुधार आने के कारण था।

विदेशी मुद्रा बाजार

2.15 2008-09 के दौरान जापानी येन तथा चीनी युआन को छोड़कर अधिकांश मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में सामान्यतः वृद्धि हुई। अमरीकी डॉलर ने वृद्धि दर में गिरावट आने, उपभोक्ता के विश्वास में कमी आने, कमजोर इक्विटी बाजार तथा गैर-फार्म पेट्रोल रोजगार की स्थिति में गिरावट आने जैसे कारकों के चलते अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान सभी प्रमुख मुद्राओं के विपरीत मूल्य



में गिरावट की कमजोर स्थिति के साथ वर्ष की शुरुआत की। तथापि, अगस्त के 2008 प्रारंभ से अमरीकी वित्तीय संकट के कारण वहां के निवेशकों की जोखिम उठाने की अभिरुचि में कमी आने के कारण अमरीकी डॉलर में मजबूती आनी शुरू हुई जिसके कारण उन्होंने वित्तीय बाजारों की डिलीवरेजिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विदेशी इक्विटी तथा बांड बाजारों के निवेशों को समेटकर सुरक्षा की दृष्टि से राशि को अमरीका में प्रत्यावर्तित करना शुरू कर दिया। 2009-10



के दौरान अब तक अमरीका में सुरक्षित निवेश प्रवाह में कमी आने, हाल के समय में उनके द्वारा बड़े स्तर पर मात्रात्मक नरमी का रुख अपनाने तथा डॉलर के प्रति बाजार की धारणा में बदलाव आने के कारण डॉलर के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति में बदलाव आया। मार्च 2009 के अंत तथा अगस्त 2009 के अंत के बीच अमरीकी डॉलर के मूल्य में यूरो, पौंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन की तुलना में क्रमशः 6.8 प्रतिशत, 12.2 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत की कमी आई। एशियाई मुद्राओं के बीच भारतीय रुपए, इंडोनेशियाई रुपिया, मलेशियाई रिंगिट, दक्षिण कोरियाई वॉन तथा थाई बाथ की तुलना में इसके मूल्य में कमी आई।

ओवर दि काउंटर व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)

2.16 2008 की दूसरी छमाही में वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप ओवर-दि-काउंटर व्युत्पन्नियों की कुल कल्पित बकाया राशि घटकर वर्ष के अंत में 592 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी जो बाजार गतिविधियों के घटे हुए स्तर को दर्शाती है। 1998 के बाद गिरावट की यह पहली घटना है। विदेशी मुद्रा बाजार तथा ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजार दोनों में पहली बार उल्लेखनीय गिरावट आई (सारणी II.3)।


2.17 बकाया राशि में गिरावट के बावजूद, मूल्य में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव के कारण सकल बाजार मूल्य में वृद्धि हुई और 2008

के अंत में यह राशि 34 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। सकल बाजार मूल्य सभी विद्यमान संविदाओं के प्रतिस्थापन मूल्य का मापक है और इसका उपयोग व्युत्पन्नियों से संबंधित एक्सपोजर को निर्धारित करने में किया जाता है। द्विपक्षीय समायोजन करारों को हिसाब में लेने के बाद उच्चतर बाजार मूल्य सकल प्रतिस्थापन मूल्य में भी परिलक्षित हुआ, जिसे सकल क्रेडिट एक्सपोजर भी कहा जाता है, और यह लगभग एक तिहाई बढ़कर 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। 2008 की दूसरी छमाही में ब्याज दर व्युत्पन्नियों के बाजार में पहली बार संकुचन हुआ जिसके कारण इन लिखतों की कल्पित बकाया राशि घटकर 419 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। फिर भी घटती ब्याज दर के कारण सकल बाजार मूल्य बढ़कर लगभग दुगुना हो गया। ब्याज दर स्वैप, जो कि बाजार का सबसे बड़ा खंड है, के सकल बाजार मूल्य ने 17 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर को छू लिया। अमरीकी डॉलर स्वैप बाजार में सबसे उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसका सकल बाजार मूल्य बढ़कर लगभग तीन गुना हो गया।

2.18 वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधार के बावजूद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार सरकारी समर्थन पर अत्यधिक निर्भरता, देशों पर ऋण के बढ़ते बोझ से उत्पन्न चिंताओं तथा मौद्रिक नरमी के रुख को भविष्य में समाप्त करने की रणनीति एवं राजकोषीय समर्थन के संबंध में अस्पष्टता के कारण अति नाजुक स्थिति में है।

3. वैश्विक बैंकिंग की प्रवृत्ति

2.19 वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट के कुछ संभावित कारण अत्यधिक दोषपूर्ण संस्थाओं तथा नये वित्तीय ढांचों (एनएफए)-वैश्विक रूप से एकीकृत बृहदाकार बैंक संगुटों की प्रणाली तथा निवेश बैंकों की तथाकथित 'छाया बैंकिंग प्रणाली', बचाव निधियों तथा बैंक द्वारा सृजित विशेष निवेश माध्यमों - के व्यवहारों में खोजे जा सकते हैं। ये संस्थाएं दक्ष पूंजी बाजार के वित्तीय आर्थिक सिद्धांत की एक व्यवस्था थी तथा इन पर विनियमन का स्तर काफी कम था। एनएफए ने एक के बाद एक अब तक के सबसे बड़े वित्तीय संकटों को जन्म दिया जिनका समाधान बृहदाकार सरकारी बचाव उपायों से किया गया।



सारणी II.3: वैश्विक ओवर-दि-काउंटर व्युत्पन्नी बाजार का शेष

(बिलियन अमरीका डॉलर में)

1	सकितिक राशियाँ					सकल बाजार मूल्य				
	दिसं. 2006	जून 2007	दिसं. 2007	जून 2008	दिसं. 2008	दिसं. 2006	जून 2007	दिसं. 2007	जून 2008	दिसं. 2008
कुल	4,18,131	5,16,407	5,95,341	6,83,725	5,91,963	9,791	11,140	15,813	20,353	33,889
विदेशी मुद्रा	40,271	48,645	56,238	62,983	49,753	1,266	1,345	1,807	2,262	3,917
वायदा और विदेशी मुद्रा स्वैप्स	19,882	24,530	29,144	31,966	24,562	469	492	675	802	1,732
मुद्रा स्वैप्स	10,792	12,312	14,347	16,307	14,725	601	619	817	1,071	1,588
ऑप्शन्स	9,597	11,804	12,748	14,710	10,466	196	235	315	388	597
ब्याज दर	2,91,581	3,47,312	3,93,138	4,58,304	4,18,678	4,826	6,063	7,177	9,263	18,420
वायदा दर करार	18,668	22,809	26,599	39,370	39,262	32	43	41	88	153
स्वैप्स	2,29,693	2,72,216	3,09,588	3,56,772	3,28,114	4,163	5,321	6,183	8,056	16,573
ऑप्शन्स	43,221	52,288	56,951	62,162	51,301	631	700	953	1,120	1,694
इक्विटी सहबद्ध	7,488	8,590	8,469	10,177	6,494	853	1,116	1,142	1,146	1,113
वायदा और स्वैप्स	1,767	2,470	2,233	2,657	1,632	166	240	239	283	338
ऑप्शन्स	5,720	6,119	6,236	7,520	4,862	686	876	903	863	775
पण्य	7,115	7,567	8,455	13,229	4,427	667	636	1,899	2,209	955
सोना	640	426	595	649	395	56	47	70	68	65
अन्य	6,475	7,141	7,861	12,580	4,032	611	589	1,829	2,142	890
वायदा और स्वैप्स	2,813	3,447	5,085	7,561	2,471
ऑप्शन्स	3,663	3,694	2,776	5,019	1,561
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स	28,650	42,580	57,894	57,325	41,868	470	721	2,002	3,172	5,652
एकल-नाम लिखतें	17,879	24,239	32,246	33,334	25,730	278	406	1,143	1,889	3,695
बहु-नाम लिखतें	10,771	18,341	25,648	23,991	16,138	192	315	859	1,283	1,957
अनाबंटित	43,026	61,713	71,146	81,708	70,742	1,709	1,259	1,788	2,301	3,831
ज्ञापन मदें:										
सकल ऋण एक्सपोजर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.		2,036	2,672	3,256	3,859	5,004

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2009), तिमाही समीक्षा, सितम्बर

2.20 इस ढांचे की कुछ मौलिक खामियां निम्नानुसार हैं :

1) विनियामकों ने एनएफए अर्थात दक्ष पूंजी बाजार के कमजोर तथा गंभीर रूप से भ्रामक सैद्धान्तिक आधार को मान लिया है; 2) एनएफए में अंतर्निहित प्रोत्साहनों के कारण उत्पन्न नैतिक जोखिम, जिसने वित्तीय बाजारों को अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया; 3) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों जैसे कतिपय नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद इस कदर जटिल तथा अपारदर्शी थे कि संभवतः उनका सही मूल्यन नहीं किया जा सकता था तथा तेजी का अत्यधिक उत्साह समाप्त होते ही ये धराशायी हो गए; तथा 4) एनएफए ने संक्रमण के चैनलों, जिन्होंने अमरीकी सबप्राइम

बंधक बाजार की समस्या का संक्रमण सारे विश्व में किया, के साथ अत्यधिक लीवरेज तथा उच्च प्रणालीगत जोखिम को जन्म दिया।

2.21 समग्र रूप में, उपर्युक्त कारक प्रतिभूतिकरण के व्यापक उपयोग सहित बड़े निवेश बैंकों, संस्थागत निवेशकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अदा की गयी बड़ी भूमिका को दर्शाते हैं। विश्व स्तर पर वित्तीय आस्तियों के पूंजी मूल्यांकन में हुई हानि की राशि 50 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक हो गई होगी। पूंजी की मात्रा में हुई हानि की घटना अति महत्वपूर्ण है तथा हानि की राशि लगभग एक वर्ष की वैश्विक जीडीपी¹ के बराबर है।

¹ लोसर, क्लॉडिओ एम (2009) ग्लोबल फिनांसियल टारमोयल एंड इमर्जिंग मार्केट इकॉनॉमिज: मेजर कंटाजियन एंड ए शॉकिंग लॉस ऑफ वेल्थ? एशियाई विकास बैंक।

वैश्विक वित्तीय संकट : क्रमविकास तथा उसके चरण

2.22 अविनियमन ने 1980 के दशक के प्रारंभिक समय से वित्तीय आस्तियों को वास्तविक क्षेत्र की तुलना में तेज गति से बढ़ने में मदद की और इस प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने में 1990 के दशक के उत्तरार्ध शेयर बाजार की तेजी, 1990 के दशक के परवर्ती समय में प्रारंभ हुए बंधक-आवास में तेजी तथा पिछले दशक में हुए वित्तीय नवोन्मेष की तेज गति ने मदद की। 1980 के दशक के उथल-पुथल से संभलने के बाद जीडीपी की तुलना में वित्तीय क्षेत्र के लाभ में 1990 के दशक के प्रारंभ से अंत तक वृद्धि हुई तथा 2002 के बाद इसमें और तेजी आई।

2.23 2007 की दूसरी छमाही में प्रारंभ हुए हाल के वैश्विक वित्तीय संकट को विशेषताओं के आधार पर पांच चरणों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् (1) संकट का प्रारंभ, मार्च 2008 में बिअर स्टर्नस् का अधिग्रहण किए जाने तक; (2) मार्च के मध्य से वित्तीय स्थितियों में निरंतर गिरावट से 15 सितंबर 2008 को लीमन ब्रदर्स के विफल हो जाने तक; (3) सितंबर के मध्य से अक्टूबर के बाद के समय तक, जिस दौरान वैश्विक स्तर पर विश्वास में कमी आयी, गुणवत्ता की ओर तेजी से अग्रसर होने की आपाधापी मची तथा वित्तीय प्रणाली लगभग धराशायी हो गयी; (4) अक्टूबर के उत्तरार्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट; तथा (5) मार्च 2009 के प्रारंभ में गिरावट की गंभीरतम स्थिति तथा स्थिरता के प्राथमिक संकेत (बॉक्स II.1) तथा (चार्ट II.10)।

बैंक लाभप्रदता

2.24 पोर्टफोलियो (प्रतिभूतियों के) के बाजार दरों पर मूल्यांकन किये जाने के कारण हुई हानियों तथा आर्थिक मंदी के गहराने से ऋण बहियों में आई निरंतर गिरावट के कारण पिछले वर्ष बैंकों की लाभप्रदता में भारी गिरावट हुई। यद्यपि, बैंकों के लाभ में हुई गिरावट एक वैश्विक प्रवृत्ति थी, फिर भी संकट के कारण बैंकों पर जो असर पड़ा उसमें संबंधित देश के बाजारों की स्थितियों के अनुसार भिन्नता थी।

2.25 2008 में अमरीका के बैंकों का कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष की तुलना में आधे से भी अधिक घट गया (सारणी II.4)। तथापि, पूरे वर्ष का परिणाम दूसरी छमाही में हुई तेज गिरावट को प्रकट नहीं करता। उदाहरणस्वरूप, अमरीका के तीन में से एक बैंक ने चौथी

तिमाही में हानि उठाई तथा समग्र क्षेत्र ने 1990 के बाद पहली बार तिमाही हानि दर्शाई। निवल ब्याज मार्जिन में, विशेष रूप से उन छोटे बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन में भी कमी आई जो अपनी जमाराशि की दर को घटा नहीं पाए। 2008 में अमरीका में बैंक विफलता की बाढ़-सी आ गई। 372 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र आस्तियों के साथ जमाराशि लेने वाली 25 संस्थाएं विफल हो गईं और यह राशि 1993 में हुई बैंक विफलता की अधिकतम राशि से 10 गुना अधिक है। वाशिंगटन म्यूच्युअल की विफलता की राशि कुल में से 307 बिलियन अमरीकी डॉलर थी तथा अमरीकी बैंक विफलता के इतिहास में यह सबसे बड़ी बैंक विफलता थी। विफल हुए बैंकों के अलावा, अमरीका के जमाराशि बीमाकर्ता के समस्याग्रस्त बैंकों की सूची में शामिल संस्थाओं की संख्या बढ़कर 252 हो गई और इनकी राशि 159 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। इसके अतिरिक्त, बड़ी विफलताओं को रोका गया क्योंकि कमजोर संस्थाओं को अच्छी आर्थिक स्थिति वाली संस्थाओं ने ले लिया था।

2.26 यूरोप में, 2008 में बैंक के कार्यनिष्पादन का सामान्य परिदृश्य मोटे तौर पर उत्तर अमरीका की तरह था। लाभ में सभी स्तरों पर कमी आई तथा समूह के रूप में नीदरलैंड, स्विटजरलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े बैंकों ने निवल हानि उठायी। आयरलैंड, स्पेन तथा यूनाइटेड किंगडम में पूर्व में अचल आस्तियों की कीमतों में जिस बड़े स्तर की तेजी आई उसने अचल आस्तियों के बाजार में नरमी आने के बाद विशेष रूप से बैंकों के लिए बड़ी चुनौती पैदा की। अचल आस्तियों के एक्सपोजर से कतिपय जर्मन बैंक भी प्रभावित हुए, अलबत्ता ये बैंक मुख्यतः प्रतिभूतियों की स्थिति तथा वाणिज्यिक संपत्ति के प्रति एक्सपोजर के कारण परोक्ष रूप से प्रभावित हुए। फ्रांस तथा इटली के बैंक घरेलू खुदरा बाजार के प्रति उनके तीव्र फोकस के कारण संरचित वित्तीय निवेशों के कारण हुई हानियों से कम प्रभावित हुए। जापानी बैंकों की लाभप्रदता अंशतः ढांचागत रूप से संकीर्ण निवल ब्याज मार्जिन के चलते कमजोर रही। इसके परिणामस्वरूप उनका पूंजीगत आधार कमजोर हुआ।


बैंक हानियों की संरचना

2.27 पिछले वर्ष के दौरान समष्टि आर्थिक स्थितियों में गिरावट होने से संस्थाओं ने अर्जन को बनाए रखने के दबाव तथा ऋण

बॉक्स II.1: वैश्विक वित्तीय संकट: क्रमविकास और उसके चरण

संकट के चरण	बाजार और संस्थाएं	औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं		उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	
		समष्टि आर्थिक स्थितियां	नीतिगत उपाय	समष्टि आर्थिक स्थितियां	नीतिगत उपाय
1. मार्च 2008 से पूर्व: संकट का प्रारंभ	सबप्राइम बंधक चूक के कारण व्यापक वित्तीय दबाव। हानियों के आकार तथा वितरण के संबंध में अनिश्चितता। अगस्त 2007 में अंतर बैंक बाजारों में व्यवधान आने पर संकट का प्रारंभ हुआ; मार्च 2008 तक इसकी तीव्रता में वृद्धि हुई।	वृद्धि दर में कमी आई।	केन्द्रीय बैंक (सीबी) दरों में कटौती। चलनिधि का परिचालन मुद्रा बाजारों को ध्यान में रखकर किया गया।	मुद्रास्फीति के साथ-साथ सुदृढ़ वृद्धि भी हुई। कई मुद्रास्फीति लक्ष्यकर्ताओं ने अपने लक्ष्य से अधिक का लक्ष्य निर्धारण किया।	उच्च मुद्रास्फीति के कारण नीतिगत दरों में वृद्धि।
2. मार्च के मध्य से मध्य सितंबर 2008 तक: लीमन की ओर	मार्च में बिअर स्टर्नस के अधिग्रहण के बाद गिरावट की दर में कमी आई, परंतु आस्तियों की कीमतों में गिरावट आने से बैंकों की हानियों तथा राइट डाउन में वृद्धि हुई। और अधिक देश प्रभावित हुए। चलनिधि संकट से अंतर्निहित शोध-क्षमता संकट का उजागर हुआ, वित्तीय संस्थाओं पर दबाव में वृद्धि हुई	अगस्त के बाद तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट के बावजूद जी3 की अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन हुआ।	प्रारंभ में दरों में और कटौती की गई। चलनिधि सुविधाएं बढ़ाई गयीं। सितंबर के प्रारंभ में सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमों को संरक्षण में रखा गया	जून के बाद जीडीपी वृद्धि दर में कमी आई परंतु यह धनात्मक रही। केन्द्रीय यूरोप के देशों के निर्यात में गिरावट आई।	उच्च मुद्रास्फीति के कारण दरों में पुनः बढ़ोतरी की गई।
3. 15 सितंबर 2008 से अक्टूबर 2008 के उत्तरार्ध तक: वैश्विक स्तर पर विश्वास के स्तर में गिरावट	15 सितंबर 2008 को लीमन ब्रदर्स की समाप्ति के कारण निधि प्रदान करने वाले प्रमुख बाजारों में आपाधापी मच गई। कई और वित्तीय संस्थाएं विफल हो गईं अथवा उन्हें बचा लिया गया। विश्वास की कमी ने वैश्विक स्तर पर बाजारों तथा देशों को प्रभावित किया। अभूतपूर्व तथा व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप के बाद ही स्थिति में सुधार आया।	विश्वास में कमी आने तथा वित्तपोषण की सख्त स्थिति के चलते पूर्वानुमानों को संशोधित करके काफी कम किया गया।	दरों में तेज कटौती की गई, सीबी स्वैप लाइनों को विस्तारित किया गया, सीबी के तुलनपत्र में तेज वृद्धि हुई, व्यापक स्तर पर बैंकों को बचा लिया गया, जमाराशि तथा ऋण की गारंटी दी गई।	विश्वास के स्तर में गिरावट हुई। वित्तपोषण की स्थितियां सख्त हो गईं। मुद्राओं के मूल्य में तेज गिरावट हुई।	दरों में कटौती की गई, केन्द्रीय बैंक चलनिधि की अधिक लचीली व्यवस्था की गई। जमाराशियों तथा ऋणों के लिए गारंटियां दी गईं। अधिक पूंजी डाली गई।
4. अक्टूबर 2008 के उत्तरार्ध से मार्च 2009 के मध्य तक: वैश्विक मंदी	बिगडती आर्थिक स्थिति संबंधी आंकड़ों, आय में गिरावट संबंधी रिपोर्टों के सामने आने, वर्तमान के सरकारी हस्तक्षेप के बारे में अनिश्चितता के कारण बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रहा। मंदी से हानियों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई।	खर्च में कमी आने से वस्तुओं के व्यापार तथा जीडीपी में गिरावट आई। कुछ देशों में कीमतों के स्तर में कमी आने से मुद्रास्फीति में गिरावट आई।	दरों में कटौती करके शून्य के आसपास के स्तर तक लाया गया, गैर-बैंकों को चलनिधि मुहैया कराई गई। सार्वजनिक ऋण की सीधी खरीद की गई। बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज लाए गए।	04, 2008 में जीडीपी वृद्धि दर में तेजी से कमी आई। पूंजी अंतर्वाह में विपर्यय आया।	दरों में पुनः कटौती की गई, रिजर्व संबंधी अपेक्षाओं को कम किया गया। विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप किए गए, सीबी स्वैप लाइनों में विस्तार किया गया। कुछ ईएमई में बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज लाए गए।
5. मार्च 2009 के मध्य के बाद: मंदी गहराई लेकिन गिरावट की गति कम हुई	अधिक नीतिगत कार्रवाई के बाद आस्तियों के मूल्यों में कुछ सुधार हुआ। परंतु, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में पूर्णतः विश्वास बहाली में आधिकारिक प्रयास विफल होने के कारण बाजार के कार्य सुचारु रूप से न चलने के लक्षण बने हुए हैं। ऋण हानियां जारी रहीं।	गिरावट के निम्नतम स्तर को छू लेने के संभावित लक्षणों के कारण उपभोग तथा उत्पादन में गिरावट जारी रही।	कुछ देशों में दरों में और कटौती की गई। बैंकों के लिए लेखाविधि नियमों को सरल बनाया गया।	इक्विटी बाजार संभला तथा विनिमय दर में स्थिरता आई।	ईएमई को समर्थन देने के लिए बाह्य आधिकारिक वित्तपोषण को बढ़ाया गया।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक 2009, वार्षिक रिपोर्ट, 2008-09।



बाजार दर पर इन्हें आंके जाने पर इनके मूल्यों में उल्लेखनीय कमी हुई (सारणी II.5)। जहां हानियों की मात्रा तथा प्रणाली में उनके वितरण के बारे में उल्लेखनीय रूप से अनिश्चितता की स्थिति है वहीं यह धारणा है कि ये हानियां आस्तियों की कतिपय श्रेणियों में निहित रही।

2.28 सामान्य आर्थिक मंदी, विशेष रूप से सितंबर तथा अक्टूबर 2008 की घटना के बाद विश्वास में वैश्विक स्तर पर आए संकट के बाद से जिसने संकट के बाद के चरण को जन्म दिया, का स्पष्ट अर्थ था कि बैंक हानियों का सीधा संबंध समष्टि आर्थिक कार्यानिष्पादन से है। इस अवधि में अधिकांश हानियां उधारकर्ताओं की चूक से प्रत्यक्ष रूप से तथा प्रत्याशित चूक से संबंधित था जैसा कि राशि में वृद्धि तथा प्रावधान संबंधी राशि के तुलनात्मक महत्व से स्पष्ट होता है। बैंक आस्तियों के हिस्से के रूप में ऋण हानि प्रावधान की राशि 2008 में पिछले वर्षों की तुलना में वैश्विक स्तर पर उच्चतर था (सारणी II.5)। 2007 की तुलना में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्स तथा अमरीका के बैंकों के लिए ये दरें कम से कम दुगुनी हो गईं तथा जर्मन, डच तथा स्वीडिस उधारदाताओं के लिए तो ये दरें उससे भी अधिक थीं। कमजोर आर्थिक कार्यकलापों के कारण निजी क्षेत्र की ऋण चुकाने की क्षमता पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल असर देखते हुए ऋण की लागत उच्चतर रहने की संभावना है। रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि कारपोरेट चूक की घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना है। इसके

जोखिम एक्सपोजर पर बढ़ती हानियों का सामना किया। बैंक हानियों की बदलती संरचना से उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्या की प्रकृति में आए बदलाव का पता चलता है। संकट के प्रथम चरण के दौरान बही मूल्य में आई गिरावट का संबंध संरचित वित्तीय उत्पादों के ट्रेड किए गए पोर्टफोलियो तथा सबप्राइम बंधक बाजार के प्रति प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर से था। इन लिखतों के बाजार में तरलता समाप्त हो जाने से हानियों की मात्रा और बढ़ गई जिसके कारण

सारणी II.4: प्रमुख बैंकों की लाभप्रदता
 कुल औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में

I	कर पूर्व लाभ			निवल ब्याज मार्जिन			ऋण हानि प्रावधान			परिचालन लागत		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ऑस्ट्रेलिया	1.54	1.42	0.95	1.87	1.70	1.66	0.12	0.13	0.26	1.56	1.38	1.51
ऑस्ट्रिया	1.48	1.12	0.66	1.72	1.95	2.10	0.34	0.24	0.45	2.17	2.11	2.29
कनाडा	1.22	1.12	0.48	1.52	1.48	1.42	0.09	0.13	0.21	2.37	2.27	2.00
फ्रांस	0.73	0.41	0.05	0.59	0.49	0.70	0.05	0.09	0.21	1.20	1.19	1.23
जर्मनी	0.43	0.25	-0.41	0.51	0.51	0.63	0.05	0.05	0.19	0.96	0.88	1.18
इटली	1.05	0.88	0.29	1.77	1.68	1.94	0.25	0.25	0.42	2.18	1.99	2.31
जापान	0.46	0.29	0.12	0.48	0.49	0.50	0.04	0.11	0.19	0.49	0.55	0.65
नीदरलैंड	0.48	0.30	-0.79	1.03	0.85	0.96	0.10	0.09	0.27	1.13	1.01	1.33
स्पेन	1.37	1.44	1.10	1.64	1.72	1.83	0.31	0.37	0.53	1.75	1.77	1.89
स्वीडन	0.96	0.89	0.67	0.98	0.97	0.99	-0.02	0.02	0.11	0.99	0.96	1.00
स्विटजरलैंड	0.80	0.38	-1.94	0.51	0.53	0.49	0	0.03	0.07	1.53	1.78	2.55
यूके	0.90	0.74	-0.10	1.16	1.02	0.81	0.25	0.22	0.40	1.56	1.37	1.28
यूएस	1.71	0.98	0.36	2.35	2.28	2.16	0.19	0.51	1.11	2.95	3.31	3.44

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, (2009) वार्षिक रिपोर्ट 2008-09।

सारणी II.5: घोषित बैंक घाटे की संरचना बिलियन अमरीका डॉलर में

	2007 छ2	2008 छ1	2008 छ2	2009 ति1
1	2	3	4	5
प्रतिभूतियां	120.5	97.0	106.1	21.0
प्रावधान	39.2	96.9	149.3	43.9
अचल संपत्ति	3.2	11.6	55.9	3.0
लीवरेज वाले ऋण	8.3	16.4	10.4	2.0
मॉर्गनगैरि	7.4	26.5	13.7	13.3
अन्य	27.4	47.7	100.4	10.6
कुल	206.0	296.0	435.8	93.7

टिप्पणी: घाटे को मूल मुद्रा में हुई कमी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे अवधि के अंत की विनिमय दरों पर अमरीकी डॉलर में परिवर्तित करके दिखाया गया है। यह वर्गीकरण बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा किए गए प्रकटीकरणों पर आधारित है और हो सकता है कि रिपोर्ट करने वाले सभी संस्थानों के बीच ये पूर्णतः तुलनीय न हों।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, (2009), वार्षिक रिपोर्ट, 2008-09।

अतिरिक्त, बैंकों के पारिवारिक इकाई ऋण पोर्टफोलियो का कार्यनिष्पादन आय में संकुचन की अवधि तथा उसकी गहनता पर निर्भर करेगा। अमरीकी बैंकों के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो की समस्या के प्रारंभिक संकेत दर्शाते हैं कि इसका असर पारंपरिक अनुभव के विपरीत बेरोजगारी से चूक की ओर अंतरित होगा। वित्तीय क्षेत्र कार्यनिष्पादन, ऋण की आपूर्ति तथा उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता के बीच आपसी संबंधों से स्पष्ट होता है कि बैंकों के लिए समग्र परिदृश्य बड़ी अनिश्चितताओं वाला होगा।

2.29 आधुनिक वित्तीय प्रणाली अत्यंत जटिल है और उनके बीच के आपसी सह-संबंध प्रणालीगत जोखिम को जन्म देते हैं। वित्तीय प्रणाली विश्वास पर आधारित है और लीमन की विफलता के बाद यह विश्वास समाप्त हो गया है। पिछले कुछ वर्षों दौरान वित्त की इस आवश्यक तथा जटिल प्रणाली को गंभीर रूप से क्षति पहुंची है। गंभीर समस्या के संकेत उस समय उभरने लगे जब बैंक एक दूसरे को उधार देने से बचने लगे क्योंकि वे यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि धारित आस्तियों तथा दिए गए आश्वासनों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए - उनके स्वयं के ग्राहकों के तथा संभावित उधारकर्ताओं के। कुछ समय के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा दिए गए उधार से इस अंतर को पाटा जा सका। परंतु अगस्त 2007 से एक के बाद एक हुई घटनाओं के कारण वित्तीय प्रणाली पर दबाव बढ़ गया। मार्च 2008 तक बिअर स्टर्न्स को बचाना पड़ा; छह महीने बाद 15 सितंबर को लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया; तथा सितंबर के

अंत तक स्वयं वैश्विक वित्तीय प्रणाली ध्वस्त होने की कगार पर आ गयी।

2.30 जहां अमरीका की वित्तीय संस्थाएं समस्या के मूल में थीं वहीं यूरोप के बैंकों ने भी बिल्कुल उसी प्रकार की समस्याओं का सामना किया जो इस बात को दर्शाता है राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली किस सीमा तक एक दूसरे से गंभीर रूप से जुड़ गयी है। यूरोप के बैंक सबप्राइम बंधक निवेशों से हुई हानियों, लीवरेज वाले ऋणों, वित्तीय बचाव व्यवस्था की विफलता तथा पारंपरिक ऋण हानियों में लगातार हुई वृद्धि के कारण अमरीकी बैंकों की तरह ही बुरी तरह प्रभावित हुए। एक अनुमान के अनुसार अटलांटिक के दोनों ओर के बैंकों को समग्र रूप में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक की हानि उठानी पड़ी है तथा उन्हें 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की और हानि उठानी पड़ सकती है (अनुबंध II.1)।

2.31 उभरते देशों ने वैश्विक वित्तीय बाजारों से निरंतर जुड़ने के बावजूद अमरीका की तरह कतिपय जटिल वित्तीय ढांचे का विकास नहीं किया है, परंतु इनमें से कतिपय देश राजकोषीय असंतुलन तथा / अथवा अत्यधिक विस्तारित बैंकिंग प्रणाली से उत्पन्न गंभीर बाह्य असंतुलों से प्रभावित हुए। ये देश वित्तीय तथा व्यापार चैनलों से संकट के फैलने के कारण विशेष रूप से जोखिम की स्थिति में आ गए (सारणी II.6)। तथापि, विभिन्न देशों के बीच संप्रेषण का विशिष्ट चैनल अलग-अलग हो सकता है। यह संभावना है कि बैंकों द्वारा अभी तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा पूंजी बाजार सामान्यतः कम विकसित होने के कारण वित्तीय प्रणाली के मूल ढांचे में कोई उल्लेखनीय रूप से बदलाव नहीं आएगा।

2.32 बीआइएस के अनुसार, सितंबर 2008 के मध्य में लीमन ब्रदर्स की विफलता के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग की प्रवृत्ति की विशेषता निम्नलिखित रही है:

- बैंकों ने अन्य देशों के उभरते बाजारों को दिए जाने वाले ऋण में कमी की परंतु इन देशों में से अधिकांश देशों में उनका स्थानीय परिचालन अपेक्षाकृत रूप से सुस्थिर था। रिपोर्ट करने वाले बैंकों के सभी चारों उभरते बाजार क्षेत्रों, अर्थात् उभरते यूरोप, उभरते दक्षिण अमरीका, उभरते एशिया प्रशांत क्षेत्र तथा उभरते मध्य-पूर्व/अफ्रीका, के अन्य देशों के प्रति दावों में चौथी तिमाही

सारणी II.6: वित्तीय प्रणाली को वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना

चैनल	व्यवस्था
वित्तपोषण की लागत	उच्च ब्याज दरों, उच्चतर स्प्रेड तथा इक्विटी की कम कीमतों से निधीयन की लागत में वृद्धि होती है, निवेश में कमी आती है।
ऋण उपलब्धता	सख्त वित्तीय स्थिति से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की उधार देने की इच्छा में कमी आती है।
जोखिम विमुखता	जोखिम विमुखता के उच्चतर स्तर से जोखिम प्रीमिया में तथा गुणवत्ता की ओर झुकाव की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है।
फर्म की निवल मालियत	इक्विटी तथा संपत्तियों की कीमतों में कमी आने से फर्म की निवल मालियत में गिरावट आती है जिससे गलत विकल्प के चुनाव तथा नैतिक जोखिम की समस्या बढ़ती है।
पारिवारिक इकाइयों की निवल मालियत	इक्विटी तथा संपत्तियों की कीमतों में कमी आने से पारिवारिक इकाइयों की निवल मालियत में गिरावट आती है तथा ऋण पात्रता में गिरावट आने से उन्हें उधार प्राप्त करना और कठिन हो जाता है।
विनिमय दरें	“सुरक्षित” मानी जाने वाली मुद्राओं की चाह तथा पूंजी के प्रवाह में विपर्यय होने से विनिमय दर प्रभावित होती है और इसका व्यापार पर प्रभाव पड़ता है।
विश्वास	ग्राहकों, व्यापारियों तथा निवेशकों के विश्वास के स्तर में गिरावट आती है जिससे उनके कार्यकलापों में कमी आती है।

स्रोत: सेचेट्टी, स्टीफन जी तथा और अन्य (2009), फिनांसियल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगस्त, बीआइएस।

में समग्र रूप में 282 बिलियन अमरीकी डॉलर (10 प्रतिशत) की कमी आयी तथा एशिया प्रशांत क्षेत्रों के प्रति दावों में सबसे अधिक गिरावट आई। गिरावट की प्रवृत्ति जनवरी-मार्च 2009 के दौरान जारी रही और उभरते बाजारों के प्रति विभिन्न देशों का समग्र दावा घटकर 134 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। बैंकों के अन्य देशों के प्रति दावों के विपरीत उनके विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा स्थानीय निवासियों के प्रति स्थानीय मुद्रा के दावों की मात्रा समग्र रूप में सुस्थिर रही तथा कई देशों के संबंध में इसमें वस्तुतः वृद्धि हुई।

- निधीयन के दबावों के कारण तुलनपत्रों में संकुचन हुआ। सितंबर 2008 में शुरू हुए वित्तीय प्रणाली के दबावों का असर चौथी तिमाही तक बरकरार रहा जिसने बैंकों के विदेशी पोर्जिशनों में अब तक के सबसे अधिक कमी ला दी। बीआइएस की समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (अंतिम जोखिम आधार), जो राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों के विदेशी दावों के बकाया स्टॉक को दर्शाती है, के अनुसार 2008 की चौथी तिमाही में समग्र रूप में कुल विदेशी दावों में 3.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर (-11 प्रतिशत) की कमी आयी और यह घटकर 25 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। इस कमी की अंशतः व्याख्या तिमाही के दौरान कई मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, जिसके कारण अमरीकी डॉलर में प्रकट करने पर गैर-अमरीकी डॉलर पोर्जिशनों के बकाया स्टॉक में कमी आती है, के रूप में

की जा सकती है। जहां अधिकांश प्रमुख बैंकिंग प्रणालियों ने कमी रिपोर्ट की वहीं यूरोप के बैंकों के पोर्जिशनों में अत्यधिक गिरावट आई।

- लीमन ब्रदर्स के दिवालिया हो जाने के कारण बैंकों के निधीयन के स्रोतों में अस्थिरता के संकेत दिखाई दिए। 2008 की चौथी तिमाही के अंत तक अंतरराष्ट्रीय अंतर बैंक दावों की राशि में रिकार्ड स्तर की गिरावट आई (953 बिलियन अमरीकी डॉलर, अंतर कार्यालय दावों को छोड़कर)। यूरो में मूल्यवर्गित दावों में सर्वाधिक गिरावट आई, जो मुख्यतः यूरो क्षेत्रों के बीच अंतर बैंक उधारी के घटे हुए स्तर को दर्शाती है। बीआइएस के समेकित बैंकिंग सांख्यिकी के अनुसार बैंकिंग प्रणाली-वार यूरोप के बैंकों, मुख्यतः डच, स्विस, जर्मन तथा यूके के बैंकों, ने अंतर बैंक पोर्जिशनों में सबसे अधिक गिरावट रिपोर्ट की।

2.33 मौद्रिक तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के अलावा कई देशों ने वित्तीय क्षेत्र से संबंधित संकट प्रबंधन नीतियों की व्यापक शृंखला को लागू किया। जो प्रमुख कार्रवाई की गई उनमें ऋणदाता सुरक्षा कार्यक्रमों की स्थापना तथा बैंकों की पूंजी में वृद्धि किया जाना शामिल हैं (परिशिष्ट सारणी II.1)। जो अतिरिक्त उपाय किए गए उनमें बैंकों के संकटग्रस्त आस्तियों की समस्या से निपटने संबंधी उपाय शामिल थे। संकट की अवधि के दौरान जो नीतिगत उपाय किए गए उनका लक्ष्य संकट की रोकथाम से लेकर बाद के पुनर्गठन तथा आस्ति प्रबंधन से संबंधित था।

2.34 सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स के दिवालिया हो जाने के बाद से उत्पन्न संकट के गहराने के प्रत्युत्तर में केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों द्वारा मुद्रा बाजारों तथा वित्तीय संस्थाओं की सहायता हेतु जो नीतिगत उपाय किए गए वे बहुस्तरीय तथा व्यापक थे। इस दौरान जो मौद्रिक नीतिगत उपाय किए गए उनमें चलनिधि को बढ़ाए जाने, नीतिगत दरों में कटौती करने तथा निजी जमाराशियों की गारंटी बढ़ाने तथा बैंक ऋणों के लिए गारंटियां देने जैसे वित्तीय सुरक्षा दायरे के ढांचे में परिवर्तन करने आदि प्रमुख हैं। जहां विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति के नरम रुख को जारी रखा वहीं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों द्वारा किए गए वित्तीय क्षेत्र बचाव कार्यक्रमों का उद्देश्य विशिष्ट संस्थाओं के प्रति उद्दिष्ट विशेष कार्रवाई तथा प्रणालीव्यापी कार्यक्रमों के जरिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को समर्थन देना था। संकट के दौरान वित्तीय संस्थाओं के लिए निधियों के पारंपरिक स्रोतों के सूख जाने के कारण सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इस दौरान जो उपाय किए गए उनमें : (i) बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए पूंजी को बढ़ाया जाना; (ii) बैंकों को थोक आधार पर निधीयन प्राप्त करने हेतु सहायता के लिए देयताओं पर स्पष्ट गारंटी दिया जाना; तथा (iii) बैंकों को बड़ी हानियों से बचाने के लिए उनके संकटग्रस्त पारंपरिक आस्तियों की खरीद अथवा उनके संबंध में गारंटी देना शामिल थे। किए गए उपायों में वाणिज्यिक पत्र अथवा बंधक बांडों की खरीद के लिए निधि की स्थापना तथा सॉर्ट-सेलिंग को बंद करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय शामिल थे। इस तरह के हस्तक्षेप का लक्ष्य वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं को व्यापक स्तर पर दिवालिया हो जाने से बचाना तथा वित्तीय मध्यस्थन के कार्यों को सामान्य बनाने में मदद करना था (बॉक्स II.2)।

4. वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का परिदृश्य

2.35 वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। यह अपेक्षा है कि वे कम 'फैशनेबल' हों, यहा तक कि वे राज्य की अधिक भागीदारी, बेहतर निवेशक जांच तथा पूंजी के पर्याप्त उच्च स्तर के साथ अत्यधिक विनियमित उद्योग हों। इसके कारण पिछले कुछ दशकों की अवधि की तुलना में बैंकों की वृद्धि दर, लाभ की मात्रा तथा उतार-चढ़ाव में कमी आ सकती है - एक ऐसी प्रवृत्ति जिसे वृद्धि के प्रमुख प्रेरकों के अभाव की संभावना को देखते हुए मध्यावधि में तीव्र किया जा सकता है।

विश्लेषण के अनुसार, वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग का परिदृश्य अनिश्चित रहने का अनुमान है। अल्पावधि में परिदृश्य गंभीर प्रतीत होता है जबकि दीर्घावधि की संभावनाओं के प्रेरक तत्व बहाली के प्रारंभिक लक्षणों की ओर संकेत करते हैं (बॉक्स II.3)। विशेष रूप से ऋण में वृद्धि की दर कम होने, ऋण हानियों के अधिक होने तथा पूंजी बाजार कार्यकलापों से आय की मात्रा कम होने के कारण अमरीका के बैंकों के लिए ये वर्ष कम लाभप्रदता वाले वर्ष होंगे। दूसरी बात यह कि जहां बैंकिंग में समेकन की प्रक्रिया जारी रह सकती है वहीं वित्तीय वैश्वीकरण तथा बाजार समेकन की अपेक्षा घरेलू बाजारों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। तीसरी बात, एक सामान्य प्रभाव यह हो सकता है कि बैंकों के प्रति विश्वास में भारी गिरावट आए तथा उनकी सम्मान को ठेस पहुंचे। बैंकिंग सेवाओं की मांग अपेक्षाकृत कम लचीली होने के कारण अल्पावधि में इसका प्रतिकूल असर न पड़ने पर भी दीर्घावधि में बैंकों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। अतः, व्यापक स्तर पर परिवर्तित कारोबारी परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने के अलावा बैंकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि किस प्रकार सार्वजनिक प्रतिष्ठा में यथाशीघ्र सुधार किया जाए तथा ग्राहकों, नीति-निर्माताओं तथा जनसाधारण के विश्वास को पुनः प्राप्त किया जाए।

5. वैश्विक संदर्भ में भारतीय बैंकिंग

2.36 भारतीय बैंकिंग की गतिविधियों का विश्लेषण वैश्विक गतिविधियों तथा संप्रेषण के विविध चैनलों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। सारणी II.7 में विभिन्न देशों के संदर्भ में भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति दर्शाया गया है। विभिन्न देशों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यद्यपि भारतीय बैंकिंग ने स्वस्थ प्रवृत्ति को दर्शाया है तथापि उल्लेखनीय पक्ष यह है कि भारत में अब तक बैंकिंग संकट की घटना नहीं हुई है। वैश्विक संकट से भारत के अछूता रहने के कतिपय कारण इस प्रकार हैं: (1) क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार के विकास का आरंभिक स्तर; (2) प्रतिभूतिकरण संबंधी विनियामक दिशा-निर्देश लाभ को तत्काल आधार पर हिसाब में लेने की अनुमति नहीं देता; (3) उन विवेकपूर्ण नीतियों का दृढ़ता से पालन करना जो संस्थाओं को अत्यधिक जोखिम उठाने तथा वित्तीय बाजारों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव तथा उथल-पुथल वाली स्थिति के आने से रोकती है; तथा (4) बैंकों के पर्यवेक्षणों तथा विनियमन के बीच स्थित आपसी समन्वय।

बॉक्स II.2: वित्तीय क्षेत्र बचाव कार्यक्रम - एक मूल्यांकन

वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली को समर्थन देने के लिए की गई कार्रवाइयों का स्तर अभूतपूर्व था। बीआइएस के अनुमान के अनुसार ग्यारह देशों (नामतः, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, स्विटजरलैंड, यूनाइटेड किंगडम तथा अमरीका) द्वारा विभिन्न पैकेजों के लिए वचन दी गई संसाधन राशि की कुल मात्रा 5 ट्रिलियन यूरो अथवा जीडीपी का 18.8 प्रतिशत थी; परिव्यय की राशि 2 ट्रिलियन यूरो अथवा जीडीपी का 7.6 प्रतिशत थी।

विभिन्न देशों के बीच हस्तक्षेप की राशि की मात्रा भिन्न-भिन्न रही है: यूनाइटेड किंगडम तथा नीदरलैंड जैसे देशों में यह राशि अधिक थी जहां परिव्यय की राशि उनकी जीडीपी का क्रमशः 44.1 प्रतिशत तथा 16.6 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इन देशों की बैंकिंग प्रणाली का आकार वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में बड़ा है तथा इसमें बड़ी संस्थाओं का प्राधान्य है और ये संस्थाएं संकट के कारण बुरी तरह प्रभावित हुईं। जापान (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) तथा इटली (0.6 प्रतिशत) जैसे उन देशों में हस्तक्षेप की राशि कम थी जहां बैंकों का फोकस पारंपरिक ऋण संबंधी कार्यकलापों पर था और ये हाल तक संकट से कम प्रभावित हुए। पूंजी की कमी तथा निधियन संबंधी समस्या के समाधान हेतु की गई कार्रवाई व्यापक थी तथा इसने सामान्यतः प्रणालीव्यापी कार्यक्रम का स्वरूप ले लिया। बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी उपाय आम नहीं थे तथा ये मुख्यतः चुनिंदा बड़ी संस्थाओं पर केंद्रित थे। तथापि, हाल ही में किए गए कतिपय उपायों में अंतरल अथवा “अशोध्य” आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए तैयार की गई व्यापक योजनाएं शामिल हैं। पुनः पूंजीकरण तथा ऋण गारंटी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बैंकों के बीच, जिन मध्यस्थ संस्थाओं ने शेयरधारकों की इक्विटी की तुलना में अधिक पूंजी प्राप्त की उन्होंने गारंटी के अंतर्गत अधिक देयताएं (कुल देयताओं की तुलना में) भी जारी कीं। इसके अतिरिक्त, पूंजी डालने के पूर्व के दृष्टांत के बाद आस्तियों की खरीद की गई/ गारंटी दी गई और यह बात इस ओर संकेत करती है कि संकटग्रस्त संस्थाओं में विश्वास की पूर्णतः बहाली हेतु सरकारी समर्थन के पहले चरण के विफल हो जाने के बाद इस विकल्प का उपयोग किया गया। पात्र संस्था-वार औसत उद्ग्रहण(अपटेक) अनुपात (अर्थात् सकल प्रतिपद्धताओं की तुलना में कार्यक्रम विशेष के अंतर्गत परिव्यय का अनुपात) ऋण गारंटियों (20 प्रतिशत से कम) की तुलना में पूंजी के अंतर्वेशन(लगभग 50 प्रतिशत) के लिए अधिक था। पूंजी अंतर्वेशन तथा ऋण गारंटी दोनों के लिए यूनाइटेड किंगडम की सहभागिता दर सर्वाधिक थी जो शायद प्रमुख बैंकों की संख्या तुलनात्मक रूप

से कम होने तथा सरकारी कार्यक्रमों को जरूरतों के मुताबिक ढाले जाने की ओर संकेत करती है।

विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को वित्तीय प्रणाली के व्यापक विघटन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने शीर्ष के 20 बैंकों के लिए ही 200 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक राशि नई पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई, इसके अतिरिक्त काफी बड़ी राशि की आस्तियां भी उपलब्ध कराईं एवं ऋण गारंटियां दीं। यह स्पष्ट है कि उन्नत देशों का बैंकिंग क्षेत्र अब काफी हद तक बड़े स्तर के सरकारी समर्थन पर निर्भरशील है। यदि वैश्विक बैंकिंग उद्योग के मूल्य में होने वाली तात्कालिक हानि की मात्रा बड़ी हो तो जीडीपी में हानि की दृष्टि से आगे आने वाली चुनौतियों का स्तर और भी बड़ा होगा। वित्तीय क्षेत्र बचाव उपायों के प्रभावों का सार निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

- सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप बैंकों की चूक जोखिम को कम करने में, विशेष रूप से अल्पावधि में, प्रभावी हुए हैं। औसत आधार पर, प्रणालीव्यापी बचाव पैकेजों की घोषणा के बाद सीडीएस प्रीमिया में कमी आयी, विशेष रूप से पूंजी अंतर्वेशन की घोषणा के लिए।
- सीडीएस स्प्रेड की दृष्टि से देशों के बीच सकारात्मक सह-संबंध है क्योंकि अन्य देशों द्वारा घोषणा के बाद उनमें “शीघ्र गिरावट” के लक्षण दिखे।

इन घटनाक्रमों से महत्वपूर्ण धारणाएं उभर रही हैं। प्रथमतः, सरकारी हस्तक्षेप, कम-से-कम अब तक, बैंकों के लिए “सकारात्मक चक्र” की शुरुआत हेतु पर्याप्त नहीं रहा है ताकि यह देखा जा सके कि पूंजी तथा उधारी में सुदृढ़ वृद्धि के साथ-साथ उधार देने तथा लाभ में भी वृद्धि हो। उदाहरणस्वरूप, 2009 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियन की राशि के हिस्से अथवा सरकार द्वारा दी गई गारंटी में तेजी से कमी आयी। द्वितीयतः, बचाव उपाय वित्तीय प्रणाली में स्थिरता लाने हेतु प्रभावी रहे हैं, परंतु विकृति तथा दक्षता में कमी के रूप में इनकी कीमत चुकानी पड़ी है। यह स्थिरता एवं वित्तीय प्रणाली की दक्षता के बीच चुनाव करते समय विचार किए जाने वाले मुद्दे का उदाहरण है।

संदर्भ:

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2009), वित्तीय क्षेत्र बचाव कार्यक्रमों का एक आकलन, बीआइएस पेपर 48, जुलाई।

2.37 वैश्विक तथा भारतीय बैंकिंग के बीच अन्य उल्लेखनीय अंतरों को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि अन्य देशों में जहां प्रतिकूल घटनाओं का चक्र वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक क्षेत्र की ओर बढ़ा वहीं इसके विपरीत भारत में बैंकिंग क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र से प्रभावित हुआ। दूसरा, वित्तीय क्षेत्र सुधारों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए अब तक जो प्रयास किए गए उनसे काफी लाभ हुआ। सुधार की गति तथा उसके कार्यान्वयन के समय के चुनाव संबंधी निर्णय

लेते समय जिस बात पर विचार किया गया वे वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ावों के प्रबंधन तथा मौद्रिक परिचालनों के संचालन के असर से संबंधित थे। विभिन्न मोर्चों पर क्रमबद्ध तथा समन्वित रूप से लागू करने हेतु बल देते हुए वित्तीय क्षेत्र सुधार के संबंध में जो सोचा-समझा दृष्टिकोण अपनाया गया उसने भारत के हितों की भली-भांति रक्षा की। प्रचलित अभिशासन संबंधी मानकों, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा देश में वित्तीय प्रणालियों के प्रोत्साहन ढांचे को ध्यान में रखने के साथ-साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त

बॉक्स II.3: वित्तीय संकट के बाद वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य - ड्यूश बुंड्सबैंक रिसर्च का दृष्टिकोण

वैश्विक वित्तीय संकट के कारण अमरीका तथा यूरोप के बैंकों के परिचालनात्मक ढांचे में उल्लेखनीय बदलाव आने से अल्पावधि में संभावनाएं गंभीर बनी रह सकती हैं। उद्योग का पुनःविनियमन मौलिक रूप से किए जाने, स्वामित्व का ढांचा बड़ी राशि की सरकारी सहायता के कारण सरकारी क्षेत्र की ओर झुक जाने तथा निवेशकों की कड़ी जांच की जरूरत महसूस होने के कारण समग्र बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि तथा लाभप्रदता में कमी आने की संभावना है। इक्विटी अनुपात उल्लेखनीय रूप से अधिक रहेगा।

प्रमुख प्रेरक तत्वों की कमी : पिछले 15 वर्षों के दौरान अमरीका के बैंकों के कार्यनिष्पादन में जो सुधार हुआ वह मुख्यतः उधारी में सुदृढ़ वृद्धि तथा निम्नतर ऋण हानियों के कारण था। निजी घरेलू इकाइयों द्वारा अपने ऋण को कम करने के कारण यूरोपीय देशों तथा विशेष रूप से अमरीका में आय की वृद्धि की दर में कमी आने की संभावना है। कारोबारी आय तथा प्रतिभूतिकरण जैसे आधुनिक पूंजी बाजार कार्यकलापों के महत्व में कमी आने के साथ-साथ ऋण प्रदान की वृद्धि दर में गिरावट आने तथा ऋण से होने वाली हानियां अधिक होने के कारण बैंकों के लिए वृद्धि के प्रमुख कारक तत्वों में कमी आ सकती है।

समेकन जारी रह सकता है परंतु भिन्न फोकस के साथ: डीलियों की संख्या काफी होने पर भी लेनदेनों की मात्रा में कमी आने की संभावना है तथा रणनीति आधारित विलयन तथा अधिग्रहण की अपेक्षा पुनःसंरचना का प्राधान्य हो सकता है। घरेलू डीलियों की संभाव्यता में वृद्धि हुई है जबकि अंतर-देशीय विलयनों की संख्या में कमी आयी है।

यूरोप के बैंकों के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया धीमी होने की संभावना: भावी संभावनाएं, विशेष रूप से विदेशी बाजारों की अनिश्चितता संबंधी संभावनाएं तथा पूर्णतः राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र स्थिरीकरण हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम आदि ऐसे कारक हैं जो घरेलू बाजारों के पुनर्गठन की ओर प्रेरित करते हैं। यह बात उन यूरोपीय बैंकों के लिए अधिक प्रासंगिक है जिन्होंने यूरोप के अन्य देशों में हाल ही में काफी हद तक विस्तार कर लिया है जबकि अमरीका के बैंक विदेश की ओर रुख करने की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय बाजार को अपना लक्ष्य बना सकते हैं।

आय तथा लाभ संबंधी गतिविधियों के संबंध में दीर्घावधि परिदृश्य निम्नानुसार है:

- कारोबारी आय में हुई तेजी का दौर, जिसने हाल के व्यापार चक्र के चढ़ाव वाले दौर में निवल आय की वृद्धि में मदद की थी, समाप्त हो गया जिसके कारण बैंकों ने स्वामित्व वाले कारोबार के लिए निर्धारित संसाधनों में कमी की। हालांकि कारोबारी आय में स्वामित्व वाले कारोबार की अतिरिक्त बचाव व्यवस्था (हेज) संबंधी लाभ-हानि आदि भी शामिल होती है, परंतु इसके बावजूद बाजारों के सामान्य स्थिति में आ जाने पर भी यह समग्र आय में कारोबारी आय से होने वाले बड़े स्तर के योगदान की संभावना को सीमित कर देती है। इसके अतिरिक्त, स्वामित्व के ढांचे में मौलिक बदलाव - सार्वजनिक शेयरधारकों के काफी अधिक प्रभाव- के कारण पूंजी बाजार कार्यकलापों में अधिक जोखिम उठाने के प्रति बैंकों की रुचि में कमी आएगी।
- वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिम को देखते हुए वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से ट्रेडिंग के खंड में जोखिम एक्सपोजर को कम करने हेतु बल दिया जा रहा है। प्रबंधन के अधीन स्थित आस्तियों की मात्रा के कम होने, लेनदेनों की संख्या में कमी आने तथा ग्राहकों द्वारा अत्यधिक मांग किए जाने वाले उत्पादों पर मार्जिन कम होने के कारण शुल्क तथा कमीशन में कमी आने की संभावना है। बैंकों के प्रति ग्राहकों के विश्वास में कमी आई है जिसने ग्राहकों को अत्यधिक चलनिधि युक्त तथा सुरक्षित आस्ति की श्रेणियों एवं सरल, मानकीकृत तथा “पण्य” के स्तर की आस्तियों की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया है और तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करने के कारण उनकी मार्जिन में कमी आ गई है। इसके अलावा, भविष्य में आर्थिक वृद्धि की दर कम होने की संभावना को देखते हुए भुगतान सेवाओं जैसे ऋण से असंबद्ध कारोबारी क्षेत्रों, जिनके कारोबार की मात्रा जीडीपी में वृद्धि की दर से काफी हद तक जुड़ी हुई है, से होने वाली आय की वृद्धि दर में कमी आ सकती है।

- **यूरोपीय तथा अमरीकी बैंकों के बीच उल्लेखनीय अंतर:** चूंकि यूरोप के अधिकांश बैंक सेवाओं की व्यापक शृंखला प्रदान करने वाले यूनिवर्सल बैंकों के रूप में कार्य करते हैं, अतः उनकी गैर ब्याज आय का एक उल्लेखनीय हिस्सा लेनदेनों तथा आस्ति प्रबंधन सेवाओं से मिलने वाले शुल्क तथा कमीशन से प्राप्त होता है। दूसरी ओर अमरीका में बैंक, ब्रोकर तथा आस्ति प्रबंधन फर्म अलग-अलग संस्थाएं होती हैं। अतः कुछ अमरीकी बैंकों द्वारा आय के सुस्थिर स्रोत के रूप में आस्ति प्रबंधन के कारोबार को अपनाए जाने के बावजूद इन बैंकों की आय में आस्ति प्रबंधन शुल्क तथा ब्रोकरेज कमीशन से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा कम होता है। साथ ही, चूंकि अमरीका में अधिकांश बैंकों का फोकस पूर्णतः खुदरा बैंकिंग गतिविधियों की ओर होता है, अतः वहां अन्य शुल्क जैसे कार्ड एटीएम, चेक तथा बैंक ओवरड्राफ्ट एवं सर्विसिंग सेवाओं के उपयोग संबंधी शुल्क की भूमिका अधिक होती है।
- **अगले कुछ वर्षों के दौरान आय में प्रत्याशित वृद्धि हेतु निहितार्थ:** जहां यूरोप के बैंक पूंजी बाजार में पारंपरिक के रूप से कम समर्थनकारी स्थितियों - कम मूल्यन के कारण प्रबंधन के अधीन स्थित आस्तियों पर प्रतिकूल असर पड़ने तथा ग्राहकों द्वारा ट्रेडिंग अथवा निवेश करने से विरत रहने- का सामना करते रहे हैं वहीं यूएस के बैंकों की शुल्क तथा कमीशन से होने वाली आय की राशि गिरावट के दौर में भी सुदृढ़ रही है। मुद्रास्फूर्ति के कम दबाव के चलते ढांचागत रूप से ब्याज दरें कम होने से अंततः ब्याज से प्राप्त निवल आय में वृद्धि हुई है। घटती ब्याज दरें बैंकों के लिए लाभदायक होती हैं क्योंकि संबंधित बाजार खंडों में प्रतिस्पर्धा के स्तर में भिन्नता के कारण ब्याज दर में परिवर्तन का अंतरण (पास-थ्रू) तुलनपत्र के आस्ति तथा देयता पक्ष में भिन्न-भिन्न रूप में पड़ता है।
- **आने वाले वर्षों में एक ढांचागत परिवर्तन आ सकता है, परंतु यह बहस का मुद्दा है:** बैंकों की ब्याज आय को सुदृढ़ करने में मदद करने वाले एक अन्य कारक अर्थात् ब्याज दर में दीर्घावधि गिरावट से मिलने वाला लाभ भी ब्याज दरों के पहले ही निचले स्तर तक पहुंच जाने के कारण समाप्त हो गया है। विश्व के देशों की सरकारें बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने तथा मंदी के असर को कम करने के लिए बड़े स्तर के राजकोषीय घाटे का सहारा ले रही हैं। चूंकि अधिकांश विकसित देश अति अनुकूल समय में भी संतुलित बजट का स्तर प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अतः आने वाले वर्षों में ढांचागत सुधार की दिशा में हुई देरी का प्रतिकूल असर पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप, आइएमएफ का पूर्वानुमान है कि अमरीका का जीडीपी की तुलना में सरकारी ऋण अनुपात 2007 के 63 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 90 प्रतिशत हो जाएगा, यूके में 44 प्रतिशत से बढ़कर 69 प्रतिशत तथा जर्मनी में 65 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो जाएगा। सरकारी बांडों विशेष रूप से अल्प अवधि की परिपक्वता वाले बांडों के निर्गम की गति में 2008 की शरत् से तेजी आ चुकी है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी गारंटीवाले अतिरिक्त बांड जारी किए जा रहे हैं। सरकारी ऋण की मात्रा में वृद्धि होना एक ऐसा कारक है जिसके कारण बाजार की स्थितियां सामान्य होते ही ब्याज दर में वृद्धि होने की संभावना रहती है।
- **ऋण हानियां कम होने की संभावना:** बैंकों के लाभ की मात्रा को एक नए उच्चतर स्तर तक ले जाने वाले एक अन्य कारक अर्थात् ऋण हानियों की कम मात्रा में पहले ही बदलाव आ चुका है और यह बैंकों की लाभप्रदता के लिए एक प्रमुख बोझ बन गया है। यदि वर्तमान संकट के दौरान यूरोप में अशोध्य ऋण प्रभार की मात्रा 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों के स्तर से बढ़कर सकल ऋण के 2 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो, जिसकी संभावना भी है, इससे वस्तुतः एक वर्ष की निवल ब्याज आय की राशि पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

संदर्भ:

ड्यूश बैंक रिसर्च (2009), ग्लोबल बैंकिंग ट्रेन्ड्स आफ्टर दि क्राइसिस, जून WWW.dbresearch.com.

सारणी II.7: विभिन्न देशों के चुनिंदा बैंकिंग संकेतक - एक तुलना

(प्रतिशत)

देश	जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) के प्रति विनियामक पूंजी				कुल ऋण के प्रति गैर निष्पादक ऋण				गैर निष्पादक ऋण के प्रति प्रावधान				आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)			
	2002	2006	2007	2008	2002	2006	2007	2008	2002	2006	2007	2008	2002	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
विकासशील अर्थव्यवस्थाएं																
अर्जेन्टीना	-	-	16.9	16.8	18.1	3.4	2.7	2.5	73.8	130.2	129.6	130.9	-8.9	2	1.5	1.6
ब्राजील	16.6	18.9	18.7	16.6	4.5	4.1	3.0	2.9	155.9	152.8	181.8	170.9	2.1	2.5	2.9	2.0
चीन	-	-	8.4	8.2	26.0	7.5	6.7	2.5	-	-	39.2	115.3	-	0.9	1.0	-
भारत	12.0	12.4	12.3	13	10.4	3.5	2.5	2.3	-	58.9	56.1	52.6	0.8	0.9	0.9	1.0
इंडोनेशिया	20.1	21.3	19.3	16.8	24.0	13.1	4.1	3.5	130	99.7	87.7	98.5	1.4	2.6	2.8	2.6
कोरिया	11.2	12.8	12.3	10.9	2.4	0.8	0.7	1.1	89.6	175.2	199.1	155.4	0.6	1.1	1.1	-
मलेशिया	13.2	13.5	13.2	12.6	15.9	8.5	6.5	5.1	38.1	50.7	77.3	86.9	1.3	1.3	1.5	1.6
मेक्सिको	15.7	16.3	15.9	15.3	3.7	2.1	2.7	2.5	138.1	207.4	169.2	184	0.7	3.1	2.7	1.8
फिलीपींस	16.9	-	15.7	15.5	26.5	18.6	5.8	5.2	30.1	37.4	81.5	84.1	0.8	1.3	1.3	1.1
रूस	19.1	14.9	15.5	14.5	5.6	2.6	2.5	2.5	112.5	159.3	144.0	140.0	2.6	3.2	3.0	1.6
दक्षिण अफ्रीका	12.6	12.3	12.8	12.5	2.8	1.2	1.4	2.6	46.0	-	-	-	0.4	1.4	1.4	1.8
थाईलैंड	13.0	13.8	14.8	15.3	15.7	7.5	7.9	6.5	62.9	79.4	86.5	-	-	2.3	0.1	-
तुर्की	24.4	21.1	19.0	17.7	12.7	3.2	3.5	3.3	64.2	90.8	88.4	81.6	1.2	2.4	2.8	2.2
विकसित अर्थव्यवस्थाएं																
ऑस्ट्रेलिया	9.6	10.4	10.2	10.9	0.4	0.2	0.2	0.5	106.2	204.5	183.7	87.2	1.4	-	1.0	0.9
कनाडा	12.4	12.5	12.1	12.7	1.6	0.4	0.7	1.1	41.1	55.3	42.1	34.7	0.4	1.0	0.9	1.3
फ्रांस	11.5	-	10.1	-	4.2	3.2	2.7	-	58.4	58.7	61.4	-	0.5	-	0.4	-
जर्मनी	12.7	-	12.9	-	5.0	4.0	2.7	-	-	-	77.3	-	0.1	0.5	0.2	-
इटली	11.2	10.7	10.4	-	6.5	5.3	4.6	-	-	46	49.5	-	0.5	0.8	0.8	-
जापान	9.4	13.1	12.9	12.3	7.4	2.5	1.5	1.5	-	30.3	26.4	24.9	-0.7	0.4	0.2	0.3
यूनाइटेड किंगडम	13.1	12.9	12.6	-	2.6	0.9	0.9	-	75.0	-	-	-	0.4	0.5	0.4	-
संयुक्त राज्य अमरीका	13.0	13.0	12.8	12.5	1.4	0.8	1.4	2.3	123.7	137.2	93.1	84.7	1.3	1.3	0.8	0.3

स्रोत: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल 2009, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

रक्षोपाय सुनिश्चित किए गए हैं। समग्र रूप में, सावधानीपूर्वक तैयार की गयी इन प्रगतिशील नीतियों ने समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता के परिवेश के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने में योगदान दिया है। नीतिगत चुनौती यह है कि किस प्रकार मूल्य स्थिरता सहित उच्च वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय उथल-पुथल की अवधि के दौरान भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

2.38 सरकार तथा केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष समर्थन देना जारी रखा। तथापि, जहां समर्थनकारी उपाय काफी बड़े स्तर के थे वहीं सरकारी वित्तपोषण जरूरतों का तात्कालिक प्रभाव गारंटियों के रूप में सीमित था जिसके लिए सरकारी

वित्तपोषण अग्रिम में करने की जरूरत नहीं होती तथा अन्य समर्थन प्रदान करनेवाली संस्थाएं सामान्यतः सरकारी क्षेत्र से इतर संस्थाएं होती हैं। वित्तीय समर्थन कार्यकलापों से संबंधित सरकार द्वारा अग्रिम में की जाने वाली वित्तपोषण की राशि की आवश्यकता उन्नत जी-20 देशों के लिए जीडीपी का 5.5 प्रतिशत तथा उभरते जी-20 देशों के लिए जीडीपी का 0.4 प्रतिशत आंकी गयी है (सारणी II.8)। अब तक सरकारों द्वारा दिए गए वित्तीय क्षेत्र समर्थन सामान्यतः पहले घोषित समर्थन से उल्लेखनीय रूप से कम था। इस परिणाम के पीछे कई कारक दिखाई देते हैं जिनमें ये शामिल हैं : प्रारंभिक घोषणाओं की रक्षोपायी प्रकृति, बढ़ती स्थिरता के लक्षण तथा बैंक चलनिधि की बेहतर स्थिति, पुनः पूंजीकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगने वाला समय-अंतराल

सारणी II.8: वित्तीय और अन्य क्षेत्रों को सहायता

(जून, 2009 की स्थिति; अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर 2008 की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

1	2	3	4	5	6
पूंजी अंतर्वेशन	ट्रेजरी द्वारा आस्तियों की खरीद और ऋण प्रदान	गारंटी	केंद्रीय बैंक द्वारा चलनिधि प्रावधान और अन्य समर्थन	सरकार द्वारा अग्रिम वित्तपोषण	
जी-20 का औसत	2.2	3.5	8.8	9.3	3.6
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	3.4	5.3	14.0	6.9	5.5
बिलियन अमरीकी डॉलर में	1,149	1,937	4,646	2,514	1,849
उभरती अर्थव्यवस्थाएं	0.2	0.3	0.1	13.6	0.4
बिलियन अमरीकी डॉलर में	22	38	7	1,605	47

स्रोत: होर्टन, मार्क, कुमार, मनमोहन और मौरो पाओलो (2009), दि स्टेट ऑफ पब्लिक फिनान्सेस: ए क्रॉस कंट्री फिस्कल मॉनिटर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष स्टाफ पोजिशन नोट, एसपीएन/09/21।

तथा आस्तियों की खरीद। केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं का उपयोग कई देशों में सीमित स्तर तक किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि स्थितियां उतनी गंभीर नहीं थी जितना उनकी घोषणाओं के समय अनुमान लगाया था।

6. निष्कर्ष

2.39 महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र बचाव कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से सफल रहने के बावजूद इसका विखंडनकारी प्रभाव भी पड़ा तथा

प्रमुख ढांचागत वृद्धि के प्रेरक तत्वों के अभाव में भावी वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य जटिल दिखाई देता है। वित्तीय क्षेत्र समस्या का हिस्सा न होते हुए भी भारत बाह्य आघातों तथा वित्तीय, वास्तविक तथा विश्वास चैनलों के माध्यम से उत्पन्न घरेलू संवेदनशीलताओं के प्रतिपुष्टि चक्र के जरिए प्रभावित हुआ। तथापि, भारतीय बैंकिंग पर संकट का असर प्रखर नहीं था तथा यदि भारतीय बैंकिंग अपने अंदर के ढांचागत प्रेरक तत्वों का लाभ उठा सके तो उसके सम्मुख तुलनामूलक रूप से बेहतर परिदृश्य हो सकता है।

नीतिगत वातावरण

इस अध्याय में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 (सितंबर 2009 तक) की मौद्रिक, बैंकिंग (वाणिज्यिक और सहकारी), विनियामक और वित्तीय नीतिगत गतिविधियों को प्रलेखित किया गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में, हाल के नीतिगत पहलों में वृद्धि की गति में आई मंदी को रोकने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर फोकस किया गया। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पहलों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का अबाधित प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ बैंकिंग प्रणाली एवं वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ करना था। वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली के विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण की नीतियों को सुदृढ़ बनाया गया। चल रही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया क्योंकि समावेशक वृद्धि के प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने तथा कमजोर संस्थाओं को समाप्त करने के लिए इस क्षेत्र में पहल किए गए हैं। बैंकों को ग्राहकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय किए गए। वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने तथा बैंकिंग प्रणाली की समग्र दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकीय उन्नयन को उचित प्राथमिकता प्रदान की गई। यतः भुगतान और निपटान प्रणाली का कारगर तरीके से कार्य करना वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने तथा मौद्रिक नीति के संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अतः वर्ष के दौरान उसकी परिचालनात्मक दक्षता सुधारने के लिए कई उपाय किए गए।

1. प्रस्तावना

3.1 वैश्विक मंदी का बने रहना सामान्य रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए तथा विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूरे विश्व में एक परीक्षा की घड़ी है। वित्तीय उथल-पुथल से विकीर्ण प्रभावों से निपटाना सरकारों एवं केंद्रीय बैंकों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि संकट का प्रभाव काफी व्यापक और गंभीर बन गया है। वैश्विक वित्तीय बाजारों की न सुलझायी जा सकनेवाली स्थितियों को देखते हुए त्वरित एवं उपयुक्त नीतिगत उपाय शुरू करना अपेक्षित है। जहां पूरे विश्व में सरकारों द्वारा स्फीतिकारी राजकोषीय नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है, वहीं केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक मंदी एवं ऋण संबंधी संकट के प्रभाव को कम करने चलनिधि की स्थिति में नरमी लाने तथा मांग को उत्प्रेरित करने के लिए कई उपाय (परंपरागत तथा गैर-परंपरागत) किए। उक्त संकट ने एक बार फिर वित्तीय स्थिरता के मुद्दे को सामने ला दिया तथा, इस प्रकार, प्रतिचक्रीय राजकोषीय, मौद्रिक और विवेकपूर्ण उपायों पर चर्चा शुरू करनी पड़ी। 'उत्पन्न कर वितरित करें' मॉडल, जो संकट का मूल कारण था, पर भी कई दृष्टिकोणों से पुनर्विचार किया

गया। विनियामकों के परिप्रेक्ष्य से, इस संकट के कारण विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की जरूरत पर बल दिया गया ताकि उपयुक्त पूंजी, चलनिधि और प्रकटीकरण अपेक्षाएं अपनाकर वित्तीय नवोन्मेष द्वारा प्रस्तुत जोखिमों का सामना किया जा सके।

3.2 वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल को देखते हुए, भारतीय वित्तीय क्षेत्र काफी आघात-सह बना हुआ है। हालांकि सितंबर 2008 के मध्य में लेहमान ब्रदर्स की विफलता के बाद भारतीय वित्तीय बाजारों पर दबाव आ गया, फिर भी वे कम अस्थिर थे तथा व्यवस्थित रूप से कार्य करते रहे। 2008-09 के दौरान, विदेशी बैंकों तथा अंतरराष्ट्रीय उपस्थितिवाले भारतीय बैंकों द्वारा बासेल II ढांचा अपनाने के बाद, भारत स्थित सभी वाणिज्य बैंक बासेल II ढांचे में उपलब्ध सरल दृष्टिकोणों की ओर स्विकओवर कर गए हैं। वर्ष के दौरान, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए) की रिपोर्ट मार्च 2009 में जारी की गई, जिसमें भारत

के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में आस्तियों का मूल्य संरक्षित करने के लिए योजनाओं के पुनर्विन्यास की भी घोषणा की। ऋण उत्पादों के मूल्यन में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए वर्ष के दौरान वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्रों की एक मॉडल योजना भी तैयार की गई। भुगतान और निपटान प्रणाली के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, क्योंकि मौद्रिक नीति के वाहक के रूप में एक सुरक्षित और दक्ष भुगतान एवं निपटान प्रणाली महत्वपूर्ण है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए भी वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए हैं।

3.3 इस अध्याय में 2008-09 तथा 2009-10 (सितंबर 2009 तक) के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2008-09 तथा 2009-10 (सितंबर 2009 तक) के दौरान किए गए मौद्रिक नीतिगत उपाय खंड 2 में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके बाद खंड 3 में ऋण सुपुर्दगी के क्षेत्र में शुरू किए गए उपायों की समीक्षा की गई है। खंड 4 में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों के ब्यौरे दिए गए हैं। विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्रों में की गई विभिन्न पहलों की जानकारी क्रमशः खंड 5 और खंड 6 में दी गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) संबंधी नीतिगत पहल खंड 7 में दिए गए हैं। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा ग्रामीण ऋण सहकारिताओं दोनों सहकारी बैंकों के संबंध में नीतिगत पहल खंड 8 में दिए गए हैं। वित्तीय बाजारों अर्थात् मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार के क्षेत्र में नीतिगत गतिविधियों को खंड 9 में समाविष्ट किया गया है। इसके बाद खंड 10 में बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में शुरू किए गए उपाय दिए गए हैं। भुगतान और निपटान प्रणालियों तथा प्रौद्योगिक गतिविधियों संबंधी नीतिगत उपाय क्रमशः खंड 11 तथा 12 में दिए गए हैं। खंड 13 में विधिक मूलभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के उपाय दिए गए हैं तथा खंड 14 में स्थूल निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. मौद्रिक नीति

3.4 2008-09 के दौरान, मौद्रिक नीति के संचालन में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के कारण कई नई चुनौतियां आईं। उथल-पुथल से भरे हुए इस अवधि के दौरान मौद्रिक नीति के बारे में तैयार किया जा रहा रुख एक ओर वित्तीय स्थिरता के परिरक्षण तथा दूसरी ओर वृद्धि की गति में आई कमी को रोकने की आवश्यकता पर निर्भर था। मौद्रिक नीति संबंधी रुख में 2008-09 की पहली छमाही में मुद्रास्फोटिकारी प्रत्याशाओं में हो रही वृद्धि के प्रतिसाद में मौद्रिक सख्ती बरती गई थी, परंतु दूसरी छमाही में बहुल, परंपरागत और गैर-परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हुए आक्रामक रूप में मौद्रिक नरमी बरती गई ताकि भारत पर वैश्विक संकट के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख नीतिगत पहलों का उद्देश्य पर्याप्त रुपया चलनिधि प्रदान करना, डालर के रूप में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करना तथा उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह बनाए रखने के लिए सहायक बाजार वातावरण बनाए रखना था। रुपया के रूप में चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए उपायों में शामिल थे - आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में भारी कटौती, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों और म्यूच्युअल फंडों को उधार देने के लिए बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत विशेष रिपो पटल खोलना तथा एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ), जिसका उपयोग अग्रिमों की मूल राशि तथा निर्धारित ब्याज दर को समाविष्ट करते हुए मांग वचनपत्र के विरुद्ध बैंकों द्वारा किया जा सकता था। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए डालर संबंधी स्वैप सुविधा भी शुरू की तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) संबंधी प्रतिभूतियों को समेटने के कार्य को मोटे तौर पर सरकारी उधार कार्यक्रम के साथ समक्रमित किया। इसके अलावा, एनबीएफसी को चलनिधि समर्थन प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का भी गठन किया गया।

3.5 एलएएफ के तहत रिपो दर अप्रैल 2008 के 7.75 प्रतिशत से 125 अंक बढ़ाकर जुलाई 2008 के अंत तक 9.0 प्रतिशत कर दी गई। तथापि बाद की अवधि में इसे 425 आधार अंक कम कर अप्रैल 2009 तक 4.75 प्रतिशत कर दिया गया।

रिजर्व रिपो दर को भी नवंबर 2008 के 6.00 प्रतिशत से 275 आधार अंक कम कर अप्रैल 2009 तक 3.25 प्रतिशत कर दिया गया। अनुसूचित बैंकों के लिए सीआरआर 26 अप्रैल 2008 को बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 7.75 प्रतिशत से 125 आधार अंक बढ़ाकर 30 अगस्त 2008 को 9.00 प्रतिशत कर दिया गया परंतु बाद में 2008-09 के दौरान उसे 400 आधार अंक कम कर 17 जनवरी 2009 तक एनडीटीएल का 5.00 प्रतिशत कर दिया गया।

3.6 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की घोषणा कम हो रही वैश्विक वृद्धि, अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों, मुख्य रूप से ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, अनाज और धातु की कीमतों से हुई मुद्रास्फीतिकारी जोखिमों में वृद्धि तथा देशी बाजार चलनिधि में अधिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में की गई। सब-प्राइम संकट के संदर्भ में वैश्विक वित्तीय बाजारों की और तीव्र निगरानी तथा सभी उपलब्ध साधनों के साथ त्वरित प्रतिसाद अपेक्षित था ताकि देशी समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता परिरक्षित की जा सके और उसे बनाए रखा जा सके। समस्त मांग पर मौद्रिक नीति के विलंबित और संचयी प्रभावों को देखते हुए, नीति निर्माण करते समय इस बात का प्रयास किया गया कि मुद्रास्फीति को 7.0 प्रतिशत से अधिक के वर्तमान उच्च स्तर से कम करके 2008-09 में 5.5 प्रतिशत के आसपास लाया जाए और वैश्विक रूप से संचारित मुद्रास्फीति में मौजूद जटिलताओं को स्वीकार करते हुए यथाशीघ्र उसे 5.0 प्रतिशत के आसपास लाने को तरजीह दिया गया। पहली तिमाही की समीक्षा में यह नोट किया गया कि कम हो रही वैश्विक वृद्धि, कारोबार और उपभोक्ता विश्वास में कमी, कमजोर औद्योगिक कार्यकलाप, वित्तीय स्थिरता के प्रति बने हुए खतरों और मुद्रास्फीतिकारी दबावों जैसी वैश्विक गतिविधियों का प्रभाव भारत की समष्टि आर्थिक संभावना पर पड़ेगा तथा मौद्रिक नीति तैयार करने में तीव्र चुनौतियों और दुविधाओं का सामना करना होगा। समीक्षा में यह नोट किया गया कि मुद्रास्फीतिकारी दबावों में आनेवाली किसी और तीव्रता को दूर करना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर दृढ़तापूर्वक लगाम लगाना मौद्रिक नीति की अधिभावी प्राथमिकता होगी। इस संबंध में मौद्रिक नीति द्वारा मांग संबंधी समस्त दबाव, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, का तत्काल समाधान करने का प्रयास किया गया।

रिजर्व बैंक ने सीआरआर संबंधी विनिर्देशों तथा एमएसएस और एलएएफ सहित खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) का उचित उपयोग करते हुए, हालात द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इसके पास उपलब्ध सभी नीतिगत लिखतों का उपयोग लचीलेपन के साथ करते हुए, चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखी।

3.7 मध्यावधि समीक्षा में यह नोट किया गया कि वैश्विक आर्थिक स्थितियां बदतर हो गईं तथा उनके विकास का भविष्य काफी अनिश्चित हो गया। यथाशीघ्र मुद्रास्फीति को कम करके सहनीय स्तरों तक लाना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर लगाम लगाना प्रमुख चिंता की बात बनी रही। मौद्रिक स्थितियों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप 2008-09 की दूसरी तिमाही में देशी वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियां सख्त हो गईं। बैंक ऋण में विस्तार के बावजूद, ऋण की कम उपलब्धता की अवधारणा थी, जिसका कारण बैंकेतर स्रोतों, जिनमें पूंजी बाजार एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार उल्लेखनीय हैं, से निधियों के प्रवाह में आई कमी थी। तीसरी तिमाही की समीक्षा के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में 2008-09 की पहली छमाही में उच्च मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि में चक्रीय मंदी का अनुभव किया गया तथा वैश्विक मंदी के फलस्वरूप और अधिक मंदी के सबूत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। रिजर्व बैंक ने परंपरागत और गैर-परंपरागत दोनों तरह के उपायों का प्रयोग करके बाजार में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने एवं एलएएफ कारिडोर के भीतर रात भर की मुद्रा बाजार दरें बनाए रखने के रुख का अनुसरण करना जारी रखा। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के साथ बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे निचले स्तर पर चूक को रोकने के लिए, और इस प्रकार हाल के वर्षों में प्राप्त आस्ति गुणवत्ता में सुधार को बचाए रखने के लिए, अपने ऋण संविभाग की निगरानी करें।

3.8 2009-10 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य गंभीर वैश्विक आर्थिक मंदी तथा वित्तीय बाजार के उथल-पुथल के संदर्भ में बनाया गया। भारत पर संकट का प्रभाव पहले की गई आशा से काफी अधिक था। यद्यपि जीडीपी की वृद्धि दर कम हो गई, तथापि अच्छी तरह से कार्य कर रहे वित्तीय बाजार, सुदृढ़ ग्रामीण मांग, न्यूनतर हेडलाइन मुद्रास्फीति तथा विदेशी मुद्रा भंडार की अच्छी स्थिति

जैसे कुछ संतोषप्रद कारक थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय संकट के सबसे खराब प्रभाव से बचाये रखा। समग्र मूल्यांकन के आधार पर, मौद्रिक नीति का एक रुख इस तरह का नीतिगत युग सुनिश्चित करना था, जिसमें ऋण की गुणवत्ता बनाए रखते हुए अर्थक्षम दरों पर ऋण का विस्तार किया जा सके ताकि उच्च वृद्धि पथ पर अर्थव्यवस्था की वापसी को समर्थन दिया जा सके। पण्यों की कीमतों की वैश्विक प्रवृत्ति तथा देशी मांग-आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया कि डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति मार्च 2010 के अंत तक लगभग 4.0 प्रतिशत होगी।

3.9 पहली तिमाही की समीक्षा में भारत में सुधार के कुछ प्रगामी संकेत नोट किए गए, यथा अन्य बातों के साथ अनाज के भंडार में वृद्धि, सकारात्मक औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार, व्यावसायिक आत्मविश्वास सर्वेक्षण में आशावादिता। नकारात्मक संकेतों में विलंबित और कम मानसून, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति, वैश्विक पण्य मूल्यों में उछाल, बाह्य मांग में कमजोरी बने रहना तथा उच्च राजकोषीय घाटा शामिल हैं। यह स्वीकार किया गया कि 2009-10 के मध्य से पहले वृद्धि की गति में उछाल आने की संभावना नहीं है। जहां तक मुद्रास्फीति की संभावनाओं का प्रश्न है, मार्च 2010 के अंत के लिए डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति अप्रैल 2009 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में दिए गए 4.0 प्रतिशत की तुलना में लगभग 5.0 प्रतिशत पर उच्चतर होने का अनुमान लगाया गया है। समग्र मूल्यांकन के आधार पर, 2009-10 की शेष अवधि के लिए मौद्रिक नीति का रुख चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन से संबंधित था ताकि सरकार की ऋण संबंधी मांग पूरी करने के साथ अर्थक्षम दरों पर निजी क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। समष्टि आर्थिक एवं मौद्रिक स्थिति के मूल्यांकन के अनुरूप, रिपो दर, रिवर्स रिपो दर तथा सीआरआर को अपरिवर्तित रखा गया। रिजर्व बैंक ने इस बात को दुहराया कि सुधार के निश्चित और सुदृढ़ संकेत मिलने तक यह निभावकारी मौद्रिक रुख बनाए रखेगा।

चलनिधि सुविधाएं

3.10 अनुरक्षण अवधि के अंतिम दिन बैंक आरक्षित निधियों के प्रबंधन को परिष्कृत करने के लिए रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2008 से रिपोर्टिंग शुक्रवारों को दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा

(एसएलएएफ) दुबारा शुरू की। एसएलएएफ की प्रमुख विशेषताएं एलएएफ जैसी ही हैं, हालांकि एलएएफ और एसएलएएफ का निपटान अलग-अलग और सकल आधार पर किया जाता है। सितंबर 2008 में, चलनिधि की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने दैनिक आधार पर एसएलएएफ के संचालन का निर्णय लिया।

3.11 म्यूच्युअल फंडों की चलनिधि अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने एलएएफ तथा एसएलएएफ के तहत संचालित रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियों के अलावा, 14 अक्टूबर 2008 को 20,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर पर एक विशेष निश्चित दर मीयादी रिपो के संचालन का निर्णय लिया। नवंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने अस्थायी आधार पर इस विशेष मीयादी रिपो सुविधा को लागू किया तथा बैंकों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वे अपने एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत तक एसएलआर के रखरखाव में छूट के जरिए वर्तमान रिपो दर पर एलएएफ के तहत चलनिधि समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल 2009 में, इस सुविधा का विस्तार 31 मार्च 2010 तक कर दिया गया तथा 14 दिवसीय मीयादी रिपो नीलामियां भी साप्ताहिक आधार पर की जाने लगीं।

3.12 साथ ही, रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को अस्थायी उपाय के रूप में उनके एनडीटीएल के एक प्रतिशत तक एलएएफ के तहत अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त करने की अनुमति दी। तथापि, इस सुविधा को प्राप्त करने से एसएलआर के रखरखाव में किसी प्रकार की कमी आने पर, बैंक उस पर दंडिक ब्याज की अदायगी की मांग न किए जाने के अनुरोध के साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उपधारा (8) के तहत लिखित रूप में रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकते थे।

3.13 नवंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के तहत विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) की शुरुआत की। इस सुविधा के तहत, अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) (आरआरबी को छोड़कर) 90 दिनों की अवधि के लिए 24 अक्टूबर 2008 को प्रत्येक बैंक के एनडीटीएल के 1.0 प्रतिशत तक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे। एसआरएफ के तहत पुनर्वित्त एलएएफ के तहत रिपो दर पर प्रदान

किया जाएगा। बैंकों को व्यष्टि तथा लघु उद्यमों को वित्त प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक इस सुविधा का रोल-ओवर कर सकते हैं। दिसंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने 30 जून 2009 तक तथा बाद में 31 मार्च 2010 तक इस सुविधा को जारी रखने का निर्णय लिया।

3.14 नवंबर 2008 में, निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्रता सीमा 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण का 50 प्रतिशत कर दी गई। ईसीआर सुविधा पर लगायी जानेवाली ब्याज की दर रिजर्व बैंक के एलएएफ के तहत प्रचलित रिपो दर बनी रहेगी।

3.15 अधिक प्रभावी चलनिधि प्रबंधन के लिए, रिजर्व बैंक ने फरवरी 2009 से एनडीएस-ओएम के जरिए किए जानेवाले परिचालनों के अलावा नीलामी आधारित प्रक्रिया के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद को शामिल कर ओएमओ की व्याप्ति को बढ़ा दिया। इसके अलावा, चूंकि हाल की अवधि में बाह्य खातों में किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप प्राथमिक चलनिधि का निष्कासन हुआ जो विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक के परिचालनों के प्रभाव को दर्शाता है, अतः 26 फरवरी 2009 को एमएसएस संबंधी एमओयू में संशोधन करके निष्प्रभावित की गई चलनिधि का अंतरण एमएसएस नकदी खाते से सरकार के सामान्य नकदी खाते में करने की अनुमति दी गई।

3.16 रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न माध्यमों से अब तक (सितंबर 2008 के मध्य तक) प्रदान की गई वास्तविक/संभाव्य चलनिधि की कुल राशि सारणी III.1 में दी गई है।

ब्याज दर संरचना

3.17 1990 के दशक के आरंभ में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में भारत में ब्याज दरों को क्रमिक रूप से अविनियमित किया गया। वर्तमान में, बचत बैंक जमाराशियों, अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [एनआर(ई)आरए] जमाराशियों, विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)(बी) जमाराशियों, निर्यात ऋण और 2 लाख रुपये तक के अल्प ऋणों पर देय ब्याज दरों को

सारणी III.1 : प्राथमिक चलनिधि का वास्तविक / संभाव्य निर्माण - सितंबर 2008 के मध्य से

(करोड़ रुपये में)

उपाय / सुविधा	राशि
1. सीआरआर में कटौती	1,60,000
2. एमएसएस प्रतिभूतियों की अनवाईडिंग/वापसी-खरीद/ उन्हें मुक्त करना	1,55,544
3. खुला बाजार परिचालन (खरीद)	80,080
4. मीयादी रिपो सुविधा	60,000
5. निर्यात ऋण पुनर्वित्त में वृद्धि	26,576
6. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा	38,500
7. सिडबी / एनएचबी / एक्विजम बैंक के लिए पुनर्वित्त सुविधा	16,000
8. एसपीवी के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चलनिधि की सुविधा	25,000
9. कुल (1 से 8)	5,61,700
ज्ञापन: सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कटौती	40,000
टिप्पणी:	1. मद 3 में 2009-10 की पहली छमाही के दौरान 80,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित ओएमओ खरीद की तुलना में 2009-10 के दौरान अब तक (27 जुलाई तक) ओएमओ की खरीद के 33,439 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2. इसमें 5,000 करोड़ रुपए का एक ऑप्शन शामिल है।
स्रोत : वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा।	

छोड़कर, अन्य सभी ब्याज दरें अविनियमित हैं। इसने मौद्रिक संचारण प्रक्रिया में सुधार लाने के साथ वित्तीय प्रणाली में संसाधन आवंटन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ा दी है।

जमा और उधार दरें

3.18 विभिन्न बैंक समूहों के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों में वर्ष 2008-09 की पहली छमाही में सामान्य उछाल की प्रवृत्ति दिखायी दी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों से सकेत लेने हुए, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 2008-09 की दूसरी छमाही में अपनी जमा ब्याज दरों में कमी कर दी। एक से तीन साल की परिपक्वता वाली अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में सितम्बर-नवम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान 175 आधार अंकों की वृद्धि की गयी। 24 अप्रैल 2007 को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में की गयी कटौती को 16 सितम्बर 2008 को उस समय पलट दिया गया जब एक समीक्षा के बाद ब्याज दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे लिबोर/स्वैप दर घटा 25 आधार अंक कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वातावरण में आयी गिरावट के कारण देशी

मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजारों में देखी गई प्रतिकूल गतिविधियों के संदर्भ में, एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर देय ब्याज दरों में अक्टूबर-नवम्बर 2008 की अवधि के दौरान 125 आधार अंकों की और वृद्धि करके उसे लिबोर/स्वैप दर जमा 100 आधार अंक कर दिया गया। जमा दरों के अनुरूप, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की उधार दरों में भी 2008-09 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी (देखें अध्याय IV में सारणी IV.20)।

3.19 यह प्रस्ताव है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी सहित) तथा यूसीबी द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी की गणना 1 अप्रैल 2010 से दैनिक प्रोडक्ट के आधार पर की जाएगी।

बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर गठित कार्यदल

3.20 बीपीएलआर की संकल्पना वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋणों के मूल्यन के लिए नवम्बर 2003 में शुरू की गयी तथा इसका उद्देश्य उनके ऋण उत्पादों के मूल्यन में पारदर्शिता बढ़ाना था। वार्षिक नीतिगत वक्तव्य 2009-10 में नोट किया गया कि कुछ समय के बाद एक सार्थक संदर्भ दर के रूप में बीपीएलआर की सुसंगतता समाप्त हो गयी क्योंकि अधिकतर ऋण बीपीएलआर से नीचे की दर पर दिए जा रहे हैं। साथ ही, यह मौद्रिक संकेतों के कारगर संचारण में भी व्यवधान डालता है तथा ऋण मूल्यन प्रणाली को गैर पारदर्शी बना देता है। तदनुसार, बीपीएलआर की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने तथा ऋण संबंधी मूल्यन को और पारदर्शी बनाने के लिए परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए, रिजर्व बैंक ने 11 जून 2009 को बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहन्ती) का गठन किया और उसे सौंपी गयी विषयवस्तु इस प्रकार है : (i) बीपीएलआर की संकल्पना तथा उसकी गणना की विधि की समीक्षा करना; (ii) बीपीएलआर से नीचे दिए गए उधार की मात्रा तथा उसके कारणों की जांच करना; (iii) प्रमुख बैंकों के बीपीएलआर में मौजूद व्यापक अंतर की जांच करना; (iv) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर बैंकों के लिए उपयुक्त ऋण मूल्यन प्रणाली का सुझाव देना; (v) 2 लाख रुपए तक के अल्प ऋणों तथा निर्यातकों के लिए नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा करना; (vi) खुदरा खण्ड में चल ऋण दरों के लिए उपयुक्त बेंचमार्क का सुझाव देना; और (vii) बैंकों की उधार दरों से संबंधित किसी

भी अन्य मुद्दे पर विचार करना। उक्त दल द्वारा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

3. ऋण सुपुर्दगी

3.21 कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा महसूस की गयी ऋण की अत्यधिक कमी के विपरीत उथल-पुथल के इस दौर में भी भारत में ऋण बाजार सामान्य रूप से कार्य करते रहे। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के विकीर्ण प्रभावों के कारण आयी आर्थिक मंदी की वजह से ऋण की मांग में सामान्य गिरावट देखी गयी। वित्तीय उथल-पुथल के प्रतिसाद में, रिजर्व बैंक ने मुख्य रूप से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए तथा संकट से प्रभावित क्षेत्रों को ऋण की सुविधा पहुंचाने के लिए कई उपाय शुरू किए। विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के लिए 2008-09 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत पहलों में ये शामिल हैं - आवास वित्त कंपनियों को दिए जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण के तहत शामिल करना; कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण; तथा कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 के तहत और अधिक राहत की घोषणा। रिजर्व बैंक ने सभी एसएलबीसी से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया कि उनके संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में एमएसई क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

3.22 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशानिर्देशों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे असुरक्षित क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना है, जो लाभप्रदता की दृष्टि से बैंकों के लिए आकर्षक न होते हुए भी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय बैंकों द्वारा कृषि, व्यष्टि तथा लघु (विनिर्माण और सेवा) उद्यम, व्यष्टि ऋण, शिक्षा और आवास को दिए गए ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार की परिधि में आते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा, विदेशी बैंकों के मामले में निर्यात ऋण भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का एक अंग है। 2007 में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री सी.एस.मूर्ति) की रिपोर्ट के आधार पर तथा सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उद्योग संघों, मीडिया, जनता और भारतीय बैंक संघ

से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, देशी बैंकों तथा विदेशी बैंकों को पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, समायोजित निवल बैंक ऋण¹ (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करना होता है।

3.23 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने उन आवास वित्त कंपनियों को स्वीकृत ऋण को वर्गीकृत करने की अनुमति बैंकों को देकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार की व्याप्ति को बढ़ा दिया, जो आवास इकाइयों की खरीद/निर्माण के लिए व्यक्तियों को आगे उधार देने के प्रयोजन के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजन से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित हैं। तथापि ऐसे मामलों में, एचएफसी द्वारा स्वीकृत आवास ऋण प्रति परिवार प्रति निवास इकाई 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होते। साथ ही, इस उपाय के तहत पात्रता को सतत आधार पर अलग-अलग बैंक के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के पांच प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया जाएगा। यह विशेष व्यवस्था 31 मार्च 2010 तक बैंकों द्वारा एचएफसी को स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी।

3.24 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले उधार का उप-लक्ष्य प्राप्त हो जाए, देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि अप्रैल 2009 से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को दिए गए उधार में कमी को भी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास रखी गयी ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) में आबंटित की जानेवाली राशि अथवा रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास रखी जानेवाली निधियों के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण

3.25 कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए। 2009-10 के केंद्रीय बजट

में वर्ष के लिए कृषि ऋण हेतु 3,25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसकी तुलना में, बैंकों (सहकारी बैंकों तथा आरआरबी सहित) ने 92,070 करोड़ रुपए संवितरित किए जो अप्रैल-जुलाई 2009 के दौरान लक्ष्य का 28.3 प्रतिशत था।

3.26 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने कृषि संबंधी परिचालनों के वित्तपोषण के लिए अस्थायी चलनिधि समर्थन की सुविधा को आशोधित किया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3-बी) के तहत अनुसूचित बैंकों द्वारा तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4-ई) के तहत नाबार्ड द्वारा प्राप्त चलनिधि समर्थन की सीमाएं 6 दिसम्बर 2008 से क्रमशः 7,500 करोड़ रुपए और 17,500 करोड़ रुपए कर दी गयी हैं। इस सुविधा को 16 दिसम्बर 2008 तक बढ़ा दिया गया।

कृषि के लिए राहत उपाय - ब्याज दर सहायता

3.27 2009-10 के केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि प्रति किसान 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर किसानों को ब्याज सहायता योजना जारी रखी जाए। उक्त बजट में उन किसानों के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की गयी जो अपना अल्पावधि फसल ऋण समय पर चुका देंगे। इस प्रकार, इन किसानों के लिए ब्याज दर घटकर 6 प्रतिशत वार्षिक रह जाएगी।

मुर्गी पालन उद्योग के लिए राहत उपाय

3.28 देश के कुछ हिस्सों में पक्षी संबंधी इनफ्लूएंजा के संक्रमण के कारण मुर्गी पालन उद्योग की आय में आयी कमी को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने फरवरी 2008 में इस उद्योग के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की। उक्त राहत उपायों के अलावा, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुर्गी पालन इकाइयों को 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए 1 जनवरी 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया अतिदेय ऋण राशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहायता देने का निर्णय लिया। अनुवर्ती कार्रवाई

¹ निवल बैंक ऋण तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए गैर एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश।

के रूप में, फरवरी 2009 में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को (तथा मार्च 2009 में यूसीबी को) सूचित किया कि पश्चिम बंगाल की मुर्गी पालन इकाइयों को 1 जनवरी 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया गैर-अतिदेय ऋण राशि पर ब्याज सहायता की गणना 1 जनवरी 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया मीयादी ऋणों और कार्यशील पूंजी ऋणों पर 4 प्रतिशत अंक पर की जाएगी। इसमें मूल राशि का ऐसा कोई अंश शामिल नहीं होगा जो राज्य में बर्ड-फ्लू की पहली घटना अधिसूचित किए जाने के पहले अतिदेय हो गयी थी।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008

3.29 केंद्रीय बजट 2008-09 में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की गयी, जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, आरआरबी, सहकारी ऋण संस्थाओं और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) द्वारा 'सीमान्त और लघु किसानों' तथा 'अन्य किसानों' को दिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋणों को कवर किया गया। इस योजना के तहत, माफ किए जाने वाले अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपए तथा अतिदेय ऋणों पर एकबारगी निपटान (ओटीएस) राहत 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के साथ परामर्श करके इस योजना की क्रियाविधियों को अंतिम रूप दिया है। यह घोषणा की गयी कि इस योजना की लागत लगभग 71,680 करोड़ रुपए होगी। जहां लघु अथवा सीमान्त किसानों के मामले में समस्त 'पात्र राशि' माफ की जाएगी, वहीं 'अन्य किसानों' के मामले में एक ओटीएस योजना होगी जिसके तहत किसान को 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत की छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि वह किसान 'पात्र राशि' का शेष 75 प्रतिशत चुकाएगा।

ऋण माफी तथा ऋण राहत के अधीन लेखा संबंधी मानदण्ड

3.30 जहां तक ऋण माफी के लिए पात्र लघु और सीमान्त किसानों का संबंध है, भारत सरकार से प्राप्त होने तक माफी के लिए पात्र राशि बैंकों द्वारा "कृषि ऋण माफी योजना 2008 के तहत भारत सरकार से प्राप्य राशि" नामक अलग खाते में अंतरित की जाए। इस खाते की शेष राशि तुलनपत्र की अनुसूची 9 (अग्रिम) में दर्शायी

जानी चाहिए। इस खाते की शेषराशि को बैंकों द्वारा "अर्जक" आस्ति के रूप में माना जाए, बशर्ते वर्तमान मूल्य (पीवी) के रूप में हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो, जिसकी गणना इस मान्यता के तहत की गयी हो कि इस प्रकार का भुगतान भारत सरकार से निम्नलिखित किस्तों में प्राप्त होगा : क) कुल राशि का 32 प्रतिशत 30 सितम्बर 2008 तक देय, ख) 19 प्रतिशत 31 जुलाई 2009 तक, ग) 39 प्रतिशत जुलाई 2010 तक, तथा घ) शेष 10 प्रतिशत जुलाई 2011 तक। तथापि, मानक आस्तियों के लिए वर्तमान मानदण्डों के तहत अपेक्षित प्रावधान इस खाते में शेष राशि के संबंध में करने की जरूरत नहीं है।

3.31 इस योजना के तहत, 'अन्य' किसानों के मामले में, किसान को सरकार द्वारा उसके खाते में राशि जमा करके "पात्र राशि" के 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते किसान द्वारा "पात्र राशि" के शेष 75 प्रतिशत की चुकौती की जाए। उक्त योजना में ऐसे किसानों द्वारा 75 प्रतिशत हिस्से की अदायगी तीन किस्तों में किए जाने का प्रावधान है तथा पहली दो किस्तें किसान के हिस्से के एक तिहाई से अन्यून राशि के लिए होंगी। तीनों किस्तों की अदायगी की अंतिम तारीखें क्रमशः 30 सितम्बर 2008; 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 होंगी। मार्च 2009 में, रिजर्व बैंक ने ऋण राहत योजना के तहत 'अन्य किसानों' द्वारा पहली किस्त की चुकौती की अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दी। दूसरी और तीसरी किस्तों की अदायगी की तारीखें 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 बनी हुई हैं। तथापि, मानसून के देरी से आने पर विचार करते हुए, यह अवधि छः माह बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2009 तक कर दी गयी।

3.32 जहां ऋण राहत योजना के तहत शामिल किए गए किसानों ने ओटीएस के तहत अपना हिस्सा चुकाने की सहमति देते हुए वचन दिया है, वहां उनके सुसंगत खातों को बैंकों द्वारा 'मानक'/'अर्जक' के रूप में माना जाएगा बशर्ते - (क) बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं और सरकार से प्राप्य सभी राशियों के लिए पीवी के रूप में हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो; तथा (ख) ऐसे किसान देय तारीखों से एक महीने के भीतर निपटान राशि का अपना हिस्सा अदा कर दें। ऋणकर्ताओं से उक्त वचन प्राप्त होने के बाद ऋण राहत के अधीन

खातों को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे खातों पर भी मानक आस्तियों पर लागू विवेकपूर्ण प्रावधान लागू होंगे।

3.33 भारत सरकार ने “अन्य किसानों” के खातों को 25 प्रतिशत ऋण राहत के लिए पात्र बनाने का निर्णय लिया है, भले ही वे 75 प्रतिशत की संपूर्ण राशि एक किस्त में अदा करें, बशर्ते उस राशि को ऐसे किसानों द्वारा 31 दिसम्बर 2009 तक जमा कर दी जाए। बैंक 31 दिसम्बर 2009 तक पात्र राशि पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगाएंगे। यदि भुगतान 31 दिसम्बर 2009 के बाद देरी से किया जाता है, तो सुसंगत खातों में बकाया राशि को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाएगा। भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों/उधारदात्री संस्थाओं को ओटीएस के तहत पात्र राशि के 75 प्रतिशत से कम राशि भी लेने की अनुमति है बशर्ते बैंक/ऋणदात्री संस्थाएं स्वयं अंतर का वहन करें तथा उसके लिए सरकार या किसान से दावा न करें। सरकार ऋण राहत के तहत वस्तुतः पात्र राशि के 25 प्रतिशत की ही अदायगी करेगी।

ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत कवर किए गए उधाकर्ताओं को नए ऋणों की स्वीकृति

3.34 एक लघु या सीमांत किसान तथा अन्य किसान पात्र राशि माफ किए जाने पर नए कृषि ऋणों के लिए पात्र हो जाएंगे। ‘लघु अथवा सीमान्त किसान’ तथा ‘अन्य किसानों’ को स्वीकृत नए ऋण को ‘अर्जक आस्ति’ के रूप में माना जाए, भले ही ऋण का आस्ति वर्गीकरण क्रमशः ‘ऋण माफी’ और ‘ऋण राहत’ के अधीन हो, तथा इसका बाद का आस्ति वर्गीकरण वर्तमान आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आइआरएसी) मानदण्डों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।

पूंजी पर्याप्तता

3.35 “कृषि ऋण माफी योजना 2008 के तहत भारत सरकार से प्राप्य राशि” के रूप में खोले गए खाते में बकाया राशि को भारत सरकार पर दावा के रूप में माना जाएगा तथा उस पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के प्रयोजन के लिए शून्य जोखिम भार लागू होगा। तथापि, ऋण राहत योजना द्वारा समाविष्ट खातों में बकाया राशि को उधाकर्ताओं पर दावा तथा वर्तमान मानदंडों के अनुसार

जोखिम भार के रूप में माना जाएगा। यह व्यवहार बासेल I तथा बासेल II ढांचों के तहत लागू होगा।

योजना में आशोधन

3.36 सितंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत दावों की प्रतिपूर्ति तथा दावों की लेखा-परीक्षा के लिए निर्धारित क्रियाविधियों को अशोधित किया। बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार हिताधिकारियों को लाभ का वास्तविक अंतरण करने के बाद ‘ऋण माफी’ तथा ‘ओटीएस के तहत ऋण राहत’ के लिए अलग-अलग समेकित दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, बैंकों को मूल राशि से अधिक ब्याज, लागू न किए गए ब्याज, दांडिक ब्याज, विधि प्रभार, निरीक्षण प्रभार तथा विविध प्रभार का दावा केंद्र सरकार से करने अथवा उसे किसान से वसूलने की अनुमति नहीं है। ऐसे सभी ब्याज/प्रभारों का वहन ऋण देनेवाली संस्थाएं करेंगी। इस स्थिति को देखते हुए, बैंकों को सिर्फ उक्त ब्याज/ प्रभारों को पूरा करने के लिए ‘अग्रिम’ संविभाग के लिए धारित चल प्रावधानों का उपयोग अपने विवेक पर करने की अनुमति है। तथापि, चल प्रावधानों का उपयोग अन्य किसी प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं के लिए रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाना चाहिए। नवंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने 364 दिवसीय भारत सरकार के खजाना बिलों पर परिपक्वता तक प्राप्ति (यील्ड-टू-मैच्यूरिटी) की प्रचलित दर पर दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों पर ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया। साथ ही, आरआरबी सहित बैंकों को ऋण माफी योजना और ऋण राहत योजना के तहत समाविष्ट खातों के लिए सिर्फ भारत सरकार से प्राप्य राशियों के लिए पीवी के रूप में हुई हानियों के लिए किसी तरह का प्रावधान करने की जरूरत नहीं है।

व्यष्टि और लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसई) को ऋण

3.37 एमएसई क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में उसकी रोजगार संभाव्यताओं तथा क्षेत्रीय वितरण के कारण महत्व है। यह क्षेत्र उत्पादक आर्थिक कार्यकलाप में निवेश करने के लिए न्यूनतर-मझौले वर्ग से भी पूंजी जुटाता है। इस प्रकार, यह उद्यम संबंधी कौशल के विकास को प्रोत्साहित करता है तथा अनेक प्रकार के उत्पादों के

उत्पादन के जरिए निर्यात संबंधी आय में वृद्धि करता है। लघु विनिर्माण और सेवा उद्यमों द्वारा ऋण प्राप्त करने में आनेवाली कठिनाइयों को कम करने के लिए एमएसई के प्रति बैंकों की वचनबद्धता संबंधी संहिता तैयार की गई। विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के अप्रत्यक्ष प्रभावों के संदर्भ में इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए (बॉक्स III.1)।

3.38 इस क्षेत्र को अबाधित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) विशेषीकृत एमएसई बैंक शाखाएं परिचालित कर रहे हैं। मार्च 2009 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 869 विशेषीकृत एमएसई बैंक शाखाएं परिचालित कीं।

3.39 इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह और सुगम बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2008 में सभी एसएलबीसी से अनुरोध किया कि वे अपने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एमएसई क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, उनसे यह भी कहा गया कि वे भविष्य में एसएलबीसी की सभी बैठकों में इस क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा किया करें। अगस्त 2009 में बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए संपार्श्विक जमानत के लिए आग्रह न करें।

3.40 साथ ही, रुग्ण एमएसई के पुनर्वास पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष: डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों तथा एमएसई के उधारकर्ताओं के लिए भारतीय बैंकिंग कोड मानक बोर्ड की वचनबद्धता संबंधी संहिता के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे स्थिति की समीक्षा करें तथा ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी ऋण नीति, संभाव्य रूप से रुग्ण इकाइयों/उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्विन्यास/पुनर्वास नीति तथा अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए गैर विवेकाधीन ओटीएस योजना तैयार करें। एससीबी के बाद, जून 2009 में यूसीबी को भी सूचित किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र को समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यदल द्वारा की गयी सिफारिशों को तेजी से लागू करने पर विचार करें। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को अप्रैल 2009 में सूचित किया गया कि वे इस संदर्भ में राज्य सरकारों/ एसएलबीसी के संयोजक बैंकों द्वारा शुरू की गई कार्रवाइयों की निगरानी करें तथा एसएलबीसी की बैठकों में प्रगति पर चर्चा करें।

3.41 2009-10 के केंद्रीय बजट में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए 4,000 करोड़ रुपये की राशि की विशेष निधि का प्रावधान किया गया ताकि उचित दरों पर एमएसई क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुकर बनाया जा सके। इस निधि से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसई को दिए गए वृद्धिशील उधार के 50 प्रतिशत के पुनर्वित्तीयन द्वारा एमएसई को उधार देने के लिए बैंक तथा राज्य वित्त निगम प्रोत्साहित होंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलभूत संरचना का वित्तपोषण

3.42 सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा ली गई मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के संबंध में, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं सिर्फ कंपनियों को मीयादी ऋण इस शर्त पर स्वीकृत कर सकती हैं कि ये ऋण किसी के स्थान पर या किसी का एवजी नहीं हैं अपितु ये बजट संसाधनों के प्रतिपूरक हैं। साथ ही, बैंक और वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि विशिष्ट निगरानीयोग्य परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए इन ऋणों का उपयोग, किसी एसपीवी को ऋण प्रदान किए जाने की स्थिति में, राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए न किया जाए। बैंक और वित्तीय संस्थाएं इन ऋणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की अर्थक्षमता और व्यवहार्यता का उचित अध्ययन भी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस परियोजना से इतना राजस्व मिले जो ऋण चुकौती संबंधी दायित्व पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। बैंकों को पुनर्वास प्रयास के अंग के रूप में राज्यों के रुग्ण सरकारी उपक्रमों के बांडों में निवेश करते समय इन अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

3.43 2009-10 के केंद्रीय बजट में मूलभूत संरचना के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय मूलभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) को अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। बजट में कहा गया है कि आइआइएफसीएल बैंकों से परामर्श करके एक 'अंतरण वित्तपोषण' योजना तैयार करेगा जिससे मूलभूत संरचना क्षेत्र को वृद्धिशील उधार देना संभव हो। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आइआइएफसीएल अगले पंद्रह से अठारह महीनों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी-निजी सहभागिता संबंधी परियोजनाओं के लिए वाणिज्य बैंक ऋणों के 60 प्रतिशत का पुनर्वित्तीयन करेगा।

बॉक्स III.1: व्यष्टि तथा लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण प्रवाह**एमएसई की भूमिका**

संभावित वृद्धि, कर्मचारी उत्पादन क्षमता, निर्यात उत्पादन तथा नई उद्यमवृत्ति के आधार की अपनी भूमिका के कारण व्यष्टि तथा लघु उद्यम भारत के उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खंड है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एमएसई का अत्यधिक अंशदान रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में विनिर्माण उत्पाद का प्रतिशत लगभग 39 है और देश के कुल निर्यात का प्रतिशत लगभग 33 है। इस क्षेत्र में लगभग 1.3 करोड़ व्यष्टि तथा लघु उद्यम हैं जिनमें प्रायः 3 करोड़ लोग काम करते हैं। जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 7 प्रतिशत के आस-पास है। इस प्रकार, कर्मचारी उत्पादन, उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण तथा उद्यमवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार इस क्षेत्र को विशेष रूप से बढ़ावा देती आ रही है।

एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण के स्रोत

एमएसई क्षेत्र के संस्थागत ऋण के मूल स्रोत हैं - सरकारी क्षेत्र के बैंक। इसके अलावा, इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के बैंकों (नए तथा पुराने दोनों) तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की ओर से ऋण प्रदान किया जाता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रयासों को कुछ हद तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) द्वारा सहायता मिलती है। इस क्षेत्र को शहरी सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगमों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह**i) नीतिगत घोषणाएं**

10 अगस्त 2005 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित नीतिगत पैकेज के आधार पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एमएसई को उपलब्ध कराई जाने वाली निधि में अपना स्वयं का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करने के लिए सूचित किया गया ताकि एमएसई को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो। इसका उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र के ऋण में 2004-05 के 67,600 करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह की तुलना में 2009-10 में अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में दुगुना 135,200 करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को मार्च 2008 को समाप्त वित्त वर्ष में ही पार कर लिया गया था।

वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के अंत में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण की स्थिति तालिका में दी गई है।

ii) एमएसई के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं एवं निधि सहायता

वैश्विक गतिविधियों तथा देशी ऋण बाजारों पर हुए अप्रत्यक्ष प्रभाव के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने रोजगार बढ़ाने वाले एमएसई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की सुपुर्दगी में बढ़ोत्तरी के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से एक

सारणी : एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण

31 मार्च के अनुसार	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
2007	1,02,550 (24.40)	13,136 (26.05)	11,637 (38.04)
2008	1,51,137 (47.38)	46,912 (257.12)	15,489 (33.10)
2009 अ	1,91,307 (26.58)	47,916 (2.14)	18,138 (17.10)

अ : अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4एच) के उपबंधों के अधीन इस क्षेत्र को ऋण वितरण बढ़ाने के लिए 6 दिसंबर 2008 को सिडबी को 7,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त की राशि उपलब्ध कराई गई। यह पुनर्वित्त इनके लिए उपलब्ध होगा: (i) एमएसई को सिडबी द्वारा वृद्धिशील प्रत्यक्ष उधार, एवं (ii) सिडबी द्वारा बैंकों, एनबीएफसी तथा राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) को, एमएसई को सिडबी के वृद्धिशील ऋण तथा अग्रिमों के स्थान पर, दिए गए ऋण। वृद्धिशील ऋणों तथा अग्रिमों को 30 सितंबर 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि के संदर्भ में परिकलित किया जाएगा। यह पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2010 तक उपलब्ध होगी। निधि का उपयोग सिडबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 30 जून 2009 की स्थिति के अनुसार सिडबी द्वारा प्राप्त की गई पुनर्वित्त की बकाया राशि 6,095 करोड़ रुपए थी।

केंद्रीय बजट 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसरण में, सिडबी के पास एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि तथा एमएसई (जोखिम पूंजी) निधि का गठन जून 2008 में किया गया। एससीबी, जो अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का लक्ष्य पूरा करने में विफल हुए, ने निधि में अंशदान किया। एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि की वर्तमान राशि 1600 करोड़ रुपए तथा एमएसई (जोखिम पूंजी) निधि की राशि 1000 करोड़ रुपए है। रोजगार बढ़ाने वाले व्यष्टि तथा लघु उद्यम क्षेत्रों की वृद्धि की गति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा गवर्नर द्वारा 15 नवंबर 2008 को की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि प्रबंधन तथा ऋण प्रवाह में सुधार के लिए कई उपाय किए गए। एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि, 2008-09 की मूल राशि में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई।

iii) विशेष पुनर्वित्त सुविधा

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत 1 नवंबर 2008 से एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा आरंभ की गई, जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया कि वे 24 अक्टूबर 2008

(जारी...)

(.... समाप्त)

की स्थिति के अनुसार अपनी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 1 प्रतिशत तक की राशि 90 दिनों की अवधि के लिए आहरित करें। बैंकों को एमएसई को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह सुविधा 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई है।

iv) 388 अभिज्ञात समूहों (क्लस्टर) पर ध्यान केंद्रित करना

इसके पूर्व ‘‘एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए नीतिगत पैकेज’’ के एक भाग के रूप में बैंकों को सूचित किया गया था कि बड़े-छोटी की संभावनावाले क्षेत्र के रूप में एमएसई क्षेत्र को वित्तपोषण के लिए वे समूह आधारित दृष्टिकोण पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक के 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि बैंक एमएसई क्षेत्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआइडीओ) द्वारा देश के 21 राज्यों में फैले अभिज्ञात 388 समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए अपनी संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करें।

v) कमजोर एमएसई के पुनर्वास पर कार्यकारी दल

एमएसई क्षेत्र द्वारा जिन समस्याओं, विशेषकर संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास से संबंधित, का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने डॉ. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया। कार्यकारी दल ने अप्रैल 2008 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में क्षेत्र के द्वारा सामना किए जाने वाले संपूर्ण मुद्दों तथा समस्याओं पर विचार किया। दल ने भारत सरकार द्वारा एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए कई निधियों को स्थापित करने की सिफारिश की नामतः: (i) पुनर्वास निधि, (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निधि, (iii) बाजार विकास निधि और (iv) राष्ट्रीय इक्विटी निधि। इन सिफारिशों को भारत सरकार एवं सिडबी को उनके विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऋण नीति, पुनर्विन्यास / पुनर्वास नीति तथा गैर-विवेकाधीन ओटोसी बनाएं।

vi) एमएसई ग्राहकों के लिए ‘बैंकिंग संहिता’ का निरूपण

भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) ने व्यष्टि और लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के लिए संहिता का निरूपण किया है। यह एक स्वैच्छिक संहिता है जिसमें बैंकों के लिए बैंकिंग व्यवहारों के न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया गया है। एमएसएमई अधिनियम, 2006 में परिभाषित एमएसई के साथ कारोबार करते समय बैंकों को इस संहिता का अनुसरण करना है। इसमें एमएसई को संरक्षण प्रदान किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि दैनिक परिचालनों और वित्तीय कठिनाई के समय बैंकों द्वारा एमएसई के प्रति किस प्रकार का व्यवहार प्रत्याशित है। संहिता में प्रत्याशित है कि (क) दक्ष बैंकिंग सेवाओं तक

सहज पहुंच प्रदान करके एमएसई सेक्टर को सकारात्मक बल देना, (ख) एमएसई के साथ कारोबार करते समय न्यूनतम मानकों का निर्धारण करके अच्छी और उचित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना; (ग) पारदर्शिता बढ़ाना, (घ) प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से कारोबार की समझ को बढ़ाना; (ङ) उच्चतर परिचालन मानक प्राप्त करने के लिए स्पर्धा के माध्यम से बाजार की शक्तियों को प्रोत्साहन देना; (च) एमएसई और बैंकों के बीच उचित और सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाना, (छ) बैंकिंग जरूरतों के लिए सामयिक और तीव्र प्रतिसाद सुनिश्चित करना, और (ज) बैंकिंग प्रणाली में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना।

क्रेडिट गारंटी योजनाएं

संपार्श्विकों/तीसरे पक्ष की गारंटी की शर्तों के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपना एमएसई स्थापित करने में सहायता का एक बड़ा स्रोत होगी। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ की है ताकि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके और एमएसई सेक्टर को ऋण के प्रवाह को सुकर बनाया जा सके। इस योजना को परिचालित करने के लिए, भारत सरकार और सिडबी ने व्यष्टि और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) स्थापित किया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऋणदाता संस्थाओं को चाहिए कि वे द्वितीयक स्तर की संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर देने के बजाय परियोजना की सक्षमता को महत्व दें और पूर्णतया वित्तपोषित आस्तियों की प्राथमिक प्रतिभूति के आधार पर ऋण सुविधा को प्रतिभूत करें। पात्र संस्थाओं द्वारा सेवा उद्यम सहित किसी नए या फिर विद्यमान व्यष्टि और लघु उद्यम, जिनकी अधिकतम क्रेडिट सीमा एक करोड़ रुपये है, के लिए दी गई किसी भी संपार्श्विक / तीसरे पक्ष की गारंटी से मुक्त ऋण सुविधा (निधि और गैर निधि आधारित दोनों) सीजीएस में शामिल किए जाने की पात्र होगी। सीजीटीएमएसई के तहत शामिल इकाई यदि प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के कारकों की वजह से रुग्ण हो जाती है तो ऋणदाता द्वारा पुनर्वास के लिए दी गई सहायता को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते दी गई समस्त सहायता एक करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के भीतर हो।

चूँकि सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना में अभी गति नहीं आई है, इसलिए 2009-10 के भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि एमएसई से संबंधित स्थायी सलाहकार समिति द्वारा सीजीटीएमएसई स्कीम की समीक्षा की जाएगी ताकि एमएसई सेक्टर को ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके। तदनुसार, वर्तमान सीजीटीएमएसई स्कीम की समीक्षा करने, कमजोरियों का पता लगाने और स्कीम के तहत कवर प्राप्त करने तथा दावे प्रस्तुत करने की विद्यमान क्रियाविधि को सरल बनाने के उपाय सुझाने और व्यष्टि तथा लघु उद्यमों के लिए समग्र पर्यावर्त कवर शुरू करने की व्यवहार्यता और इनकी कार्यप्रणालियों का परीक्षण करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री वी.के. शर्मा) का गठन किया गया है। कार्यदल द्वारा रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

आइआइएफसीएल तथा बैंक अब इस स्थिति में हैं कि वे मूलभूत संरचना के क्षेत्र में 100 हजार करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली परियोजनाओं का समर्थन कर सकें।

निर्यात क्षेत्र का वित्तपोषण

3.44 जून 2009 में, रिजर्व बैंक ने यह दुहराया कि एसएलबीसी के संयोजक बैंकों को निर्यात वित्त संबंधी निर्यातकों की समस्याओं तथा अन्य बैंक संबद्ध मुद्दों पर राज्य स्तर पर चर्चा करने के लिए एसएलबीसी के तहत एक उप समिति का गठन करना है तथा उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित अंतराल पर उसकी बैठकें करानी हैं। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया कि आगामी बैठकें आयोजित करने की तारीखों की सूचना सभी संबंधितों को काफी पहले प्रेषित की जाए ताकि निर्यात क्षेत्र संबंधी मुद्दों का भलीभांति प्रतिनिधित्व हो सके।

3.45 भारत सरकार ने कतिपय रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों यथा (i) वस्त्र (हथकरघा सहित); (ii) हस्तशिल्प; (iii) कालीन; (iv) चमड़ा; (v) रत्न और आभूषण; (vi) समुद्री उत्पाद; तथा (vii) लघु और मझौले उद्यमों के लिए पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर 1 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक 2 प्रतिशत अंकों की ब्याज दर सहायता प्रदान की। इस व्यवस्था के तहत, बैंकों को 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर 1 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक, जिसे बाद में 30 सितंबर 2009 तक और उसके बाद 31 मार्च 2010 तक बढ़ा दिया गया था, उक्त क्षेत्रों को बकाया राशि पर बीपीएलआर घटा 4.5 प्रतिशत अंक से अनधिक दर पर ब्याज लगाने की अनुमति प्रदान की गई। तथापि, कुल सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि सहायता मिलने के बाद ब्याज की दर 7 प्रतिशत, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के तहत कृषि क्षेत्र पर लागू दर है, से नीचे नहीं जाएगी। बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि 2 प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ पूरी तरह से पात्र निर्यातकों को अंतरित कर दिया जाए।

3.46 बाह्य मांग में आई कमजोरी के कारण तथा निर्धारित समय के भीतर देय राशियों की वसूली में निर्यातकों के सामने मौजूद

कठिनाइयों को देखते हुए, सितंबर 2009 में यह निर्णय लिया गया कि निर्यातकों के लिए बनायी गयी स्वर्ण कार्ड योजना के तहत एक वर्ष के लिए अर्थात् 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक पिछले साल के निर्यात पण्यावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक अतिदेय निर्यात बिलों की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए।

गुजरात में हीरा उद्योग के लिए राहत उपाय

3.47 गुजरात में संकटग्रस्त हीरा उद्योग की समस्याओं के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यबल ने त्वरित पुनर्विन्यास के लिए किए जानेवाले उपायों की संस्तुति की है, जिनमें शामिल हैं - रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान उधार खातों का नया वित्तपोषण, पहले वित्तपोषित न की गई हीरा क्षेत्र की इकाइयों का वित्तपोषण, सेवामुक्त किए गए हीरा कामगारों का पुनःप्रशिक्षण/पुनः कौशल वृद्धि/पुनर्वास तथा हीरा कामगारों को वित्तीय राहत का प्रावधान। उक्त कार्यबल ने इन उपायों की संस्तुति विभिन्न पणधारियों के साथ हुई चर्चा तथा बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर की।

4. वित्तीय समावेशन

3.48 औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अलग रखे जाने की प्रवृत्तिवाले लोगों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन भारत में दीर्घावधि समतापूर्ण विकास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां एक बड़ा वर्ग और क्षेत्र ऐसा है जिसे बैंकिंग सुविधा प्राप्त नहीं है। पिछले चार दशकों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने के बावजूद, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास कोई बैंक खाता नहीं है। इस प्रकार, सरकार और रिजर्व बैंक इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि औपचारिक वित्तीय सेवाएं अब तक बैंक सुविधारहित/ कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों तक ले जायी जाएं। रिजर्व बैंक ने पहली बार 2005-06 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में 'वित्तीय समावेशन' शब्दावली का प्रयोग किया। तब से रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए कई उपाय किए हैं यथा 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने के लिए बैंकों को सलाह देना, व्यवसाय संपर्की (बीसी)/बैंकिंग सुसाध्यकर्ता (बीएफ) मॉडल लागू करना, वित्तीय साक्षरता का

संवर्धन, तथा व्यापक पहुंच के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समाधान अपनाना (वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 के बॉक्स IV.3 तथा IV.4 भी देखें)।

3.49 2009-10 के केंद्रीय बजट में इस बात का उल्लेख किया गया कि एसएलबीसी अपने संबंधित राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में कम बैंक-सुविधा वाले अथवा बैंकरहित क्षेत्रों का पता लगाएंगे तथा अगले तीन वर्षों के भीतर इन सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे। उक्त बजट में देश के बैंक सुविधारहित प्रत्येक प्रखंड में बैंकिंग सेवाओं के लिए कम-से-कम एक केंद्र/ बिक्री केंद्र (पीओएस) का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की एक बार की अनुदान राशि रखने का प्रस्ताव किया गया।

3.50 रिजर्व बैंक के वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में इस बात की घोषणा की गई कि 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन सूचित करनेवाले जिलों में की गई प्रगति का मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में 26 जिलों में अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों के आधार पर, बैंकों को जनवरी 2009 में यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि नो-फ्रिल्स खाता रखनेवालों के निवासस्थान के पास में सटेलाइट कार्यालयों, मोबाइल कार्यालयों तथा व्यवसाय संपर्कियों जैसे विभिन्न माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बैंक नो-फ्रिल्स खातों के साथ सामान्य क्रेडिट कार्ड(जीसीसी)/अल्प ओवरड्राफ्टों की सुविधा देने पर भी विचार कर सकते हैं ताकि खातेदार सक्रिय रूप से खाते के परिचालन के लिए प्रोत्साहित हों; जागरूकता अभियान चला सकते हैं ताकि 'नो-फ्रिल्स' खातेदारों को दी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी हो; वित्तीय रूप से 100 प्रतिशत समावेशित घोषित किए गए जिलों में व्याप्ति की मात्रा की समीक्षा करें ताकि ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को मिलनेवाली बैंकिंग सुविधाओं में मौजूद अंतराल, यदि कोई हो, को दूर किया जा सके; रिजर्व बैंक के समर्थन से विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित हो रहे प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन संबंधी पहलों का दक्षतापूर्वक लाभ उठा सकते हैं।

3.51 सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने एक योजना तैयार की है जिसके द्वारा बैंक बायोमेट्रिक अभिगम/ स्मार्ट कार्ड आधारित इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) प्रक्रिया तेजी से अपनाएंगे तथा उन राज्यों में ईबीटी प्रणाली शुरू की जाएगी जो राज्य इस योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। योजना के अनुसार, रिजर्व बैंक उन खातों के लिए; जिनके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ संबंधी भुगतान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) संबंधी भुगतान और सरकारी लाभ के अन्य कार्यक्रमों के तहत भुगतान किए जाएंगे; प्रति खाता 50 रुपए के दर से बायोमेट्रिक अभिगम/स्मार्ट कार्ड से युक्त खाता खोलने की लागत की आंशिक प्रतिपूर्ति एक सीमित अवधि के लिए बैंकों को करेगा। बैंकों को भुगतान एक ऐसा लेनदेन शुल्क, जिसके बारे में राज्य सरकारें और बैंक परस्पर सहमत हों, लेनदेनकर्ता बैंकों को अदा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सहमत होने पर निर्भर होगा। इस योजना का मूल रूप से कार्यान्वयन 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009 तक आंध्र प्रदेश में किया गया तथा तब से इसे 30 जून 2010 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

3.52 हाल ही में रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बैंकिंग सेवाएं सुधारने के लिए बैंकों और उनकी सेवाओं की व्याप्ति में सुधार लाने के लिए तथा बिहार,उत्तराखंड, छत्तीसगढ़,हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप जैसे कुछ कम विकसित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उत्तरपूर्वी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने के लिए कार्यदलों का गठन किया है। इन कार्यदलों ने बैंकों की व्याप्ति बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के संवर्धन, वित्तीय संस्थाओं के सुदृढीकरण, मुद्रा और भुगतान प्रणाली में सुधार लाने, तथा संबंधित क्षेत्रों में आरआरबी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को पुनः सशक्त बनाने के लिए विशिष्ट सिफारिशों की हैं। इन दलों की सिफारिशें लागू की जा रही हैं।

3.53 वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (अध्यक्ष: प्रो.रघुराम राजन) की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ देश में चल रही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और सघन बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय समावेशन के संबंध में रिपोर्ट की संस्तुतियां बॉक्स III.2 में दी गई हैं।

3.54 अगस्त 2008 में, आरआरबी तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों को बीसी के रूप में नियोजित कर सकते हैं बशर्ते वे कंपनियां अकेली संस्थाएं हों अथवा उनकी इक्विटी के 10 प्रतिशत से अनधिक भाग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों तथा अन्य कारपोरेट संस्थाओं अथवा उनकी धारक कंपनियों के पास हो। धारा 25 की कंपनियों को बीसी के रूप में नियोजित करने के लिए, बैंकों को बीसी के कारोबार स्थल तथा शाखा के बीच 15 कि.मी./5 कि.मी., जैसा लागू हो, की दूरी संबंधी मानदंड का कड़ाई से अनुपालन करना था। अप्रैल 2009 में, रिजर्व बैंक ने ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों

के लिए बीसी के परिचालन हेतु दूरी संबंधी अधिकतम मानदंड वर्तमान 15 कि.मी. से बढ़ाकर 30 कि.मी. कर दिया।

3.55 अगस्त 2008 में बैंकों को सूचित किया गया कि बीसी संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए यदि बैंकों के सम्यक रूप से नियुक्त बीसी निचले स्तर पर उप-एजेंट नियुक्त करना चाहें, तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि (i) बीसी के उप-एजेंट रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार बीसी के निर्धारित सभी सुसंगत मानदंड पूरे करें; (ii) उनके द्वारा नियुक्त बीसी प्रतिष्ठात्मक तथा अन्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उप एजेंट के संबंध में उचित जांच पड़ताल कर ले; तथा (iii) सभी उप-एजेंटों के मामले में मूल

बॉक्स III.2 : वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति (सीएफएसआर) की रिपोर्ट - वित्तीय समावेशन संबंधी सिफारिशें

वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति (सीएफएसआर) की रिपोर्ट में देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया तेज करने के लिए कई सिफारिशों की गई हैं। वित्तीय समावेशन सिर्फ ऋण के लिए नहीं है, अपितु इसमें बचत खाता, बीमा और विप्रेषण उत्पादों सहित अनेक प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करना शामिल है। समिति की यह राय थी कि असुरक्षितता को कम करने वाली लिखतें गरीबों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा है। इस प्रकार बचत, विप्रेषण, बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षित और लाभकारी पद्धतियों तक पहुंच में काफी वृद्धि करने की जरूरत है।

सीएफएसआर ने यह भी सिफारिश की है कि एक ओर लघु वित्त बैंकों का सृजन और संवर्धन करके तथा दूसरी ओर बड़े बैंकों एवं छोटी स्थानीय संस्थाओं के बीच सुदृढ़ संबद्धता स्थापित करके अर्थव्यवस्था के भीतर समावेशक बैंकिंग ढांचे का विकास किया जाए। इन सहबद्धताओं से छोटे ग्राहकों को बड़े बैंकों की वित्तीय उत्पादों की खुदरा बिक्री में सहायता मिलेगी। सीएफएसआर ने यह भी दुहराया कि वित्तीय समावेशन पर गठित रंगराजन की सिफारिशों के अनुसरण में ‘‘बैंकिंग संपर्की’’ की परिभाषा को व्यापक बनाने की जरूरत है।

‘नो-फ्रिल्स’ खाते अधिक संख्या में खोले जाएं ताकि 90 प्रतिशत भारतीयों की पहुंच औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक हो सके। इन खातों का उपयोग एनआरईजीएस जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत गरीबों को वर्तमान सब्सिडी तथा नकदी अंतरणों के वितरण के लिए भी किया जा सकता है। नो-फ्रिल्स खाते जोड़कर राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय समावेशन प्रणाली (एनईएफआइएस) की स्थापना भी की जा सकती है ताकि इन खातों में निधियों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण किया जा सके।

समिति की राय थी कि देशी और विदेशी दोनों बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अपेक्षाएं एकसमान करने की जरूरत है। विभिन्न बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य पूरा करने में मौजूद कमी को देखते हुए,

सीएफएसआर ने प्रस्ताव किया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) लागू किया जाए। समिति ने बताया कि पीएसएलसी को एमएफआइ, एनबीएफसी, सहकारी संस्थाओं और पंजीकृत साहूकारों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को उधार दी गई राशि के बदले में जारी किया जाएगा। ये प्रमाणपत्र बैंकों द्वारा भी जारी किए जा सकेंगे जिनकी रकम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार मानदंडों में निर्धारित रकम के अलावा दिए गए ऋण की राशि के बराबर होगी। ये प्रमाणपत्र खुले बाजार में ट्रेड किए जा सकेंगे और जो बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें इन प्रमाणपत्रों की खरीदने की अनुमति दी जा सकती है, और इस प्रकार वे भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों के मानदंड पूरे कर सकेंगे।

समिति ने यह भी बताया है कि बैंकों द्वारा पीएसएलसी की खरीद की प्रक्रिया में, वास्तविक ऋण मूल ऋणदाता की बहियों में ही रहेगा, ऋण-आस्तियों की एकमुश्त खरीद से ठीक विपरीत, और क्रेता बैंक इस राशि को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार अपेक्षाओं में दिखाएंगे।

समिति की यह भी राय थी कि गरीबों तक पहुंचने के लिए वाणिज्यिक अर्थक्षमता बढ़ाने की स्पष्ट जरूरत है। वर्जित लोगों तक पहुंचने तथा उनके उपयोग के लिए वांछित वित्तीय सेवाएं उन्हें प्रदान करने के लिए उत्पाद का नवोन्मेष, संगठनात्मक लचीलापन, तथा उच्चस्तरीय लागत दक्षता आवश्यक हैं। तथापि समिति का यह मानना है कि सभी गरीब वर्गों के लिए गुरुतर वाणिज्यिक अर्थक्षमता सही मायने में प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः कुछ प्रकार की अधिविष्ट व्याप्ति की जरूरत हमेशा रहेगी।

समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया कि वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलों का कारगर उपयोग गरीब जनता द्वारा किए जाने के लिए वित्तीय साक्षरता में उल्लेखनीय निवेश अपेक्षित है।

शाखा से 15 कि.मी. / 5 कि.मी., जैसा लागू हो, की दूरी संबंधी मानदंड का हमेशा अनुपालन किया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जहां अनुमत श्रेणी के तहत आने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति बीसी के रूप में की गयी हो, वे बदले में उप-एजेंटों की नियुक्ति नहीं कर सकते।

3.56 बीसी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र संस्थाओं का विस्तार करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से की जा रही मांग को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 2009-10 की वार्षिक नीति में व्यवसाय संपर्की मॉडल की समीक्षा हेतु एक कार्यदल का गठन किया। उक्त कार्यदल (अध्यक्ष: श्री पी. विजय भास्कर) ने अन्य बातों के साथ-साथ बीसी मॉडल लागू करने में प्राप्त अनुभवों की समीक्षा की तथा उक्त मॉडल संबंधी विभिन्न विनियामक और अन्य प्रासंगिक मुद्दों की जांच करने के बाद बैंकों के बीसी के रूप में कार्य कर सकनेवाले व्यक्तियों/संस्थाओं की श्रेणी का विस्तार करने के लिए उपाय सुझाए (बॉक्स III.3)

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श

3.57 रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू कर रहा है। वित्तीय मामलों के बारे में आम आदमी को शिक्षित करने के लिए 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' शुरू की गयी है। रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए की गई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग और वित्तीय समावेशन से संबंधित विषयों पर विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निबंध/क्विज/अंतर-विद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता कराना, वित्तीय साक्षरता के बारे में हास्यकर (कॉमिक) पुस्तकें, पैम्फलेट और पोस्टर जैसी सामग्रियां निःशुल्क वितरित करना, एक केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिका के बारे में जानकारी देने के लिए मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति, करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और जाली नोटों का पता लगाने के बारे में आम आदमी को शिक्षित करना शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने मुंबई में वित्तीय शिक्षा के बारे में एक स्थायी प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार के सहयोग से विद्यालयों के पाठ्यक्रम के अंग के रूप में वित्तीय शिक्षा के बारे में अध्याय तैयार करने और शामिल करने की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी है।

3.58 2007-08 की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसार, रिजर्व बैंक ने 3 अप्रैल 2008 को 'वित्तीय साक्षरता और परामर्श केंद्र' विषय पर एक संकल्पना पत्र अपनी वेबसाइट पर डाला। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, एफएलसीसी के लिए एक मॉडल योजना तैयार की गयी है तथा फरवरी 2009 में इसकी जानकारी बैंकों को दी गयी। इस मॉडल योजना का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क वित्तीय साक्षरता/शिक्षा और ऋण परामर्श देना है। योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ आमने-सामने की अंतःक्रिया के माध्यम से वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करना, विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना तथा औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साथ संबद्ध करने के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक बनाना शामिल है (बॉक्स III.4) (वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 का बॉक्स IV.6 भी देखें)।

अग्रणी बैंक योजना

3.59 'अग्रणी बैंक योजना' की संकल्पना पहली बार गाडगीळ स्टडी ग्रुप द्वारा शुरू की गयी, जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1969 में प्रस्तुत की। गाडगीळ स्टडी ग्रुप की सिफारिश तथा बैंकिंग और ऋण संरचना के विकास के लिए ऋण योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में 'क्षेत्र दृष्टिकोण' अपनाने के बारे में नरीमन समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1969 में अग्रणी बैंक योजना शुरू की। इस योजना में बैंकों को जिलों के आबंटन की परिकल्पना की गयी ताकि वे संबंधित जिलों में बैंकिंग संबंधी विकास लाने के बारे में नेतृत्व संभाल सकें।

3.60 2008-09 (जुलाई-जून) तथा 2009-10 (अगस्त 2009 तक) के दौरान, छः राज्यों तथा एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए बनाए गए आठ जिलों को विभिन्न अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रणी बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए सौंप दिया गया, यथा क्रमशः (i) छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और बीजापुर भारतीय स्टेट बैंक को; (ii) मध्यप्रदेश में अलिराजपुर और सिंगरौली बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को; (iii) हरियाणा में पलवल ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को; (iv) दक्षिण अंडमान, और उत्तर तथा मध्य अंडमान (अंडमान को दो जिलों में बाँटा गया) भारतीय

बॉक्स III.3 : व्यवसाय संपर्कों (बीसी) मॉडल की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल : प्रमुख सिफारिशें

वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे को एवं उपभोक्ता संरक्षण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बीसी के रूप में कार्य कर सकनेवाले व्यक्तियों की श्रेणी बढ़ाने के लिए, बीसी मॉडल के अद्यतन अनुभव की जांच करने तथा उपाय सुझाने हेतु एक कार्यदल (अध्यक्ष: पी.विजय भास्कर) का गठन किया गया।

उक्त कार्यदल ने 18 अगस्त 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल की प्रमुख सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है:

बीसी के रूप में पात्र अतिरिक्त संस्थाएं

वर्तमान में अनुमत संस्थाओं के अलावा, ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बीसी के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के बारे में विचार किया जाए: i) अलग-अलग किराना/चिकित्सा/ उचित मूल्य दुकान के मालिक, ii) अलग-अलग पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) परिचालक, iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों की अल्प बचत योजनाओं के एजेंट, iv) पेट्रोल पंप के मालिक व्यक्ति, v) सेवानिवृत्त अध्यापक, vi) बैंकों से संबद्ध भलीभांति कार्य कर रहे स्वयं सहायता दलों (एसएचजी) के प्राधिकृत कार्यकर्ता। साथ ही, ऋण कंपनियों के स्वरूप वाली जमा स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनका व्यष्टि वित्त संविभाग उनके बकाया ऋण के 80 प्रतिशत से कम न हो, को वित्तीय समावेशन समिति (अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन) द्वारा अभिज्ञात वित्तीय रूप से बहिष्कृत जिलों में सिर्फ देयता उत्पादों के लिए बीसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

जहां तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का संबंध है, रिजर्व बैंक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए गठित वित्तीय क्षेत्र योजना समिति (सीएफएससी) (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को इस आशय का उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है कि जहां उचित छानबीन के बाद किसी बैंक द्वारा किसी ऐसे स्थानीय संगठन/संस्था का प्रस्ताव किया गया हो, जो रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध किसी प्रकार के संगठन के तहत नहीं आता हो, और जहां उसे बीसी के रूप में अनुमोदित करने की संस्तुति डीएलसीसी द्वारा की गई हो, वहां रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों से उपयुक्त छूट देने के अधिकार दिए जाएं।

बीसी मॉडल की अर्थक्षमता सुनिश्चित करना

बैंकों को बीसी मॉडल के माध्यम से सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए ग्राहक से पारदर्शी रूप में उचित सेवा प्रभार वसूलने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में, विशेष रूप से इन सेवाओं का उपयोग करनेवाले ग्राहकों की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

बैंक बीसी की आरंभिक स्थापना लागत का वहन करें तथा कम-से-कम आरंभिक अवस्थाओं के दौरान बीसी को पूरा समर्थन दें। बैंकों द्वारा बीसी द्वारा संभाली जानेवाली नकदी की मार्गस्थ बीमा संबंधी लागत का वहन किए जाने की भी जरूरत है।

बीसी मॉडल की व्यवहार्यता सुधारने के लिए, बैंक ब्याज प्रभार रहित उचित अस्थायी ओवरड्राफ्ट बीसी को देने पर विचार करें।

बैंकों द्वारा बीसी के क्षतिपूर्ति ढांचे का पुनरावलोकन किए जाने की जरूरत है। बीसी के माध्यम से दी जानेवाली सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया जाना चाहिए

ताकि उसमें उपयुक्त अल्प बचत, व्यष्टि ऋण, व्यष्टि वित्त तथा छोटी राशि के विप्रेषण शामिल किए जा सकें।

विनियामक मुद्दे

रिजर्व बैंक बैंकों को इस बात की अनुमति दे कि वे उपयुक्त सुरक्षोपायों के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीसी को लेनदेन की तारीख से दूसरे कार्यदिवस के अंत तक बैंक की बहियों में लेनदेन का हिसाब करने की इजाजत दें।

जहां तक दूरी संबंधी मानदंडों को शिथिल करने के लिए मामले डीसीसी को भेजने का संबंध है, उन्हें अपना निर्णय यथाशीघ्र तथा किसी भी स्थिति में उन्हें मामला भेजने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दे देना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर डीसीसी द्वारा कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाए, तो बैंकों को दूरी संबंधी मानदंड शिथिल करने के लिए इसे 'अनापत्ति' के रूप में मानने की अनुमति दी जाए।

वित्तीय शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण

बैंकिंग आदत के फायदे के बारे में बैंकों द्वारा ग्राहकों को संबंधित स्थानीय भाषा में शिक्षित करने के प्रति अपने प्रयासों में काफी वृद्धि किए जाने की जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए नाबार्ड द्वारा नियंत्रित वित्तीय समावेशन निधि से आवश्यक वित्तीय समर्थन दिए जाने पर विचार किया जाए।

बैंकों द्वारा नियुक्त बीसी संबंधी जानकारी बैंकों की वेबसाइटों पर डाला जाए। बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों में बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बारे में की गई प्रगति तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा की गई पहलों को भी शामिल किया जाए। बैंक उनके द्वारा बीसी मॉडल के कार्यान्वयन के बारे में व्यापक प्रचार करने के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (स्थानीय भाषा सहित) का भी उपयोग करें।

बैंकों द्वारा बीसी अभिरक्षा या उसके कब्जे में मौजूद ग्राहक संबंधी जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता के परिरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।

बैंक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र तैयार करें, उसका व्यापक प्रचार करें तथा उसे पब्लिक डोमेन पर भी डालें। शिकायत निवारण अधिकारी के ब्यौरे बीसी के परिसरों में तथा मूल शाखा में दर्शाए जाने चाहिए और ग्राहक के अनुरोध पर बैंक/बीसी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

शिकायत उपशमन संबंधी उपाय

बीसी मॉडल के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में शामिल विभिन्न जोखिमों को दूर करने के लिए, बैंकों द्वारा उपयुक्त और पर्याप्त जोखिम उपशमन उपाय किए जाने की जरूरत है। साथ ही, बैंकों को बीसी मॉडल लागू करते समय 3 नवंबर 2006 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग' संबंधी दिशानिर्देशों में निहित सुसंगत अनुदेशों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए।

अन्य

रिजर्व बैंक इस आशय का उपयुक्त स्पष्टीकरण बैंकों को जारी करे कि ग्राहक की इच्छानुसार उसे मूल शाखा में लेनेदेन करने की अनुमति दी जाए।

बॉक्स IV.4 : वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्र

वित्तीय बाजारों की जटिलता बढ़ जाने और सूचना की असममिति से जन-सामान्य के लिए सूचनायुक्त चुनाव करना कठिन हो जाने के कारण, वित्तीय शिक्षा/साक्षरता को हाल के वर्षों में बहुत अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। भारत में, वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता बहुत अधिक है क्योंकि साक्षरता का स्तर बहुत कम है और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग औपचारिक वित्तीय संरचना से अभी भी बाहर है। वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक अपने ग्राहकों के साथ-साथ दूसरों को भी वित्तीय शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्रों के बारे में एक मॉडल योजना बनाई गई और फरवरी 2009 में सभी एससीबी और आरआरबी को संप्रेषित की गई और उन्हें सूचित किया गया कि वे इन केंद्रों की स्थापना बैंक से दूरी बनाए रखते हुए विशेष संस्था के रूप में करें ताकि एफएलसीसी सेवाएं उस जिले के अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हों।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

उद्देश्य

एफएलसीसी का मुख्य लक्ष्य मुफ्त वित्तीय साक्षरता/शिक्षा तथा ऋण परामर्श उपलब्ध कराना होगा। एफएलसीसी के विशिष्ट लक्ष्य निम्नलिखित होंगे:

- इच्छुक व्यक्ति की सुविधानुसार आमने-सामने बातचीत के साथ ही ई-मेल, फैक्स और मोबाइल, आदि जैसे मीडिया के अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करना, जिसमें औपचारिक और / या अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र के प्रति ऋणग्रस्त व्यक्तियों को दायित्वपूर्ण उधार लेने, सक्रिय और शीघ्र बचत तथा ऋण परामर्श शामिल होगा;
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं संबंधी शिक्षा देना;
- औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जुड़ने के लाभों से लोगों को अवगत कराना;
- विपदाग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्निर्धारण योजना बनाना और उसे विचारार्थ सहकारी संस्थाओं सहित औपचारिक वित्तीय संस्थाओं को संस्तुत करना;
- ऐसी कोई भी कार्रवाई करना जो वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय आयोजना का संवर्धन करे और किसी व्यक्ति की ऋण संबंधी परेशानी को दूर करने में सहायक हो।

किंतु, एफएलसीसी को किसी विशेष बैंक/बैंकों के उत्पादों के लिए निवेश सूचना केंद्र/मार्केटिंग केंद्र के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। परामर्शदाताओं को बीमा पालिसियों में निवेश, प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूति मूल्य और प्रतिभूति के क्रय/विक्रय संबंधी सूचना देने/मार्केटिंग करने से या संबंधित बैंक के अपने उत्पादों में ही निवेश को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए।

संगठन/प्रशासनिक संरचना

प्रारंभ में, बैंक एफएलसीसी चलाने के लिए अकेले या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से न्यास/समितियां स्थापित कर सकते हैं। बैंक ऐसे न्यासों/समितियों के बोर्डों पर किसी सम्मानित स्थानीय नागरिक को शामिल कर सकते हैं। सेवारत बैंकों को बोर्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यास में वरिष्ठ नागरिकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

शुरू में, एफएलसीसी का पूरा निधीयन बैंक/बैंकों द्वारा किया जाएगा। प्रारंभ में, यदि लागत कम रखने के लिए शाखा परिसर का उपयोग किया जाता है तो एफएलसीसी को अलग प्रवेश द्वार के साथ बिल्कुल अलग रखना चाहिए तथा उसका स्वरूप और अनुभव बैंक की शाखा से एकदम अलग होना चाहिए ताकि उसकी मूल बैंक से पृथक पहचान हो। ऐसे न्यासों/समितियों के कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी की दृष्टि से बैंक के अधिकारियों को डमी कॉल्स या औचक मुआयना करना चाहिए।

यह आवश्यक है कि इन केंद्रों को संबंधित बैंक के वसूली या मार्केटिंग एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए ताकि सामान्य जनता / बैंकों के ग्राहक इन केंद्रों में स्वैच्छिक रूप से आने में परेशानी महसूस न करें। परामर्श केंद्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन मिल सके।

व्याप्ति (कवरेज)

यद्यपि ऋण परामर्श सेवाएं ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तथापि बैंक व्यापक आधार वाले सामान्य प्रकार के दृष्टिकोण के स्थान पर उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विशिष्ट रूप से खंडवार दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के केंद्र कृषि और उससे संबद्ध कार्य करने वाले कृषक समुदाय के लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता और परामर्श पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

कवरेज को अधिकतम करने की दृष्टि से, एफएलसीसी की स्थापना खंडों, जिलों, कस्बों और शहरों जैसे सभी स्तरों पर की जा सकती है। किंतु, प्रारंभ में, अग्रणी बैंक जिला मुख्यालयों में एफएलसीसी की स्थापना के लिए पहल कर सकते हैं। एसएलबीसी एफएलसीसी के कार्यों का पर्यवेक्षण करके आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकती है।

एफएलसीसी को जानबूझकर चूक करने वालों के मामले नहीं लेने चाहिए।

प्रभार

ग्राहकों को परामर्श और ऋण प्रबंधन सेवाएं मुफ्त में देनी चाहिए ताकि उन पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।

बुनियादी सुविधाएं

बैंकों द्वारा पर्याप्त संप्रेषण और नेटवर्किंग सुविधाओं के साथ उचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(जारी...)

(.... समाप्त)

ऋण परामर्श के प्रकार

डेट कौंसलिंग / क्रेडिट कौंसलिंग निवारक और सुधारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। निवारक परामर्श के मामले में केंद्र आवश्यकतानुसार ऋण की लागत, बैकवर्ड और फॉर्वार्ड लिंकेज आदि संबंधी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ग्राहकों को उनकी चुकौती क्षमता के अनुसार ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। निवारक परामर्श मीडिया, कार्यशाला और संगोष्ठियों के माध्यम से दिया जा सकता है।

एफएलसीसी स्थानीय भाषा में जेनेरिक वित्तीय शिक्षा प्रणाली शुरू करने पर विचार कर सकती है। व्यापक तौर पर, इस प्रणाली में बचत, बजटिंग की आवश्यकता, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के साथ बैंकिंग करने के लाभ, जोखिम तथा प्रतिफल की धारणा और मुद्रा के समयगत-मूल्य, बैंकों और बीमा कंपनियों आदि द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पाद शामिल होंगे।

जागरूकता बढ़ाना एक प्राथमिक उद्देश्य होने के कारण, एफएलसीसी द्वारा उचित व्यवहार संहिता के तहत ग्राहकों के अधिकार, नामांकन सुविधा के लाभ और खाता-परिचालन पर बल दिया जाना चाहिए।

सुधारात्मक परामर्श के मामले में, ग्राहक अपने अप्रबंधनीय ऋण संविभाग के समाधान के लिए वैयक्तिक ऋण प्रबंधन योजना बनवाने के लिए परामर्श केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।

निवारक परामर्श वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए उनके आय-स्तर या ऋण की मात्रा के आधार पर अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे अधिदेशात्मक ऋण परामर्श को बैंकों की उचित उधार प्रथा का एक भाग बनाया जा सकता है।

ऋण परामर्श और ऋण निपटान प्रणाली

बैंक स्वयं द्वारा स्थापित एफएलसीसी में आने के लिए अपने विपदाग्रस्त ग्राहकों या अन्य बैंकों के ग्राहकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसी एफएलसीसी संबंधी जानकारी अग्रणी बैंक योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न मंचों के माध्यम से दी जा सकती है। बैंकों को चाहिए कि वे आरंभिक पूर्व-चेतावनी के संकेत मिलने की स्थिति में वसूली के उपाय करने से पहले मामले परामर्श केंद्र को भेजने के लिए ट्रिगर पॉइंट बनाएं।

परामर्शदाताओं के लिए यह अधिदेशात्मक होना चाहिए कि वे विपदाग्रस्त उधारकर्ताओं के मामले बैंकों को भेजें और उनके लिए ऋण प्रबंधन योजनाएं बनाएं ताकि उनके ऋण का पुनर्विन्यास / पुनर्निर्धारण किया जा सके।

एफएलसीसी द्वारा सुझाया गया ऋण पुनर्विन्यास प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकारने या अस्वीकृत करने का विकल्प संबंधित बैंक/बैंकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

किंतु, एफएलसीसी वसूली या धन के सवितरण का कार्य नहीं करेंगे। यह कार्य संबंधित बैंक या सभी बैंकों की ओर से उस बैंक पर छोड़ा जाना चाहिए जिसका सर्वाधिक एक्सपोजर हो।

परामर्शदाताओं की अर्हता और प्रशिक्षण

यह आवश्यक है कि इन केंद्रों में पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्राप्त/ प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का ही चयन किया जाए। एफएलसीसी को कृषि और संबंधित कार्यों संबंधी परामर्श के लिए कृषि क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले लोगों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए।

हितों के टकराव से बचाव सुनिश्चित करने के लिए, एफएलसीसी के प्रबंधन में बैंक स्टाफ नहीं रखा जाना चाहिए।

ऋण परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए अन्य के साथ ही सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और भूतपूर्व सेना कर्मियों को अनुमति होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे, ग्रामीण विकास बैंकर संस्था, लखनऊ या बैंकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं।

इंटरफेस के प्रकार

परामर्श केंद्रों में निजी तौर पर, फोन, ई-मेल और डाक से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने की सुविधा होनी चाहिए। सुलभ संपर्क के लिए उनके पास टोल फ्री लाइन, ई-मेल और फैक्स सुविधा होनी चाहिए।

निगरानी

प्रत्येक राज्य में एफएलसीसी के कार्य की निगरानी एक समिति द्वारा की जाएगी जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक होंगे और बैंकों को प्रतिसूचना नियमित आधार पर दी जाएगी। इस समिति में एफएलसीसी संयोजक बैंक, अन्य बैंक, नाबार्ड, आइबीए, उपभोक्ता संगठन और संबंधित क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ शामिल हो सकते हैं।

पारदर्शिता/सूचना का प्रकटीकरण

सभी बैंकों द्वारा शुल्क और प्रभारों की आवश्यक जानकारी अपनी वेबसाइट पर दर्शाई जानी चाहिए ताकि ग्राहक सूचनायुक्त निर्णय ले सकें। बैंकों द्वारा खोली गई एफएलसीसी द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का ब्योरा भी संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

प्रचार

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परामर्श केंद्रों की सूची का उपयुक्त रूप से प्रचार किया जाए।

प्रगति

बैंकों ने मार्च 2009 तक विभिन्न राज्यों में 148 ऋण परामर्श केंद्र खोले जाने की सूचना दी है।

स्टेट बैंक को; (v) तमिलनाडु में तिरुपुर केनरा बैंक को, और (vi) उत्तर प्रदेश में कांशीराम नगर केनरा बैंक को।

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति

3.61 रिजर्व बैंक के 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में, वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग क्षेत्र की हाल की गतिविधियों पर फोकस करते हुए, अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा करने तथा उसकी प्रभावशालिता को सुधारने के लिए नवंबर 2007 में एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया गया। इस समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों, बैंकों और अन्य पणधारियों, शिक्षाविदों, व्यष्टि वित्त संस्थाओं और एनजीओ सहित, के साथ कई दौर में चर्चा की। स्थूल राय यह उभर कर आयी कि जहां समावेशक वृद्धि को सुकर बनाने के लिए औपचारिक वित्तीय संस्थाओं का बैंकिंग एवं ऋण के क्षेत्र में गुरुतर प्रवेश इस योजना का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, वहीं उन संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को भी सुदृढ़ बनाने की जरूरत है जिनके माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। समिति ने 21 मई 2009 को रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया तथा इसे जनता के अभिमत के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। जनता, बैंकों, संस्थाओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि/ अभिमत/ सुझाव के आधार पर समिति ने 20 अगस्त 2009 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 24 अगस्त 2009 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। समिति की प्रमुख सिफारिशें बॉक्स III.5 में प्रस्तुत की गई हैं (रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 में बॉक्स IV.2 'अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का मसौदा' भी देखें)।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गठित विशेष कार्य बल

3.62 सार्वजनिक नीति के अनुसार आवश्यक समझे गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त केंद्रों में बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए नयी गति देने हेतु एक विशेष कार्यबल (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित केंद्रों में बैंकिंग सुविधाओं (करेंसी चेस्ट, विदेशी मुद्रा एवं सरकारी कारोबारी सुविधाओं का विस्तार) की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने की योजना, जिसे बैंकों द्वारा वाणिज्यिक

दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया, तैयार की गयी, जिसके लिए राज्य सरकारों से अपेक्षा की गयी कि वे आवश्यक परिसर तथा अन्य मूलभूत संरचना संबंधी समर्थन उपलब्ध कराएं। रिजर्व बैंक अपने अंशदान के रूप में बैंक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम बोली के अनुसार एक समय की पूंजी लागत तथा पांच वर्षों की सीमित अवधि के लिए आवर्ती व्ययों का वहन करेगा।

3.63 शुरुआती तौर पर, मेघालय राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात 'सहमत केंद्रों' के लिए प्रायोगिक आधार पर बोलियां आमंत्रित की गयीं। मेघालय सरकार परिसर और सुरक्षा प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमत हुई। आठ केंद्रों में शाखाएं स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से बोलियां प्राप्त हुई हैं तथा इन्हें न्यूनतम बोली लगाने वालों को आबंटित कर दिया गया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

3.64 2009-10 के केंद्रीय बजट में 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' नामक योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह बनाने पर बल दिया गया। बढ़ी हुई दर पर पूंजी सब्सिडी प्रदान करने के अलावा, यह प्रस्ताव है कि बैंकों से 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाए। साथ ही, अगस्त 2009 में रिजर्व बैंक ने आरआरबी को छोड़कर सभी पीएसबी को सूचित किया कि इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण तथा 10 लाख रुपए तक के समूह ऋण को द्वितीयक संपाश्विक प्रतिभूति से छूट प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय महिला कोष

3.65 अगले कुछ वर्षों में 'राष्ट्रीय महिला कोष' की मूल राशि गरीब महिलाओं को ऋण समर्थन अथवा व्यष्टि वित्त की सुविधा देने में इसके महत्व को स्वीकार करते हुए, बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

शारीरिक सफाईकर्ताओं के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

3.66 सफाईकर्ताओं के उद्धार और पुनर्वास की योजना (एसएलआरएस) के स्थान पर भारत सरकार ने "शारीरिक

बॉक्स III.5: अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट

पृष्ठभूमि : अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में शुरू की गई। एलबीएस शुरू होने के चार दशकों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की शुरुआत के साथ विशेष रूप से 1991 के बाद देश में कई बदलाव आए हैं। ये सुधार वित्तीय क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में हुए हैं। आज वाणिज्य बैंक अपनी वित्तीय स्थिति की ओर काफी अधिक फोकस कर रहे हैं तथा उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार किया है। हालांकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी दायित्व निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों के बैंकों पर लागू है, तथापि इस तथ्य की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है कि आबादी का बड़ा भाग अभी भी औपचारिक बैंकिंग ढांचे के बाहर है तथा कुछ क्षेत्रों में वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र पीछे चल रहे हैं। यद्यपि समाज के अधिक असुरक्षित क्षेत्रों/वर्गों तक ऋण का प्रवाह सुकर बनाने के लिए नीतियां बनी हुई हैं, तथापि इस बात की जरूरत है कि परिणामों के बारे में समय पर जानकारी लेने और उनके बेहतर आकलन के अलावा निचले स्तर पर इन नीतियों का अधिक प्रसार और इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

अतः इस बात की जरूरत महसूस की गई कि एलबीएस की व्यापक समीक्षा की जाए। तदनुसार, वर्ष 2007-08 की रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय समावेशन तथा बैंकिंग क्षेत्र की हाल की गतिविधियों पर फोकस करते हुए एलबीएस की समीक्षा के लिए एक समिति (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) गठित की गई।

वित्तीय समावेशन के लिए रूपरेखा: समिति ने नोट किया कि यह महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग सेवाओं को एक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में देखा जाए तथा यह वहनीय लागत पर आबादी के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को उपलब्ध हो। अतः समिति ने सिफारिश की कि समावेशक वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने में समर्थ बनाना एलबीएस का व्यापक उद्देश्य होगा।

ग्रामीण आबादी के निकटवर्ती स्थलों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की व्यापक जरूरत पर विचार करते हुए, समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक जिले में डीसीसी की एक उप समिति द्वारा विभिन्न रूपों में अर्थात् मोबाइल बैंकिंग, विस्तार काउंटर्स, सेटलाइट कार्यालयों तथा बीसी के माध्यम से नियमित आधार पर सप्ताह में कम-से-कम एक बार 2000 से अधिक आबादीवाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। मार्च 2010 तक, उक्त उप समिति को एक ऐसी समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके भीतर यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए तथा बैंकिंग आउटलेट के साथ 2000 से अधिक आबादीवाले सभी गांवों को शामिल करने की समय-सीमा मार्च 2011 के बाद की नहीं हो। जिन राज्यों में वर्तमान व्यापक की स्थिति अच्छी हो, उनमें उपयुक्त रूप से लक्ष्य को पहले लाया जा सकता है।

उक्त रूपरेखा द्वारा निर्धारित लक्ष्य के संबंध में स्थिति का समय-समय पर आकलन करने और उसकी सूचना डीसीसी की प्रत्येक बैठक में देने के लिए डीसीसी द्वारा एक निगरानी प्रणाली गठित की जाए।

आइटी आधारित वित्तीय समावेशन: बैंकिंग की व्यापकता का लक्ष्य पाने में, बैंकों को उपलब्ध आइटी समाधानों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। चूंकि राज्य सरकारें नरेगा (एनआरईजीए) और सामाजिक सुरक्षा निधियों का संवितरण बैंक खातों के माध्यम से करने के लिए उत्सुक हैं, अतः बैंकों और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी की तलाश की जाए और उस मूलभूत संरचना का उपयोग वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाए। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (नाबार्ड के पास) के तहत उपलब्ध निधायन व्यवस्थाओं अथवा अन्य विकल्पों यथा रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी भुगतानों के वितरण के लिए प्रस्तावित समर्थन की तलाश की जाए।

राज्य सरकारों की भूमिका: राज्य सरकारों की भूमिका का दायरा समर्थक कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने से लेकर जल आपूर्ति और सिंचाई की व्यवस्थाओं, सड़क और डिजिटल संबद्धता, उचित भूमि अभिलेख तैयार करने, पहचान की प्रक्रिया में मदद करने, प्रचार अभियान तथा वसूली तक फैला हुआ है। जिन केंद्रों में सामान्य बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी कारोबार के लिए सार्वजनिक नीति के अनुसार बैंक शाखाओं की अपेक्षा है परंतु बैंक मूलभूत संरचना की कमी, व्यवहार्यता के अभाव तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण शाखाएं खोलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वहां राज्य सरकारों द्वारा परिसर तथा सुरक्षा प्रदान करके समर्थन दिए जाने की जरूरत है। राज्य सरकारों को भी बैंकों को मिलनेवाले सरकारी कारोबार के लाभ का फायदा उठाते हुए उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनमें हमेशा व्यावसायिक लाभ नहीं होता।

राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय विकास योजना: उक्त समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना संबंधी समिति द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए तैयार किए गए अनुसार प्रत्येक राज्य और जिले के लिए एकबारगी व्यापक राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय विकास योजना (एसडीपी/डीडीपी) तैयार करने की सिफारिश की है। इस योजना द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उधार देने और बैंकिंग के विकास में 'समर्थक' एवं 'बाधक' तत्वों की पहचान की जानी चाहिए और साथ ही बैंकों, राज्य सरकारों और विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए नियत अन्य पणधारियों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिनकी समय-समय पर निगरानी राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) तथा जिला परामर्श समिति (डीसीसी) की बैठकों में की जानी चाहिए। एसएलबीसी के संयोजक की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा राज्य स्तरीय योजना तैयार की जाए तथा इसमें प्रमुख प्रतिभागी बैंकों के अलावा राज्य सरकार, आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों को शामिल किया जाए। जिला स्तर पर डीसीसी की उप समिति, जिसके संयोजक एसडीएम हों तथा जिसमें नाबार्ड के डीडीएम, जिलास्तरीय सरकारी अधिकारी, बैंक कार्यकर्ता तथा अन्य लोग सदस्य के रूप में शामिल हों, ऐसी योजना तैयार करे। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यक दिशानिर्देश उपलब्ध कराएं।

(जारी...)

(.... समाप्त)

एसएलबीसी तथा डीसीसी तंत्र : अतः एसएलबीसी /डीसीसी तंत्र के समय का अधिकाधिक उपयोग सरकार प्रायोजित योजनाओं तक सीमित रहने के बजाए, राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय विकास योजना में यथावर्णित वित्तीय समावेशन में बाधक और साधक विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाए।

एसएलबीसी की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए, एसएलबीसी के लिए यह वांछनीय है कि वे विशिष्ट कार्यों के लिए उप समितियों का गठन करें। ये उप समितियां विशिष्ट मुद्दों की गहराई से जांच करें तथा एसएलबीसी के विचारार्थ समाधान/सिफारिशें लेकर आगे आए। एसएलबीसी के सचिवालय/कार्यालय को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाए ताकि एसएलबीसी के संयोजक बैंक अपना कार्य कारगर तरीके से कर सकें। डीसीसी के स्तर पर, उपयुक्त समझी गई उप समितियों का गठन किया जाए जो विशिष्ट मुद्दों पर गहन रूप में कार्य करके अपनी रिपोर्टें डीसीसी के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत करें।

राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, रिजर्व बैंक मुख्य सचिवों/विकास आयुक्तों, एसएलबीसी के संयोजक बैंकों के सीएमडी का एक वार्षिक सम्मेलन बुलाए।

एक छोटी समिति, जिसमें रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, आइबीए, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक तथा संबंधित राज्य के नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शामिल हों, एसएलबीसी के संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करे ताकि जरूरत पड़ने पर एसएलबीसी/डीसीसी के संयोजकत्व में बदलाव सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) कार्यालय - भूमिका और ढांचा: समिति ने नोट किया कि समग्र अग्रणी बैंक योजना की प्रभावशालिता जिला समाहर्ता अथवा एलडीएम की गतिशील भूमिका तथा क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय की समर्थक भूमिका पर निर्भर है। एलडीएम के लिए परिकल्पित नए कार्यों में बैंकिंग की व्याप्ति के लिए रूपरेखा तैयार करना, जिले के लिए एकबारगी व्यापक विकास योजना तैयार करना, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों (एफएलसीसी) की स्थापना से जुड़ना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, एनजीओ/पीआरआई की सहभागिता से बैंकों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए वार्षिक सुग्राह्यता कार्यशालाएं आयोजित करना, तिमाही जागरूकता एवं प्रतिपुष्टि संबंधी सार्वजनिक बैठकों की व्यवस्था करना शामिल है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श : प्रत्येक अग्रणी बैंक से यह प्रत्याशित है कि वह प्रत्येक जिले में एफएलसीसी केंद्र खोले, जहां इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देशों के अनुसरण में उसका अग्रणी उत्तरदायित्व हो।

क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/सुग्राह्यता कार्यक्रम: समिति ने पाया कि अग्रणी बैंक योजना की विशिष्ट व्याप्ति और भूमिका के अलावा डीसी को बैंकों एवं बैंकिंग के बारे में सुग्राह्य बनाने की आम आवश्यकता है। एसएलबीसी अग्रणी बैंक योजना के प्रति सुग्राह्यता और समझ के लिए एसएलबीसी के संयोजक के कार्यालय में डीसी के लिए एक्सपोजर दौरों की व्यवस्था करे। इसी तरह, राज्य

सरकार की प्राथमिकताओं को समझने के लिए एलडीएम हेतु उनकी तैनाती के शीघ्र बाद राज्य की राजधानी, विकास विभागों/जेडपी और समाहरणालय के लिए एक्सपोजर दौरों की व्यवस्था की जाए।

अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध बैंकों और सरकारी एजेंसियों के परिचालनात्मक स्तर के स्टाफ को नवीनतम गतिविधियों एवं उभरते अवसरों से अवगत कराने की जरूरत है। निरंतर और आवधिक अंतरालों पर स्टाफ सुग्राह्यता/प्रशिक्षण/संगोष्ठी की जरूरत है। रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के राष्ट्रस्तरीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ अलग-अलग बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं और एनआइबीएम, आइआइबीएम तथा एनआइआरडी को चालू वर्ष से इसके लिए उपयुक्त मॉड्यूल तैयार करना चाहिए।

तिमाही सार्वजनिक बैठकें तथा शिकायत निपटान : हर तिमाही में अग्रणी बैंक अपने अग्रणी जिलों में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता और प्रतिपुष्टि संबंधी सार्वजनिक बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि इन जिलों में कार्यरत एनजीओ/पीएसओ तथा जनता, मीडिया के प्रतिनिधि, स्थानीय नेता इन बैठकों में भाग ले सकें।

निजी क्षेत्र के बैंकों की गुरुतर भूमिका: समिति ने पाया कि कमजोर वर्गों को ऋण देने सहित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी समान रूप से लागू हैं, इसलिए एलबीएस के कार्यान्वयन में इन बैंकों की भूमिका उल्लेखनीय है। अतः समिति ने संस्तुति की है कि निजी क्षेत्र के बैंकों को रणनीति आयोजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ संबंधी उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए स्वयं को अधिक सक्रिय रूप में इसमें शामिल करना चाहिए। अग्रणी बैंकों को अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक ऋण योजना तैयार करते समय और साथ ही उसे लागू करते समय निजी क्षेत्र के बैंक अधिक घनिष्ठ रूप में भाग लें।

शहरी क्षेत्रों के लिए पहल: शहरी क्षेत्रों में, राज्य सरकार का तंत्र उन क्षेत्रों में बैंक खाते खोलने में मदद करे जहां परिवारों की बड़ी बस्तियां हों तथा पता और पहचान के सबूत पाना कठिन हो। 10 लाख से अधिक आबादीवाले (शुरुआती तौर पर) प्रत्येक शहर में सर्वाधिक उपस्थिति रखनेवाले बैंक बैंकरों की बैठक बुलाने तथा विभिन्न बैंकों को विभिन्न वार्डों की जिम्मेदारी बांटने में नेतृत्व करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शहरी परिवारों की बैंक खातों तथा बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच हो। विभिन्न केंद्रों में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ऐसे मंच की स्थापना को सुकर बनाएं।

संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र निगरानी और सूचना प्रणाली संबंधी रिपोर्टिंग प्रणाली: समिति ने सुझाव दिया कि आरंभ में एक/दो राज्यों में प्रायोगिक आधार पर संशोधित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निगरानी और सूचना प्रणाली (पीएसएमआइएस) लागू की जाए तथा उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छोटे कार्यकारी दल का गठन किए जाने का भी सुझाव दिया ताकि कार्य-पद्धतियां तैयार की जा सकें और संशोधित ढांचे को लागू करने के बारे में कार्य किया जा सके।

सफाईकर्ताओं के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना'' (एसआरएमएस) नामक एक नयी और सुधरी हुई योजना को अनुमोदित किया, जिसका उद्देश्य मार्च 2009 तक शेष सफाईकर्ताओं और उनके आश्रितों का पुनर्वास करना था। इस योजना में शारीरिक सफाईकर्ताओं का पुनर्वास वैकल्पिक पेशों में करने के लिए पूंजी सब्सिडी, रियायती ऋण तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण का प्रावधान है। इस योजना का विस्तार मार्च 2009 के आगे तक करने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, जून 2009 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिया कि वे 30 सितम्बर 2009 तक योजना के कार्यान्वयन को पूरा करें।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना

3.67 2008-09 के केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं के पात्रता मानदंडों को बढ़ा दिया जाए। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2008 में बैंकों को सूचित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपया वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता इस सुविधा को प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि इससे पहले वार्षिक आय संबंधी मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपया था। अगस्त 2008 में, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपए का संशोधित पात्रता आय मानदंड अर्द्धशहरी क्षेत्रों के लिए भी लागू है। डीआरआइ योजना के तहत उधार का लक्ष्य पिछले साल के कुल अग्रिमों के एक प्रतिशत पर बनाए रखा गया।

5. विवेकपूर्ण विनियमन

3.68 अमरीका में चल रहे वित्तीय उथल-पुथल द्वारा प्रेरित वित्तीय स्थिरता की बढ़ी हुई चिंताओं के संदर्भ में, वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विनियामक पहलों में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने पर फोकस करना जारी रहा। वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली का अंतरण बासेल II ढांचे में किए जाने के संदर्भ में वर्ष के दौरान काफी प्रगति की गयी। वर्ष के दौरान की गई एक महत्वपूर्ण पहल बैंकिंग प्रणाली में अग्रिमों के

पुनर्विन्यास से संबंधित थी। उन लिखतों को व्यापक बनाने के उपाय भी किए गए, जो बैंकों की टियर I तथा टियर II पूंजी का अंग बन सकती हैं। बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण विनियमन को भी, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में इसके महत्व को देखते हुए, सुदृढ़ किया गया।

3.69 वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के प्रतिसाद में, जी-20 कार्यदल ने मार्च 2009 में 'विवेकपूर्ण विनियमन को सुदृढ़ करना तथा पारदर्शिता को बेहतर बनाना' नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की सिफारिशें इस मान्यता के अनुरूप हैं कि भविष्य में वित्तीय स्थिरता के लिए प्रभावी वैश्विक मानदंडों के आधार पर प्रत्येक देश में सुदृढ़ विनियमन आवश्यक है। रिपोर्ट की सिफारिशें सार रूप में बाक्स III.6 में दी गयी हैं।

बासेल II - कार्यान्वयन

3.70 31 मार्च 2009 को आरआरबी तथा एलएबी को छोड़कर भारत के सभी वाणिज्य बैंकों ने बासेल II की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है। शुरुआत के तौर पर, भारत में ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किया गया है। तथापि, बासेल II ढांचे के तहत उन्नत दृष्टिकोण लागू करने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन ढांचे के उन्नयन तथा पूंजी की दक्षता की आशा है। इन्हें तथा इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने इन दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक समयसारणी तैयार की है, जिसे सारणी III.2 में दिया गया है।

3.71 बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे उपर्युक्त समयसारणी के अनुसार बासेल II प्रलेख में परिकल्पित मानदंडों के संदर्भ में उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक आकलन करें, तथा अपने बोर्डों के अनुमोदन से यह निर्णय लें कि क्या वे किसी उन्नत दृष्टिकोण की ओर अंतरित होना चाहेंगे। उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण का निर्णय लेने वाले बैंक विनिर्दिष्ट समयसारणी के अनुसार सही समय पर आवश्यक अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बॉक्स III.6: 'विवेकपूर्ण विनियमन को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता को बेहतर बनाने' के संबंध में जी-20 कार्यदल की रिपोर्ट -सिफारिशों का सार

अंतरराष्ट्रीय विनियामक मानकों को सुदृढ़ बनाने तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्य दल ने विनियमन और पारदर्शिता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। उक्त दल ने निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया :

i) वित्तीय विनियमन के प्रति प्रणाली-व्यापी दृष्टिकोण, ii) विनियमन की व्याप्ति, iii) साख निर्धारण एजेंसियों का पर्यवेक्षण, iv) पूँजी के निजी स्रोत, v) विनियामक व्यवस्थाओं का पारदर्शी मूल्यांकन, vi) प्रचक्रियता, vii) पूँजी, viii) चलनिधि, ix) ओवर-दि-काउंटर डेरिवेटिव के लिए मूलभूत संरचना, x) क्षतिपूर्ति योजनाएँ तथा जोखिम प्रबंधन, xi) लेखांकन-मानक, xii) पारदर्शिता, xiii) प्रवर्तन, और xiv) तकनीकी सहायता तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में क्षमता-निर्माण। दल की प्रमुख सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है :

सुदृढ़ व्यष्टि-विवेकपूर्ण एवं बाजार अखंडता विनियमन के पूरक के रूप में, राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक ढांचे को ऐसे समष्टि-विवेकपूर्ण आवरण के साथ प्रबलित किया जाए जो वित्तीय विनियमन के प्रति प्रणाली-व्यापी दृष्टिकोण तथा पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करे और प्रणाली में अत्यधिक जोखिमों के निर्माण को कम करे। अधिकतर अधिकार-क्षेत्रों में, इसके लिए विभिन्न वित्तीय प्राधिकारियों के बीच सुदृढ़ समन्वय तंत्र, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का ध्यान रखने के लिए सभी वित्तीय प्राधिकरणों के पास अधिदेश तथा प्रणालीगत जोखिमों के समाधान के लिए कारगर उपायों की अपेक्षा होगी। यह एक प्रभावपूर्ण वैश्विक मंच की भी अपेक्षा करेगी जहाँ राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों के लोग मिल-बैठकर संयुक्त रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में व्याप्त प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करेंगे तथा नीतिगत प्रतिसादों में समन्वय स्थापित करेंगे।

विनियमन एवं पर्यवेक्षण की व्याप्ति को बढ़ाते हुए उसमें सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं, बाजारों तथा लिखतों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए वित्तीय प्राधिकारियों को पूँजी के निजी स्रोतों सहित सभी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं तथा बाजारों के बारे में विस्तृत जानकारी अपेक्षित होगी। बड़ी जटिल वित्तीय संस्थाओं को उनके आकार तथा विश्व में उनकी पहुँच के प्ररिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से सघन पर्यवेक्षण की अपेक्षा रहेगी। विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें समनुरूप संस्थाओं एवं उनके क्रियाकलापों के प्रति समान रूप से व्यवहार करते हुए, कानूनी हैसियत पर बल देने के बजाय उनके कार्यों और क्रिया-कलापों पर ज्यादा बल दिया जाए।

वित्तीय प्रणाली की स्थितियों में एक बार सुधार होते ही, पूँजी एवं चलनिधि के सुरक्षित भंडार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक ऊँचे उठाये जाने चाहिए तथा अनुकूल समय में पूँजी भंडार में वृद्धि तथा उनके लिए प्रावधान को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि संकट काल में पूँजी द्वारा नुकसान की भरपाई की जा सके तथा उसका आहरण किया जा सके।

विस्तारित वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) (भारत को एक सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों, समष्टिगत विवेकपूर्ण विनियमन सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों, विनियमन की व्याप्ति, पूँजी की पर्याप्तता और चलनिधि के सुरक्षित भंडार के संबंध में समन्वय होना चाहिए ताकि एक साझा एवं सुसंगत अंतरराष्ट्रीय ढांचा सुनिश्चित किया जा सके, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों को अपने-अपने देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने देश में लागू करना चाहिए। सभी जी-20 देशों में वित्तीय विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक ढांचों तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा आवधिक तौर पर की जानी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे विधिमाम्य किया जाना चाहिए तथा सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

प्रभावी समष्टि-विवेकपूर्ण ढांचे के साथ अनुपूर्त सुदृढ़ व्यष्टि-विवेकपूर्ण तथा बाजार-आचरण विनियमन के लिए कई समर्थक नीतियाँ तथा मूलभूत संरचना में वृद्धि अपेक्षित है, जिनमें शामिल हैं - क्षतिपूर्ति प्रथाएँ जो एफएसएफ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप विवेकपूर्ण जोखिम लेने को संवर्धित करती हैं; डेरिवेटिव संविदाओं का गुरुतर मानकीकरण तथा जोखिम-सह केंद्रीय प्रतिपक्षकारों का उपयोग; सुधरे हुए लेखांकन मानक, जो कि ऋण-जनित हानि के प्रावधानों की बेहतर पहचान रखते हैं तथा उचित मूल्यों के लेखांकन से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हैं; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विनियमों का प्रभावी प्रवर्तन, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूति आयोग के अंतरराष्ट्रीय संगठन की आचार संहिता का प्रभावी प्रवर्तन शामिल है; तथा राष्ट्रीय प्राधिकरणों एवं अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों का साथ-साथ कार्य करना और वित्तीय विनियामक एवं पर्यवेक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में परस्पर सहयोग करना तथा समग्र जी-20 में तथा इससे भी आगे उसका कार्यान्वयन।

3.72 पिछले दो वर्षों में नए पूँजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) को साथ-साथ चलाने से प्राप्त अनुभव के संदर्भ में, तथा बोर्डों को और रिजर्व बैंक को सूचना देने में मानकीकरण की मात्रा सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी, एक रिपोर्टिंग फार्मेट तैयार किया गया है जिसे सभी बैंकों द्वारा अपनाया जाना है। उक्त फार्मेट में रिपोर्टिंग विवेकपूर्ण सतहों के अनुपालन की निगरानी के लिए किसी बैंक द्वारा एनसीएएफ में अंतरण किए जाने की तारीख के अनुसार मार्च 2011 / मार्च 2012 तक जारी रखने की आशा है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे 31 दिसम्बर

2008 को समाप्त तिमाही से अपने बोर्डों को रिपोर्ट करने के लिए फार्मेट अपनाएं।

केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के प्रति बैंकों के एक्सपोजर

3.73 करेंसी फ्यूचर्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स जैसी संविदाओं का निपटान करते समय बैंकों का एक्सपोजर शेयर बाजारों के साथ संबद्ध सीसीपी के प्रति होता है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, फ्यूचर्स और ऑप्शन्स एक्सचेंजों में ट्रेडिंग वाली लिखतें, जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट तथा मार्जिन संबंधी भुगतानों के अधीन हैं, पूँजी संबंधी

सारणी III.2 : बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए समयसारणी

दृष्टिकोण	बैंकों द्वारा आरबीआइ को आवेदन प्रस्तुत करने की सबसे पहली तारीख	आरबीआइ द्वारा अनुमोदन की संभावित तारीख
1	2	3
क. बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	अप्रैल 1, 2010	मार्च 31, 2011
ख. परिचालनात्मक जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)	अप्रैल 1, 2010	सितम्बर 30, 2010
ग. परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)	अप्रैल 1, 2012	मार्च 31, 2014
घ. ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (मूल तथा उन्नत आइआरबी)	अप्रैल 1, 2012	मार्च 31, 2014

अपेक्षाओं से मुक्त हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग तथा उनके प्रति बकाया प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेनों (अर्थात् संपार्श्वकीकृत उधार लेने और उधार देने के संगठनों, रिपो) संबंधी सीसीपी के प्रति एक्सपोजर को प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के लिए शून्य एक्सपोजर मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि यह माना गया है कि सीसीपी के प्रतिपक्षकारों के प्रति उनके एक्सपोजर दैनिक आधार पर पूरी तरह से संपार्श्वकीकृत होते हैं, और इस प्रकार सीसीपी के ऋण जोखिम एक्सपोजरों के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। सीसीपी के पास बैंकों द्वारा रखी गयी जमाराशियों / संपार्श्वकों पर सीसीपी के स्वरूप के उपयुक्त जोखिम भार दिए जाएंगे। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा तथा अन्य सीसीपी के लिए यह एनसीएएफ के अनुसार इन संस्थाओं को दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा। मार्जिन की पर्याप्तता, संपार्श्वक की गुणवत्ता तथा समाशोधन गृह / सीसीपी की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में उक्त निर्धारणों की एक साल बाद समीक्षा की जाएगी।

वाणिज्यिक भूसंपदा (सीआरई) के प्रति एक्सपोजर

3.74 बैंकों और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त इस आशय के विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में कि कतिपय एक्सपोजरों को सीआरई एक्सपोजर माना जाए अथवा नहीं, तथा साथ ही बासेल II मानदंड के प्रति स्वच-ओवर के संदर्भ में जिसमें ऐसे एक्सपोजरों से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रावधान हैं, सीआरई एक्सपोजर की परिभाषा की समीक्षा की गयी तथा 9 सितंबर 2009 को एक परिपत्र जारी किया गया। तदनुसार, यदि चुकौती मूल रूप से अन्य कारकों यथा व्यावसायिक परिचालनों से प्राप्त परिचालनात्मक लाभ, माल और सेवाओं की गुणवत्ता, तथा पर्यटकों के आगमन पर निर्भर हो, तो एक्सपोजर को वाणिज्यिक भूसंपदा के

रूप में नहीं माना जाएगा। यह संभव है कि किसी एक्सपोजर को एक साथ एक से अधिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि अलग-अलग वर्गीकरण अलग-अलग विचारों द्वारा चालित होते हैं। ऐसे मामलों में, एक्सपोजर को उन सभी श्रेणियों के लिए, जिनके लिए एक्सपोजर समनुदेशित हो, रिजर्व बैंक अथवा स्वयं बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक/विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा, यदि कोई हो, के लिए हिसाब में लिया जाएगा। पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए, सभी श्रेणियों के बीच लागू सबसे बड़े जोखिम भार एक्सपोजर के लिए लागू होंगे।

बैंकों द्वारा अधिमान शेयरों का निर्गम

3.75 विनियामक पूंजी के अंग के रूप में अधिमान शेयर जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों को अप्रैल 2009 में आंशिक रूप से आशोधित किया गया। टियर I पूंजी में शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) के लिए लाभांश की आंशिक अदायगी तथा ऊपरी टियर II पूंजी में शाश्वत संचयी अधिमान शेयरों/मोचनीय असंचयी अधिमान शेयरों/मोचनीय संचयी अधिमान शेयरों पर ब्याज भुगतान की अनुमति उक्त आशोधन द्वारा दी गयी। साथ ही, सितम्बर 2009 में कुछ शर्तों के अधीन बैंकों को 'काल' और 'स्टेप अप' विकल्पों के साथ टियर II पूंजी के रूप में गौण ऋण जारी करने की अनुमति दी गयी है।

एसएलआर प्रतिभूतियां

3.76 सितम्बर 2009 में, रिजर्व बैंक ने आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया कि नकदी प्रबंधन बिल को भारत सरकार खजाना बिल के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार इसे एसएलआर प्रतिभूति माना जाएगा।

बैंकों के प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कार्यकलापों का विनियमन

3.77 गौण ऋण जारी करने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में यह विनिर्दिष्ट है कि इस लिखत पर ब्याज दर स्प्रेड निर्गम के समय भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूति की समतुल्य अवशिष्ट परिपक्वता पर होने वाले प्रतिफल की तुलना में 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होगा। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पीडी द्वारा टियर II तथा टियर III पूंजी अपेक्षाओं के तहत गौण लिखतों के निर्गम के समय ब्याज दर स्प्रेड पर अधिकतम सीमा तत्काल प्रभाव से हटा दी जाए। इसके बाद पीडी अपने निदेशक मंडलों द्वारा निर्णीत ब्याज दरों पर गौण टियर II तथा टियर III बांड जारी कर सकते हैं। पीडी संबंधी कार्यकलाप करने वाले बैंकों को गौण ऋण लिखतें जारी करने के संबंध में इन अनुदेशों का पालन करना होगा।

परोक्ष स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की स्थापना

3.78 जून 2009 में, रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके द्वारा अभिज्ञात केंद्रों/ स्थलों पर परोक्ष एटीएम लगाने की अनुमति, प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, प्रदान की। तथापि, यह अनुमति रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक माने जाने पर उसके द्वारा जारी किसी प्रकार के निदेश, इस प्रकार के किसी परोक्ष एटीएम को बंद करने / हटाने सहित, के अधीन होगी। बैंकों को चाहिए कि वे उक्त आम अनुमति के अनुसार उनके द्वारा स्थापित परोक्ष एटीएम के पूरे ब्यौरे उसके परिचालन के तुरंत बाद तथा किसी भी स्थिति में दो सप्ताह के भीतर रिजर्व बैंक को सूचित करें।

बैंकों द्वारा पूंजी की प्रति-धारिता

3.79 अक्टूबर 2008 में, बैंकों के बीच पूंजी की प्रति-धारिता के संबंध में, रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया कि किसी बैंक अथवा उसके समूह की संस्थाओं की सकल 'स्वाम्य' धारिताएं निवेशिती बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। 5 प्रतिशत की इस सीमा की गणना करते समय, समूह से संबंधित आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) की 'प्रत्ययी' धारिताओं को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। निवेशिती बैंक स्वीकृति के लिए रिजर्व बैंक

से संपर्क कर सकता है, यदि प्रत्ययी धारिताओं सहित कुल धारिताएं इस सीमा से अधिक हैं। साथ ही, एएमसी को निवेशिती बैंक में अपनी धारिताओं पर मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा निवेशिती बैंक के बोर्ड में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं रखना चाहिए।

3.80 रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिसम्बर 2008 में (यूसीबी को जनवरी 2009 में) सूचित किया कि लेखा-परीक्षा फर्मों को उस वर्ष के दौरान बैंक में आंतरिक कार्यों से जुड़े होने पर सांविधिक लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि उक्त फर्मों आंतरिक कार्य से संबद्ध हों, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य स्वीकार करने के पहले वे आंतरिक कार्य त्याग दें।

कंपनियों, वाणिज्यिक भू-संपदा तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार

3.81 कंपनियों पर रेटिंग न किए गए सभी दावों, दीर्घावधि अथवा अल्पावधि, पर चाहे दावे की राशि कुछ भी हो, एससीबी के लिए नवम्बर 2008 से 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा। वाणिज्यिक भू-संपदा द्वारा प्रतिभूत दावों पर तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर पर एससीबी और यूसीबी दोनों के लिए जोखिम भार 100 प्रतिशत निर्धारित किया।

बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजर

3.82 रिजर्व बैंक ने बैंकों के तुलनपत्र के एक्सपोजरों के संबंध में विवेकपूर्ण ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु हाल में कई उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त जोखिम भार और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं शामिल हैं। वैश्विक वित्तीय बाजारों की हाल की गतिविधियों के संदर्भ में, यह जरूरी समझा गया कि बैंकों के विशिष्ट तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के लिए परिवर्तन कारकों, अतिरिक्त जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में चालू विनिर्देशों की समीक्षा की जाए तथा उपयुक्त विवेकपूर्ण अपेक्षाएं निर्धारित की जाएं। तदनुसार, मई 2008 में अपेक्षित आशोधनों को शामिल करते हुए दिशानिर्देशों का मसौदा जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। प्राप्त प्रतिपुष्टि

के आधार पर अगस्त 2008 में दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों के बारे में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2007-08 में चर्चा की गई है।

3.83 अक्टूबर 2008 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि किसी डेरिवेटिव संविदा के बाजार भाव पर धनात्मक मूल्य को दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्य राशियों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, वर्तमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार, ग्राहक को स्वीकृत सभी अन्य निधिकृत सुविधाओं को भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

3.84 बैंकिंग उद्योग के बदले परिदृश्य में, जिसके तहत बैंक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10 वर्षों से अधिक अवधि के लिए दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2009 में 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटी जारी करने की अनुमति बैंकों को दी। तथापि, बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऐसी गारंटियां जारी करते हुए वे अपने आस्ति देयता प्रबंधन पर बहुत लम्बी अवधि की गारंटियों के प्रभाव को ध्यान में रखें। साथ ही, बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक की गारंटी जारी करने के बारे में उपयुक्त समझी गयी नीति तैयार करें।

3.85 यह देखा गया है कि कुछ बैंक कंपनियों द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में उन कंपनियों की ओर से गारंटी जारी कर रहे हैं। इस संबंध में, मई 2009 में रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान अनुदेश सिर्फ ऋणों पर लागू हैं तथा बांडों या कर्ज लिखतों पर वे लागू नहीं हैं। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कंपनी बांड अथवा किसी कर्ज लिखत के लिए जारी गारंटियों का न सिर्फ महत्वपूर्ण प्रणालीगत निहितार्थ होता है अपितु वे वास्तविक कंपनी कर्ज बाजार के विकास में भी बाधा डालते हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान विनियमों का अनुपालन कड़ाई से करें तथा विशेष रूप से बांडों अथवा किसी प्रकार की कर्ज लिखतों के निर्गम के लिए गारंटी या समतुल्य वचनबद्धताएं न दें।

बैंकों द्वारा अग्रिमों का पुनर्विन्यास

3.86 अगस्त 2008 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अग्रिमों के पुनर्विन्यास के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। जहां रिज़र्व

बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि उन्हें 'मानक', 'अवमानक' तथा 'संदिग्ध' श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अर्थक्षम संस्थाओं के खातों का पुनर्विन्यास करना है, इसने यह स्पष्ट किया कि बैंक पूर्वव्यापी प्रभाव से इन खातों का पुनर्विन्यास नहीं कर सकते। योजना के तहत आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

आस्ति वर्गीकरण मानदंड

3.87 पुनर्विन्यास के प्रस्ताव पर विचार करते हुए बैंकों को सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का अनुसरण करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विन्यस्त पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की स्थिति पुनर्विन्यास / पुनर्निर्धारण / पुनर्वार्ता के बाद खाते के आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के बारे में निर्णय लेने के लिए सुसंगत होगी। पुनर्विन्यास के लिए खाते पर विचार करने के पहले, बैंक मामला-दर-मामला आधार पर कुछ स्वीकार्य अर्थक्षमता बेंचमार्क लागू करके खाते की वित्तीय अर्थक्षमता निर्धारित करें। गैर-अर्थक्षम खातों के मामले में, बैंकों को वसूली की प्रक्रिया तेज करनी होगी तथा वे पुनर्विन्यास की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। उधारकर्ता के नकदी प्रवाह पर विचार किए बिना तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं / कार्यकलाप की अर्थक्षमता का आकलन किए बिना किए गए किसी तरह के पुनर्विन्यास को कमजोर ऋण सुविधा को सदाहरित करने का प्रयास माना जाएगा तथा यह पर्यवेक्षणात्मक चिंताओं / कार्रवाई को निमंत्रण देगा। उधारकर्ताओं को जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर, बैंक को अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि उधारकर्ता पुनर्विन्यास शुरू किए जाने के पहले जानबूझकर चूक करने को सुधारने की स्थिति में होगा। ऐसे मामलों में पुनर्विन्यास बोर्ड के अनुमोदन से किया जाना चाहिए।

3.88 रिज़र्व बैंक ने विनिर्दिष्ट किया कि 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को पुनर्विन्यास के बाद तत्काल 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अनर्जक आस्तियों का आस्ति वर्गीकरण पुनर्विन्यास से पहले के अनुसार किया जाता रहेगा तथा पुनर्विन्यास से पहले की चुकौती अनुसूची के संदर्भ में वर्तमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार वे और न्यूनतर

आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों में चली जाएंगी। तथापि, पुनर्विन्यास के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत सभी खाते पुनर्विन्यास पैकेज की शर्तों के तहत ब्याज या मूलधन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक साल की अवधि के दौरान 'संतोषजनक कार्यनिष्पादन' देखे जाने के बाद 'मानक' श्रेणी में उन्नयन के लिए पात्र होंगे। तथापि, इस अवधि के बाद 'संतोषजनक कार्यनिष्पादन' दिखायी न पड़ने पर, पुनर्विन्यस्त खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्विन्यास से पहले की अदायगी अनुसूची के संदर्भ में लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार नियंत्रित होगा। साथ ही, किसी तरह के अतिरिक्त वित्त को अनुमोदित पुनर्विन्यास पैकेज के तहत पहले ब्याज / मूलधन की अदायगी, जो भी पहले हो, देय होने के बाद एक साल की अवधि तक 'मानक आस्ति' के रूप में माना जाएगा। तथापि, 'अवमानक' तथा 'संदिग्ध' पुनर्विन्यास-पूर्व सुविधाओं के मामले में अतिरिक्त वित्त पर ब्याज आय का निर्धारण सिर्फ नकदी आधार पर किया जाना चाहिए।

आय निर्धारण मानदंड

3.89 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्विन्यस्त खातों के संबंध में ब्याज आय का निर्धारण प्रोद्भवन के आधार पर किया जाएगा तथा 'एनपीए' के संबंध में अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर उक्त निर्धारण नकदी आधार पर किया जाएगा।

प्रावधानीकरण मानदंड

3.90 वर्तमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार बैंकों को पुनर्विन्यस्त अग्रिमों के प्रति प्रावधान करना होता है। इसके अलावा, बैंकों को पुनर्विन्यास के अंग के रूप में ब्याज दर में की गयी कटौती अथवा मूलधन की चुकौती के पुनर्निर्धारण के कारण अग्रिमों के उचित मूल्य में हुई किसी प्रकार की कमी को मापना पड़ता है। इस प्रकार की कमी का प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ेगा तथा यह बैंक के लिए आर्थिक हानि है। "अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए क्षय का परिकलन पुनर्विन्यास के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाना चाहिए। पुनर्विन्यास के पहले ऋण के उचित मूल्य का परिकलन नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाएगा जो पुनर्विन्यास के पहले अग्रिम पर लागू

वर्तमान दर पर ब्याज को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाई गयी मूल राशि को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त मीयाद प्रीमियम और ऋण जोखिम प्रीमियम को दर्शाएगा"। पुनर्विन्यास के बाद ऋण के उचित मूल्य का परिकलन "नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाएगा जो पुनर्विन्यास पर अग्रिम पर लागू दर पर ब्याज को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाई गयी मूल राशि को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त मीयाद प्रीमियम और ऋण जोखिम प्रीमियम को दर्शाएगा"। बैंकों को प्रावधानीकरण संबंधी वर्तमान मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों के अलावा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रावधान करने होंगे। साथ ही, इसे सामान्य प्रावधान के लिए बनाए गए खाते से अलग खाते में रखना होगा। एक खाते के प्रति अपेक्षित कुल प्रावधान की अधिकतम सीमा बकाया ऋण राशि का 100 प्रतिशत होगी।

मूलधन को ऋण/इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

3.91 बकाया मूलधन के हिस्से को परिवर्तित करके बनायी गयी ऋण/इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण उसी आस्ति श्रेणी में किया जाएगा जिसमें पुनर्विन्यस्त अग्रिम को वर्गीकृत किया गया है। इन लिखतों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्यन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अप्रदत्त ब्याज को 'निधिकृत ब्याज मीयादी ऋण' (एफआइटीएल), ऋण या इक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

3.92 अप्रदत्त ब्याज को परिवर्तित करके बनायी गयी एफआइटीएल/ ऋण अथवा इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में किया जाएगा जिसमें पुनर्विन्यस्त अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआइटीएल/ ऋण अथवा इक्विटी लिखतों द्वारा दर्शायी गयी वसूल न की गयी आय की जवाबी जमा प्रविष्टि 'विविध देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)' नामक खाते में दर्ज की जाएगी। मूल्यन तथा प्रावधानीकरण मानदंड मूल धन के

ऋण/इक्विटी में परिवर्तन के मामले के अनुसार होंगे।

3.93 नवम्बर 2008 में, पुनर्विन्यस्त अग्रिमों की चुकौती अवधि के लिए 10 वर्षों की अधिकतम सीमा को हटाकर आवास ऋणों पर विशेष विनियामक व्यवहार लागू किया गया। तथापि, पुनर्विन्यस्त आवास ऋणों पर 25 प्रतिशत अंकों के अतिरिक्त जोखिम भार सहित जोखिम भार लगाया जाना चाहिए। दिसम्बर 2008 में, 30 जून 2009 तक पुनर्विन्यस्त वाणिज्यिक भू-संपदा एक्सपोजरों पर भी विशेष विनियामक व्यवहार लागू किया गया। साथ ही, अर्थक्षम इकाइयों तक के द्वारा अस्थायी नकदी प्रवाह की समस्या का सामना किए जाने को देखते हुए, 30 जून 2009 तक बैंकों द्वारा एक्सपोजरों के बारे में किए गए दूसरे पुनर्विन्यास को भी एक बार के उपाय के रूप में अपवादात्मक / विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र बनाया गया।

3.94 जनवरी 2009 में, रिजर्व बैंक ने 1 सितम्बर 2008 को मानक माने गए सभी खातों पर अपवादात्मक / विशेष विनियामक व्यवहार लागू किया। तथापि, इस विस्तार का लाभ उठाने के लिए, बैंक को 31 जनवरी 2009 को या उससे पहले पुनर्विन्यास शुरू करना है तथा इसे बाद में 31 मार्च 2009 तक बढ़ाया गया। साथ ही, पुनर्विन्यास पैकेज शुरू करने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर पुनर्विन्यास पैकेज लागू करना था। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों में 1 सितम्बर 2008 तक खाते मानक स्थिति में थे परंतु 31 मार्च 2009 से पहले अनर्जक आस्ति श्रेणी में चले गये, उन्हें 31 मार्च 2009 को मानक के रूप में तभी सूचित किया जाएगा यदि पुनर्विन्यास पैकेज का कार्यान्वयन 31 मार्च 2009 से पहले किया जाए तथा अब तक इस संबंध में निर्धारित सभी शर्तें पूरी हों।

3.95 अपवादात्मक/विशेष विनियामक व्यवहार सभी 'मानक' तथा 'अवमानक' खातों पर भी लागू किए गए, भले ही कार्यशील पूंजीगत मीयादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) के लिए उन पर पूर्ण प्रतिभूति रक्षा उपलब्ध न हो। तथापि, यह इस शर्त के अधीन है कि बैंक के पास इन ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान हो अर्थात् मानक आस्तियों के लिए 20 प्रतिशत, अवमानक आस्तियों के लिए पहले साल 20 प्रतिशत जिसे हर साल 20 प्रतिशत बढ़ाया जाना है, तथा विनिर्दिष्ट

अवधि के बाद उन्नयन के लिए अपात्र खातों के अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत। ये सभी रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एक बार के उपाय थे, जो 30 जून 2009 तक कार्यान्वित पुनर्विन्यास पैकेजों पर लागू थे।

जोखिम प्रबंधन

3.96 चल रहे वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के बारे में विभिन्न दिशानिर्देश जारी कर रहा है। बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहलें की गयीं यथा प्रावधानीकरण में आशोधन।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण

3.97 आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड अपरिवर्तित बने रहे, उन्हें छोड़कर जो कार्यान्वयनाधीन उन परियोजनाओं पर लागू थे जिनमें अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था, जहां परियोजनाएं मूलभूत संरचना से संबंधित थीं। सिर्फ मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंडों को 31 मार्च 2008 से आशोधित किया गया। फलस्वरूप, मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं को उस स्थिति में अवमानक माना जाएगा यदि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख परियोजना पूरी होने के लिए मूल रूप से परिकल्पित तारीख के बाद पहले विनिर्दिष्ट एक साल की तुलना में दो वर्ष की अवधि के भी बाद की हो। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा 28 मई 2002 के बाद वित्तपोषित मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए, यदि वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन प्रारंभ होने की तारीख, परियोजना की आरंभिक वित्तीय लेखाबंदी के समय मूल रूप से परिकल्पित किए गए अनुसार, मूलभूत संरचना संबंधी परियोजना पूरी होने की तारीख के बाद दो वर्षों की अवधि के बाद की हो, तो उस खाते को 31 मार्च 2008 से अवमानक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि परियोजना की उक्त दो वर्ष की अवधि पूरी होने जा रही हो, तो बैंकों से यह प्रत्याशित होगा कि वे पुनर्विन्यास के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए उस

परियोजना की अर्थक्षमता का अध्ययन करें तथा जरूरत पड़ने पर आस्ति पुनर्विन्यास पर विचार करें ताकि आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

3.98 प्रतिचक्रिय उपाय के रूप में, वर्तमान आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए, सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को 15 नवम्बर 2008 से घटाकर 0.40 प्रतिशत के एक समान स्तर पर ला दिया गया, कृषि तथा एसएमई क्षेत्रों को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिम इसके अपवाद थे जिनके मामले में अब तक की तरह 0.25 प्रतिशत का प्रावधानीकरण लागू रहेगा।

प्रावधानों का विवेकपूर्ण व्यवहार

3.99 प्रावधानीकरण के लिए विनियामक मानदंड न्यूनतम अपेक्षा को दर्शाते हैं। बैंक स्वेच्छा से एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान ऐसी दरों पर कर सकते हैं जो वर्तमान विनियमनों के तहत निर्धारित दरों से उच्चतर हों, यदि ऐसी उच्चतर दरें वसूली योग्य राशि में अनुमानित वास्तविक हानि के लिए प्रावधान करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति पर आधारित हों तथा यह नीति निरंतर साल-दर-साल अपनायी गयी हो। इस संबंध में, मार्च 2009 में, रिजर्व बैंक ने कहा कि मानक आस्ति की बिक्री के मामले में यदि बिक्री संबंधी प्रतिफल बही मूल्य से उच्चतर हो, तो अतिरिक्त प्रावधान लाभ और हानि खाते में जमा किए जाएं। साथ ही, एससीबी और यूसीबी एनपीए की बिक्री में से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधानों को कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन टियर II पूंजी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।

3.100 चल प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में जमा करके प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता, पर इसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए ही किया जा सकता है। अगस्त 2009 में, रिजर्व बैंक ने कहा कि इस प्रकार का उपयोग किए जाने तक निवल एनपीए के प्रकटीकरण तक आने के लिए इन प्रावधानों को सकल एनपीए से घटाया जा सकता है, अथवा वैकल्पिक

रूप से उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर टियर II पूंजी के अंग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, एफएसबी, बीसीबीएस, सीजीएफएस तथा प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण सहित प्रतिचक्रियता को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में लेखांकन मानक रखनेवालों द्वारा चल रहे कार्य को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इस नीति को आशोधित कर दिया जाएगा।

अप्रतिभूत अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड

3.101 पारदर्शिता बढ़ाने तथा बैंकों के तुलनपत्र की अनुसूची 9 में अप्रतिभूत अग्रिमों की सही स्थिति दर्शाना सुनिश्चित करने के लिए, अप्रैल 2009 में यह सूचित किया गया कि प्रकाशित तुलनपत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए अप्रतिभूत अग्रिमों की राशि निर्धारित करने हेतु, बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में उन्हें प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, और प्राधिकारों को मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। अतः ऐसे अग्रिमों की गणना अप्रतिभूत अग्रिम के रूप में की जाएगी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अग्रिमों की उस कुल राशि को प्रकट करें जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकार, लाइसेंस, और प्राधिकार पर प्रभार प्राप्त किए गए हों तथा ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी प्रकट करें।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति

3.102 जून 2009 के अंत में, भारत में 293 शाखाओं सहित 32 विदेशी बैंक कार्यरत थे। इसके अलावा, 43 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से भारत में कार्यरत थे। फरवरी 2005 में, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ने द्विमार्गीय और क्रमिक दृष्टिकोण निर्धारित करते हुए 'भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रूपरेखा' जारी की, जिसका उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता और स्थिरता बढ़ाना था। एक मार्ग निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में देशी बैंकिंग प्रणाली के समेकन से संबंधित था, तथा दूसरा मार्ग समक्रमित रूप में विदेशी बैंकों की उपस्थिति की क्रमिक वृद्धि से संबंधित था। उक्त रूपरेखा को दो चरणों में बांटा गया था, पहला

चरण मार्च 2005 - मार्च 2009 अवधि से संबंधित था, तथा पहले चरण में प्राप्त अनुभव की समीक्षा के बाद दूसरा चरण अप्रैल 2009 से शुरू होना था। वर्तमान वैश्विक वित्तीय बाजार उथल-पुथल के संदर्भ में, विश्व भर में बैंकों की वित्तीय शक्ति के बारे में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक नीतियों की समीक्षा की जा रही है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति संबंधी वर्तमान नीति तथा प्रक्रियाएं जारी रखी जाएं। पणधारियों के साथ उचित परामर्श करने के बाद प्रस्तावित समीक्षा उस समय की जाएगी जब विश्वभर में स्थिरता, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार, तथा विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे की साझेदारीपूर्ण समझ के बारे में अधिक स्पष्टता सामने आ जाए।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति

3.103 सितम्बर 2006 में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएएसए) (अध्यक्ष : डॉ. रakesh मोहन) ने भारत के वित्तीय क्षेत्र का स्वमूल्यांकन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2009 में प्रस्तुत की। यह स्वमूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ भारतीय वित्तीय क्षेत्र की अनुरूपता सुनिश्चित करने तथा उसकी समग्र स्थिरता का आकलन करने की इच्छा द्वारा प्रेरित था। वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया तीन परस्पर प्रबलित करने वाले स्तंभों पर आधारित है : स्तंभ I (वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन और तनाव परीक्षण), स्तंभ II (संस्थागत और विधिक मूलभूत संरचना संबंधी मुद्दे) तथा स्तंभ III (वित्तीय मानकों और कोडों का मूल्यांकन)। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए, चार स्वतंत्र सलाहकार पैनलों की नियुक्ति की गयी। इन सलाहकार पैनलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों और कोडों के अनुपालन में मौजूद अंतरालों की पहचान की गयी तथा संभावित नीतिगत कार्रवाई का सुझाव दिया गया। इन सलाहकार पैनलों की रिपोर्टों की समकक्ष समीक्षा इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा भी करायी गयी। इन स्वतंत्र समीक्षाओं द्वारा वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन को और अधिक सुनिश्चित किया गया है। भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली के संबंध में समिति की टिप्पणियां बॉक्स III.7 में दी गयी हैं।

6. पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षणात्मक नीति

3.104 वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण विनियमन जैसा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियामक नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित होगा। वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के प्रति पूरा ध्यान देने के लिए 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया। 2008-09 के दौरान बीएफएस द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी की निगरानी, बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण, वित्तीय संगठनों का पर्यवेक्षण शामिल हैं (अनुबंध III.1 भी देखें)।

भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण

3.105 वर्तमान में, भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन का पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों, मोटे तौर पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के पर्यवेक्षण के बारे में गठित अनौपचारिक कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे पर्यवेक्षण संबंधी विभिन्न साधन निम्नानुसार हैं।

परोक्ष निगरानी

3.106 बैंकों द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27(2) के तहत सात तिमाही डीएसबी(ओ) विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं। इन विवरणियों द्वारा प्राथमिक तौर पर विदेशी शाखाओं की स्थिति के वित्तीय पहलुओं को समाविष्ट किया जाता है यथा आस्तियां, देयताएं तथा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर, संरचनागत चलनिधि, समस्यापूर्ण क्रेडिट और निवेश, बड़े एक्सपोजर, देश के एक्सपोजर तथा परिपक्वता, लाभप्रदता और धोखाधड़ी।

3.107 वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक को संबोधित अर्धशासकीय पत्र द्वारा तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें विदेशी शाखाओं के कार्यों पर फोकस करते हुए तिमाही की गतिविधियां शामिल की जाती हैं। इसमें बैंकों को प्रभावित करने

बॉक्स III.7: भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली के संबंध में सीएफएसए की टिप्पणियां

वित्तीय संस्थाओं के स्थिरता मूल्यांकन और तनाव परीक्षण के आधार पर, सीएफएसए ने यह पाया कि भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली मोटे तौर पर सुदृढ़ है। जहां बैंक ऋण, चलनिधि और बाजार जोखिमों के कारण होने वाले बड़े आघातों को सामान्य तौर पर आत्मसात करने की स्थिति में थे, वहीं बैंकों के तुलनपत्रों में बढ़ती हुई अंतरलता के कारण चलनिधि जोखिम के संबंध में कुछ चिंताएं थीं। अतः इस बात की जरूरत है कि चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए। आगे चल कर, तनाव परीक्षण अधिक व्यवस्थित आधार पर करने की जरूरत है ताकि दूसरे दौर की और संक्रमणकारी जोखिमों को पकड़ा जा सके।

वाणिज्य बैंकों का सरकारी स्वामित्व दुविधा उत्पन्न करता है क्योंकि यह दलील दी जाती है कि इससे भूमिकाओं और विनियामक परिहार के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। समान स्तरीय विनियमन के माध्यम से हितों के टकराव की संभावना को न्यूनतम किया जा सकता है जैसी कि स्थिति भारत में है। साथ ही, भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूँजीकरण की लागत भी अपेक्षाकृत कम है।

अतीत में सरकार ने पूँजी अंशदान करने में हमेशा इच्छा दर्शायी है तथा अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वृद्धि पूँजी की कमी के कारण बाधित नहीं हुई है। परंतु भविष्य में इन बैंकों की पूँजी को बढ़ाना एक चुनौती बन सकती है। इसका प्रबंधन कई तरीकों से किया जा सकता है, यथा समामेलन जिसमें वाणिज्यिक सहक्रिया हो, नयी लिखतों (जैसे विदेशी मुद्रा में शाश्वत अधिमान शेयर जारी करने) के जरिए पूँजी जुटाना। यदि कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो, तो सरकारी इक्विटी में चयनात्मक कमी के बारे में सोचा जा सकता है जिसके लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना अपेक्षित होगा।

वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता निर्माण की जरूरत है जिसमें प्रशिक्षण, उत्तराधिकार आयोजना, पारिष्कृत भर्ती तथा पारिश्रमिक में सुधार (विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए) पर बल दिए जाने के साथ एक उपयुक्त और संतुलित प्रोत्साहन ढांचे के माध्यम से अधिक जोखिम उठाने को हातोत्साहित करना शामिल है। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के लिए डब्ल्यूटीओ की वचनबद्धता और मानदंडों का अनुपालन करते हुए एक सुविचारित दृष्टिकोण का अनुसरण करने की जरूरत है। सीएफएसए ने प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की सिफारिश करते हुए बैंकों के बाजार आधारित समेकन को प्रोत्साहित करने की सलाह दी है।

सीएफएसए ने यह नोट किया है कि संयोजन के संबंध में प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियों के कारण बैंकों के समामेलन में देरी हो सकती है। साथ ही, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के कुछ प्रावधानों से विनियामक ओवरलैपिंग तथा आयोग और सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों के बीच टकराव हो सकता है। सीएफएसए की राय में, केंद्र सरकार विनियामक टकराव टालने के लिए बैंकों के संबंध में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 54 के तहत आवश्यक छूट दे सकती है।

सीएफएसए जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता पूर्ण क्षेत्र मानती है तथा यह नोट करती है कि रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिचक्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों का फायदा हाल में हुआ है। इसने उपयुक्त लेखांकन और प्रकटीकरण मानदंडों की बढ़ती अपेक्षा पर बल दिया है, विशेष रूप से डेरिवेटिव लेनदेनों तथा चलनिधि जोखिम के बेहतर प्रबंधन के संबंध में। इस संदर्भ में, उक्त रिपोर्ट में उस स्थिति में एक विशिष्ट पूँजी प्रभार निर्दिष्ट करने की सिफारिश की गयी है, यदि एक वाणिज्य बैंक द्वारा खरीदी गयी चलनिधि पर निर्भरता प्रवेश सीमा से अधिक हो रही हो।

वाले विनियामक ढांचे में परिवर्तन, मेजबान देश के विनियमनों का अनुपालन न किए जाने के ब्यौरे जिनमें उन परिस्थितियों का उल्लेख हो जिनके तहत अनुपालन में चूक हुई हो, व्यावसायिक माहौल, ऋण और नियंत्रण के क्षेत्रों, धोखाधड़ी/गंभीर अनियमितताओं की घटनाओं, लेखा-परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित प्रमुख विशेषताओं तथा मामले को ठीक करने के लिए की गयी / करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई जैसे क्षेत्रों को समाविष्ट किया जाता है।

3.108 कुछ मामलों में, भारतीय बैंकों की शाखाओं से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टें / रेटिंग मेजबान देश के कुछ विनियामकों/पर्यवेक्षकों से प्राप्त होती हैं। बैंकों के अनुपालन अधिकारियों से भी यह अपेक्षित है कि वे विदेशी विनियामक उल्लंघनों की घटनाओं तथा संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट मासिक आधार पर अपने निदेशक मंडल तथा रिजर्व बैंक को किया करें तथा ऐसा उल्लंघन न होने पर भी एक शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया करें। भारतीय बैंकों के वित्तीय निरीक्षण के

दौरान, उनके विदेशी परिचालनों की जांच प्रधान कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर की जाती है। रिजर्व बैंक प्रेस में सूचित गतिविधियों पर भी निगरानी रखता है।

प्रत्यक्ष निरीक्षण

3.109 रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार समय-समय पर विदेशी शाखाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन का वर्तमान पर्यवेक्षणात्मक ढांचा प्रमुख तौर पर परोक्ष निगरानी पर निर्भर है तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण की प्रणाली का ब्यौरेवार उल्लेख औपचारिक तौर पर नहीं किया गया है। प्रत्यक्ष तथा तुलनपत्र बाह्य दोनों मदों के बढ़ते आकार और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जरूरत महसूस की गयी कि भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों से संबंधित वर्तमान पर्यवेक्षणात्मक और विनियामात्मक ढांचे की जांच की जाए। तदनुसार, 2008-09 में

वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में दो कार्यकारी दलों के गठन की घोषणा की गयी, एक कार्यकारी दल विधिक मुद्दों सहित विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षणात्मक सहयोग तथा सीमापार पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त ढांचा अपनाने हेतु रूपरेखा तैयार करने से संबंधित था, तथा दूसरा परोक्ष रिपोर्टिंग प्रणाली सहित भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे की समीक्षा से संबंधित था।

3.110 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि यदि उनकी विदेशी शाखाएं तथा सहायक संस्थाएं ऐसा कोई कार्यकलाप कर रही हों जिसकी अनुमति बैंककारी विनियमन अधिनियम/पीएसबी के संबंधित कानून में न हो, तो उन्हें ऐसे कार्यकलाप करने के लिए रिजर्व बैंक/भारत सरकार से धारा 6(1)(एम) अथवा 19(1)(सी), जैसी स्थिति हो, के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही, उस स्थिति में रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा यदि इन शाखाओं अथवा सहायक संस्थाओं द्वारा सरल(प्लेन वैनिला) वित्तीय उत्पादों में लेनदेन किया जा रहा हो, भले ही ये उत्पाद भारतीय बाजार में उपलब्ध न हों तथा जिनके लिए रिजर्व बैंक द्वारा कोई विशिष्ट मनाही वर्तमान में न की गयी हो। तथापि, यदि वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंड यह उल्लेख नहीं करते कि इन वित्तीय उत्पादों के साथ किस प्रकार का विवेकपूर्ण व्यवहार किया जाए तो बैंकों को रिजर्व बैंक से विशिष्ट दिशानिर्देश प्राप्त करना होगा। इन उत्पादों पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे यथा पूंजी पर्याप्तता, ऋण एक्सपोजर, आवधिक मूल्यांकन तथा अन्य सभी प्रयोज्य मानदंड। बैंकों को इन एक्सपोजरों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत वर्तमान परोक्ष विवरणियों में भी करनी चाहिए। दूसरी ओर, बैंकों को उस स्थिति में रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए यदि उनकी शाखाएं अथवा सहायक संस्थाएं संरचनागत वित्तीय उत्पाद चलाने का प्रस्ताव करें। ऐसे मामलों में बैंकों को इन उत्पादों के पूरे ब्यौरे, जिनमें मेजबान देश के विनियामकों द्वारा विनियामक निर्धारण तथा ऐसे उत्पादों से निपटने के लिए शाखा/सहायक संस्था में मौजूद जोखिम प्रबंधन प्रणाली शामिल हों, रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने चाहिए।

3.111 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यदि बैंक भारतीय परिचालनों से संबंधित वित्तीय सेवाओं की अपतटीय

आउटसोर्सिंग का आश्रय ले रहे हों, तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि अपतटीय सेवा प्रदान करने वाला एक विनियमित संस्था हो, सुसंगत अपतटीय विनियामक न तो ऐसी व्यवस्था में रुकावट पैदा करेंगे तथा न ही वे रिजर्व बैंक के निरीक्षण दौरों/ बैंकों के आंतरिक और बाह्य लेखा-परीक्षकों के दौरों के प्रति आपत्ति उठाएंगे। साथ ही, अपतटीय स्थलों के विनियामक प्राधिकरण की पहुंच बैंक के भारतीय परिचालनों संबंधी आंकड़ों तक नहीं होनी चाहिए तथा अपतटीय स्थलों, जहां डेटा रखे जाते हैं, में स्थित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार भारत में बैंक के परिचालनों तक सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रोसेसिंग वहां की जा रही है (अपतटीय प्रोसेसिंग बैंक के गृह देश में किए जाने पर यह लागू नहीं होगा)। इसके अलावा, बैंकों को भारत में मूल रिकार्ड रखने चाहिए। अप्रैल 2009 में, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे आउटसोर्सिंग संबंधी संविदाओं के ब्यौरे, आंतरिक/बाह्य लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की निर्धारित आवधिकता, लेखा-परीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष तथा बोर्ड द्वारा की गयी कार्रवाई के ब्यौरे देते हुए वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें।

समेकित पर्यवेक्षण तथा वित्तीय संगुट (एफसी) निगरानी प्रक्रिया

3.112 भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों की निगरानी के बारे में गठित कार्यदल (संयोजिका : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद जून 2004 से वित्तीय संगुट निगरानी प्रक्रिया लागू की गयी है। वर्तमान वित्तीय संगुट निगरानी प्रक्रिया के मूल रूप से दो प्रमुख घटक हैं - (i) तिमाही विवरणियां प्राप्त कर परोक्ष चौकसी तथा (ii) अन्य मूल विनियामकों के सहयोग से वित्तीय संगुट की प्रमुख संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ छमाही चर्चा। तिमाही रिपोर्टिंग प्रक्रिया में विनियमित संस्थाओं की बहियों में दिखायी दे रहे अंतर-समूह लेनदेनों और एक्सपोजरों (आइटीई) की निगरानी पर फोकस किया जाता है। अंतर-समूह लेनदेनों पर इसलिए निगरानी की जाती है ताकि 'हानियों' के अंतरण का पीछा किया जा सके, विनियामक/पर्यवेक्षणात्मक अंतरपणन की स्थितियों का पता लगाया जा सके तथा लम्बी दूरी के सिद्धांतों के अनुसार गैर-अनुपालन के संबंधी मामलों की पहचान की जा सके। आइटीई पर निगरानी रखने से गुप

के भीतर की संस्थाओं को, बाहरी प्रतिपक्षकारों को तथा विभिन्न वित्तीय बाजार खंडों (इक्विटी, ऋण, मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव बाजार) को किए गए बड़े एक्सपोजरों के निर्माण का पीछा करने में भी मदद मिलती है।

वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण के लिए हाल की पर्यवेक्षणात्मक पहलें

3.113 बीएफएस निदेशों के अनुसार, वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण के लिए एक ढांचे की सिफारिश करने हेतु रिजर्व बैंक में एक आंतरिक दल का गठन किया गया। वित्तीय संगुट पर्यवेक्षण रिपोर्ट के अंग के रूप में आंतरिक दल द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच बैंक में की गयी तथा अंतिम सिफारिशें विचारार्थ बीएफएस के समक्ष प्रस्तुत की गयीं। बीएफएस ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें लागू करने के निदेश दिए हैं। आंतरिक दल द्वारा की गयी सिफारिशें दो उप शीर्षों के तहत समाविष्ट की गयी हैं - (i) बैंकों की अगुवाई वाले एफसी से संबंधित सिफारिशें तथा (ii) गैर-बैंकों की अगुवाई वाले एफसी से संबंधित सिफारिशें। जहां बैंकों की अगुवाई वाले एफसी पर लागू सिफारिशों के सेट का कार्यान्वयन रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश/निदेश जारी करके किया जाएगा, अन्य एफसी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं की तकनीकी समिति, जो एक अंतर-विनियामक मंच है, की सम्यक सहमति से सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

3.114 उक्त दल ने एफसी के परिचालनों की स्पष्ट समझ विकसित करने की जरूरत पर बल दिया है, जिनमें शामिल हैं - उसके जोखिम प्रोफाइल में परिवर्तन, 'महत्वपूर्ण' अंतर्दल लेनदेन तथा जोखिम संकेंद्रण, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावकारिता तथा नियंत्रण प्रणालियों की गुणवत्ता। तदनुसार, उक्त दल ने प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को, जिनमें बैंक विशिष्ट पर्यवेक्षण, 'बैंकिंग दल' का समेकित पर्यवेक्षण तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में एक अलग प्रभाग के भीतर अभिज्ञात एफसी का संगुट पर्यवेक्षण शामिल है, समन्वित करके बैंकिंग संगुटों के 'कड़े और सतत' पर्यवेक्षण की प्रणाली स्थापित करने की संस्तुति की है। दल द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों में एफसी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अभिशासन ढांचे पर गुरुतर/तीव्रतर बल दिए जाने पर फोकस किया गया है,

जिसमें 'उपयुक्त और उचित' सिद्धांतों को लागू करना, आइटीई से उत्पन्न जोखिम प्रबंधन और बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग दोनों संगुटों को समाविष्ट करते हुए ऋण संकेंद्रण शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अभिशासन ढांचा

3.115 उक्त दल ने मोटे तौर पर समेकित पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुरूप बैंकिंग संगुटों के लिए एक संगुटव्यापी आधार पर पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन की संस्तुति की है। मूल बैंक/अग्रणी संस्था को एक अभिशासन ढांचा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन दल उसके दलव्यापी कार्यकलापों, संसाधनों और जोखिमों के बारे में एक व्यापक राय बना सके। जहां दल ने उपयुक्त दलव्यापी अभिशासन ढांचा के बारे में निर्णय लेने की बात अलग-अलग एफसी तथा उनके प्रधान विनियामकों पर छोड़ दिया है, इसने ऐसी कतिपय उच्च स्तरीय सिद्धांतों की सिफारिश की है जिनका अनुपालन सर्वोत्तम प्रथाओं के अंग के रूप में संगुटों द्वारा किया जाना है। इस दल ने पर्यवेक्षकों के बीच वर्तमान कार्यकारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी सिफारिशें की हैं, जिनमें तिमाही विनियामक चर्चाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी की निगरानी की गतिविधि

धोखाधड़ी में शामिल मध्यस्थों के विरुद्ध बैंकों को सतर्क करना

3.116 हाल के वर्षों में बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि के साथ, इस खंड में सूचित धोखाधड़ियों में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रवृत्ति के विश्लेषण से यह पता चला कि ऐसी धोखाधड़ियां काफी सीमा तक मध्यस्थों तथा तृतीय पक्ष के सेवाप्रदाताओं यथा वकीलों, मूल्यांकनकर्ताओं, सनदी लेखाकारों, सांविधिक लेखा-परीक्षकों, भू-संपदा एजेंटों, भू-संपदा डेवेलपर्स, बिल्डरों, भंडार मालिकों, मोटर वाहन डीलरों, कृषि उपस्कर डीलरों तथा यात्रा एजेंटों की मदद से की गयी थीं। बैंकों के हितों को खतरे में डालते हुए धोखाधड़ियों में मदद करने वाले ऐसे बेईमान मध्यस्थों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया कि बैंक आइबीए को ऐसी संस्थाओं के नाम बताएंगे ताकि आइबीए द्वारा सदस्य बैंकों के बीच

परिचालन के लिए एक सतर्कता सूची तैयार की जा सके। अब बैंक धोखाधड़ी में शामिल पेशेवरों सहित ऐसे मध्यस्थों के नाम आइबीए को प्रेषित करेंगे तथा ऐसा करने से पहले वे स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेंगे कि संबंधित तृतीय पक्ष शामिल था तथा उसे उसकी बात सुनने का अवसर प्रदान किया गया था। इस संबंध में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एक औपचारिक प्रक्रिया का अनुसरण करें तथा अनुसरण की गयी प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

धोखाधड़ियों के अधिक संकेंद्रण के कारण बहिर्वासियों के रूप में अभिज्ञात बैंकों के लिए विशेष निगरानी प्रक्रिया

3.117 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने यह निदेश दिया कि बहिर्वासी बैंकों के लिए एक 'विशेष निगरानी प्रक्रिया' लागू की जानी चाहिए। निदेशों के अनुसार, रिजर्व बैंक बहिर्वासी बैंकों की पहचान के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर बैंकों में धोखाधड़ियों तथा धोखाधड़ियों के संकेंद्रण की घटनाओं की प्रवृत्ति को हिसाब में लेते हुए पहले सकल आधार पर "अवशिष्ट परिचालनात्मक जोखिम" का आकलन किया जाएगा। इसके बाद, की गयी वसूली, धोखाधड़ी में शामिल स्टाफ के विरुद्ध की गयी दंडात्मक कार्रवाई तथा धोखाधड़ी के संबंध में बैंक द्वारा उठाए गए अन्य कदमों को हिसाब में लेते हुए "निवल अवशिष्ट परिचालनात्मक जोखिम" ज्ञात करने के लिए इसे घटाया जाएगा। इसके अनुरूप, दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशिष्ट रूप से "धोखाधड़ी जोखिम" तथा सामान्य रूप से "अवशिष्ट परिचालनात्मक जोखिम" के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बैंकों में पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) करते हुए धोखाधड़ियों की घटनाओं को हिसाब में लिया गया है। इसके बाद, इस पहलू को बैंकों के साथ की जाने वाली तिमाही चर्चाओं तथा उनके साथ आयोजित एएफआई बैठकों में कवर किया जाएगा। इसी तरह, कैमेलस (पूंजी, आस्ति, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली) नामक रेटिंग ढांचे के प्रणाली तथा नियंत्रण घटक में सुसंगत मानदंडों में आवश्यक आशोधन किए जा रहे हैं जो एक बहिर्वासी अथवा धोखाधड़ियों की घटनाओं पर अनाधारित के रूप में बैंक की स्थिति तथा बैंकों की संबद्ध प्रणालियों

और नियंत्रणों की शक्ति/कमजोरी को दर्शाएगा। इन मानदंडों के आधार पर बैंकों को बहिर्वासी बैंक की श्रेणी में रखा जाएगा। उन्हें एक बार बहिर्वासी के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने पर, विनियामक प्रतिसाद, यदि कोई हो, के लिए रिजर्व बैंक को उन बैंकों से संबंधित सुसंगत जानकारी दी जाएगी।

करेंसी वितरण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में गठित उच्चस्तरीय दल की रिपोर्ट

3.118 जुलाई 2008 में, उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने 500 रुपए तथा 1000 रुपए मूल्यवर्ग के जाली नोट बड़ी संख्या में जब्त किए। इस घटना द्वारा प्रस्तुत प्रणालीगत चिंताओं का समाधान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं की अखंडता और दक्षता बढ़ाने के लिए तथा उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए करेंसी नोटों के भंडारण और वितरण की वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु अगस्त 2008 में एक उच्चस्तरीय दल (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया (बॉक्स III.8)।

धोखाधड़ी के मामले बंद करना - वर्तमान मानदंडों को शिथिल बनाना

3.119 बैंक रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो नियमित आधार पर ऐसे मामलों की निगरानी करता है। बैंकों द्वारा ऐसे मामले तभी बंद किए जा सकते हैं जब सीबीआई/पुलिस/न्यायालय में लम्बित मामले पूरी तरह से निपटा दिए जाएं, स्टाफ की जवाबदेही पूरी हो जाए, जहां-कहीं बीमा संबंधी दावे हों उनका निपटान कर दिया जाए, धोखाधड़ी की राशि वसूल कर ली जाए अथवा उन्हें बट्टे खाते डाल दिया जाए तथा बैंक द्वारा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा कर ली जाए, हेतुक कारकों की पहचान कर ली जाए, कमियों को दूर कर लिया जाए तथा संबंधित तथ्यों को उपयुक्त प्राधिकारी(बोर्ड/बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति) द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को धोखाधड़ी के उन सभी पुराने मामलों को बंद करने की अनुमति दी जाए जिनमें सीबीआई/पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण को छोड़कर उनके स्तर पर सभी कार्रवाइयां पूरी कर ली गयी हों अथवा जहां इन एजेंसियों द्वारा न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए हों परंतु कई वर्षों से वे न्यायालयों में अभी भी लम्बित हों।

यह निर्णय लिया गया है कि सीमित सांख्यिकीय/रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए बैंकों को 25 लाख रुपए तक के धोखाधड़ी के उन मामलों को बंद करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें अन्वेषण का कार्य जारी हो अथवा सीबीआइ/पुलिस द्वारा प्राथमिकी दायर किए जाने की तारीख से तीन वर्षों से अधिक समय तक न्यायालय में चालान/आरोप पत्र दायर न किया गया हो अथवा सीबीआइ/पुलिस द्वारा आरोप पत्र/चालान दायर किए जाने के बाद विचारण न्यायालयों (ट्रायल कोर्टों) ने कार्रवाई शुरू न की हो अथवा वह कुछ शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन प्रगति पर हो। तथापि, बैंकों को एक अलग प्रणाली में ऐसे सभी बंद मामलों से संबंधित सभी अभिलेख तब तक रखने होंगे जब तक उनका अंतिम निर्णय भारतीय विधिक प्रणाली द्वारा नहीं कर दिया जाता।

उसी संपत्ति के विरुद्ध आवास ऋणों का बहुल वित्तीयन

3.120 हाल में कई बैंकों ने अलग-अलग सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसी संपत्ति के बंधक के पंजीकरण के माध्यम से आवास ऋण के क्षेत्र में धोखाधड़ी की घटना सूचित की है। धोखाधड़ी करनेवालों द्वारा अपनायी गयी एक सर्वाधिक सामान्य कार्यप्रणाली बहुल वित्त प्राप्त करने के लिए उसी अचल संपत्ति के बारे में नकली हक विलेख प्रस्तुत करना है। इस संदर्भ में, विशिष्ट आवास/विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए, आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित को शर्तों का एक अंग बनाएं : (i) बिल्डर/डेवलपर/ कंपनी उस बैंक (उन बैंकों) का (के) नाम पैम्फलेट/ब्रोशर में दर्शाएगा जिनके पास संपत्ति को बंधक रखा गया है, (ii) बिल्डर/डेवलपर/ कंपनी समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं में विशेष योजना का विज्ञापन प्रकाशित करते समय बंधक संबंधी जानकारी देगा, तथा (iii) बिल्डर/डेवलपर/ कंपनी पैम्फलेट/ब्रोशर में यह दर्शाएगा कि वे फ्लैट/संपत्ति की बिक्री के लिए जरूरत पड़ने पर बंधक बैंक का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/ अनुमति प्रस्तुत करेंगे।

सहायता संघ / बहुल बैंकिंग व्यवस्थाएं

3.121 'बहुल बैंकिंग व्यवस्था' के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के विरुद्ध सूचित किए जा रहे धोखाधड़ी संबंधी मामलों को देखते हुए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस

प्रकार के धोखाधड़ी करने वालों के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान की व्यवस्था करें। उन सभी बैंकों को, जिन्होंने सहायता संघ/ 'बहुल बैंकिंग' व्यवस्थाओं के तहत किसी उधारकर्ता का वित्तपोषण किया हो, सामान्य रूप से सहमत रणनीति के आधार पर विधिक/ आपराधिक कार्रवाई के लिए, वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, कार्यप्रणाली संबंधी ब्यौरों के आदान-प्रदान के लिए, रिजर्व बैंक को सूचित धोखाधड़ी संबंधी आंकड़ों/जानकारी में सुसंगति लाने के लिए समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। अधिमान्य तौर पर, समन्वय के प्रयास परिस्थितियों के अनुसार या तो उस बैंक द्वारा चालित होने चाहिए जो पहली बार धोखाधड़ी का पता लगाए अथवा उस बैंक द्वारा जिसका अधिकतम एक्सपोजर हो। साथ ही, सहायता संघ के नेता को इस मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग्राहकों के बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की निगरानी में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जनवरी 2009 में यूसीबी को यह भी सूचित किया गया कि वे सहायता संघ/बहुल बैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत उधार देते समय उचित जांच पड़ताल करें।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.122 एक ओर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में और दूसरी ओर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विशेष स्थान है। आरआरबी भी शून्य अथवा कम न्यूनतम शेष के साथ 'नो फ्रिल्स' खाते खोल रहे हैं तथा उन्हें यह सूचित किया गया है कि वे किसी प्रयोजन से जोड़े बिना ऐसे खातों में छोटी बेजमानती ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की संभावना की तलाश करें। वे सामान्य प्रयोजन वाले क्रेडिट कार्ड भी जारी कर रहे हैं तथा उन्हें बीएफ और बीसी मॉडलों का उपयोग करते हुए वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों के रूप में गैर सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों/ व्यष्टि वित्त संस्थाओं/ तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की भी अनुमति है। तीन वर्ष में कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा ऋण का प्रवाह दुगुना करने के लिए जून 2004 में भारत सरकार द्वारा घोषित की गयी नीतियों के पैकेज में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्व को समझते हुए, रिजर्व बैंक उन्हें सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ

बॉक्स III.8: मुद्रा वितरण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में गठित उच्चस्तरीय दल की रिपोर्ट - सिफारिशों का सार

उक्त दल ने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्यौरेवार विचार-विमर्श करने तथा प्रमुख बैंकों, नोट छंटाई मशीनों (एनएसएम)/डेस्कटॉप सार्टरों के अग्रणी विनिर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं और मार्गस्थ नकदी (सीआइटी) कंपनियों के साथ अंतःक्रिया के बाद, उक्त दल ने मुख्यतः चार क्षेत्रों में सिफारिशों की यथा जाली नोटों को पता लगाने तथा संचलन में मौजूद नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने को सुसाध्य बनाने के उपाय, नकदी धारण और वितरण संबंधी उपाय, सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उपाय, तथा मानव संसाधन के विकास संबंधी उपाय।

जाली नोटों को पता लगाने तथा संचलन में मौजूद नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने को सुसाध्य बनाने के उपाय

उक्त दल ने यह सिफारिश की कि जाली नोटों का शीघ्र पता लगाने के लिए चरणबद्ध रूप में सभी बैंक शाखाओं में एनएसएम/डेस्कटॉप सार्टर संस्थापित किये जाएं। एटीएम की फीडिंग के लिए बैंक 'कैसेट स्वैप' प्रणाली अपना सकते हैं। नए संस्थापित एटीएम में अंतर्निर्मित नोट डिटेक्टर हों। कुछ समय बाद यह अपेक्षा की जाए कि वर्तमान एटीएम में भी अंतर्निर्मित नोट डिटेक्टर लगाए जाएं। रिजर्व बैंक द्वारा एनएसएम के कार्य-निष्पादन मानदंडों को मानकीकृत किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थापित किए गए सभी एनएसएम में जाली नोटों का पता लगाने के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुपालन किया गया हो। रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करे कि पुरानी शृंखलाओं के नोटों को वापस लेने की योजना का कार्यान्वयन बनाए गए नियम के अनुसार कड़ाई से किया जाए तथा अधिक सुदृढ़ सुरक्षा विशेषताओं वाले बैंक नोटों की नई शृंखलाएं यथाशीघ्र जारी की जाएं। रिजर्व बैंक नई सुरक्षा विशेषताओं के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को भी सुकर बनाए। यदि कोई व्यक्ति पांच जाली नोट अनजान में किसी बैंक काउंटर पर प्रस्तुत करता हो, तो एफआइआर दायर करने संबंधी अपेक्षा को छोड़ दिया जाए। शाखा के पास एक सामान्य रिपोर्ट दायर की जाए जो बदले में इसे एफआइयू-आइएनडी/रिजर्व बैंक को प्रस्तुत जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) में शामिल करेगी। जाली नोट बनाने और उसे वितरित करने में शामिल व्यक्तियों के साथ उचित रूप में निपटने के लिए रिजर्व बैंक प्रवर्तन एजेंसी की सहायता करने के साथ जाली नोटों का पता लगाने और उसे प्रकट करने के लिए लागू प्रोत्साहनों तथा गैर-प्रोत्साहनों की प्रणाली की समीक्षा करे।

नकदी धारण और वितरण संबंधी उपाय

रिजर्व बैंक सभी करेंसी चेस्टों के लिए उपयुक्त नकदी धारिता सीमाएं निर्धारित करे जिसके आगे नकदी को अनिवार्य रूप से बड़ी सीमावाले चेस्टों अथवा रिजर्व बैंक में रखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक का प्रत्येक कार्यालय लेनदेनों की मात्रा और उसके स्वरूप, चेस्ट तक पहुंच तथा सुरक्षा सहित अन्य कारकों के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में स्थित करेंसी चेस्टों की अपेक्षाओं की समीक्षा करे ताकि बेहतर सुरक्षा और दक्षता के लिए चेस्टों की संख्या युक्तियुक्त बनाई जा सके तथा वहां मौजूद सुविधाओं को अपग्रेड किया जा सके। बड़े पैमाने की किफायतों से मिलनेवाले फायदों का लाभ उठाने के लिए, बैंक शाखाओं में रातभर नकदी रखने की जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए तथा लाजिस्टिक्स संबंधी परिष्कृत

तकनीकों का लाभ उठाने के लिए बैंकों को मुद्रा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे इस बात की अनुमति दी जाए कि वह प्रसंस्करण सेवाओं के लिए अन्य बैंकों से प्रभार वसूल कर सके। चूंकि वितरण से पहले नोटों की छंटाई करने के लिए सभी शाखाओं में एनएसएम संस्थापित किए जाने हैं, अतः बैंकों को इस बारे में आवश्यक निवेश करना होगा। ऐसे निवेशों की लागत बड़ी मात्रा में नकदी देनेवालों से वसूलने की जरूरत होगी। बैंक रिजर्व बैंक द्वारा पहले दी गई सलाह के अनुसार अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से नकदी हैंडल करने/प्रसंस्कृत करने से संबंधित इन प्रभारों के लिए एक पारदर्शी नीति तैयार करें। रिजर्व बैंक कार्डों तथा भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए पहल करे।

सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के उपाय

चेस्टों में सुरक्षा प्रदान करने तथा खजाने की आवाजाही के लिए रिजर्व बैंक विशेषज्ञ तथा समर्पित बलों/अन्य अनुमोदित एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करने की संभावनाओं की तलाश करे। रिजर्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक बायो-मेट्रिक ऐक्सेस, बिनों की इलेक्ट्रॉनिक तालाबंदी, तथा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) लगाकर चौकसी के जरिए करेंसी चेस्टों तथा रिजर्व बैंक के वॉल्टों में सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करने की संभावनाएं तलाशे। बेहतर चौकसी के लिए बैंक के नियंत्रक कार्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर चेस्टों में सीसीटीवी के नेटवर्किंग की संभावनाएं तलाशी जाएं। गंदे नोट विप्रेषित करनेवाली शाखा के ब्यौरों की बारकोडिंग सहित उनकी टैम्पर-प्रूफ थ्रिंक रैपिंग शुरू की जाए। नियंत्रक कार्यालय द्वारा करेंसी चेस्ट शाखाओं की तिमाही सुरक्षा लेखा-परीक्षा की प्रणाली शुरू की जाए। रिजर्व बैंक/आइबीए द्वारा व्यापक दिशानिर्देश/फार्मेट तैयार किया जाए। जोखिम की मात्रा के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मानकों को हिसाब में लेते हुए बैंकों/ रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों के जोखिम आधारित निरीक्षण की प्रणाली शुरू की जाए। बैंक स्थानीय पुलिस के परामर्श से आकस्मिकता योजना/आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। रिजर्व बैंक ऐसी संभावनाओं को तलाशे जिसमें मार्गस्थ अथवा चेस्ट में रखे बैंक नोटों में ऐसी व्यवस्था की जा सके जो हमले/डकैती/चोरी का प्रयास किए जाने पर स्वचालित रूप से सेल्फईकिंग/ मार्किंग के जरिये बैंक नोटों को खराब कर दे।

मानव संसाधन के विकास संबंधी उपाय

बैंक अपनी अंतरण मूल्यन नीति अथवा समतुल्य नीति को इस प्रकार आशोधित करें ताकि करेंसी चेस्ट रखने के कारण मिलनेवाले लाभ को उस शाखा को अंतरित किया जा सके जहां चेस्ट का रखरखाव किया जाता है। करेंसी चेस्टों में तैनात किए गए स्टाफ का रोटेशन सुनिश्चित किया जाए ताकि निहित स्वार्थ को और निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर अनुपालन की गुटबंदी को रोका जा सके। विपथन और अनियमितताएं पाए जाने पर, जवाबदेही निर्धारित करने के बाद नियंत्रक कार्यालयों द्वारा तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बैंक संवेदनशील तथा कुशल कार्यकलाप के रूप में करेंसी हैंडल करने के परिचालनों को स्वीकार करे तथा इस संबंध में आवश्यक प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान करें।

उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय करता रहा है। नये क्षेत्रों में उनके कारोबार परिचालनों का विविधीकरण सुकर बनाने के लिए कई पहलें भी की गयी थीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में हाल ही की नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं - पुनःपूँजीकरण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन, उदारीकृत शाखा लाइसेंसीकरण नीति और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूँजीकरण और समामेलन

3.123 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के माध्यम से समेकन की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप 31 अगस्त 2009 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या गिरकर 84 रह गयी (जिसमें पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र में गठित किया गया एक नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है)। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है और 31 जुलाई 2009 की स्थिति के अनुसार 1,796 करोड़ रुपए की राशि के साथ 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूरी तरह से पुनःपूँजीकृत हो चुके हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार के लिए शाखा लाइसेंसीकरण मानदंडों को उदार बनाना

3.124 वर्ष 2006-07 के लिए घोषित किये गये वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बनाई गयी थी और उससे संबंधित कार्य 13 जून 2006 से क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित की गयी अधिकारप्राप्त समितियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति को और उदार बनाने के लिए कतिपय उपाय किये गये। इन उपायों में अब तक कवर न किये गए जिलों में शाखाएं खोलने के लिए और सेवा शाखा / केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र / बैंक आफिस खोलने के लिए शर्तों में ढील देना शामिल थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से तथा वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसार, नई शाखाएं खोलने में क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों को पहले की अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। यह लचीलापन उन्हें तभी तक मिलेगा जब तक कि वे नई शाखा/शाखाएं खोलने के लिए पात्र होने की निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों: (i) पिछले दो वर्ष के दौरान उसने एसएलआर और सीआरआर का निर्धारित स्तर बनाए रखने में कोई चूक न की हो और (ii) वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिचालनात्मक लाभ कमा रहा हो, उसकी निवल मालियत में सुधार दिखनी चाहिए और उसका निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 8 प्रतिशत से अधिक न हो।

3.125 वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, रिजर्व बैंक ने शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 785 लाइसेंस प्रदान किये हैं, जिसमें से 734 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। नये क्षेत्रों में उनके कारोबार परिचालनों का विविधीकरण सुसाध्य बनाने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़, अर्थक्षम तथा स्व-समर्थ बनाने के लिए रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गयी विभिन्न नीतिगत पहलों ने अपने परिणाम दिखाने प्रारंभ कर दिये हैं। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करेंसी चेस्ट खोलकर, एफसीएनआर(बी) जमाराशियां स्वीकार करके और एनआरई/एनआरओ खाते खोलकर, बीमा और म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण का एजेंसी कार्य प्रारंभ करके तथा लॉकर सुविधा उपलब्ध कराकर नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में निधीतर आय अर्जित कर रहे हैं।

3.126 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तथा समग्र प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में एवं वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने तुलनपत्र में 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) के स्तर को प्रकट करें और उसके पश्चात हर वर्ष अपने तुलनपत्रों में 'लेखों पर टिप्पणियां' के अंतर्गत यह स्तर प्रकट करें। सीएफएसए (अध्यक्ष : डॉ. रakesh मोहन और सह अध्यक्ष : श्री अशोक चावला) ने इन संस्थाओं के समेकन के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में सीआरएआर को चरणबद्ध रूप से लागू करने का सुझाव दिया है। अतः वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में पुनःपूँजीकरण

तथा सामेलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए चरणबद्ध रूप में सीआरएआर लागू करने की घोषणा की गयी है। आरआरबी का सीआरएआर एक समयबद्ध रूप में कम-से-कम 9 प्रतिशत तक लाने के लिए, भारत सरकार ने एक समिति (अध्यक्ष : डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) का गठन किया है, जो आरआरबी के सीआरएआर के वर्तमान स्तरों का अध्ययन करेगी तथा मार्च 2012 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा का सुझाव देगी तथा तदनुसार यह भी सुझाव देगी कि आरआरबी के कारोबारी स्तर को देखते हुए उनके लिए अपेक्षित पूंजी ढांचा क्या होगा ताकि उनका सीआरएआर धारणीय हो और भविष्य की वृद्धि के लिए एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए प्रावधान हो। समिति द्वारा तीन महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के संबंध में कार्यदल

3.127 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेहतर ग्राहक सेवाओं के लिए उचित प्रौद्योगिकी अपनाने और कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में पदार्पण करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से दिसंबर 2007 में एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. श्रीनिवासन) गठित किया गया था ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सीबीएस में पदार्पण हेतु एक रोडमैप तैयार किया जा सके। इस कार्यदल ने अगस्त 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कार्यदल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और यह मत व्यक्त किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग क्षेत्र में हो रही व्यापकस्तरीय प्रौद्योगिकीय गतिविधियों से अलग-थलग नहीं रह सकते और यह कि “सभी के लिए एक समान नीति” संबंधी दृष्टिकोण कार्य नहीं कर पाएगा। इस दल ने सुदूर क्षेत्रों में स्थित शाखाओं को बिजली प्रदान करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग की भी जांच की और सुझाव दिया कि यद्यपि सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना में प्रारंभ में भारी लागत आएगी लेकिन सौर ऊर्जा से शाखाओं को बिजली प्रदान करने से मिलने वाले दीर्घावधि लाभों से इसे न्यायोचित ठहराया जा सकेगा। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सीबीएस में पदार्पण करने की दिशा में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए तय किया गया लक्ष्य सितंबर 2011 है तथा सितंबर 2009 के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली जाने वाली सभी शाखाएं पहले

दिन से ही सीबीएस परिवेश में काम करने वाली होनी चाहिए। यह रिपोर्ट सभी प्रायोजक बैंकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अप्रेषित कर दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मालिकों अर्थात् भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच सीबीएस परियोजना की निधीयन लागत के बंटवारे का मुद्दा नाबार्ड के परामर्श से जांचा-परखा जा रहा है।

आइसीटी आधारित समाधान लागू करने में अपने प्रारंभिक लागत के एक हिस्से का वहन करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के तौर-तरीकों की सिफारिश के लिए गठित कार्यदल

3.128 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उपयुक्त विभिन्न वहन करने योग्य आइसीटी आधारित समाधानों का पता लगाने तथा लागत तत्व की पहचान करने एवं ऐसे आइसीटी समाधानों के निधीयन के तरीके और मानदण्डों की सिफारिश करने के लिए नवंबर 2007 में एक कार्यदल (अध्यक्ष : जी. पद्मनाभन) गठित किया गया। इस दल ने अगस्त 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समूह ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकताओं की सूची निर्धारित करने के लिए उनके द्वारा वित्तीय समावेशन की पहलें शुरू करने में आ रही मौजूदा कठिनाइयों (वित्तीय और बुनियादी संरचनागत दोनों) की जांच की। इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए जरूरी विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकीय विकल्पों और मॉडलों की भी खोज की। आइसीटी-समर्थित बनाने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न लागत तत्वों का मूल्यांकन करने के पश्चात, समूह ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आइसीटी समाधानों के वित्तपोषण में रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता के तौर-तरीके सुझाए। जनता के अभिमत के लिए अगस्त 2008 में समूह की यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाली गई। वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि वित्तीय समावेशन समिति द्वारा जिन जिलों में उच्चस्तरीय वित्तीय वंचन पाया गया है उनमें वित्तीय समावेशन हेतु आइसीटी समाधान अपनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता उपलब्ध कराने के तरीकों का पता नाबार्ड के परामर्श से लगाया जाएगा। जांच करने पर यह उपयुक्त महसूस किया गया कि आइसीटी का कार्यान्वयन सीबीएस के कार्यान्वयन के पहले करना होगा। आरआरबी में सीबीएस लागू करने के मामले पर प्रायोजक बैंकों के साथ बात की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का वर्गीकरण

3.129 एसएलआर प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेशों के संबंध में 'बाजार दर पर अंकित करने' के मानदंड से वित्त वर्ष 2007-08 तक उन्हें दी गई छूट एक और वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2008-09 के लिए बढ़ा दी गई है। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे वित्त वर्ष 2008-09 के लिए बही-मूल्य आधार पर मूल्यन और प्रतिभूतियों की शेष अवधि के दौरान प्रीमियम, यदि कोई हो, के परिशोधन सहित 'परिपक्वता तक धारित' शीर्ष के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों के अपने समस्त निवेश संविभाग को वर्गीकृत कर सकें।

अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र

3.130 रिजर्व बैंक ने अगस्त 2009 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके बकाया अग्रिमों के 60 प्रतिशत से अधिक के लिए उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के प्रति साझा जोखिम वहन करने के आधार पर 180 दिवसीय अवधि का अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी। यह उन्हें उनकी अल्पावधि चलनिधि समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी।

8. सहकारी बैंक

3.131 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र, जिसमें शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा ग्रामीण ऋण सहकारिताएं दोनों शामिल हैं, सबसे पुराना है हालांकि यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली का कमजोर खंड है। यदि इन संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जाए तो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र के कारण 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये महत्वपूर्ण साधन बनने की संभाव्यता रखते हैं। रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने हाल के वर्षों में यूसीबी तथा ग्रामीण ऋण सहकारिताओं के संबंध में विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं ताकि उन्हें वित्तीय सुदृढ़ता की दृष्टि से वाणिज्य बैंकों के समतुल्य किया जा सके।

शहरी सहकारी बैंक

3.132 हाल के वर्षों में यूसीबी क्षेत्र में लिए गए प्रमुख नीतिगत पहलों में विजन दस्तावेज - 2005 का कार्यान्वयन, वित्तीय पुनर्विन्यास तथा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए पहल शामिल हैं।

विजन दस्तावेज - 2005

3.133 विजन दस्तावेज - 2005, जो रिजर्व बैंक द्वारा की गयी सबसे महत्वपूर्ण संरचनागत पहल है, का प्राथमिक उद्देश्य यूसीबी क्षेत्र के ऊपर रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों के द्वैध विनियामक नियंत्रण के मुद्दे का समाधान करना है। दस्तावेज में की गयी सिफारिश के अनुरूप, भारत सरकार (बहु राज्यीय यूसीबी के लिए) तथा विभिन्न राज्य सरकारों (एकल राज्यीय यूसीबी के लिए) ने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान विजन दस्तावेज के कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति बरकरार रही। समझौता ज्ञापन पर रिजर्व बैंक के साथ उड़ीसा तथा झारखंड नामक दो और राज्यों तथा संघशासित क्षेत्र पुदुचेरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़कर जुलाई 2009 के अंत तक 26 हो गयी (अध्याय V में बॉक्स V.1 भी देखें)।

3.134 विजन दस्तावेज की सिफारिश के अनुसरण में, समझौता ज्ञापनों के बाद शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यबल (टीएफसीयूबी) का गठन किया गया ताकि संबंधित राज्यों में अर्थक्षम तथा गैर-अर्थक्षम यूसीबी की पहचान की जा सके तथा गैर-अर्थक्षम संस्थाओं के अविघटनात्मक निकासी का मार्ग तैयार करने के साथ अर्थक्षम यूसीबी के पुनर्जीवन के लिए समयबद्ध योजनाएं सुझायी जा सकें।

3.135 जून 2005 से उन सभी 26 राज्यों में, जिन्होंने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, टीएफसीयूबी गठित किए गए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबी विलय प्रस्तावों को 'अनापत्ति' स्वीकृत किए जाने के लिए पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश जारी किए जाने से समेकन की प्रक्रिया को गति मिली है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य संबंधित यूसीबी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा सही अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट कर विलय की प्रक्रिया को कारगर बनाना है। विलय/समामेलन के प्रस्तावों पर विचार करते समय, रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय स्थिरता पर विचार करते हुए अपना अनुमोदन विलय के वित्तीय पहलुओं तक सीमित रखता है। जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय स्थिरता को ध्यान में

रखना इस तथ्य से स्पष्ट है कि विलय किए गए 71 यूसीबी में से, 50 (70.4 प्रतिशत) ग्रेड IV में थे जिसके बाद 9 यूसीबी ग्रेड III, 8 यूसीबी ग्रेड I में तथा 4 ग्रेड II में थे (बॉक्स III.9)।

ऋणात्मक निवल मालियत वाले यूसीबी

3.136 समूचे यूसीबी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, 2005 से इस क्षेत्र में यूसीबी का विलय अथवा समामेलन चल रहा था। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, अधिग्राहक बैंक से यह प्रत्याशित है कि वह अपने स्तर पर अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन द्वारा अधिगृहीत बैंक की जमाराशियों को संरक्षित करे। तथापि जनवरी 2009 में, यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत रखने वाले यूसीबी से संबंधित 'लेगैसी' के मामलों में, रिजर्व बैंक समामेलन की योजना पर भी विचार करे जिसमें निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के तहत जमाकर्ताओं को भुगतान करने, अंतरिती बैंक द्वारा वित्तीय अंशदान तथा बड़े जमाकर्ताओं द्वारा बलिदान का प्रावधान है।

3.137 सुदृढ़ यूसीबी के साथ कमजोर तथा गैर-अर्थक्षम यूसीबी का विलय करने से हाल के वर्षों में गैर-अर्थक्षम यूसीबी के लिए अविघटनात्मक निकासी मार्ग प्रदान किया गया। तथापि, यह देखा गया है कि जहां - कहीं जमाराशि में बड़ी मात्रा में क्षय हुआ है, वहां वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़तर बैंक भी कमजोर बैंकों का अधिग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं। इस संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने कुछ मानदंडों के अधीन ऋणात्मक निवल मालियत वाले यूसीबी के समाधान के लिए तथा जमा आधार में बड़ी मात्रा में क्षय के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर वित्तीय पुनर्विन्यास का सहारा लिया। इन मानदंडों के बारे में ब्यौरेवार चर्चा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2007-08 में की गयी है।

पूंजी बढ़ाने के लिए नवोन्मेष विकल्प

3.138 रिजर्व बैंक यूसीबी के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने में उनकी मदद करने के लिए कई संरचनागत पहल कर रहा है। इन पहलों के अनुरूप, 15 जुलाई 2008 को रिजर्व बैंक ने यूसीबी को अधिमान शेर अर्थात् शाश्वत असंचयी अधिमान शेर (पीएनसीपीएस),

शाश्वत संचयी अधिमान शेर (पीसीपीएस), मोचनीय असंचयी अधिमान शेर (आरएनसीपीएस) तथा मोचनीय संचयी अधिमान शेर (आरसीपीएस) जारी करने की अनुमति प्रदान की। एक अतिरिक्त लिखत के रूप में, यूसीबी को पांच साल से अन्यून न्यूनतम अवधि के लिए दीर्घावधि जमाराशियां जुटाने की भी अनुमति दी गयी। इसकी ब्यौरेवार चर्चा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट, 2007-08 में की गयी है।

नकदी आरक्षित अनुपात

3.139 रिजर्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय संकट गहराने के साथ अक्टूबर 2008 से सीआरआर को क्रमिक रूप से घटाया। अनुसूचित यूसीबी (तथा अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों) के लिए नकदी आरक्षित अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समान स्तर पर रखा गया है। 17 जनवरी 2009 से, यह अनुपात 5.0 प्रतिशत पर बना हुआ है।

3.140 जनवरी 2009 में, सीआरआर/ एसएलआर के प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआई बैंक) लिमिटेड के साथ चालू खाते में रखी गयी शेष राशि की अपात्रता के संबंध में शहरी बैंकिंग क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने वर्तमान नीति की समीक्षा की तथा यूसीबी को यह सूचित किया कि वे चालू खाते में आइडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ उनके द्वारा जमा की गयी राशि की मात्रा तक, धारा 18 के तहत सीआरआर के रखरखाव के दायित्व से तथा धारा 24 (बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित) के तहत नकदी, स्वर्ण अथवा अभारग्रस्त अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियों के रखरखाव के दायित्व से मुक्त हैं।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

3.141 रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2008 में गैर-अनुसूचित यूसीबी द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखे जाने वाले सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को निम्नानुसार संशोधित किया : (i) गैर-अनुसूचित टियर I यूसीबी को कहा गया कि वे 30 सितम्बर 2009 तक अपने एनडीटीएल के 7.5 प्रतिशत तथा 31 मार्च 2010 तक 15.0 प्रतिशत से अन्यून राशि सरकारी

बॉक्स III.9: यूसीबी क्षेत्र को समेकित और सुदृढ़ बनाना

विलय के प्रस्तावों को अनापत्ति देने के लिए पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश प्रदान कर कमजोर संस्थाओं का विलय सुदृढ़ संस्थाओं के साथ करने की प्रक्रिया के जरिए इस क्षेत्र में समेकन को गति प्रदान की गयी है। विलय/समामेलन के प्रस्तावों पर विचार करते समय, रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय स्थिरता पर विचार करते हुए अपना अनुमोदन विलय के वित्तीय पहलुओं तक सीमित रखता है। प्रायः हमेशा उन बैंकों का यह ऐच्छिक निर्णय होता है जो विलय के प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्राप्त करने हेतु रिजर्व बैंक से संपर्क करते हैं। विलय के बारे में बनाए गए दिशानिर्देशों द्वारा बैंकों के बीच विलय के लिए पूर्वापेक्षाओं तथा उपायों का उल्लेख कर प्रक्रिया को सुकर बनाना अभिप्रेत है।

यूसीबी के विलय के बारे में दिशानिर्देश जारी करने के उपरांत, रिजर्व बैंक को 113 बैंकों के बारे में विलय के लिए 128 प्रस्ताव प्राप्त हुए। रिजर्व बैंक ने 89 मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है। इनमें से 72 विलय सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/ संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी किए जाने पर प्रभावी हुए। रिजर्व बैंक ने विलय के 22 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, चार प्रस्ताव बैंकों द्वारा वापस ले लिए गए तथा शेष 13 विचाराधीन हैं (सारणी 1 तथा 2)। जिन 72 बैंकों के लिए आरसीएस/ सीआरसीएस से विलय के आदेश प्राप्त हुए हैं, उनमें से 45 की निवल मालियत ऋणात्मक थी। लाभ कमाने वाले बैंकों को भी क्षेत्र के समेकन और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से तथा कुछ मामलों में, जहां उन्हें दीर्घाविधि में स्टैंड-अलोन आधार पर अर्थक्षम नहीं पाया गया, विलय की अनुमति दी गयी।

सारणी 1: अधिग्राहक बैंकों के राज्यवार ब्यौरे
(सितंबर 2009 के अंत की स्थिति)

क्रम सं.	बहु-राज्य/ राज्य	अधिग्राहक बैंकों की संख्या	दिए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किए गए एनओसी की संख्या	वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या	विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1	बहु-राज्य	13	61	46	2	4	9
2	महाराष्ट्र	18	30	16	-	5	9
3	गुजरात	6	14	11	1	1	1
4	आंध्र प्रदेश	7	8	6	-	2	-
5	कर्नाटक	3	4	3	-	-	1
6	राजस्थान	2	3	1	-	1	1
7	पंजाब	1	1	1	-	-	-
8	उत्तराखंड	2	3	2	1	-	-
9	मध्य प्रदेश	2	3	2	-	-	1
10	छत्तीसगढ़	1	1	1	-	-	-
	कुल	55	128	89	4	13	22

सारणी 2: लक्ष्य बैंकों के राज्यवार ब्यौरे
(सितंबर 2009 के अंत की स्थिति)

क्रम सं.	बहु-राज्य/ राज्य	लक्ष्य बैंकों की संख्या	दिए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किए गए एनओसी की संख्या	विलय किए गए बैंकों की संख्या	वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या	विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1	बहु-राज्य	1	1	1	1	-	-	-
2	महाराष्ट्र	50	57	34	27	2	8	13
3	गुजरात	30	34	28	20	1	3	2
4	आंध्र प्रदेश	12	12	10	9	-	2	-
5	कर्नाटक	6	8	6	6	-	-	2
6	गोवा	1	1	1	1	-	-	-
7	राजस्थान	1	1	-	-	-	-	1
8	दिल्ली	1	1	-	-	-	-	1
9	पंजाब	1	1	1	1	-	-	-
10	मध्य प्रदेश	7	8	5	4	-	-	3
11	उत्तराखंड	2	3	2	2	1	-	-
12	छत्तीसगढ़	1	1	1	1	-	-	-
	कुल	113	128	89	72	4	13	22

और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखकर एसएलआर बनाएं रखें; (ii) टियर II में गैर-अनुसूचित यूसीबी को उनके

एनडीटीएल के 15.0 प्रतिशत तक वर्तमान एसएलआर अपेक्षा 31 मार्च 2010 तक बनाए रखने की अनुमति होगी; (iii) 31 मार्च

2011 से, सभी गैर-अनुसूचित यूसीबी को उक्त रूप में 25.0 प्रतिशत की एसएलआर अपेक्षा पूरी करनी होगी।

3.142 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, एसएलआर अपेक्षा की गणना के लिए यूसीबी द्वारा डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंकों से, जिनके पास वे अपनी जमाराशियां रख रहे हैं, प्राप्त किए गए ऋण की राशि को जमाराशियों से घटा दिया जाएगा, चाहे ऐसी जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया हो अथवा नहीं। तथापि, इस सूचना का अनुपालन करने में वेतन अर्जकों के सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्त की गयी कठिनाइयों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने वेतन अर्जकों के सहकारी बैंकों के लिए इस सूचना के अनुपालन हेतु समयावधि 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दी।

3.143 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, टियर I यूसीबी को उनके एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसएलआर का रखरखाव करने से मुक्त किया गया, बशर्ते वह राशि भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और आइडीबीआई लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास ब्याजवाही जमाराशियों के रूप में रखी गयी हो। यूसीबी तथा उनके संघों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर 2009 से छूट जारी रखी जाए, इस प्रकार की छूट एनडीटीएल के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही, यह छूट 1 अप्रैल 2010 से हटा ली जाएगी।

शाखा लाइसेंसिंग नीति को उदार तथा युक्तियुक्त बनाना

3.144 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में परिचालनरत सुप्रबंधित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसिकरण नीति को और उदार तथा युक्तियुक्त बनाया (बॉक्स III.10)।

आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदंड

3.145 रिजर्व बैंक ने टियर II यूसीबी को सूचित किया कि वे सभी 'मानक आस्तियों' पर 0.40 प्रतिशत की एक समान प्रावधानीकरण अपेक्षा बनाए रखें, कृषि तथा लघु एवं मझौले उद्यम (एसएमई) को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिम इसके अपवाद होंगे, जिनके

लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा 0.25 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में, टियर I यूसीबी से कहा गया कि वे सभी 'मानक आस्तियों' पर 0.25 प्रतिशत की दर पर न्यूनतर सामान्य प्रावधान करें।

3.146 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारों की प्रयोज्यता हेतु आवास के लिए बैंक ऋणों के संबंध में सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर जून 2008 में 30 लाख रुपए कर दी। यह विनिर्दिष्ट किया गया कि ऐसे ऋणों पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार होगा।

आस्ति देयता प्रबंधन

अनुसूचित यूसीबी

3.147 रिजर्व बैंक ने 2002 में अनुसूचित यूसीबी (सभी अनुसूचित यूसीबी टियर II यूसीबी हैं) के आस्ति-देयता प्रबंधन के बारे में ब्यौरेवार दिशा-निर्देश जारी किए। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1-14 दिन तथा 15-28 दिन के कालखंडों के दौरान चलनिधि संबंधी बेमेल (ऋणात्मक अंतराल) संबंधित कालखंडों में नकदी बहिर्वाहों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। चलनिधि प्रबंधन की दक्षता के तीव्रतर आकलन के बारे में महसूस की गयी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे पहले कालखंड (1-14 दिन) को तीन कालखंडों अर्थात् अगले दिन, 2-7 दिन तथा 8-14 दिन में विभाजित करें। यह विवरण तैयार करते समय, बैंकों को सूचित किया गया कि वे समयबद्ध रूप में 100 प्रतिशत आंकड़ों की व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए समंजित और अपेक्षित प्रयास करें। साथ ही, यह भी सूचित किया जाता है कि अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन तथा 15-28 दिन के कालखंडों के दौरान निवल संचयी ऋणात्मक बेमेल संबंधित कालखंडों में संचयी नकदी बहिर्वाहों के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसा चलनिधि पर संचयी प्रभाव स्वीकार करने की दृष्टि से किया गया है। बैंकों को कहा गया है कि वे दैनिक आधार पर संरचनागत चलनिधि का विवरण तैयार करें, तथापि, रिजर्व बैंक को अब तक की तरह पाक्षिक आधार पर सूचित करना जारी रख सकते हैं।

बॉक्स III.10: यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति का उदारीकरण

रिजर्व बैंक ने यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसीकरण मानदंडों को उदार तथा युक्तियुक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी को अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मई 2004 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह निर्दिष्ट किया गया था कि यूसीबी को नए लाइसेंस जारी करने पर यूसीबी के लिए व्यापक नीति, जिसमें इस क्षेत्र के लिए कानूनी और विनियामक रूपरेखा शामिल होगी तथा यूसीबी की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु एक नीति तैयार करना शामिल होगा, के बाद ही विचार किया जाएगा। इस घोषणा के बाद, यूसीबी को नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर रोक लगा दी गई। इसके पश्चात, 2007-08 के लिए वार्षिक नीति में यह निर्णय लिया गया कि उन बैंकों को नई शाखाएं / विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी जाए, जो उन राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत और पंजीकृत हैं, जिन्होंने रिजर्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, अथवा कतिपय मानदंडों के अधीन बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम

2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। 2008-09 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, सहमति ज्ञापन वाले राज्यों में कार्यरत सुप्रबंधित तथा सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले यूसीबी तथा बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसीकरण के मानदंडों को उदार बनाया गया। रिजर्व बैंक ने कतिपय शर्तों के अधीन ऐसे यूसीबी को उनकी वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर कार्य स्थल से इतर स्थान पर एटीएम सहित शाखा विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया; इन शर्तों में निरंतर आधार पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना तथा अन्य विनियामक सहूलियतें शामिल हैं।

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए यूसीबी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कारोबार योजनाओं के आधार पर, 31 मार्च 2009 को 275 बैंकों को 402 शाखाएं, 23 विस्तार पटल, 21 ऑफ साइट एटीएम खोलने तथा 16 विस्तार पटलों को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई।

गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी

3.148 चलनिधि, ब्याज दर और मुद्रा जोखिम संबंधी मुद्दों का कारगर समाधान करने के लिए, (अनुसूचित यूसीबी, जिनके लिए दिशा-निर्देश 2002 में जारी किए गए, के अलावा) सभी टियर II गैर-अनुसूचित यूसीबी से कहा गया कि वे आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणालियां शुरू करें। शुरुआती तौर पर, गैर अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे उनकी देयताओं और आस्तियों के कम-से-कम 60 प्रतिशत की व्याप्ति सुनिश्चित करें। शेष 40 प्रतिशत के लिए, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी अपने अनुमानों के आधार पर स्थिति को शामिल कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें अंतरिम लक्ष्य निर्धारित करना था ताकि 1 अप्रैल 2010 तक उनके कारोबार के 100 प्रतिशत को कवर किया जा सके। एएलएम प्रणाली स्थिर होने के बाद, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक परिष्कृत तकनीकों यथा ड्यूरेशन अंतराल विश्लेषण तथा सिम्यूलेशन और जोखिम पर मूल्य की ओर अंतरित होने के लिए स्वयं को तैयार रखें।

3.149 नकदी अंतर्वाहों तथा बहिर्वाहों के परिपक्वता ढांचे को ग्रहण करने के लिए, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे शुरुआती तौर पर तिमाही आधार पर संरचनागत चलनिधि का विवरण तैयार करें। दिसम्बर 2008 से सूचना प्रणाली को पाक्षिक बना दिया गया। साथ ही, बैंकों से कहा गया कि वे सिर्फ रुपया

आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों को ब्याज दर संवेदनशीलता संबंधी तिमाही विवरण में शामिल करें। इस संबंध में, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी को सूचित किया जाता है कि वे 1 अप्रैल 2010 से मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली आरंभ करें। 1-90 दिनों की समयावधि में गतिशील आधार पर अपनी चलनिधि पर निगरानी रखने हेतु बैंकों को समर्थ बनाने के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण तैयार किया जाना चाहिए। गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे एएलएम विवरणों का ऐसा पहला सेट तैयार करें जिसमें एएलसीओ/सर्वोच्च प्रबंधन के लिए दिसंबर 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार संरचनागत चलनिधि विवरण, ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तथा अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण शामिल हों।

टियर I यूसीबी का चलनिधि जोखिम प्रबंधन

3.150 रिजर्व बैंक ने सितम्बर 2008 में टियर I यूसीबी (सभी टियर I यूसीबी गैर-अनुसूचित यूसीबी हैं) के लिए आधारभूत चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, टियर I यूसीबी को भविष्य के नकदी प्रवाहों का आकलन निम्नलिखित कालखंडों में करना पड़ता है, यथा, 1-14 दिन, 15-28 दिन, 29 दिन- 3 महीने, 3-6 महीने, 6 महीने-एक साल, 1-3 साल, 3-5 साल और 5 साल से अधिक। यूसीबी से यह

प्रत्याशित है कि वे बोर्ड के अनुमोदन से आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर सभी कालखंडों में अपने संचयी बेमेलों पर निगरानी रखें। साथ ही, सामान्य अनुक्रम में 1-14 दिन तथा 15-28 दिन के कालखंडों के बेमेल प्रत्येक कालखंड में नकदी प्रवाहों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। टियर I यूसीबी को कारोबारी प्रक्षेपणों तथा योजना प्रयोजनों हेतु अन्य वचनबद्धताओं के आधार पर अल्पावधि गतिशील चलनिधि संबंधी विवरण भी तैयार करना चाहिए। इन बैंकों से कहा गया कि वे दिसम्बर 2008 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर अलग विवरणियां तैयार करें।

स्वर्ण/चांदी के आभूषणों को गिरवी रखकर दिए गए अग्रिम

3.151 स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की जमानत पर ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति से जुड़ी अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए, यूसीबी को सूचित किया गया कि वे अन्य बातों के साथ-साथ i) आभूषणों के स्वामित्व, ii) गिरवी रखे जाने वाले आभूषणों का उचित मूल्यन तथा मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यनकर्ता/श्राफ से कराने के संबंध में कुछ सुरक्षोपायों का अनुपालन करें।

करेंसी फ्यूचर्स लागू करना

3.152 रिजर्व बैंक ने 17 सितम्बर 2008 के अपने परिपत्र द्वारा यूसीबी को, जिन्हें प्राधिकृत व्यापारियों (श्रेणी I तथा II) के रूप में मान्यता थी, सिर्फ उनके अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के हेजिंग के प्रयोजन के लिए सिर्फ ग्राहकों के रूप में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

यूसीबी के लिए रेटिंग मॉडल

3.153 यूसीबी तथा वाणिज्य बैंकों के बीच पर्यवेक्षणात्मक अभिसरण लाने के लिए, 31 मार्च 2009 से आरंभ निरीक्षण चक्र से रेटिंग मॉडलों को संशोधित किया गया। संशोधित रेटिंग मॉडल लागू होने के साथ, यूसीबी की ग्रेडेशन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। संशोधित कैमेल्लेस रेटिंग मॉडल 100 करोड़ रुपए तथा अधिक की जमाराशि वाले यूसीबी पर लागू किया गया तथा उसका एक संशोधित सरलीकृत रूपांतर 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि

वाले यूसीबी पर लागू किया गया। यूसीबी का दर-निर्धारण कैमेल्लेस के घटकों अर्थात् पूंजी, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि तथा प्रणाली और नियंत्रण के आधार पर 1 से 100 के पैमाने पर किया जाना था तथा उसे घटकों की रेटिंग के भारित औसत पर आधारित किया जाना था, यूसीबी को ए+से डी रेटिंग दिया जाना था।

अन्य बैंकों के पास जमाराशियां रखना तथा अन्य बैंकों की जमाराशियों को स्वीकार करना

3.154 रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों के पास (अंतर-बैंक) जमाराशियां रखने संबंधी यूसीबी की सीमा पिछले साल के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनकी कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी। 20 प्रतिशत की इस सीमा में वाणिज्य बैंकों के पास रखी जमाराशियों में तथा अनुमत अनुसूचित यूसीबी में रखी जमाराशियों में धारित राशियां और वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) में किए गए निवेश की राशि शामिल थी। यूसीबी को सूचित किया गया कि अंतर-बैंक एक्सपोजर सीमा के भीतर, एक बैंक के पास रखी गयी जमाराशियां पिछले साल के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार जमाकर्ता बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा आइडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास रखी गयी टियर I गैर-अनुसूचित यूसीबी की ब्याजवाही जमाराशियां, जो एसएलआर के पात्र थीं, को अंतर-बैंक एक्सपोजर सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गयी।

परिचालन क्षेत्र का विस्तार

3.155 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गयी कि रिजर्व बैंक अब से आगे सुदृढ़ एवं भलीभांति कार्य करने वाले एकल राज्य वाले टियर II यूसीबी (जो ऐसे राज्यों में पंजीकृत हों जिन्होंने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हो) से परिचालन क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण पंजीकरण राज्य तक करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करेगा। ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय, बैंक में प्रचलित आंतरिक नियंत्रणों की प्रणाली तथा पर्यवेक्षणात्मक सुविधा को ध्यान में रखना होगा। टियर I बैंकों के संबंध में वर्तमान मानदंड लागू रहेंगे।

यूसीबी द्वारा लाभांश घोषित करना

3.156 मार्च 2009 के निरीक्षण चक्र से कैमेलस मॉडल पर आधारित यूसीबी के लिए संशोधित रेटिंग प्रणाली लागू करने के बाद, यूसीबी को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गयी, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों के अनुपालन की शर्त पर है, (i) निर्धारित सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन, (ii) रिजर्व बैंक की अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए मूल्यांकन के अनुसार सभी आवश्यक प्रावधान करने के बाद निवल अनर्जक आस्तियां 10 प्रतिशत से कम हों, (iii) जिस साल लाभांश देने का प्रस्ताव हो उस साल सीआरएआर/एसएलआर में कोई चूक न की गयी हो, (iv) निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों, निवेशों तथा अन्य आस्तियों के लिए सभी अपेक्षित प्रावधान किए गए हों, तथा (v) लाभांश की अदायगी निवल लाभ में से तथा सभी सांविधिक प्रावधान एवं संचित हानियों का पूर्ण समायोजन करने के बाद की गयी हो। उक्त (ii) को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों का अनुपालन करने वाले यूसीबी लाभांश की घोषणा की अनुमति हेतु रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

3.157 30 जनवरी 2009 को, रिजर्व बैंक ने गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के बारे में यूसीबी के लिए दिशा-निर्देशों को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया : (i) यूसीबी को सूचित किया गया कि गैर-एसएलआर निवेश पिछले साल की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत तक सीमित बने रहेंगे; (ii) यूसीबी को (क) 'ए' अथवा समतुल्य एवं उच्चतर रेटिंग वाले वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा बांडों, (ख) डेट म्यूच्युअल फंडों एवं मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति दी गयी; (iii) विशिष्ट प्रकार की लिखतों, अन्य बातों के साथ-साथ, शाश्वत ऋण लिखतों, गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों तथा ऋण एवं मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों से इतर म्यूच्युअल फंडों में निवेश पर प्रतिबंध लगाए गए; (iv) यूसीबी से कहा गया कि वे गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में जोखिम पकड़ने और उसका विश्लेषण करने के लिए तथा समय पर उपचारात्मक

उपाय करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू करें; तथा (v) अन्य बातों के साथ-साथ गैर-एसएलआर निवेश संबंधी कतिपय पहलू यथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार, निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन, तथा गैर-एसएलआर श्रेणी में अनर्जक निवेशों की सीमा।

यूसीबी का पर्यवेक्षण

3.158 सभी पर्यवेक्षणात्मक तथा विनियमात्मक विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार करना तथा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना सुकर बनाने के लिए यूसीबी के उपयोग हेतु एक परोक्ष चौकसी (ओएसएस) साफ्टवेयर तैयार किया गया (बॉक्स III.11)।

ग्रामीण ऋण सहकारिताएं

3.159 ग्रामीण ऋण सहकारी क्षेत्र में हाल में उठायी गयी नीतिगत पहलों का उद्देश्य लाइसेंसरहित संस्थाओं को समाप्त कर तथा इन संस्थाओं के पूंजी आधार को सुदृढ़ कर इस क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। वर्ष (जुलाई 2008 से जून 2009) के दौरान सहकारी बैंकों को कोई नया बैंकिंग लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया। 30 जून 2009 को लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की कुल संख्या 89 पर अपरिवर्तित रही (जिसमें 14 राज्य सहकारी बैंक तथा 75 डीसीसीबी शामिल थे)। साथ ही, वर्ष के दौरान किसी राज्य सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित दर्जा नहीं दिया गया। इस प्रकार, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या 16 बनी रही।

3.160 30 जून 2009 को, 5 राज्य सहकारी बैंकों तथा 110 डीसीसीबी ने अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि उसके लिए दावा किए जाने के समय अदा करने की अपनी क्षमता के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22(3)(क) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। साथ ही, 21 राज्य सहकारी बैंकों तथा 324 डीसीसीबी ने उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया क्योंकि इन बैंकों का कार्य इस रूप में किया गया जो उनके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर था।

3.161 लाइसेंसिंग नीति के संबंध में, सीएफएस ने सहकारी क्षेत्र में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त बैंकों द्वारा परिचालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की जरूरत प्रकट की। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है कि जो बैंक 2012 तक लाइसेंस प्राप्त न कर सकें, उन्हें परिचालन की अनुमति न दी जाए। इससे समेकन तथा सहकारी क्षेत्र से गैर अर्थक्षम संस्थाओं को हटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 2009-10 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की कि नाबार्ड के साथ परामर्श करके एक अविघटनात्मक रूप में यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी। नाबार्ड से परामर्श कराने के बाद यह निर्णय लिया गया कि उन बैंकों को लाइसेंस दिए जाएं जिन्होंने 7 प्रतिशत का सीआरएआर प्राप्त किया हो तथा पिछले दो क्रमिक वर्षों (अर्थात् 2007 एवं 2008) के दौरान सीआरएआर तथा एसएलआर में चूक (छिटपुट घटनाओं को छोड़कर) न की हो।

बॉक्स III.11: ओएसएस रिपोर्टिंग सिस्टम : शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के प्रभावी पर्यवेक्षण की ओर एक कदम

रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए परोक्ष निगरानी (ओएसएस) के रूप में एक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास किया है ताकि विवेकपूर्ण हित के क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त की जा सकें तथा प्रबंधन सूचना आवश्यकताओं का निराकरण किया जा सके और यूसीबी के अंतर्गत एमआइएस क्षमता को मजबूत बनाया जा सके। यह प्रणाली तुलनपत्र पर सूचना तथा तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर, लाभ और लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता तथा क्षेत्र/घटकवार अग्रिमों के संकेद्रण सहित अनुपालन पर निगरानी रखने तथा विवेकपूर्ण हित के क्षेत्र में जानकारी जुटाने की दृष्टि से तैयार की गई है। इस रिपोर्टिंग प्रणाली का संपाश्विक उद्देश्य पर्यवेक्षी प्राधिकरण की विवेकपूर्ण चिंताओं के प्रति बैंकों के प्रबंधन को सुग्राही बनाना तथा इस प्रकार स्व-विनियमन में उनकी मदद करना है।

ओएसएस रिपोर्टिंग प्रणाली सबसे पहले अप्रैल 2001 में अनुसूचित यूसीबी पर लागू की गई जिसमें 10 ओएसएस विवरणियाँ थीं। बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले अपेक्षित आँकड़ों की मात्रा को कम करने के साथ-साथ उनसे प्राप्त जानकारी की गंभीरता को बढ़ाने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने ओएसएस विवरणियों को युक्तिसंगत बनाया तथा मार्च 2004 से अनुसूचित यूसीबी के लिए उनकी संख्या दस से कम करके आठ कर दी (एक वार्षिक और सात तिमाही विवरणियाँ)।

साथ ही, अनुसूचित यूसीबी के लिए आरंभ किया गया आठ विवरणियों का सेट जून 2004 से उन टियर II गैर अनुसूचित यूसीबी पर भी लागू कर दिया गया जिनकी जमाराशि 100 करोड़ से अधिक थी तथा इसके बाद जून 2006 से उन गैर अनुसूचित यूसीबी पर लागू किया गया जिनकी जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए के बीच थीं तथा जिनकी शाखाएं एक जिले से अधिक जिलों में थीं। जिन बैंकों की जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच थीं तथा जिनका शाखा नेटवर्क केवल एक जिले तक सीमित था, उन पर जून 2006 के बाद से पांच विवरणियों (चार तिमाही और एक वार्षिक) का सरलीकृत सेट (सरलीकृत ओएसएस के रूप में पारिभाषित (एसओएसएस)) लागू किया गया। दिसंबर 2008 के बाद एसओएसएस टियर I यूसीबी पर लागू किया गया जिनकी जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपये से कम थीं। इसके अलावा, ओएसएस विवरणियाँ उन टियर II यूसीबी पर लागू की गईं जिनकी जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपये से कम थीं। इस प्रकार अब सभी यूसीबी ओएसएस प्रणाली के अंतर्गत कवर कर लिए गए हैं - टियर II यूसीबी के लिए आठ विवरणियों का सेट (ओएसएस) तथा टियर I यूसीबी के लिए पांच विवरणियों का सेट (एसओएसएस)।

प्रभावी ओएसएस प्रणाली के लिए कम्प्यूटरीकृत परिवेश पूर्वापेक्षा है। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि यूसीबी द्वारा सीधे ओएसएस/

एसओएसएस विवरणियाँ और अन्य विनियामक/पर्यवेक्षी विवरणियाँ तैयार की जा सकें तथा इन्हें रिजर्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर से शहरी बैंक विभाग (यूबीडी) के क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय में विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी तैयार की जाती हैं। इससे विकास समर्थन प्रणाली (डीएसएस) का विकास सुविधाजनक हो गया है जिसमें मानक और तदर्थ उत्पाद रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है।

यूसीबी के लिए सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित लाभ हैं :

विवरणियाँ कम्प्यूटरीकृत परिवेश में तैयार करना और प्रस्तुत करना;

स्वचलित गणना तथा एक ही प्रकार के डेटा को बार-बार टंकित करने के दोहराव से बचाव तथा इस प्रकार आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार;

बैंक स्तर पर आँकड़े एकत्र करने से यूसीबी अपने आँकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं तथा अपने एमआइएस में सुधार ला सकते हैं और इससे स्व-विनियमन में सहायता मिलती है।

रिजर्व बैंक के लिए सॉफ्टवेयर के लाभ निम्नानुसार हैं:

यूसीबी की विवरणियों के लिए डेटा लोड करने में लगने वाला समय काफी कम होगा।

बैंकों द्वारा विवरणियाँ न भेजने अथवा विलंब से भेजने पर लगातार निगरानी रखी जा सकती है तथा ऐसे बैंकों के साथ समय पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सकती है।

बैंकों के बेहतर निरीक्षण में सुविधा प्रदान करता है क्योंकि बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के लैपटॉप में यह सॉफ्टवेयर लगाया गया है।

यूसीबी के आँकड़ों तक तुरन्त पहुँचा जा सकता है जिससे इन आँकड़ों के आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तुरंत तैयार की जा सकती हैं।

आँकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विवरणी की आंतरिक, दूसरी विवरणियों से और विभिन्न समय पर क्रॉस चेकिंग। क्षेत्रीय कार्यालय में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आँकड़ों की गुणवत्ता की भी जाँच इसी अवधि के परोक्ष आँकड़ों के साथ प्रत्यक्ष आँकड़ों की तुलना करके की जा सकती है क्योंकि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष आँकड़े भी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मासिक और तिमाही अंतराल पर पहले से चेतवनी देने वाली रिपोर्टें तैयार करने के माध्यम से और अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है जिसमें चलनिधि स्थिति में आरंभिक दबाव के संकेत मिलते हैं और यूसीबी की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट, जमाराशि की तुलना में ऋण अनुपात तथा जमाराशियों और अग्रिमों में वृद्धि की जानकारी मिलती है।

लाइसेंस रहित राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के मामले को पहले लिया गया तथा इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड से अनुरोध किया गया कि वह उक्त मानदंडों का अनुपालन करने वाले राज्य सहकारी बैंकों की एक सूची प्रस्तुत करे। यह निर्णय लिया गया कि बाद में डीसीसीबी के बारे में भी नाबार्ड से इसी प्रकार के आंकड़े प्राप्त किए जाएं। साथ ही, नाबार्ड को उक्त मानदंडों का अनुपालन न करने वाले राज्य सहकारी बैंकों का निरीक्षण 31 मार्च 2009 की उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर करना था।

3.162 वर्तमान में, राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी पर सीआरएआर मानदंड लागू नहीं होते। तथापि, पूरी वित्तीय प्रणाली की प्रणालीगत स्थिरता के हित में तथा 2007-08 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में, सभी राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी को सूचित किया गया कि वे अपने तुलनपत्रों में 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार सीआरएआर का स्तर प्रकट करें तथा उसके बाद हर साल उनके तुलनपत्र में 'लेखा पर टिप्पणी' के रूप में इसे दर्शाया जाए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे निर्धारित फार्मेट में पूंजी निधि तथा जोखिम आस्ति अनुपात दर्शाते हुए एक वार्षिक विवरणी रिजर्व बैंक / नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। इस संबंध में, सीएफएसए ने पाया कि वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुनर्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के साथ इन संस्थाओं के लिए बासेल I के प्रति अंतरण पर विचार किया जा सकता है।

3.163 रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों तथा डीसीसीबी को बताया कि वे वाणिज्यिक भू-संपदा क्षेत्र को वित्त प्रदान करने से बचें क्योंकि ग्रामीण सहकारी बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए उधार देना है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर लेना अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के हित में नहीं होगा। इस क्षेत्र को पहले से प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं के लिए, राज्य सहकारी बैंकों तथा डीसीसीबी से कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के एक्सपोजर भलीभांति सुरक्षित हों तथा अपेक्षानुसार वर्तमान विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हों। साथ ही, बैंकों को कहा गया कि वे ऋण सुविधाओं का नवीकरण न करें।

3.164 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्जीवन पर गठित कार्यबल (अध्यक्ष : प्रो.ए.वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों के परामर्श से, भारत सरकार ने अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा (एसटीसीसीएस) के पुनर्जीवन के लिए एक पैकेज को भी अनुमोदित किया।

9. वित्तीय बाजार

3.165 अपने नीति निर्धारणों के माध्यम से रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि व्यापक आधार वाले, गहन और चलनिधि वाले वित्तीय बाजार विकसित हों। अस्थिरता की कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 2008-09 के दौरान वित्तीय बाजार सामान्यतः स्थिर रहे। भारतीय वित्तीय बाजारों पर वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल का प्रभाव मुख्य रूप से घरेलू शेयर बाजारों में निवल पूंजी प्रवाहों में कमी और करेक्शन के रूप में था। भारतीय इक्विटी बाजारों से निधियां निकाल लेने और भारतीय इकाइयों को विदेशी निधियों की उपलब्धता में कमी के कारण घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार पर एक दबाव था। अग्रिम कर प्रवाहों और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों के बढ़ने से मांग मुद्रा बाजार में कुछ अस्थिरता आई। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के अप्रत्यक्ष प्रभावों के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया पूर्वक्रयात्मक चलनिधि प्रबंधन तथा बैंकों के सुदृढ़ तुलनपत्रों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में प्रतिपक्षी जोखिम के अभाव में अंशदान किया।

मुद्रा बाजार की गतिविधियां

3.166 पूरी अवधि के दौरान कतिपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत अंतर-बैंक मुद्रा बाजार सामान्य तौर पर कार्य कर रहा है। सामान्यतः, दैनिक भारित औसत मांग दर सितंबर तथा अक्टूबर 2008 की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर अधिकांशतः एलएएफ ब्याज दर के अनौपचारिक दायरे के भीतर बनी रही। मुद्रा बाजार के संपार्श्विकीकृत खंडों में ब्याज दरें तदनु रूप चलती रहीं, परंतु वर्ष के दौरान वे सामान्यतः मांग मुद्रा दर के नीचे बनी रहीं।

सरकारी प्रतिभूति बाजार की गतिविधियां

3.167 एक ओर केंद्र और राज्य सरकारों के बढ़े हुए बाजार उधार कार्यक्रम और दूसरी ओर उथल-पुथल भरे समय में निवेशकों के

लिए सुरक्षा को वरीयता के कारण वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल ने सरकारी प्रतिभूति बाजार को एक बार फिर से आगे ला दिया है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान इस बाजार खंड में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों में शामिल हैं: (i) नीलामी प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाना, (ii) अस्थायी दर वाले बांडों (एफआरबी) के लिए नया निर्गम ढांचा, (iii) स्ट्रिप्स को लागू करने के लिए परिचालनात्मक तैयारी, (iv) गैर चालू खातेदारों के लिए नई निपटान व्यवस्था, (v) ओटीसी रुपया ब्याज दर डेरिवेटिवों का समाशोधन और निपटान तथा (vi) रिपो लेखांकन मानदंडों को संशोधित करना। सरकारी प्रतिभूति बाजार की इन नीतिगत गतिविधियों का बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि बैंक सरकारी प्रतिभूति बाजार के सक्रिय सहभागी हैं।

ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार

3.168 सुदृढ़ ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) बाजार विकसित करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने अगस्त 2007 में मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजारों के बारे में गठित टीएसी द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसरण में ब्याज दर फ्यूचर्स के बारे में एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्रीवी.के.शर्मा) का गठन किया। टीएसी की अंतिम रिपोर्ट 8 अगस्त 2008 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाली गयी। वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह सूचित किया गया कि 10 वर्षीय सांकेतिक ब्याजवाही सरकारी बांड पर एक्सचेंज में ट्रेडिंग वाली आइआरएफ संविदा शीघ्र शुरू करने की आशा है। बाद में आरबीआइ-सेबी की एसटीसी को टीएसी की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को लागू करने संबंधी कार्य सौंपा गया। समिति ने मई 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

3.169 इस रिपोर्ट में 10-वर्षीय सांकेतिक ब्याजवाही भारत सरकार प्रतिभूति फ्यूचर्स के लिए उत्पाद के डिजाइन, मार्जिन और स्थिति सीमाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस प्रतिभूति पर लागू सांकेतिक कूपन दर 7 प्रतिशत होगी जो छमाही रूप से चक्रवर्द्धित होगी। यह कोटेशन भारत सरकार प्रतिभूति के कोट किये गये मूल्य के समान होगा। अंतिम आधे घंटे की ट्रेडिंग के अभाव में शेअर

बाजारों द्वारा तय किया जाने वाला सैद्धांतिक मूल्य दैनिक निपटान मूल्य के रूप में माना जाएगा। शेयर बाजारों को सैद्धांतिक मूल्य को निकालने के मॉडल / पद्धति बताना होगा। यह संविदा मौजूदा निक्षेपागारों (एनएसडीएल और सीएसडीएल) और रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) की इलेक्ट्रॉनिक बही प्रविष्टि प्रणाली का उपयोग करके सुपुर्दगी योग्य ग्रेडवाली प्रतिभूतियों की भौतिक रूप से सुपुर्दगी करके निपटायी जाएगी। ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाएं मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के करेंसी डेरिवेटिव खंड पर ही ट्रेड की जाएंगी। करेंसी/इक्विटी डेरिवेटिव खंड में ट्रेडिंग के लिए सेबी द्वारा पंजीकृत सदस्य ब्याज दर डेरिवेटिव में भी ट्रेड करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे ट्रेडिंग सदस्य के लिए 1 करोड़ रुपए की और समाशोधन सदस्य के लिए 10 करोड़ रुपए की तुलनपत्र की निवल मालियत अपेक्षा पूरी करते हों। आइआरएफ बाजार के क्षेत्राधिकार के एक दूसरे के क्षेत्र में आने से उत्पन्न होनेवाले मुद्दों, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए सेबी-आरबीआइ की समिति की आवधिक रूप से बैठक होगी। अनुसरण के एक उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 28 अगस्त 2009 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किए।

विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां

3.170 वित्तीय संकट के प्रभाव, जिसने 2008 के मध्य में स्थिति बिगाड़ दी थी, की अगुवाई में देश में पूंजी प्रवाहों की गति मंद हो गई। तथापि, बाह्य क्षेत्र ने मौजूदा वैश्विक वित्तीय संकट के सामने पर्याप्त आघात-सहनीयता दर्शायी, जिसका बड़ा श्रेय पूंजी खाता को खोलने की दिशा में अधिक सतर्क और सुविचारित दृष्टिकोण सहित वित्तीय वैश्वीकरण के प्रति देश के दृष्टिकोण को जाता है। भारत के नीतिगत प्रतिसाद अधिकांशतः भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए बनाए गए हैं। सितंबर 2008 से रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण नीतिगत कदम अनिवार्यतः बाजार में डालर की बिक्री करके विदेशी मुद्रा चलनिधि सुधारने, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा और एफसीएनआर (बी) तथा एनआर (ई)आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमाएं बढ़ाने की दिशा में थे।

3.171 भारतीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभों को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की परिपक्वतापूर्व पुनर्खरीद संबंधी नीति दिसंबर 2008 में उदार बनाई गई थी।

3.172 अक्टूबर 2008 में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I व्यापारी बैंकों को 25 प्रतिशत की मौजूदा उच्चतम सीमा की तुलना में पिछली तिमाही की समाप्ति पर उनकी अक्षत टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत की सीमा अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर (अथवा इसके बराबर) की राशि (विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के वित्तपोषण हेतु ली गयी उधार राशियों तथा पूंजीगत लिखतों को छोड़कर), जो भी अधिक हो, तक अपने प्रधान कार्यालय, विदेशी शाखाओं, संपर्कियों से निधियां उधार लेने और वोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई थी।

3.173 अक्टूबर 2008 में इस बात की नमनीयता प्रदान की गई थी यदि उधारकर्ता चाहें तो वे अपनी बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि को समुद्रपार रख सकते हैं अथवा इसे विदेश में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहायक संस्थाओं में रख सकते हैं अथवा इन निधियों को स्वीकार्य अंतिम उपयोगों हेतु उपयोग किए जाने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास अपने रुपया खातों में जमा करने के लिए भारत को विप्रेषित कर सकते हैं।

3.174 यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वोस्ट्रो खातों में कोई भी छिपे हुए ओवरड्राफ्ट नहीं हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अगस्त 2008 में अनुमति दी गई थी कि वे 300 से आगे रुपया आहरण व्यवस्थाओं (आरडीए) के अंतर्गत अदाकर्ता शाखाओं को नामोद्दिष्ट कर सकते हैं बशर्ते ऐसी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत काम कर रही हों। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को नवंबर 2008 में पण्य डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित भुगतान दायित्वों को कवर करने के लिए गारंटियां/आपाती साख-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई थी।

3.175 अगस्त 2008 में रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को माल के आयात हेतु अपने आयातक ग्राहकों की ओर से बिना किसी सीमा के अग्रिम विप्रेषण करने की अनुमति दी। तथापि, 5,00,000 अमरीकी डालर अथवा इसके बराबर की राशि से अधिक

अग्रिम रूप से विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे बिना शर्तवाला, अविक्ल्पी आपाती साख-पत्र अथवा भारत के बाहर स्थित किसी ख्यातनाम अंतरराष्ट्रीय बैंक से गारंटी अथवा भारत के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की गारंटी प्राप्त करें, यदि ऐसी गारंटी भारत के बाहर स्थित किसी ख्यातनाम अंतरराष्ट्रीय बैंक की काउंटर गारंटी के विरुद्ध जारी की गई हो।

3.176 निर्यातकों को मिलनेवाली सुविधाएं उदार बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे, माल पानेवाले को अथवा माल के अंतिम गंतव्य के देश में उसके निवासी एजेंट को, सीधे ही प्रति निर्यात लदान एक मिलियन अमरीकी डालर तक के अथवा उसके बराबर के पोतलदान प्रलेखों के प्रेषण के मामलों को नियमित कर सकते हैं, यदि निर्यात संबंधी आगम राशियों की पूर्णतः वसूली की गयी हो, यदि वह निर्यातक उस बैंक का कम से कम छह महीने से नियमित ग्राहक है और उस निर्यातक का खाता पूरी तरह से रिजर्व बैंक के विद्यमान केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुसार है तथा रिजर्व बैंक लेनदेन की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो।

3.177 दिसंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि ग्राहकों के हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के संबंध में बैंकों के निदेशक मंडल की नीति को अन्य ग्राहकों को कवर करने के अलावा छोटे और मझौले उद्यमों को कवर करना चाहिए। इसके अलावा, उन ग्राहकों के प्रति, जिनका कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर अपेक्षाकृत काफी बड़ा (अर्थात् लगभग 25 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके बराबर) है, बड़े एक्सपोजर रखनेवाले बैंकों को एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से मासिक आधार पर उन ग्राहकों के हेज न किये गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए। एसएमई के हेज न किए गए एक्सपोजरों की समीक्षा भी मासिक आधार पर की जानी चाहिए।

3.178 मौजूदा प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के एक उपाय के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन हवाई जहाज/हवाई जहाज के इंजन/हेलिकॉप्टर के आयात के संबंध में पट्टा चलाने के लिए विदेशी पट्टाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई गारंटी जारी करने के लिए, ताकि उधारकर्ता बाह्य वाणिज्यिक उधार

जुटा सके, अचल आस्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार निर्मित करने और विदेशी उधारदाता/प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में कार्पोरेट या निजी गारंटियां जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत 'अनापत्ति' सूचित करने के लिए अप्रैल 2009 में अनुमति दी गई थी।

3.179 मई 2009 में, बैंकों से कहा गया है कि वे नोस्ट्रो खातों में, 2,500 अमरीकी डालर और उससे अधिक या समतुल्य मूल्य की अलग-अलग बकाया नामे/जमा प्रविष्टियों के संबंध में समाधान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जारी रखें।

3.180 सेबी और विभिन्न बाजार सहभागियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री सलीम गंगाधरन) की सिफारिशों की जांच करने के बाद, रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को कतिपय शर्तों के अधीन सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों द्वारा स्थापित किये जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव खंड का ट्रेडिंग/ समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति दे दी। अगस्त 2008 में, भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को देश के करेंसी फ्यूचर्स बाजार में भाग लेने की अनुमति थी।

3.181 अप्रैल 2009 में, यह निर्णय लिया गया कि एनआर(ई)आरए और एफसीएनआर(बी) जमाराशियों वाले खातों में धारित निधियों की जमानत पर जमाकर्ताओं को अथवा तीसरी पार्टियों को ऋण देने की 20 लाख रुपए की मौजूदा उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 100 लाख रुपए कर दिया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे उपर्युक्त उच्चतम सीमा से बचने के लिए ऋण की राशि के नकली विभाजन का काम न करें।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

3.182 2008-09 के दौरान, अच्छी और दक्ष ग्राहक सेवा देने के प्रति बैंकों को जागरूक करके तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने में बैंकों के निदेशक मंडलों की सहभागिता को प्रोत्साहित करके बैंकिंग क्षेत्र के ग्राहक सेवा आयाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंकों को और भी अधिक ग्राहकानुकूल बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने एक पूर्ण-काय ग्राहक सेवा विभाग स्थापित किया है। रिजर्व बैंक ने बहु-भाषी वेबसाइट के

माध्यम से 'आम जनता के लिए' शीर्षक से विशिष्ट पेज में ग्राहक से संबंधित सभी अधिसूचनाएं और प्रेस विज्ञप्तियां रखकर बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण से संबंधित अनुदेशों/ मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वाणिज्य बैंकों के ग्राहक भी इस वेबसाइट के 'हमसे संपर्क करें' विधि के माध्यम से अपनी शिकायतों और प्रश्नों के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के यहां शिकायत करने के लिए एक शिकायत फार्म भी प्रारंभ किया गया है।

3.183 इसके अलावा, शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, बैंकों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किये गये संबंधित संपर्क (नोडल) अधिकारी के नाम दर्शाएं तथा उनके साथ उन अधिकारियों के नाम भी दर्शाएं जिनसे बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत निवारण के लिए संपर्क किया जा सकता है। बैंक यह सूचना अपनी वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं।

3.184 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1 जुलाई 2009 को ग्राहक सेवा के संबंध में एक विस्तृत मास्टर परिपत्र जारी किया गया था जिसमें विभिन्न मुद्दों को समाविष्ट किया गया था, जैसे, ग्राहक सेवा, जमाखातों का परिचालन, सेवा प्रभार लगाना, काउंटरों पर सेवा, सूचना का प्रकटीकरण, वृद्ध और अक्षम व्यक्तियों द्वारा खातों का परिचालन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दी जानेवाली सुविधाएं, जमाखातों में अभिभावकत्व, विप्रेषण, ड्राप बॉक्स सुविधा, लिखतों की वसूली, चेकों को नकारना, शिकायतें निपटाना, गलत/धोखे से किये गये लेनदेनों के कारण गलत नामे प्रविष्टियां, सुरक्षित जमा लॉकर, नामांकन सुविधा, मृत जमाकर्ता/खोये हुए व्यक्ति से संबंधित दावों का निपटान, दावा न की गई जमाराशियां तथा अपरिचालित खाते, ग्राहक की गोपनीयता संबंधी दायित्व, शाखा में आंतरिक खाते का अंतरण, बैंक बदलना, सीबीडीटी अधिकारियों का समन्वयन, कार्यदलों / समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन और बीसीएसबीआई की ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता संहिता और उस संबंध में जारी किये गये अनुदेश।

3.185 वर्ष 2008-09 के दौरान बैंकिंग लोकपाल योजना संशोधित की गयी थी। इस योजना में किये गये प्रमुख संशोधन बॉक्स III.12 में दिये गये हैं।

3.186 धोखाधड़ियों की जोखिम घटाने के लिए अगस्त 2008 में बैंकों को (सितंबर 2008 में यूसीबी को) अनुदेश जारी किए हैं और उनसे कहा गया है कि यदि खाते में लगातार दो वर्ष या उससे अधिक समय से लेनदेन नहीं हो रहा है तो ग्राहक का पता-ठिकाना मालूम करने के लिए अधिक सक्रियता लाई जानी चाहिए। ऐसे खातों में परिचालन पर्याप्त सचेतना के बाद ही किए जाने चाहिए और बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क न लें। बैंकों को ऐसे खातों का उचित लेखा-परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए और ब्याज वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आवधिक अंतराल पर जमा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को सितंबर 2008 में (अक्टूबर 2008 में यूसीबी को) यह भी अनुदेश दिया गया था कि वे अवरोधित खातों पर ब्याज अदा करने के लिए जमाराशियों को पुनर्नवीकृत करें अथवा बैंक की नीति के अनुसार अतिदेय अवधि के लिए ब्याज अदा करें। ऐसी जमाराशियों का नवीकरण ग्राहकों को सूचना देते हुए संबद्ध

सरकारी विभागों को सूचित किया जाना चाहिए। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अवरोधित बचत बैंक खातों के मामले में बैंक नियमित आधार पर ब्याज जमा कर सकते हैं।

3.187 बैंकों (यूसीबी सहित)/वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि प्रोसेसिंग से संबंधित प्रभारों/शुल्कों से संबंधित सभी सूचना अनिवार्य रूप से ऋण आवेदन फार्मों में दर्शायी जाए। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहक को 'कुल लागत' बताएं ताकि वह वित्त के अन्य स्रोतों पर प्रभारित की जाने वाली दरों से इसकी तुलना कर सके।

3.188 ऋण सूचना कंपनी(विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 21 की उप-धारा (2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उप-धारा (1) में दर्शाए गए अनुसार अनुरोध प्राप्त होने पर प्रत्येक ऋण संस्था को उक्त विनियमों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रभारों

बॉक्स III.12: बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 (बीओएस) का संशोधन

बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्यान्वयन में 1 जनवरी 2006 से प्राप्त अनुभव के आधार पर रिजर्व बैंक के ग्राहक सेवा विभाग ने वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल योजना संशोधित की है। इस योजना में किए गए संशोधनों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न होने वाली कमियों को शामिल करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा व्यापक बनाया गया। इस संशोधित योजना के अंतर्गत, उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता अथवा भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा जारी की गई ग्राहकों के प्रति बैंकों की वचनबद्धता संहिता के प्रावधानों का बैंक द्वारा अनुपालन न करने के विरुद्ध भी ग्राहक शिकायत कर सकेगा। इसके अलावा, बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवाएं लेने के संबंध में रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन भी विशेष रूप से इस योजना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है। तथापि, इस संशोधित योजना में कतिपय बैंकिंग लेनदेन जैसे कि बैंक गारंटी अथवा साख पत्र को सकारने में विफलता को शामिल नहीं किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के इन क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों की संख्या बहुत कम है।

यदि किसी भी ग्राहक को किसी बैंक के विरुद्ध शिकायत है तो वह उस बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बैंक की वह शाखा स्थित है जिसके विरुद्ध उसे शिकायत है। कुछ बैंकों ने कतिपय लेनदेनों जैसे कि आवास ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे लेनदेनों को केंद्रीकृत कर दिया है। यदि ऐसे लेनदेन के संबंध में शिकायतें हैं, तो शिकायतें उस राज्य के बैंकिंग लोकपाल के यहाँ करनी होंगी जहाँ बैंक ग्राहक देय राशियों का बिल/विवरण प्राप्त करता है। इस संशोधित योजना के अनुसार क्रेडिट कार्ड परिचालनों से

उत्पन्न शिकायतों के मामले में बैंकिंग लोकपाल शिकायतकर्ता के बरबाद हुए समय, उसके द्वारा किए गए खर्चों के साथ-साथ उसे हुई परेशानी और झेली गई मानसिक तकलीफ को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है जो एक लाख रूप से अधिक नहीं होगा।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के यहां शिकायत करने के फार्मेट को भी सरल बना दिया है। यद्यपि शिकायतकर्ता को किसी विशेष फार्मेट में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, इस योजना में अब शिकायत करने के लिए आसानी से भरा जानेवाला फार्मेट दिया गया है, यदि शिकायतकर्ता उसका उपयोग करना चाहे तो वह उसका उपयोग कर सकता है। कानपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नै और तिरुवनंतपुरम स्थित बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकारों को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि बैंकिंग लोकपाल के तत्संबंधित कार्यालय से उन क्षेत्रों की भौगोलिक नजदीकियों को ध्यान में रखते हुए कतिपय क्षेत्रों को शामिल किया जा सके/निकाला जा सके। व्यापक प्रसार के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे इस बैंकिंग लोकपाल योजना की एक प्रति अपनी वेबसाइट पर रखें।

जहां-कहीं शिकायतों का एक माह के भीतर निपटारा नहीं होता है वहां संबद्ध शाखा/नियंत्रक कार्यालय से उसकी एक प्रति बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) के अधीन संबंधित संपर्क अधिकारी को अग्रेषित करनी चाहिए और उसे इस शिकायत की वस्तुस्थिति के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए। यदि ग्राहक बैंक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने के उसके अधिकारों के प्रति उसे सचेत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि शिकायत निवारण के संबंध में ग्राहक को भेजे जाने वाले अंतिम पत्र में बताया जाना चाहिए कि यदि वह शिकायत निवारण के बारे में बैंक के उत्तर या उसके द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह संबंधित बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है।

के भुगतान के अधीन ऋण सूचना की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को देनी होगी। उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी ऋण सूचना कंपनी विनियमावली, 2006 में रिजर्व बैंक ने पहले ही विनियम 12(3) में उक्त प्रयोजन के लिए अधिकतम 50 रुपए (पचास रुपए मात्र) का शुल्क निर्धारित किया है।

3.189 सरकारी कारोबार, मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा और ग्राहक सेवा के संबंध में गठित ग्राहक सेवा समिति (अध्यक्ष : श्री एच. प्रभाकर राव) की प्रमुख सिफारिशों का अनुपालन केंद्रीय कार्यालय के संबंधित विभागों द्वारा किया गया है और समिति की सिफारिश के अनुसार बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राहक सेवा उपायों से संबंधित फुटकर कार्यों का मसौदा रिजर्व बैंक के सरकारी बैंक और लेखा-विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

3.190 नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के तकनीकी समर्थन से प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और कारगर निवारण हेतु पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) नामक एक पब्लिक पोर्टल विकसित किया है। यह प्रणाली ऑनलाइन शिकायतों का रिकार्ड रखेगी और उन्हें प्राप्त करेगी तथा विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई दर्शाते हुए उनका निवारण करेगी। भारत सरकार इस प्रणाली की निगरानी कर रही है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय, रिजर्व बैंक, सिडबी, आइडीबीआई बैंक और नाबार्ड भारत सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं और उन्हें डीएआरपीजी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड दिया गया है ताकि वे बैंकों के विरुद्ध शिकायतों को ऑनलाइन निपटा सकें।

3.191 यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि वित्तीय रूप से सोचे समझे निर्णय लेने के लिए ग्राहकों को शक्ति प्रदान की जाए और इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक दस्तावेजों में भाषा सरल और समझने योग्य हो तथा सभी ग्राहक-बैंकर संबंधों में पारदर्शिता के मानदंडों का अनुपालन किया जाए। रिजर्व बैंक का ग्राहक सेवा विभाग वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड, सेवा प्रभार, आवास ऋण (चुकौती विकल्प) और चेकों की वसूली के संबंध में ग्राहकों के अधिकार और दायित्व विषय पर चार पुस्तिकाएं प्रकाशित करेगा।

3.192 यूसीबी सहित बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी मौजूदा एटीएम/भावी एटीएम में ढालू सीढ़ी (रैम्प) बनवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करनेवाले/अपंग व्यक्ति आसानी से उनका उपयोग कर सकें तथा ये व्यवस्थाएं इस प्रकार करें ताकि एटीएम की ऊँचाई से पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करने वाले लोगों को इसके उपयोग में कोई समस्या पैदा न हो। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि नए एटीएम में से कम-से-कम एक तिहाई एटीएम ब्रेल की-पैड सहित बोलने वाले एटीएम हों तथा अन्य बैंकों के साथ परामर्श करके उन्हें रणनीति के रूप में इस प्रकार स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रेल की-पैड सहित बोलने वाला कम-से-कम एक एटीएम सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रत्येक मोहल्ले में उपलब्ध रहे। बैंक बोलने वाले ऐसे एटीएम की स्थितियों से अपने दृष्टिबाधित ग्राहकों को भी अवगत कराएं।

बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन

3.193 रिजर्व बैंक के साथ-साथ बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों का एक अध्ययन प्रारंभ किया गया था। इस अध्ययन रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर जुलाई 2008 में बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में उन्हें विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनमें उक्त विषय के संबंध में रिजर्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के साथ अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों का सारांश शामिल है।

3.194 बिना मांगे गए कार्ड जारी करने के संबंध में, बैंकों को सूचित किया गया था कि जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया गया है वह व्यक्ति बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है जो बीओएस, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, अर्थात् शिकायतकर्ता के समय की बर्बादी, किए गए खर्च, उसके द्वारा उठायी गयी परेशानी और मानसिक यातना के आधार पर, यह निर्धारित करेगा कि बिना मांगे गए कार्ड के प्राप्तकर्ता को बैंक द्वारा हर्जाने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे बिना मांगे गए कार्ड के दुरुपयोग से उत्पन्न होनेवाली किसी भी हानि के लिए कार्ड जारी करनेवाला बैंक ही उत्तरदायी होगा तथा कार्ड पानेवाले को जिम्मेदार नहीं

ठहराया जा सकता। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि उन मामलों में, जहां उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कोई बीमा सुरक्षा दी है, उन्हें चाहिए कि वे आकस्मिक निधन और विकलांगता लाभ के संबंध में बीमा रक्षा हेतु नामिती/नामितियों के विवरण क्रेडिट कार्डधारक से प्राप्त करें। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि नामांकन संबंधी सुसंगत विवरण बीमा कंपनी द्वारा दर्ज कर लिए गए हैं। उन्हें क्रेडिट कार्डधारकों को एक पत्र जारी करने के बारे में भी विचार करना चाहिए जिसमें उस बीमा कंपनी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर संबंधी विवरण दर्शाए गए हों जो बीमा कवर से संबंधित दावों को निपटाएगी।

राष्ट्रीय काल न करें रजिस्ट्री

3.195 ग्राहकों के पास आने वाली अवांछित मार्केटिंग कालों की संख्या घटाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2007 और सितंबर 2008 में जारी परिपत्रों के माध्यम से बैंकों को सूचित किया था कि उनके द्वारा रखे जाने वाले सभी टेलीमार्केटियर अर्थात् प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट/प्रत्यक्ष विपणन एजेंट दूरसंचार विभाग (डीओटी) में पंजीकृत होने चाहिए।

विशद डिस्प्ले बोर्ड

3.196 वाणिज्यिक बैंकों को (अगस्त 2008 में) तथा (यूसीबी को सितंबर 2008 में) सूचित किया गया था कि वे अपने डिस्प्ले बोर्डों पर 'ग्राहक सेवा सूचना', 'सेवा प्रभार', 'शिकायत निवारण' तथा 'अन्य' के अंतर्गत अनुदेशों का वर्गीकरण करें। उपर्युक्त चार श्रेणियों से संबंधित केवल महत्वपूर्ण पहलू अथवा अनिवार्य अनुदेशों को ही विशद डिस्प्ले में दर्शाया जाना चाहिए, और विस्तृत सूचना पुस्तिका के रूप में उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने शाखा परिसर के बाहर 'कार्य दिवस, कारोबारी समय और साप्ताहिक अवकाश' जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शित करें। सितंबर 2008 में बैंकों को परामर्श दिया गया था कि एक नजर में वांछित सूचना प्राप्त करने में ग्राहकों को समर्थ बनाने के लिए ब्याज दरों और सेवा प्रभारों से संबंधित सूचना प्रदर्शित की जाए।

11. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

3.197 वित्तीय प्रणाली के क्षमतापूर्वक कार्य करने के साथ-साथ मौद्रिक नीतिगत संकेतों के कारगर संचारण हेतु एक सुरक्षित और

दक्ष भुगतान और निपटान प्रणाली की आवश्यकता होती है। भुगतान एवं निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 दिसंबर 2007 में अधिनियमित किया गया था तथा यह अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विनियमावली 12 अगस्त 2008 से लागू हुए। यह अधिनियम देश में भुगतान प्रणालियों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भारतीय रिजर्व बैंक पर डालता है। पीएसएस अधिनियम में केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के गठन का प्रावधान है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित बोर्ड (बीपीएसएस) के नाम से जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक को प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कार्य निष्पादित करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तदनुसार, अधिनियम के तहत भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008 के अधिसूचित किए जाने के बाद बीपीएसएस का पुनर्गठन किया गया।

3.198 बीपीएसएस के निदेशों के तहत कार्यकलाप के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) अधिनियम तथा अधिनियम के तहत बनायी गयी विनियमावलियों को अधिसूचित करना; (ii) पीएसएस अधिनियम के अनुसार विभिन्न भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार देना; (iii) मोबाइल बैंकिंग संबंधी लेनदेनों के लिए दिशानिर्देश; (iv) पूर्वप्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने और उनके परिचालनों के लिए दिशानिर्देश; (v) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों तथा बाहरी चेकों के लिए प्रभारों को युक्तियुक्त बनाना; (vi) बड़े मूल्य के भुगतानों का अधिक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक विधि में और अंतरण तथा एक अविघटनात्मक तरीके से उच्च मूल्य वाले कागज आधारित पृथक समाशोधन को बंद करना; (vii) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लिखतों सहित बैंकों की चेक वसूली नीतियों को कारगर बनाना; (viii) बैंकिंग सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जाने के लिए उपग्रह संचार के उपयोग को प्रोत्साहित करना; तथा (ix) केंद्रीय प्रतिपक्षकारों को आरटीजीएस सदस्यता।

3.199 भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते समय भुगतान प्रणाली परिचालित करने वाली/ परिचालित करने का प्रस्ताव करने वाली संस्थाओं यथा केंद्रीय प्रतिपक्षकार, कार्ड कंपनियों, एटीएम नेटवर्क परिचालकों, सीमापार के तथा देशी मुद्रा अंतरण परिचालकों,

और पूर्वप्रदत्त कार्ड निर्गमकर्ताओं से कई आवेदन प्राप्त हुए। रिजर्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम 2007, उसकी विनियमावली अर्थात् भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008, तथा आंतरिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत इन आवेदनों की जांच की। अब तक तीस संस्थाओं को पीएसएस अधिनियम 2007 के तहत प्राधिकार स्वीकृत किया जा चुका है।

कागज आधारित समाशोधन और निपटान

3.200 कागज आधारित समाशोधन प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं : माइकर समाशोधन, गैर-माइकर समाशोधन और उच्च मूल्य के समाशोधन।

3.201 कागज आधारित प्रणालियों से इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में जाने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु रिजर्व बैंक ने उन प्रभारों को युक्तियुक्त तथा पारदर्शी बना दिया, जिनकी वसूली बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के लिए ग्राहकों से कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से मार्च 2011 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों के लिए प्रोसेसिंग प्रभार माफ कर दिया है। इसके प्रति, अप्रैल 2009 में बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे उच्च मूल्य (एचवी) समाशोधन में प्रस्तुत किए जाने के लिए पात्र चेक की राशि की प्रारंभिक सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दें तथा अगले एक वर्ष की अवधि में एक अविघटनात्मक रूप में इस योजना को क्रमिक तौर पर बंद कर दें। तब से 6 केंद्रों में उच्च मूल्य समाशोधन बंद कर दिया गया है तथा शेष सभी केंद्रों में प्रस्तुतीकरण के लिए आरंभिक सीमा बढ़ा दी गयी है। तथापि कागज आधारित लिखतों के लिए माइकर/गैर माइकर समाशोधन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

3.202 बैंकों की नीतियों को कारगर बनाकर चेक वसूली की समस्या के समाधान लिए कई पहलें की गयी हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे चेक वसूली नीतियों (सीसीपी) को पुनर्निर्धारित कर उसमें स्थानीय एवं बाहरी चेक वसूली समयसीमा, वापसी समाशोधन के बाद निधियों के उपयोग, राज्यों की राजधानियों/प्रमुख शहरों/अन्य स्थानों पर आहरित चेकों की वसूली के लिए समयसीमा, तथा विलंब के लिए देय ब्याज दर को शामिल करें।

3.203 बाहरी चेकों की वसूली के लिए जून 2008 में 'स्पीड समाशोधन' लागू किए जाने से बाहरी चेकों की वसूली में लगने वाला समय 10-14 दिनों से काफी कम होकर स्थानीय समाशोधन के समतुल्य हो गया है तथा अब ग्राहकों को निधियां टी+1 तथा टी+2 आधार पर उपलब्ध हैं। 66 माइकर केंद्रों में से 53 में स्पीड समाशोधन उपलब्ध होने के साथ रिजर्व बैंक के 14 स्थलों पर अंतर-नगर समाशोधन बंद कर दिया गया है तथा अब वह सिर्फ गुवाहाटी में उपलब्ध है।

3.204 कागज आधारित समाशोधन प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए फरवरी 2008 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चेक छिन्नन प्रणाली (सीटीएस) लागू की गयी। इससे प्रस्तुतकर्ता शाखाओं/बैंकों से समाशोधन गृहों की ओर तथा अदाकर्ता बैंक/शाखाओं की ओर चेकों की आवाजाही तथा चेक खो जाने/चोरी हो जाने/उसमें हेराफेरी होने की जोखिम संबंधी समस्याओं का समाधान हो गया है। नयी दिल्ली बैंकर समाशोधन गृह के सभी सदस्य बैंकों द्वारा सीटीएस में शामिल हो जाने के साथ, 1 जुलाई 2009 से कागज आधारित पृथक समाशोधन बंद कर दिया गया है। सीटीएस में प्रस्तुतकर्ता बैंक और अदाकर्ता बैंक के लिए प्रत्येक लिखत पर 0.50 रुपया शुल्क लागू किया गया है, जबकि माइकर समाशोधन में प्रस्तुतकर्ता और अदाकर्ता बैंक दोनों से पहले प्रत्येक लिखत पर एक रुपया वसूला जाता था।

3.205 बैंक बाहरी चेकों की वसूली के लिए ग्राहकों से प्रभार वसूलते हैं। इन प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने के लिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए, रिजर्व बैंक ने निदेश जारी किया जिसके द्वारा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए - 1,00,000 रुपए, तथा 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के चेकों के लिए क्रमशः 50 रुपए, 100 रुपए तथा 150 रुपए के अधिकतम प्रभार निर्धारित किए गए हैं। इन प्रभारों में सेवा कर को छोड़कर सभी शामिल हैं।

3.206 चेक अभी भी भुगतान का प्रमुख माध्यम है, अतः एक अविघटनात्मक रूप में कागज आधारित प्रणालियों के परिचालन का विशेष महत्व है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले बैंकों की समाशोधन गृह की प्रत्यक्ष सदस्यता हो, रिजर्व बैंक ने समाशोधन गृह की सदस्यता के लिए मानदंड/अभिगम मानदंड निर्धारित किए हैं।

3.207 हर समय समाशोधन गृहों द्वारा अबाधित रूप में कार्य किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय समाशोधन कक्षों को उनके क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले समाशोधन गृहों के लिए कारोबार सातत्य योजना (बीसीपी) उपाय के रूप में कई अनुदेश जारी किए गए हैं।

3.208 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित चेकों की वसूली में होने वाली देरी के प्रति कुछ समय से रिजर्व बैंक ध्यान दे रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए, वसूली की प्रक्रिया तेज करने के लिए तथा ग्राहकों को तीव्रतर गति से निधियां उपलब्ध कराने के लिए, रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश जारी कर उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, निदेश दिया है कि वे अमरीकी डॉलर चेक वसूली योजना (प्रभारों सहित) को पारदर्शी तथा अपनी नियमित चेक वसूली नीति का अंग बनाएं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया कि वे सतत आधार पर अपनी नीति की समीक्षा करें और पारवहन अवधि बचाने के लिए यूएस चेक 21 सुविधा का लाभ उठाएं तथा शीघ्र वसूली के लिए सम्पर्की बैंकों के साथ प्रत्यक्ष जमा प्रक्रिया बनाएं।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

3.209 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा चालित प्रणालियों (सरकारी प्रतिभूति समाशोधन, विदेशी मुद्रा समाशोधन, और संपार्श्विकीकृत उधार लेने और देने संबंधी दायित्व) जैसी बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणालियां और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस/ईसीएस-जमा/नामे), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा कार्ड आधारित भुगतान प्रणालियों जैसी फुटकर भुगतान प्रणालियां आती हैं।

बड़े मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)

3.210 आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 से कार्य कर रही है। इस प्रणाली का, जो अंतर-बैंक भुगतानों से संबंधित लेन-देनों के निपटान के साथ चालू हुई थी, दायरा बढ़ाकर ग्राहक लेन-देनों तक कर दिया

गया और सितंबर 2006 से मुंबई में समाशोधन हेतु बहुपक्षीय निवल निपटान, जिसमें सीसीआइएल द्वारा परिचालित प्रणालियां शामिल हैं, आरटीजीएस में किया जाता है। आरटीजीएस में भाग लेने वाली बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ (सितम्बर 2009 के अंत में 60,000 से अधिक), आरटीजीएस का समय 10 जनवरी 2009 से ग्राहक तथा अंतर-बैंक लेनदेन दोनों के लिए 30 मिनट बढ़ा दिया गया।

3.211 कई संरचनागत समस्याओं के कारण भारत में कंपनी बांड बाजार का विकास अन्य वित्तीय बाजारों की तुलना में पीछे रह गया। ओटीसी कंपनी बांड लेनदेनों का निपटान सुपर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) - I आधार पर आरटीजीएस प्रणाली में सुकर बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि एक्सचेंजों के समाशोधन गृहों को रिजर्व बैंक के साथ अस्थायी समुच्चयन खाता रखने की सुविधा की अनुमति दी जाए। कंपनी बांड लेनदेनों का निपटान गैर-गारंटीकृत आधार पर किया जायेगा तथा इस प्रकार ऋण व्यवस्था (एलओसी) समर्थन प्रदान नहीं किया जाएगा, तथापि, निपटान में भाग लेने वाले बैंक रिजर्व बैंक से अंतर्दिवस चलनिधि (आइडीएल) समर्थन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

बाहरी विशेषज्ञ द्वारा आरटीजीएस का स्वमूल्यांकन और आकलन

3.212 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के लिए निर्धारित मूल सिद्धान्तों की तुलना में भारत में आरटीजीएस प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए, एक स्वमूल्यांकन किया गया तथा सीएफएसए की रिपोर्ट के अंग के रूप में उसे प्रकाशित किया गया। इस मूल्यांकन के अनुसार, भारत में आरटीजीएस प्रणाली में छः मूल सिद्धान्तों का पूरा तथा ऋण एवं चलनिधि जोखिम के प्रबंधन, परिचालनात्मक विश्वसनीयता तथा दक्षता संबंधी तीन मूल सिद्धान्तों का मोटे तौर पर अनुपालन किया गया है। एक मूल सिद्धान्त आरटीजीएस प्रणाली पर लागू नहीं है।

3.213 रिजर्व बैंक ने स्विस नेशनल बैंक से विशेषज्ञों के एक दल द्वारा आरटीजीएस प्रणाली का बाह्य मूल्यांकन भी कराया, जिन्होंने अप्रैल 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन विशेषज्ञों की राय थी कि भारत में आरटीजीएस प्रणाली में दक्षता को छोड़कर सभी मूल

सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है। इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया जा सका क्योंकि यह प्रणाली प्रतिभागियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रही थी। इस मूल सिद्धान्त के अनुपालन के लिए उक्त दल द्वारा की गयी सिफारिशें इस प्रकार हैं - अगले 5 से 10 वर्षों में एक रणनीति तथा परियोजना व्यवसाय गतिविधि तैयार करना, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के साथ संबंध की निगरानी करना तथा आरटीजीएस प्रणाली के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कारगर सुरक्षोपाय सुनिश्चित करना, लागत लाभ विश्लेषण करना, तथा भुगतान सेवाओं का उपयुक्त मूल्यन।

खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

3.214 खुदरा भुगतान प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस/ईसीएस-जमा/नामे), एनईएफटी तथा एटीएम नेटवर्क सहित कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली शामिल हैं।

3.215 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) की नामे तथा जमा दोनों क्षेत्रों में हुई वृद्धि को वर्ष के दौरान बनाए रखा गया है। ईसीएस की व्याप्ति 5 और केंद्रों में बढ़ा दी गयी है तथा अब वह 75 केंद्रों में उपलब्ध है। निपटान चक्र पूरे देश में पहले के टी+3 से घटाकर टी+1 कर दिया गया है। ईसीएस की भौगोलिक व्याप्ति को ईसीएस के वर्तमान केंद्रों के आगे ले जाने के लिए तथा केंद्रीकृत प्रसंस्करण क्षमता लाने के लिए, 29 सितंबर 2008 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) शुरू की गई। एनईसीएस एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली है जो सदस्य बैंकों के सीबीएस पर आधारित है। सितम्बर 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, लगभग 30,780 शाखाओं सहित 114 बैंकों ने एनईसीएस में भाग लिया।

3.216 एनईएफटी प्रणाली नवंबर 2005 में लागू की गई। 7 जुलाई 2008 से एनईएफटी लेनदेनों के निपटान के समय को डेढ़ घंटा बढ़ा दिया गया। अब एनईएफटी सप्ताह के दिनों में 09 00 बजे से 17 00 बजे तक 09 00, 11 00, 12 00, 13 00, 15 00 तथा 17 00 बजे निपटान के साथ तथा शनिवार को 09 00, 11 00 तथा 12 00 बजे 3 निपटान के साथ उपलब्ध है। सितम्बर 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार 61,000 से अधिक शाखाओं के साथ 91 बैंक एनईएफटी में भाग ले रहे हैं।

3.217 ईसीएस/एनईसीएस/एनईएफटी में लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों के लिए 31 मार्च 2010 तक प्रसंस्करण प्रभार माफ कर दिए गए हैं। बैंकों द्वारा ग्राहकों से वसूले जाने वाले प्रभारों को युक्तिसंगत भी बना दिया गया है तथा एनईएफटी के लिए 1.00 लाख रुपए तक तथा 1.00 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लेनदेन के लिए अधिकतम प्रभार क्रमशः 5 रुपए तथा 25 रुपए है।

3.218 भारत में बड़ी संख्या में आए नेपाली प्रवासी कामगारों को नेपाल में उनके परिवारों/ संबंधियों को धन भेजना सुकर बनाने के लिए, भारत और नेपाल के बीच एक औपचारिक विप्रेषण प्रणाली 15 मई 2008 से आरंभ की गयी। योजना की कम मात्रा को देखते हुए, 9 फरवरी 2009 से सेवा प्रभार संशोधित किया गया तथा अधिकतम प्रभार 75 रुपया कर दिया गया। साथ ही, शाखाओं को सूचित किया गया है कि वे नेपाली प्रवासियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करें।

कार्ड आधारित भुगतान प्रणालियां

3.219 1 अप्रैल 2009 से बैंकों के स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) से नकदी के आहरण को निःशुल्क कर दिया गया। ग्राहकों के लिए एटीएम निःशुल्क करने के निर्णय का एटीएम के विस्तार पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्राहक की शिकायत प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 12 दिनों अवधि के भीतर एटीएम संबंधी लेनदेन न हो पाने के कारण गलत तरीके से नामे डाली गयी राशि की प्रतिपूर्ति ग्राहकों को करें जो 17 जुलाई 2009 से प्रभावी होगा। निर्धारित अवधि के भीतर ग्राहक के खाते में राशि वापस जमा करने में की गई किसी प्रकार की चूक के लिए बैंक व्यथित ग्राहक को 100 रुपए प्रति दिन का मुआवजा अदा करेगा।

3.220 अभी भी छोटे मूल्य की अदायगी के लिए नकदी का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार करेंसी की जरूरत है। बड़ी आबादी तथा पीओएस टर्मिनलों की तुलना में एटीएम की उपलब्धता को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए छोटे मूल्य के नकदी आहरणों की अनुमति देने हेतु इस मूलभूत सुविधा

का उपयोग करने के लिए, भारत में जारी सभी डेबिट कार्डों के लिए पीओएस में 22 जुलाई 2009 से 1,000 रुपया प्रतिदिन तक के नकद आहरण की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सुविधा को लागू करने के पहले बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे रिजर्व बैंक से पूर्व विनियामक अनुमोदन प्राप्त करें।

3.221 माल और सेवाओं की अदायगी के लिए तथा नकदी के आहरण के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्डों का उपयोग बढ़ रहा है। कार्ड आधारित भुगतानों, विशेष रूप से ऑनलाइन लेनदेनों (कार्ड प्रस्तुत नहीं) को अधिक सुरक्षित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की समीक्षा की। बैंकों/कार्ड कंपनियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, 1 अगस्त 2009 से सभी ऑनलाइन 'कार्ड प्रस्तुत नहीं' लेनदेनों के लिए कार्डों में न दिखायी देने वाली जानकारी के आधार पर अतिरिक्त अभिप्रमाणन/वैधीकरण के प्रावधान की प्रणाली लागू की गयी है। 5,000 रुपए तथा उससे अधिक मूल्य के सभी 'कार्ड प्रस्तुत नहीं' लेनदेनों के लिए कार्डधारक के लिए "ऑनलाइन अलर्ट" की प्रणाली भी शुरू की गयी है।

नयी पहलें

पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतों का निर्गम

3.222 देश में पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतों का व्यवस्थित विकास तथा परिचालन सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2009 में दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया। पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतों को, जिन्हें जारी करने की देश में अनुमति है, मोटे तौर पर बंद प्रणाली भुगतान लिखतों, खुली प्रणाली भुगतान लिखतों तथा अर्द्ध-बंद प्रणाली भुगतान लिखतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त दिशानिर्देशों के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं : (i) बैंकों तथा बैंकैतर व्यक्तियों को देश में पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति है। जहां बैंकों को इन लिखतों की सभी श्रेणियों को जारी करने की अनुमति है, वहीं बैंकैतर व्यक्तियों को सिर्फ बंद तथा अर्द्ध-बंद प्रणाली वाली भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति है; (ii) किसी पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत का अधिकतम मूल्य 50,000 रुपए निर्धारित किया गया है; (iii) पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने

के बदले जारीकर्ता द्वारा वसूल की गयी राशि के विनियोजन के लिए शर्तें निर्धारित की गयी हैं। साथ ही, 14 अगस्त 2009 से, "अन्य व्यक्तियों" को भी 5,000 रुपए के अधिकतम मूल्य के लिए मोबाइल फोन आधारित अर्द्ध-बंद प्रणाली पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति दी गयी है। इससे सिर्फ सामान और सेवाओं की खरीद की जा सकेगी, तथा व्यक्तियों के बीच निधियों के अंतरण की अनुमति नहीं है। पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने के लिए तीन संस्थाओं को प्राधिकार दिया गया है (रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 में बॉक्स IX.2 'भारत में पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें' भी देखें)।

मोबाइल बैंकिंग लेनदेन

3.223 मोबाइल फोन के उपयोग तथा उसकी भौगोलिक व्याप्ति में हुए विस्तार के कारण बैंकों को बैंकिंग लेनदेनों के लिए इस विधि का उपयोग करने के नए अवसर मिले हैं तथा यह अब तक समाज के निष्कासित वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ने 'बैंक लेड मॉडल' अपनाया है जिसके तहत मोबाइल फोन बैंकिंग का संवर्धन बैंकों के व्यवसाय संपर्कियों के माध्यम से किया जाता है। भारत में मोबाइल बैंकिंग संबंधी लेनदेनों के लिए बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश 8 अक्टूबर 2008 को जारी किए गए। सिर्फ उन बैंकों को ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गयी है जिन्हें रिजर्व बैंक से एकबारगी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। 30 जून 2009 तक, 32 बैंकों को भारत में मोबाइल बैंकिंग के परिचालन की अनुमति दी गयी, जिनमें से 7 स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक थे, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक थे तथा 13 निजी/विदेशी बैंक थे। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2007-08 में इन दिशानिर्देशों के बारे में ब्यौरेवार चर्चा की गयी है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

3.224 विश्व भर में, केंद्रीय बैंक दिन-प्रति-दिन के भुगतान प्रणाली संबंधी परिचालनों से स्वयं को अलग कर रहे हैं। इसके अनुरूप रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) स्थापित

करने को प्रोत्साहित किया, जो भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के परिचालन के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करेगा। अब एनपीसीआइ कार्य करने लगा है और वह अपना विज्ञान दस्तावेज तथा रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया में है। एनपीसीआइ पीएसएस अधिनियम के तहत प्राधिकृत संस्था होगा और इसलिए वह रिजर्व बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए न्यूनतम मानक/बेंचमार्क संकेतक

3.225 रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2007 में खुदरा भुगतान प्रणालियों की बेंचमार्किंग के अंग के रूप में माइकर चेक प्रोसेसिंग केंद्रों की परिचालनात्मक दक्षता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया है। बैंक ने अक्टूबर 2008 में एक बुकलेट जारी किया, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है : i) माइकर चेक प्रोसेसिंग केंद्रों की परिचालनात्मक दक्षता के लिए न्यूनतम मानक (एमएसओई); ii) मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएमबीसीएस) (स्वचालित) समाशोधन गृहों के लिए एमएसओई; iii) इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं के लिए बेंचमार्क संकेतक; तथा iv) दक्षता के लिए एनईएफटी प्रणाली - बेंचमार्क संकेतक। समय-समय पर निदेश जारी किए जाते हैं तथा वांछित परिणामों के लिए समाशोधन गृहों द्वारा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में वे आते हैं, को प्रस्तुत तिमाही/छमाही स्वमूल्यांकन रिपोर्टें मंगाकर उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थल पर दौरे किए जाते हैं।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति

3.226 सीएफएसए ने भुगतान प्रणाली तथा वित्तीय बाजारों के मूल्यांकन संबंधी अपनी रिपोर्ट में टिप्पणियां की हैं तथा सुझाव दिए हैं, जिन्हें बॉक्स III.13 में दिया गया है।

12. प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

3.227 प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष से न सिर्फ उपभोक्ता बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के विस्तार में मदद मिलती है, अपितु इससे निरंतर

और समावेशक वृद्धि संबंधी क्षमता भी बढ़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) के दक्ष उपयोग ने वर्ग बैंकिंग से समुदाय बैंकिंग की ओर अग्रसर होना सुकर बनाया है। साथ ही, इससे भारत स्थित बैंकों को अपने कारोबार के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज विस्तार के उद्देश्य से अपने ग्राहकों को नये-नये उत्पाद तथा वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने में भी मदद मिली है। रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र का व्यापक कम्प्यूटरीकरण हुआ है। वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी (एफएसटी) विज्ञान रिजर्व बैंक द्वारा परिदृष्ट स्थूल दृष्टिकोणों के आधार पर अपनी निजी आइटी पहल शुरू करने में बैंकों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणालियों, जिनमें इन्फोनेट पर संरचनागत वित्तीय मेसेजिंग प्रणाली (एसएफएमएस) के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वार्तातय निपटान प्रणाली (एनडीएस), तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) शामिल हैं, में नए उत्पादों तथा सेवाओं का विनियोजन किए जाने के लिए व्यवसाय सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा।

3.228 बैंकों द्वारा अपने निजी लेनदेनों के लिए तथा उनके ग्राहकों की ओर से प्रसंस्कृत लेनदेनों के लिए उपयोग किए गए सभी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों को मापनीयता एवं उच्च परिचालन उपलब्धता प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने इन अनुप्रयोगों का परिचालन इसके अत्याधुनिक डेटा केंद्रों से करने संबंधी बड़ी पहल की। इन डेटा केंद्रों में प्रणालियों को इस प्रकार संरूपित किया गया है कि प्रत्येक केंद्र दूसरे के बैंकअप के रूप में कार्य करता है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं के लिए निरापद और सुरक्षित माहौल में आइटी प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ऐसी प्रणालियों की अबाधित उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को आत्यंतिक महत्व प्राप्त हो जाता है, खासकर किसी भी कारण से हुई विफलता के मामले में। क्षमता और बैंकअप के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक अपनी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए आवधिक अंतराल पर डिजास्टर रिकवरी (डीआर) ड्रिल कराता है। अन्य बैंक भी अपने डिजास्टर रिकवरी सिस्टम का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से डीआर ड्रिल कराते रहते हैं।

बॉक्स III.13: सीएफएसए द्वारा भुगतान प्रणालियों का मूल्यांकन

सीएफएसए द्वारा भारत में भुगतान प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

- उच्च मूल्य समाशोधन प्रणाली, जो बड़ी राशियों का समाशोधन गैरजमानती आस्थगित निवल निपटान आधार पर करती है, से वित्तीय असुरक्षा पैदा हो सकती है। इसने सिफारिश की है कि उच्च मूल्यवाले लेनदेनों को इससे भी ज्यादा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों जैसे कि आरटीजीएस अथवा एनईएफटी प्रणालियों में ले जाया जाए।
- जब कभी परस्पर निर्भर भुगतानों की कड़ी लाइन में लग रही हो तो ज्यभी अथवा कोई नहीं आधार पर एमएनएसबी निपटान में प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकती है। आरटीजीएस प्रणाली में दक्ष चलनिधि प्रबंधन बैंकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
- सुपुर्दगी बनाम भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समाशोधन निगम/समाशोधन एजेंसी के माध्यम से भुगतान प्रणाली को निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) से अवरल जोड़ने का एक तंत्र स्थापित करना। सीएफएसए ने समाशोधन निगम और आरटीजीएस के बीच एक निरंतर सूत्र होने की आवश्यकता पर टिप्पणी की है।
- सीसीआईएल अकेला सीसीपी है जो मुद्रा, प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वर्षों के दौरान इसकी भूमिका बढ़ती रही है जिससे एक ही संस्था पर जोखिम घनीभूत हो रहा है। इसने लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के साथ ऋण सीमा की अपर्याप्तता के बारे में इशारा किया। सीसीआईएल की

जोखिम प्रबंधन अपर्याप्तता के प्रणालीव्यापी निहितार्थ हो सकते हैं जो विकेंद्रीकृत प्रणालियों की तुलना में और भी भयंकर होगा। यदि केंद्रीय काउंटर पार्टी ज्वेल होने के लिए बहुत बड़ी मानी जाए तो इस केंद्रीकरण से जैतिक खतरे की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।

- सीएफएसए ने सीसीआईएल द्वारा मौजूदा समय में दिन के अंत में निपटान का अनुसरण करने की तुलना में पूरे दिन निपटानों को फैलाने की सिफारिश की। इसने सीसीआईएल द्वारा एलओसी बढ़ाने, सीबीएलओ और सरकारी प्रतिभूति खंडों में निवल नामे उच्चतम सीमा तथा बैंक-टू-बैंक रिपो व्यवस्था अथवा सीमित प्रयोजन हेतु बैंकिंग लाइसेंस पर विचार करने की सिफारिश की ताकि यह रिजर्व बैंक से चलनिधि सुविधा का लाभ ले सके।
- चूकि क्रेडिट / डेबिट कार्ड संबंधी धोखाधड़ियां निरंतर प्रकाश में आ रही हैं अतः धोखाधड़ियों से कारगर तरीके से निपटने के लिए इस क्षेत्र में हो रही ताजातरीन घटनाओं की जानकारी से रू-ब-रू रहना होगा।
- रिजर्व बैंक को ट्राइ तथा दूरसंचार विभाग से संपर्क करना चाहिए ताकि उन्हें एन्क्रिप्शन मानकों में किसी भी तरह की कमी के समस्त ई-कामर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पड़नेवाले प्रतिकूल परिणामों के बारे में तथा एन्क्रिप्शन मानकों तथा समर्थक कारोबारी वातावरण बनाए रखने के बीच एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जा सके।

3.229 बैंक की सुरक्षित वेबसाइट, जो रिजर्व बैंक तथा सरकारी विभागों एवं अन्य वाणिज्य बैंकों के बीच सुरक्षित संचार लिंक के रूप में कार्य करती है, का उपयोग बड़ी संख्या में प्रयोक्ताओं द्वारा किया जाना जारी है तथा इसने सूचना के प्रसार को सुकर बनाया है।

3.230 एफएसटी विज्ञान में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की समीक्षा करने पर निम्नलिखित बातें प्रकट होती हैं :

(i) व्यापक नेटवर्क आधारित परिचालन, सीबीएस को सामान्य अंतर-बैंक अनुप्रयोगों के साथ समन्वित करके बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग प्रणालियों के प्रति अंतरण द्वारा डेटा की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग, (ii) नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) के अंग के रूप में एटीएम के लिए बैंकों द्वारा संसाधनों की व्यापक साझेदारी, (iii) भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक विधियों की ओर अधिकाधिक अंतरण, (iv) कारगर तथा सुरक्षित व्यवसाय निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) और आवधिक रूप से बीसीपी का प्रयोग शुरू करना, (v) सूचना प्रणाली संबंधी लेखा-परीक्षा का कार्यान्वयन नियंत्रण एवं निगरानी संबंधी उपायों के अभिन्न अंग के रूप में करना, तथा (vi) विशेष रूप से विक्रेता प्रबंधन के संदर्भ में आउटसोर्सिंग के प्रबंधन में सुधार।

3.231 भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फोनेट) रिजर्व बैंक की प्रणालीगत अन्तर-बैंक भुगतान व्यवस्था के लिए अन्तर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संचारण की रीढ़ का काम करता है। विगत वर्ष के दौरान कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि इसे मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) आधारित वीपीएन में परिवर्तित किया गया। इन्फोनेट को एमपीएलएस प्रौद्योगिकी की ओर ले जाने की प्रक्रिया में आइडीआरबीटी यह सुनिश्चित करने की ओर कार्य कर रहा है कि बैंकों को चरणबद्ध रूप से एमपीएलएस की ओर सहजता से अंतरित किया जाए। वर्ष के दौरान कई बैंक नवीनतम मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नेटवर्क आधारित कनेक्टिविटी की ओर अंतरित हुए हैं, जिसका उद्देश्य उपयोक्ताओं की लागत में कमी, उपयोग में होनेवाली आसानी में वृद्धि तथा उपलब्धता का बेहतर स्तर है (बॉक्स III.14)। इन्फोनेट एमपीएलएस अन्तर-बैंक अनुप्रयोगों यथा तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), लोक ऋण कार्यालय - वार्तालय निपटान प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस), केन्द्रीयकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस) तथा स्वचालित समाशोधन गृह (एसीएच) के लिए संचार की रीढ़ का कार्य करेगा।

13. विधिक सुधार

3.232 2008-09 के दौरान किए गए विधायी परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

3.233 शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 लागू हो गया है। उक्त अधिनियम भुगतान प्रणालियों के बारे में रिजर्व बैंक को विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक शक्तियां प्रदान करता है। तदनुसार रिजर्व बैंक ने (i) भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008; तथा (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 नामक विनियमावलियां बनायी हैं।

3.234 सहायक बैंकों के प्रबंधन और कार्यप्रणाली में रिजर्व बैंक के अनुमोदन अथवा परामर्श से संबंधित स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए 24

फरवरी 2009 को लोकसभा में भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009 पेश किया गया। भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 30) लागू होने के अनुसरण में स्टेट बैंक का स्वामित्व रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार को अंतरित कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के स्वामित्व में परिवर्तन के कारण, दोनों संविधियों में परिणामी संशोधन किए जाने थे। तथापि, विधेयक व्यपगत हो गया है।

3.235 जहां तक विधिक मूलभूत संरचना का संबंध है, सीएफएसए ने नोट किया है कि यद्यपि वित्तीय क्षेत्र की विधिक मूलभूत संरचना में सुधार हुआ है, तथापि परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूरी होने में विश्व की तुलना में सर्वाधिक समय लगता है तथा 'रिकवरी' की दर सबसे कम है। कंपनी अधिनियम (द्वितीय संशोधन), 2002 को लागू किए जाने से परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूरी होने में होने वाली देरी संबंधी वर्तमान समस्याएं दूर होंगी। सीएफएसए का मानना है कि वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में बैंकों और अन्य श्रेणी की वित्तीय संस्थाओं के लिए अलग दिवालिया व्यवस्था जरूरी है क्योंकि ऐसी संस्थाओं के

बॉक्स III.14: मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस)

मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) इंजीनियरिंग नेटवर्क ट्रैफिक स्वरूप के लिए एक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है जो राउटिंग सारणियों से स्वतंत्र होती है। यह नेटवर्क के माध्यम से पैकेट फॉरवर्डिंग तथा लेबल स्विचिंग का मिश्रण है, जो उच्च गति वाले लेयर 2 स्विचिंग को लेयर 3 राउटिंग के साथ लेबल स्विचिंग का उपयोग करते हुए समन्वित करता है। एमपीएलएस आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करता है जिससे सुरक्षा स्तरों में वृद्धि होती है तथा इस प्रकार नेटवर्क आधारित दूरसंचार में सुधार आता है। एमपीएलएस नेटवर्क लीड लाइन नेटवर्क का सुधरा हुआ रूप है। आंशिक मेश नेटवर्क होने के कारण लीड लाइन कम आरोह्य है, अतः नेटवर्क में नया साइट जोड़ना कठिन है। साथ ही, बैंडविड्थ को अपग्रेड करने में समय लगेगा तथा यह बेहिल प्रक्रिया है तथा एक लीड लाइन नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग एमपीएलएस की तुलना में धीमा होता है।

एमपीएलएस के विकास के साथ, वीपीएन नेटवर्क कम्प्यूटिंग के संसार में मौलिक बदलाव का संदेश लाने वाला है। गत वर्ष की एक और प्रवृत्ति यह है कि अधिकांश उद्यम अत्यधिक कुशल तथा अनावश्यक नेटवर्कों के सृजन पर फोकस कर रहे हैं, जहां एमपीएलएस वीपीएन एक विश्वसनीय वाइड एशिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी विकल्प के रूप में उभरा। साथ ही, यह संसाधनों के दक्ष उपयोग में सुधार लाता है तथा नेटवर्क के कार्यनिष्पादन को बढ़ाता है। एमपीएलएस अनुप्रयोग आवश्यकताओं के आधार पर सेवा की गुणवत्ता तथा सेवा की श्रेणी के सुगमतापूर्वक कार्यान्वयन में मदद करता है। सीपीई (ग्राहक परिसर उपस्कर अर्थात् राउटर) से सीपीई के बीच इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्वियरिटी (आइपीएसईसी) टनेल (सुरक्षित टनेल जिनके बीच डेटा एनक्रिप्टेड होता है) का कार्यान्वयन अपेक्षाकृत आसान होता है। आइडीआरबीटी ने उच्च स्तरीय

रिडन्डेंसी देने के लिए अभिकल्पित इन्फ्रीनेट एमपीएलएस आर्किटेक्चर के कार्यान्वयन की परियोजना शुरू की है।

इन्फ्रीनेट एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए संभावनाओं में सुधार लाता है तथा सेवा की गुणवत्ता की गारंटी के साथ सेवाओं की सुपुर्दगी का समर्थन करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i) सभी स्थानों पर ज्जुल मेशडट संचार (बैकबोन), (ii) उच्च गति से दोष सहन में समर्थ बनाने के लिए दो सेवा प्रदाता, (iii) सेवा प्रदाताओं के बीच दो स्थानों के बीच एक वीपीएन, सीपीई के बीच सभी वीपीएन एनक्रिप्टेड होंगे, तथा (iv) अंतिम स्थल पर भी क्यूओएस (सेवा की गुणवत्ता) तथा टीई (ट्रैफिक इंजीनियरिंग) की उपलब्धता।

क्यूओएस संसाधन आश्वासन तथा सेवा में विभेदीकरण प्रदान करने संबंधी नेटवर्क की वह क्षमता है, जिसमें 'सेवा संबंधी विभेदीकरण' विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ विभिन्न रूपों में व्यवहार करने की नेटवर्क की योग्यता होती है तथा 'संसाधन संबंधी आश्वासन' अनुप्रयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त सेवा प्रदान करने संबंधी नेटवर्क की योग्यता - यथा बैंडविड्थ, पैकेट हानि, जिट्टर तथा प्रसुप्ति (लेटेन्सी) होती है।

टीई उस मार्ग (पाथ) को चुनने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिसके साथ एक नेटवर्क के माध्यम से डेटा का आवागमन होता है ताकि नेटवर्क के संसाधन के उपयोग और ट्रैफिक के निष्पादन को इष्टतम बनाकर दक्ष एवं विश्वसनीय नेटवर्क परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। टीई का लक्ष्य है - दक्ष एवं विश्वसनीय नेटवर्क परिचालन, नेटवर्क संसाधनों को इष्टतम बनाना तथा लिंक एवं नोड संबंधी विफलताओं को संभालना और डेटा नेटवर्क में निष्पादन एवं क्यूओएस के साथ स्वर तथा वीडियो की सुपुर्दगी।

दिवालियेपन को निपटाने में दिखाई गई किसी भी तरह की अक्षमता का पूरी आर्थिक प्रणाली में गंभीर संक्रमणात्मक प्रभाव और प्रतिघात पड़ सकता है जिससे आर्थिक कार्यकलाप में अस्थिरता आ सकती है।

14. निष्कर्ष

3.236 वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए, 2008-09 के दौरान लिए गए नीतिगत पहलों का मुख्य उद्देश्य बिना किसी व्यवधान के अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण जुटाते हुए बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना और चलनिधि सुनिश्चित करना था। वर्ष के दौरान जिन मुद्दों पर रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया गया उनमें बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजरों का विवेकपूर्ण विनियमन, वित्तीय संगुटों का पर्यवेक्षण तथा बैंकिंग प्रणाली के अग्रिमों का पुनर्विन्यास शामिल है। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 में कई आशोधन भी किए गए ताकि योजना के कार्यान्वयन को अधिक आसान बनाया जा सके। वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बीसी मॉडल, वित्तीय साक्षरता, ऋण परामर्श तथा अग्रणी बैंक योजना को प्राथमिकता दी। 'नो-फ्रिल्स' खातेदारों को सक्रिय रूप से अपने खातों का परिचालन करने के

लिए प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तीव्र करना एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर रिज़र्व बैंक को और ध्यान देना चाहिए। वित्तीय समावेशन के संबंध में पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करके तथा व्यावसायिक परिचालनों को विशाखीकृत करके आरआरबी को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण हैं। वर्ष के दौरान सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने की ओर, भारतीय वित्तीय परिदृश्य में इन संस्थाओं के महत्व को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा उचित ध्यान दिया गया। बैंकों को अधिक ग्राहकानुकूल बनाने के लिए बीओएस को संशोधित किया गया। बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी कम करने तथा एटीएम को ग्राहकानुकूल बनाने के लिए भी उपाय किए गए। आरटीजीएस को आशोधित किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेनों को अधिक दक्ष बनाया जा सके। वर्ष के दौरान, अधिकांश बैंक कम लागत वाली एमपीएलएस प्रौद्योगिकी की ओर अंतरित हो गए।

3.237 कुल मिलाकर, रिज़र्व बैंक ने सक्रिय नीतिगत निर्णय लिए ताकि भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पर वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के अप्रत्यक्ष प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। सीएफएसए द्वारा किए गए आकलन यह दर्शाते हैं कि भारतीय बैंक सुदृढ़ हैं तथा वे मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

वाणिज्य बैंकों का परिचालन और कार्यनिष्पादन

वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव की पृष्ठभूमि में वर्ष 2008-09 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए परीक्षण का वर्ष रहा है। किंतु, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र इस परीक्षण में खरा उतरा और इस क्षेत्र की आघात सहने की क्षमता पूर्णतः स्पष्ट हुई। भारतीय बैंक उक्त संकट के प्रति व्यापक रूप से सुरक्षित थे क्योंकि जोखिमपूर्ण आस्तियों के प्रति उनका एक्सपोजर बहुत कम था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा ऋण में तेजी की अवधि के साथ ही मंदी की अवधि के दौरान प्रति-चक्रीय विवेक सम्मत विनियम अपनाने संबंधी किए गए उपाय सफल सिद्ध हुए। एससीबी का जोखिम भारित आस्ति-पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2008 के अंत के 13.0 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत हो गया। साथ ही, मार्च 2009 के अंत में सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए)-सकल अग्रिम अनुपात मार्च 2009 के अंत में पिछले वर्ष के 2.3 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ भी 1.0 प्रतिशत पर पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा। उल्लेखनीय बात यह है कि इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 2007-08 के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 13.3 प्रतिशत हो गया जो क्षमता में वृद्धि का संकेत करता है जिसके आधार पर बैंक पूंजी को उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार, तुलनपत्र का विस्तार कम होने के बावजूद आस्ति गुणवत्ता बनाई रखी गई। आगे, बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौती इस क्षेत्र की क्षमता और मजबूती सुनिश्चित करते हुए ऋण वृद्धि को सहायता देने की होगी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि पथ की ओर बढ़ रही है।

1. परिचय

4.1 भारत स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)¹ के तुलनपत्र वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में भी मजबूत बने रहे। यह उल्लेखनीय है कि कुछ विकसित देशों की प्रवृत्ति के विपरीत भारत में लिवरेज अनुपात (टियर I पूंजी-कुल आस्ति अनुपात) अधिक बना रहा जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती दर्शाता है। किंतु, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी से पूर्णतः अप्रभावित नहीं था।

4.2 एससीबी के समेकित तुलनपत्रों में पिछले वर्ष के 25.0 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान 21.2 प्रतिशत विस्तार हुआ। जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों ने अपनी वृद्धि की गति बनाए रखी, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों ने गिरावट दर्ज की।

4.3 2008-09 के दौरान, बैंकों द्वारा उद्योग, व्यक्तियों और सेवा क्षेत्र को दिए उधार की वृद्धि दर में गिरावट आई, वहीं कृषि और संबंधित कार्यों को दिए बैंक उधार की वृद्धि दर बढ़ गई। समग्र रूप से, वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात में तेज गिरावट हुई क्योंकि कंपनियों ने व्यापक अनिश्चितता को देखते हुए अपने निवेश आस्थगित कर दिए थे। बैंकों की निवेश वृद्धि कुछ कम हो गई किंतु निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश का अनुपात बढ़ गया जो व्यापक सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम दर्शाता है। परिणामस्वरूप, वृद्धिशील निवेश जमा (आइ-डी) अनुपात बढ़ गया।

4.4 प्रवृत्ति के विपरीत, एससीबी का तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर, जिसमें हाल के वर्षों में घातकी (एक्सपोनेंशल) वृद्धि हुई थी, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.4 प्रतिशत कम हो गया।

¹ मार्च 2009 के अंत में, एससीबी में 27 सरकारी क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और उसके छह सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आइडीबीआई बैंक लि.), निजी क्षेत्र के 7 नए बैंक, निजी क्षेत्र के पुराने 15 बैंक और 31 विदेशी बैंक शामिल हैं। तमिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक लि. के संबंध में 30 सितंबर 2009 का अलेखपरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध है और इसी को उपयोग में लाया गया है।

इसका आंशिक कारण रिजर्व बैंक द्वारा ओबीएस एक्सपोजर के मामले में लागू किया गया उपयुक्त विवेकसम्मत विनियमन था। एससीबी के व्यय और साथ ही आय की वृद्धि दर कम हो गई जिससे निवल लाभ की वृद्धि दर भी कम हो गई। एससीबी का पूंजी-जोखिम भारांकित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) सुधरकर मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत हो गया जो कि एक वर्ष पूर्व 13.0 प्रतिशत था और इस प्रकार यह 9.0 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित स्तर से काफी ऊपर बना रहा।

4.5 एससीबी ने 2008-09 के दौरान प्राथमिक बाजार से संसाधन नहीं जुटाए जो कि मुख्यतः शेयर बाजार का नरम कार्यनिष्पादन दर्शाता है। किंतु, बैंकों ने निजी स्थानन बाजार में ऋण निर्गम के माध्यम से संसाधन जुटाने को वरीयता दी।

4.6 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) के तुलनपत्रों की वृद्धि दर और उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन में भी गिरावट आई। किंतु, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने प्रतिकूलताओं का सामना किया और उनके तुलनपत्रों में वृद्धि हुई।

4.7 इस अध्याय में एससीबी के परिचालनों और वित्तीय कार्यनिष्पादन का समग्र और साथ ही बैंक समूहवार ब्योरा दिया गया है। यह अध्याय बारह भागों में बांटा गया है। भाग 2 में एससीबी के तुलनपत्रों के परिचालन समग्र आधार पर दिए गए हैं जबकि भाग 3 में उनके तुलनपत्रेतर परिचालनों का ब्योरा दिया गया है। एससीबी का वित्तीय कार्यनिष्पादन भाग 4 में दिया गया है। भाग 5 सुदृढ़ता संकेतकों की प्रवृत्ति दर्शाता है। एससीबी के पूंजी बाजार के परिचालनों का ब्योरा भाग 6 में दिया गया है जबकि वर्ष के दौरान बैंकिंग में हुई प्रौद्योगिकीय गतिविधियों को

भाग 7 में कवर किया गया है। बैंकिंग का क्षेत्रीय विस्तार भाग 8 में दिया गया है। भाग 9 ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन की अद्यतन जानकारी देता है। व्यष्टि वित्त संबंधी पहलों में हुई प्रगति की जानकारी भाग 10 में दी गई है। एससीबी के अलावा, 91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)² और चार स्थानीय क्षेत्र के बैंक भी देश में कार्यरत थे। इस अध्याय का मूल भाग एससीबी का कार्यनिष्पादन है, वहीं आरआरबी और एलएबी का कार्यनिष्पादन क्रमशः भाग 11 और 12 में अलग से दिया गया है। पूर्ववर्ती भागों में की गई चर्चा के आधार पर भाग 13 में व्यापक निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताएं और आस्तियां

4.8 मार्च 2009 के अंत में, भारत में 80 अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) थे³। एससीबी के समेकित तुलनपत्रों की वृद्धि दर 2007-08 के 25.0 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 में 21.2 प्रतिशत रह गई। किंतु, एससीबी की आस्तियों में साधारण सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में लगातार तेज वृद्धि हुई जिससे एससीबी का आस्ति-जीडीपी अनुपात (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) उच्च हो गया। यह अनुपात मार्च 2008 के अंत के 91.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 98.5 प्रतिशत हो गया।

4.9 यह महत्वपूर्ण है कि कुछ विकसित देशों की प्रवृत्ति के विपरीत भारत में लिवरेज अनुपात⁴ उच्च बना रहा जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती दर्शाता है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक द्वारा देखे अनुसार (2009)⁵, यूके स्थित बैंकों का लिवरेज

² मार्च 2008 के अंत में।

³ बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया सहित जिसने भारत में परिचालन बंद कर दिए और जिसका परिसमापन हो रहा है।

⁴ लिवरेज अनुपात सामान्यतः कुल समायोजित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 होता है जिसमें आस्तियों के समायोजन में वे मदें शामिल होती हैं जो टियर 1 की पूंजी से पहले ही घटाई गई हो, जैसे कि सदिच्छा। यूएस जैसे अधिकांश देशों में लिवरेज अनुपात की वास्तविक गणना टियर 1 पूंजी से कुल आस्तियों पर आधारित होती है और यही बात यहां प्रयोग की जाती है।

⁵ विश्व बैंक (2009), “बैंकिंग एंड लिवरेज रेशियो”, www.crisistalk.worldbank.org पर उपलब्ध बैंकग्राउंड नोट।

अनुपात 1990 के पूरे दशक में कम होता रहा जो 2000 के बाद सर्वाधिक होकर 1990 के दशक के लगभग 5 प्रतिशत से 2008 तक लगभग 3 प्रतिशत के स्तर पर आया। दूसरी ओर, भारतीय बैंकों का लिवरेज अनुपात मार्च 2001 के लगभग 4.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 तक 6.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

4.10 एससीबी की देयताओं की संरचना 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान मोटे तौर पर वैसी ही बनी रही। सावधि जमाराशियों की वृद्धि दर बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 27.3 प्रतिशत हो गई जो पिछले वर्ष 24.8 प्रतिशत थी। मांग

जमाराशियों की वृद्धि दर इसी अवधि में 24.9 प्रतिशत से कम होकर 6.9 प्रतिशत रह गई जो आर्थिक गतिविधियों में मंदी दर्शाती है। तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में मंदी ऋण और अग्रिम घटक में तदनुसूची गिरावट के रूप में प्रतिबिंबित हुई। मार्च 2009 के अंत में, रिजर्व बैंक के पास एससीबी की नकदी और शेष राशि कम हो गई जिसका मुख्य कारण सीआरआर में कमी करना था। किंतु, बैंकों और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा में एससीबी की शेष राशि में वृद्धि हुई और इस प्रकार मार्च 2008 के अंत की स्थिति उलट गई [सारणी IV.1 और सारणी IV.2]।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2008		2009	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूंजी	39,963	0.9	44,037	0.8
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	2,75,524	6.4	3,24,218	6.2
3. जमाराशियां	33,20,061	76.7	40,63,203	77.5
3.1. मांग जमाराशियां	4,42,056	10.2	4,72,578	9.0
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	7,44,051	17.2	8,74,539	16.7
3.3. मीयादी जमाराशियां	21,33,953	49.3	27,16,084	51.8
4. उधार राशिया	3,02,629	7.0	3,23,184	6.2
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	3,87,987	9.0	4,86,685	9.3
कुल देयताएं/आस्तियां	43,26,166	100	52,41,330	100
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	3,22,971	7.5	2,97,263	5.7
2. बैंकों के पास शेष राशियां और मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	1,09,109	2.5	1,98,581	3.8
3. निवेश	11,77,329	27.2	14,49,474	27.7
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क+ख)	9,25,723	21.4	11,64,444	22.2
क. भारत में	9,20,165	21.3	11,58,714	22.1
ख. विदेश में	5,558	0.1	5,730	0.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	10,587	0.2	8,153	0.2
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	2,41,017	5.6	2,76,876	5.3
4. ऋण और अग्रिम	24,76,936	57.3	30,00,906	57.3
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	1,50,988	3.5	1,73,910	3.3
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	8,88,882	20.5	11,13,556	21.2
4.3 मीयादी ऋण	14,37,065	33.2	17,13,439	32.7
5. अचल आस्तियां	42,394	1.0	48,361	0.9
6. अन्य आस्तियां	1,97,425	4.6	2,46,743	4.7
टिप्पणी	: 2007-08 के आंकड़े 2008-09 के बैंकों के तुलनपत्र के अनुसार हैं और चूंकि कुछ बैंकों द्वारा 2007-08 के आंकड़े संशोधित किए गए हैं अतः हो सकता है कि वे भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2007-08 में प्रस्तुत आंकड़ों से मेल न खाए।			
स्रोत	: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।			

सारणी IV.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों में वृद्धि : बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में									
	2008					2009				
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनु-सूचित वाणिज्य बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनु-सूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी	5.2	1.8	14.6	71.4	35.2	3.6	8.2	-3.1	16.3	10.2
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	31.3	47.1	97.9	34.7	45.3	20.4	14.6	9.1	25.8	17.7
3. जमाराशियां	23.1	19.8	23.1	26.8	23.1	26.9	20.3	5.4	12.0	22.4
3.1. मांग जमाराशियां	20.4	23.4	38.6	28.3	24.6	9.9	1.8	1.1	2.3	6.9
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	14.9	16.2	40.5	20.2	17.8	18.4	15.6	14.7	9.7	17.4
3.3. मीयादी जमाराशियां	27.0	20.2	16.0	27.7	24.8	33.1	24.2	3.9	18.0	27.3
4. उधार	28.4	8.0	26.3	14.1	24.5	1.2	22.6	7.1	20.3	6.8
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	25.6	21.6	17.3	65.5	29.0	21.3	8.1	12.8	57.8	25.4
कुल देयताएं / आस्तियां	23.8	21.2	27.5	32.7	25.0	24.6	19.3	6.7	22.8	21.2
1. भारिबैंक के पास नकदी और शेष राशि	61.5	74.4	74.2	81.2	65.4	-2.4	-14.6	-20.7	-28.9	-8.0
2. बैंकों के पास शेष राशियां तथा मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	-32.6	-24.2	-33.7	-25.1	-31.1	106.5	47.1	27.8	66.8	82.0
3. निवेश	20.3	23.9	31.3	38.4	23.8	26.6	33.7	4.3	31.8	23.1
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क + ख)	20.5	20.0	21.8	47.4	22.7	30.6	27.3	7.7	20.7	25.8
क. भारत में	20.3	20.0	21.9	47.4	22.6	30.8	27.3	7.7	20.7	25.9
ख. विदेश में	58.3	0	-53.6	0	49.3	4.0	0	-32.0	0	3.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-16.7	-20.7	12.0	-60.9	-17.0	-22.8	-24.3	-12.0	-80.7	-23.0
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	23.3	42.1	57.0	5.7	31.2	11.9	58.2	-2.8	89.4	14.9
4. ऋण और अग्रिम	24.8	20.2	26.4	27.5	25.0	25.7	15.1	9.9	2.7	21.2
4.1 खरीद गए तथा भुनाए गए बिल	16.3	36.9	36.8	36.6	21.5	18.3	7.0	16.1	-3.8	15.2
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	24.3	18.5	31.0	33.8	25.2	29.4	15.1	9.4	9.2	25.3
4.3 मीयादी ऋण	26.1	19.9	24.6	21.2	25.3	24.0	16.1	9.6	-1.6	19.2
5. अचल आस्तियां	42.6	26.1	15.9	32.3	35.2	17.2	8.0	1.2	19.4	14.1
6. अन्य आस्तियां	31.0	-1.7	28.3	67.0	38.2	2.0	28.2	19.8	68.1	25.0

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

4.11 जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्र अपनी वृद्धि की गति बनाए हुए थे, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की वृद्धि दर में गिरावट आई। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों, जिनकी वृद्धि दर निजी क्षेत्र के नए बैंकों की तुलना में बहुत कम थी, का कार्यनिष्पादन उनके नए प्रतिपक्षियों की तुलना में इस वर्ष बेहतर रहा [परिशिष्ट सारणी IV.1(क) से (ग)]।

4.12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल आस्तियों, जमाराशियों और अग्रिमों तथा निवेश में मार्च 2009 के अंत का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में गिरावट आई। इसका मुख्य कारण अन्य बैंक समूहों की वृद्धि दर में गिरावट की पृष्ठभूमि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में तुलनपत्र की सुदृढ़ वृद्धि था। (सारणी IV.3)।

जमाराशियां

4.13 एससीबी की कुल जमाराशि की वृद्धि दर मार्च 2008 के अंत के 23.1 प्रतिशत और पिछले वर्ष के 24.6 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 22.4 प्रतिशत रह गई। संसाधन जुटाने के साधन के रूप में जमा-प्रमाणपत्र (सीडी) का महत्व 2008-09 के दौरान भी बना रहा, हालांकि वृद्धि दर कुछ कम थी। कुल जमाराशि के प्रतिशत के रूप में सीडी का शेष 4.7 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.2)।

4.14 जमाराशि में बैंक समूहवार हिस्से के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंक न सिर्फ प्रमुख बने रहे, बल्कि उनका हिस्सा भी बढ़ा जबकि अन्य बैंक समूहों के संबंध में गिरावट हुई (चार्ट IV.1)।

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख घटक - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	आस्तियाँ		जमाराशियाँ		अग्रिम		निवेश	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरकारी क्षेत्र के बैंक	69.9	71.9	73.9	76.6	72.6	75.3	67.9	69.9
राष्ट्रीयकृत बैंक	43.5	44.2	48.4	49.1	45.3	47.2	42.7	41.7
स्टेट बैंक समूह	23.4	24.4	23.3	24.8	24.0	24.6	22.4	24.7
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	3.0	3.3	2.2	2.8	3.3	3.4	2.8	3.5
निजी क्षेत्र के बैंक	21.7	19.6	20.3	18.1	20.9	19.2	23.7	21.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	4.5	4.4	5.0	4.9	4.5	4.3	4.6	5.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक	17.2	15.2	15.3	13.2	16.4	14.9	19.1	16.2
विदेशी बैंक	8.4	8.5	5.8	5.3	6.5	5.5	8.4	9.0
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

4.15 बैंकों के लिए चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियाँ कम दर पर संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। किंतु, हाल ही में सीएएसए जमाराशियों की वृद्धि दर कम हो गई और कुल जमाराशि में उनके हिस्से में भी गिरावट आई जिससे बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौती खड़ी हो गई (बॉक्स IV.1)।

गैर जमाराशि संसाधन


4.16 गैर जमाराशि संसाधनों के बीच, बैंकों की उधार वृद्धि पिछले वर्ष के 24.5 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में

6.8 प्रतिशत रह गई (सारणी IV.2 देखें)। 2007-08 के दौरान जहां बैंकों द्वारा पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से 30,455 करोड़ रुपए जुटाए, वहीं संसाधन जुटाने का यह स्रोत 2008-09 में वास्तविक रूप से सूख गया जिसका मुख्य कारण प्राथमिक के साथ ही गौण पूंजी बाजारों की नरम स्थिति था। किंतु, बैंकों ने निजी स्थान बाजार से काफी अधिक संसाधन जुटाए (ब्योरे के लिए भाग 6 देखें)।

बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं

4.17 भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं (रुपए के संदर्भ में) 2007-08 के दौरान 8.4 प्रतिशत बढ़ी थीं जिनमें मार्च 2009 के अंत में 1.1 प्रतिशत की गिरावट हुई। अंतरराष्ट्रीय देयताओं में हुई इस गिरावट का मुख्य कारण एडीआर/जीडीआर जैसी 'अन्य देयताएं' में कमी आना था जो बैंकों और कंपनियों के लिए विदेशी ऋण का माध्यम सूखना दर्शाता है। दूसरी ओर, प्रवृत्ति में बदलाव करते हुए कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा जमाराशि का हिस्सा, जो 2005-08 की अवधि के दौरान लगातार कम हुआ था, 2008-09 के दौरान तेजी से बढ़ गया। इसका मुख्य कारण रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमाराशि पर ब्याज दर में ऊर्ध्वमुखी समायोजन जैसी पहलों को प्रोत्साहित करना और साथ ही अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता के संदर्भ में

चार्ट IV.1: कुल जमाराशियों में अंश - बैंक समूहवार



बॉक्स IV.1: एससीबी की चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों (सीएएसए) की प्रवृत्ति

चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों का हिस्सा वाणिज्य बैंकों की लागत संरचना में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चालू खाते मुख्य रूप से कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्यमियों के लिए होते हैं जिन्हें प्रतिदिन असंख्य बैंकिंग लेनदेन करने होते हैं। दूसरी ओर, वैयक्तिक और गैर-वाणिज्यिक लेनदेनों के लिए बचत खाते परिचालन के सर्वाधिक सामान्य खाते हैं। बैंक चालू खातों पर ब्याज का भुगतान नहीं करते और बचत खातों पर 3.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करते हैं। इस प्रकार, जमाराशि के अन्य प्रकारों, जैसे मीयादी जमाराशि, की तुलना में सीएएसए जमाराशि धन जुटाने का सबसे सस्ता साधन है। परिणामस्वरूप, किसी बैंक की कुल जमाराशि में सीएएसए घटक जितना अधिक होगा, उसकी जमाराशि की लागत उतनी ही सस्ती होगी।

भारतीय संदर्भ में, कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का हिस्सा एक तिहाई से भी अधिक है (सारणी 1)।

कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का सर्वाधिक हिस्सा विदेशी बैंकों का था, इसके बाद एसबीआई और उसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों का स्थान था। यह क्रम मार्च 2008 तक सुदृढ़ बना रहा, हालांकि उसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ था। इसके अलावा, एससीबी के संबंध में समेकित स्तर पर सीएएसए का हिस्सा मार्च 2006 से मार्च 2009 तक लगातार कम हुआ है। सभी बैंक समूहों की कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि घटक का हिस्सा मार्च 2006 से मार्च 2009 तक कम हुआ है, किंतु निजी बैंकों के मामले में ऐसा नहीं हुआ और उनके सीएएसए हिस्से में वृद्धि हुई।


सारणी 1: कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का बैंक समूहवार हिस्सा
(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में			
	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक	43.4	42.9	42.0	38.6
राष्ट्रीयकृत बैंक	38.2	35.4	33.0	29.9
निजी बैंक	30.4	29.8	32.8	32.9
विदेशी बैंक	50.5	45.1	44.7	41.7
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	38.6	36.6	35.7	33.2

एससीबी की सीएएसए जमाराशि ने गिरावट दर्ज करते हुए मार्च 2009 के अंत में 13.4 प्रतिशत वृद्धि-दर दर्ज की जो पहले के वर्ष में 20.2 प्रतिशत थी। सीएएसए जमाराशि की वृद्धि दर राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ कम हुई और निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में इसमें तेज गिरावट हुई। एसबीआई और उसके सहयोगी बैंकों के संबंध में 2008-09 के दौरान सीएएसए जमाराशि में वृद्धि पिछले वर्ष के स्तर पर ही रही।

अलग-अलग आधार पर किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च 2009 के अंत में विदेशी बैंकों का चालू जमाराशियों का हिस्सा बचत बैंक जमाराशि की तुलना में अधिक था जबकि अन्य बैंक समूहों के मामले में बचत बैंक जमाराशि का हिस्सा अधिक था (चार्ट)। इसके अलावा, मार्च 2009 के अंत में सभी बैंक समूहों के संबंध में सीएएसए जमाराशि में मांग जमाराशि का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया। वृद्धि के संदर्भ में, चालू जमाराशि और बचत बैंक जमाराशि में मार्च 2008 के 24.6 प्रतिशत और 17.8 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत और 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कुल जमाराशि में सीएएसए जमाराशि का कम होता हुआ हिस्सा और उनकी वृद्धि में गिरावट बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौती बन सकती है। इसका कारण ऊपर उल्लेख किए अनुसार यह है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए सीएएसए जमाराशि निधि का सबसे सस्ता स्रोत है। इस स्रोत में कमी आने की स्थिति में, वैकल्पिक स्रोत कठिन ही नहीं बल्कि महंगे भी होंगे। आर्थिक वृद्धि का पुनरुज्जीवन सन्निकट होने के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकता में समरूप वृद्धि के साथ, बैंकिंग उद्योग के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह अधिक सीएएसए जमाराशियां जुटाने के लिए पहल करे।



भारतीय अर्थव्यवस्था में जमाकर्ताओं का निरंतर विश्वास था (सारणी IV.4)।

4.18 पिछले कुछ वर्षों में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं में अंतरराष्ट्रीय देयताओं का हिस्सा 2008-09 के दौरान लगातार कम होता रहा जो मुख्यतः एससीबी की देशी निधि पर अधिक निर्भरता दर्शाता है।

बैंक ऋण

4.19 एससीबी के ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि दर जो कि मार्च 2005 के अंत में 33.2 प्रतिशत की ऊंचाई पर थी, तब से मंद होती जा रही है। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, एससीबी के कुल ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि दर मार्च 2009 के अंत में कम होकर 21.2 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 25.0

सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकार के अनुसार
(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रूप में)

मद	2007	2008	2009
1	2	3	4
1. जमाराशियां और ऋण	2,71,403	2,89,362	3,23,205
	(75.2)	(74.0)	(83.6)
<i>जिनमें से:</i>			
क) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर(बी)]	68,086	60,340	72,783
	(18.9)	(15.4)	(18.8)
ख) विदेशी मुद्रा उधार *	61,470	77,257	75,398
	(17.0)	(19.8)	(19.5)
ग) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाता	1,12,907	1,11,301	1,24,488
	(31.3)	(28.5)	(32.2)
घ) अनिवासी सामान्य (एनआरओ) रुपया जमाराशिया	6,855	11,387	20,686
	(1.9)	(2.9)	(5.4)
2. प्रतिभूतियों / बांडों (आइएमडी/आरआइबी सहित) के अपने निर्गम	10,036	9,166	6,864
	(2.8)	(2.3)	(1.8)
3. अन्य देयताएं	79,258	92,329	56,540
	(22.0)	(23.6)	(14.6)
<i>जिनमें से:</i>			
क) एडीआर/जीडीआर	23,515	25,111	10,357
	(6.5)	(6.4)	(2.7)
ख) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	40,328	45,603	18,932
	(11.2)	(11.7)	(4.9)
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अन्तरराष्ट्रीय देयताएँ	15,415	21,615	27,251
	(4.3)	(5.5)	(7.0)
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	3,60,698	3,90,857	3,86,608

* : भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार, बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।


स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस)।

प्रतिशत थी। चक्रीय कारकों, जिनके कारण उच्च ऋण वृद्धि की अवधि के बाद वृद्धि में नरमी आई थी, इस वर्ष यह गिरावट सर्वाधिक थी जिसका कारण वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था में आई समग्र मंदी थी। मीयादी ऋण में वृद्धि में गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था में निवेश में उनका हिस्सा 2008-09 में बढ़कर 81.0 प्रतिशत हो गया जो कि पिछले वर्ष 77.8 प्रतिशत था (चार्ट IV.2)।

बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

4.20 बैंक ऋण वृद्धि में 2007-08 के दौरान हुई गिरावट 2008-09 के दौरान भी जारी रही जो मुख्यतः वास्तविक अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ ही बढ़ती अनिश्चितता के संदर्भ में बैंकों द्वारा अपनाया गया सतर्क दृष्टिकोण दर्शाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2008-09 के दौरान बैंकों द्वारा उद्योग, व्यक्तिगत ऋण और सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण की वृद्धि दर में गिरावट हुई

जबकि कृषि और संबंधित कार्यों संबंधी बैंक ऋण में काफी वृद्धि हुई (सारणी IV.5 और परिशिष्ट सारणी IV.3)।



सारणी IV.5: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन - प्रवाह
(वर्ष में घट-बढ़)

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	2007-08		2008-09	
	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप	44,966	19.5	63,313	23.0
2. उद्योग	1,69,536	24.3	1,87,515	21.6
3. वैयक्तिक ऋण	54,730	12.1	54,991	10.8
जिसमें से : आवास	26,802	11.6	19,165	7.4
4. सेवाएं	1,32,419	31.5	93,580	16.9
जिनमें से:				
(i) थोक व्यापार (खाद्यान्न की सरकारी खरीद से भिन्न)	5,559	11.1	11,723	21.0
(ii) स्थावर संपदा ऋण	19,235	43.6	28,261	44.6
(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	30,094	61.5	19,835	25.1
कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	4,01,650	22.3	3,99,400	18.1
जिनमें से :				
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,11,414	17.5	1,68,506	22.5

टिप्पणी : 1. आंकड़े अर्न्तम हैं और चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंधित हैं। इन आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के विलयन के प्रभाव भी शामिल हैं।
2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एक्विजिमेंट बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं और अंतर बैंक सहभागिता के पास पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।
स्रोत: बैंक क्रेडिट विवरण का क्षेत्रीय एवं औद्योगिक नियोजन (मासिक)।

4.21 ऋण के क्षेत्रीय विनियोजन पर 17 जुलाई 2009 तक उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि उद्योग, सेवा और वैयक्तिक ऋण संबंधी वर्ष-दर-वर्ष आधार बैंक ऋण 30.7 प्रतिशत, 36.9 प्रतिशत और 17.0 प्रतिशत से कम होकर क्रमशः 20.8 प्रतिशत, 13.8 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत तह गई। कृषि ऋण की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 29.1 प्रतिशत हो गई। स्थावर संपदा और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) को ऋण 46.7 प्रतिशत (जुलाई 2008 में 43.9 प्रतिशत) और 31.4 प्रतिशत (जुलाई 2008 में 53.9 प्रतिशत) पर उच्च बनी रही।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

4.22 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 2007-08 के 17.1 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 18.0 प्रतिशत हो गए जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी⁶) के 42.5 प्रतिशत थे। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 2008-09 में बढ़कर 15.9 प्रतिशत हो गए जो कि पिछले वर्ष 13.5 प्रतिशत थे और एएनबीसी के 46.8 प्रतिशत थे (सारणी IV.6)। यह महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम में बढ़ती हुई यह वृद्धि अर्थव्यवस्था में मंदी और कुल बैंक ऋण में गिरावट के समय हुई है (परिशिष्ट सारणियां IV.4 से IV.7)।

4.23 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में देखी गई प्रवृत्ति के विपरीत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को विदेशी बैंकों द्वारा दिए गए उधार मार्च 2009 के अंत में कम होकर 10.4 प्रतिशत रह गए जो कि पिछले वर्ष 32.8 प्रतिशत थे। एएनबीसी/

सारणी IV.6 : सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार
(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम#	6,10,450	7,20,083	1,64,068	1,90,207
	(44.7)	(42.5)	(42.5)	(46.8)
जिसमें से:				
कृषि ^	2,49,397	2,98,211	58,566	76,062
	(18.3)	(17.2)	(17.1)	(15.9)
अति लघु और लघु उद्यम	1,51,137	1,91,307	46,912	47,916
	(11.1)	(11.3)	(13.7)	(12.0)

अ : अर्न्तम।

: प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में व्यापक श्रेणियों में कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, लघु ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

^ : प्रतिशत की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि को एनएनबीसी के 4.5 प्रतिशत तक माना जाता है।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निवल बैंक ऋण/समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलन पत्र में न आनेवाले एक्सपोजरों की ऋण समतुल्य राशि (सीईओबीएसई) के प्रतिशत दर्शाते हैं।

⁶ सभी बैंकों के लिए लक्ष्य और उप-लक्ष्य अब समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण के समतुल्य राशि (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, से जोड़ दिया गया है।

सारणी IV.7 : विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2007		2008		2009अ	
	राशि	एएनबीसी/सीईओबीएसइ का प्रतिशत	राशि	एएनबीसी/सीईओबीएसइ का प्रतिशत	राशि	एएनबीसी/सीईओबीएसइ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम #	37,831	33.4	50,254	39.5	55,483	34.3
<i>जिसमें से:</i>						
निर्यात ऋण	20,711	18.3	28,954	22.7	31,511	19.4
व्यक्ति और लघु उद्यम*	11,637	10.3	15,489	12.2	18,138	11.2
अ : अनंतिम						
# : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापक क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, व्यक्ति ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।						
* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर नए दिशानिर्देश व्यक्ति, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और व्यक्ति उद्यमों की संशोधित परिभाषा को ध्यान में लेते हैं।						

सीईओबीएसइ को प्रतिशत के संदर्भ में भी, उनका संवितरण 34.3 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के 39.5 प्रतिशत से कम था (सारणी IV.7, परिशिष्ट सारणी IV.8)।

विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी)⁷

4.24 2008-09 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एसएसीपी के तहत के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए। निजी क्षेत्र के बैंक 2008-09 के दौरान अपने लक्ष्य से लगातार आगे बने रहे, यद्यपि संवितरण की वृद्धि दर में कमी आई थी (सारणी IV.8)।

सारणी IV.8 : विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य और संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	2007-08		2008-09 पी	
	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,52,133	1,33,226 (87.6)	1,59,470	1,65,198 (103.6)
निजी क्षेत्र के बैंक	41,427	47,862 (115.3)	57,353	63,753 (111.2)
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े (प्रतिशत) लक्ष्यों की उपलब्धियाँ दर्शाते हैं।				

4.25 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सूचित किया गया था कि वे अपने एएनबीसी का 5 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित करें। मार्च 2009 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिया गया कुल ऋण उनके निवल बैंक ऋण के 6.3 प्रतिशत था और 25 बैंक अपने लक्ष्य तक पहुंच गए थे। सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों ने 23 विशेषीकृत शाखाएं खोली हैं।

उद्योग को ऋण

4.26 मार्च 2009 के अंत में, उद्योग (लघु, मझौले और बड़े) को ऋण की वृद्धि दर मार्च 2008 के अंत के 24.3 प्रतिशत और मार्च 2007 के अंत के 27.0 प्रतिशत से लगातार दो वर्ष कम होकर 21.6 प्रतिशत रह गई। पिछले वर्ष जैसे ही, उद्योग की ऋण वृद्धि-दर समग्र ऋण वृद्धि-दर की तुलना में अधिक थी। अतः, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में उद्योग की ओर बकाया ऋण का हिस्सा मार्च 2008 के अंत के 39.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 40.5 प्रतिशत हो गया। बुनियादी सुविधाओं, बकाया ऋण में जिनका हिस्सा सर्वाधिक होता है, का समग्र संदर्भ में उद्योग को वृद्धिशील बैंक ऋण में भी सर्वाधिक हिस्सा था, इनके बाद मूल धातु और धातु उत्पाद और वस्त्र का स्थान था। वृद्धि दरों के

⁷ रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया था कि वे 1994-95 से वार्षिक आधार पर कृषि ऋण योजना बनाए ताकि कृषि-ऋण के प्रवाह में स्पष्ट और विशेष सुधार हो सके। एसएसीपी के तहत, बैंकों से अपेक्षित है कि वे वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान पूरे करने के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य बनाएं। बैंकों द्वारा सामान्यतः पिछले वर्ष किए गए संवितरण से लगभग 20-25 प्रतिशत अधिक के लक्ष्य बनाए जाते हैं।

संदर्भ में, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन को ऋण में वृद्धि दर में तीव्रतम वृद्धि हुई (63.8 प्रतिशत), इनके बाद निर्माण (37.8 प्रतिशत) और बुनियादी सुविधाएं (31.6 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.3 और परिशिष्ट सारणी IV.9)। यह महत्वपूर्ण है कि मंदी के बावजूद चुनिंदा क्षेत्रों और विशेष रूप से पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद को ऋण में तेज वृद्धि हुई।

व्यष्टि और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण

4.27 मार्च 2009 के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 1,91,307 करोड़ रुपए था जो इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 26.5 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.3 प्रतिशत था। इन अग्रिमों में से विनिर्माण उद्यमों और सेवा उद्यमों को दिए गए अग्रिम क्रमशः 1,31,177 करोड़ रुपए और 54,449 करोड़ रुपए थे जो लघु उद्यम क्षेत्र के कुल अग्रिमों का क्रमशः 68.6 प्रतिशत और 28.5 प्रतिशत थे। मार्च 2009 के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 47,916 करोड़ रुपए था जो इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 25.2 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.8 प्रतिशत था। निजी

क्षेत्र के बैंकों द्वारा विनिर्माण उद्यमों और सेवा उद्यमों को दिए गए अग्रिम क्रमशः 17,625 करोड़ रुपए और 26,363 करोड़ रुपए थे जो एमएसई के कुल अग्रिमों के क्रमशः 36.8 प्रतिशत और 55.0 प्रतिशत थे। एससीबी द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण मार्च 2009 के अंत में 2,57,361 करोड़ रुपए था जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 26.7 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.4 प्रतिशत था।

4.28 मार्च 2009 के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 18,138 करोड़ रुपए था जो इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 32.7 प्रतिशत और एएनबीसी/सीईओबीएसई के 11.2 प्रतिशत था।


खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग को ऋण

4.29 खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआइसी) को ऋण देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों का संघ बनाया गया। ये ऋण उक्त संघ के पांच प्रमुख बैंकों की औसत मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत कम दर पर दिए जाते हैं। 31 अगस्त 2009 के अंत में, इस योजना के तहत बैंकों के संघ द्वारा संवितरित 738 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

खुदरा ऋण

4.30 2004-05 और 2005-06 में 40.0 प्रतिशत से अधिक रही खुदरा ऋण वृद्धि-दर में तब से गिरावट हो रही है। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, बैंकों के खुदरा ऋण की वृद्धि-दर मार्च 2009 के अंत में और कम होकर 4.0 प्रतिशत रह गई जो एक वर्ष पहले 17.1 प्रतिशत और मार्च 2007 के अंत में 29.9 प्रतिशत थी। यह बैंकिंग क्षेत्र के समग्र ऋण की वृद्धि (21.2 प्रतिशत) से भी कम बनी रही। परिणामस्वरूप, कुल ऋण और अग्रिमों में खुदरा ऋण का हिस्सा मार्च 2008 के अंत के 24.5 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 21.3 प्रतिशत रह गया। बैंकों के खुदरा संविभाग की वृद्धि में गिरावट का मुख्य कारण आवास ऋण, आटो ऋण, क्रेडिट कार्ड रिसिवेबल्स और अन्य निजी ऋण

चार्ट IV.3: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन



सारणी IV.9: बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में बकाया		प्रतिशत	
	2008	2009	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1. आवास ऋण	2,52,932	2,63,235	12.7	4.1
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	4,802	5,431	-34.2	13.1
3. क्रेडिट कार्ड की प्राप्त राशियां	27,437	29,941	49.8	9.1
4. ऑटो ऋण	87,998	83,915	6.6	-4.6
5. अन्य निजी ऋण	1,97,607	2,11,294	27.5	6.9
कुल खुदरा ऋण (1 से 5)	5,70,776	5,93,815	17.1	4.0
	(24.5)	(21.3)		
एससीबी के कुल ऋण और अग्रिम	23,32,032	27,93,572	23.2	19.8

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण और अग्रिमों में प्रतिशत अंश को दर्शाते हैं।
स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियां (देशी अ-लेखा परीक्षित और अनंतिम)।

में गिरावट था, हालांकि उपभोक्ता वस्तुओं के ऋणों में सुधार हुआ था (सारणी IV.9)।

संवेदनशील क्षेत्रों को उधार

4.31 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एससीबी से संवेदनशील क्षेत्रों (पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य) को उधार में मार्च 2009 के अंत में थोड़ी वृद्धि हुई। किंतु, पूंजी बाजार के प्रति एससीबी के एक्सपोजर में 2008-09 के दौरान काफी गिरावट आई जो मुख्यतः पूंजी बाजार में मंदी की स्थिति और बाजार में अत्यधिक जोखिम की धारणा दर्शाती है। जहां पण्य को प्राप्त ऋण कम हो गया, वहीं स्थावर संपदा बाजार में मंदी के बावजूद स्थावर संपदा बाजार के ऋण में वृद्धि होती रही (सारणी IV.10)। इससे वाणिज्यिक स्थावर संपदा 100 प्रतिशत तक किए गए दावों के प्रति जोखिम भार का सामान्यीकरण और अग्रिम पुनर्निर्धारण योजना के तहत वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों के साथ विशेष विनियामक व्यवहार करने को विस्तार भी आंशिक रूप से दिखा। संवेदनशील क्षेत्र के प्रति कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में एससीबी का समग्र एक्सपोजर कम होकर 19.3 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष 21.0 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.11)।

4.32 सभी बैंक समूहों के बीच, संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति विदेशी बैंकों का एक्सपोजर मार्च 2009 के अंत में सर्वाधिक था जिसका मुख्य कारण स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति अधिक उधार था। किंतु, कुल ऋणों और अग्रिमों में संवेदनशील क्षेत्र के उधार का हिस्सा

सारणी IV.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को उधार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2008		2009	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूंजी बाजार	61,638 (75.6)	11.9	55,282 (-10.3)	9.5
2. स्थावर संपदा बाजार	4,56,858 (22.5)	87.8	5,24,227 (14.8)	90.3
3. पण्य	1,643 (90.6)	0.3	897 (-45.4)	0.2
कुल (1+2+3)	5,20,140 (27.2)	100.0	5,80,407 (11.6)	100.0

- : नगण्य।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर दर्शाते हैं।
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के संबंध में कम हो गया (सारणी IV.11, परिशिष्ट सारणी IV.11)।

निवेश

4.33 बैंकों के निवेश की वृद्धि-दर मार्च 2009 के अंत में कम होकर 23.1 प्रतिशत रह गई। किंतु, एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एसएलआर प्रतिभूतियां वर्ष के दौरान बढ़ गईं जिसका कारण विद्यमान अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में बैंकों द्वारा अपनी निधियों का निवेश कम जोखिम और कम प्रतिलाभ वाले लिखतों में करने को वरीयता देना था (सारणी IV.12)।

सारणी IV.11: संवेदनशील क्षेत्र को उधार - बैंक समूहवार*
(मार्च अंत के अनुसार)

(प्रतिशत)

क्षेत्र / बैंक समूह	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		विदेशी बैंक	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूँजी बाजार#	1.7	1.5	5.6	3.1	2.3	1.8	3.3	3.6
स्थावर संपदा @	15.8	14.8	28.9	27.6	16.7	17.3	23.2	26.8
पण्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.1	0.0
संवेदनशील क्षेत्र को कुल अग्रिम	17.5	16.3	34.5	30.7	19.7	19.8	26.6	30.5

* : संबंधित बैंक समूह के कुल ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में संवेदनशील क्षेत्र को दिए गए ऋण।

: पूँजी बाजार के जोखिम में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।

@ : स्थावर संपदा के जोखिम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों उधार शामिल हैं।

4.34 यद्यपि मार्च 2009 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा धारित अतिरिक्त एसएलआर निवेश 1,69,846 करोड़ रुपए था (24.0 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से अधिक), किंतु अनेक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात का संविभाग निर्धारित न्यूनतम स्तर के बहुत करीब था। एससीबी का अतिरिक्त एसएलआर निवेश 25 सितंबर 2009 को बढ़कर 2,88,754 करोड़ रुपए हो गया। परिणामस्वरूप, एनडीटीएल के संबंध में एसएलआर निवेश बढ़कर 30.4 प्रतिशत हो गया। एलएएफ समायोजित एसएलआर धारिता 1,82,639 करोड़ रुपए थी जो एनडीटीएल के 28.0 प्रतिशत थी (चार्ट IV.4)।

एसएलआर से भिन्न निवेश

4.35 एसएलआर से भिन्न प्रतिभूतियों (अर्थात् बांड/डिबेंचर/ शेयर और वाणिज्यिक पत्र) में बैंकों के निवेश की वृद्धि 2008-09 के दौरान कम होकर 10.5 प्रतिशत रह गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान इसमें 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी IV.13)। एससीबी से वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल निधि प्रवाह, ऋण और एसएलआर से भिन्न निवेश 2008-09 में 17.5 प्रतिशत (4,21,091 करोड़ रुपए) बढ़ गया जबकि पिछले वर्ष यह 22.6 प्रतिशत (4,44,807 करोड़ रुपए) बढ़ा था।


सारणी IV.12: एससीबी के निवेश और जमाराशि में वृद्धि

(प्रतिशत)

वर्ष	एसएसआर निवेश	एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एसएलआर निवेश (मार्च अंत)	कुल निवेश	जमा	ऋण और अग्रिम
1	2	3	4	5	6
2005-06	-2.9	31.3	-0.4	17.8	31.8
2006-07	10.3	27.9	9.7	24.6	30.6
2007-08	22.8	27.8	23.8	23.1	25.0
2008-09	20.0	28.1	23.1	22.4	21.2

स्रोत : कॉलम सं. 2 और 3 के लिए एससीबी द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियाँ; कॉलम सं. 4-6 के लिए संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

चार्ट IV.4: एसएलआर प्रतिभूतियों में एससीबी का निवेश
(एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में)



सारणी IV.13: एससीबी के गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रूप में)

लिखत	28 मार्च 2008 तक	कुल का प्रतिशत	27 मार्च 2009 तक	कुल का प्रतिशत	12 सितं. 2008 तक	कुल का प्रतिशत	11 सितं. 2009 तक	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वाणिज्यिक पत्र	13,270	11.5	20,001	13.9	12,538	10.8	12,875	5.1
2. शेयरों में निवेश	26,414	22.9	27,829	19.4	27,716	23.9	27,105	10.7
जिनमें से:								
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	3,025	2.6	2,769	1.9	3,497	3.0	2,345	0.9
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	23,389	20.3	25,060	17.5	24,219	20.9	24,761	9.7
3. बांडों/डिबेंचरों में निवेश	56,635	49.2	58,587	40.8	53,437	46.2	57,545	22.6
जिनमें से:								
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,935	24.3	25,456	17.7	25,548	22.1	22,312	8.8
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	28,700	24.9	33,131	23.1	27,889	24.1	35,233	13.8
4. म्यूच्युअल फंड के यूनिट	18,824	16.3	37,035	25.8	22,042	19.0	1,56,963	61.7
कुल गैर-एसएलआर निवेश (1+2+3+4)	1,15,143	100.0	1,43,452	100.0	1,15,733	100.0	2,54,488	100.0

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां।

4.36 बैंकों के एसएलआर से भिन्न निवेश की संरचना में हाल के वर्षों में और विशेष रूप से 2004-05 से बदलाव आया है। बैंकों द्वारा शेयरों, वाणिज्यिक पत्रों और पारस्परिक निधियों के यूनिटों में निवेश का हिस्सा बढ़ गया जबकि बांडों/डिबेंचरों में निवेश के हिस्से में गिरावट जारी है जो आंशिक रूप से भारत स्थित वाणिज्य बैंकों का जोखिम के प्रति बदलता रुख दर्शाती है। शेयरों में बैंकों के निवेश को छोड़कर यह प्रवृत्ति 2008-09 में भी जारी रही जिसका मुख्य कारण भारतीय शेयर बाजार की मंद स्थिति था (सारणी IV.14)।

बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां

4.37 भारत स्थित एससीबी की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की वृद्धि-दर मार्च 2009 के अंत में कम होकर 3.0 प्रतिशत रह गई

जो कि पिछले वर्ष 9.7 प्रतिशत थी। इस प्रवृत्ति के विपरीत 'नोस्ट्रो शेष', जो कि भारत में ब्याज दर तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण पिछले वर्ष तेजी से कम हो गए थे, देशी ब्याज दर कम हो जाने के कारण इस वर्ष बढ़ गए। जहां ऋण प्रतिभूतियों की धारिता में निरंतर कमी आई, वहीं निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण भी पिछले वर्ष की तेज वृद्धि के विपरीत कम हो गए (सारणी IV.15)।

4.38 बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे, तत्काल देश जोखिम के आधार पर, मार्च 2009 के अंत में 32.6 प्रतिशत बढ़े जबकि पिछले वर्ष के दौरान 13.5 प्रतिशत बढ़े थे। समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में अल्पावधि दावों का हिस्सा (एक वर्ष से की अवशिष्ट अवधि पूर्णता के साथ) मार्च 2009 के अंत में घट गया जबकि दीर्घावधि दावों में तदनुसूची वृद्धि हुई। बैंकों के समेकित

सारणी IV.14: गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की संरचना

(प्रतिशत)

लिखत	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	12 सितं. 2008 तक	11, सितं. 2009 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाणिज्यिक पत्र	3.1	2.7	2.7	5.4	9.4	11.5	13.9	10.8	5.1
बांड/डिबेंचर	84.2	81.5	79.2	68.9	59.0	49.2	40.8	46.2	22.6
शेयर	7.9	7.3	9.4	14.2	19.3	22.9	19.4	23.9	10.7
म्यूच्युअल फंड के यूनिट	4.9	8.5	8.7	11.5	12.3	16.3	25.8	19.0	61.7

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां।

सारणी IV.15: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - प्रकारानुसार

आस्ति	मार्च के अंत	
	2008	2009
1	2	3
अंतरराष्ट्रीय आस्तियां (1+2+3)	2,22,711	2,29,356
1. ऋण और जमाराशियां	2,12,126 (95.2)	2,19,547 (95.7)
जिनमें से:		
क) अनिवासियों को ऋण*	8,565 (3.8)	8,341 (3.6)
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण**	108,440 (48.7)	99,973 (43.6)
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिल	49,011 (22.0)	44,564 (19.4)
घ) नोस्ट्रो शेष@	45,752 (20.5)	66,496 (29.0)
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	334 (0.1)	76 (0.0)
3. अन्य आस्तियां @@	10,250 (4.6)	9,733 (4.2)

* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण को शामिल किया गया है।

** : एफसीएनआर (बी) जमाराशियों से दिए गए ऋण और पीसीएफसी तथा एफसी को दिए गए उधार भारत के बैंकों में जमा राशियां।

@ : विदेश के प्लेसमेंट एवं अनिवासी के बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियां।

@@ : भारतीय बैंकों की शाखाओं/सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत : लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स।

अंतरराष्ट्रीय दावों का क्षेत्रवार श्रेणीकरण दर्शाता है कि बैंकों के हिस्से में सुधार हुआ (पिछले वर्ष के 36.8 प्रतिशत की तुलना में 45.5 प्रतिशत) और बैंकेतर निजी क्षेत्र में तदनुरूपी गिरावट हुई (सारणी IV.16)।

4.39 बैंकों के देशवार समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों, तत्काल देश जोखिम के आधार पर, में मार्च 2009 के अंत में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। जहां यूएस, यूके, हांग कांग और संयुक्त अरब अमिरात पर दावों का हिस्सा बढ़ गया, वहीं जर्मनी का हिस्सा कम हो गया। यूएस, यूके, सिंगापुर और हांग कांग पर संयुक्त दावे कुल अंतरराष्ट्रीय दावों के 50 प्रतिशत से अधिक थे (सारणी IV.17)।

सारणी IV.16: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - अवधिपूर्णाता एवं क्षेत्रवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुप में)

अवशिष्ट अवधिपूर्णाता /क्षेत्र	2008	2009
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	1,69,481	2,24,665
(क) अवधिपूर्णातावार		
1) अल्पावधि (अवशिष्ट अवधिपूर्णाता एक वर्ष से कम)	1,17,279 (69.2)	1,40,289 (62.4)
2) दीर्घावधि (अवशिष्ट अवधिपूर्णाता एक वर्ष तथा उससे अधिक)	50,232 (29.6)	79,828 (35.5)
3) अनाबंटित	1,970 (1.2)	4,548 (2.0)
(ख) क्षेत्रवार		
1) बैंक	62,394 (36.8)	1,02,223 (45.5)
2) बैंकेतर सरकारी	748 (0.4)	656 (0.3)
3) बैंकेतर निजी	1,06,339 (62.7)	1,21,786 (54.2)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. अनाबंटित अवशिष्ट अवधिपूर्णाता में गैर लागू अवधिपूर्णाता (अर्थात् इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई अवधिपूर्णाता सूचना शामिल है।

3. बैंक क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आइएफसी, ईसीबी आदि,) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।

4. मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व बैंकेतर सरकारी क्षेत्र में ऐसे बैंकों को छोड़कर जिनमें राज्य / केंद्रीय सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य/केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर पब्लिक' क्षेत्र में केवल राज्य / केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं तथा तदनुरूपी बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं को 'बैंकेतर प्राइवेट' क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा रहा है।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) विवरण पर आधारित - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

तिमाही प्रवृत्ति-वाणिज्य बैंकिंग सर्वेक्षण ⁸

4.40 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यों के तिमाही विश्लेषण से अनेक महत्वपूर्ण बातों का पता चला (सारणी IV.18, परिशिष्ट सारणी IV.12)। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, बैंकों द्वारा जमाराशि का संग्रह 2008-09 की पहली दो तिमाहियों में कम रहा, यह संग्रह अगली दो तिमाहियों में बढ़ गया और यह पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिक था। दूसरी ओर, ऋण विस्तार में मिश्रित स्वरूप देखा गया। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में 2008-09 की पहली दो तिमाहियों के दौरान वृद्धि हुई और

⁸ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 42 (2) विवरणियों के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर।

सारणी IV.17: भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008	2009
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	1,69,481	2,24,665
<i>जिनमें से :</i>		
क) संयुक्त राज्य अमरीका	35,374 (20.9)	55,734 (24.8)
ख) यूनाइटेड किंगडम	21,899 (12.9)	29,753 (13.2)
ग) सिंगापुर	11,918 (7.0)	15,762 (7.0)
घ) जर्मनी	10,607 (6.3)	9,869 (4.4)
ड) हांगकांग	9,792 (5.8)	19,031 (8.5)
च) संयुक्त अरब अमीरात	7,990 (4.7)	11,309 (5.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों के प्रतिशत अंश हैं।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

अक्टूबर 2008 में वह शीर्ष पर पहुंच गया। 2008-09 की बाद की तिमाहियों में बैंक ऋण में सतत गिरावट देखी गई। इससे बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश बढ़ाने का अवसर मिला।

2009-10 का घटनाक्रम

4.41 2009-10 के दौरान अब तक (25 सितंबर 2009 तक), एससीबी से ऋण के प्रवाह में लगातार गिरावट आई जो आर्थिक गतिविधियों में मंदी दर्शाती है। यह गिरावट विशेष रूप से निजी और विदेशी बैंकों के मामले में अधिक स्पष्ट थी।

ऋण-जमा अनुपात

4.42 एससीबी के वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात और निवेश-जमा (आइ-डी) अनुपात ने निवेश और ऋण के संबंध में बैंकों का व्यवहार दर्शाया। ऋण वृद्धि के उच्च चरण (2002-03

सारणी IV.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन

(राशि करोड़ रुपए में)


मद	27 मार्च 2009 को बकाया	घट-बढ़									
		2007-08				2008-09				2009-10	
		ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
घटक											
1. निवासियों की कुल जमाराशियां (क+ख)	37,66,842	58,993	2,08,191	67,544	2,60,803	53,155	1,83,287	1,11,471	2,78,925	1,30,600	1,54,127
क) मांग जमाराशियां	5,23,085	-41,898	57,771	-7,894	86,600	-77,630	52,219	-60,449	84,635	-32,922	61,410
ख) मीयादी जमाराशियां	32,43,757	1,00,890	1,50,420	75,439	1,74,204	1,30,785	1,31,068	1,71,920	1,94,290	1,63,522	92,717
2. मांग/मीयादी निधायन	1,13,936	-2,984	5,756	7,441	10,455	-1,116	7,015	-685	2,217	-15,786	-3,561
स्रोत											
1. सरकार को ऋण	11,55,786	50,067	68,965	27,436	36,136	33,245	-19,641	99,566	83,955	1,26,014	75,338
2. वाणिज्य क्षेत्र को ऋण (क से ग)	29,95,361	-13,527	1,34,775	94,969	2,42,980	40,471	1,30,938	1,25,746	1,49,109	62,935	60,661
क. बैंक ऋण	27,75,549	-36,348	1,42,638	87,012	2,37,422	31,325	1,57,787	92,708	1,31,815	-7,563	1,05,169
i. खाद्य ऋण	46,211	-2,564	-6,948	3,259	4,131	5,748	-4,971	6,934	-5,899	14,450	-18,244
ii. खाद्येतर ऋण	27,29,338	-33,784	1,49,586	83,752	2,33,291	25,577	1,62,758	85,774	1,37,714	-22,014	1,23,413
ख. प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	1,671	-282	780	1,370	-1,146	-797	-1,174	1,520	-1,400	-508	3,753
ग. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10,624	-384	-1,010	-654	-357	-194	-567	-1,360	-309	-96	6,221
घ. अन्य निवेश (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में)	2,07,517	23,487	-7,634	7,241	7,061	10,136	-25,109	32,877	19,003	71,967	-54,482
3. वाणिज्य बैंकों को निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (क+ख-ग)	-53,359	2,817	-16,584	974	-16,793	-19,924	-5,564	33,708	8,618	27,733	-26,244
क. विदेशी मुद्रा	55,312	-8,312	-9,934	-781	-8,537	-8,383	2,934	24,151	5,421	18,428	-29,440
ख. अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशि	67,268	-4,202	-1,181	-3,490	-1,653	2,048	3,898	-2,323	6,710	755	416
ग. समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	41,404	-6,928	7,830	1,734	9,909	9,494	4,600	-7,234	-9,907	-10,060	-3,611
4. निवल बैंक आरक्षित निधियां	2,46,748	6,468	76,009	-22,695	21,268	28,526	35,997	-1,16,193	27,252	-17,189	20,787
5. पूंजी खाता	3,32,444	26,813	24,184	6,887	11,937	47,618	4,932	3,043	4,230	41,256	2,584

टिप्पणी : 1. आंकड़े अर्न्तम है।

2. आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।


से 2006-07) के दौरान दो श्रृंखलाएं एक-दूसरे से अलग हो गईं क्योंकि सी-डी अनुपात तेजी से बढ़ा और परिणामस्वरूप आइ-डी अनुपात कम हो गया जो बैंकों द्वारा निवेश की तुलना में उधार को तरजीह देना दर्शाता है। वस्तुतः, बैंकों ने 2005-06 में कुछ निवेश समाप्त कर दिया था जिससे वृद्धिशील आइ-डी अनुपात में तेज गिरावट हुई। किंतु, बाद में चक्रीय कारकों के कारण ऋण वृद्धि की दर कम हो जाने के कारण वृद्धिशील सी-डी अनुपात और आइ-डी अनुपात की प्रवृत्ति बदल गई। सितंबर 2008 के बाद की अवधि के दौरान, वृद्धिशील सी-डी अनुपात तेजी से कम हो गया जो ऋण वृद्धि में मंदी दर्शाता है। ऋण वृद्धि में मंदी यह दर्शाती है कि व्यापक मंदी को देखते हुए कंपनियों ने अपने निवेश आस्थगित कर दिए थे। इसके परिणामस्वरूप, वृद्धिशील आइ-डी अनुपात बढ़ गया, हालांकि ब्याज दरें कम हुई थीं (चार्ट IV.5)।

4.43 बकाया राशि पर आधारित सी-डी अनुपात और आइ-डी अनुपात पिछले तीन वर्षों से लगभग स्थिर रहे हैं। इस प्रकार, सी-डी अनुपात, जो 2007-08 में 74.6 प्रतिशत था, मार्च 2009 के अंत में थोड़ा कम होकर 73.9 प्रतिशत रह गया जबकि आइ-डी अनुपात इसी अवधि के दौरान 35.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 35.7 प्रतिशत हो गया।



4.44 बैंक समूहों के बीच, निजी क्षेत्र के नए बैंकों का सी-डी अनुपात (बकाया राशि के संदर्भ में) मार्च 2009 के अंत में सर्वाधिक था, इसके बाद विदेशी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्थान था (चार्ट IV.6)। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का सी-डी अनुपात लगातार निम्नतम बना रहा।

4.45 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आइडीबीआइ बैंक लि. छोड़कर, का सी-डी अनुपात दायराबद्ध बना रहा जो पिछले वर्ष के स्वरूप जैसा ही था। यह दायरा 64.9 प्रतिशत (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) और 77.8 प्रतिशत (स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर) के बीच था। किंतु, आइडीबीआइ बैंक लि. का सी-डी अनुपात 92.0 प्रतिशत पर बहुत अधिक था। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में, सी-डी अनुपात 51.2 प्रतिशत (बैंक ऑफ राजस्थान) और 71.3 प्रतिशत (लक्ष्मी विलास बैंक) के दायरे में था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों का सी-डी अनुपात 69.2 प्रतिशत (एचडीएफसी बैंक) और 106.3 प्रतिशत (कोटक महिंद्रा बैंक) के दायरे में था। शीर्ष पांच विदेशी बैंकों के मामले में सी-डी अनुपात 55.2 प्रतिशत (हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन) और 104.4 प्रतिशत (एबीएन अम्रो बैंक) के दायरे में था। 30 विदेशी बैंकों में से 9 बैंकों का सी-डी अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था। इससे पता चलता है कि उधार के मामले में विदेशी



बैंक बहुत सक्रिय थे और इनके बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक मध्यम मार्ग अपना रहे थे (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

बैंकों की आस्तियों और देयताओं का अवधिपूर्णता प्रोफाइल

4.46 निजी क्षेत्र के बैंकों की अवधिपूर्णता की संरचना के व्यापक स्वरूप से पता चलता है कि अल्पावधि अवधिपूर्णता (एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता) से मध्यावधि अवधिपूर्णता (1-3 वर्ष और 3-5 वर्ष) की ओर रुझान हुआ है। यह 2008-09 की पहली छमाही में सावधि ब्याज दर बढ़ने का संकेत है और दीर्घावधि परियोजनाओं के वित्तपोषण की दृष्टि से अच्छी बात है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के संबंध में यह स्वरूप उधार के मामले में भी स्पष्ट है जहां अधिमान अल्पावधि अवधिपूर्णता से दीर्घावधि अवधिपूर्णता समूह की ओर अंतरित हो गया। इसके विपरीत, निवेश स्वरूप से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के पुराने और विदेशी बैंकों के मामले में मध्यावधि (1-3 वर्ष) से 1 वर्ष के अवधिपूर्णता समूह की ओर अंतरित हो गया जो बैंकों की यह धारणा दर्शाता है कि निकट भविष्य में ब्याज दर बढ़ेंगे। मार्च 2009 के अंत में,

विदेशी बैंकों जमाराशियों, उधार, ऋण और अग्रिम के साथ ही निवेश का अधिकतर हिस्सा अल्पावधि अवधिपूर्णता समूह में था। किंतु, इसके विपरीत सरकारी बैंकों की जमाराशियां, उधार और ऋण तथा अग्रिम अल्पावधि थे जबकि निवेश दीर्घावधि थे (सारणी IV.19)।

3. तुलनपत्रेतर परिचालन


4.47 एससीबी के तुलनपत्रेतर परिचालन जिनमें वायदा विनिमय संविदाएं, गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन आदि शामिल होते हैं, हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गए। किंतु, 2008-09 इस प्रवृत्ति से भिन्न रहा जिसमें एससीबी ने अपने तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर पिछले वर्ष की तुलना में 26.4 प्रतिशत कम कर दिए (चार्ट IV.7)। इसने आंशिक रूप से यह दर्शाया कि रिजर्व बैंक द्वारा ओबीएस एक्सपोजर पर लागू किए गए विवेक सम्मत विनियमन मजबूत हुए थे।

4.48 ओबीएस में गिरावट विशेष रूप से विदेशी बैंकों के मामले में स्पष्ट थी जिनकी आकस्मिक देयताएं समग्र रूप से और कुल

सारणी IV.19: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का बैंक समूहवार अवधिपूर्णता स्वरूप
(मार्च के अंत में)


(कुल में प्रतिशत)

आस्तियां/देयताएं	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां								
क) एक वर्ष तक	44.1	45.7	50.9	48.3	57.1	53.1	64.7	63.8
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	26.5	27.3	35.5	38.4	34.3	35.6	33.3	23.1
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	10.3	8.4	7.7	8.4	2.5	3.7	0.4	9.6
घ) पांच वर्ष से अधिक	19.1	18.7	6.0	4.9	6.0	7.6	1.6	3.5
II. उधार राशियां								
क) एक वर्ष तक	69.6	70.8	79.1	76.7	49.2	44.3	90.9	84.8
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	16.5	23.9	5.4	7.8	25.4	30.8	8.4	13.9
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	6.0	3.6	3.0	5.7	21.9	19.3	0.3	1.3
घ) पांच वर्ष से अधिक	7.9	1.7	12.5	9.8	3.5	5.5	0.3	0.0
III. ऋण और अग्रिम								
क) एक वर्ष तक	38.0	39.1	40.4	40.8	33.6	32.4	49.6	55.8
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	33.3	33.5	36.1	35.5	34.2	35.5	34.4	24.1
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.2	9.9	11.5	12.3	12.2	14.0	6.6	10.1
घ) पांच वर्ष से अधिक	17.6	17.5	12.0	11.4	19.9	18.1	9.4	10.0
IV. निवेश								
क) एक वर्ष तक	19.0	22.8	21.3	37.2	55.8	46.3	62.2	69.0
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	19.0	14.9	16.5	7.1	21.1	25.0	25.9	18.8
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	13.8	15.5	12.2	11.1	5.4	5.5	4.1	6.0
घ) पांच वर्ष से अधिक	48.2	46.8	50.0	44.7	17.6	23.2	7.8	6.2



देयताओं के प्रतिशत के रूप में भी सर्वाधिक थीं। विदेशी बैंकों के अलावा, स्टेट बैंक समूह और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के ओबीएस में गिरावट हुई (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

4.49 एससीबी के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी बैंकों का बना रहा (65.8 प्रतिशत), इनके बाद सरकारी क्षेत्र के बैंक (17.9 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र के नए बैंक (15.2 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.8)।



4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य - निष्पादन

4.50 भारत स्थित एससीबी के तुलनपत्र वैश्विक वित्तीय संकट और विभिन्न अंतरण माध्यमों से इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के समय भी मजबूत बने रहे। किंतु, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी से पूर्णतः अप्रभावित नहीं रहा जैसा कि एससीबी के वित्तीय कार्य निष्पादन से स्पष्ट है। एससीबी की आय और व्यय की वृद्धि दर कम हो गई जिससे निवल लाभ भी कम हो गया। लाभ-वृद्धि में इस गिरावट का कारण जमाराशि और उधार की लागत में वृद्धि किंतु निवेश पर प्रतिलाभ का कम होते जाना था। किंतु, आरओए और आरओई जैसे कार्य कुशलता मानदंडों में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। संक्षेप में, वित्तीय क्षेत्र की आकलन रिपोर्ट (2009) में रेखांकित किए अनुसार, “भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के आघातों को सह लिया और किसी भी मुख्य वित्तीय मानदंड ने कोई भी विशेष भेद्यता नहीं दर्शाई”।

ब्याज दर परिदृश्य

4.51 विभिन्न बैंक समूहों के बीच एससीबी की जमा और उधार दरों ने 2008-09 की पहली छमाही के दौरान सामान्यतः ऊर्ध्वमुखी रुख दर्शाया। रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा से संकेत लेते हुए एससीबी ने 2008-09 की दूसरी छमाही में अपनी जमा और उधार दरें कम कर दीं। 2009-10 की पहली छमाही (11 सितंबर 2009 तक) एससीबी की जमा और उधार दरें और कम हो गईं (सारणी IV.20 और चार्ट IV.9)।

जमाओं की लागत और अग्रिमों पर प्रतिलाभ

4.52 ब्याज दरों में विशेष रूप से 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान कमी आने के बावजूद एससीबी की निधियों और जमाराशि की लागत तथा उधार की लागत पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी। इसी अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण वार्षिक मौद्रिक नीति दस्तावेज में दर्शाए

सारणी IV.20: जमा और उधार की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)


ब्याज दरें	मार्च 2007	मार्च 2008	अक्तू. 2008	मार्च 2009	जून 2009	सित्त. 2009**
1	2	3	4	5	6	7
आवधिक जमा दर						
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
क) 1 वर्ष तक	2.75-8.75	2.75-8.50	2.75-10.25	2.75-8.25	1.00-7.00	1.00-6.75
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	7.25-9.50	8.25-9.25	9.50-10.75	8.00-9.25	6.50-8.00	6.50-7.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	7.50-9.50	8.00-9.00	8.50-9.75	7.50-9.00	6.75-8.50	6.50-8.00
निजी क्षेत्र के बैंक						
क) 1 वर्ष तक	3.00-9.00	2.50-9.25	3.00-10.50	3.00-8.75	2.00-7.50	2.00-7.00
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	6.75-9.75	7.25-9.25	9.00-11.00	7.50-10.25	6.00-8.75	5.25-8.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	7.75-9.60	7.25-9.75	8.25-11.00	7.50-9.75	6.00-9.00	5.75-8.25
विदेशी बैंक						
क) 1 वर्ष तक	3.00-9.50	2.25-9.25	3.50-10.75	2.50-8.50	1.80-8.00	1.25-8.00
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3.50-9.50	3.50-9.75	3.50-11.25	2.50-9.50	2.25-8.50	2.25-8.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	4.05-9.50	3.60-9.50	3.60-11.00	2.50-10.00	2.25-9.50	2.25-8.50
बैंच मार्क मूल उधार दर						
सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.25-12.75	12.25-13.50	13.75-14.75	11.50-14.00	11.00-13.50	11.00-13.50
निजी क्षेत्र के बैंक	12.00-16.50	13.00-16.50	13.75-17.75	12.75-16.75	12.50-16.75	12.50-16.70
विदेशी बैंक	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-17.00	10.00-17.00	10.50-16.00	10.50-16.00
वास्तविक उधार दर*						
सरकारी क्षेत्र के बैंक	4.00-17.00	4.00-17.75	-	3.50-18.00	3.50-17.50	-
निजी क्षेत्र के बैंक	3.15-25.50	4.00-24.00	-	4.75-26.00	4.10-26.00	-
विदेशी बैंक	5.00-26.50	5.00-28.00	-	5.00-25.50	2.76-25.50	-

- : अनुपलब्ध।

* : दोनो पक्षों से अधिकतम पांच प्रतिशत ऋण दर को छोड़कर 2 लाख रुपए से अधिक निर्यात से इतर मांग तथा मीयादी ऋण पर ब्याज दर।

** : 11 सितम्बर 2009 की स्थिति के अनुसार।

स्रोत : बैंको से विशिष्ट पखवाड़ा आधार पर (VI-बी, VI ए बी) / तिमाही (VI-ए सी) प्राप्त विवरणियां।



अनुसार ब्याज दरों में अनेक संरचनात्मक कड़ाइयां थीं। लागत और प्रतिलाभ की इन प्रवृत्तियों ने बैंकों के स्प्रेड पर प्रतिकूल प्रभाव डाला यह प्रवृत्ति लगभग सभी बैंक समूहों में देखी गई (सारणी IV.21)।

आय

4.53 एससीबी की आय वृद्धि 2008-09 के कम होकर 25.7 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 34.3 प्रतिशत थी किंतु 2006-07 की 24.4 प्रतिशत से अधिक थी। आस्तियों के प्रति आय का अनुपात पिछले वर्ष के 8.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गया। कम उधार दर दर्शाते हुए मार्च 2009 के अंत में एससीबी की ब्याज आय वृद्धि पिछले वर्ष के 33.2 प्रतिशत से कम होकर 26.0 प्रतिशत रह गई (सारणी IV.22)।

सारणी IV.21 : निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

संकेतक	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. जमा की लागत	5.4	5.6	5.7	6.2	5.9	6.4	3.8	4.3	5.4	5.7
2. उधारों की लागत	3.5	4.0	4.6	5.0	3.1	3.7	4.5	3.9	3.6	3.9
3. निधियों की लागत	5.3	5.5	5.7	6.1	5.5	6.0	3.9	4.2	5.3	5.5
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ	8.6	9.1	9.6	11.0	10.0	10.8	9.8	12.4	8.9	9.6
5. निवेशों पर प्रतिलाभ	6.6	6.2	6.3	5.7	6.4	6.9	7.1	6.7	6.6	6.4
6. निधियों पर प्रतिलाभ	8.0	8.2	8.5	9.1	8.7	9.5	8.7	9.9	8.2	8.5
7. अंतर (स्त्रेड) (6-3)	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.5	4.8	5.7	2.9	3.0

टिप्पणी : 1. जमा की लागत = जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज / जमा राशियाँ।
 2. उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / उधार।
 3. निधियों की लागत = (जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (जमा राशियाँ + उधार)।
 4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / अग्रिम।
 5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / निवेश।
 6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर प्रतिलाभ) / (अग्रिम+निवेश)।

4.54 कुल आय में ब्याजेतर आय का हिस्सा 2002-2004 की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ता रहा किंतु बाद की अवधि अर्थात् 2005-07 में कम हुआ। किंतु, पिछले दो वर्षों में इसमें पुनः वृद्धि हुई और ब्याज आय के हिस्से में तदनुरूपी गिरावट हुई (चार्ट IV.10)।

4.55 2004-05 से 2007-08 के बीच ब्याजेतर आय में ब्याज आय और कुल आय की वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति के विपरीत 2008-09 के दौरान ब्याजेतर आय

वृद्धि में हुई गिरावट दो अन्य श्रृंखलाओं की तुलना में बहुत तेज थी (चार्ट IV.11)।

4.56 2008-09 के दौरान लेनदेन आय की वृद्धि दर कम होकर 40.2 प्रतिशत रह गई किंतु विदेशी मुद्रा आय की वृद्धि दर बढ़कर 44.1 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.15)।


4.57 बैंक समूहों के बीच, 2008-09 के दौरान विदेशी बैंकों की आय सर्वाधिक दर (29.2 प्रतिशत) से बढ़ी, इसके पश्चात

सारणी IV.22 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07		2007-08		2008-09	
	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत	राशि	आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आय	2,74,716	7.9	3,68,873	8.5	4,63,837	8.8
क) ब्याज आय	2,31,675	6.7	3,08,482	7.1	3,88,816	7.4
ख) अन्य आय	43,041	1.2	60,391	1.4	75,021	1.4
2. व्यय	2,43,514	7.0	3,26,147	7.5	4,11,066	7.8
क) खर्च किया गया ब्याज	1,42,420	4.1	2,08,001	4.8	2,63,221	5.0
ख) परिचालन व्यय	66,319	1.9	77,283	1.8	89,268	1.7
जसमें से: वेतन बिल	36,148	1.0	39,954	0.9	47,660	0.9
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	34,775	1.0	40,864	0.9	58,578	1.1
3. परिचालन लाभ	65,977	1.9	83,590	1.9	1,11,349	2.1
4. निवल लाभ	31,203	0.9	42,726	1.0	52,771	1.0
5. निवल ब्याज आय/मार्जिन (1क-2क)	89,255	2.6	1,00,481	2.3	1,25,596	2.4

टिप्पणी : 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या क्रमशः 82, 79 और 80 थी।



सरकारी क्षेत्र के बैंक (28.4 प्रतिशत) एकदम करीब थे। सभी बैंक समूहों के कुल आस्ति-ब्याज आय अनुपात में सुधार हुआ जबकि एसबीआई समूह के ये अनुपात अपरिवर्तित बने रहे। एससीबी के 'अन्य आय' घटक में गिरावट आई। यह गिरावट एसबीआई समूह को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों में देखी गई [परिशिष्ट सारणी IV.16, परिशिष्ट सारणी IV.17(ए से जी)]।



व्यय

4.58 मार्च 2009 के अंत में, एससीबी का व्यय कम होकर 26.0 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष 33.9 प्रतिशत था। एससीबी के व्यय के बड़े घटकों के बीच, व्यय किए गए ब्याज की वृद्धि-दर तेजी से कम होकर 26.5 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 46.0 प्रतिशत बढ़ी थी। ब्याजेतर या परिचालन व्यय भी कम हो गए जबकि प्रावधानीकरण में तेज वृद्धि हुई (सारणी IV.23)।

4.59 कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किए गए ब्याज का अनुपात एससीबी के मामले में 2005-06 से बढ़ रहा है। इस प्रवृत्ति के अनुकूल, यह अनुपात 2008-09 में बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गया जो कि पिछले वर्ष 4.8 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.22)। इस प्रवृत्ति के बदलाव में, एससीबी की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय, जिसमें 2004-08 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति थी, बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.23)। इसी प्रकार, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधानीकरण और प्रासंगिक व्यय भी 2004-2008 की गिरावट के बाद 2008-09 में पहली बार बढ़े (परिशिष्ट सारणी IV.24)। किंतु, कुल आस्ति-परिचालन व्यय अनुपात के मामले में यह प्रवृत्ति जारी रही और यह अनुपात 2008-09 में कम होकर 1.7 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष 1.8 प्रतिशत

सारणी IV.23 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय-व्यय में घट-बढ़


(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08		2008-09	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क + ख)	94,157	34.3	94,964	25.7
क) ब्याज आय	76,807	33.2	80,334	26.0
ख) अन्य आय	17,350	40.3	14,630	24.2
2. व्यय (क + ख + ग)	82,634	33.9	84,918	26.0
क) ब्याज व्यय	65,581	46.0	55,219	26.5
ख) अन्य व्यय	10,963	16.5	11,985	15.5
ग) प्रावधानन	6,089	17.5	17,714	43.3
3. परिचालन लाभ	17,612	26.7	27,759	33.2
4. निवल लाभ	11,523	36.9	10,046	23.5

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

था (परिशिष्ट सारणी IV.25)। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों का भार (ब्याजेतर आय की तुलना में ब्याजेतर व्यय) 2007-08 की कुल आस्तियों के 0.4 प्रतिशत और 2006-07 के 0.7 प्रतिशत से बहुत कम होकर 2008-09 में 0.3 प्रतिशत रह गया। कुशलता अनुपात (निवल ब्याज आय के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय + ब्याजेतर आय) 2006-07 के 50.1 प्रतिशत से और मार्च 2008 के अंत के 48.0 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में 44.5 प्रतिशत रह गया जो ब्याजेतर आय में वृद्धि और परिचालन व्यय में गिरावट दर्शाता है जो संयुक्त रूप से निवल ब्याज आय में गिरावट से अधिक थे (कुल आस्तियों के संदर्भ में)।

4.60 अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी दर्शाते हुए, परिचालन व्यय में वेतन का हिस्सा अधिकांश बैंक समूहों के मामले में वर्ष के दौरान लगभग स्थिर बना रहा (चार्ट IV.12)। एससीबी के वेतन के हिस्से में हुई थोड़ी वृद्धि में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान था। इन दोनों बैंक समूहों के मामले में वेतन बिल में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में, एससीबी का वेतन बिल पिछले वर्ष जैसा ही 0.9 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। वस्तुतः, कुल आस्ति-वेतन बिल अनुपात निजी क्षेत्र के नए बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों के मामले में अपरिवर्तित बना रहा।



निवल ब्याज आय

4.61 एससीबी की निवल ब्याज आय, अर्थात् ब्याज आय और ब्याज व्यय के बीच का अंतर, 2008-09 में तेजी से बढ़ गया जो मुख्यतः वर्ष के दौरान अलग-अलग समय लागू ब्याज दरों की भिन्नता दर्शाता है। वर्ष के दौरान स्टेट बैंक समूह को छोड़कर लगभग सभी बैंक समूहों का आस्ति-निवल ब्याज आय अनुपात बढ़ गया (परिशिष्ट सारणी IV.23)।

परिचालन लाभ

4.62 एससीबी के परिचालन लाभ में मार्च 2009 के अंत में 33.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण ब्याज व्यय घटक की वृद्धि दर में तेज गिरावट था। इस तेज वृद्धि के कारण 2008-09 के दौरान कुल आस्ति-परिचालन लाभ 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया। बैंक समूहवार विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ तेजी से बढ़ा किंतु निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का के संबंध में मंदी रही। आस्ति-परिचालन लाभ अनुपात 'सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक' छोड़कर बाकी सभी बैंक समूहों के मामले में बढ़ा (परिशिष्ट सारणी IV.16)।

प्रावधान और आकस्मिक व्यय

4.63 एससीबी के प्रावधान और आकस्मिक व्यय 2008-09 के दौरान 43.4 प्रतिशत की बहुत अधिक दर पर बढ़े जबकि पिछले वर्ष यह दर 17.7 प्रतिशत थी। एसपीए के लिए प्रावधान में 43.0 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष 28.4 प्रतिशत थी। बैंक समूहवार, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय 'सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक' के संबंध में कम हो गए जबकि अन्य सभी बैंक समूहों के संबंध में बढ़ गए।

निवल लाभ

4.64 एससीबी के निवल लाभ में वृद्धि 2008-09 के दौरान कम होकर 23.5 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 36.9 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण प्रावधान और आकस्मिक व्यय में तेज वृद्धि होना था (सारणी IV.24)।

सारणी IV.24: परिचालन लाभ तथा निवल लाभ - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	परिचालन लाभ				निवल लाभ			
	2007-08	प्रतिशत घटबढ़	2008-09	प्रतिशत घटबढ़	2007-08	प्रतिशत घटबढ़	2008-09	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	83,590	26.7	1,11,349	33.2	42,726	36.9	52,771	23.5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	50,307	17.9	66,972	33.1	26,592	32.0	34,394	29.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	31,563	15.0	42,184	33.6	16,856	30.2	21,639	28.4
स्टेट बैंक समूह	17,444	22.1	23,410	34.2	9,006	37.0	11,896	32.1
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	1,299	43.3	1,378	6.0	729	15.7	859	17.7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3,604	19.3	4,799	33.2	1,978	76.3	2,409	21.8
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15,632	46.3	19,480	24.6	7,544	41.2	8,459	12.1
विदेशी बैंक	14,047	46.0	20,098	43.1	6,612	44.2	7,510	13.6

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

आस्तियों पर प्रतिलाभ

4.65 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) दक्षता का एक संकेतक है जिसके आधार पर बैंक अपनी आस्तियों को नियोजित करते हैं। 2008-09 के दौरान एससीबी का आस्तियों के प्रति निवल लाभ-अनुपात 2007-08 के 0.99 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 1.02 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.13)। वस्तुतः, विदेशी बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों का आरओए बढ़ गया।


इक्विटी पर प्रतिलाभ


4.66 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दक्षता के साथ पूंजी के उपयोग का संकेतक है। एससीबी का

आरओई 2007-08 के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 13.2 प्रतिशत हो गया। बैंक समूहवार विश्लेषण दर्शाता है कि विदेशी बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों का आरओई 2008-09 के दौरान बढ़ गया।

5. सुदृढ़ता संकेतक

4.67 वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सुदृढ़ और कार्यकुशल बैंकिंग प्रणाली अनिवार्य है। अतः, हाल के वर्षों में पूंजी अपेक्षाओं के सुदृढ़ीकरण पर काफी बल दिया गया है। एससीबी का जोखिम भारित आस्ति-प्रति अनुपात, जो अनपेक्षित हानियों को अवशोषित करने की बैंकिंग प्रणाली की क्षमता का मापक है, मार्च 2008 के अंत के 13.0 प्रतिशत से और सुधरकर मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत हो गया। भारत में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों से सुधार होता आया है जैसा कि अग्रिम-एनपीए अनुपात में गिरावट से दिखता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के दबाव और अनिश्चितता के वातावरण के बावजूद निवल अग्रिम-निवल एनपीए अनुपात मार्च 2008 के अंत के 1.0 प्रतिशत से थोड़ा ही बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 1.1 प्रतिशत हो गया। महत्वपूर्ण रूप से, सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। इस प्रकार, दो प्रमुख सुदृढ़ता संकेतकों, अर्थात् पूंजी और आस्ति गुणवत्ता के संदर्भ में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने परीक्षा की घड़ी में आघात सहनीयता दर्शाई (चार्ट IV.14)।





आस्ति गुणवत्ता

4.68 वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति लगातार बनी रही। भारतीय बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना

में 2008-09 के दौरान एनपीए की अधिक राशि वसूल की। 2008-09 के दौरान वसूली तथा बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि 38,828 करोड़ रुपए 2007-08 के 28,283 करोड़ रुपए से अधिक होने के बावजूद यह वर्ष के दौरान जुड़े नए एनपीए (52,382 करोड़ रुपए) से कम थी। इसके परिणामस्वरूप, एससीबी का सकल एनपीए सभी बैंकों के मामले में बढ़ गया (सारणी IV.25)। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान वित्तीय संकट के संदर्भ में एनपीए में कुछ गिरावट हो सकती है। फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि यह गिरावट विश्वभर के बैंकों द्वारा सामना की गई समस्याओं की तुलना में कम थी।

4.69 अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए बैंकों के समक्ष उपलब्ध वसूली के अनेक चैनलों में से ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और सरफेसाई अधिनियम वसूली गई राशि के संबंध में सर्वाधिक प्रभावशाली रहे हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से वसूल की गई राशि का प्रतिशत सर्वाधिक था, इसके बाद सरफेसाई अधिनियम का स्थान था (सारणी IV.26)।

सारणी IV.25 : अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहवार उतार चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल अनर्जक आस्तियाँ							
2007-08 का अंतिम शेष	56,309	40,452	23,410	15,478	2,557	10,440	2,859
2008-09 का प्रारंभिक शेष	55,419	40,089	23,410	15,303	2,557	9,901	2,872
2008-09 के दौरान जुड़ाव	52,382	31,338	17,822	12,879	2,094	10,520	8,430
2008-09 के दौरान वसूले गए	37,314	26,271	15,863	9,829	1,579	6,510	2,954
2008-09 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	1,514	0	0	0	0	0	1,514
2008-09 को अंतिम शेष	68,973	45,156	25,368	18,352	3,072	13,911	6,833
निवल अनर्जक आस्तियां							
2007-08 का अंतिम शेष	24,730	17,836	8,245	8,509	740	4,907	1,247
2008-09 को अंतिम शेष	31,424	21,033	9,339	10,745	1,165	6,253	2,973
टिप्पणी :	2007-08 का अंतिम शेष 2008-09 के प्रारंभिक शेष से निम्नलिखित कारणों से मेल नहीं खाता है: क) एक बैंक के मामले में 2007-08 का अंतिम शेष 2008-09 के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं खाता। ख) बैंकों के कुछ विलयन हुए हैं और नए विदेशी बैंक सकल एनपीए की धनात्मक प्रारंभिक शेष के साथ खुले।						
स्रोत :	संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।						

सारणी IV.26: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विविध माध्यमों के जरिए वसूली किया गया एनपीए

(राशि करोड़ रुपए)

वसूली माध्यम	2007-08				2008-09			
	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (4)	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	1,86,535	2,142	176	8.2	5,48,308	4,023	96	5.4
ii) डीआरटी	3,728	5,819	3,020	51.9	2,004	4,130	3,348	81.1
iii) सरफेसाई अधिनियम	83,942#	7,263	4,429	61.0	61,760	12,067	3,982	33.0

: जारी नोटिसों की संख्या।

4.70 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रियों की वसूली दर (मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत) पिछले कुछ वर्षों से कम होता जा रहा है। इस प्रवृत्ति के अनुरूप, वसूली दर जून 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कम होकर 75.4 प्रतिशत रह गई जो कि एक वर्ष पूर्व 79.7 प्रतिशत थी (सारणी IV.27)।

4.71 रिजर्व बैंक ने अभी तक 12 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किए हैं जिनमें से 11 ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। जून 2009 के अंत में, रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एससी/आरसी द्वारा अर्जित आस्तियों की कुल राशि का बही मूल्य 51,542 करोड़ रुपए था जो वर्ष के दौरान (जुलाई 2008 से जून 2009) 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जहां बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिदान की गई प्रतिभूति रसीदों की राशि 9,570 करोड़ रुपए थी, वहीं प्रतिभूति रसीदों की मोचित राशि 2,792 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.28)।

सारणी IV.27: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रियों की वसूली

(राशि करोड़ रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेयताएं	मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2006	46,567	37,298	9,269	80.1
2007	73,802	58,840	14,958	79.7
2008	95,100	71,739	23,361	75.4

अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में गतिविधि

4.72 2008-09 के दौरान किया गया प्रावधान वर्ष के दौरान के अतिरिक्त प्रावधानीकरण के राइट-बैक से अधिक था। फिर भी वर्ष के दौरान निवल एनपीए में वृद्धि हुई जिसका कारण सकल एनपीए में वृद्धि था। वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान सभी बैंक समूहों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के राइट-बैक से अधिक थे। सकल एनपीए-संचयी प्रावधान अनुपात सभी बैंक समूहों के मामले में कम हो गया (सारणी IV.29)।

4.73 एससीबी संबंधी सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल

सारणी IV.28: प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

(राशि करोड़ रुपए)

मद	जून 2008 के अंत में	जून 2009 के अंत में
1. अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	41,414	51,542
2. जारी प्रतिभूति रसीदें	10,658	12,801
3. निम्न द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें		
(क) बैंक	8,319	9,570
(ख) प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां	1,647	2,544
(ग) विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-
(घ) अन्य (क्यूआइबी)	692	687
4. पूर्णतया मोचित प्रतिभूति रसीदों की राशि	1,299	2,792
- : शून्य / नगण्य।		
स्रोत	: एससी /आरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।	

सारणी IV.29 : अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (80)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (27)*	राष्ट्रीय कुत बैंक (19)	स्टेट बैंक समूह (7)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (15)	निजी क्षेत्र के नए बैंक (7)	विदेशी बैंक (31)
1	2	3	4	5	6	7	8
एनपीए के लिए प्रावधान							
मार्च 2008 के अंत में	29,307	21,091	13,910	6,729	1,719	5,109	1,387
जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	23,129	11,415	6,409	4,807	706	7,907	3,099
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए, अधिव्यय के प्रति राइट बैंक	17,048	10,071	5,853	4,054	613	5,373	989
मार्च 2009 के अंत में	35,388	22,435	14,465	7,482	1,811	7,642	3,498
ज्ञापन :							
सकल अनर्जक आस्तियां	68,972	45,155	25,368	18,352	3,072	13,911	6,833
निम्न को सकल एसपीए के प्रति बकाया प्रावधान (प्रतिशत)							
मार्च 2008 के अंत में	52.0	52.1	59.4	43.5	67.2	48.9	48.5
मार्च 2009 के अंत में	51.3	49.7	57.0	40.8	59.0	54.9	51.2
*: आइडीबीआई बैंक लि. शामिल है।							
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े मार्च 2009 के अंत के लिए उस समू में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।							
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।							

अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात कम हो गया किंतु निजी क्षेत्र के और विदेशी प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए) एससीबी के मामले में थोड़ा बढ़ गया बैंकों के मामले में बढ़ गया। निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिमों के (सारणी IV.30 और परिशिष्ट सारणी IV.27 और IV.28)।

सारणी IV.30: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक समूहवार सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियाँ (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक समूह / वर्ष	सकल अग्रिम राशि	सकल अनर्जक आस्तियाँ			निवल अग्रिम राशि	निवल अनर्जक आस्तियाँ		
		राशि	सकल अग्रिमों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत		राशि	सकल अग्रिमों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्य बैंक								
2008	25,07,885	56,309	2.3	1.3	24,76,936	24,730	1.0	0.6
2009	30,38,254*	68,973	2.3	1.3	30,00,906	31,424	1.1	0.6
सरकारी क्षेत्र के बैंक								
2008	18,19,074	40,452	2.2	1.3	17,97,401	17,836	1.0	0.6
2009	22,83,473	45,156	2.0	1.2	22,60,156	21,033	0.9	0.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक								
2008	1,13,404	2,557	2.3	1.3	1,11,670	740	0.7	0.4
2009	1,30,352*	3,072	2.4	1.3	1,28,512	1,165	0.9	0.5
निजी क्षेत्र के नए बैंक								
2008	4,12,441	10,440	2.5	1.4	4,06,733	4,907	1.2	0.7
2009	4,54,713	13,911	3.1	1.8	4,46,824	6,253	1.4	0.8
विदेशी बैंक								
2008	1,62,966	2,859	1.8	0.8	1,61,133	1,247	0.8	0.3
2009	1,69,716	6,833	4.0	1.5	1,65,415	2,973	1.8	0.7
* : 2009 के लिए तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि. के देशी आंकड़े (अलेखापरीक्षित) प्रयुक्त किए गए हैं।								
स्रोत : कॉलम 2 की अप्रत्यक्ष विवरणियाँ और अन्य कॉलमों के लिए संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।								

सारणी IV.31: निवल अनर्जक आस्तियाँ-निवल अग्रिम अनुपात के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	मार्च के अंत में				
	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	28	28	28	28	27
2 प्रतिशत तक	19	23	27	28	27
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	7	5	1	0	0
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	2	0	0	0	0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	20	20	17	15	15
2 प्रतिशत तक	4	11	15	15	14
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	12	7	1	0	1
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	4	2	1	0	0
निजी क्षेत्र के नए बैंक	9	8	8	8	7
2 प्रतिशत तक	5	6	7	7	4
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	3	2	1	1	3
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	1	0	0	0	0
विदेशी बैंक	31	29	29	28	31
2 प्रतिशत तक	23	25	27	25	24
2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत तक	2	0	1	2	6
5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक	2	0	0	1	1
10 प्रतिशत से अधिक	4	4	1	0	0

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

4.74 सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक का निवल अग्रिम-निवल एनपीए अनुपात मार्च 2009 के अंत में 2 प्रतिशत से कम था। अन्य बैंक समूहों के मामले में इस अनुपात का वितरण भी विषम था जिसमें मात्र 10 बैंक ‘‘2 प्रतिशत से अधिक और 5 प्रतिशत से कम’’ की श्रेणी में थे और मात्र 1 बैंक ‘‘5 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत से कम’’ की श्रेणी में था (सारणी IV.31)। मार्च 2005 के अंत के अनुपात के वितरण के एकदम विपरीत किसी भी बैंक का निवल अग्रिम-निवल एनपीए अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक नहीं था। इससे हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति में समग्र सुधार का पता चलता है (परिशिष्ट सारणी IV.27 और IV.28)।

4.75 यह महत्वपूर्ण है कि जहां ‘‘संदिग्ध’’ और ‘‘हानि’’ श्रेणी में एनपीए का हिस्सा कमोबेश स्थिर बना रहा, वहीं ‘‘अवमानक’’ श्रेणी के हिस्से में अंतर था। आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार, अवमानक आस्ति वह होती है जो 12 माह तक की अवधि के लिए एनपीए रहती है। इस प्रकार, अवमानक श्रेणी के हिस्से में उल्लिखित वृद्धि पिछले एक वर्ष में आस्तियों में हास की द्योतक है (सारणी IV.32)।

सारणी IV.32: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक समूह	मानक आस्तियाँ		अवमानक आस्तियाँ		संदिग्ध आस्तियाँ		हानि आस्तियाँ		कुल सकल एनपीए		कुल सकल अग्रिम
	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्य बैंक											
2008	24,51,217	97.7	26,541	1.1	24,507	1.0	5,619	0.2	56,668	2.3	25,07,885
2009	29,61,524	97.7	37,030	1.2	26,998	0.9	6,035	0.2	70,063	2.3	30,31,587
सरकारी क्षेत्र के बैंक											
2008	17,78,476	97.8	17,290	1.0	19,291	1.1	4,018	0.2	40,598	2.2	18,19,074
2009	22,37,556	98.0	20,603	0.9	21,019	0.9	4,296	0.2	45,918	2.0	22,83,473
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2008	1,10,847	97.7	816	0.7	1,346	1.2	395	0.3	2,557	2.3	1,13,404
2009	1,20,733	97.6	1,295	1.1	1,267	1.0	390	0.3	2,952	2.4	1,23,685
निजी क्षेत्र के नए बैंक											
2008	4,02,013	97.5	6,473	1.6	3,106	0.8	849	0.2	10,428	2.5	4,12,441
2009	4,40,813	96.9	9,258	2.0	3,708	0.8	934	0.2	13,900	3.1	4,54,713
विदेशी बैंक											
2008	1,59,882	98.1	1,962	1.2	764	0.5	358	0.2	3,084	1.9	1,62,966
2009	1,62,422	95.7	5,874	3.5	1,004	0.6	416	0.3	7,294	4.3	1,69,716

* : सकल अग्रिमों का प्रतिशत।

टिप्पणी: 1. पूर्णांकित किए जाने के कारण घटक मद्दे कुल से भिन्न हो सकती हैं।

2. 2009 के आंकड़ों में तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक शामिल नहीं है।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीएसबी विवरणियाँ (बीएसए)।

सारणी IV.33 : क्षेत्रवार-एनपीए - बैंक समूहवार*

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2007- 08	2008-09	2007-08	2008- 09	2007- 08	2008- 09	2007-08	2008-09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25,287 (0.8)	24,318 (0.7)	1,338 (0.7)	1,233 (0.5)	2,080 (0.3)	2,407 (0.3)	28,705 (0.7)	27,958 (0.5)	
i) कृषि	8,268 (0.3)	5,708 (0.2)	243 (0.1)	263 (0.1)	1,225 (0.2)	1,178 (0.2)	9,735 (0.2)	7,149 (0.1)	
ii) लघु उद्योग	5,805 (0.2)	6,984 (0.2)	359 (0.2)	307 (0.1)	292 -	363 -	6,456 (0.2)	7,654 (0.2)	
iii) अन्य	11,214 (0.4)	11,626 (0.3)	737 (0.4)	663 (0.3)	563 (0.1)	866 (0.1)	12,514 (0.3)	13,155 (0.3)	
ख. सार्वजनिक क्षेत्र	299 -	474 -	- -	- -	- -	- -	75 -	299 -	549 -
ग. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	14,163 (0.5)	19,251 (0.5)	1,219 (0.6)	1,839 (0.8)	8,339 (1.1)	11,334 (1.4)	23,721 (0.6)	32,423 (0.6)	
कुल (क +ख +ग)	39,749 (1.3)	44,042 (1.2)	2,557 (1.3)	3,072 (1.3)	10,419 (1.4)	13,815 (1.7)	52,725 (1.2)	60,930 (1.2)	

* : विदेशी बैंकों को छोड़कर।

- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

4.76 जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आई, वहीं गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में 36.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में गिरावट में प्रमुख योगदान कृषि क्षेत्र का था जो केंद्र सरकार द्वारा 2007 में किसानों के लिए घोषित ऋण माफी योजना का आंशिक प्रभाव दर्शाती है। गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए में तेज वृद्धि अर्थव्यवस्था में मंदी और कंपनियों की दबावयुक्त वित्तीय स्थिति दर्शाती है [सारणी IV.33, परिशिष्ट सारणी IV.29 (क) और 29 (ख); और परिशिष्ट सारणी 30 (क) और (ख)]। यह उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने अन्यथा व्यवहार्य आस्तियों के आर्थिक और उत्पादक मूल्य कर परिरक्षण के लिए असाधारण बाह्य कारकों को देखते हुए एक बारगी उपाय के रूप में और सीमित अवधि के लिए ऋण चुकौती के पुनर्निर्धारण पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में घटबढ़

4.77 निवेशों पर मूल्यहास के प्रावधान मार्च 2009 के अंत में 24.6 प्रतिशत बढ़े जबकि मार्च 2008 के अंत में उनमें 11.6

प्रतिशत की गिरावट आई थी वर्ष के दौरान बढ़े खाते डालने और अतिरिक्त प्रावधानों के राइट-बैंक की तुलना में प्रावधानों का आधिक्य दर्शाती है। निवेशों पर मूल्यहास के प्रावधानों में विदेशी बैंकों के मामले में ही गिरावट हुई जो वर्ष के दौरान अधिक राशि बढ़े खाते में डालना दर्शाती है (सारणी IV.34)

4.78 वित्तीय विवरणों का उद्देश्य किसी उद्यम की वित्तीय स्थिति, कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह की जानकारी उपलब्ध कराना है जो कि आर्थिक निर्णय लेने में विविध प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होती है। टिप्पणियों और वर्णनात्मक जानकारी के साथ कंपनियों के वित्तीय विवरणों का उद्देश्य यह होता है कि निवेशक नकदी प्रवाहों का अनुमान लगा सकें, निवेशित पूंजी पर उत्पन्न प्रतिलाभ निर्धारित कर सकें, व्यवसाय की चलनिधि का आकलन कर सकें और प्रबंधकीय कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कर सकें। वित्तीय विवरणों में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न संयोजनों के साथ माप के विविध उपाय अपनाए जाते हैं। इनमें ऐतिहासिक लागत, परिशोधित सीओएस और उचित मूल्य शामिल होते हैं। उचित मूल्य लेखांकन (एफवीए) सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) का 1990 के

सारणी IV.34: निवेश के मूल्य ह्रास पर प्रावधानों में बैंक समूहवार उतार-चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान							
मार्च 2008 के अंत में	10,408	7,800	5,862	1,359	347	909	1,353
जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7,467	6,067	3,540	2,235	211	1,123	66
घटाइए : वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाले गए आधिक्य के प्रति राइट ऑफ किए गए	4,917	3,916	2,103	1,262	140	326	534
मार्च 2009 के अंत में	12,959	9,951	7,299	2,333	418	1,705	885

*: आइडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

दशक के प्रारंभ से ही एक भाग रहने के बावजूद पिछले दशक से उचित मूल्य माप की लगातार वृद्धि हुई है जो कि प्राथमिक रूप से प्रासंगिक और समय पर वित्तीय विवरणों के लिए निवेशकों की मांग के प्रतिसाद में थी जो बेहतर सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायक होती है। हाल के वित्तीय संकट ने एफवीए के पक्ष-विपक्ष में गंभीर चर्चा आरंभ कर दी है जिसने एफवीए की मूल धारणा के प्रति भारी चुनौती खड़ी कर दी है (बॉक्स IV.2)।

पूंजी पर्याप्तता

4.79 सीआरएआर में सुधार इस बात का एक प्रमुख संकेतक है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है। एससीबी के तुलनपत्र मजबूत बने रहे जो इस क्षेत्र की आघात सहनीयता दर्शाते हैं। सभी एससीबी का समग्र सीआरएआर मार्च 2009 के अंत में सुधरकर 13.2 प्रतिशत हो गया जो एक वर्ष पूर्व के 13.0 प्रतिशत था और इस प्रकार यह 9.0 प्रतिशत न्यूनतम के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर बना रहा। सीआरएआर में हुई वृद्धि का प्रमुख कारण बैंकों की टियर II पूंजी की उच्च वृद्धि दर बनी रहना था (पिछले वर्ष के 28.9 प्रतिशत से 27.2 प्रतिशत), हालांकि टियर I पूंजी (पिछले वर्ष के 41.4 प्रतिशत से 17.0 प्रतिशत) और जोखिम भारित आस्तियों (पिछले वर्ष के 29.7 प्रतिशत से 18.4 प्रतिशत) दोनों की वृद्धि दर में गिरावट आई थी (सारणी IV.35)।

4.80 टियर I सीआरएआर 4.5 प्रतिशत की वर्तमान निर्धारित अपेक्षा और रिजर्व बैंक द्वारा 27 अप्रैल 2007 को जारी बासेल II लागू करने के अंतिम दिशानिर्देशों में निर्धारित 6.0 प्रतिशत के मानदंड से भी अधिक बना रहा। जैसा कि चार्ट IV.19 से स्पष्ट है, एससीबी के टियर I सीआरएआर और टियर II सीआरएआर में घट-बढ़ एक-दूसरे की अनुपूरक रही है जिससे सीआरएआर को निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों से काफी ऊपर बनाए रखने में आसानी हुई। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, टियर I सीआरएआर में हुई थोड़ी गिरावट (पिछले वर्ष के 9.1 प्रतिशत से मार्च 2009 के अंत में 8.9 प्रतिशत) की तुलना में टियर II सीआरएआर में वृद्धि (3.9 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत) अधिक थी जिससे समग्र रूप से सीआरएआर में वृद्धि हुई और यह 13.0 प्रतिशत से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.15)।

4.81 2008-09 के दौरान, प्रमुख बैंक समूहों का सीआरएआर स्थिर रहा या उसमें सुधार हुआ जिसका अपवाद सरकारी क्षेत्र के बैंक थे जिनके मामले में थोड़ी गिरावट हुई थी। पीएसई के सीआरएआर में गिरावट मुख्यतः एसबीआई समूह और उसके सहयोगियों के कारण आई थी। वस्तुतः, अकेले पीएसबी समूह का सीआरएआर ही औद्योगिक-औसत से नीचे था जबकि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों, निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में यह औद्योगिक-औसत से ऊपर था (सारणी IV.36)।

बॉक्स IV.2: उचित मूल्य लेखांकन - मुद्दे और परिप्रेक्ष्य

लेखांकन में, उचित मूल्य किसी आस्ति (या देयता) के बाजार मूल्य के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसके लिए बाजार मूल्य का प्राथमिक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि आस्ति के लिए कोई भी अनुमानित बाजार नहीं है। यूएस सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) (एफएएस 157) के तहत, आस्ति का उचित मूल्य वह राशि होती है जिस पर परिसमापनाधीन से भिन्न इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में आस्ति का क्रय या विक्रय किया जा सकता है। तुलनपत्र के दूसरे पक्ष में, किसी देयता का उचित मूल्य वह राशि होती है जिस पर परिसमापनाधीन से भिन्न इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में देयता ली या निपटाई जा सकती है। यदि उपलब्ध हो, तो किसी सक्रिय बाजार में निर्दिष्ट बाजार मूल्य उचित मूल्य की सर्वोत्तम साक्ष्य होती है और इसे माप के लिए आधार के रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिए। यदि निर्दिष्ट बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो उचित मूल्य के अनुमान में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करना चाहिए, हालांकि इससे विस्तार का घटक सामने आता है। उचित मूल्य लेखांकन (एफवीए) जीएएपी का 1990 के दशक के प्रारंभ से ही एक भाग रहने के बावजूद पिछले दशक से उचित मूल्य माप की लगातार वृद्धि हुई है जो कि प्राथमिक रूप से प्रासंगिक और समय पर वित्तीय विवरणों के लिए निवेशकों की मांग के प्रतिसाद में थी जो बेहतर सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायक होती है।

उचित मूल्य माप और संबंधित प्रकटीकरण में संगतता और तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए एफएएस 157 आस्तियों या देयताओं के लिए उचित मूल्य क्रम स्थापित करता है जो मूल्यांकन तकनीक में प्रयोग में लाई गई निविष्टि या धारणाओं की प्राथमिकता तय करता है। इस प्रकार, स्तर एक पर निर्दिष्ट मूल्यों के साथ चलनिधियुक्त आस्तियां, जैसे कि चलनिधियुक्त प्रतिभूति निविष्टि बनती है। दूसरे स्तर पर, मूल्यांकन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाजार दृष्टिगोचरों पर आधारित होता है। दृष्टिगोचर बाजार निविष्टि में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं: एक जैसी आस्तियों के लिए निर्दिष्ट मूल्य, ब्याज दर, आय वक्र, ऋण विस्तार, पूर्वचुकोती की गति, आदि। तीसरे स्तर में, मूल्यांकन संस्था के आंतरिक मूल्यांकन मॉडल जैसी गैर-दृष्टिगोचर धारणा पर आधारित होता है। यह पद्धति विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब बाह्य जानकारी प्राप्त करने की लागत और प्रयास बहुत अधिक हो।

मानक निर्धारकों ने उचित मूल्य लेखांकन पद्धतियों में विस्तार के लिए हाल के समय में अनेक उपाय किए हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों और विशेष रूप से जी 20 में की गई चर्चा के आधार पर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएएसबी) ने मई 2009 में उचित मूल्य माप पर संवेदनशील मानक के लिए एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रकाशित किया है।

उचित मूल्य लेखांकन की धारणा आर्थिक संकट के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आस्तियों के लिए बाजार दुर्बल हो जाते हैं और व्यापार भी तुलनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। ऐसे दौर में, ऐसे उत्पादों के लिए यदि कोई क्रेता हो तो वे बहुत कम होते हैं जिससे मार्किंग प्रक्रिया

जटिल हो जाती है। हाल के वित्तीय संकट से उचित मूल्य लेखांकन (एफवीए) के पक्ष-विपक्ष पर गंभीर चर्चा प्रारंभ हुई। एक गहन विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि वित्तीय बाजारों में हुई उथल-पुथल का कारण एफवीए नहीं हो सकता। बल्कि, अधिकतर विवाद इस बात की स्पष्टता से उत्पन्न होते हैं कि एफवीए में नया या भिन्न क्या है। दूसरा, जहां वित्तीय संकट के समय में मार्किंग टू मार्केट (या शुद्ध एफवीए) संबंधी उचित चिंता है, वहीं यह अधिक स्पष्ट नहीं है कि ये एफवीए पर लागू होंगे या नहीं जैसा कि लेखांकन मानकों द्वारा निर्धारित है, फिर भले ही यह कार्य आइएफआरएस या यूएस जीएएपी द्वारा किया गया हो। तीसरा, ऐतिहासिक लागत लेखांकन उपाय नहीं हो सकती क्योंकि इसके संबंध में भी बहुत सी चिंताएं हैं और ये समस्याएं एफवीए संबंधी समस्याओं से अधिक हो सकती हैं। चौथा, माना कि एफवीए मानकों को दोष देना कठिन है फिर भी कार्यान्वयन के मामले, विशेष रूप से विवाद संबंधी, चिंता का विषय है।

लेखांकन नियम, जिनके लिए आस्तियां और देयताएं उचित मूल्य में धारित की जाती हैं, जटिल हैं। वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए आस्तियों की कुछ श्रेणियां डेरिवेटिव और लेनदेन योग्य इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे उचित मूल्य में करने की आवश्यकता है। ऋण प्राप्यता और ऋण प्रतिभूतियों जैसी अन्य प्रकार की आस्तियों के लिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आस्तियां व्यापार के लिए (सक्रिय क्रय और विक्रय) या दीर्घावधि/अवधिपूर्णाता तक धारित हैं। बैंकों द्वारा एफवीओ का प्रयोग कुछ पर्यवेक्षणीय चिंताओं को बढ़ाता है। एक महत्वपूर्ण चिंता अचलनिधि युक्त वित्तीय लिखतों के लिए माप के रूप में उचित मूल्य बढ़ाने से संबंधित है जिसके लिए दृष्टिगोचर बाजार मूल्य नहीं है। बैंकों को उनकी अपनी धारणाएं प्रयोग करने की अनुमति देते समय ब्याज दर, चूक की दर, पूर्व-भुगतान की गति आदि जैसे बाजार के आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

अनेक चर्चाओं के बावजूद, एक सामान्य सहमति है कि बाजार में अचलनिधि की अस्थायी स्थिति को दूर करने के लिए उचित मूल्य लेखांकन की स्थिति विपरीत नहीं होनी चाहिए।


भारतीय लेखांकन मानक सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप ही हैं, हालांकि इनमें कुछ भिन्नता भी है। भारत में, हमने अब तक मार्किंग-टू-मार्केट की अपेक्षा को पूर्णतः नहीं अपनाया है जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों में उपलब्ध है। भारतीय मानक तुलनात्मक रूप से परंपरागत हैं और लाभ और हानि लेखे या इक्विटी में वसूल न हुए लाभ को मान्यता नहीं देना चाहते, यद्यपि वसूली न हो सकी हानियों को हिसाब में लेना अपेक्षित है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएएस) श्रेणियों में मार्क-टू-मार्केट निवेश आवधिक अंतराल पर, संविभागीय आधार पर किए जाएं और निवल हानि के लिए प्रावधान किए जाएं और निवल आय को नजरअंदाज किया जाए। यह स्थिरीकरण कारक के रूप में सिद्ध हो चुका है, जहां तक इससे प्रोत्साहन संरचना में असंतुलन न आया हो और साथ ही यह कम प्र-चक्रिय भी सिद्ध हो चुका है।

सारणी IV.35: अनुसूचित वाणिज्य बैंक - घटकवार सीआरएआर
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)			
मद / मार्च अंत	2007	2008	2009
1	2	3	4
अ. पूंजीगत निधियां (i+ii)	2,96,191	4,06,835	4,88,653
i) टियर I पूंजी	2,00,386	2,83,339	3,31,513
जिसमें से:			
प्रदत्त पूंजी	29,462	41,178	46,339
आरक्षित निधियाँ	1,64,077	2,40,248	2,55,793
अनाबंटित / विप्रेषणीय अधिशेष	20,387	23,846	53,336
टियर I पूंजी के लिए कटौतियाँ	13,662	21,933	19,576
ii) टियर II पूंजी	95,794	1,23,496	1,57,141
जिसमें से: बढ़ाकृत गौण ऋण	63,834	73,297	86,396
आ. जोखिम भारत आस्तियां	24,12,236	31,28,093	37,05,166
जिसमें से:			
जोखिम भारत ऋण और अग्रिम	17,17,810	21,66,234	25,67,787
इ. सीआरएआर	12.3	13.0	13.2
(ख के प्रतिशत के रूप में क)			
जिसमें से:			
टियर I	8.3	9.1	8.9
टियर II	4.0	3.9	4.2

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

4.82 भारत स्थित पांच सबसे बड़े एससीबी के बीच, आइसीआइसीआई बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों के मामले




में 2008-09 के दौरान गिरावट देखी गई, हालांकि उनका सीआरएआर तब भी 9 प्रतिशत के विवेकसम्मत मानदंड से काफी ऊपर था। यह महत्वपूर्ण है कि इन बैंकों में से प्रत्येक के सीआरएआर में कुछ गिरावट आने के बावजूद उनकी टियर I पूंजी और साथ ही टियर II पूंजी में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। इस प्रकार, सीआरएआर में गिरावट वित्तीय बाजारों में विद्यमान उच्च अनिश्चितता के संदर्भ में इन बैंकों की आस्तियों को दिए गए उच्च जोखिम भारों को ही दर्शाती है और यह विनियामक चिंता की बात नहीं है (चार्ट IV.16)।

सारणी IV.36: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

बैंक समूह	(प्रतिशत)									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11.4	12.0	12.7	12.9	12.8	12.3	12.3	13.0	13.2	
सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.2	11.8	12.6	13.2	12.9	12.2	12.4	12.5	12.3	
राष्ट्रीयकृत बैंक	10.2	10.9	12.2	13.1	13.2	12.3	12.4	12.1	12.1	
एसबीआई समूह	12.7	13.3	13.4	13.4	12.4	11.9	12.3	13.2	12.7	
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.9	12.5	12.8	13.7	12.5	11.7	12.1	14.1	14.3	
निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.5	12.3	11.3	10.2	12.1	12.6	12.0	14.4	15.1	
विदेशी बैंक	12.6	12.9	15.2	15.0	14.0	13.0	12.4	13.1	15.1	

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।



4.83 पहले उल्लेख किए अनुसार, सीआरएआर में सुधार इस बात का एक प्रमुख संकेतक है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है। वयक्तिक बैंक स्तर पर, मार्च 2009 के अंत में सभी एससीबी का सीआरएआर 9 प्रतिशत की निर्धारित अपेक्षा से अधिक था। 78 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से ऊपर था और मात्र एक बैंक का 9 से 10 प्रतिशत के दायरे में था (सारणी IV.37)।

4.84 भारत स्थित एससीबी ने बासेल II संरचना में उपलब्ध सामान्य दृष्टिकोण अपनाया है। इससे बैंकों की विनियामक पूंजी उनकी आर्थिक पूंजी के अनुरूप होने में मदद मिलेगी और उससे उनकी पूंजीगत क्षमता में वृद्धि होगी (बॉक्स IV.3)।

6. पूंजी बाजार में बैंकों के परिचालन

बैंकों द्वारा प्राथमिक पूंजी बाजार से जुटाए गए संसाधन

4.85 2008-09 के दौरान एससीबी ने प्राथमिक बाजार से संसाधन नहीं जुटाए जबकि पिछले वर्ष उन्होंने 29,955 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसका मुख्य कारण भारतीय पूंजी बाजार के प्राथमिक घटक में चलनिधि का अभाव कहा जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश मांग को रोकना तथा गौण बाजार का मंद निष्पादन कहा जा सकता है। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त निधि भी वह महत्वपूर्ण कारण हो सकती है जिससे बैंकों ने प्राथमिक पूंजी बाजार से संसाधन नहीं जुटाए (सारणी IV.38)।

4.86 बैंकों ने निजी स्थान बाजार में ऋण निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने को तरजीह दी जो 2008-09 के दौरान 34.6 प्रतिशत बढ़ा (सारणी IV.39)।

सारणी IV.37: सीआरएआर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2007-08			2008-09		
	9 प्रतिशत से कम	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	9 प्रतिशत से कम	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीयकृत बैंक*	-	-	20	-	1	19
स्टेट बैंक समूह	-	-	8	-	-	7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	-	1	14	-	-	15
निजी क्षेत्र के नए बैंक	-	-	8	-	-	7
विदेशी बैंक	-	1	27	-	-	30
कुल	-	2	77	-	1	78

- : शून्य / नगण्य।
* : आइसीबीआइ बैंक लिमिटेड के आंकड़े शामिल हैं।
स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

बॉक्स IV.3: बासेल I और बासेल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता: भारतीय अनुभव

पारंपरिक रूप से, बैंक दिवालियेपन और चल आस्तियों-नकदी और प्रतिभूतियों-के संबंध में सुरक्षा के रूप में पूंजी रखते हैं ताकि जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के अनपेक्षित आह्वानों के समय स्थिति अनुकूल बनी रहे (सेडनबर्ग और स्ट्राहन, 1999)। बैंकों के विनियमन का पारंपरिक दृष्टिकोण पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा की सकारात्मक विशेषताओं पर बल देता है (दिवात्रीपांट और तिरोले, 1994)। दूसरी ओर, यह तर्क दिया जाता है कि पूंजी अपेक्षाओं से जोखिम उठाने का व्यवहार बढ़ सकता है। यदि इक्विटी पूंजी जमाराशि से अधिक महंगी है तो जोखिम-आधारित पूंजी अपेक्षाओं में वृद्धि की जांच करके उधार देने की बैंकों की इच्छा कम हो सकती है (ठाकोर, 1996)। यह भी पाया गया है कि पूंजी अपेक्षाएं बढ़ाने से बैंकों पर कम जमाराशि की आपूर्ति का दबाव आता है जिससे बैंकों की चलनिधि उपलब्ध कराने की भूमिका घटती है। इस पक्ष-विपक्ष को देखते हुए, अब यह तर्क दिया जाता है कि पूंजी, जिसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जोखिम प्रोफाइल और परिचालन माहौल से संगत होनी चाहिए। बासेल II ढांचा इस दिशा में एक कदम है क्योंकि इन मानदंडों का उद्देश्य न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को बैंकों की निहित जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप लाना है।

बासेल I ढांचा बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तक सीमित था और मुख्यतः ऋण जोखिम पर केंद्रित था। दूसरी ओर, बासेल II ढांचा इस दृष्टिकोण को बढ़ाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी अपेक्षा का व्यापक रूप से नई, जोखिम-पर्याप्तता गणना शामिल है जिसमें (पहली बार) स्पष्ट रूप से बाजार और ऋण जोखिम के अलावा परिचालनात्मक जोखिम भी शामिल है। जहां बासेल I में उधारदाता से यह अपेक्षित था कि वे प्रत्येक आस्ति श्रेणियों की सीमित संख्या के लिए एकल जोखिम भार के आधार पर पूंजी के न्यूनतम स्तर की गणना करें, वहीं बासेल II के तहत पूंजी अपेक्षाएं अधिक जोखिम-संवेदनशील हैं। बासेल II पूंजी पर्याप्तता नियम 'मेनू' दृष्टिकोण पर आधारित है जो बैंकों के स्वरूप और बाजारों के स्वरूप, जिनमें वे कार्य करते हैं, के संबंध में दृष्टिकोणों में अंतर की अनुमति देता है। इस प्रकार, बासेल II के निर्धारण पूंजी पर्याप्तता से पूंजी दक्षता में अंतरित हुए हैं जिसका अर्थ यह है कि बैंक पूंजी के उपयोग में अधिक सक्रिय रुख अपनाते हैं जिसमें पूंजी अपने अधिकतम दक्ष उपयोग में तुरंत प्रवाहित हो जाएगी। बासेल II के ये घटक विनियामक ढांचे को अनेक बड़े बैंकों में अपनाए गए व्यवसाय मॉडलों के करीब ले जाते हैं।

भारत स्थित सभी एससीबी ने मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार संशोधित ढांचे के तहत अपनी पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी-जोखिम भारांकित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखें। रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक के संबंधित जोखिम कारक और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन हिसाब में लेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा धारित पूंजी उसकी समग्र जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है। इसमें अन्य के साथ ही बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, संकेद्रन जोखिम और अवशिष्ट जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन/माप, निगरानी और प्रबंधन में बैंक की जोखिम प्रबंधन का कौशल शामिल होगा। तदनुसार, रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक की संबंधित जोखिम प्रोफाइल और उनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर पिलर 2 ढांचे के तहत प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी अनुपात का उच्चतर स्तर निर्धारित करने पर विचार करेगा। इसके अलावा, नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे की पिलर 2 अपेक्षाओं के संदर्भ में बैंकों से अपेक्षित है कि वे न्यूनतम अपेक्षाओं से उचित ऊंचाई के स्तर पर परिचालन करें।

इसके अलावा, संशोधित ढांचा लागू करने पर बैंकों द्वारा बनाए रखी गई न्यूनतम पूंजी विवेकसम्मत स्तर की शर्त पर होगी जो निम्नलिखित राशि से अधिक होगी:

क) संशोधित ढांचे के अनुसार बनाए रखने हेतु अपेक्षित न्यूनतम पूंजी; ख) ऋण और बाजार जोखिमों के लिए बासेल I के अनुसार बनाए रखने हेतु अपेक्षित न्यूनतम पूंजी का विनिर्दिष्ट प्रतिशत। यह विनिर्दिष्ट प्रतिशत सारणी 1 में दर्शाए अनुसार क्रमिक रूप से कम होता जाएगा।

सारणी 1: विवेकसम्मत स्तर

को समाप्त वित्तीय वर्ष*	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011
	विवेकसम्मत स्तर (ऋण और बाजार जोखिमों के लिए चालू (बासेल I) ढांचे के अनुसार गणना की गई न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के % के रूप में)	100	90

*: 31 मार्च 2009 से संशोधित ढांचे को लागू करने वाले बैंकों के लिए संगत अवधि मार्च 2009, मार्च 2010 और मार्च 2011 होगी।

बासेल I और बासेल II पर आधारित बैंक वार सीआरएआर के आंकड़े उपलब्ध हैं और परिशिष्ट IV.31 में दिए गए हैं। 80 बैंकों में से बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया और सोनाली बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों ने बासेल II के अंतर्गत सीआरएआर की सूचना दी है और 14 बैंकों ने बासेल II के अंतर्गत सीआरएआर की सूचना नहीं दी। बासेल I और बासेल II दोनों के अंतर्गत सीआरएआर की सूचना देने वाले 64 बैंकों के आंकड़ों पर आधारित बारंबारता संवितरण से पता चलता है कि सीआरएआर का मानक दायरा 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है (सारणी 2)।

बैंक समूहवार विश्लेषण से पता चलता है कि 2008-09 के लिए भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के संबंध में बासेल II के तहत सीआरएआर बासेल I की तुलना में अधिक था। अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में भी यही प्रवृत्ति देखी गई। दूसरी ओर, विदेशी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने बासेल II की तुलना में बासेल I के तहत अधिक सीआरएआर की सूचना दी। किंतु, निजी क्षेत्र के बैंकों ने मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाई (परिशिष्ट IV.31)।

सारणी 2: बैंकों का सीआरएआर पर आधारित वितरण

सीआरएआर (%)	31 मार्च 2009 को बैंकों की संख्या					
	बासेल I			बासेल II		
	भारतीय	विदेशी	कुल	भारतीय	विदेशी	कुल
9-12	12	0	12	6	0	6
12-15 (मॉडल रेंज)	26	4	30	29	4	33
15-18	2	2	4	5	4	9
18-21	2	2	4	2	0	2
21-24	1	0	1	1	1	2
24-27	0	0	0	0	3	3
27-30	0	2	2	0	0	0
30-33	0	2	2	0	0	0
33 और अधिक	1	8	9	1	8	9
कुल	44	20	64	44	20	64

संदर्भ:

दिवात्रीपांट, एम. एंड जे.तिरोले, 1994. दि प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। कैम्ब्रिज: एमएएमआइटी प्रेस, एलिजाल्दे, ए. और आर. रेपुलो, 2006. "इकॉनॉमिक एंड रेगुलेटरी कैपिटल इन बैंकिंग: वाट इज द डिफरेंस?"। सीईपीआर डिसकसन पेपर, 4770.

सेडनबर्ग, एम. और पी.स्ट्राहन. 1999. "आर बैंक्स इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंसिंग लार्ज बिजनेसेस?" करंट इश्यूज इन इकॉनॉमिक्स एंड फाइनेंस, 5(12)।

ठाकोर, ए. 1996. "कैपिटल रिक्वायरमेंट, मॉनिटरी पॉलिसी एंड एग्रिगेट बैंक लेंडिंग: थ्योरी एंड एविडेंस"। जर्नल ऑफ फाइनेंस, 51:279-324.

सारणी IV.38: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		सकल जोड़
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
2004-05	3,336	-	4,108	1,478	7,444	1,478	8,922
2005-06	5,413	-	5,654	-	11,067	-	11,067
2006-07	7,82	-	284	-	1,066	-	1,066
2007-08	17,552	-	12,403	500	29,955	500	30,455
2008-09	-	-	-	-	-	-	-

- : कुछ नहीं / नगण्य।

सारणी IV.39: बैंकों द्वारा निजी स्थानन के जरिए जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए)

श्रेणी	2007-08		2008-09	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	10	2,090	13	6,967
सरकारी क्षेत्र के बैंक	58	24,109	52	28,304
कुल	68	26,199	65	35,271

स्रोत : मर्चेन्ट बैंकर्स और वित्तीय संस्थाएं।

गौण बाजार में बैंकिंग शेयरों का कार्य-निष्पादन

4.87 भारत में देशी शेयर बाजार, जिसमें 2003-04 से तेजी की स्थिति थी, में वैश्विक वित्तीय संकट के चलते 2008-09 के दौरान भारी हानि देखी गई। बीएसई सेंसेक्स में 2008-09 के दौरान 37.9 प्रतिशत की गिरावट हुई। बीएसई बैंकेक्स में 2008-09 के दौरान 41.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जो कि बीएसई सेंसेक्स की तुलना में अधिक थी।

4.88 2008-09 के दौरान बीएसई बैंकेक्स में घट-बढ़ (घट-बढ़ के सहगुणांक द्वारा मापे अनुसार) (23.8 प्रतिशत) बीएसई सेंसेक्स (24.2 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ी ही कम थी (सारणी IV.40)।

4.89 2009-10 में अब तक, बीएसई बैंकेक्स ने बीएसई सेंसेक्स की तुलना में तेज सुधार दर्शाया, हालांकि बीएसई सेंसेक्स की तुलना में उसमें घट-बढ़ भी अधिक हुई थी।

4.90 समग्र प्रवृत्ति के अनुरूप, बीएसई में सूचीबद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर अन्य सभी बैंकों के शेयरों में वर्ष के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति रही। मूल्यों में गिरावट की यह प्रवृत्ति बैंक शेयरों के मूल्य अर्जन (पी/ई) अनुपातों में भी दिखी। यह उल्लेखनीय है कि औसतन निजी क्षेत्र के बैंकों के पी/ई अनुपातों में गिरावट सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक थी। इसका आंशिक कारण यह तथ्य था कि निजी क्षेत्र के बैंकों, जिनका मूल्यांकन 2007-08 के दौरान अधिक था, ने 2008-09 के दौरान

सारणी IV.40: बैंक स्टॉक का कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ

सूचकांक	प्रतिलाभ*			अस्थिरता@		
	2007-08	2008-09	2009-10#	2007-08	2008-09	2009-10#
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई बैंकेक्स	18.0	-41.8	119.5	13.8	23.8	15.6
बीएसई सेंसेक्स	19.7	-37.9	76.4	12.0	24.2	12.5

* : अंक-दर-अंक आधार पर सूचकांकों में प्रतिशत अंतर।

@ : अंतर के सहगुणांक के रूप में परिभाषित।

: सितंबर 2009 के अंत तक।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

**सारणी IV.41: बैंक स्टाक का संबंधित अंश -
टर्नओवर तथा बाजार पूंजीकरण**

(प्रतिशत)

वर्ष	कुल टर्नओवर में बैंक स्टाक के टर्नओवर का अंश	कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टाक के पूंजीकरण का अंश*
1	2	3
2005-06	6.8	7.1
2006-07	5.3	6.8
2007-08	6.6	7.2
2008-09	12.3	7.7

* : अवधि के अंत में।

टिप्पणी: बैंकों के टर्नओवर और बाजार पूंजीकरण के आंकड़े एनएसई के बैंक निफ्टी सूचकांक से संबंधित हैं।

स्रोत: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में शेयर मूल्यों में अधिक गिरावट देखी (परिशिष्ट सारणी IV.32)।

4.91 बैंक के शेयर भारतीय इक्विटी बाजार के बाजार पूंजीकरण के लगातार 7 प्रतिशत भाग बने रहे। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, एनएसई के कुल पण्यवर्त में बैंकिंग शेयरों का हिस्सा 2008-09 के दौरान लगभग दुगुना हो गया (सारणी IV.41)।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारिता का स्वरूप

4.92 घोषित नीति के अनुरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी शेयर धारिता 51 प्रतिशत के स्तर से अधिक बनी रही। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निजी शेयर धारिता का स्वरूप, जिसमें निवासी और अनिवासी वित्तीय संस्थाओं, निवासी और अनिवासी कंपनियों

**सारणी IV.42: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयरधारिता*
(मार्च के अंत में)**

श्रेणी	2008	2009
1	2	3
10 प्रतिशत तक	2	2
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	2	2
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	3	2
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	3	4
40 से ऊपर तथा 49 प्रतिशत तक	11	11
- : शून्य/ नगण्य		
* : 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआई लि. को मिलाकर।		

तथा निवासी और अनिवासी व्यक्तियों की शेयर धारिता शामिल होती हैं, यूको बैंक को छोड़कर अन्य के संबंध में पिछले वर्ष जैसा ही बना रहा। पूंजी पुनर्निर्धारण की सरकारी पहलों के कारण यूको बैंक में सरकार की शेयर धारिता कम होकर 63.6 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले वर्ष 75.0 प्रतिशत थी (सारणी IV.42 और परिशिष्ट सारणी IV.33)।

4.93 भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, में विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफआइआइ) की शेयर धारिता की प्रवृत्ति मिश्रित स्वरूप की थी। वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में एफआइआइ की शेयर धारिता में गिरावट सामान्य रूप से शेयर बाजार में और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में मंद स्थिति और संविभागीय प्रवाहों के निवल बहिर्वाह दर्शाती है (सारणी IV.43)।

**सारणी IV.43: भारतीय बैंकों में विदेशी वित्तीय संस्थाओं (अनिवासी) की शेयरधारिता
(मार्च के अंत में)**

(बैंकों की संख्या)

श्रेणी	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
कुछ नहीं	12	11	2	2	7	7
10 प्रतिशत तक	3	8	-	-	-	-
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	13	8	1	1	2	2
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	-	-	2	1	3	3
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	-	-	1	2	1	3
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	-	-	1	-	1	-
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	-	-	-	-	1	-
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	-	-	1	1	-	-
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	-	-	-	-	-	-
कुल	28	27	8	7	15	15

7. बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

4.94 व्यापक होती जा रही बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रिज़र्व बैंक ने काफी समय से ध्यान केंद्रित किया है। भारत स्थित बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का उपयोग न केवल अपने आंतरिक कार्यों में सुधार लाने के लिए, बल्कि ग्राहक सुविधाएं और सेवाएं बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से बैंकों के व्यापक ग्राहक आधार ने लेनदेनों की बढ़ी हुई मात्रा का सटीक और समय पर प्रबंध करना आसान कर दिया है। इसका एक गोचर परिणाम यह है कि बैंक अब विशेष रूप से बनाए गए, सरल, सुरक्षित और फिर भी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रस्तुत करके बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन का कार्य शुरू करके देश की अब तक बैंकिंग से वंचित रही जनसंख्या को सेवा देने का लक्ष्य बना रहे हैं।

4.95 वर्ष के दौरान, समाशोधन आंकड़ों का प्रसारण - चेक समाशोधन और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा दोनों के लिए, समन्वित मुद्रा तिजोरी परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) के एक भाग के रूप में निविष्टियों का मिलान करने के लिए सिक्नोर्ड वेबसाइट का उपयोग किया गया। लेखांकन अपेक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की अपेक्षाओं की प्रोसेस की वर्तमान आइटी प्रणाली को केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस) से प्रतिस्थापित किया गया जो पहले वाली प्रणाली से अधिक मजबूत और यूजर फ्रेंडली है।

4.96 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्राथमिक दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में नीलामी प्रक्रिया को सुगम और तेज बनाने के लिए भारिबैं की ओर से भारतीय समाशोधन निगम द्वारा विकसित और उनके पास रखा गया तयशुदा लेनदेन प्रणाली नीलामी माड्यूल का नया रूप 11 मई 2009 को शुरू किया गया। नीलामी के इस नए मंच ने भारिबैं में रखे गए पीडीओ एनडीएस अप्लिकेशन के तहत उपलब्ध नीलामी मंच का स्थान लिया।

4.97 भारत में बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्राधिकारी अर्थात् आइडीआरबीटी ने 1,20,000 डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जिससे

बैंक आरटीजीएस, सीएफएमएस, कारपोरेट ई-मेल, एसएफएमएस, इंटरनेट बैंकिंग वेब सर्वर, ओएलटीएस और सीसीआइएल सेटलमेंट अप्लिकेशन आदि को परिचालित करते हुए सुरक्षित माहौल में कार्य कर सकें। 133 पंजीयन प्राधिकारी (आरओ) हैं जो सरकारी क्षेत्र के 33 बैंकों, निजी क्षेत्र के 31 बैंकों और 5 वित्तीय संस्थाओं को कवर करते हैं जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के लिए निर्मित 16 पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय शामिल हैं। आइडीआरबीटी उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय के रूप में कार्य करता है जिनके पास आरए संरचना नहीं है।

4.98 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मिली एक मुख्य सफलता यह थी कि कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) उपलब्ध कराने वाली शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई। सीबीएस लागू करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 31 मार्च 2008 के 35,464 से बढ़कर 31 मार्च 2009 को 44,304 हो गई। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया, जो सभी प्रौद्योगिकीय पहलों का आरंभ है, पूरी होने के निकट है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कंप्यूटरीकरण तथा संचार नेटवर्क के विकास पर बड़े पैमाने पर धन खर्च करना जारी रखा। वस्तुतः, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटरीकरण पर व्यय की गई राशि की वृद्धि दर 2007-08 में कुछ कम हो गई थी जो कि 2008-09 के दौरान तेजी से बढ़ गई। सितंबर 1999 से मार्च 2009 के बीच व्यय की गई कुल राशि 18,168 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि थी (परिशिष्ट सारणी IV.34)। पिछले वर्ष देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, कुल शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराने वाली शाखाओं की संख्या 2008-09 के दौरान तेजी से बढ़ी (सारणी IV.44)।

4.99 पूरी तरह कंप्यूटरीकरण करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का अनुपात मार्च 2008 के अंत के 93.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 95.0 प्रतिशत हो गया। बैंकों द्वारा उच्च लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास जारी हैं और बहुत से बैंक '90 प्रतिशत से अधिक किंतु 100 प्रतिशत से कम' की श्रेणी में पहुंच गए हैं (परिशिष्ट सारणी IV.35)।

सारणी IV.44: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण
(मार्च के अंत में)


(कुल बैंक शाखाओं का प्रतिशत)

श्रेणी	2008	2009
1	2	3
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं (i+ii)	93.7	95.0
i) कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाएं	67.0	79.4
ii) पहले से ही पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं#	26.6	15.6
अंशतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं	6.3	5.0

: कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाओं से भिन्न।

4.100 2008-09 के दौरान, बैंकों द्वारा स्थापित कुल एटीएम में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें एसबीआइ समूह के एटीएम की संख्या में 34.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई थी। जहां निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की संख्या उनकी शाखाओं की संख्या से 3 गुना से भी अधिक थी वहीं अन्य बैंक समूहों का एटीएम-शाखा अनुपात काफी कम था (सारणी IV.45, परिशिष्ट सारणी IV.36)।

4.101 मार्च 2009 के अंत तक देश में स्थापित सभी एटीएम में से निजी क्षेत्र के नए बैंकों के ऑफ-साइट एटीएम की संख्या सबसे अधिक थी जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऑन-साइट एटीएम की संख्या सबसे अधिक थी (चार्ट IV.17)।



4.102 हाल के वर्षों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के प्रयोग में कई गुना इजाफा हुआ है जो आंशिक रूप से यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी अपनाते में वृद्धि हुई है। किंतु, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से किए गए लेनदेनों की संख्या 2007-08 के 41.4 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 में 24.8 प्रतिशत रह गई (सारणी IV.46)। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से किए गए लेनदेनों के मूल्य में 2008-09 के दौरान तेज गिरावट हुई जो आंशिक रूप से यह दर्शाती है कि आर्थिक गतिविधियों में मंदी की स्थिति थी। इस पूरी गिरावट का कारण ईसीएस क्रेडिट संबंधी लेनदेन के मूल्य में 87.5 प्रतिशत गिरावट आना

सारणी IV.45: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम
(मार्च 2009 के अंत में)

बैंक समूह	बैंक /शाखाओं की संख्या					एटीएम की संख्या			कुल एटीएम के प्रतिशत के रूप में परोक्ष एटीएम	शाखाओं के प्रतिशत रूप में एटीएम
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	प्रत्यक्ष	परोक्ष	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i) राष्ट्रीयकृत बैंक	13,381	8,669	8,951	8,375	39,376	10,233	5,705	15,938	35.8	40.2
ii) स्टेट बैंक समूह	5,560	4,835	3,043	2,624	16,062	7,146	4,193	11,339	37.0	29.0
iii) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	842	1,554	1,344	933	4,673	1,830	844	2,674	31.6	56.9
iv) निजी क्षेत्र के नए बैंक	271	1,084	1,371	1,478	4,204	5,166	7,480	12,646	59.2	296.6
v) विदेशी बैंक	4	4	52	233	293	270	784	1,054	74.4	357.3
जोड़ (i से v)	20,058	16,146	14,761	13,643	64,608	24,645	19,006	43,651	43.5	67.0

सारणी IV.46: फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेनदेन

प्रकार	लेनदेनों की संख्या (000 में)			लेनदेनों में वृद्धि (प्रतिशत)		लेनदेनों का मूल्य (रुपए करोड़ में)			मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत)	
	2006-07	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ईसीएस जमा	69,019	78,365	88,394	13.5	12.8	83,273	7,82,222	97,487	839.3	-87.5
2. ईसीएस नामे	75,202	1,27,120	1,60,055	69.0	25.9	25,441	48,937	66,976	92.3	36.9
3. ईएफटी/ एनएफटी	4,776	13,315	32,161	178.8	141.5	77,446	1,40,326	2,51,956	81.2	79.6
4. क्रेडिट कार्ड	1,69,536	2,28,203	2,59,561	34.6	13.7	41,361	57,984	65,356	40.2	12.7
5. डेबिट कार्ड	60,177	88,306	1,27,654	46.7	44.6	8,172	12,521	18,547	53.2	48.1
कुल	3,78,710	5,35,309	6,67,825	41.4	24.8	2,35,693	10,41,990	5,00,322	342.1	-52.0


था। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि 2007-08 के दौरान ईसीएस क्रेडिट के मूल्य में तेज वृद्धि का मुख्य कारण स्टॉक एक्सचेंजों की अनिवार्यता के अनुसार कंपनियों द्वारा उनके आइपीओ के अभिदान की अतिरिक्त राशि लौटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना था। अतः, 2008-09 के दौरान ईसीएस क्रेडिट के मूल्य में गिरावट को चिंता के विषय के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य प्रवृत्ति की वापसी के रूप में देखा जा सकता है।



4.103 2008-09 के दौरान ईसीएस क्रेडिट और विशेष रूप से ईसीएस डेबिट पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के अनुरूप लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते रहे [चार्ट IV.18(क) और IV.18(ख)]।

4.104 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) सरकारी प्रतिभूति समाशोधन तथा

विदेशी मुद्रा समाशोधन शामिल हैं। आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 में इसे प्रचलन में लाए जाने के बाद से ही निर्बाध रूप से काम कर रही है। अगस्त 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, 107 सहभागी (96 बैंक, 8 प्राथमिक व्यापारी, रिजर्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा भारतीय समाशोधन निगम लि.) आरटीजीएस प्रणाली के सदस्य हैं। आरटीजीएस की पहुंच तथा उसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। बैंक / शाखा नेटवर्क कवरेज 10,000 से अधिक केंद्रों में बढ़कर 58,720 शाखाओं का हो गया है जिससे निधि अंतरण के इस माध्यम का प्रयोग बढ़ गया है। अगस्त 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, लगभग 1,200 बिलियन रुपए के लिए लेनदेनों का दैनिक औसत मूल्य 90,000 था जिसमें से लगभग 980 बिलियन रुपए के 82,000 लेनदेन ग्राहक लेनदेन से संबंधित थे (चार्ट IV.19)।

चार्ट IV.18: इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन





8. बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार

4.105 उचित मूल्ययुक्त और सुविधाजनक स्थल पर स्थित वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं किसी भी देश की वित्तीय समावेशन की पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैंकिंग का एकसमान क्षेत्रीय विस्तार भारत जैसे विशाल देश में इसकी क्षेत्रीय विविधता की विशेषता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बैंकिंग के क्षेत्रीय विस्तार पर ठोस आंकड़े प्राप्त होने की दृष्टि से आधारभूत सांख्यिकी विवरणी को विशेष रूप से बनाया गया है और वर्षों में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। यह डेटासेट देशभर के बैंकिंग परिचालनों की समग्र जानकारी उपलब्ध कराता है और इसलिए यह नीति निर्माण की दृष्टि से मूल्यवान और आवश्यक डेटासेट है।

4.106 एससीबी की शाखाओं की कुल संख्या मार्च 2009 के अंत में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी। समग्र संदर्भ में, बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्र में थी जो मुख्यतः रिजर्व बैंक का नीतिगत बल दर्शाती है। किंतु, दूसरी ओर, कुल में ग्रामीण शाखाओं के हिस्से में हाल के वर्षों में गिरावट हुई है जबकि शहरी और महानगरीय शाखाओं का हिस्सा बढ़ रहा है। सारणी IV.52

में दर्शाए अनुसार, बैंकों के लिए व्यवसाय का मुख्य भाग शीर्ष के सौ केंद्रों द्वारा अर्जित किया गया जो मुख्यतः शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में थे। एसबीआई समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में था। किंतु, विदेशी बैंकों की शाखाएं मुख्यतः शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में संकेंद्रित थीं और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति नगण्य थी (चार्ट IV.20 और परिशिष्ट सारणी IV.36)।

4.107 शीर्षस्थ सौ केंद्रों में कार्यालयों की कुल संख्या का लगभग एक चौथाई भाग था किंतु कुल जमाराशि का 70 प्रतिशत और कुल ऋण का 78.5 प्रतिशत उनके पास था। इससे यह बात पता चलती है कि जमाराशि जुटाने तथा ऋण के आबंटन में शीर्षस्थ सौ केंद्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है (सारणी IV.47)।


सारणी IV.47: कुल जमाराशियों तथा समग्र बैंक ऋण में शीर्ष के सौ केंद्रों का हिस्सा

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	जमाराशियां		ऋण	
	कार्यालय	राशि	कार्यालय	राशि
1	2	3	4	5
2008	25.7	69.7	25.6	77.8
2009	26.2	69.2	26.2	78.5

स्रोत: मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-7।

चार्ट IV.21: बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण




4.108 बैंक शाखाओं की संख्या की विस्तार दर 2007-08 के दौरान के 5.2 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 के दौरान 4.5 प्रतिशत रह गई। एक बैंक शाखा द्वारा सेवा प्राप्त करने वाली औसत आबादी जून 2008 के अंत की तुलना में जून 2009 के अंत में भी 15,000 पर अपरिवर्तित बनी रही (परिशिष्ट सारणी IV.37)। जारी प्रवृत्ति के अनुक्रम में, 2008-09 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा बैंक शाखाओं का सर्वाधिक प्रतिशत बना रहा जिसके बाद मध्य, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का स्थान था। 2008-09 के दौरान दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, वहीं पूर्वी क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई (चार्ट IV.21, परिशिष्ट सारणी IV.38)। जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान नई शाखाएं खोलने में दक्षिणी क्षेत्र (वृद्धिशील शाखाओं का 30.7 प्रतिशत) तथा मध्य क्षेत्र (वृद्धिशील शाखाओं का 19.8 प्रतिशत) सबसे आगे थे।।

4.109 क्षेत्रवार ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात क्षेत्र के विकास में क्षेत्रीय स्तर पर बैंकों की भूमिका के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन के आकलन को दर्शाने वाला संकेतक है। “ऋण-जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल” (अध्यक्ष: श्री वाइ.एस.पी.थोरात) (नवंबर 2004) ने सुझाव दिया था कि चूंकि ऋण-जमा अनुपात ने राज्यों के विकास में बैंकिंग प्रणाली के योगदान के वास्तविक

प्रयासों को दर्शाना चाहिए, अतः बैंकों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य स्तरीय उद्यमों के बांडों में किए गए निवेश को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। इस सिफारिश के अनुसरण में, सी-डी अनुपात के अलावा, निवेश प्लस ऋण-जमा अनुपात को भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा, चूंकि आरआइडीएफ बैंकों द्वारा राज्यों को दी गई संसाधन सहायता का प्रतिनिधित्व करता है, अतः यह महसूस किया गया कि निवेश प्लस ऋण प्लस आरआइडीएफ जमा अनुपात बैंकों के कार्य निष्पादन की बेहतर स्थिति प्रस्तुत करेगा⁹। इसके मद्देनजर, निवेश प्लस ऋण प्लस आरआइडीएफ जमा अनुपात के क्षेत्रवार आंकड़ों का संकलन और प्रसारण किया जा रहा है (परिशिष्ट IV.39)।

4.110 2007-08 के दौरान देखी गई प्रवृत्ति जारी रखते हुए, अखिल - भारतीय सी-डी अनुपात मार्च 2009 के अंत में और कम होकर 72.6 प्रतिशत रह गया। सी-डी अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के साथ ही निवेश प्लस ऋण-जमा अनुपात सभी क्षेत्रों के बीच दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक था, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र का स्थान था। यही प्रवृत्ति निवेश प्लस ऋण-जमा अनुपात के साथ ही निवेश प्लस ऋण प्लस आरआइडीएफ जमा अनुपात में भी देखी गई (चार्ट IV.22)।

⁹ आरआइडीएफ पर विस्तृत ब्योरे के लिए “अध्याय V: सहकारी बैंकिंग में गतिविधियां” देखें।



भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

4.111 जून 2009 के अंत में भारत में 32 विदेशी बैंक काम कर रहे थे जिनकी 293 शाखाएं थीं जबकि जून 2008 के अंत में 30 विदेशी बैंक काम कर रहे थे जिनकी 279 शाखाएं थीं। ये बैंक 23 अलग-अलग देशों के थे। इसके अलावा, भारत में 43 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से काम कर रहे थे। जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान की अवधि में चार मौजूदा विदेशी बैंकों को भारत में अपनी 12 शाखाएं तथा तीन नए विदेशी बैंकों (सीआइएमबी बैंक बर्हार्द, मलेशिया, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फर्स्ट रैंड बैंक लि.) में से प्रत्येक को भारत में अपनी पहली एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई है। इसी अवधि के दौरान, तीन विदेशी बैंकों (केएफडब्ल्यू-आइपीईएक्स बैंक जीएमबीएच, टोरोंटो डोमिनियन बैंक और डंकन लॉरी लि.) में से प्रत्येक को भारत में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। तीन विदेशी बैंकों, अर्थात् डीबीएस बैंक लि., डस्टच बैंक एजी और फर्स्ट रैंड बैंक लि. ने जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान कुल मिलाकर 12 शाखाएं खोली। इसके अलावा, दो विदेशी बैंकों, अर्थात् डीएनबी एनओआर बैंक और केएफडब्ल्यू-आइपीईएक्स बैंक

जीएमबीएच में से प्रत्येक ने इसी अवधि के दौरान एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला।

विदेश में भारतीय बैंकों का परिचालन

4.112 भारतीय बैंकों का विदेशों में विस्तार का क्रम जारी रहा। यद्यपि विदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा की उपस्थिति लगातार सर्वाधिक बनी रही, किंतु भारतीय स्टेट बैंक ने भी वर्ष के दौरान विदेश में अपने परिचालन बढ़ाकर यह अंतर कम किया (सारणी IV.48)। 2008-09 के दौरान, विदेशी शाखाओं की कुल आस्तियों में यूएसडी 6,570 मिलियन (10.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2009 को वे यूएसडी 67,129 मिलियन थीं। वर्ष के दौरान आस्तियों में वृद्धि में मुख्य योगदान ग्राहक ऋण में यूएसडी 5,988 मिलियन की वृद्धि का था। आस्तियों में वृद्धि का निधीयन मुख्यतः अंतर-शाखा उधार और ग्राहक जमा राशि से हुआ था जिसमें क्रमशः यूएसडी 2,906 मिलियन (121.8 प्रतिशत) और यूएसडी 2,107.44 मिलियन (10.4 प्रतिशत) की वृद्धि होकर 31 मार्च 2009 को वे यूएसडी 5,293 मिलियन और यूएसडी 2,2376 मिलियन थे।

9. ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश

4.113 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) कार्यालयों में वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के विरुद्ध आम जनता से शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। शिकायतकर्ता ई-मेल से, ऑनलाइन या डाक के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं। बीओ कार्यालयों द्वारा ये शिकायतें संबंधित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। 2008-09 के दौरान 15 बीओ कार्यालयों में 69,117 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जबकि पिछले वर्ष 47,887 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अधिकतम शिकायतें क्रेडिट कार्ड से संबंधित थीं, इसके बाद दी गई वचनबद्धताओं को पूरा न किए जाने संबंधी शिकायतों का स्थान था। बहुत सी शिकायतें पेंशन भुगतान (विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में) और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंकों के संबंध में) थीं (सारणी IV.49 और परिशिष्ट सारणी IV.40)।

सारणी IV.48: भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

(वास्तविक रूप से परिचालनात्मक)

बैंक का नाम	शाखा		अनुषंगी		प्रतिनिधि-कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सरकारी क्षेत्र के बैंक	121	130	19	18	28	34	7	7	175	189
1 इलाहाबाद बैंक	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2
2 आंध्रा बैंक	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
3 बैंक ऑफ बड़ौदा	45	46	8	8	4	3	1	1	58	58
4 बैंक ऑफ इंडिया	23	24	3	3	4	5	1	1	31	33
5 केनरा बैंक	2	3	-	-	1	-	-	-	3	3
6 इंडियन बैंक	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3
7 कॉर्पोरेशन बैंक	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
8 इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	1	3	3	-	-	10	10
9 पंजाब नेशनल बैंक	2	3	1	1	3	4	1	1	7	9
10 भारतीय स्टेट बैंक	33	38	6	5	7	8	4	4	50	55
11 सिंडिकेट बैंक	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
12 यूको बैंक	4	4	-	-	2	2	-	-	6	6
13 यूनियन बैंक	1	1	-	-	2	3	-	-	3	4
14 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
II. निजी क्षेत्र के नए बैंक	10	11	3	3	15	16	-	-	28	30
14 एक्सिस बैंक	3	3	-	-	2	2	-	-	5	5
15 एचडीएफसी बैंक लि.	-	1	-	-	2	2	-	-	2	3
16 आइसीआइसीआइ बैंक लि.	7	7	3	3	8	8	-	-	18	18
17 इंडसईड बैंक लि.	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
18 फेडरल बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
19 कोटक महिंद्रा बैंक लि.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
कुल	131	141	22	21	43	50	7	7	203	219

—: कुछ नहीं।

टिप्पणी: आंकड़े जून के अंत से संबंधित हैं।

4.114 नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई के बीओ कार्यालयों को 2008-09 के दौरान कुल शिकायतों में से 44.1 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुईं जबकि पिछले वर्ष 36.3 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुई थीं (सारणी IV.50)।

4.115 बीओ योजना, 2006 (मई 2007 तक यथा संशोधित) के संदर्भ में, शिकायतकर्ता/बैंक बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी (उप गवर्नर) के पास अपील कर सकते हैं। 2008-09 के दौरान ऐसी 269 शिकायतें प्राप्त हुईं जबकि पिछले वर्ष के दौरान 186 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

“नो फ्रिल्स” खाते

4.116 वित्तीय समावेशन उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने नवंबर 2005 में सभी बैंकों को सूचित किया कि वे

“शून्य” या कम न्यूनतम शेष और प्रभार वाले आधारभूत बैंकिंग के “नो फ्रिल्स” खाते उपलब्ध कराएं। इसके पीछे मूल विचार यह था कि कम आय वाले समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने से एक ऐसा चक्र तैयार होगा जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि के लाभों का समान वितरण होगा जिससे कम आय वाले समूहों की आय के स्तर में सुधार होगा। इससे कम आय वाले समूहों द्वारा खोले गए खातों में जमाराशि की औसत मात्रा में वृद्धि होगी और इससे वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए परिचालनात्मक रूप से लाभप्रद और व्यवहार्य व्यवसाय का अनुपात बनेगा। कम लागत या शून्य लागत वाले खाते बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और विशेष रूप से कम आय वाले समूहों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय रूप से

सारणी IV.49: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त बैंक समूहवार शिकायतें - 2008-09

शिकायतों का स्वरूप	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (3+6+9)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (4+5)	राष्ट्रीय बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह 5	निजी क्षेत्र के बैंक (7+8)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	यूसीबी/ आरआरबी/ अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल प्राप्त शिकायतें (1 से 10)	66,823	33,141	14,974	18,167	21,982	1,177	20,805	11,700	2,294	69,117
1) जमा खाता	6,550	3,353	1,941	1,412	2,470	126	2,344	727	156	6,706
2) विप्रेषण	5,210	3,523	1,722	1,801	1,386	94	1,292	301	125	5,335
3) क्रेडिट कार्ड	17,603	5,916	1,220	4,596	5,950	73	5,877	5,737	45	17,648
4) ऋण / अग्रिम (क+ख)	7,863	4,201	2,536	1,665	2,666	204	2,462	996	311	8,174
क) सामान्य	7,040	3,867	2,333	1,534	2,291	191	2,100	882	291	7,331
ख) आवास ऋण	823	334	203	131	375	13	362	114	20	843
5) बिना पूर्व सूचना के प्रभार	4,740	1,898	898	1,000	2,080	132	1,948	762	54	4,794
6) पेंशन	2,907	2,862	842	2,020	33	6	27	12	9	2,916
7) की गई वचनबद्धता न निभाना	11,446	6,560	3,434	3,126	3,736	326	3,410	1,150	378	11,824
8) प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	2,954	1,410	780	630	1,016	58	958	528	64	3,018
9) नोट और सिक्के	110	64	34	30	35	4	31	11	3	113
10) अन्य	7,440	3,354	1,567	1,787	2,610	154	2,456	1,476	1,149	8,589

सारणी IV.50: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त क्षेत्र-वार शिकायतें

क्रम सं.	कार्यालय	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
		2007-08	2008-09
1	2	3	4
1	अहमदाबाद	2,855	3,732
2	बेंगलूर	2,975	3,255
3	भोपाल	3,402	3,375
4	भुवनेश्वर	998	1,159
5	चण्डीगढ़	2,331	2,634
6	चेन्नै	4,545	10,381
7	गुवाहाटी	282	455
8	हैदराबाद	2,843	3,961
9	जयपुर	3,369	3,688
10	कानपुर	5,340	7,776
11	कोलकाता	2,815	3,671
12	मुंबई	6,070	9,631
13	नई दिल्ली	6,742	10,473
14	पटना	1,480	2,110
15	तिरुवनंतपुरम	1,840	2,816
कुल		47,887	69,117

सहायक माने जाते हैं। बैंकों द्वारा अन्य नाम के साथ ऐसे ही खाते विभिन्न देशों में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि स्वयं बैंकों की ओर से या सरकारों की ओर से जन सामान्य की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक उपलब्ध कराई जाए¹⁰। भारत में बैंकों द्वारा खोले गए “नो फ्रिल्स” खातों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है (सारणी IV.51)।

सारणी IV.51: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गए नो फ्रिल्स खातों की संख्या

बैंक समूह	मार्च अंत 2007	मार्च अंत 2008	मार्च अंत 2009
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,865,419	13,909,935	29,859,178
निजी क्षेत्र के बैंक	860,997	1,845,869	3,124,101
विदेशी बैंक	5,919	33,115	41,482
कुल	6,732,335	15,788,919	33,024,761
टिप्पणी : आंकड़े अंतिम हैं।			

¹⁰ भारतीय रिजर्व बैंक, (2008): मुद्रा और वित्त रिपोर्ट, 2006-08।

10. व्यष्टि वित्त

4.117 व्यष्टि वित्त ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों के लिए मितव्ययिता, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है और बहुत छोटी राशि का उत्पाद है जिससे वे अपना आय-स्तर बढ़ा कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में व्यष्टि वित्त की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 1992 में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किए गए स्व-सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसबीएलपी) से हुई। यह कार्यक्रम न केवल बहुत सफल सिद्ध हुआ, बल्कि यह भारत में व्यष्टि वित्त के बेहद लोकप्रिय मॉडल के रूप में उभरा। देश में व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के माध्यम से व्यष्टि वित्त की सुपुर्दगी जैसे अन्य माध्यम भी उभरे। भारत में एमएफआई की विशेषता विविधतायुक्त संस्थागत और विधिक स्वरूपीय है। निर्धन लोगों के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की व्यष्टि वित्त की संभावना को देखते हुए रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सिडबी ने भारत में व्यष्टि वित्त को और प्रोत्साहन देने के लिए पिछले अनेक वर्षों में विविध उपाय किए हैं।

एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसबीएलपी) दृष्टिकोण

4.118 एसएचजी लगभग 15 से 20 ऐसे लोगों का समरूपी संलग्नता वाला छोटा समूह होता है जो किसी समान कार्य के लिए

अपना समूह बनाते हैं। इन समूहों द्वारा स्वैच्छिक बचत के कार्य नियमित आधार पर किए जाते हैं और इस प्रकार जमा हुई बचत की राशि समूह के सदस्यों को ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। बचत की आदत लगाने के अलावा, एसएचजी के कार्यों में वित्तीय मध्यस्थता और संसाधनों को हैंडिल करने जैसी धारणाएं भी समझाई जाती हैं। समूह का गठन हो जाने पर यह बैंकों से जुड़ जाता है और उनकी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करता है।

4.119 एसबीएलपी ने 1990 के दशक की शुरुआत में अपने प्रारंभ से बैंकों के साथ जुड़े एसएचजी ऋणों और एसएचजी द्वारा संवितरित बैंक ऋणों के मामले में काफी प्रगति की है। अब तक देखी गई प्रवृत्ति के अनुसार, 2008-09 में एसएचजी को ऋण देने में वाणिज्य बैंक सबसे आगे रहे हैं, इनके बाद आरआरबी और सहकारी बैंकों का स्थान है (सारणी IV.52)।

4.120 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार, एसबीएलपी के तहत 4.2 मिलियन एसएचजी की ओर 22,680 करोड़ रुपए का बैंक ऋण बकाया था। कुल बकाया ऋण में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 68 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के हिस्से में तदनुसूची गिरावट हुई (सारणी IV.53)।

4.121 31 मार्च 2009 को बैंकिंग क्षेत्र के साथ बचत खाता मेनटेन करने वाले एसएचजी की संख्या 6.1 मिलियन थी और

सारणी IV.52: एजेंसीवार स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम

(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000 में)				वितरित बैंक ऋण			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य बैंक	735	161	1,005	133	5,404	1,104	8,061	1,102
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	328	65	406	82	2,652	598	3,193	655
सहकारी बैंक	165	21	199	50	794	156	999	258
कुल	1,228	247	1,610	265	8,849	1,858	12,254	2,015

* : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) एवं अन्य प्रायोजित योजनाओं सहित।

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण आंकड़े अपने संबंधित योग से मेल नहीं खा सकते।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी IV.53: एसबीएलपी के अंतर्गत बकाया बैंक ऋण
(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000 में)				वितरित बैंक ऋण			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य बैंक	2,378	638	2,831	645	11,475	3,226	16,149	3,961
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	876	223	978	259	4,421	1,332	5,224	1,508
सहकारी बैंक	371	55	415	73	1,103	259	1,306	392
कुल	3,626	917	4,224	977	17,000	4,817	22,680	5,862

* : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) एवं अन्य प्रायोजित योजनाओं सहित टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण आंकड़े अपने संबंधित योग से मेल नहीं खा सकते।
स्रोत: नाबार्ड।

बकाया बचत की राशि 5,546 करोड़ रुपए थी। हालांकि एसएचजी की बचत में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा लगातार सर्वाधिक बना रहा, किंतु उनका हिस्सा मार्च 2008 के 55 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 में 50 प्रतिशत रह गया। जहां सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग अपरिवर्तित रहा, वहीं आरआरबी का हिस्सा इसी अवधि में 31 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.54)।

4.122 एसएचजी को दिए गए बैंक ऋणों का वसूली निष्पादन निजी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक समूहों के मामले में उच्च स्तर पर बना रहा जिसमें वसूली दर 80-94 प्रतिशत की

आदर्श श्रेणी में थी। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में आदर्श श्रेणी 95 प्रतिशत और अधिक की थी (सारणी IV.55)।

एमएफआइ दृष्टिकोण

4.123 निर्धन लोगों को वित्तीय सेवाएं देने में बैंकों के अलावा एमएफआइ की उभरती भूमिका को मान्यता मिल रही है और बैंकिंग क्षेत्र आगे एसएचजी को देने के लिए एमएफआइ को ऋण दे रहे हैं। 2008-09 के दौरान, 581 एमएफआइ को 3,732 करोड़ रुपए का बैंक ऋण संवितरित किया गया था जिससे 31 मार्च 2009 को

सारणी IV.54: स्वयं सहायता समूहों की बैंकों में बचत
(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000 में)				एसएचजी की बचतें			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*	कुल	जिनमें से एसजी-एसवाइ के अंतर्गत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य बैंक	2,811	766	3,550	931	2,078	527	2,773	682
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,387	357	1,629	434	1,166	211	1,990	775
ऋण सहकारी बैंक	812	80	943	140	541	72	783	107
कुल	5,010	1,203	6,121	1,506	3,785	810	5,546	1,563

* : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) एवं अन्य प्रायोजित योजनाओं सहित। टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण आंकड़े अपने संबंधित योग से मेल नहीं खा सकते।
स्रोत: नाबार्ड।

सारणी IV.55: स्वयं सहायता समूहों के प्रति बैंक ऋणों का एजेंसीवार वसूली निष्पादन
(मार्च अंत के अनुसार 2009)

(बैंकों की संख्या)

बैंक की श्रेणी	रिपोर्टिंग बैंकों की कुल संख्या	स्वयं सहायता समूहों को दिए गए बैंक ऋण का वसूली निष्पादन			
		95 प्रतिशत और उससे अधिक	80-94 प्रतिशत	50-79 प्रतिशत	50 प्रतिशत से कम
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	25	6 (24.0)	12 (48.0)	7 (28.0)	0 (0.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	7	5 (71.4)	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	65	12 (18.5)	31 (47.7)	15 (23.1)	7 (10.8)
सहकारी बैंक	170	56 (32.9)	58 (34.1)	37 (21.8)	19 (11.2)
कुल	267	79 (29.6)	102 (38.2)	59 (22.1)	27 (10.1)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एजेंसी वार योग में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

1915 एमएफआइ की ओर बकाया ऋण 5,009 करोड़ रुपए हो गया (सारणी IV.56)।

4.124 व्यष्टि वित्त की गतिविधियां भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। किंतु, वर्तमान वैश्विक

सारणी IV.56: एमएफआइ को उपलब्ध कराए गए बैंक ऋण
(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक की श्रेणी	बैंकों द्वारा एमएफआइ को संवितरित ऋण		एमएफआइ के विरुद्ध बकाया ऋण	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
वाणिज्य बैंक	1,969 (497)	3,719 (522)	2,745 (1,072)	4,978 (1,762)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2 (8)	13 (59)	4 (24)	31 (153)
सहकारी बैंक	0.04 (13)	- (0)	0.02 (13)	- (0)
कुल	1,970 (518)	3,732 (581)	2,749 (1,109)	5,009 (1,915)

- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एमएफआइ की संख्या दर्शाते हैं।
2. एफआइ की वास्तविक संख्या कम होगी क्योंकि कुछ एफआइ ने एक से अधिक बैंकों से ऋण लिया है।

वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में, अनर्जक ऋणों में वृद्धि, चलनिधि और निधीयन में कमी, लाभप्रदता में गिरावट और प्रबंधन तथा कंपनी संचालन में दुर्बलता पर अंतरराष्ट्रीय रूप से चिंता प्रकट की गई है¹¹।

11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4.125 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की शुरुआत 1976 का आरआरबी अधिनियम लागू होने के समय से हुई। क्षेत्रीय-उन्मुख ग्रामीण बैंकों के इस नए सेट की उत्पत्ति के पीछे यह विचार था कि स्थानीय स्पर्श और सहकारी संस्थाओं की विशेष ग्रामीण समस्याओं की जानकारी को वाणिज्य बैंकों की व्यावसायिकता और उनके व्यापक संसाधन आधार को जोड़ दिया जाए। आरआरबी की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50:15:35 के अनुपात में धारित होती है।

4.126 भारत में कृषि तथा ग्रामीण ऋण के प्रति बहु-एजेंसी दृष्टिकोण में आरआरबी का एक विशेष स्थान है। स्थानीय संस्था

¹¹ वित्तीय नवोन्मेष अध्ययन केंद्र (2009): “माइक्रोफिनांस बनाना स्किल्स: कन्फ्रंटिंग क्राइजेस एंड चेंज”, जून। <http://www.cgap.org> पर उपलब्ध है।

होने के कारण आरआरबी वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। कृषि तथा ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बहु एजेंसी दृष्टिकोण से आरआरबी की वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में आरआरबी की दुर्बल वित्तीय स्थिति पर नरसिम्हन समिति (1991) द्वारा चिंता व्यक्त करने पर रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए।

4.127 खानखोजे और साठे (2008)¹² ने 1990 से 2002 के लिए भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादकता-कौशल स्कोर की गणना की है। इन स्कोरों की गणना डाटा एन्वेलपमेंट एनालिसिस की नॉन-पॅरामेट्रिक तकनीक का उपयोग करके की गई। इन बैंकों का व्यापक पुनर्गठन 1993-94 में होने के कारण इस बात की जांच करने के लिए कि पुनर्गठन से इन बैंकों की कार्य कुशलता बढ़ी या नहीं, पुनर्गठन-पूर्व और पुनर्गठन-पश्चात के वर्षों के माध्य-कार्य कुशलता स्कोरों की तुलना एएनओवीए का प्रयोग करके की गई। यह अध्ययन दर्शाता है कि आरआरबी के माध्य-कार्य कुशलता स्कोर में काफी वृद्धि हुई है। यह अध्ययन सिफारिश करता है कि अनर्जक आस्तियां कम करने की वर्तमान नीति और बैंक स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से स्थापना व्यय कम करना तथा ग्रामीण शाखाओं का औचित्यीकरण सही दिशा में किए गए उपाय हैं जो कुछ समय के उपरांत इन बैंकों की कार्य कुशलता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

4.128 कृषि और संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रवाह पर परामर्शदाता समिति (अध्यक्ष: प्रो. वी.एस.व्यास) ने जून 2004 में आरआरबी के पुनर्गठन की सिफारिश की थी ताकि उनकी परिचालनात्मक क्षमता में सुधार हो सके और उन्हें बड़े पैमाने की किफायतें मिल सकें। इसके पश्चात, आरआरबी के सुदृढीकरण के लिए मौजूदा विधिक संरचना के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों

की जांच के लिए रिज़र्व बैंक ने आरआरबी पर आंतरिक कार्यदल का गठन किया। आरआरबी को भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण सुपुर्दगी का प्रभावी माध्यम बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के साथ विचार-विमर्श करके सितंबर 2005 से आरआरबी का राज्य-स्तरीय प्रायोजक बैंकवार समामेलन शुरू किया ताकि आरआरबी में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें व्यवहार्य तथा लाभप्रद बनाया जा सके। मार्च 2009 के अंत में, 45 समामेलित और 41 स्टैंड-अलोन आरआरबी सहित 86 आरआरबी थे।

आरआरबी का पुनर्पूजीकरण

4.129 ऋणात्मक निवल मालियत वाले आरआरबी के चरणबद्ध पुनर्पूजीकरण की योजना 2007-08 के बजट में घोषित की गई। 31 मार्च 2007 को ऋणात्मक निवल मालियत वाले 27 आरआरबी पुनर्पूजीकरण के लिए चुने गए। इसके लिए 1,796 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता थी। इसमें से, राज्य सरकारों, प्रायोजक बैंकों और भारत सरकार का अंशदान क्रमशः 269 करोड़ रुपए (15 प्रतिशत), 629 करोड़ रुपए (35 प्रतिशत) और 898 करोड़ रुपए (50 प्रतिशत) था। उक्त 27 आरआरबी के पुनर्पूजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

आरआरबी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.130 आरआरबी के समेकित तुलन पत्र ने मात्रा में 2007-08 के 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। आस्तियों के मामले में, आरआरबी के निवल अग्रिमों में इस अवधि के दौरान 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयता पक्ष की प्रमुख मदों में वर्ष के दौरान जमाराशि और उधार में क्रमशः 19.1 प्रतिशत तथा 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आरआरबी का ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के 59.5 प्रतिशत से कुछ कम होकर मार्च 2009 के अंत में 58.5 प्रतिशत रह गया (सारणी IV.57)।

¹² खानखोजे, डी. और साठे एम. (2008), ड इफिसियंसी ऑफ रूरल बैंक्स: दि केस ऑफ इंडियाड, इटरनैशनल बिजनेस रिसर्च, खंड 1, सं. 2, अप्रैल। <http://www.ccsenet.org/journal.html> पर उपलब्ध है।

**सारणी IV.57: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -
समेकित तुलनपत्र**

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009अ	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4
देयताएं	1,25,194	1,45,824	16.5
शेयर पूंजी	196	197	0.5
आरक्षित निधियां	5,703	5,914	3.7
शेयर पूंजी जमाराशि	2,833	3,946	29.3
जमाराशि	99093	117984	19.1
चालू	5716	6204	8.5
बचत	53371	66920	25.4
मीयादी	40006	44860	12.1
उधार	11494	11686	1.7
नाबार्ड	7992	8191	2.5
प्रयोजक बैंक	3078	3228	4.9
अन्य	424	267	-37.0
अन्य देयताएं	5875	6097	3.8
आस्तियां	125194	145824	16.5
उपलब्ध नकदी	1404	1502	7.0
भा.रि. बैंक के पास शेष	7164	10317	44.0
अन्य बैंक शेष	22338	23361	4.6
अन्य निवेश	30166	34168	13.3
ऋण तथा अग्रिम (निवल)	57568	69030	19.9
अचल आस्तियां	241	292	21.2
अन्य आस्तियां#	6313	7154	13.3
ज्ञापन मदें:			
क. ऋण-जमा अनुपात	59.5	58.5	
ख. निवेश-जमा अनुपात	49.0	48.8	
ग. (ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	108.5	107.2	
अ : अनंतिम। - : कुछ नहीं/नगण्य। # : संचित हानि सहित।			
स्रोत: नाबार्ड।			

4.131 अब तक उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2008-09 के दौरान 86 आरआरबी ने 9.4 मिलियन उधारकर्ताओं को 41,273 करोड़ रुपए के नए ऋण दिए जबकि 2007-08 के दौरान यह संख्या क्रमशः 9.3 मिलियन उधारकर्ता और 38,464 करोड़ रुपए थी। इसमें से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जारी ऋणों का हिस्सा 82.6 प्रतिशत था। उधारकर्ता कवरेज की संख्या के संदर्भ में, 2008-09 के दौरान जारी कुल ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जारी ऋणों का हिस्सा लगभग 84 प्रतिशत था। मार्च 2009 के अंत में, आरआरबी के बकाया अग्रिमों की राशि 69,030 करोड़ रुपए थी और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 83.3 प्रतिशत था। मार्च 2009 के अंत में, कृषि ऋणों का हिस्सा कुछ कम होकर 52.8 प्रतिशत रह गया जो कि एक वर्ष पूर्व 56.3 प्रतिशत था (सारणी IV.58)।

**सारणी IV.58: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के
प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम**

(राशि करोड़ रुपए)

प्रयोजन/मार्च के अंत में	2007	2008	2009अ
1	2	3	4
I. कृषि (i से iii)	27,452	33,216	36,466
कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	56.6	56.3	52.8
i. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	18,707	22,748	24,986
ii. मीयादी ऋण (कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए)	3,745	10,468	11,480
iii. अप्रत्यक्ष अग्रिम	-	-	-
II. कृषीतर (iv से vii)	21,041	25,768	32,564
कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	43.4	43.9	41.2
iv. ग्रामीण कारीगर, आदि	736	671	820
v. अन्य उद्योग	880	1,227	1,400
vi. खुदरा व्यापार, आदि	3,677	4,531	5,015
vii. अन्य प्रयोजन	15,748	19,339	25,329
कुल (I+II)	48,493	58,984	69,030
ज्ञापन मदें:			
क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	39,852	48,894	57,528
ख) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	8,641	10,090	11,502
ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा (कुल में प्रतिशत)	82.2	82.9	83.3
अ : अनंतिम। - : कुछ नहीं / नगण्य।			
स्रोत : नाबार्ड।			

4.132 आरआरबी के समामेलन के परिणामस्वरूप, मार्च 2009 के अंत में लाभ अर्जित करने वाले आरआरबी की संख्या बढ़कर 80 हो गई तथा घाटा उठाने वाले आरआरबी की संख्या कम होकर 6 रह गई जो मार्च 2008 के अंत में क्रमशः 82 और 8 थी।

4.133 मार्च 2009 के अंत में आरआरबी की कुल आय कम होकर 19.5 प्रतिशत रह गई जो पिछले वर्ष 20.0 प्रतिशत थी। इस गिरावट का कारण 'अन्य आय' में कमी आना था। किंतु, आरआरबी का व्यय तेजी से बढ़ा जिसका मुख्य कारण व्यय किए गए ब्याज में वृद्धि और प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय में वृद्धि होना था। 2008-09 में 86 आरआरबी में से 80 आरआरबी ने 1,405 करोड़ रुपए का लाभार्जन किया वहीं 6 आरआरबी को 36 करोड़ रुपए की हानि हुई। इस प्रकार, 2008-09 के दौरान आरआरबी को कुल मिलाकर 1,369 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ जबकि पिछले वर्ष 1,027 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। आरआरबी के कार्य निष्पादन में सुधार 2008-09 के दौरान एनपीए (सकल और निवल दोनों) में गिरावट में भी दिखा। जहां मार्च 2009 के अंत में कुल ऋण-आस्ति अनुपात कम होकर 4.2 प्रतिशत रह गया जो

सारणी IV.59: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण	2007-08			2008-09(अ)			घटबढ़	
	घाटे में चल रहे [8]	लाभ में चल रहे [82]	कुल क्षे.ग्रा.बैं. [90]	घाटे में चल रहे [6]	लाभ में चल रहे [80]	कुल क्षे.ग्रा.बैं. [86]	स्तंभ (4) पर स्तंभ (7)	
							राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. आय (i+ii)	286	9,120	9,406	276	10,975	11,251	1,831	19.5
i) ब्याज आय	271	8,468	8,739	262	10,181	10,443	1,690	19.3
ii) अन्य आय	15	652	667	14	794	808	141	21.1
ख. व्यय (i+ii+iii)	342	8,037	8,379	312	9,570	9,882	1,503	17.9
i) ब्याज व्यय	212	4,545	4,757	200	5,517	5,717	960	20.2
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	13	819	832	12	1,246	1,258	426	51.2
iii) परिचालनगत व्यय	117	2,673	2,790	100	2,807	2,907	117	4.2
जिसमें से : वेतन बिल	100	1,954	2,054	85	2,018	2,103	49	2.4
ग. लाभ								
i) परिचालन लाभ/हानि	-43	1,902	1,859	-24	2,651	2,627	768	41.3
ii) निवल लाभ/हानि	-56	1,083	1,027	-36	1,405	1,369	342	33.3
घ. कुल आस्तियां	4,548	1,20,646	1,25,194	3,250	1,42,574	1,45,824	20,630	16.5
ड. वित्तीय अनुपात @								
i) परिचालन लाभ	-1.0	1.6	1.5	-0.7	1.8	1.8	-	-
ii) निवल लाभ	-1.2	1.0	0.9	-1.1	1.0	0.9	-	-
iii) आय	6.3	7.6	7.5	8.5	7.6	7.7	-	-
क) ब्याज आय	6.0	7.0	7.0	8.1	7.1	7.2	-	-
ख) अन्य आय	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	-	-
iv) व्यय	7.5	6.7	6.7	9.7	6.7	6.8	-	-
क) ब्याज व्यय	4.7	3.8	3.8	6.2	3.8	3.9	-	-
ख) परिचालन व्यय	2.6	2.2	2.2	3.1	2.0	2.0	-	-
जिसमें से : वेतन बिल	2.2	1.6	1.6	2.6	1.4	1.4	-	-
v) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	0.3	0.7	0.7	0.4	0.9	0.9	-	-
vi) सकल अनर्जक आस्तिया			6.1			4.2	-	-
vii) निवल अनर्जक आस्तिया			3.4			1.8	-	-

अ : अन्तिम। @ :कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में * : कर पूर्व

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड

कि एक वर्ष पूर्व 6.1 प्रतिशत था, वहीं इसी अवधि में ऋण आस्ति-एनपीए अनुपात 3.4 प्रतिशत से कम होकर 1.8 प्रतिशत रह गया (सारणी IV.59)।

4.134 पिछले कुछ वर्षों में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, 2008-09 के दौरान प्रति शाखा तथा प्रति कर्मचारी दोनों के संदर्भ में आरआरबी की उत्पादकता में और वृद्धि हुई। जहां आस्ति के प्रतिशत के रूप में संचित हानि पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही, वहीं वित्तीय विवरणी और निवल मार्जिन में 2008-09 के दौरान सुधार हुआ (सारणी IV.60)।

12. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

4.135 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की शुरुआत 1996 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में उक्त वर्ष के अगस्त में की गई थी। दो या तीन सहवर्ती जिलों के कार्यक्षेत्र वाले स्थानीय क्षेत्र के नए निजी बैंकों के गठन के पीछे यह विचार था कि स्थानीय बचत का संग्रह स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और स्थानीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) से यह अपेक्षित था कि वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता का अंतर मिटाएं और संस्थागत ऋण संरचना

सारणी IV.60: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबारी तथा वित्तीय संकेतक

संकेतक	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	196	196	196	133 #	96 #	90 #	86 #
निवल लाभ ¹ (करोड़ रुपए)	519	769	748	617	596	1328	1830
प्रति शाखा उत्पादकता ² (करोड़ रुपए)	5.0	5.7	6.6	7.7	9.1	10.7	12.4
प्रति कर्मचारी उत्पादकता ³ (करोड़ रुपए)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.3	2.7
आस्तियों के प्रतिशत के रूप में संचित हानि	4.4	3.9	3.5	2.9	2.6	2.1	2.1
आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन	2.3	2.6	2.0	2.1	1.9	1.9	1.8
वित्तीय विवरणी ⁴ (प्रतिशत)	9.6	8.9	8.2	7.7	7.7	8.1	8.2
वित्तीय लागत ⁵ (प्रतिशत)	6.1	5.4	4.6	4.1	4.1	4.4	4.5
वित्तीय मार्जिन ⁶ (प्रतिशत)	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
जोखिम, परिचालन और अन्य लागत (प्रतिशत)	2.6	2.2	2.3	2.8	2.9	2.7	2.6
निवल मार्जिन ⁷ (प्रतिशत)	0.9	1.3	1.3	0.8	0.7	1.0	1.1

: सितंबर 2005 में आरम्भ हुए सम्मेलन के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटी है। वित्तीय निष्पादन विश्लेषण 90 आरआरबी (नए आरआरबी छोड़कर) से संबंधित है। 2008-09 के आंकड़े अनंतिम हैं।

- टिप्पणी :**
1. निवल लाभ अर्थात् सकल लाभ (कर पूर्व) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाए गए घाटों के बीच अंतर।
 2. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रत्येक शाखा के कारोबार (कुल जमा राशियों और सकल अग्रिमों के रूप में) का औसत स्तर।
 3. वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति कर्मचारी के कारोबार (कुल जमा राशियों और सकल अग्रिमों के रूप में) का औसत स्तर।
 4. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में अग्रिम तथा निवेश दोनों से कुल आय का प्रतिशत।
 5. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में जमा राशियां, उधार आदि के लिए कुल ब्याज भुगतान का प्रतिशत।
 6. वित्तीय विवरणी और वित्तीय लागत के बीच का अंतर।
 7. वित्तीय मार्जिन और जोखिम, परिचालन और अन्य लागत तथा अन्य आय के बीच का अंतर।

स्रोत : नाबार्ड।

को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप, निजी क्षेत्र में एलएबी के गठन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने अगस्त 1996 में दिशानिर्देशों की घोषणा की। मार्च 2009 के अंत में देश में चार एलएबी कार्यरत थे।

4.136 2008-09 के दौरान, एलएबी की कुल आस्तियों, जमा राशियों और सकल अग्रिमों की वृद्धि दर में गिरावट आई जो आंशिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में समग्र मंदी और अनिश्चितता

में वृद्धि दर्शाती है। विशेष रूप से, 2008-09 के दौरान, कुल आस्तियों में 20.3 प्रतिशत, जमा राशियों में 20.0 प्रतिशत और सकल अग्रिमों में 23.8 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 2006-07 के दौरान यह वृद्धि दर क्रमशः 32.2 प्रतिशत, 32.4 प्रतिशत और 35.5 प्रतिशत थी। कमोबेश यही वृद्धि दर सभी एलएबी के संबंध में देखी गई जिसका अपवाद कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि. था जिसकी वृद्धि दर काफी अधिक थी (सारणी IV.61)।

सारणी IV.61: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की रूपरेखा

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक	आस्तियां		जमा राशियां		सकल अग्रिम	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	466	549	393	461	243	296
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	76	100	56	73	43	57
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	81	99	43	56	52	64
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	31	39	22	27	17	23
कुल	654	787	514	616	355	439

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणी पर आधारित।

सारणी IV.62: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	68.2	90.6	22.5	33.0
i) ब्याज आय	54.9	74.9	20.0	36.4
ii) अन्य आय	13.3	15.8	2.5	18.5
ख. व्यय (i+ii+iii)	58.3	76.5	18.2	31.2
i) ब्याज व्यय	29.9	41.7	11.8	39.4
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	6.1	7.8	1.7	27.4
iii) परिचालनगत व्यय	22.3	27.0	4.7	21.2
जिनमें से :				
वेतन बिल	9.9	12.2	2.3	23.1
ग. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ / हानि	15.6	21.9	6.3	40.5
ii) निवल लाभ / हानि	9.5	14.1	4.6	48.9
घ. स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	25.0	33.2	8.2	32.9
ङ. कुल आस्तियां	653.5	786.6	133.1	20.4
च. वित्तीय अनुपात@				
i) परिचालन लाभ	2.4	2.8		
ii) निवल लाभ	1.5	1.8		
iii) आय	10.4	11.5		
iv) ब्याज आय	8.4	9.5		
v) अन्य आय	2.0	2.0		
vi) व्यय	8.9	9.7		
vii) ब्याज का भुगतान	4.6	5.3		
viii) परिचालन व्यय	3.4	3.4		
ix) वेतन बिल	1.5	1.5		
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.9	1.0		
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	3.8	4.2		

टिप्पणी: @कुल आस्ति का अनुपात।

स्रोत: अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित।

4.137 उक्त प्रवृत्ति के अनुरूप, एलएबी के वित्तीय निष्पादन में भी मंदी देखी गई। 2008-09 के दौरान, आय, व्यय, लाभ और कुल आस्तियों जैसे सभी संबंधित परिवर्तक 2007-08 की तुलना में कम गति से बढ़े। ब्याज आय और ब्याज से भिन्न आय दोनों की वृद्धि दर में गिरावट आई, हालांकि अन्य आय की वृद्धि में आई गिरावट अधिक मुखर थी। व्यय पक्ष में, व्यय किए गए ब्याज, प्रावधान और प्रासंगिक व्यय और साथ ही वेतन बिल की वृद्धि दर तेजी से कम हो गई। कुल मिलाकर, व्यय की वृद्धि दर की इस गिरावट के अलावा परिचालन लाभ और निवल लाभ की वृद्धि दर भी तेजी से कम हो गई। किंतु, सकारात्मक पक्ष में, परिचालन लाभ और निवल लाभ के वित्तीय

अनुपात में 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई (सारणी IV.62)।

13. निष्कर्ष

4.138 भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की पृष्ठभूमि में आघात सहनीयता दर्शाई है। तुलना पत्र, आय और लाभप्रदता में दिखी कुछ मंदी के बावजूद, समग्र सीआरएआर में सुधार हुआ और आस्ति गुणवत्ता अनुकूल स्तर पर बनी रही। इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ बनी रही। चूंकि वाणिज्य बैंक प्रभावी संस्थाएं हैं और भारतीय वित्तीय प्रणाली के अन्य घटकों के साथ उनका संबंध है, अतः इस

क्षेत्र की शक्ति ने संकट के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान किया। बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी, में इस वर्ष कुछ गिरावट देखी गई। यह वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं की स्थिति के अनुरूप ही था। किंतु, यह आवश्यक है कि बैंकों के एक्सपोजर के ऐसे प्रकारों के प्रणालीगत निहितार्थों को देखते हुए उनसे जुड़ी जोखिमों की सतत निगरानी और आकलन किया जाए। एससीबी ने अब बासेल II का पूर्णतः अनुपालन किया है; अब आगे सरकारी

क्षेत्र के बैंकों की पूंजी में वृद्धि की आवश्यकता का आकलन करके उपयुक्त नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंकों द्वारा उनकी कंपनी संचालन की प्रथा को मजबूत करने की आवश्यकता है। मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ चिह्न दिखने से बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार हो जाएं। ऊर्ध्वगामिता के दौरान, बैंकों को जोखिम और प्रतिलाभ के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा।

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

इस अध्याय में 2008-09 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों और 2007-08 के दौरान ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों (इन संस्थाओं के आंकड़ों की विलंबित उपलब्धता को देखते हुए) के वित्तीय निष्पादन का रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के संदर्भ में, जैसाकि अध्याय III में चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है। वर्ष के दौरान, वित्तीय रूप से सुदृढ़ संस्थाओं में वृद्धि और कमजोर संस्थाओं के निर्गमन से शहरी सहकारी क्षेत्र के समेकन में निरंतर प्रगति हुई है। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाभ में पिछले वर्ष के दौरान से वृद्धि हुई है और ऋण तथा जमाओं में उच्च वृद्धि हुई है जैसीकि उसके ग्रामीण सहभागियों में नहीं हुई है। इसके अलावा, वैश्विक संकट के फलस्वरूप कमी की प्रत्याशा के विपरीत वर्ष के दौरान यूसीबी के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के भाग के रूप में लघु उद्यमों के प्रति ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियां दोनों भौगोलिक रूप से केन्द्रित बनी रही हैं जिनकी पश्चिमी क्षेत्र में बहुत अधिक मौजूदगी है। शहरी सहकारी समितियों के मामले में, कुछ बड़ी संस्थाओं में बैंकिंग कारोबार के केन्द्रीकरण में वृद्धि हो रही है। लेकिन, यूसीबी और ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों का उच्च स्तर चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है और इस प्रकार सहकारी क्षेत्र, जैसा कि वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए), 2009 ने पाया, 'भारतीय वित्तीय लैंडस्केप में एक कमजोर कड़ी' है।

1. परिचय

5.1 सहकारी समितियों को भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सहकारी समितियां ऐसी पहली औपचारिक संस्थाएं थीं जिनको ग्रामीण भारत में ऋण के प्रसार के लिए विचारित और विकसित किया गया। इस प्रकार, सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में दूरदराज तक पहुंचने में वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख साधन रही हैं। ग्रामीण सहकारी समितियों के शहरी सहभागी, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) भी अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न आय वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण चैनल रहे हैं।

5.2 वित्तीय समावेशन में सहकारी संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और सुदृढ़ता चिंता के कुछ प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। आशा है कि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने से वित्तीय समावेशन के उनके प्रयासों को और बल मिलेगा।

5.3 जबकि हाल में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की आर्थिक सुदृढ़ता में सुधार हुआ है, यूसीबी के एनपीए का उच्च स्तर इन

संस्थाओं की वित्तीय मजबूती के लिए एक खतरा बना हुआ है। अल्प और दीर्घकालिक दोनों स्वरूप की ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं भी अनेक संरचनात्मक कमजोरियों जैसे कमजोर संसाधन आधार और संचित हानियों के उच्च स्तर से घिरी हुई हैं। इसके अलावा, ग्रामीण शहरी सहकारी समितियां दोनों पारंपरिक रूप से रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के बहुविध नियंत्रण में रही हैं जिसमें इन दोनों संस्थाओं के बीच क्षेत्राधिकार के सही बंटवारे की कुछ अस्पष्टताएं हैं। सीएफएसए (2009) ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में दोहरे नियंत्रण को 'एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण विनियामक और पर्यवेक्षी कमजोरी' के रूप में चित्रित किया है।

5.4 दोहरे नियंत्रण के मामले से निपटने के लिए, रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ और एकीकृत विनियामक ढांचा विकसित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में 2005 में रिजर्व बैंक द्वारा एक विजन दस्तावेज तैयार करना शामिल है जिसमें यूसीबी पर दोहरे विनियामक नियंत्रण से निपटने और इन राज्यों में यूसीबी के लिए एक कार्यदल की स्थापना करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने हेतु एक राज्य-विशिष्ट रणनीति की

सिफारिश की गई है, जैसाकि रिपोर्ट के अध्याय III में पहले ही कहा गया है। इसी प्रकार, 2004 में भारत सरकार द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर बनाए गये कार्यदल ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एमओयू करने की सिफारिश की थी, जिसके पश्चात ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पैकेज का कार्यान्वयन किया जाएगा।


5.5 इस अध्याय में, शहरी और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के परिचालन और निष्पादन की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय को छह खंडों में बांटा गया है। खंड 2 में भारत की सहकारी ऋण संस्थाओं के वर्तमान ढांचे की चर्चा की गयी है। खंड 3 में 2008-09 के दौरान यूसीबी के कारोबार परिचालन और निष्पादन की चर्चा की गयी है, जबकि खंड 4 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के निष्पादन की चर्चा की गयी है। खंड 5 में 2008-09 के दौरान ग्रामीण सहकारी

ऋण संस्थाओं के विकास में नाबार्ड द्वारा किये गये उपायों की चर्चा की गयी है इसके पश्चात खंड 6 में निष्कर्ष दिया गया है।

2. भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

5.6 भारत के सहकारी ऋण संरचना की एक अलग विशेषता उसकी विजातीयता है। यह संरचना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तथा राज्यों और ऋणों की अवधि में अलग-अलग है (चार्ट V.1)। शहरी क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) कार्य करते हैं, जिन्हें आगे अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी में उप-विभाजित किया गया है। अनुसूचित यूसीबी शहरी सहकारी बैंक की कुल संख्या के एक छोटे अनुपात में हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी दोनों का परिचालन या तो एक राज्य (एकल राज्य) अथवा राज्यों (बहु-राज्य) के बीच सीमित है। अधिकांश गैर-अनुसूचित यूसीबी मुख्य रूप से एकल राज्य यूसीबी होते हैं जिनकी एकल टियर संरचना होती है¹।

चार्ट V.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना



¹ टियर I यूसीबी में शामिल है i) 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं एकल जिले में स्थित हैं; ii) 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं एक से अधिक जिलों में स्थित हैं, बशर्ते कि ये शाखाएं निकटवर्ती जिले में हों और एक जिले की शाखाओं की जमाराशियां और अग्रिम बैंक की क्रमशः कुल जमाराशियों और अग्रिमों की कम-से-कम 95 प्रतिशत हों; और iii) 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं मूल रूप से किसी एकल जिले में थीं लेकिन तदुपरांत जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जिलीय हो गई हों।

5.7 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संरचना को अल्पकालिक और दीर्घकालिक संरचना में बांटा गया है। अल्पकालिक सहकारी संरचना को तीन टियर संरचना में बांटा गया है जबकि शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं इसके पश्चात मध्यवर्ती जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और इसके बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। इस संरचना को प्रायः अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के संघीय ढांचे के रूप में उल्लेख किया जाता है। एकात्मक ढांचे को मुख्य रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया गया है, जहां पर राज्य सहकारी बैंक किसी जिला स्तरीय मध्यवर्ती के स्थान पर पीएसीएस को सीधे ऋण प्रदान करते हैं।

5.8 दीर्घकालिक संरचना के शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) है इसके पश्चात जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) हैं। इनको प्रायः दीर्घकालिक सहकारी ऋण समितियों के संघीय ढांचे के रूप में उल्लेख किया जाता है। एक एकात्मक ढांचा भी है जिसके अंतर्गत एससीएआरडीबी अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण प्रवाहित करते हैं। अंत में, कुछ राज्यों में एक मिश्रित ढांचा भी है जिसके अंतर्गत एकात्मक और संघीय दोनों ढांचे कार्य करते हैं। उन राज्यों में जहां पर दीर्घकालिक ढांचा नहीं है, राज्य सहकारी बैंकों का अलग अनुभाग ग्रामीण क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को देखता है। 2008 में, असम, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों में एक अलग दीर्घकालिक ढांचा था। 2008 में, 10 राज्यों के पास संघीय

ढांचा था जबकि दो राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के पास दीर्घकालिक सहकारी ऋण का एक मिश्रित ढांचा था। इसके अलावा, आठ राज्यों के पास दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं का एकात्मक ढांचा था।

3. शहरी सहकारी बैंक

यूसीबी का स्वरूप

यूसीबी का श्रेणीवार वितरण

5.9 यूसीबी को उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर चार वर्गों में बांटा गया है। यह वित्तीय निष्पादन पूंजी पर्याप्तता, एनपीए के स्तर और लाभ / हानि के इतिवृत्त सहित विभिन्न मानदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि श्रेणी I और श्रेणी II के यूसीबी को सापेक्षिक रूप से मजबूत बैंक माना जाता है, श्रेणी III और श्रेणी IV से संबंधित बैंकों को रुग्ण अथवा कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.10 यूसीबी की संख्या मार्च 2008 के अंत के 1,770 से घटकर मार्च 2009 के अंत में 1,721 हो गई। यह गिरावट इस क्षेत्र में समेकन प्रक्रिया का परिणाम है जैसा कि श्रेणी III और श्रेणी IV से संबंधित रुग्ण अथवा कमजोर बैंकों की संख्या में गिरावट से स्पष्ट है (बॉक्स V.1 के साथ पढ़ी जाने वाली सारणी V.1)। दूसरी तरफ, श्रेणी I में यूसीबी की संख्या वर्षों के दौरान बढ़ी। इस वृद्धि के कारण श्रेणी I और II से संबंधित यूसीबी, जो वित्तीय रूप से अधिक सुदृढ़ थे, का प्रतिशत हिस्सा मार्च 2009 के अंत में और बढ़कर 77.2 प्रतिशत हो गया।

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का श्रेणीवार वितरण

मार्च के अंत में	यूसीबी की संख्या	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी I+II	श्रेणी III+IV	श्रेणी I+II (कुल के प्रतिशत के रूप में)	श्रेणी III+IV (कुल के प्रतिशत के रूप में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008	1,770	748	526	258	238	1,274	496	71.9	28.0
2009 अ	1,721	845	484	219	173	1,329	392	77.2	22.8

अ : अनंतिम.

बॉक्स V.1: शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र पर सहमति ज्ञापन और टैफकब का प्रभाव : कमजोर बैंकों का बहिर्गमन

वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा की घोषणा के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज्ञान दस्तावेज तैयार किया गया और उसे मार्च 2005 में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। इस दस्तावेज पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक मध्यावधि रूपरेखा (एमटीएफ) तैयार की गई। विज्ञान दस्तावेज और मध्यावधि रूपरेखा ने शहरी बैंकिंग क्षेत्र के दो मुख्य विनियामक प्राधिकरणों यथा रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों (बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए केन्द्र सरकार) के बीच विनियामक समन्वय परिकल्पित किया। यह समन्वय प्रत्येक राज्य में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके प्राप्त किया जाना था ताकि वर्तमान कानूनी रूपरेखा में दोहरे नियंत्रण की समस्याओं को दूर किया जा सके।

20 जुलाई 2009 को 26 राज्यों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बहु राज्य शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ में सहमति ज्ञापन किया गया है। इस प्रकार शहरी सहकारी बैंकों के 99 प्रतिशत से अधिक बैंकों को सहमति ज्ञापन में शामिल कर लिया गया है जिनके पास इस क्षेत्र की कुल जमाओं तथा अग्रिमों का 99.2 प्रतिशत हिस्सा है। सहमति ज्ञापन के अनुसार रिजर्व बैंक सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यदल (टैफकब) का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें रिजर्व बैंक, राज्य सरकार और शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तदनुसार, टैफकब का गठन उन सभी राज्यों में किया गया है जिनके साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक केन्द्रीय टैफकब का गठन बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी किया गया है। टैफकब राज्यों में संभावित रूप से सक्षम तथा गैर सक्षम शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करता है और सक्षम बैंकों के लिए पुनरुज्जीवन मार्ग तथा गैर सक्षम बैंकों को बाधारहित तरीके से बहिर्गमन के मार्ग का सुझाव देता है। गैर सक्षम बैंकों का बहिर्गमन बेहतर

स्थिति वाले बैंकों के साथ विलय / सामेलन के माध्यम से अथवा अंतिम विकल्प के रूप में परिसमापन करके किया जा सकता है। टैफकब की सिफारिशों के आधार पर पर्यवेक्षी कार्रवाई में शामिल हैं: बहिर्गमन होने वाले बैंकों का विलय अन्य शहरी सहकारी बैंकों के साथ करना, गैर सक्षम यूसीबी के लाइसेंस निरस्त करना तथा लाइसेंस रहित यूसीबी के लाइसेंस आवेदनों को अस्वीकार करना।

यूसीबी क्षेत्र पर सहमति ज्ञापन और टैफकब का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसा श्रेणी III और श्रेणी IV दोनों को मिलाकर यूसीबी की संख्या में हुई कमी से स्पष्ट है, मार्च 2005 के अंत में कमजोर अथवा रुग्ण बैंकों की संख्या 725 से घटकर मार्च 2009 के अंत में 392 हो गई। विशेष रूप से 2004 के बाद श्रेणी III में यूसीबी की संख्या में निरंतर कमी आई है। हालांकि मार्च 2005 और 2006 के अंत में श्रेणी IV में शहरी सहकारी बैंकों में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद यह संख्या कम हुई है - यह मार्च 2006 के अंत में 270 से कम हो कर मार्च 2009 के अंत में 173 हो गई (सारणी 1)।

सारणी 1: यूसीबी क्षेत्र का परिवर्तनशील स्वरूप

वर्ष (मार्च के अंत में)	यूसीबी की संख्या	श्रेणी में बैंकों की संख्या				श्रेणी III और श्रेणी IV में बैंकों का प्रतिशत
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
2004	1,919*	880	307	529	203	38
2005	1,872	807	340	497	228	39
2006	1,853	716	460	407	270	37
2007	1,813	652	598	295	268	31
2008	1,770	748	526	258	238	28
2009	1,721	845	484	219	173	23

* 1,926 यूसीबी में से।

5.11 और महत्वपूर्ण बात है कि कुल जमाओं में श्रेणी I के यूसीबी के प्रतिशत का हिस्सा मार्च 2008 के अंत के 53.3 प्रतिशत से काफी अधिक बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 65.2 प्रतिशत हो गया। श्रेणी I के यूसीबी के अग्रिमों के प्रतिशत के हिस्से में भी इसी प्रकार की वृद्धि देखी जा सकती है। श्रेणी I के

यूसीबी की जमाराशियों और अग्रिमों में वृद्धि का अर्थ हुआ कि यूसीबी के शेष सभी वर्गों से यूसीबी के हिस्से में गिरावट हुई। विभिन्न श्रेणियों के यूसीबी की जमाराशियों और अग्रिमों की बदलती संरचना का अर्थ हुआ कि सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन वाले यूसीबी में बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण बढ़ रहा था (सारणी V.2)।

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों तथा अग्रिमों का श्रेणीवार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुप में)

श्रेणी	बैंकों की संख्या	कुल के प्रतिशत के रूप में बैंकों की संख्या	जमाराशियां	कुल के प्रतिशत के रूप में जमाराशिया	अग्रिम राशि	कुल के प्रतिशत के रूप में अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
I	845	49.1	1,03,432	65.2	62,842	64.2
II	484	28.1	30,956	19.5	19,251	19.7
III	219	12.7	8,040	5.1	5,498	5.6
IV	173	10.1	16,304	10.3	10,326	10.5
कुल	1,721	100.0	1,58,733	100.0	97,918	100.0

टिप्पणी : 2009 के आंकड़े अंतिम हैं।

कारोबार और आस्ति के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण

5.12 इस खंड में विश्लेषण के लिए, यूसीबी को उनके कारोबार (जमाराशियों और अग्रिमों) तथा आस्ति के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उनकी जमाओं के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण काफी अधिक जटिल है क्योंकि कुछ यूसीबी के पास यूसीबी क्षेत्र के कुल जमा आधार का काफी बड़ा प्रतिशत है। मार्च 2009 के अंत में, यूसीबी की कुल संख्या के 1.2 प्रतिशत के पास 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का जमा आधार था और कुल मिलाकर इन यूसीबी के पास संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र की कुल जमाओं का 33.6 प्रतिशत था (सारणी V.3)। यूसीबी की जमाओं का वितरण हाल के वर्षों में काफी अधिक जटिल हो गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मार्च 2008 के अंत में, यूसीबी के केवल 0.9 प्रतिशत का जमा आधार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक था और इन यूसीबी के पास यूसीबी क्षेत्र की कुल जमाओं का लगभग 28.8 प्रतिशत था।

5.13 यूसीबी के अग्रिमों के लिए वितरण का स्वरूप जमाओं के समान था (सारणी V.4)। मार्च 2009 के अंत में, कुल यूसीबी के लगभग एक प्रतिशत से कम के पास कुल अग्रिमों का एक

सारणी V.3: जमाराशियों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2009 के अंत में)

जमाराशि आधार (करोड़ रुपए)	यूसीबी की संख्या		जमाराशि	
	संख्या	कुल में प्रतिशत अंश	राशि (करोड़ रुपए)	कुल में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5
ज \geq 1000	20	1.2	53,281	33.6
500 \leq ज < 1000	27	1.6	18,749	11.8
250 \leq ज < 500	56	3.3	20,754	13.1
100 \leq ज < 250	189	11.0	28,526	18.0
50 \leq ज < 100	196	11.4	15,069	9.5
25 \leq ज < 50	317	18.4	11,757	7.4
10 \leq ज < 25	452	26.3	7,621	4.8
ज < 10	464	27.0	2,975	1.9
कुल	1,721	100.0	1,58,733	100.0

ज : जमाराशि आधार ।
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं ।

सारणी V.4: अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2009 के अंत में)

अग्रिमों का आकार (करोड़ रुपए)	यूसीबी की संख्या		अग्रिम	
	संख्या	कुल में प्रतिशत अंश	राशि	कुल में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5
अ \geq 1000	11	0.6	25,033	25.6
500 \leq अ < 1000	16	0.9	11,093	11.3
250 \leq अ < 500	37	2.1	12,668	12.9
100 \leq अ < 250	116	6.7	17,721	18.1
50 \leq अ < 100	154	8.9	11,634	11.9
25 \leq अ < 50	236	13.7	8,658	8.8
10 \leq अ < 25	441	25.6	7,279	7.4
अ < 10	710	41.3	3,831	3.9
कुल	1,721	100.0	97,918	100.0

अ : अग्रिम का आकार
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

चौथाई था। चूंकि अग्रिम इन बैंकों की कुल जमाओं के लगभग आधे थे, अग्रिमों के वितरण का स्वरूप आस्तियों के तुलनीय था (सारणी V.5)। स्पष्ट है कि चूंकि यूसीबी क्षेत्र के समेकन में प्रगति हो रही है, अतः कुछ यूसीबी के पक्ष में बैंकिंग कारोबार में संकेद्रण बढ़ रहा है।

सारणी V.5: आस्तियों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2009 के अंत में)

आस्ति आकार (करोड़ रुपए)	यूसीबी की संख्या		आस्तियां	
	संख्या	कुल में प्रतिशत अंश	राशि (करोड़ रुपए)	कुल में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5
आ \geq 2000	16	0.9	62,339	31.7
1000 \leq आ < 2000	10	0.6	12,378	6.3
500 \leq आ < 1000	39	2.3	26,422	13.5
250 \leq आ < 500	73	4.2	24,365	12.4
100 \leq आ < 250	226	13.1	33,554	17.1
50 \leq आ < 100	244	14.2	16,204	8.3
25 \leq आ < 50	336	19.5	11,567	5.9
15 \leq आ < 25	285	16.6	5,130	2.6
आ < 15	492	28.6	4,436	2.3
कुल	1,721	100.0	1,96,395	100.0

आ : आस्ति आकार
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी V.6: शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ग	यूसीबी की सं.	जमाराशियां	ऋण और अग्रिम	आस्तियां
1	2	3	4	5
सभी यूसीबी*	1,721	1,58,733 (100.0)	97,918 (100.0)	1,96,395 (100.0)
अनुसूचित यूसीबी	53	67,929 (42.8)	42,234 (43.1)	85,895 (43.7)
गैर अनुसूचित यूसीबी	1,668	90,804 (57.2)	55,684 (56.9)	1,10,500 (56.3)

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक के रूप में यूसीबी का वितरण

5.14 गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या अनुसूचित यूसीबी से अधिक है। मार्च 2009 के अंत में, अनुसूचित यूसीबी की संख्या 53 पर अपरिवर्तित रही, जबकि पिछले वर्ष गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या 1,717 से घटकर 1,668 हो गयी। दूसरे शब्दों में, श्रेणी III/IV के सभी यूसीबी जिन्होंने 2008 और 2009 के बीच अपने कारोबार को बंद कर दिया था, गैर-अनुसूचित बैंक थे।

5.15 मार्च 2009 के अंत में, गैर-अनुसूचित बैंकों के पास सापेक्षिक रूप से कुल जमाओं और अग्रिमों में काफी बड़ा हिस्सा था (सारणी V.6) तथापि, हाल के वर्षों में, कुल जमाओं और अग्रिमों में गैर-अनुसूचित बैंकों के हिस्से में गिरावट आई है। यूसीबी के पास मार्च 2008 के अंत के 41.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कुल जमाओं का 42.8 प्रतिशत था।

इसके अलावा, कुल अग्रिमों में अनुसूचित यूसीबी का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में 40.0 प्रतिशत था जो मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 43.1 प्रतिशत हो गया।

यूसीबी का टियरवार वितरण

5.16 विनियामक प्रयोजनों के लिए यूसीबी को दो टियरों अर्थात् टियर I और टियर II में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2009 के अंत में, टियर I यूसीबी की संख्या टियर II यूसीबी की संख्या से काफी अधिक थी। कुल जमाओं और अग्रिमों में टियर I यूसीबी का हिस्सा 24 प्रतिशत से कम था, शेष हिस्सा टियर II यूसीबी का था (सारणी V.7)।

यूसीबी के तुलनपत्र का परिचालन

5.17 2008-09 के दौरान यूसीबी की कुल आस्तियों की वृद्धि दर में कमी आई। यूसीबी की कुल आस्तियों की वृद्धि 2007-08 के 11.1 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 9.5 प्रतिशत हो गई (सारणी V.8)। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम, जो यूसीबी की कुल आस्तियों के लगभग आधे से अधिक थे, ने 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2008-09 के दौरान आस्ति पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक कारक यूसीबी का निवेश था जो 12.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा। देयता पक्ष में, विस्तार की प्रमुख स्रोत जमाराशियां थीं जो वर्ष के दौरान 13.5 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और जो पिछले वर्ष के 15.2 प्रतिशत की वृद्धि से 1.7 प्रतिशत अंक कम थीं। 2006-07 के दौरान दर्ज की गयी 6.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में पिछले दो वर्षों की जमाओं में

सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों का टियर वार वितरण
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

टियर	यूसीबी की संख्या		जमाराशियां		अग्रिम		आस्तियां	
	संख्या	कुल में प्रतिशत अंश	राशि	कुल में प्रतिशत अंश	राशि	कुल में प्रतिशत अंश	राशि	कुल में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टियर I यूसीबी	1,429	83.0	37,937	23.9	22,913	23.4	47,528	24.2
टियर II यूसीबी	292	17.0	1,20,796	76.1	75,005	76.6	1,48,867	75.8
सभी यूसीबी	1,721	100.0	1,58,733	100.0	97,918	100.0	1,96,395	100.0

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।


सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	4,769 (2.7)	5,261 (2.7)	20.2	10.3
2. आरक्षित निधियां	15,339 (8.5)	15,591 (7.9)	7.7	1.6
3. जमाराशियां	1,39,871 (78.0)	1,58,733 (80.8)	15.2	13.5
4. उधार	2,680 (1.5)	2,554 (1.3)	0.9	-4.7
5. अन्य देयताएं	16,752 (9.3)	14,256 (7.3)	-12.7	-14.9
आस्तियां				
1. उपलब्ध नकदी	1,935 (1.1)	1,907 (1.0)	19.3	-1.4
2. बैंकों के पास शेष	17,555 (9.8)	18,193 (9.3)	97.1	3.6
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	1,895 (1.1)	2,112 (1.1)	0.6	11.5
4. निवेश	56,912 (31.7)	64,171 (32.7)	11.9	12.8
5. ऋण और अग्रिम	90,444 (50.4)	97,918 (49.9)	13.4	8.3
6. अन्य आस्तियां	10,671 (5.9)	12,095 (6.2)	-42.2	13.3
कुल देयताएं / आस्तियां	1,79,412 (100.0)	1,96,395 (100.0)	11.1	9.5

अ: अर्न्तम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।

निरंतर दो अंक की वृद्धि इस क्षेत्र में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है (चार्ट V.2)।



5.18 यूसीबी ने निधियों के स्रोत के रूप में जमाओं पर बहुत अधिक भरोसा किया जो 2009 में उनकी कुल देयताओं के 80.8 प्रतिशत थीं। दूसरी तरफ, उधार उनकी देयताओं के केवल 1.3 प्रतिशत थे। उधारों की तुलना में जमाओं पर इस निर्भरता ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के परिचालनों के बीच काफी बड़ा अंतर दिखलाया है।

5.19 ग्रामीण सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की ही तरह, एसएलआर निवेश यूसीबी के लिए निवेश के सर्वाधिक पसंदीदा प्रकार थे। एलएलआर निवेशों में यूसीबी के कुल निवेशों का सबसे बड़ा हिस्सा था जिसका हिस्सा मार्च 2009 के अंत में 91.4 प्रतिशत था (सारणी V.9)। जैसाकि अध्याय III में कहा गया कि यूसीबी को संबंधित जिलों के डीसीसीबी और संबंधित जिलों के राज्य सहकारी बैंकों के साथ उनके द्वारा रखी गई मीयादी जमाराशियों को एसएलआर निवेशों के रूप में मानने की अनुमति दी गयी। 2008-09 के दौरान, राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी की संयुक्त मीयादी जमाराशियां केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के पश्चात यूसीबी के एसएलआर निवेश की सबसे महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार की जमाराशियां थीं।

सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों का निवेश

(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़
	2008	2009अ	
1	2	3	4
कुल निवेश (क + ख)	56,912 (100.0)	64,171 (100.0)	12.8
क. एसएलआर निवेश (i से vi)	52,302 (91.9)	58,677 (91.4)	12.2
i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	33,408 (58.7)	36,205 (56.4)	8.4
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4,330 (7.6)	4,564 (7.1)	5.4
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,040 (1.8)	819 (1.3)	-21.3
iv) राज्य सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियां	4,081 (7.2)	5,406 (8.4)	32.5
v) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियां	8,163 (14.3)	9,258 (14.4)	13.4
vi) अन्य	1,280 (2.2)	2,425 (3.8)	89.5
ख. गैर एसएलआर निवेश (सरकारी क्षेत्र संस्थाओं / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांडों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और यूटीआई की यूनितों में)	4,610 (8.1)	5,494 (8.6)	19.2

अ: अर्न्तम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी का तुलनपत्र परिचालन

5.20 गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में वर्ष 2008-09 अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्र के आकार में काफी अधिक विस्तार का वर्ष था (सारणी V.10 और V.11)²। गैर अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्र के आकार में गिरावट आस्ति और देयता पक्ष के दो महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् अग्रिम और जमाराशियों के कारण आई। 2008-09 के दौरान गैर अनुसूचित यूसीबी की जमा वृद्धि में गिरावट के बावजूद, इन बैंकों की कुल देयताओं में जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई। गैर अनुसूचित यूसीबी के

सारणी V.10: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,322 (1.8)	1,510 (1.8)	32.9	14.2
2. आरक्षित निधियां	6,759 (9.0)	6,900 (8.0)	-2.0	2.1
3. जमाराशियां	58,871 (78.5)	67,929 (79.1)	15.0	15.4
4. उधार	1,476 (2.0)	1,833 (2.1)	9.7	24.2
5. अन्य देयताएं	6,600 (8.8)	7,724 (9.0)	-43.5	17.0
आस्तियां				
1. उपलब्ध नकदी	546 (0.7)	508 (0.6)	28.8	-7.0
2. बैंकों के पास शेष	7,584 (10.1)	7,774 (9.1)	67.0	2.5
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	1,009 (1.3)	1,425 (1.7)	-8.0	41.2
4. निवेश	25,776 (34.4)	29,210 (34.0)	12.7	13.3
5. ऋण और अग्रिम	36,147 (48.2)	42,234 (49.2)	10.2	16.8
6. अन्य आस्तियां	3,966 (5.3)	4,744 (5.5)	-61.6	19.6
कुल देयताएं/आस्तियां	75,028 (100.0)	85,895 (100.0)	4.1	14.5

अ:अनंतिम।
टिप्पणी :कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

सारणी V.11: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	3,447 (3.3)	3,752 (3.4)	15.9	8.8
2. आरक्षित निधियां	8,580 (8.2)	8,691 (7.9)	16.9	1.3
3. जमाराशियां	81,000 (77.6)	90,804 (82.2)	15.4	12.1
4. उधार	1,204 (1.2)	722 (0.7)	-8.2	-40.0
5. अन्य देयताएं	10,152 (9.7)	6,532 (5.9)	35.0	-35.7
आस्तियां				
1. उपलब्ध नकदी	1,388 (1.3)	1,398 (1.3)	15.9	0.7
2. बैंक के पास शेष	9,971 (9.6)	10,419 (9.4)	128.5	4.5
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	885 (0.8)	687 (0.6)	12.5	-22.4
4. निवेश	31,136 (29.8)	34,961 (31.6)	11.3	12.3
5. ऋण और अग्रिम	54,297 (52.0)	55,684 (50.4)	15.7	2.6
6. अन्य आस्तियां	6,705 (6.4)	7,351 (6.7)	-17.3	9.6
कुल देयताएं / आस्तियां	1,04,383 (100.0)	1,10,500 (100.0)	16.8	5.9

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

लिए कुल देयताओं में वृद्धि और जमाओं के हिस्से में बढ़ोतरी हुई। उधार अनुसूचित और गैर अनुसूचित यूसीबी दोनों के लिए सापेक्षिक रूप से निधियों के छोटे स्रोत थे।

5.21 अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्र में ऋण और अग्रिमों का हिस्सा गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में सापेक्षिक रूप से कम था। 2008-09 के दौरान अनुसूचित यूसीबी के ऋण और अग्रिमों की वृद्धि की वार्षिक दर गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में काफी अधिक देखी गयी।

² अनुसूचित यूसीबी के वित्तीय निष्पादन के बारे में बैंक-वार ब्यौरे परिशिष्ट सारणी V.1 और V.2 में दिये गये हैं।

सारणी V.12: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवेश की संरचना

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5	6	7
एसएलआर निवेश	22,986 (89.2)	26,067 (89.2)	29,315 (94.2)	32,610 (93.3)	52,302 (91.9)	58,677 (91.4)
गैर-एसएलआर निवेश	2,790 (10.8)	3,143 (10.8)	1,821 (5.8)	2,351 (6.7)	4,610 (8.1)	5,494 (8.6)
कुल निवेश	25,776 (100.0)	29,210 (100.0)	31,136 (100.0)	34,961 (100.0)	56,912 (100.0)	64,171 (100.0)
अ:अनंतिम। टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।						

5.22 एसएलआर निवेशों की महत्ता अनुसूचित और गैर अनुसूचित यूसीबी दोनों के निवेश के स्वरूप में देखी जा सकती है (सारणी V.12)। अनुसूचित यूसीबी के मामले में, 2008-09 के दौरान एसएलआर निवेशों में गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में वृद्धि की दर अधिक रही। फिर भी, वर्ष के दौरान गैर अनुसूचित यूसीबी के कुल निवेशों में एसएलआर निवेशों के हिस्से में कमी आई जबकि अनुसूचित यूसीबी का हिस्सा अपरिवर्तित रहा।

यूसीबी का वित्तीय निष्पादन

5.23 2008-09 के दौरान, यूसीबी के परिचालन लाभ की वृद्धि में कमी आई। प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि के कारण निवल लाभों में कमी सापेक्षिक रूप से तीव्र नहीं हुई। यह उल्लेखनीय है कि यूसीबी के निवल लाभों में पिछले दो वर्षों के दौरान लगातार धनात्मक वृद्धि हुई। लाभप्रदता के मामले में, 2007-08 के दौरान (तुलनीय वर्ष जिसके आंकड़े ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए उपलब्ध है) यूसीबी ने ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को पीछे छोड़ दिया (सारणी V.26 और V.29 के साथ पठित सारणी V.13)।

अनुसूचित और गैर अनुसूचित यूसीबी का वित्तीय निष्पादन

5.24 वर्ष के दौरान गैर अनुसूचित यूसीबी की निवल ब्याज आय काफी अधिक बढ़ी। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान निवल लाभ में 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत,

वर्ष के दौरान अनुसूचित यूसीबी की लाभप्रदता में अल्प कमी दिखी (सारणी V.14 और V.15)।

सारणी V.13: सभी शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. कुल आय (i+ii)	15,385 (100.0)	18,952 (100.0)	25.3	23.2
i. ब्याज आय	13,833 (89.9)	17,027 (89.8)	23.3	23.1
ii. ब्याजेतर आय	1,552 (10.1)	1,925 (10.2)	45.7	24.0
ख. कुल व्यय (i+ii)	12,400 (100.0)	15,402 (100.0)	26.6	24.2
i. ब्याज व्यय	8,966 (72.3)	10,992 (71.4)	33.9	22.6
ii. ब्याजेतर व्यय	3,434 (27.7)	4,411 (28.6)	10.8	28.5
<i>जिसमें से: वेतन बिल</i>	1,836	2,445	59.8	33.2
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ राशि	2,985	3,549	20.2	18.9
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर	1,464	1,803	11.8	23.2
iii. निवल लाभ राशि	1,520	1,746	29.6	14.9
अ : अनंतिम। टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।				

सुदृढ़ता संकेतक

आस्ति गुणवत्ता

5.25 वैश्विक संकट के कारण आर्थिक गतिविधि में मंदी और ऋण चूकों की अधिक प्रत्याशाओं के बावजूद, 2008-09 में यूसीबी क्षेत्र के (सकल) एनपीए अनुपात में गिरावट आई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान (सकल) एनपीए राशि में गिरावट आई (सारणी V.16)। यह भी उल्लेखनीय है कि 2005 और 2009 के बीच यूसीबी के एनपीए अनुपात में गिरावट आई जो इस क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाती है (चार्ट V.3)³।

5.26 यद्यपि यूसीबी के एनपीए अनुपात में गिरावट रही है, यह अनुपात अभी भी राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी

सारणी V.14: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. कुल आय (i+ii)	6,420	8,205	39.7	27.8
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	5,605	7,161	38.1	27.8
	(87.3)	(87.3)		
ii. ब्याजेतर आय	815	1,044	52.9	28.1
	(12.7)	(12.7)		
ख. कुल व्यय (i+ii)	5,039	6,527	32.9	29.5
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज व्यय	3,574	4,713	43.6	31.9
	(70.9)	(72.2)		
ii. ब्याजेतर व्यय	1,465	1,814	12.5	23.8
	(29.1)	(27.8)		
जिसमें से: वेतन बिल	773	903	96.2	16.8
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ राशि	1,381	1,678	72.0	21.5
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर	472	772	58.4	63.6
iii. निवल लाभ राशि	909	906	80.0	-0.3

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।

सारणी V.15: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. कुल आय (i+ii)	8,965	10,747	16.6	19.9
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	8,228	9,866	15.0	19.9
	(91.8)	(91.8)		
ii. ब्याजेतर आय	736	881	38.3	19.7
	(8.2)	(8.2)		
ख. कुल व्यय (i+ii)	7,361	8,875	22.6	20.6
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज व्यय	5,391	6,279	28.1	16.5
	(73.2)	(70.7)		
ii. ब्याजेतर व्यय	1,969	2,596	9.5	31.8
	(26.7)	(29.3)		
जिसमें से: वेतन बिल	1,063	1,542	40.8	45.1
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ राशि	1,604	1,871	-4.5	16.6
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर	992	1,031	-2.0	3.9
iii. निवल लाभ राशि	612	840	-8.4	37.3

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

अधिक है। फिर भी, यूसीबी का अनुपात उसके ग्रामीण सहभागियों अर्थात् ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की तुलना में काफी कम है (सारणी V.23 के साथ पठित सारणी V.16)।


सारणी V.16: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मार्च के अंत में	रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाले यूसीबी की संख्या	सकल अनर्जक आस्तियां	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अनर्जक आस्तियां	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां
1	2	3	4	5	6
2007	1,813	14,541	18.3	6,235	8.8
2008	1,770	14,037	15.5	6,083	7.7
2009अ	1,721	13,043	13.3	5,318	6.1

अ : अनंतिम।

³ चार्ट V.3 में, यूसीबी के सकल और निवल एनपीए को सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में लिया गया है क्योंकि निवल अग्रिमों के आंकड़े केवल वर्ष 2007 के बाद के उपलब्ध हैं।



पूंजी पर्याप्तता

5.27 वर्तमान में, यूसीबी के लिए विनियामक न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत है। मार्च 2009 के अंत में कुल 1,721 में से 1,485 यूसीबी विनियामक न्यूनतम का अनुपालन कर रहे थे (सारणी V.17)। यूसीबी के पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ है, जैसा कि 9 प्रतिशत और अधिक सीआरएआर रखने वाले

सारणी V.17: शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर-वार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)

सीआरएआर का दायरा (प्रतिशत)	सीआरएआर <3	3 ≤ सीआरएआर <6	6 ≤ सीआरएआर <9	सीआरएआर ≥9	कुल
1	2	3	4	5	6
गैर-अनुसूचित यूसीबी	136	24	66	1,442	1,668
अनुसूचित यूसीबी	8	1	1	43	53
सभी शहरी सहकारी बैंक	144	25	67	1,485	1,721

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

बैंकों के बढ़ते अनुपात से स्पष्ट है, मार्च 2008 के अंत में उनका अनुपात 82.3 प्रतिशत था जो मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 86.3 प्रतिशत हो गया।

5.28 पूंजी पर्याप्तता में समग्र सुधार के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि लगभग 8 प्रतिशत गैर अनुसूचित यूसीबी और 15 प्रतिशत अनुसूचित यूसीबी का सीआरएआर 3 प्रतिशत से कम था जो किसी संभावित हानि से बचाने में इन बैंकों के लिए पूंजी की गंभीर अपर्याप्तता को व्यक्त करता है। यूसीबी के लिए सीएफएसए द्वारा किये गये दबाव परीक्षण ने भी इस क्षेत्र की अंतर्निहित अस्थिरता को बताया (बॉक्स V.2)।


बॉक्स V.2 : सीएफएसए द्वारा यूसीबी क्षेत्र का वित्तीय मूल्यांकन

वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन पर बनी समिति (सीएफएसए) ने भारतीय वित्तीय प्रणाली का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया। अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ, सीएफएसए ने यूसीबी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया। यूसीबी क्षेत्र से संबंधित कुछ बड़ी चिन्ताओं जैसे नियंत्रण के दोहरेपन तथा अनर्जक आस्तियों के ऊंचे स्तर पर चर्चा करने के अलावा, समिति ने इस क्षेत्र पर दबाव जाँच की जिससे इस क्षेत्र की कमजोर वित्तीय स्थिति का पता चला।

आँकड़ों की सीमा के कारण, 52 ऐसे यूसीबी की दबाव जाँच की गईं जिनके पास मार्च 2007 से अन्त तक सभी अनुसूचित यूसीबी की कुल आस्तियों का 43 प्रतिशत हिस्सा था। यह जाँच इन बैंकों के ऋण संविभाग तक ही सीमित थी। यूसीबी के ऋण संविभाग को प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि तथा अनर्जक आस्तियों में 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि का आघात दिया गया।

इस जाँच से पता चला कि मार्च 2007 के अन्त में, 27 बैंक (अनुसूचित यूसीबी की आस्तियों का 38 प्रतिशत हिस्सा) अनर्जक आस्तियों में 25 प्रतिशत वृद्धि के कारण 9 प्रतिशत के सीआरएआर मानदण्ड का अनुपालन नहीं कर पाये। प्रणाली स्तर पर, अनर्जक आस्तियों में 25 प्रतिशत दबाव होने से सीआरएआर 11.4 प्रतिशत से कम होकर 5.6 प्रतिशत रह गया। साथ ही,

अनर्जक आस्तियों के स्तर में 50 प्रतिशत वृद्धि से उन बैंकों की संख्या बढ़ कर 31 हो गई जो निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर का पालन करने में असमर्थ थे। तथापि, प्रणाली स्तर पर, सीआरएआर तेजी से कम हो कर 2.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट नीचे)।



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

5.29 शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के अल्प और मध्यम आय समूहों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में इन संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के कारण 1983 में यूसीबी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों के अधीन रखा गया। वर्तमान में, यूसीबी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिशत अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर (ओबीई) की राशि के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो, देना होगा। इस लक्ष्य में से कम-से-कम 25 प्रतिशत 'कमजोर वर्गों' को दिया जाना चाहिए। इन बैंकों के मुख्य रूप से शहरी फोकस को देखते हुए राज्य सहकारी बैंकों की तरह से यूसीबी के लिए कृषि हेतु कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

5.30 मार्च 2009 के अंत में, यूसीबी के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम का एक बड़ा हिस्सा (38.5 प्रतिशत) छोटे उद्यमों

सारणी V.18: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम (मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग	
	राशि	कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश	राशि	कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5
कृषि और संबंधित कार्य-कलाप	4,731	4.8	1,732	1.8
1. प्रत्यक्ष वित्त	1,415	1.4	537	0.5
2. अप्रत्यक्ष वित्त	3,316	3.4	1,195	1.2
खुदरा व्यापार	10,235	10.5	2,958	3.0
छोटे उद्यम	21,283	21.7	3,748	3.8
1. प्रत्यक्ष वित्त	15,331	15.7	2,866	2.9
2. अप्रत्यक्ष वित्त	5,952	6.1	882	0.9
शैक्षिक ऋण	1,461	1.5	557	0.6
आवास ऋण	13,882	14.2	4,271	4.4
व्यक्ति ऋण	3,130	3.2	1,035	1.1
अजा/अजजा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन	526	0.5	273	0.3
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल ऋण	55,248	56.4	14,573	14.9

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

को दिया गया इसके तुरंत बाद आवास ऋण (25.1 प्रतिशत हिस्सा) को। इसके अलावा, छोटे उद्यमों को दिए गए यूसीबी ऋण में 2008-09 के दौरान 41.7 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि दर्ज हुई, जो वैश्विक संकट के फलस्वरूप इन उद्यमों के प्रति बैंक ऋण संबंधी कमी की चिंताओं के विपरीत थी। परिणाम के रूप में, छोटे उद्यमों को दिए गए ऋण, जिनका हिस्सा मार्च 2008 के अंत में यूसीबी के कुल अग्रिमों में 16.9 प्रतिशत था, मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 21.7 प्रतिशत हो गए (सारणी V.18)।

यूसीबी का क्षेत्रीय स्वरूप

5.31 यूसीबी का परिचालन व्यापक रूप से तीन राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र (गोवा सहित) गुजरात और कर्नाटक में संकेद्रित है। देश के यूसीबी परिचालन की कुल संख्या में मार्च 2009 के अंत में इन तीन राज्यों का हिस्सा 64.8 प्रतिशत

सारणी V.19: शहरी सहकारी बैंकों का राज्य वार वितरण (मार्च 2009 के अंत में)

राज्य	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या *	विस्तार पटलों की संख्या	एटीएमों की संख्या**
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	114	234	7	1
असम/उत्तर पूर्व बिहार/झारखंड	17	28	0	0
छत्तीसगढ़	5	6	1	0
छत्तीसगढ़	13	21	2	1
गुजरात	260	886	10	57
जम्मू और कश्मीर	4	16	4	0
कर्नाटक	273	828	9	16
केरल	60	332	2	0
मध्य प्रदेश	55	84	0	0
महाराष्ट्र/गोवा	583	4,148	165	573
नई दिल्ली	15	62	1	0
उड़ीसा	13	50	4	4
पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश	16	40	3	1
राजस्थान	39	149	3	1
तमिलनाडु/पुदुचेरी	130	310	0	1
उत्तर प्रदेश	70	179	19	0
उत्तराखंड	5	49	2	3
पश्चिम बंगाल/सिक्किम	49	100	2	1
कुल	1,721	7,522	234	659

* : मुख्य कार्यालय के साथ शाखा भी शामिल।
 ** : 659 एटीएमों में से 12 ऑफसाइट एटीएम और शेष ऑन-साइट एटीएम थे। सभी ऑफ-साइट एटीएम महाराष्ट्र में स्थित थे।
 टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी V.20: शहरी सरकारी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों का राज्य वार वितरण
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	जमाराशि		अग्रिम		यूसीबी वाले जिलों की कुल संख्या
	राशि	कुल में प्रतिशत अंश	राशि	कुल में प्रतिशत अंश	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	3,653	2.3	2,541	2.6	21
असम	269	0.2	155	0.2	6
बिहार	41	0.02	22	0.02	2
छत्तीसगढ़	271	0.2	90	0.1	7
गुजरात	25,564	16.1	14,091	14.4	26
हरियाणा	274	0.2	160	0.2	7
हिमाचल प्रदेश	266	0.2	161	0.2	4
जम्मू और कश्मीर	253	0.2	153	0.2	5
झारखंड	11	0.006	7	0.007	2
कर्नाटक	10,391	6.5	7,183	7.3	26
केरल	3,849	2.4	2,493	2.5	14
मध्य प्रदेश	1,027	0.6	498	0.5	25
गोवा	1,290	0.8	751	0.8	5
महाराष्ट्र	96,249	60.6	60,634	61.9	35
मणिपुर	129	0.1	58	0.1	3
मेघालय	60	0.03	28	0.02	3
मिजोरम	10	0.006	4	0.004	1
नई दिल्ली	1,241	0.8	523	0.5	1
उड़ीसा	854	0.5	532	0.5	13
पुदुचेरी	101	0.1	79	0.1	1
पंजाब	552	0.3	277	0.3	2
राजस्थान	2,468	1.6	1,402	1.4	23
सिक्किम	5	0.003	4	0.004	1
तमिलनाडु	3,598	2.3	2,608	2.7	30
त्रिपुरा	10	0.003	6	0.006	1
उत्तर प्रदेश	2,554	1.6	1,483	1.5	36
उत्तराखंड	1,194	0.8	668	0.7	7
पश्चिम बंगाल	2,551	1.6	1,309	1.3	11
कुल	1,58,733	100.0	97,918	100.0	318

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. ऋण और जमाओं के राज्य वार आंकड़े पूर्णांकन के कारण ठीक-ठीक कुल में नहीं जोड़े गये हैं।

था (सारणी V.19)। यूसीबी के अग्रिमों और जमाराशियों का राज्य-वार वितरण और भी जटिल है जिसमें सभी यूसीबी के कुल अग्रिमों और जमाराशियों में महाराष्ट्र का हिस्सा अकेले 60 प्रतिशत है (सारणी V.20)। देश में सभी केंद्रों में, श्रेणी I और II के सुदृढ़ यूसीबी का प्रतिशत 50 प्रतिशत के अधिक था (सारणी V.21)।

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण

5.32 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण बी.आर अधिनियम 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत उसको प्रदान की गयी शक्तियों के अनुसार नाबार्ड के पास है। प्रभावी विनियमन के लिए, नाबार्ड के निरीक्षण का केन्द्र बिंदु बैंकिंग विनियामवली

सारणी V.21: श्रेणीवार शहरी सहकारी बैंकों की केंद्र-वार संख्या
(मार्च 2009 के अंत में)

राज्य	ग्रेड I	ग्रेड II	ग्रेड III	ग्रेड IV	कुल
1	2	3	4	5	6
अहमदाबाद	116	100	16	28	260
बंगलूर	128	82	47	16	273
भोपाल	13	25	12	5	55
भुवनेश्वर	3	4	3	3	13
चंडीगढ़	10	2	1	3	16
चेन्नै	88	34	3	5	130
देहरादून	4	-	1	-	5
गुवाहाटी	7	8	1	1	17
हैदराबाद	75	25	6	8	114
जयपुर	25	11	1	2	39
जम्मू	3	-	1	-	4
कोलकाता	27	11	1	10	49
लखनऊ	46	10	9	5	70
मुम्बई	202	100	64	54	420
नागपुर	55	40	39	29	163
नई दिल्ली	11	2	1	1	15
पटना	5	-	-	-	5
रायपुर	7	3	1	2	13
तिरुवनंतपुरम	20	27	12	1	60
कुल	845	484	219	173	1,721

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करना और सहकारी संस्थाओं की वित्तीय तथा परिचालनगत सुदृढ़ता तथा प्रबंधकीय कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना रहा है।

5.33 2008-09 में, उन सभी राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी, जिन्होंने न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया, की सांविधिक निरीक्षण की बारंबारता वार्षिक बनी रही। सभी एससीएआरडीबी की स्वैच्छिक निरीक्षण की बारंबारता वार्षिक थी। ऐसे डीसीसीबी जिनकी धनात्मक निवल हैसियत थी, का सांविधिक निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया गया। वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 273 बैंकों (30 राज्य सहकारी बैंक और 243 डीसीसीबी बैंक) का सांविधिक निरीक्षण और 17 एससीएआरडीबी का स्वैच्छिक निरीक्षण किया।

5.34 वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा किये गये निरीक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर्यवेक्षी चिंताएं दिखाईं: (i) सांविधिक प्रावधानों का अननुपालन; (ii) एनपीए का उच्च स्तर / आस्तियों का हास; (iii) ऋणों / अग्रिमों की मंजूरी,

मूल्यांकन में कमियां और वितरण के पश्चात अनुवर्तन; (iv) अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली; (v) विवरणियों को प्रस्तुत करने में देरी और निरीक्षण टिप्पणियों का संतोषजनक अनुपालन; (vi) कंपनी अभिशासन की कमी और (vii) धोखाधड़ियां होना।

5.35 नाबार्ड के निदेशक मंडल की एक आंतरिक समिति के रूप में पर्यवेक्षण बोर्ड (बीओएस) का गठन नाबार्ड द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के अंतर्गत किया गया। बोर्ड मुख्य रूप से राज्य सहकारी बैंकों, डीसीसीबी और आरआरबी की नीतियों के संबंध में और पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के मामलों में निर्देशन और दिशा निर्देशन देता है। बोर्ड की वर्ष के दौरान तीन बार बैठकें होती हैं। अन्य मुद्दों के बीच, इसने निम्नलिखित की समीक्षा की: (i) राज्य सहकारी बैंकों/एससीएआरडीबी की कार्यप्रणाली; (ii) सहकारी ऋण संस्थाओं और केरल, बिहार और राजस्थान के आरआरबी की कार्यप्रणाली; (iii) दिवालिये, कमजोर डीसीसीबी और आरआरबी की कार्यप्रणाली; (iv) बैंकों के निष्पादन पर पर्यवेक्षण का प्रभाव;

(v) समामेलित आरआरबी की अनुसूची बनाना और (vi) बैंकों की रेटिंग से संबंधित पर्यवेक्षी रुझान।

5.36 नाबार्ड ने नवीनतम गतिविधियों और नीतिगत परिवेश को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों के लिए निरीक्षण दिशा निर्देशों में संशोधन किया। इन संशोधित दिशा निर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित पर जोर दिया गया: (i) आस्ति देयता प्रबंधन; (ii) मानक और उचित व्यवहार संहिता; (iii) उधारदाता का वित्तीय अनुशासन और (iv) सीआरएआर मानदंड।

सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन

5.37 नाबार्ड की इस नीति पर जोर देने के बावजूद कि सहकारी बैंकों का प्रबंधन विधिवत चुने गए प्रबंधन बोर्ड द्वारा किये जाने की आवश्यकता है, कुछ राज्यों में वर्ष के दौरान चुने गए बोर्डों के अधिक्रमण के मामले जारी रहे। तथापि, ऐसी संस्थाओं के प्रतिशत में गिरावट आई जहां ऐसे अधिक्रमण पाए गये। 31 मार्च 2008 को उन (रिपोर्टिंग) संस्थाओं का प्रतिशत, जहां चुने गए बोर्डों का अधिक्रमण किया गया था, पिछले वर्ष के 46.4 प्रतिशत की तुलना में 41.9 प्रतिशत था (सारणी V.22)। अधिक्रमण के मामले एससीएआरडीबी तथा डीसीसीबी में सर्वाधिक प्रमुख थे।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का परिचालन और वित्तीय निष्पादन

5.38 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं (जिसमें राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी, पीएसीएस, एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी शामिल हैं) के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के

बाद उपलब्ध हुए हैं और इसलिए वर्तमान खंड का विश्लेषण 2007-08 से संबंधित है।

5.39 2007-08 के दौरान ऋण सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या में 2,282 की कमी हुई; इसके लिए मुख्य रूप से पीएसीएस की संख्या में गिरावट को जिम्मेदार माना गया (सारणी V.23)। इसके अलावा, 2007-08 के दौरान अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक गिरावट आई। सभी ऋण सहकारी संस्थाओं के लिए बकाया ऋण की तुलना में एनपीए का समग्र अनुपात मार्च 2007 के अंत के 19.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 25.9 प्रतिशत हो गया। हानि वाली ऋण सहकारी संस्थाओं की संख्या भी मार्च 2008 के अंत में लाभ कमाने वाली संस्थाओं से काफी अधिक थी जो अतीत में सहकारी ऋण संस्थाओं की नियमित विशेषता रही है। सभी सहकारी संस्थाओं ने कुल मिलाकर वर्ष के दौरान 3,954 करोड़ रुपए की समग्र हानि उठायी।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पकालिक संरचना

5.40 राज्य, जिला और प्राथमिक सहकारी ऋण संस्थाओं वाले अल्पकालिक ढांचे प्राथमिक रूप से कृषि की विभिन्न अल्पकालिक/मध्यकालिक उत्पादन और विपणन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2007-08 में कुल मिलाकर सहकारी ढांचे के कुल बकाया ऋणों में से, अल्पकालिक ऋण ढांचे का लगभग 88 प्रतिशत का बड़ा हिस्सा था (सारणी V.23)। इसके अलावा, कुल मिलाकर ग्रामीण सहकारी ढांचे के माध्यम से जुटाई गयी कुल जमाराशियों में लगभग 99 प्रतिशत अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा जुटाया गया।

सारणी V.22: अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड
(मार्च 2008 के अंत में)

मद	राज्य सहकारी बैंक	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	कुल
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओं की कुल संख्या	31	371	20	697	1,119
(ii) रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं की संख्या	28	324	15	642	1,009
(iii) उन संस्थाओं की कुल संख्या- जहाँ बोर्ड अधिक्रमण के अधीन थे।	9	146	8	260	423
अधिक्रमण के अंतर्गत रिपोर्टिंग बोर्डों का प्रतिशत					
[(iii) के प्रतिशत के रूप में (ii)]	32.1	45.1	53.3	40.5	41.9
स्रोत : नाबार्ड।					

सारणी V.23 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का स्वरूप
(मार्च 2008 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अल्पकालिक		दीर्घकालिक		कुल	
	राज्य सहकारी बैंक	डीसीसीबी#	पीएसीएस	एससीएआरडीबी@ पीसीएआरडीबी ^		
1	2	3	4	5	6	7
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	371	94,942	20	697	96,061
ख. तुलनपत्र संकेतक						
i) स्वाधिकृत निधि (पूँजी+आरक्षित)	10,718	24,754	10,984	3,713	3,039	53,208
ii) जमाराशियां	52,973	1,02,986	25,449	645	331	1,82,384
iii) उधार	22,164	26,096	47,848	15,843	10,206	1,22,157
iv) जारी ऋण और अग्रिम*	57,455	93,162	57,643	2,226	1,773	2,12,259
v) बकाया ऋण और अग्रिम	48,228	91,374	65,666	18,217	9,529	2,33,014
vi) निवेश	29,060	44,419	-	2,526	752	76,757
vii) कुल देयताएं/आस्तियां	90,151	1,61,932	88,107 +	24,403	18,209	3,82,802
ग. वित्तीय कार्य निष्पादन ^ ^						
i) लाभ वाली संस्थाएं						
क) संख्या	23	234	38,307	9	203	38,776
ख) लाभ की राशि	234	760	2,230	151	170	3,545
ii) हानि वाली संस्थाएं						
क) संख्या	5	88	48,520	8	258	48,879
ख) हानि की राशि	-49	-825	-5,711	-398	-516	-7,499
iii) समग्र लाभ /हानि	185	-65	-3,481	-247	-346	-3,954
iv) संचित हानि	-429	-6,106	-	-1,257	-3,214	-11,006
घ. अनर्जक आस्तियां **						
i) राशि	6,169	18,728	24,004 ++	6,292	5,114	60,307
ii) बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	12.8	20.5	36.6 ^ ^ ^	34.5	53.7	25.9
iii) मांग की तुलना में ऋण की वसूली (प्रतिशत)	84.6	55.6	64.3	49.0	44.0	

^ : हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के पीसीएआरडीबी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
 ** : बिहार, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य सहकारी बैंकों तथा बिहार और हिमाचल प्रदेश के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों और मांग की तुलना में वसूली के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
 # : आंध्र प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाभ/हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
 ^ ^ : गुजरात और मध्य प्रदेश में एक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक न लाभ न हानि की स्थिति में है।
 @ : बिहार, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
 + : कार्यशील पूंजी * : अप्रैल - मार्च ^ ^ ^ : बकाया ऋणों की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत ++ : कुल अतिदेय
 - : उपलब्ध नहीं
टिप्पणी : 1. मणिपुर के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का काम बंद हो गया है।
 2. आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाबार्ड और नाफ्कोब।

राज्य सहकारी बैंक

5.41 कुल आस्तियों/देयताओं की वृद्धि के पिछले वर्ष के 12.1 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत की दर से घटने के कारण 2007-08 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्र की वृद्धि में कमी आई (सारणी V.24)। यह कमी मुख्य रूप से आस्ति पक्ष में राज्य सहकारी बैंकों के ऋण और अग्रिमों की वृद्धि में तीव्र गिरावट के कारण हुई। वृद्धि में इस कमी से राज्य

सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा घटा *अलबत्ता* मामूली रूप से। ऋण और अग्रिम इन संस्थाओं की कुल आस्तियों के आधे से अधिक बने रहे। शीर्ष स्तर की संस्था होने के नाते राज्य सहकारी बैंकों के ऋणों का एक बड़ा भाग अल्पकालिक ऋण ढांचे के निम्नतर टियर वाली संस्थाओं को दिया जाता है, राज्य सहकारी बैंकों के ऋणों की वृद्धि में गिरावट का तात्पर्य हुआ कि निम्नतर टियर वाली संस्थाओं को कम उधार दिए गए। ऋणों और अग्रिमों के हिस्से में आई गिरावट

सारणी V.24: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006-07	2007-08अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,246 (1.5)	1,468 (1.6)	11.8	17.9
2. आरक्षित निधि	9,303 (10.8)	9,250 (10.3)	-1.4	-0.6
3. जमाराशियां	48,560 (56.6)	52,973 (58.8)	6.9	9.1
4. उधार	22,256 (26.0)	22,164 (24.6)	31.0	-0.4
5. अन्य देयताएं	4,392 (5.1)	4,296 (4.8)	24.0	-2.2
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	9,290 (10.8)	8,065 (8.9)	114.9	-13.2
2. निवेश	24,140 (28.1)	29,060 (32.2)	-12.8	20.4
3. ऋण और अग्रिम	47,354 (55.2)	48,228 (53.5)	19.3	1.8
4. अन्य आस्तियां	4,971 (5.8)	4,798 (5.3)	4.0	-3.5
कुल देयताएं / आस्तियां	85,756 (100.0)	90,151 (100.0)	12.1	5.1
अ : अनंतिम				
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।				
2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।				
स्रोत : नाबार्ड।				

की राज्य सहकारी बैंकों के निवेशों द्वारा भरपाई की गई, जो 2007-08 में 20.4 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ी। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कुल आस्तियों में उनका हिस्सा लगभग चार प्रतिशत अंक बढ़ा। राज्य सहकारी बैंकों के निवेशों में यह वृद्धि एसएलआर निवेश के रूप में थी जो 2007-08 में इन संस्थाओं के कुल निवेशों के 60 प्रतिशत से अधिक थी।

5.42 मार्च 2009 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार 16 अनुसूचित राज्यों की आस्तियों और देयताओं के कुछ प्रमुख शीर्षों संबंधी धारा 42(2) के आंकड़े उपलब्ध हैं। ये आंकड़े राज्य सहकारी बैंकों की कुल जमाओं में तीव्र वृद्धि को दर्शाते हैं जो इन संस्थाओं की देयताओं के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं।

सारणी V 25 : अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार		
	2007	2008	2009
1	2	3	4
कुल जमा राशियां	36,544	42,396 (16.0)	52,568 (24.0)
बैंक ऋण	44,663	46,886 (5.0)	42,372 (-9.6)
एलएलआर निवेश	13,408	15,773 (17.6)	17,179 (8.9)
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।			
स्रोत : धारा 42(2) के आंकड़ों की फार्म 'बी' विवरणी।			

2007-08 के 16.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल जमाओं में 24.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.25)। 2008-09 के दौरान, इन संस्थाओं के बैंक ऋण में 2007-08 के 5.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 9.6 प्रतिशत की दर से गिरावट हुई।

राज्य सहकारी बैंक - वित्तीय निष्पादन

5.43 राज्य सहकारी बैंकों के गैर ब्याज आय का स्रोत सापेक्षिक रूप से कमजोर है, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से भिन्न है। ब्याज आय सबसे बड़ा घटक था जिसका हिस्सा 2007-08 में राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय का 98.4 प्रतिशत था (सारणी V.26)। तथापि, इन संस्थाओं के ब्याज आय की वृद्धि और हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार, व्यय पक्ष में, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा खर्च किए गए ब्याज का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अर्जित ब्याज की तरह, 2007-08 के दौरान खर्च किए गए ब्याज ने भी वृद्धि और हिस्से में बढ़ोतरी दर्ज की। संपूर्ण अल्पकालिक ढांचे में, राज्य सहकारी बैंक केवल ऐसी संस्थाएं थीं जिन्होंने वर्ष के दौरान निवल लाभ कमाया (सारणी V.23)। 2007-08 में रिपोर्ट करने वाले राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या लगभग 82 प्रतिशत थी। यद्यपि वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों ने निवल लाभ कमाया, उनके लाभ की वृद्धि दर में कमी आयी (सारणी V.26)।

सारणी V.26: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यानिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2006-07	2007-08अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	5,242	5,750	-7.3	9.7
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	4,974	5,657	-6.5	13.7
	(94.9)	(98.4)		
ii. अन्य आय	269	93	-20.0	-65.4
	(5.1)	(1.6)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	4,967	5,565	-5.9	12.0
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	3,708	4,397	1.4	18.6
	(74.7)	(79.0)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	502	372	-51.7	-25.8
	(10.1)	(6.7)		
iii. परिचालन व्यय	757	796	30.3	5.1
	(15.2)	(14.3)		
जिनमें से: वेतन बिल	398	425	4.4	6.8
	(8.0)	(7.6)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	777	557	-45.2	-28.3
ii. निवल लाभ	275	185	-27.2	-32.8
घ. कुल आस्तियां (मार्च के अंत में)	85,756	90,151	12.1	5.1
अ: अनंतिम।				
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हैं।				
स्रोत: नाबार्ड।				

राज्य सहकारी बैंक - आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

5.44 2007-08 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए में समग्र राशि के अर्थ में गिरावट आई (सारणी V.27)। एनपीए का अनुपात (बकाया ऋण की तुलना में) भी मार्च 2007 के अंत के 14.2 प्रतिशत के इसके तदनुरूप स्तर की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 12.8 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहा। इन संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता के हाल के कुछ रुझानों का सार संक्षेप बॉक्स V.3 में दिया गया है।

5.45 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए अनुपात की सरसरी तौर पर तुलना करने से पता चलता है कि राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता काफी अधिक कमजोर थी, जिनका (सकल) एनपीए अनुपात मार्च 2008 के अंत में केवल 12.8 प्रतिशत था। फिर भी, राज्य सहकारी बैंक अपने शहरी प्रतिभागियों अर्थात् यूसीबी, जिनका मार्च 2008

सारणी IV.27: राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घट-बढ़	
	2007	2008अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	6,704	6,169	-0.5	-8.0
i) अवमानक	2,957	2,779	7.0	-6.0
ii) संदिग्ध	2,625	2,652	14.5	1.1
iii) हानि	1,122	737	-33.2	-34.3
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	14.2	12.8		
जापन मर्दे:				
ग) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	85.7	84.6		
घ) अपेक्षित प्रावधान	2,820	2,654	-15.9	-5.9
ङ) किया गया प्रावधान	3,200	2,998	-11.1	-6.3
अ: अनंतिम।				
स्रोत: नाबार्ड।				

के अंत में 15.5 प्रतिशत का उच्चतर (सकल) एनपीए अनुपात था, की तुलना में आस्ति गुणवत्ता के अर्थ में अच्छी स्थिति में थे (सारणी V.16 के संदर्भ में)।

5.46 एनपीए की विभिन्न श्रेणियों में, 'अवमानक' और 'संदिग्ध' आस्तियों में प्रत्येक का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में राज्य सहकारी बैंकों के कुल एनपीए का 40 प्रतिशत था। 'हानि' आस्तियों के तीसरे प्रकार का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में 11.9 प्रतिशत था। 2007 और 2008 के बीच 'हानि' आस्तियों की वृद्धि और हिस्से दोनों में गिरावट आई (सारणी V.4)।

राज्य सहकारी बैंक - क्षेत्रीय स्वरूप

5.47 विभिन्न राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक अंतर था (परिशिष्ट सारणी V.3)। जबकि एक तरफ, 2007-08 के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्य सहकारी बैंकों का एनपीए अनुपात निम्नतम अर्थात् 3 प्रतिशत के आसपास था, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य सहकारी बैंकों के पास अनर्जक स्वरूप में वर्गीकृत उनकी कुल ऋण आस्तियां 40 प्रतिशत थीं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कुल मिलाकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एनपीए अनुपात में हाल में कमी आई है जो वर्षों के दौरान इन बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सापेक्षिक

बॉक्स V.3 : राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की आस्ति गुणवत्ता में हाल की प्रवृत्ति

राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए 1996-97 में विवेकपूर्ण विनियमों को लागू करने से आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदण्ड लागू हुए। एक अध्ययन में शर्मा आदि (2001) ने इन संस्थाओं पर विवेकपूर्ण विनियम लागू होने के बाद दो वर्ष (1996-97 और 1997-98) के आँकड़े लेते हुए राज्य सहकारी बैंकों की अस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने की कोशिश की। दो वर्ष की छोटी अवधि के दौरान, उन्होंने समग्र राशि के अर्थ में राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी की अनर्जक आस्तियों के स्तर में काफी अधिक वृद्धि पाई। इसी अभ्यास को 2000-01 के बाद दो वर्ष के दौरान दोहराते हुए यह देखा जा सकता है कि 2002-03 से राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों में वास्तव में और अधिक वृद्धि हुई है (सारणी 1)। यह अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तदनु रूप अनुपात की तुलना में काफी अधिक बना हुआ है। अनर्जक आस्तियों की राशि में 2000-01 और 2007-08 की अवधि के बीच धनात्मक दर से वृद्धि हुई है जो तदनु रूप अवधि में इन संस्थाओं के कुल बकाया ऋणों की वृद्धि दर से कम रहा है। तथापि, इस अवधि के दौरान राज्य

सहकारी बैंकों की हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत आस्तियों में विशेष रूप में अधिक वृद्धि हुई है।

2000-01 और 2007-08 के बीच डीसीसीबी के एनपीए अनुपात में कुल मिलाकर वृद्धिशील प्रवृत्ति दिखी है (सारणी 2)। इस अवधि में अनर्जक आस्तियों की वृद्धि दर सापेक्षिक रूप से डीसीसीबी के कुल अग्रिमों की वृद्धि दर से उच्च थी। डीसीसीबी के अन्य दो आस्ति वर्गों की तुलना में 'हानि' आस्तियों में भी वृद्धि तुलनात्मक रूप के अधिक थी। दूसरे शब्दों में, हाल की अवधि में राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक गिरावट आई है।

सारणी 2 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

वर्ष	अवमानक आस्तियाँ	संदिग्ध आस्तियाँ	हानि आस्तियाँ	कुल अनर्जक आस्तियाँ	कुल बकाया आस्तियाँ	(राशि करोड़ रूप में)	
						बकाया ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	
2000-01	4,994	3,466	911	9,371	52,491	17.9	
2001-02	6,325	4,245	1,268	11,838	59,269	20.0	
2002-03	7,603	5,060	1,199	13,862	63,198	21.9	
2003-04	8,428	6,068	1,648	16,144	67,152	24.0	
2004-05	6,468	6,053	1,999	14,520	73,125	19.9	
2005-06	6,905	6,699	2,106	15,709	79,202	19.8	
2006-07	6,375	7,648	2,471	16,495	89,037	18.5	
2007-08	7,858	8,210	2,660	18,728	91,374	20.5	
सीजीआर (प्रतिशत)	5.8	11.4	14.3	9.0	7.2	-	

टिप्पणी : सीजीआर: वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक दर।

स्रोत : नाबार्ड।

संदर्भ :

शर्मा, के. सी; पी. जोस, जे.सी. मिश्रा, संजय कुमार (2001), "ग्रामीण ऋण में वसूली प्रबंधन" नाबार्ड, आकेजेनल पेपर सं.21।

सारणी 1 : राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रूप में)

वर्ष	अवमानक आस्तियाँ	संदिग्ध आस्तियाँ	हानि आस्तियाँ	कुल अनर्जक आस्तियाँ	कुल बकाया आस्तियाँ	(राशि करोड़ रूप में)	
						बकाया ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	
2000-01	2,178	1,520	191	3,889	29,848	13.0	
2001-02	2,403	1,821	261	4,485	32,111	14.0	
2002-03	3,535	2,443	306	6,284	32,798	19.2	
2003-04	3,288	3,010	250	6,548	35,105	18.7	
2004-05	2,961	1,975	1,136	6,072	37,346	16.3	
2005-06	2,763	2,292	1,680	6,735	39,684	17.0	
2006-07	2,957	2,625	1,122	6,704	47,354	14.2	
2007-08	2,779	2,652	737	6,169	48,228	12.8	
सीजीआर (प्रतिशत)	3.1	7.2	18.4	5.9	6.2	-	



टिप्पणी: सीजीआर: वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक दर।

स्रोत : नाबार्ड

सुधार को दर्शाती है। आस्ति गुणवत्ता में सुधार विशेष रूप से असम के राज्य सहकारी बैंकों के मामले में ज़ेय है। उत्तर क्षेत्र में

हरियाणा और पंजाब के राज्य सहकारी बैंकों का एनपीए अनुपात आपवादिक रूप से कम था जो 2 प्रतिशत से कम था। और भी

चार्ट V.4: राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के वितरण का प्रतिशत



महत्व की बात यह है कि हरियाणा और पंजाब के कम एनपीए अनुपात का यह रुझान एक वर्ष की बात नहीं है बल्कि उसे वर्षों के दौरान निरंतर देखा गया है। राज्य सहकारी बैंकों, जिनका उच्च एनपीए अनुपात था जैसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के, ने वर्ष के दौरान निवल हानियां सूचित कीं।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

5.48 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का तुलनपत्र राज्य सहकारी बैंकों से समुचित रूप से तुलनीय प्रतीत होता है (सारणी V.24 के साथ पठित सारणी V.28)। ऋण और अग्रिम डीसीसीबी की आस्तियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार हैं; मार्च 2008 के अंत में ऋण और अग्रिमों का हिस्सा 56.4 प्रतिशत था। निवेश 27.4 प्रतिशत के हिस्से के अनुरूप आगे थे। इसी प्रकार, जमा राशियां डीसीसीबी की कुल देयताओं का

सारणी V.28: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007	2008अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	5,458 (3.4)	4,967 (3.1)	15.0	-9.0
2. आरक्षित निधि	20,722 (13.0)	19,787 (12.2)	10.8	-4.5
3. जमा राशियां	94,529 (59.5)	1,02,986 (63.6)	8.0	8.9
4. उधार	29,912 (18.8)	26,096 (16.1)	23.5	-12.8
5. अन्य देयताएं	8,273 (5.2)	8,096 (5.0)	4.8	-2.1
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	11,274 (7.1)	9,759 (6.0)	5.4	-13.4
2. निवेश	41,006 (25.8)	44,419 (27.4)	12.0	8.3
3. ऋण और अग्रिम	89,038 (56.0)	91,374 (56.4)	12.4	2.6
4. अन्य आस्तियां	17,576 (11.1)	16,380 (10.1)	6.1	-6.8
कुल देयताएं / आस्तियां	1,58,894 (100.0)	1,61,932 (100.0)	11.0	1.9

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल हैं जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।

स्रोत : नाबार्ड।

सबसे बड़ा हिस्सा थीं; मार्च 2008 के अंत में जमा राशियों का हिस्सा लगभग 63.6 प्रतिशत था।

5.49 व्यापक समानताओं के बावजूद, डीसीसीबी के तुलनपत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो उसे राज्य सहकारी बैंकों से अलग करती हैं। एक, जमाओं पर डीसीसीबी की निर्भरता सापेक्षिक रूप से राज्य सहकारी बैंकों से अधिक है। डीसीसीबी उधारों पर कम निर्भर करते हैं। यह कहना अनावश्यक होगा कि डीसीसीबी के उधार मुख्य रूप से राज्य सहकारी बैंकों से होते हैं क्योंकि राज्य सहकारी बैंक अल्पकालिक सहकारी अनुक्रम में शीर्ष संस्था होने के नाते निम्नतर टियर को वित्त प्रदान करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि डीसीसीबी की जमा राशियों में हाल में लगातार वृद्धि दिखी है जिससे उनकी वृद्धि दर 2004-05 के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 8.9 प्रतिशत हो गयी है। दूसरी तरफ, उधार डीसीसीबी की देयताओं के स्पष्ट रूप से परिवर्तनशील घटक रहे हैं जो वर्ष दर वर्ष वृद्धि के अर्थ में काफी अधिक उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं लेकिन उनका हिस्सा कुल मिलाकर गिरते रुझान को दर्शाता है।

डीसीसीबी - वित्तीय निष्पादन

5.50 डीसीसीबी के वित्तीय निष्पादन की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता सापेक्षिक रूप से उनका राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में 'अन्य' (गैर ब्याज) आय का बड़ा हिस्सा है (सारणी V.26 के साथ पठित सारणी V.29)। 2007-08 में अन्य आय का हिस्सा राज्य सहकारी बैंकों के 1.6 प्रतिशत की तुलना में डीसीसीबी के लिए 7.8 प्रतिशत था। उसके अलावा, वेतन बिल राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में डीसीसीबी के परिचालन व्यय का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक था। वर्ष के दौरान डीसीसीबी के कुल व्ययों में वेतन बिल का हिस्सा राज्य सहकारी बैंकों के 7.6 प्रतिशत की तुलना में 15.9 प्रतिशत था।

5.51 डीसीसीबी ने पिछले वर्ष के मुनाफे के विपरीत 2007-08 के दौरान समग्र हानियां दर्ज की। हाल में डीसीसीबी के मुनाफे में कमी आई है जो 2004-05 के 971 करोड़ रुपए से तेजी से गिरकर 2007-08 में (-) 65 करोड़ रुपए हो गया है। कुल के स्तर पर समग्र हानियों के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि 2007-08 के दौरान (रिपोर्टिंग) डीसीसीबी की कुल संख्या लगभग 73

सारणी V.29: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006-07	2007-08अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	11,652	11,702	-0.3	0.4
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	10,597	10,793	-0.8	1.8
	(90.9)	(92.2)		
ii. अन्य आय	1,055	909	5.5	-13.8
	(9.1)	(7.8)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	11,622	11,767	1.2	1.2
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	6,668	7,038	1.4	5.5
	(57.4)	(59.8)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक खर्च	2,284	1,934	-10.9	-15.3
	(19.7)	(16.4)		
iii. परिचालन खर्च	2,670	2,795	14.0	4.7
	(23.0)	(23.7)		
जिसमें से : वेतन बिल	1,837	1,865	11.5	1.5
	(15.8)	(15.9)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	2,314	1,869	-16.4	-19.2
ii. निवल लाभ	31	-65	-85.0	-
घ. कुल आस्तियां (मार्च अंत)	1,58,893	1,61,932	11.0	1.9
अ : अनंतिम।				
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।				
स्रोत : नाबार्ड।				

प्रतिशत थी (सारणी V.23 के संदर्भ में)। 2007-08 के दौरान डीसीसीबी के समग्र मुनाफे में कमी का एक कारण उनकी 'अन्य' आय में तीव्र गिरावट थी।

सारणी V.30: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता


(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007	2008अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	16,495	18,728	5.0	13.5
i) अवमानक	6,375	7,858	-7.7	23.3
ii) संदिग्ध	7,648	8,210	14.2	7.3
iii) हानि	2,471	2,660	17.4	7.6
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	18.5	20.5		
ज्ञापन मर्दे:				
i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	71.0	55.6		
ii) अपेक्षित प्रावधान	10,222	10,391	17.3	1.7
iii) किया गया प्रावधान	12,163	12,075	17.4	-0.7
अ : अनंतिम।				
स्रोत : नाबार्ड।				

डीसीसीबी - आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

5.52 डीसीसीबी के लिए 2007-08 में ऋण की तुलना में एनपीए के अनुपात में कमी आई (सारणी V.30)। तथापि, बढ़ा हुआ एनपीए मुख्य रूप से 'अवमानक' वर्ग में था, जबकि 'संदिग्ध' और 'हानि' श्रेणी में एनपीए में कमी आई (चार्ट V.5)। इस प्रकार, 2007-08 के दौरान ऋण आस्तियों का अंतरण अवमानक श्रेणी की तरफ हुआ जैसा कि राज्य सहकारी बैंकों के मामले में भी हुआ था। डीसीसीबी के एनपीए प्रोफाइल के संबंध में यह एक सकारात्मक गतिविधि थी। इसके अलावा, राज्य

चार्ट V.5: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के वितरण का प्रतिशत



सहकारी बैंकों की तरह डीसीसीबी ने 2007-08 के दौरान उनके अपेक्षित एनपीए स्तर से अधिक प्रावधान किए।

डीसीसीबी - क्षेत्रीय स्वरूप

5.53 राज्य सहकारी बैंकों की तरह डीसीसीबी की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में भिन्न-भिन्न है (परिशिष्ट सारणी V.4)⁴। उत्तर क्षेत्र के डीसीसीबी ने सामान्य रूप से 2007-08 के दौरान मुनाफा कमाने वाले (रिपोर्टिंग) डीसीसीबी को संख्या के अर्थ में अन्य क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष के दौरान मुनाफा कमाने वाले उत्तरी क्षेत्र के डीसीसीबी का प्रतिशत 73 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत की तुलना में लगभग 78 प्रतिशत था। इसके अलावा, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र के डीसीसीबी ने वर्ष के दौरान समग्र हानि दर्ज की। 2007-08 के दौरान एनपीए अनुपात भी सामान्य रूप में उत्तरी क्षेत्र और विशेष रूप से हरियाणा के डीसीसीबी के लिए सबसे कम था। हरियाणा के डीसीसीबी के मामले में, 2007-08 के दौरान उनके बकाया ऋणों का केवल 5.1 प्रतिशत अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह दोहराने की आवश्यकता है कि एनपीए अनुपात भी हरियाणा के डीसीसीबी (0.1 प्रतिशत) के लिए देश में सबसे कम था (परिशिष्ट सारणी V.3)। हरियाणा के विपरीत, झारखंड के डीसीसीबी (75.9 प्रतिशत पर) के पास देश में सबसे अधिक एनपीए अनुपात था इसके पश्चात बिहार (54.5 प्रतिशत पर) का।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

5.54 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) उन अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचे में तीसरी और निम्नतम टियर बनाती हैं जो आधारभूत स्तर पर अर्थात् गांवों में सीधे कार्य करती हैं। चूंकि ये संस्थाएं ग्रामीण उधारकर्ताओं को सीधे ऋण प्रदान करती हैं, पीएसीएस के कवरेज और सक्षमता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि सहकारी ढांचे से समावेशी वित्त सुनिश्चित किया जा सके और अल्पकालिक सहकारी ढांचे के

स्थायित्व को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, ऋण और जमाराशि दोनों के अर्थ में अल्पकालिक सहकारी ऋण का कारोबार और बैंकिंग ढांचा ग्रामीण सहकारी ढांचे का अधिक प्रभावी घटक है, अतः अल्पकालिक ढांचे की स्थिरता के, संपूर्ण ग्रामीण सहकारी ढांचे के स्थायित्व के लिए और इस प्रकार कुल मिलाकर ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के लिए, बड़े निहितार्थ हैं।

5.55 2007-08 के दौरान उधार पीएसीएस के कुल स्रोतों के लगभग 56.7 प्रतिशत थे (सारणी V.31)। 2007-08 में, उधारों में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि जमाराशियों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणाम के रूप में, 2007-08 में पीएसीएस के उधार उनकी जमाओं के लगभग दोगुने थे।

5.56 बकाया कुल ऋणों की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत, जो पीएसीएस की अनर्जक आस्तियों का एक मोटा संकेतक है, अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे के सभी तीन टियरों में सबसे अधिक है (सारणी V.30, सारणी V.27 के साथ पठित सारणी V.31)। साथ ही, यह अनुपात मार्च 2007 के अंत के 26.9 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 36.6 प्रतिशत हो गया।

5.57 पीएसीएस (रिपोर्टिंग) की कुल संख्या में 2007-08 के दौरान 44 प्रतिशत लाभ कमाने वाले थे जबकि शेष 56 प्रतिशत हानि में थे (सारणी V.23)। वर्ष के दौरान पीएसीएस में 3,481 करोड़ रुपए की समग्र हानि दर्ज हुई।

पीएसीएस - सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल

5.58 पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल यह जानकारी प्रदान करते हैं कि क्या पीएसीएस ग्रामीण जनता के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताएं प्रदान करने में समर्थ हैं अथवा नहीं जैसा कि उनसे आशा की गई है। इस प्रकार यह वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में पीएसीएस की भूमिका का एक परिचायक है।

⁴ चूंकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य एकात्मक अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे का अनुगमन करते हैं इन राज्यों में कोई डीसीसीबी नहीं है।

सारणी V.31: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - तुलनपत्र के चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007	2008	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
क. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	78,237	84,281	12.0	7.7
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	11,038	10,984	18.8	-0.5
क. प्रदत्त पूंजी जिसमें से सरकार का अंशदान	6,138	6,597	8.8	7.5
ख. कुल आरक्षित निधियां	4,900	4,387	34.3	-10.5
3. जमाराशियां	23,484	25,449	20.1	8.4
4. उधार	43,715	47,848	6.6	9.5
5. कार्यशील पूंजी	79,959	88,107	9.0	10.2
ख. आस्तियां				
1. कुल जारी ऋण (क+ख)*	49,613	57,643	15.6	16.2
क) अल्पावधि	40,796	47,390	14.5	16.1
ख) मध्यावधि	8,817	10,253	20.8	16.3
2. कुल बकाया ऋण (क+ख)	58,620	65,666	13.2	12.0
क) अल्पावधि	37,764	43,696	10.6	15.7
ख) मध्यावधि	20,856	21,970	18.2	5.3
ग. अतिदेय राशि				
1. कुल मांग	54,112	67,293	6.1	24.4
2. कुल वसूली	38,359	43,290	8.0	12.9
3. कुल अतिदेय (क+ख)	15,753	24,003	1.8	52.4
क) अल्पावधि	11,558	20,182	1.5	74.6
ख) मध्यावधि	4,194	3,821	2.6	-8.9
4. बकाया ऋण की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत	26.9	36.6		
* : वर्ष के दौरान। स्रोत : नाफस्कोब।				

सारणी V.32 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां- सदस्य और उधारकर्ता

मद	मार्च के अंत में	
	2007	2008
1	2	3
1. समितियों की संख्या	97,224	94,942
2. कुल सदस्यता (मिलियन में)	126	132
जिसमें से:		
क) अजा	29 (23.0)	30 (22.7)
ख) अजजा	11 (8.7)	11 (8.3)
3. उधारकर्ताओं की कुल संख्या (मिलियन में)	48	79
जिसमें से:		
क) अजा	6 (12.5)	8 (10.1)
ख) अजजा	3 (6.2)	5 (6.3)
टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं। 2. अजा - अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जनजाति		
स्रोत : नाफस्कोब		

से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति (अजा/अजजा) वर्ग के थे (सारणी V.32)। हाल के वर्षों में जबकि पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं के रूप में छोटे किसानों की उपस्थिति बढ़ रही है, अजा/अजजा के सदस्यों और उधारकर्ताओं की संख्या में कमी हो रही है (बॉक्स V.4)।

पीएसीएस - क्षेत्रीय स्वरूप

5.60 सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल के अलावा, पीएसीएस का क्षेत्रीय स्वरूप भी उनके वित्तीय समावेशन में उनकी भूमिका का एक परिचायक है। पीएसीएस के क्षेत्रीय स्वरूप की एक प्रमुख विशेषता भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पीएसीएस नेटवर्क के विकास में असमानता रही है। पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में पीएसीएस का काफी अधिक संकेद्रण है (परिशिष्ट सारणी V.5)। 2007-08 में, औसतन कुल मिलाकर भारत में प्रति पीएसीएस सात गांव थे, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में यह अनुपात केवल दो का था। दूसरी तरफ, यह अनुपात केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रति पीएसीएस दस

5.59 2007-08 के दौरान पीएसीएस का सदस्यों की तुलना में उधारकर्ता अनुपात पिछले वर्ष के केवल 38 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक अर्थात् 60 प्रतिशत था। सहकारी समिति का सदस्य होने की अनिवार्यता लेकिन उधारकर्ता के लिए पर्याप्त शर्त नहीं होने के कारण, उधारकर्ता सदस्यों के बढ़ते अनुपात को पीएसीएस के सदस्यों के बीच सहकारी ऋण तक बढ़ती पहुंच को देखते हुए, एक सकारात्मक लक्षण के रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। कुल सदस्यों में

बॉक्स V.4 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों को शामिल करना

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अल्पकालिक सहकारी ऋण ढाँचे में आधारभूत स्तर की संस्था होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में देखा जाता है। वे, *अन्य बातों के साथ-साथ*, छोटे और सीमान्त कृषकों, अनुसूचित जाति और जनजाति (अजा/अजजा) सहित ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को ऋण उपलब्ध कराती हैं।

2002-03 से सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं की कुल संख्या में छोटे किसानों के अनुपात की बढ़ती प्रवृत्ति रही है। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि पीएसीएस के उधारकर्ताओं के रूप में छोटे किसानों की संख्या सदस्यों की संख्या (2.0 प्रतिशत) की

तुलना में काफी तेज दर से बढ़ी (7.2 प्रतिशत वार्षिक) है (सारणी 1)। इससे यह पता चलता है कि हाल के समय में छोटे किसानों की बढ़ती संख्या पीएसीएस से ऋण ले पाने में समर्थ हो सकी है।

तथापि, 2002-03 और 2007-08 के बीच, केवल 2004-05 की अवधि में हुई वृद्धि को छोड़कर, पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं की कुल संख्या में अजा / अजजा के प्रतिशत में कमी आई है। इसी प्रकार, पीएसीएस के कुल सदस्यों और उधारकर्ताओं में ग्रामीण कामगारों के प्रतिशत में भी कमी आई है। तथापि, इस अवधि के दौरान अजा/ अजजा के सदस्यों और उधारकर्ताओं की वास्तविक संख्या में भी कमी आई है। ग्रामीण ऋण के एक बड़े भाग को पूरा करने वाले इस असंगठित क्षेत्र के लिए पीएसीएस को और अधिक सक्षम तथा सक्रिय बनाने की आवश्यकता है।

सारणी 1 : पीएसीएस के उधारकर्ताओं और सदस्यों के प्रोफाइल

वर्ग	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	सीजीआर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
सदस्य							
कुल सदस्य	1,23,552	1,35,411	1,27,406	1,25,197	1,25,792	1,31,530	1.0
<i>जिनमें से,</i>							
1. अजा	(26.9)	(22.6)	(24.3)	(24.4)	(23.4)	(22.6)	-1.8
2. अजजा	(9.7)	(8.8)	(9.3)	(9.3)	(8.8)	(8.5)	-1.2
3. छोटे किसान	(35.2)	(37.0)	(38.8)	(35.7)	(35.1)	(37.3)	2.0
4. ग्रामीण कारीगर	(6.1)	(4.7)	(5.7)	(5.2)	(3.4)	(3.6)	-7.5
कुल उधारकर्ता							
कुल उधारकर्ता	63,880	51,265	45,070	46,081	47,910	79,408	3.7
<i>जिनमें से,</i>							
1. अजा	(18.0)	(9.2)	(16.1)	(15.1)	(11.8)	(9.7)	-6.4
2. अजजा	(12.6)	(6.7)	(7.7)	(7.2)	(7.2)	(6.3)	-7.6
3. छोटे किसान	(26.9)	(26.3)	(28.2)	(31.8)	(32.2)	(32.8)	7.2
4. ग्रामीण कारीगर	(4.8)	(4.9)	(4.7)	(3.9)	(4.0)	(2.6)	-6.4

सीजीआर: चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर

अजजा: अनुसूचित जनजाति

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: नाफस्कोब।

अजा: अनुसूचित जाति

छोटे किसान: 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले

गांव से अधिक था जो इन क्षेत्रों में पीएसीएस की कम उपस्थिति को दर्शाता है⁵।

5.61 2007-08 के दौरान लाभ रिपोर्ट करने वाले पीएसीएस का प्रतिशत उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक था। भले ही महाराष्ट्र में पीएसीएस का विस्तृत नेटवर्क हो, लेकिन इसका पूरे देश में लाभार्जन करने वाले पीएसीएस में सबसे कम प्रतिशत था। पंजाब, हरियाणा और केरल ऐसे राज्य थे जहां अर्धक्षम के रूप में वर्गीकृत पीएसीएस सबसे अधिक थे।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घकालिक संरचना

5.62 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घकालिक संरचना के अंतर्गत राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आते हैं। इन संस्थाओं की स्थापना कृषि के लिए दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता पूरी करने के प्रयोजनार्थ की गयी थी। यद्यपि, दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं के कारोबार की मात्रा अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं से कम होती है तथापि ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में दीर्घावधि ऋण संस्थाओं की भूमिका

⁵ प्रति पीएसीएस गांव पीएसीएस के प्रसार का एक मूल संकेतक है। यह गांवों की जनसंख्या के आकार में अंतर और विभिन्न क्षेत्रों के गांवों के बीच दूरी को देखते हुए पीएसीएस तक प्रभावी पहुंच के संबंध में सीमित ज्ञान प्रदान करता है।

निश्चित और विशेषीकृत होती है। इसके अलावा, दीर्घावधि संस्थाओं में कतिपय संरचनागत विशिष्ट बातें होती हैं और इसलिए इन संस्थाओं के परिचालनों को अलग नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता है।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

5.63 एससीएआरडीबी के तुलनपत्रों से पता चलता है कि ये संस्थाएं उधार के लिए नाबार्ड जैसे स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। 2007-08 में जमाराशियों के विपरीत, उधार इन संस्थाओं की कुल देयताओं के 64.9 प्रतिशत थे जो उनकी कुल देयताओं के मात्र 2.6 प्रतिशत थे (सारणी V.33)।

5.64 आस्ति पक्ष में 2007-08 के दौरान ऋण और अग्रिम की राशियां एससीएआरडीबी की कुल आस्तियों की लगभग तीन चौथाई थीं जबकि निवेश उनकी आस्तियों के लगभग 10 प्रतिशत ही थे। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि हाल में इन संस्थाओं की कुल आस्तियों में निवेश का हिस्सा बढ़ रहा है।

एससीएआरडीबी - वित्तीय निष्पादन

5.65 राज्य सहकारी बैंकों की तरह एससीएआरडीबी के पास गैर-ब्याज आय के सीमित स्रोत हैं। 2007-08 में एससीएआरडीबी का 'अन्य' में हिस्सा मात्र 7.7 प्रतिशत था (सारणी V.34)। तथापि, 2007-08 के दौरान एससीएआरडीबी की 'अन्य' आय की वृद्धि में तीव्र गिरावट आयी जिसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं की कुल आय में इसके हिस्से में तीव्र कमी आयी।

एससीएआरडीबी - आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

5.66 2007-08 के दौरान एससीएआरडीबी का ऋण की तुलना में अनर्जक आस्ति अनुपात 34.5 प्रतिशत था। अनर्जक आस्ति अनुपात में वृद्धि होने के अलावा, वर्ष के दौरान ऋण आस्तियों का 'अवमानक' श्रेणी से निकल कर 'संदिग्ध' तथा 'हानि' वाली आस्ति श्रेणी में जाना एससीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों के प्रोफाइल में गिरावट को दर्शाती है (सारणी V.35)।

एससीएआरडीबी - क्षेत्रीय स्वरूप

5.67 2007-08 के दौरान एससीएआरडीबी ने 247 करोड़ रुपए का समग्र घाटा सूचित किया जो मुख्य रूप से पश्चिमी,

सारणी V.33: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007	2008अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	794 (3.3)	1,208 (5.0)	-0.9	52.1
2. आरक्षित निधियां	2,137 (8.8)	2,505 (10.3)	-9.2	17.2
3. जमाराशियां	605 (2.5)	645 (2.6)	-4.9	6.6
4. उधार	16,662 (68.5)	15,843 (64.9)	-2.4	-4.9
5. अन्य देयताएं	4,138 (17.0)	4,202 (17.2)	-10.7	1.5
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	279 (1.1)	239 (1.0)	-23.6	-14.3
2. निवेश	1,916 (7.9)	2,526 (10.3)	1.6	31.8
3. ऋण और अग्रिम	18,644 (76.6)	18,217 (74.7)	5.3	-2.3
4. अन्य आस्तियां	3,497 (14.4)	3,421 (14.0)	-24.6	-2.2
कुल देयताएं / आस्तियां	24,336 (100.0)	24,403 (100.0)	-1.1	0.3
अ : अनंतिम।				
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।				
स्रोत : नाबार्ड।				

पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में एससीएआरडीबी की हानियों के परिणामस्वरूप था (परिशिष्ट सारणी V.6)। हानि दर्शाने वाले एससीएआरडीबी में सबसे बड़ा स्थान पश्चिमी क्षेत्र के महाराष्ट्र एससीएआरडीबी का है जिसने वर्ष के दौरान 203 करोड़ रुपए का घाटा सूचित किया। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा तथा दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु और केरल के एससीएआरडीबी सर्वाधिक बड़े लाभार्जक एससीएआरडीबी थे। इन संस्थाओं का अनर्जक आस्ति अनुपात भी काफी कम था। जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है पंजाब और हरियाणा के राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता और उनकी आस्ति गुणवत्ता देश के अन्य राज्य सहकारी बैंक की तुलना में अधिक मजबूत पायी गयी।

सारणी V.34: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006-07	2007-08अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	2,293	1,790	-3.2	-21.9
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	1,809	1,652	-20.3	-8.7
	(78.9)	(92.3)		
ii. अन्य आय	484	139	380.4	-71.3
	(21.1)	(7.7)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	2,204	2,037	4.6	-7.5
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	1,280	1,262	-4.1	-1.4
	(58.1)	(61.9)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	667	557	-25.7	-16.5
	(30.3)	(27.3)		
iii. परिचालन व्यय	256	218	15.3	-14.8
	(11.6)	(10.7)		
जिसमें, वेतन बिल	185	160	9.7	-13.8
	(8.4)	(7.8)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	757	310	40.6	-59.1
ii. निवल लाभ	89	-247	-261.2	-
घ. कुल आस्तियां (मार्च के अंत में)	24,336	24,403	-1.1	0.3

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

5.68 2007-08 में पीसीएआरडीबी के तुलनपत्रों में 16.4 प्रतिशत का तीव्र संकुचन रहा जो मुख्य रूप से देयता पक्ष में जमा और उधार दोनों की राशियों में कमी आने के कारण था (सारणी V.36)। पीसीएआरडीबी के लिए जमाराशियां निधियों की कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं थीं। ये संस्थाएं उधारों पर बहुत अधिक निर्भर थीं।

5.69 आस्ति पक्ष में पीसीएआरडीबी के तुलनपत्र में आया संकुचन वर्ष के दौरान इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों की राशियों में आयी भारी गिरावट के कारण था। राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी के विपरीत

सारणी V.35: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007	2008अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	5,643	6,292	-2.4	11.5
i) अवमानक	4,315	3,238	15.0	-25.0
	(76.5)	(51.5)		
ii) संदिग्ध	1,310	2,845	-34.8	117.1
	(23.2)	(45.2)		
iii) हानि	17	209	-5.6	1129.4
	(0.3)	(3.3)		
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	30.3	34.5		
ज्ञापन मर्दे:				
i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	43.9	49.0		
ii) अपेक्षित प्रावधान	1,287	1,410	-18.4	9.6
iii) किए गए प्रावधान	1,287	1,433	-18.4	11.4

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी की कुल आस्तियों में निवेश का हिस्सा सापेक्षिक रूप से कम था।

पीसीएआरडीबी-वित्तीय निष्पादन

5.70 पीसीएआरडीबी ने 2007-08 के दौरान समग्र हानि सूचित की (सारणी V.37)। हानि की प्रवृत्ति सिर्फ 2007-08 तक ही सीमित नहीं थी, इसे हाल के पहले के वर्षों में भी देखा जा सकता है जिससे इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में काफी अधिक क्षरण के संकेत दिखाई देते हैं। वर्ष के दौरान पीसीएआरडीबी के परिचालनगत लाभों में तीव्र गिरावट आयी। परिचालनगत लाभों में आयी गिरावट इन संस्थाओं के निवल ब्याज आय में कमी के कारण थी।

पीसीएआरडीबी-आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

5.71 पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियां, निरपेक्ष संदर्भ में और ऋणों के प्रतिशत के रूप में दोनों ही तरह, 2007-08 के दौरान काफी अधिक बढ़ी। यह विस्मयकारी है कि 2007-08

सारणी V.36: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007	2008अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	918 (4.2)	703 (3.9)	-0.4	-23.4
2. आरक्षित निधियां	2,678 (12.3)	2,336 (12.8)	0.5	-12.8
3. जमाराशियां	341 (1.6)	331 (1.8)	-10.7	-2.9
4. उधार	12,751 (58.6)	10,206 (56.0)	-2.4	-20.0
5. अन्य देयताएं	5,085 (23.4)	4,633 (25.4)	17.4	-8.9
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	223 (1.0)	119 (0.7)	-0.4	-46.7
2. निवेश	824 (3.8)	752 (4.1)	5.9	-8.6
3. ऋण और अग्रिम	12,114 (55.6)	9,529 (52.3)	-4.9	-21.3
4. अन्य आस्तियां	8,612 (39.6)	7,809 (42.9)	-13.0	-9.3
कुल देयताएं / आस्तियां	21,774 (100.0)	18,209 (100.0)	1.9	-16.4
अ : अनंतिम।				
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।				
स्रोत : नाबार्ड।				

सारणी V.37: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006-07	2007-08अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	2,446 (100.0)	1,425 (100.0)	15.3	-41.8
i) ब्याज आय	1,923 (78.6)	1,276 (89.5)	13.8	-33.7
ii) अन्य आय	524 (21.4)	149 (10.5)	20.7	-71.5
ख. व्यय (i+ii+iii)	2,594 (100.0)	1,771 (100.0)	16.2	-31.7
i) व्यय किया गया ब्याज	1,259 (48.5)	947 (53.5)	1.6	-24.8
ii) प्राक्धान और आकस्मिक व्यय	1,014 (39.1)	535 (30.2)	45.3	-47.3
iii) परिचालन व्यय	321 (12.4)	289 (16.3)	8.8	-9.9
<i>जिसमें से, वेतन बिल</i>	221 (8.5)	191 (10.8)	7.8	-13.7
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	867	189	47.2	-78.2
ii) निवल लाभ	-147	-346	-34.9	-134.5
कुल आस्तियां (मार्च अंत)	21,774	18,209	1.9	-16.4
अ : अनंतिम।				
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।				
स्रोत : नाबार्ड।				

के दौरान पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों के घटकों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इन संस्थाओं का 'अवमानक' 'संदिग्ध' और 'हानि' आस्तियों का प्रतिशत 2007 और 2008 के बीच व्यापक रूप से अपरिवर्तित रहा (सारणी V.38)।

पीसीएआरडीबी - क्षेत्रीय स्वरूप

5.72 2007-08 में 470 रिपोर्टिंग पीसीएआरडीबी (कुल 697 में से) में से केवल 42 प्रतिशत ने लाभ कमाया जबकि शेष सभी घाटे में रहीं। पीसीएआरडीबी ने 2007-08 में 346 करोड़ रुपए की समग्र हानि दर्ज की। इससे देश में पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता की दयनीय स्थिति और सीमा का पता चलता है। लाभार्जन करने वाले पीसीएआरडीबी का प्रतिशत उत्तरी क्षेत्र

विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सर्वाधिक था (परिशिष्ट सारणी V.7)। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तरी क्षेत्र (विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब) को पहले सापेक्षिक रूप से बेहतर लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता, न सिर्फ पीसीएआरडीबी और एससीएआरडीबी के लिए अपितु राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी के लिए भी, के लिए जाना जाता था। अनर्जक आस्ति अनुपात, जो आस्ति गुणवत्ता की माप का मापदंड होता है, 2007-08 में पश्चिम बंगाल के पीसीएआरडीबी के लिए 17 प्रतिशत के न्यूनतम पर था। इसके विपरीत 2007-08 के दौरान पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्ति का अनुपात उड़ीसा और महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत से अधिक के सर्वोच्च स्तर पर था।

सारणी V.38: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2007	2008अ	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियां				
(i+ ii + iii)	4,316	5,113	-5.9	18.5
i) अवमानक	2,512 (58.2)	2,980 (58.3)	-5.7	18.6
ii) संदिग्ध	1,783 (41.3)	2,105 (41.2)	-4.8	18.0
iii) हानि	21 (0.5)	28 (0.5)	-55.1	30.0
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	35.4	53.7		
<i>ज्ञापन मर्दे:</i>				
ग. मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	52.0	44.0		
घ. अपेक्षित प्रावधान	799	902	-26.1	12.9
ड. किए गए प्रावधान	799	948	-26.1	18.7

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

5. नाबार्ड और ग्रामीण ऋण

5.73 1982 में नाबार्ड की स्थापना से इसने शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। नाबार्ड की स्थापना इस अधिदेश के साथ की गई थी कि वह उत्पादन के प्रवाह को बढ़ाने और कृषि तथा अन्य ग्रामीण गतिविधियों जैसे - कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए निवेश ऋण देने हेतु ऋण सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा। पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नाबार्ड वर्षों तक ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं की क्षमता निर्माण में भी प्रयत्नशील रहा है। क्षमता निर्माण करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में, नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वृद्धि और वित्तीय स्थिति पर ध्यान देता रहा है। इसके अलावा, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेष पहलों जैसे - व्यष्टि वित्त पहलों को समर्थन देने में भी सक्रिय रहा है। ग्रामीण विकास से संबंधित नीति निर्धारण करने में नाबार्ड राज्य सरकारों, रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ संपर्क बनाए रखता है।

नाबार्ड के संसाधन

5.74 एससीबी, एसटीसीबी और आरआरबी की अल्पावधि अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नाबार्ड को सक्षम बनाने हेतु रिजर्व बैंक ने भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ई) के अंतर्गत नाबार्ड को 2005-06 तक दो सामान्य ऋण व्यवस्थाएं (जीएलसी) प्रदान कीं। 2005-06 के लिए स्वीकृत जीएलसी सीमा को परिचालित करने के लिए नाबार्ड को 31 दिसंबर 2006 तक आहरण करने और चुकौती करने की अनुमति दी गई। इस तारीख के पश्चात रिजर्व बैंक ने जीएलसी के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराना बंद कर दिया और नाबार्ड से कहा कि वह निधियों की बाजार से व्यवस्था करे। केंद्रीय बजट 2008-09 में की गई घोषणा के बाद नाबार्ड के पास 5,000 करोड़ रुपए के कॉरपस के साथ अल्पकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) (एसटीसीआरसी) की स्थापना की गई जिसमें उन राज्य सहकारी बैंकों को जो कृषि के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों को पूरा करने में चूक गए थे, अंशदान करना है। इस निधि का उद्देश्य अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं के पुनर्वित्त में वृद्धि करना है। 2008-09 के दौरान कंपनी बॉंड, भविष्य निर्माण बॉंड, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) जमाराशियां, वाणिज्यपत्र और मीयादी मुद्रा उधार राशियां जारी करने से नाबार्ड के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 400 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) दीर्घवधि परिचालन (एलटीओ) निधि को और 10 करोड़ रुपए की राशि एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि को स्थानांतरित की गई। समग्र रूप से 2008-08 के दौरान नाबार्ड के संसाधनों में लगभग 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी V.39)।

नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए ऋण

5.75 ग्रामीण ऋणदात्री संस्थाओं के लिए शीर्ष पुनर्वित्त एजेंसी होने के नाते नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) को मुख्यतया मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तीयन के लिए अल्पावधि ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एसटीसीबी को अल्पावधि ऋण सहायता उपलब्ध कराना सामान्यतया नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जानेवाले कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। वर्ष 2008-09 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कुल ऋण सीमा में

सारणी V.39: नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि

(राशि करोड़ रूप में)

संसाधन का प्रकार	2007-08	2008-09
1	2	3
1. पूंजी	-	-
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	801	932
3. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) निधि (i+ii)	412	412
i) दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि	401	401
ii) स्थिरीकरण निधि	11	11
4. जमाराशिया (i+ii+iii)	10,462	21,428
i) साधारण जमाराशियां	24	376
ii) एसटीसीआरसी निधि	-	4,622
iii) आइआरडीएफ जमाराशियां	10,438	16,430
5. उधार (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)	1,437	-3,302
i) बांड और डिबेंचर	-192	-4,996
ii) जमा प्रमाण पत्र	1,422	394
iii) वाणिज्यिक पत्र	-	181
iv) सावधि मुद्रा उधार	-	244
v) केंद्र सरकार से उधार	-12	-16
vi) विदेशी मुद्रा ऋण	219	-10
vii) वाणिज्य बैंकों से उधार	-	-2,000
6. अन्य देयताएं	4,374	2,901
कुल	17,486	19,470
- : शून्य / नगण्य		
स्रोत : नाबार्ड		

एसटीसीबी को दिया गया अल्पावधि ऋण 80 प्रतिशत था (सारणी V.40)। अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, नाबार्ड एसटीसीबी और आरआरबी को मध्यावधि ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, जिसमें चलनिधि समर्थन योजना के अंतर्गत ऋण भी सम्मिलित हैं। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों में सबसे कम प्रतिशत राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों का है। 2008-09 के दौरान नाबार्ड ने राज्य सरकारों को कोई ऋण सीमा स्वीकृत नहीं की।

5.76 मीयादी/निवेश ऋण के लिए पुनर्वित्त हेतु नाबार्ड की ब्याज दर संरचना को इस प्रकार बनाया गया है जिससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम, अंडमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह और पहाड़ी राज्यों, तथा आरआरबी, एसटीसीबी, यूसीबी, एससीएआरडीबी और उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम (एनईडीएफआइ) में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों को सस्ती दर पर पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अन्यत्र कार्यरत वाणिज्य बैंकों के लिए ब्याज की दर उच्चतर रखी गई है।

5.77 2008-09 के दौरान ब्याज दर की प्रवृत्ति दर्शाती है कि मुद्रा बाजार की स्थितियों और नाबार्ड के लिए उधार राशियों

सारणी IV.40: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण

(राशि करोड़ रूप में)

मद	2007-08				2008-09			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)								
क. अल्पावधि	15,415	14,108	9,751	15,784	20,133	17,778	17,858	15,704
ख. दीर्घावधि	216	105	862	1,288	80	-	1,222	66
2. राज्य सरकारें								
क. दीर्घावधि	21	18	63	290	-	18 **	56	252
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)								
क. अल्पावधि	3,252	2,924	2,418	3,655	4,829	4,061	3,914	3,803
ख. दीर्घावधि	3,092	2,763	2,400	2,885	4,829	4,061	3,291	3,656
ख. दीर्घावधि	161	161	18	770	-	-	623	147
कुल जोड़ (1+2+3)	18,689	17,049	12,232	19,730	24,962	21,858	21,828	19,759

** : पिछले वर्ष के दौरान मंजूर सीमा के तहत आहरण।

टिप्पणी : 1. अल्पावधि में मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) और कृषि कार्यों से इतर अन्य कार्य (ओएसएओ) शामिल हैं। 2008-09 के लिए अल्पावधि में खरीफ और रबी के लिए चलनिधि सहायता योजना भी शामिल है।

2. राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सरकारों के लिए ऋण की अवधि अप्रैल से मार्च है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जुलाई से जून है।

3. मध्यावधि में एमटी कनवर्शन और एमटी (एनएस) और एमटी चलनिधि सहायता योजना शामिल है।

स्रोत : नाबार्ड।

की लागत के आधार पर दरों को छह बार संशोधित किया गया है (परिशिष्ट सारणी V.8)। अगस्त 2008 तक नाबार्ड द्वारा दरों में वृद्धि की जाती रही। वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप और मुद्रा बाजार में चलनिधि को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के बाद, नाबार्ड द्वारा सभी वर्गों के लिए दरों में कटौती की गई।

ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि(आरआइडीएफ)

5.78 सरकार द्वारा 1995-96 में 2,000 करोड़ रुपए के आरंभिक कॉरपस से ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आरआइडीएफ)की स्थापना नाबार्ड में की गई। इस कॉरपस में वाणिज्य बैंकों द्वारा उस सीमा तक जमा राशियां जमा की गईं, जिस सीमा तक वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने में नाकाम रहे थे। इस निधि की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य

सरकारों को वित्त उपलब्ध कराना है। 1999-2000 में आरआइडीएफ के दायरे को विस्तृत करते हुए अन्य के साथ-साथ उसके अंतर्गत *पंचायती राज्य* संस्थाओं और स्व सहायता समूहों (एसएचजी)को भी ऋण का उपभोग करने की पात्रता हो गई।

5.79 1995-96 से, सरकार ने इस निधि के लिए प्रत्येक केंद्रीय बजट में एक वार्षिक आबंटन की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2008-09 में निधि के लिए XIV ट्रांश की घोषणा की गयी जिसमें कुल आबंटन को बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया (सारणी V.41)। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2009-10 के अंतरिम बजट (फरवरी 2009) में घोषणा की कि आरआइडीएफ XV, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ रुपए होगी और *भारत निर्माण कार्यक्रम* के ग्रामीण रोड घटक के लिए आरआइडीएफ XV के अंतर्गत एक अलग विंडो जिसकी राशि 4,000 करोड़ रुपए होगी, नाबार्ड के साथ स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, 2009-10 के केंद्रीय बजट (जुलाई 2009) में यह घोषणा की

सारणी IV.41: आरआइडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋण
(मार्च 2009 के अंत में)

आरआइडीएफ वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	समूह राशि (करोड़ रुपए में)	मंजूर ऋण (करोड़ रुपए)	संवितरित ऋण (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण की तुलना में संवितरित ऋण का अनुपात (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7
I	1995	4,168	2,000	1,906	1,761	92.4
II	1996	8,193	2,500	2,636	2,398	91.0
III	1997	14,345	2,500	2,733	2,454	89.8
IV	1998	6,171	3,000	2,903	2,482	85.5
V	1999	12,106	3,500	3,434	3,055	89.0
VI	2000	43,168	4,500	4,489	4,071	90.7
VII	2001	24,598	5,000	4,582	4,053	88.5
VIII	2002	20,887	5,500	5,950	5,142	86.4
IX	2003	19,548	5,500	5,639	4,870	86.4
X	2004	17,190	8,000	7,717	6,198	80.3
XI	2005	29,875	8,000	8,301	5,728	69.0
XII	2006	42,279	10,000	10,601	5,771	54.4
XIII	2007	36,948	12,000	12,749	5,057	39.7
XIV	2008	85,527	14,000	14,719	3,013	20.5
कुल		3,65,003	86,000	88,359	56,052	63.4
भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए अलग विंडो						
XII	2006		4,000	4,000	4,000	100.0
XIII	2007		4,000	4,000	4,000	100.0
XIV	2008		4,000	4,000	4,000	100.0
कुल			12,000	12,000	12,000	100.0
कुल जोड़		3,65,003	98,000	1,00,359	68,052	67.8

स्रोत : नाबार्ड।

गई कि व्यष्टि और लघु उद्यमों (एमएसई) को उधार देने के लिए बैंकों और राज्य वित्त निगमों को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक अलग निधि स्थापित की जाएगी। साथ ही, 2009-10 के केंद्रीय बजट (जुलाई 2009) में यह भी घोषणा की गई कि ग्रामीण आवास क्षेत्र में पुनर्वित्त क्रियाओं को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ एक ग्रामीण आवास निधि बनायी जाएगी। उपर्युक्त निधियां वर्ष 2009-10 के दौरान नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के साथ बनायी गयी हैं।

5.80 निधि के अस्तित्व में आने के बाद से आरआइडीएफ द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। तथापि, इस अवधि में प्रत्येक ट्रांश के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों के प्रतिशत के रूप में संवितरित ऋणों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखी है। मार्च 2009 के अंत तक आरआइडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत कुल राशि में से 63.4 प्रतिशत का संवितरण किया गया (सारणी V.41)। इसके अतिरिक्त आरआइडीएफ ऋणों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च 2009 के अंत तक कुल स्वीकृत राशियों और संवितरणों में से 70 प्रतिशत से अधिक सम्मिलित रूप में उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों को दिया गया है (परिशिष्ट सारणी V.9)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

5.81 किसानों को समय पर और कम लागत पर आसानी से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों, आरआरबी और सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) लागू की गई। कृषि की मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त केसीसी उनकी खपत ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। नाबार्ड इस बात के लिए प्रयासरत है कि अन्य बातों के साथ-साथ जबानी खेतपट्टाधारियों, काश्तकारों और बंटाईदारों सहित सभी किसानों को इसके दायरे में लाया जाए।

5.82 योजना की शुरुआत से लेकर मार्च 2009 के अंत तक जारी किए गए कुल केसीसी की संख्या (84.6 मिलियन) में से सर्वाधिक प्रतिशत वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा, योजना के प्रारंभ से वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी

सारणी V.42: जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (मार्च 2009 के अंत में)

(संख्या मिलियन में)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्य बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1998-99	0.16	0.01	0.62	0.78
1999-00	3.59	0.17	1.37	5.13
2000-01	5.61	0.65	2.39	8.65
2001-02	5.44	0.83	3.07	9.34
2002-03	4.58	0.96	2.70	8.24
2003-04	4.88	1.27	3.09	9.25
2004-05	3.56	1.73	4.40	9.68
2005-06	2.60	1.25	4.16	8.01
2006-07	2.30	1.41	4.81	8.51
2007-08	2.09	1.77	4.60	8.46
2008-09	1.34	1.41	5.83	8.58
कुल	36.2	11.5	37.0	84.6
कुल में प्रतिशत अंश	42.7	13.5	43.8	100.0

स्रोत: नाबार्ड।

किए जा रहे कार्डों की संख्या में कमोबेश रूप से निरंतर वृद्धि बनी रही है। इसके विपरीत, सहकारी बैंकों द्वारा जारी कार्डों की संख्या 2000-2001 में सर्वाधिक होने के बाद निरंतर घट रही है। परिणामस्वरूप, जारी केसीसी की कुल संख्या में 2000-01 और 2008-09 के बीच सहकारी बैंकों का हिस्सा 64.2 प्रतिशत से तेजी से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है (सारणी V.42)।

5.83 अब तक जारी किए गए कार्डों की संख्या में समग्र वृद्धि चाहे जितनी हुई हो, विभिन्न राज्यों में योजना को लागू करने में काफी अंतर पाया गया है। मार्च 2009 के अंत में केसीसी के अंतर्गत जारी किए गए कुल कार्डों की संख्या का 45 प्रतिशत से अधिक और ऋण स्वीकृत राशि में 36 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, आंध्र-प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य का था। दूसरी तरफ, पहाड़ी राज्य, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य और सिक्किम केसीसी के प्रसार में सापेक्षिक रूप से पीछे रहे (परिशिष्ट सारणी V.10)।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का पुनरुज्जीवन

अल्पकालिक संरचना का पुनरुज्जीवन

5.84 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष: प्रो. ए. वैद्यनाथन) की संस्तुतियों के

परिणामस्वरूप भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया। पुनरुज्जीवन पैकेज का लक्ष्य अल्पकालिक संरचना का पुनरुज्जीवन करना है ताकि यह ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं, विशेष रूप से कमजोर तबकों, को पूरा करने में और प्रबंधित तथा सशक्त माध्यम बन सके। पैकेज का कुल अनुमानित परिव्यय 13,596 करोड़ रुपए है। पैकेज को निम्नलिखित कार्य करने हैं:

- (क) प्रणाली को एक स्वस्थ स्वीकार्य स्तर तक लेकर आने के लिए वित्तीय सहायता देना।
- (ख) योजना की प्रजातांत्रिक, स्वावलंबी और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए विधिक और संस्थागत सुधार लागू करना।
- (ग) प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय करना।

5.85 सहभागिता करने के इच्छुक राज्यों के लिए अपेक्षित है कि वे केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन करें। मई 2009 के अंत में 25 राज्यों ने (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के 96 प्रतिशत से अधिक को कवर कर लिया गया। दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने मई 2009 के अंत में अपनी सहकारी सोसायटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए। इन दस राज्यों में पीएसीएस को दिए गए पैकेज के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के हिस्से के रूप में मई 2009 के अंत तक 6,073 करोड़ रुपए की सकल राशि जारी की गयी।

दीर्घकालिक संरचना का पुनरुज्जीवन

5.86 कार्यदल द्वारा दी गयी संस्तुतियों के अनुसरण में यूनिजन बजट 2008-09 में घोषणा की गयी कि केंद्र सरकार

और राज्य सरकारें दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन के लिए पैकेज की विषय वस्तु पर सहमत हो गयी हैं। पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपए अनुमानित थी जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 2,642 करोड़ रुपए होगा।

5.87 भारत सरकार ने दीर्घकालिक सरकारी ऋण ढांचे के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में इस ढांचे के लिए एक अलग पैकेज की व्यवहार्यता और प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष: जी.सी. चतुर्वेदी, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) गठित करने का फैसला किया। यदि ढांचे के लिए एक अलग पैकेज नहीं लाया जाना है, तो कार्यदल से वर्तमान दीर्घकालिक सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक रणनीति बनाने पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। कार्यदल से ये भी कहा गया है कि वह दीर्घकालिक ढांचे पर कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करें। कार्यदल को 15 जनवरी 2010 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

नाबार्ड द्वारा हाल की पहलें

5.88 ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की क्षमता मजबूत करने के लिए नाबार्ड द्वारा 2008-09 के दौरान कई प्रकार की विकासात्मक पहलें की गयीं (बॉक्स V.5)।

6. निष्कर्ष

5.89 इस अध्याय में रिजर्व बैंक की हाल की नीतिगत पहलों की पृष्ठभूमि में पूर्व के वर्षों के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसाकि अध्याय III में उल्लेख किया गया है, 2008-09 और 2007-08 के दौरान क्रमशः शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण दिया गया है। एमओयू और टीएफसीयूबी के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत यूसीबी क्षेत्र में समेकन की दिशा में और भी प्रगति हुई। समेकन के भाग के रूप में, वर्ष के दौरान कमजोर/बीमार बैंकों की संख्या में कमी आने के साथ-साथ वित्तीय रूप से मजबूत

बॉक्स V.5: नाबार्ड द्वारा प्रमुख विकासात्मक पहलें - 2008-09

नाबार्ड द्वारा विकासात्मक पहलों को मोटे तौर पर कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्र पहलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र पहल

- *कृषक तकनीक अंतरण निधि (एफटीटीएफ)*: यह निधि दिनांक 1 अप्रैल 2008 से 25 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ शुरू की गई जिसका उद्देश्य था कि कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दिया जा सके। 2008-09 के दौरान तेल उत्पादन, हल्दी प्रसंस्करण, सूचना और पण्य व्यापार केन्द्र जैसी गतिविधियों के लिए 6 राज्यों में 233 लाख रु. की अनुदान सहायता वाले 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
- *वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ)*: वर्ष के दौरान इस निधि के अन्तर्गत 38 नई वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिससे अब तक परियोजनाओं की कुल संख्या 454 हो गई है। साथ ही, वर्ष के दौरान इस निधि में 561 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।
- *पिछड़े ब्लॉकों के समेकित विकास के लिए प्रारम्भिक परियोजना (पीपीआईडी)*: वर्ष 2003 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य इन ब्लॉकों में ऋण और विकास कार्यक्रमों के विलय के माध्यम से समेकित विकास करना था। मार्च 2009 के अन्त तक, पीपीआईडी का कार्यान्वयन 6 राज्यों में 40 ब्लॉकों में किया जा रहा था।
- *जनजाति विकास निधि (टीडीएफ)*: इस निधि का सृजन 2004 में जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास हेतु किया गया था। इसमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, भूमिहीनों द्वारा छोटे उद्यम, सामुदायिक स्वास्थ्य तथा लोगों के संगठन के निर्माण को भी विकसित करना शामिल किया गया। मार्च 2009 के अंत तक 14 राज्यों में 61,924 जनजाति परिवारों को शामिल करते हुए 74 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई।
- *कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि*: वर्ष के दौरान निधि के अन्तर्गत 6 राज्यों में 1.81 करोड़ रुपए की सहायता देते हुए 14 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। वित्तपोषित परियोजनाओं में वस्तु विनिमय, अमरूद की खेती तथा संरक्षित सब्जियों की खेती शामिल थी।
- *कृषक क्लब (एफसी)*: वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 9,989 कृषक क्लब शुरू किए जिससे 581 जिलों में 87,724 गाँवों को शामिल करते हुए क्लबों की कुल संख्या 38,215 हो गई। नाबार्ड ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कृषक क्लबों को समर्थन देने हेतु अपनी नीति की समीक्षा की तथा सभी

वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा आधार भूत संगठनों को तीन वर्ष के लिए 10,000 रुपए का एक समान समर्थन देने का निर्णय लिया।

कृषेतर क्षेत्र में पहल

- *ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआईएफ)*: इस निधि का सृजन 2005 में रोजगार अवसरों के निर्माण के लिए कृषि, कृषेतर तथा लघु वित्त क्षेत्र में नवोन्मेषी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा 65 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
- *समूह विकास कार्यक्रम*: ग्रामीण औद्योगीकरण को समूह दृष्टिकोण के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड ने 3-5 वर्ष की अवधि में 55 समूहों का विकास करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2008-09 के दौरान 37 सहभागिता, 1 गहन और 1 पर्यावरण-पर्यटन समूह स्वीकृत किए गए। साथ ही, सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के विकास पर विशेष रूप से जोर दिए जाने के मद्देनजर नाबार्ड ने हथकरघा समूहों का विकास आरंभ किया है।
- *ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरईडीपी) तथा कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी)*: नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कार्यक्रम आरंभ किए हैं। 2008-09 के दौरान 50,264 ग्रामीण युवाओं को शामिल करते हुए 1,304 लाख रुपए का अनुदान समर्थन दिया गया। साथ ही, पूंजी व्यय के लिए ग्रामीण विकास और स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआइ) को 88 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
- *स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी)*: वर्ष 2008-09 के दौरान नाबार्ड ने 628 करोड़ रुपए की ऋण सीमा वाले 1.50 लाख स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी किए।
- *जेंडर विकास कार्यक्रम*: नाबार्ड महिला विकास कार्यक्रमों का समर्थन ग्रामीण महिलाओं के कृषेतर उत्पादों के विपणन (महिमा) तथा कृषेतर विकास में ग्रामीण महिलाओं को सहायता (एआरडब्ल्यूआइएनडी) कार्यक्रम जैसी अपनी योजनाओं के माध्यम करता रहा है। 1 वर्ष के दौरान महिमा और एआरडब्ल्यूआइएनडी के अन्तर्गत क्रमशः 6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गई। साथ ही, नाबार्ड ने महिला विकास कक्षों (डब्ल्यू डी सी) की स्थापना की तथा मार्च 2009 के अन्त तक 102 महिला विकास कक्ष, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 43 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा 3 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्वीकृत किए गए।

बैंकों की संख्या में सहवर्ती वृद्धि हुई। तथापि, यूसीबी क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का कुछ बड़े बैंकों में सकेन्द्रण हो रहा है। यह इस बात से प्रमाणित है कि हाल में कुछ बैंकों के ऋणों और जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि परिलक्षित हुई है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रूप से यूसीबी का जमावड़ा, पश्चिम क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं, में अधिक रहा है। वर्ष के दौरान सामान्य रूप से यूसीबी तथा खास तौर से अनुसूचित यूसीबी के कारोबार

में निरंतर विस्तार हुआ है जो ऋणों और अग्रिमों तथा जमाओं में हुई उच्च वृद्धि से स्पष्ट है जिसके कारण इन संस्थाओं में आम जनता का विश्वास बढ़ रहा है। वर्ष के दौरान यूसीबी क्षेत्र की निवल लाभप्रदता समग्र रूप से कम गति से बढ़ी लेकिन, गैर-अनुसूचित यूसीबी के लाभों में काफी अधिक वृद्धि हुई। यूसीबी क्षेत्र के लिए समग्र रूप से पूंजी पर्याप्तता के स्तर में वृद्धि हुई है। परंतु क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे पॉकेट भी हैं जिनमें ऐसे बैंक

शामिल हैं, जिनकी पूंजी पर्याप्तता काफी कम है। यूसीबी लघु उद्यमों जैसे क्षेत्रों को अपनी ऋण सुपुर्दगी के माध्यम से वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्ष के दौरान वैश्विक गतिविधियों के फलस्वरूप लघु उद्यमों को ऋण में गिरावट की प्रत्याशा के विपरीत, यूसीबी के द्वारा लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों में उच्च वृद्धि दिखी।

5.90 यूसीबी के मुकाबले, सभी ग्रामीण सहकारी संस्थाओं, केवल राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर, ने वर्ष के दौरान समग्र रूप से हानियां सूचित कीं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के न्यूनतम टियर अर्थात् पीएसीएस में उनके सदस्यों और उधारकर्ताओं में छोटे किसानों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि दर्ज हुई है। लेकिन, इन संस्थाओं के अजा/अजजा और उधारकर्ताओं की संख्या में कमी आई है।

5.91 इसके अलावा, अनर्जक आस्तियों का उच्च स्तर शहरी और ग्रामीण सहकारी क्षेत्र दोनों को नुकसान पहुंचाता है। हाल के वर्षों में यूसीबी के लिए अनर्जक आस्तियों का अनुपात कम

रहने के बावजूद 2009 में यह अनुपात 13.3 प्रतिशत की ऊंचाई पर बना रहा।

5.92 सहकारी क्षेत्र और ग्रामीण विकास में नाबार्ड द्वारा की गयी पहलों के अंतर्गत, हाल के वर्षों में आरआइडीएफ (भारत निर्माण कार्यक्रम में) के तहत जमा और स्वीकृत ऋण की राशियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, आरआइडीएफ के अंतर्गत संवितरित ऋणों के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। केसीसी की कुल संख्या तीव्र वृद्धि से बढ़ी जो किसानों के बीच कृषि वित्त के रूप में इसकी ख्याती को दर्शाती है। तथापि, यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्य बैंकों में हुई है जबकि सहकारी बैंकों द्वारा जारी केसीसी की संख्या में कमी हो रही है।

5.93 निष्कर्ष रूप में, कुल मिलाकर वित्तीय समावेशन को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को मजबूती देने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सहकारी ऋण प्रणाली को और सक्षम तथा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

बैंकों के प्रतिस्पर्धी और उनके पूरक के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआइ) का भारतीय वित्तीय प्रणाली में अनन्य स्थान है और ये भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सितंबर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के अधिक तीव्र हो जाने के कारण इस क्षेत्र में उसका कुछ प्रभाव पड़ा जिसके कारण एनबीएफआइ को चलनिधि की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत केवल एनबीएफसी की निधीयन आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों के लिए विशेष नियत अवधि दर रिपो लागू किया। इसके अलावा एनबीएफसी को चलनिधि उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2008 से कतिपय एहतियाती उपाय किए। इन उपायों ने उस समय निर्मित हो रहे बाजार दबावों से निपटने में परोक्ष रूप से सहायता की। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआइएफआइ) को 16,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई। एक्जिम बैंक और एनएचबी के लिए समग्र संसाधन जुटाने की सीमा और अंब्रेला सीमा में वृद्धि की गई; कुछ चयनित एआइएफआइ को बाजार आधारित परिपक्वता आय (वाइटीएम) का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई। वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) ने स्वीकृत वित्तीय सहायता और उसके संवितरण, तुलनपत्र के आकार और विशुद्ध लाभ के संदर्भ में उत्कृष्ट निष्पादन दर्शाया। एआइएफआइ द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारित औसत लागत में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में एफआइ की आस्ति-गुणवत्ता में सुधार आया। वैश्विक वित्तीय संकट उपस्थित होने से पूर्व ही भारत में एनबीएफआइ संबंधी विनियमों को क्रमिक रूप से सुदृढ़ किया गया था। रिजर्व बैंक ने जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर), एक्सपोजर मानदंडों तथा आस्तियों के वर्गीकरण के रूप में विनियामक और पर्यवेक्षी नीति की दिशा में पहल की है। यद्यपि इसी अवधि के दौरान मुख्यतः जमानती ऋणों और सरकारी प्रतिभूतियों में गिरावट के कारण प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के तुलनपत्रों के आकार में कमी आई तथापि उनके वित्तीय सूचकों यथा- विशुद्ध लाभ और औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ में 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई।

1. परिचय

6.1 यद्यपि भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों का दबदबा है, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआइ) भारतीय वित्तीय प्रणाली में वित्तीय सेवाओं की विस्तृत शृंखला उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैंक भुगतान और चलनिधि से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी हैं, वहीं एनबीएफआइ बढ़ी हुई इक्विटी और जोखिम आधारित उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। एनबीएफआइ कार्यात्मक रूप में तथा कार्य की प्रकृति और आकार के संदर्भों में विषम समूह के रूप में हैं। एनबीएफआइ समूह में सम्मिलित प्रमुख मध्यस्थों में विकास वित्त संस्थाएं (डीएफआइ), बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), प्राथमिक व्यापारी

(पीडी) तथा पूंजी बाजार मध्यस्थ यथा - म्यूच्युअल फंड आते हैं। एनबीएफआइ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मध्यावधि से दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराते हैं।

6.2 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट और वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) पर उसके दुष्परिणामों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वृद्धि की गति में आई शिथिलता को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। प्रणाली में चलनिधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करने और सभी उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण प्रवाह के योग्य स्थितियां निर्मित करने के लिए, विशेष रूप से गृहनिर्माण कार्य तथा निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजनार्थ, रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2008 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजि बैंक) को विशेष पुनर्वितीयन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सिडबी, एनएचबी और एक्विजि बैंक द्वारा जुटाए गए समग्र संसाधन के लिए सीलिंग तथा एनएचबी और एक्विजि बैंक के लिए 'अंब्रेला सीमा' भी बढ़ा दी गई है। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी कंपनियों के लिए भी नीतिगत पहलें की हैं। रुपया चलनिधि में विस्तार के लक्ष्य के लिए उपाय स्वरूप रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत विशेष रिपो विंडो उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को चलनिधि उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ एक मौजूदा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का उपयोग किया गया। दिसंबर 2008 में प्रणालीगत रूप से आवश्यक गैर-जमावाले एनबीएफसी (एनबीएफसी- एनडी-एसआइ) को अस्थायी उपाय के तौर पर कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई कि वे अनुमोदन मार्ग से विदेशी मुद्रा अल्पावधिक उधारियां ले सकें।

6.3 2008-09 के दौरान एफआइ अर्थात् राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सिडबी, एनएचबी और एक्विजि बैंक के सम्मिलित तुलनपत्रों में विस्तार होता रहा। एफआइ के वित्तीय निष्पादन में भी सुधार आया। 2008-09 के दौरान इन एफआइ की निवल ब्याज आय और गैर-ब्याज आय दोनों में ही वृद्धि हुई। एफआइ की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया क्योंकि 2008-09 के दौरान निवल ऋण के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में महत्वपूर्ण कमी आई। भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफआइ लगातार वित्तीय रूप से मजबूत होते रहे क्योंकि रिजर्व बैंक ने प्रणाली में जारी वित्तीय संकट के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए थे।

6.4 एनबीएफसी लंबे समय से वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतियोगिता में थे और अनुपूरक भी थे। कुल वित्तीय प्रणाली में आस्ति का 9.1 प्रतिशत हिस्सा समग्र रूप से एनबीएफसी का है। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए), 2009 ने टिप्पणी की है कि एनबीएफसी ने लाइसेंस देने के मानदंडों, अनुमत कार्यकलापों, पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, ऋण जोखिम, फंसी हुई आस्ति, बृहदाकार एक्सपोजरों, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण, पर्यवेक्षी तकनीकों और पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग संबंधी क्षेत्रों में आम तौर पर अनुपालन किया है। तथापि मूल्यांकन से आपसी सहयोजन, महत्वपूर्ण स्वामित्व अंतरण,

बड़े अभिग्रहणों, संबंधित पक्षों, बाजार, चलनिधि के प्रति एक्सपोजर और बैंकिंग बहियों में परिचालनात्मक जोखिमों, आंतरिक नियंत्रण और ब्याज दर जोखिम के क्षेत्रों में कई खामियों का पता चला है। इन सबके बारे में सीएफएसए की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक विचार करेगा।

6.5 सरकारी प्रतिभूति बाजार में बाजार की आधारभूत संरचना को मजबूत और सशक्त, चलनिधियुक्त और अधिक व्यापक बनाने के इरादे से रिजर्व बैंक द्वारा 1995 में प्राथमिक व्यापारी (पीडी) प्रणाली की स्थापना की गई। पीडी प्रणाली की डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई है कि वह मूल्य अभिज्ञान, चलनिधि और टर्नओवर में वृद्धि तथा व्यापक निवेशक आधार के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारिता को बढ़ावा देकर सरकार के बाजार उधारी कार्यक्रम में सुविधा प्रदान करती है तथा द्वितीयक बाजार ट्रेडिंग प्रणाली में सुधार करती है। पीडी प्रणाली का विकास कई वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से किया गया है और वर्तमान में यह प्रणाली खुला बाजार परिचालनों का संचालन करने में प्रभावी माध्यम का काम करती है। सितंबर 2009 के अंत में 19 पीडी कार्यरत थे जिनमें से 11 बैंक पीडी थे और 8 स्टैंडअलोन पीडी थे।

6.6 इस परिप्रेक्ष्य में, 5 खंडों में विभाजित यह अध्याय खंड 2 में एफआइ के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करता है। खंड 3 में एनबीएफसी और आरएनबीसी की प्रवृत्तियों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। पीडी की गतिविधियों और उनके कार्य-निष्पादन का वर्णन विस्तारपूर्वक खंड 4 में किया गया है, और अंतिम खंड 5 में निष्कर्षों का उल्लेख है।

2. वित्तीय संस्थाएं

6.7 वित्तीय संस्थाओं (एफआइ)द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियों के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, वे हैं जो सावधि उधारदाता संस्थाएं (एफआइ) हैं - एक्विजि बैंक, जिसका मूल कार्य है सावधि ऋण और निवेश के रूप में प्रत्यक्ष उधार प्रदान करना। द्वितीय हैं पुनर्वितीय संस्थाएं जैसे - नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी जो मूल रूप से बैंकों को तथा एनबीएफआइ को पुनर्वित्त उपलब्ध कराती हैं। तृतीय वर्ग में निवेश संस्थाएं हैं जो मुख्य रूप से विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में अपनी आस्तियां विनियोजित करती हैं जैसे - एलआइसी। राज्य/क्षेत्रीय स्तर की संस्थाएं एक सर्वथा अलग प्रकार का समूह है जिसमें राज्य वित्तीय

निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक और विकास निगम (एसआइडीसी) तथा उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) का समावेश है। इनमें से कुछ वित्तीय संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4ए के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6.8 31 मार्च 2009 को एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी ये चार वित्तीय संस्थाएं ऐसी थीं जो संपूर्णतया रिजर्व बैंक के विनियमनों और पर्यवेक्षण में कार्यरत हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आइआइबीआइ) एक वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहलें

6.9 उभरती हुई वैश्विक गतिविधियों और वित्तीय संस्थाओं पर उनके दुष्परिणामों के परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक को कुछ एफआई से चलनिधि सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि ये संस्थाएं एचएफसी/एनबीएफसी/एमएफआई और निर्यातकों को ऋण प्रदान कर सकें। तदनुसार रिजर्व बैंक ने निम्नानुसार कई उपाय किए हैं :

सिडबी, एक्जिम बैंक और एनएचबी को पुनर्वित्त सुविधा

6.10 निरंतर चल रहे वैश्विक वित्तीय संकट के दबाव में आ चुके क्षेत्रों के ऋण प्रवाह में तेजी लाने के उपाय स्वरूप दिसंबर 2008 में रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत सिडबी, एक्जिम बैंक और एनएचबी को क्रमशः 7,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। उक्त सुविधा के अंतर्गत उपरिलिखित एफआई द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त करने की सीमा 90 दिनों की रखी गई और सीमा अवधि के अंतर्गत राशि का आहरण और चुकौती अपनी सुविधानुसार की जा सकती थी। यह सुविधा आगे 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई जा सकती है। इस सुविधा के अंतर्गत अग्रिमों पर रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिपो दर पर प्रभार वसूल किया जाता है। इस पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग संबंधित वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार तथा इन संस्थाओं के लिए विद्यमान एक्सपोजर मानदंडों के अनुरूप किया जाना चाहिए। निगरानी की सुविधा के लिए वित्तीय

संस्थाओं को चाहिए कि वे पुनर्वित्त सुविधा के उपयोग संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें। फरवरी 2009 तक प्रत्येक संस्था के लिए विशेष वित्तीय सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि अल्पमात्रा में थी परंतु बाद के महीनों में इसमें तेजी आई। जून 2009 के अंत में पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग सारणी VI.1 में दर्शाया गया है।

सिडबी, एनएचबी और एक्जिम बैंक द्वारा जुटाए गए सकल संसाधनों की अधिकतम सीमा

6.11 सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर हाल के तुलनपत्र के अनुसार जुटाए गए सकल संसाधनों की सीलिंग को विद्यमान एनओएफ के 10 गुणकों के मानदंड से बढ़ाकर 8 दिसंबर 2008 से एक वर्ष के लिए सिडबी और एनएचबी के मामले में निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) का 12 गुणक तथा एक्जिम बैंक के लिए उनकी एनओएफ का 13 गुणक कर दिया गया है।

एक्जिम बैंक और एनएचबी के लिए अंब्रेला सीमा

6.12 एफआई जिसमें पांच विनिर्दिष्ट लिखतों - सावधि जमा, सावधि मुद्रा उधारियां, जमा प्रमाणपत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और इंटर कारपोरेट जमा (आइसीडी) के द्वारा सकल उधारियां सम्मिलित हैं, के लिए 'अंब्रेला सीमा' उनकी अद्यतन अंकेक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनके एनओएफ के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 दिसंबर 2008 से एक्जिम बैंक के लिए और 15 जनवरी 2009 से एनएचबी के लिए अंब्रेला सीमा एक वर्ष

सारणी VI.1: पुनर्वित्त सुविधाओं का उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

एआइ- एफआई	स्वीकृत पुनर्वित्त	26 जून 2009 को आहरित संचयी राशि	26 जून 2009 को संवितरित संचयी राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
सिडबी	7,000	5,684 988 7,747	4,971 1,043 1,841	33* 22** 5,179
एक्जिम बैंक	5,000	3,000	3,478	35
एनएचबी	4,000	3,979	3,979	14#
योग	16,000	21,398	15,312	5,283

* : राज्य वित्त निगम (एसएफसी) तथा बैंक
** : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
: आवास वित्तीय कंपनियां (एचएफसी)

की अवधि के लिए बढ़ाकर उनके एनओएफ का 200 प्रतिशत कर दी गई जो पुनरीक्षा करने तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) दिशानिर्देशों को मानने की शर्तों पर था।

चयनित एआइएफआइ द्वारा परिपक्वता पर बाजार संबद्ध यील्ड (वाइटीएम) प्रदान करने की अनुमति

6.13 चयनित एफआइ यथा - सिडबी, एनएचबी, एक्जिम बैंक, नाबार्ड अपने बांड/डिबेंचर जारी करते समय परिपक्वता पर बाजार संबद्ध यील्ड (वाइटीएम) का प्रस्ताव कर सकते हैं। तदनुसार वर्तमान में लागू यह शर्त कि बांडों को जारी करते समय परिपक्वता पर दी जानेवाली यील्ड भारत सरकार की प्रतिभूतियों की समान अवशिष्ट परिपक्वताओं पर वाइटीएम के ऊपर 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए - 8 दिसंबर 2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होगी।

चयनित एआइएफआइ के अग्रिमों की पुनर्संरचना के बारे में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

6.14 बैंकों को जारी अग्रिमों की पुनर्संरचना के लेखांकन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देश चयनित एफआइ पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। एफआइ द्वारा जो गतिविधियां सामान्य रूप से नहीं की जाती हैं (यथा - कार्यशील पूंजी, ओवरड्राफ्ट और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना), उनसे संबंधित प्रावधान इन एफआइ पर लागू नहीं होंगे।

वित्तीय संस्थाओं के परिचालन

6.15 एफआइ द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान तीव्र वृद्धि हुई। वित्तीय स्वीकृतियों और संवितरणों में वृद्धि का सबसे बड़ा भाग मुख्य रूप से निवेश संस्थाओं (विशेष रूप से एलआइसी) और इसके बाद सावधि उधार राशियां देनेवाली संस्थाओं का रहा (सारणी VI.2 और परिशिष्ट सारणी VI.1)।

6.16 यद्यपि वर्ष 2008-09 के दौरान एफआइ द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता दोनों में ही वृद्धि रही तथापि संवितरण में हुई वृद्धि (93.3 प्रतिशत) स्वीकृतियों (70.2 प्रतिशत) की तुलना में अधिक ठोस थी (सारणी VI.2)(चार्ट VI.1)।

एफआइ की आस्ति और देयताएं

6.17 कुछ चयनित एफआइ (नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक) के सम्मिलित तुलनपत्र में वर्ष 2008-09 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 प्रतिशत का तीव्र विस्तार हुआ। देयता पक्ष में 2008-09 के दौरान बांड और डिबेंचरों द्वारा जुटाए गए संसाधनों में 9.3 प्रतिशत की कमी आई। तथापि जमाराशियों और उधार दी गई राशियों में क्रमशः 80.7 प्रतिशत और 20.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिमों में 21.5 प्रतिशत का विस्तार रहा तथा निवेश पोर्टफोलियो में भी 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नकद और बैंक शेष, और अन्य

सारणी VI.2: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

श्रेणी	राशि				घटबढ़ प्रतिशत	
	2007-08		2008-09		2008-09	
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7
(i) अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता संस्थाएं*	18,696	17,379	33,660	31,604	80.0	81.9
(ii) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं#	366	189	597	283	63.1	49.7
(iii) निवेश संस्थाएं@	39,670	28,460	65,731	57,086	65.7	100.6
एफआइ द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	58,732	46,028	99,988	88,973	70.2	93.3

स्वी : स्वीकृत संवि. : संवितरण


* : आइएफसीआइ, सिडबी और आइआइबीआइ के संबंध में।

: आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर और टीएफसीआइ के संबंध में।

@ : एलआइसी और जीआइसी तथा भूतपूर्व सब्सिडियरी (एनआइए, यूआइआइसी और ओआइसी) के संबंध में।

टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।



आस्तियों में क्रमशः 22.7 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। देयता में जमाराशियों का हिस्सा 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 30.2 प्रतिशत हुआ जबकि अन्य मदों में मामूली कमी दर्ज हुई। 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान आस्ति की संरचना लगभग अपरिवर्तित रही।

एफआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन

6.18 एफआईएफआई द्वारा 2008-09 के दौरान जुटाए गए संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्च थे। यद्यपि जुटाए गए अल्पावधि संसाधनों में 2008-09 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई तथापि जुटाए गए दीर्घावधि और विदेशी मुद्रा संसाधनों में कमी आई। संसाधनों में सर्वाधिक बृहद् राशि एनएचबी ने जुटाई जिसके बाद एक्विजिशन बैंक और सिडबी आते थे। 2008-09 के दौरान एक्विजिशन बैंक द्वारा जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में कमी आई जबकि सिडबी द्वारा जुटाए गए इन संसाधनों में तीव्र विस्तार हुआ (सारणी VI.4 और परिशिष्ट सारणी VI.2)।

6.19 एफआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधनों के उपयोग में 2008-09 के दौरान तीव्र वृद्धि रही जिसके चलते अंब्रेला सीमा पिछले वर्ष के 22.9 प्रतिशत की तुलना में 58.0 प्रतिशत पर जा पहुंची (सारणी VI.5)।

सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की देयता और आस्ति (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	राशि		घटबढ़
	2008	2009	प्रतिशत
1	2	3	4
देयताएं			
1. आस्ति	4,000 (2.2)	4,300 (2.0)	7.5
2. आरक्षित निधि	17,137 (9.5)	19,069 (8.8)	11.3
3. बांड और डिबेंचर	57,741 (32.1)	52,390 (24.1)	-9.3
4. जमाराशि	36,298 (20.2)	65,591 (30.2)	80.7
5. उधार राशियां	33,716 (18.7)	40,443 (18.6)	20.0
6. अन्य देयताएं	31,020 (17.2)	35,579 (16.4)	14.7
कुल देयताएं/आस्तियां	1,79,912 (100.0)	2,17,372 (100.0)	20.8
आस्तियां			
1. नकद और बैंक शेष	15,835 (8.8)	19,430 (8.9)	22.7
2. निवेश	6,694 (3.7)	8,155 (3.8)	21.8
3. ऋण और अग्रिम	1,47,008 (81.7)	1,78,595 (82.2)	21.5
4. भुनाए/पुनर्भुनाए गए बिल	2,044 (1.1)	2,145 (1.0)	5.0
5. अचल आस्तियां	539 (0.3)	570 (0.3)	5.6
6. अन्य आस्तियां	7,792 (4.3)	8,477 (3.9)	8.8
टिप्पणियां:	1) ये आंकड़े 4 एफआईएफआई यथा - नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्विजिशन बैंक के हैं। आइआईबीआई लि. 31 मार्च 2009 को स्वैच्छिक समापन के अंतर्गत था।		
	2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।		
स्रोत :	1. संबंधित एफआईएफआई के तुलनापत्र ।		
	2. एनएचबी की गैर लेखापरीक्षित ऑसमॉस विवरणियां ।		

निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

6.20 एफआईएफआई की निधियों के कुल स्रोतों/नियोजनों में 2008-09 के दौरान 39 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। एफआईएफआई निधियों का 65.0 प्रतिशत आंतरिक रूप से जुटाया गया था जिसमें 91.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 2008-09 के दौरान निधियों के स्रोतों में बाह्य स्रोतों का योगदान पिछले वर्ष में रहे 51.7 प्रतिशत की तुलना में 30.7 प्रतिशत था जिसमें वैश्विक वित्तीय बाजारों में आई उथल-

सारणी VI.4 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल बकाया (मार्च के अंत में)	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		योग		2008	2009
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	6,825	3,197	2,180	8,905	5,553	3,800	14,558	15,902	31,716	37,202
नाबार्ड	12,198	4,252	1,422	3,494	-	-	13,620	7,746	32,630	26,867
एनएचबी	3,100	3,124	8,016	16,881	-	-	11,116	20,005	17,313	16,503
सिडबी	4,531	5,625	461	8,811	92	1,361	5,084	15,797	14,665	24,487
योग	26,654	16,198	12,079	38,091	5,645	5,161	44,378	59,450	96,324	1,05,059

-: शून्य/नगण्य

टिप्पणियां: दीर्घावधि रुपया संसाधनों में बांड/डिबेंचर से जुटाई गई उधार राशियां सम्मिलित हैं; और अल्पावधि संसाधनों में सीपी, सावधि जमा राशियां, आइसीडी, सीडी और सावधि मुद्रा से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांड और उधार राशियां सम्मिलित हैं।

स्रोत: संबंधित एफआइ।

पुथल के कारण 17.4 प्रतिशत की कमी आई। 2008-09 के दौरान जुटाई गई निधियों के सर्वाधिक बड़े भाग (65.5 प्रतिशत) का उपयोग नए नियोजनों के लिए किया गया, जिसके बाद भूतकाल की उधार राशियों की चुकौती (19.0 प्रतिशत) के लिए किया गया। 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान नए नियोजनों में 55.1 प्रतिशत और अन्य नियोजनों में 137.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.6 और परिशिष्ट सारणी VI.3)

उधार राशियों की लागत और परिपक्वता

6.21 एआइएफआइ द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारत औसत लागत में 2008-09 के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति रही

सारणी VI.5: मुद्रा बाजार से वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
क. योग	3,293	4,458	15,247
i) सावधि जमाराशियां	89	508	2,222
ii) सावधि मुद्रा	-	250	1,184
iii) अंतर कारपोरेट जमाराशियां	-	-	-
iv) जमा प्रमाणपत्र	663	2,286	5,633
v) वाणिज्यिक पत्र	2,540	1,414	6,207
जापन:			
ख. अंब्रेला सीमा	19,001	19,500	26,292
ग. अंब्रेला सीमा का उपयोग ('ख' के प्रतिशत के रूप में 'क')	17.3	22.9	58.0

-: शून्य/नगण्य

स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन संबंधी पाक्षिक विवरणी।

(सारणी VI.7 और परिशिष्ट सारणी VI.4)। 2008-09 के दौरान केवल एक्जिम बैंक और एनएचबी को छोड़कर एफआइ द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारत औसत परिपक्वता में वृद्धि हुई।

सारणी VI.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन की प्रवृत्ति*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09	घटबढ़ प्रतिशत 2008-09
1	2	3	4
क. निधियों का स्रोत (i+ii+iii)	2,13,954 (100.0)	2,97,296 (100.0)	39.0
(i) आंतरिक	1,00,944 (47.2)	1,93,294 (65.0)	91.5
(ii) बाह्य	1,10,604 (51.7)	91,314 (30.7)	-17.4
(iii) अन्य@	2,406 (1.1)	12,688 (4.3)	427.3
ख. निधियों का नियोजन (i+ii+iii)	2,13,954 (100.0)	2,97,296 (100.0)	39.0
(i) नए नियोजन	1,25,522 (58.7)	1,94,711 (65.5)	55.1
(ii) भूतकाल की उधार राशियों की चुकौती	69,096 (32.3)	56,592 (19.0)	-18.1
(iii) अन्य नियोजन	19,333 (9.0)	45,993 (15.5)	137.9
<i>जिनमें से:</i>			
ब्याज का भुगतान	6,916 (3.2)	8,809 (3.0)	27.4

* : एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी
 @ : बैंकों में नकदी और शेष, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में शेष राशियां सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.7: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए दीर्घावधि संसाधनों की भारत औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	भारत औसत लागत (प्रतिशत)		भारत औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
एक्विजि बैंक	8.2	9.0	3.0	2.5
सिडबी	8.2	6.5	1.0	3.4
नाबार्ड	9.5	9.5	4.0	4.3
एनएचबी	7.7	7.4	2.8	2.8

टिप्पणी : आंकड़े अर्न्ततम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

उधार दरें

6.22 पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान एनएचबी, सिडबी और एक्विजि बैंक ने अपनी मूल उधार दरों (पीएलआर) में मामूली वृद्धि की (सारणी VI.8)।

सारणी VI.8: चयनित वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) की दीर्घावधि पीएलआर संरचना

(प्रतिशत)

प्रभावी	एनएचबी	एक्विजि बैंक	टीएफसीआइ
1	2	3	4
मार्च 2008	10.50	13.50	12.00
मार्च 2009	10.75	14.00	12.50

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

6.23 एफआइ की निवल ब्याज आय और गैर ब्याज आय में क्रमशः 22.5 प्रतिशत और 31.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि पिछले वर्ष आयी कमी के विपरीत 2008-09 के दौरान वेतन बिलों में 26.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान परिचालनात्मक लाभ में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एफआइ के निवल लाभ में आयकर निर्धारण के लिए किए गए उच्च प्रावधानों के बावजूद वृद्धि हुई (सारणी VI.9)।

सारणी VI.9: चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09	घटबढ़			
			2007-08		2008-09	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क. ब्याज (अ +आ)	11,541	14,274	2,467	27.2	2,733	23.7
अ) ब्याज आय	9,934	12,169	1,796	22.1	2,234	22.5
	(86.1)	(85.3)				
आ) गैर ब्याज आय	1,607	2,106	671	71.8	499	31.1
	(13.9)	(14.8)				
ख. व्यय (अ+आ)	8707	10,492	1,812	26.3	1,785	20.5
अ) ब्याज व्यय	7,277	8,977	1,362	22.9	1,699	23.4
	(83.6)	(85.6)				
आ) परिचालन व्यय	1,430	1,516	450	46.6	86	6.0
	(16.4)	(14.4)				
जिनमें से: वेतन बिल	287	362	-139	-32.7	76	26.4
ग. आय कर के लिए प्रावधान	936	1,190	304	48.1	254	27.2
घ. लाभ						
परिचालन लाभ (पीबीटी)	2,834	3,782	656	30.1	948	33.5
निवल लाभ (पीएटी)	1,898	2,592	352	22.7	694	36.6
ड. वित्तीय अनुपात@						
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.6	1.7				
निवल लाभ (पीएटी)	1.1	1.2				
आय	6.4	6.6				
ब्याज आय	5.5	5.6				
अन्य आय	0.9	1.0				
व्यय	4.8	4.8				
ब्याज व्यय	4.0	4.1				
अन्य परिचालन व्यय	0.8	0.7				
वेतन बिल	0.2	0.2				
प्रावधान	0.5	0.6				
स्प्रेड (विशुद्ध ब्याज आय)	1.4	1.4				

@ : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित एफआइ के वार्षिक लेखा विवरण 2, एनएचबी की गैर लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां (जून के अंत में)।

सारणी VI.10: वित्तीय संस्थाओं के चयनित वित्तीय मानदंड
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यकारी निधि		गैर ब्याज आय/औसत कार्यकारी निधि		परिचालनात्मक लाभ/औसत कार्यकारी निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रु. में)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्विजिब बैंक	7.6	7.8	1.2	0.8	2.3	2.4	1.0	1.2	1.5	2.1
नाबार्ड	6.1	6.5	0.1	0.1	2.0	1.9	1.4	1.3	0.3	0.3
एनएचबी*	7.5	8.0	0.3	0.3	1.1	1.7	0.6	1.2
सिडबी	8.5	8.8	0.7	1.1	3.1	5.3	1.6	3.1	0.2	0.3

.. : उपलब्ध नहीं ।
* : ऑसमोस विवरणियों के अनुसार जून अंत में स्थिति। एनएचबी के मामले में औसत कार्यकारी निधियों के बदले में कुल आस्तियां ली गयी हैं।
स्रोत: 1. संबंधित एफआइ ।
2. एनएचबी की गैर लेखा परीक्षित ऑफ साइट विवरणियां।

6.24 कार्यशील निधियों के प्रतिशत रूप में ब्याज आय और गैर ब्याज आय (केवल एक्विजिब बैंक को छोड़कर) सभी एफआइ के मामलों में बढ़ी है। केवल नाबार्ड को छोड़कर सभी एफआइ के लिए कार्यशील निधियों के प्रतिशत रूप में परिचालनात्मक प्रतिलाभ में और औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक उच्च प्रतिलाभ सिडबी की औसत आस्तियों पर हासिल हुई जिसके बाद नाबार्ड, एक्विजिब बैंक और एनएचबी आते थे (सारणी VI.10)।

स्वस्थता सूचक : आस्ति गुणवत्ता

6.25 यह काफी महत्वपूर्ण है कि चले आ रहे वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्परिणामों के होते हुए भी एफआइ की आस्ति गुणवत्ता में 2008-09 के दौरान सुधार आया है। निवल ऋण अनुपात के प्रति विशुद्ध एनपीए के संदर्भ में सिडबी और एक्विजिब बैंक की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष के दौरान सुधार आया है। तथापि, नाबार्ड के निवल एनपीए अनुपात में मामूली वृद्धि रही है (सारणी VI.11)।

6.26 एफआइ की मानक आस्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में भी आस्ति गुणवत्ता में सुधार पाया गया, केवल एनएचबी को छोड़कर जिनकी मानक आस्तियों में मामूली गिरावट देखी गई। इसके अलावा मार्च 2009 के अंत में किसी भी एफआइ की आस्ति 'हानि' में वर्गीकृत नहीं हुई थी (सारणी VI.12)।

पूंजी पर्याप्तता

6.27 सभी एफआइ की पूंजी पर्याप्तता का अनुपात न्यूनतम विनिर्दिष्ट 9 प्रतिशत के मानदंड से महत्वपूर्ण रूप से उच्च रहा। इसके

होते हुए भी नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी का सीआरएआर पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में न्यून रहा यद्यपि एक्विजिब बैंक के सीआरएआर में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई (सारणी VI.13)।

3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

6.28 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में किया गया संशोधन (जनवरी 1997) रिजर्व बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को विनियमित करने के लिए विस्तृत विधायी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। संशोधित अधिनियम में सभी एनबीएफसी का पंजीकरण करना और न्यूनतम एनओएफ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके द्वारा रिजर्व बैंक को एनबीएफसी के लिए आय निर्धारण, लेखा मानकों, अनर्जक आस्तियों, पूंजी पर्याप्तता इत्यादि और साथ

सारणी VI.11: निवल अनर्जक आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में)

संस्था	निवल अनर्जक आस्ति		निवल अनर्जक आस्ति/निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5
एक्विजिब बैंक	83	79	0.29	0.23
नाबार्ड	19	30	0.02	0.03
एनएचबी*	-	-	-	-
सिडबी	49	26	0.25	0.08
सभी वित्तीय संस्थाएं (एफआइ)	151	135	0.10	0.07

- : शून्य/नगण्य
* : ऑसमोस विवरणियों के अनुसार जून के अंत में स्थिति।
स्रोत: संबंधित एफआइ ।

सारणी VI.12: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध		घाटा	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम बैंक	28,694	34,077	41	21	42	58	-	-
नाबार्ड	82,853	98,822	2	7	17	23	-	-
एनएचबी*	17,427	16,851	-	-	-	-	-	-
सिडबी	19,927	30,854	24	23	25	3	-	-
सभी वित्तीय संस्थाएं (एफआइ)	1,48,901	1,80,605	67	51	84	85	-	-
-: शून्य/नगण्य								
*: जून अंत की स्थिति।								
स्रोत: 1. संबंधित एफआइ।								
2. एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑफ साइट विवरणियां।								

ही प्रयोजन, जिनके लिए अग्रिम दिए जाएंगे, के संबंध में नीतियां तय करने और उन्हें निदेश देने का अधिकार भी मिला हुआ है।

विनियामक और पर्यवेक्षी उपाय

6.29 गैर बैंकिंग संस्थाओं के विनियमन को निरंतर मजबूत बनाया जा रहा है और यह प्रक्रिया वैश्विक वित्तीय संकट उपस्थित होने के पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है। बैंक प्रायोजित एनबीएफसी और गैर बैंक एनबीएफसी के बीच समान अवसर दिए जाने से संबंधित मुद्दों और विनियामक एकरूपता (कनवर्जन्स) लाने तथा विनियामक आर्बीट्रेज जैसे मुद्दों की जांच प्रणालीगत प्रभावों के संदर्भ में की गई। 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्तिवाली जमा स्वीकार न करनेवाली एनबीएफसी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माना गया तथा एक विस्तृत विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क लागू किया गया।

6.30 आरंभिक तौर पर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर विनियामक सतर्कता जनता से जमाराशियां स्वीकार करनेवाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) पर आम तौर पर केंद्रित होती थी। वर्षों के दौरान विनियामक फ्रेमवर्क का विस्तार कर उसमें प्रणालीगत महत्व के मुद्दों को सम्मिलित किया गया। क्षेत्र का समेकन हुआ और जबकि जमा स्वीकार करनेवाले एनबीएफसी के आकार में और उनके द्वारा धारित जमाराशियों की मात्रा के संदर्भ में कमी आई, एनबीएफसी-एनडी की संख्या और आस्ति में वृद्धि हुई। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ (100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्ति आकारवाले एनबीएफसी-एनडी) के द्वारा सीआरएआर और रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट एक्सपोजर मानदंड का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

सारणी VI.13: चयनित वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम बैंक	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4	15.1	16.8
नाबार्ड	36.9	39.1	39.4	38.8	34.4	27.0	26.6	25.9
एनएचबी*	22.1	27.9	30.5	22.5	22.3	21.7	24.7	17.7
सिडबी	45.0	44.0	51.6	50.7	43.2	37.5	41.8	34.2
*: जून अंत की स्थिति।								
स्रोत: 1. संबंधित एफआइ।								
2. एनएचबी की गैर-लेखापरीक्षित ऑफ साइट विवरणियां।								

6.31 परिवर्तनशील विनियामक नीति यह भी स्वीकार करती है कि एनबीएफसी के वे कार्यकलाप जो उत्पादनीय आस्ति निर्माण से जुड़े हैं, पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार एनबीएफसी का पुनर्वर्गीकरण दिसंबर 2006 में किया गया जिसके अनुसरण में वे कंपनियां जो उत्पादक/आर्थिक कार्यकलाप के लिए वास्तविक/भौतिक आस्तियों का वित्तीयन करती हैं, उनका वर्गीकरण आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) के रूप में किया गया। एनबीएफसी के अन्य दो वर्गों में ऋण कंपनियों (एलसी) और निवेश कंपनियों (आइसी) शामिल हैं।

एनबीएफसी में धोखाधड़ी पर निगरानी

6.32 एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी के प्रति दृष्टिकोण, जिसे मार्च 2008 में जारी किया गया, में रिजर्व बैंक ने जुलाई 2008 में संशोधन किया। तदनुसार एनबीएफसी को उनकी अपनी सब्सिडियरी कंपनियों और संबंधित/संयुक्त उद्यमों में हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए सूचित किया गया।

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) और पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) के लिए दिशानिदेश

6.33 रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले तिमाही विवरणों के फार्मेट में सितंबर 2008 में संशोधन किया। संशोधित विवरणों में अन्य बातों के साथ-साथ एससी/आरसी (एफडीआइ घटकों को भी सम्मिलित करते हुए) की स्वाधिकृत निधियों की स्थिति संबंधी आंकड़ों; सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसरण में एससी/आरसी द्वारा बैंकों/एफआइ से वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण/वसूली की स्थिति; और किसी तिमाही विशेष के अंत में जारी, भुनाई गई और बकाया प्रतिभूति रसीद (एसआर) संबंधी जानकारी को भी सम्मिलित किया जाएगा।

6.34 यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एससी/आरसी न तो 'बैंक' है और न ही 'वित्तीय संस्था'। अतः किसी एससी/आरसी द्वारा किसी अन्य एससी/आरसी से वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण किया जाना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि एससी/आरसी यदि अपनी निधियों का नियोजन एकमात्र अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के प्रयोजनार्थ अभिगृहीत ऋण खातों का पुनर्गठन करने के लिए करते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है।

पूंजी की गणना करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) और आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) का लेखांकन

6.35 डीटीए और डीटीएल के निर्मित होने के परिणामस्वरूप कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर आने की संभावना रहती है जिनका कंपनी के तुलनपत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः 31 जुलाई 2008 को एनबीएफसी को सूचित किया गया कि पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ टायर I और टायर II पूंजी में सम्मिलित किए जाने के लिए डीटीएल खातों के शेष को पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीटीए को अमूर्त आस्ति मानते हुए इसे टायर I पूंजी से घटाया नहीं जाएगा। इस संबंध में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि चालू वर्ष के लिए राजस्व रिजर्व के अथ शेष को नामे अथवा लाभ-हानि खाते को नामे करके निर्मित किए गए डीटीएल को 'अन्य देयताएं और प्रावधान' में 'अन्य' के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए तथा चालू वर्ष के लिए राजस्व रिजर्व के अथ शेष को जमा अथवा लाभ-हानि खाते को जमा करके निर्मित किए गए डीटीए को 'अन्य आस्ति' में 'अन्य' के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - एनबीएफसी की जिम्मेदारियां

6.36 अगस्त 2008 में एनबीएफसी, लेनदेन निगरानी मैकेनिज्म के भाग रूप में, के लिए आवश्यक था कि वे एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लागू करें जो लेनदेनों के जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल के अनुरूप न पाए जाने पर एलर्ट कर सके। एनबीएफसी, जिनकी सभी शाखाएं अभी तक कंप्यूटरीकृत नहीं हो पाई हैं, के प्रधान अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अकंप्यूटरीकृत शाखाओं में किए गए लेनदेनों के ब्योरे में से आवश्यक ब्योरे छंटकर एक जगह करके उन आंकड़ों को नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) और संदेहात्मक लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के एडिटेबल यूटीलिटी, जो वित्तीय आसूचना एकक (एफआइयू-आइएनडी) द्वारा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, की सहायता से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फाइल में तैयार करे। यह भी स्पष्ट किया गया जा चुका है कि एनबीएफसी की शाखाओं/कार्यालयों द्वारा अपने प्रधान अधिकारी को सूचित किए जानेवाले नकदी लेनदेन की रिपोर्टिंग (सीटीआर) बिना चूके मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाए तथा प्रधान अधिकारी आगे सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक माह के लिए सीटीआर विनिर्दिष्ट समय के भीतर एफआइयू-आइएनडी को प्रस्तुत की जाती है।

एनबीएफसी द्वारा वसूले जानेवाले अधिक ब्याज का विनियमन

6.37 रिजर्व बैंक ने जनवरी 2009 में ब्याज की अधिक दरों के संबंध में कुछ निदेश जारी किए हैं। तदनुसार अब प्रत्येक एनबीएफसी के बोर्ड को एक ऐसे ब्याज दर मॉडल को अपनाना होगा जिसमें सभी संबद्ध घटकों यथा - निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम का ध्यान रखा जाता हो और जो ऋणों और अग्रिमों के लिए वसूले जानेवाले ब्याज की दरों का निर्धारण करता हो। ब्याज की दरों को वार्षिक होना चाहिए ताकि उधारकर्ता को यह जानकारी हो पाए कि उसके खाते में वास्तव में किस दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

एनबीएफसी की रेटिंग

6.38 फरवरी 2009 में 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आस्ति वाले सभी एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करनेवाली और स्वीकार न करनेवाली दोनों ही) के लिए आवश्यक था कि वे अपने किसी भी उत्पाद को प्रदान की गई रेटिंग में कमी किए जाने/बढ़त होने की जानकारी इस प्रकार के रेटिंग परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे जिसके कार्यक्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय आता हो।

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए नीतिगत पहलें

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि और प्रकटन मानदंड संबंधी दिशानिदेश

6.39 रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए जारी किए गए विद्यमान दिशानिदेशों की पुनरीक्षा की और 1 अगस्त 2008 को अंतिम दिशानिदेश जारी किए। इन दिशानिदेशों के अनुसरण में प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए न्यूनतम सीआरएआर को विद्यमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 तक 12 प्रतिशत और 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत कर दिया गया। आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए तथा प्राप्त किए गए कई अनुरोधों के आधार पर इस अपेक्षा को 1 वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए आवश्यक है कि वे 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष से सीआरएआर, वास्तविक संपदा क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर और अपने तुलनपत्रों में आस्ति और देयताएं की परिपक्वता प्रवृत्ति के संबंध में अतिरिक्त प्रकटन करें।

पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए एनबीएफसी द्वारा पूंजी जुटाने के विकल्प में बढ़ोत्तरी

6.40 अक्टूबर 2008 में कारोबार बढ़ाने और पर्यवेक्षी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों में वृद्धि की आवश्यकता के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि एनबीएफसी-एनडी-एसआइ शाश्वत (परपेचुअल) ऋण लिखतें (पीडीआइ) जारी करके अपनी पूंजी निधियों को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के पीडीआइ टीयर I पूंजी में सम्मिलित किए जाने हेतु पात्र होंगे परंतु पिछले वर्ष 31 मार्च को टीयर I की कुल पूंजी का 15 प्रतिशत की सीमा तक।

अल्पावधि विदेशी मुद्रा जुटाना

6.41 दिसंबर 2008 में प्रणालीगत रूप से आवश्यक समझे जानेवाले एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को अस्थायी उपाय के रूप में कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अल्पावधिक उधारियां जुटाने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस संबंध में वे सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआइ जो अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋणों का उपभोग कर चुकी थीं, को सूचित किया गया कि वे संबंधित माह समाप्ति से 10 दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करें।

चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना

6.42 देश की ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने के लिए एमएनबीसी को 18 अगस्त 2009 से जनता से जमाराशियां, केवल शेयरधारकों को छोड़कर, स्वीकार करने पर निषेध लगाया गया जो एमएनबीसी (भारिबैं) निदेशावली दिसंबर 1977 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन था। एमएनबीसी द्वारा अभी तक स्वीकार की गई, अपने शेयरधारकों से इतर, तथा धारित जमाराशियां परिपक्वता होने पर लौटा दी जाएंगी और नवीयन के लिए ये राशियां पात्र नहीं होंगी।

जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी के अभिग्रहण/उनका नियंत्रण दूसरे हाथों में सौंपने के मामले में भारिबैं का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा

6.43 एनबीएफसी के प्रबंधन के उपयुक्त और उचित चरित्र का सत्यापन करने में भारिबैं को सक्षम बनाने के लिए निर्णय किया गया है कि 17 सितंबर 2009 से जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी

के शेयरों का अभिग्रहण/टेकओवर अथवा जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी का विलयन/समामेलन किसी अन्य संस्था के साथ किए जाने अथवा किसी संस्था का विलयन/समामेलन जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी के साथ किए जाने, जिसके फलस्वरूप अभिग्रहणकर्ता/अन्य संस्था के हाथ में जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी का नियंत्रण आता हो, के लिए रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस संबंध में किए जानेवाले आवेदन गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा जिसके कार्यक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है।

ब्याज दर फ्यूचर्स लागू करना - एनबीएफसी

6.44 अंतरनिहित एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए निदेश जारी किए गए थे जिनमें भारत में स्थित एक्सचेंजों, जिन्हें सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त है, में एनबीएफसी को ब्याज दर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के लिए भारिबैंक/सेबी के दिशानिदेशों के तहत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया था।

एनबीएफसी का प्रोफाइल (आरएनबीसी को सम्मिलित करते हुए)

6.45 जून 2008 के अंत में रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की कुल संख्या [जिसमें एनबीएफसी -डी (जमा स्वीकार करनेवाले एनबीएफसी), आरएनबीसी, म्यूच्युअल बेनेफिट कंपनियों (एमबीसी), विविध गैर बैंकिंग कंपनियों (एमएनबीसी) और निधि कंपनियों सम्मिलित हैं] 12,809 थी जो जून 2009 के अंत में घटकर 12,740 हो गई (सारणी VI.14)। एनबीएफसी-डी की संख्या जून

सारणी VI.14: रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या

जून के अंत में	एनबीएफसी की संख्या	एनबीएफसी-डी की संख्या
1	2	3
1999	7,855	624
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710
2004	13,764	604
2005	13,261	507
2006	13,014	428
2007	12,968	401
2008	12,809	364
2009	12,740	336

2008 के अंत में 364 थी जो जून 2009 के अंत में घटकर 336 हो गई, जिसका मुख्य कारण था तमाम एनबीएफसी कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार करने के कार्य को छोड़ कर जाना। मार्च 2009 के अंत में आरएनबीसी की संख्या घटकर मात्र 2 रह गई।


6.46 एनबीएफसी की कुल आस्तियां पिछले वर्ष के 99,014 करोड़ रुपए से घटकर 2008-09 के दौरान 95,727 करोड़ रुपए रह गयी थी। सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2008 के अंत में रही 24,400 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2009 के अंत में 21,548 करोड़ रुपए हो गई थी। निवल स्वाधिकृत निधियों में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद यह राशि मार्च 2009 के अंत में 13,458 करोड़ रुपए हो गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल आस्ति, सार्वजनिक जमाराशि और निवल स्वाधिकृत राशि के संदर्भ में एनबीएफसी में आरएनबीसी के हिस्से में मामूली गिरावट आई (सारणी VI.15)।

6.47 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों के अनुपात के प्रति रिपोर्टिंग एनबीएफसी की जमाराशियों का अनुपात मार्च 2008 के अंत में रहे 0.73 प्रतिशत से घटकर मार्च 2009 के अंत में 0.53 प्रतिशत पर आ गया जो मुख्यतया रिपोर्टिंग एनबीएफसी की जमाराशियों में आई गिरावट के कारण था। वर्ष के दौरान विस्तृत चलनिधि सकल राशियों (एल3) में एनबीएफसी जमाराशियों का हिस्सा भी कम हुआ (चार्ट VI.2)।

सारणी V.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2008		2009 अ	
	गैर बैं.वि.कं.	जिनमें से : अवशिष्ट गैर बैं.कं.	गैर बैं.वि.कं.	जिनमें से : अवशिष्ट गैर बैं.कं.
1	2	3	4	5
कुल आस्तियां	99,014 (24.7)	24,452	95,727 (21.1)	20,211
सार्वजनिक जमाराशियां	24,400 (91.6)	22,358	21,548 (91.0)	19,607
निवल स्वाधिकृत निधियां	11,921 (14.4)	1,718	13,458 (13.9)	1,870
अ : अर्न्तम				
टिप्पणी : 1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।				
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।				
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।				



एनबीएफ सी के परिचालन (आरएनबीसी को छोड़कर)

6.48 2007-08 के दौरान एनबीएफसी(आरएनबीसी को छोड़कर) की कुल आस्ति/देयताओं में हुई 53.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2008-09 के दौरान 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.16)। उधार राशियों, जो एनबीएफसी की निधियों का प्रमुख स्रोत हैं, में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सार्वजनिक जमाराशियों में 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई जो जुटाए गए संसाधनों की प्रवृत्ति में निरंतर परिवर्तन का द्योतक है। आस्ति पक्ष में किराया क्रय आस्तियों और ऋण तथा अग्रिमों, जो आस्तियों की प्रमुख मदें हैं, में पिछले वर्ष की 27.9 प्रतिशत और 70.2 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनबीएफसी के कुल निवेश की वृद्धि में गिरावट मुख्यतया अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में आई गिरावट के कारण थी। अन्य

सारणी VI.16: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़			
			2007-08		2008-09	
	2007-08	2008-09 अ	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. प्रदत्त पूंजी	3,266 (4.4)	3,508 (4.6)	998	44.0	242	7.4
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	8,695 (11.7)	9,337 (12.4)	2,834	48.4	642	7.4
3. सार्वजनिक जमाराशि	2,042 (2.7)	1,941 (2.6)	-35	-1.7	-101	-4.9
4. उधार राशिया	50,577 (67.8)	55,289 (73.2)	18,125	55.9	4,712	9.3
5. अन्य देयताएं	9,982 (13.4)	5,441 (7.2)	4,087	69.3	-4,541	-45.5
देयताएं/आस्तियाँ	74,562	75,516	26,008	53.6	954	1.3
आस्तियाँ						
1. निवेश	11,210 (15.0)	14,813 (19.6)	3,798	51.2	3,603	32.1
i) अनुमोदित प्रतिभूतिया @	7,146	9,230	2,859	66.7	2,084	29.2
ii) अन्य निवेश	4,064 (5.5)	5,583 (7.4)	939	30.0	1,519	37.4
2. ऋण और अग्रिम	18,823 (25.2)	21,073 (27.9)	7,764	70.2	2,250	12.0
3. किराया खरीद आस्तियां	33,525 (45.0)	35,647 (47.2)	7,303	27.9	2,122	6.3
4. उपस्कर पट्टा-दायी आस्तियां	1,048 (1.4)	585 (0.8)	-317	-23.2	-463	-44.2
5. बिल संबंधी कारोबार	12 (0.0)	23 (0.0)	5	71.4	11	91.7
6. अन्य आस्तियां	9,944 (13.3)	3,375 (4.5)	7,456	299.7	-6,569	-66.1

अ : अनंतिम

@ : अनुसूचित वाणिज्य बैंको के एसएलआर आस्तियों में 'अधिकृत प्रतिभूतियाँ' और 'भार-रहित मीयादी जमाराशियाँ' शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

निवेश में 2007-08 के दौरान रहे 30.0 प्रतिशत के मुकाबले 2008-09 के दौरान 37.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

6.49 एनबीएफसी समूह में से कुल आस्ति/ देयताओं में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा (70.3 प्रतिशत) आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) का था, इसके बाद ऋण कंपनियों (28.9 प्रतिशत), किराया क्रय कंपनियों (0.6 प्रतिशत) तथा उपस्कर पट्टादायी (0.3 प्रतिशत) का था (सारणी VI.17)। एएफसी की आस्ति/ देयताओं में हुई वृद्धि मुख्य रूप से एनबीएफसी का पुनःवर्गीकरण किए जाने के कारण थी, जो दिसंबर 2006 में प्रारंभ हुई थी और जिसकी प्रक्रिया अभी तक जारी है। 2006-07 में एनबीएफसी का पुनःवर्गीकरण किए जाने के बाद से उपस्कर पट्टादायी कंपनियों का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम रह गया। विभिन्न एनबीएफसी समूहों का महत्व सामान्यतया उनकी उधार राशियों की प्रवृत्ति दर्शाता है जबकि उनकी कुल देयताएं में जमाराशियों का हिस्सा बहुत मामूली (2.6 प्रतिशत) ही था। एनबीएफसी द्वारा धारित कुल जमाराशियों में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा (70.3 प्रतिशत) आस्ति वित्त कंपनियों का था, जिसके बाद ऋण कंपनियों का हिस्सा 19.9 प्रतिशत था तथा अंत में किराया क्रय कंपनियों का हिस्सा 9.6 प्रतिशत था (सारणी VI.17)।

जमा: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विभिन्न वर्गों की सार्वजनिक जमाराशियों का प्रोफाइल

6.50 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए एनबीएफसी के सभी समूहों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में वर्ष 2008-09 के दौरान मामूली गिरावट आई। गिरावट की यह प्रवृत्ति एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की जगह बैंक ऋण/डिबेंचरों को अधिक अधिमानता प्रदान करने के कारण थी। सार्वजनिक जमाराशियों में गिरावट ऋण कंपनियों और उपस्कर पट्टादायी कंपनियों के मामले में अधिक गहरी थी जिसका कारण इन कंपनियों में से कुछ कंपनियों का आस्ति वित्त कंपनी में पुनः वर्गीकरण किया जाना था। इसके साथ ही आस्ति वित्त कंपनियों की जमाराशियों में 2008-09 के दौरान 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.18)।

एनबीएफसी की जमाराशियों का आकार-वार वर्गीकरण

6.51 एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों की रेंज 0.5 करोड़ रुपए से कम -50 करोड़ रुपए से अधिक तक थी (सारणी VI.19)। 2008-09 के दौरान सभी जमा समूहों के बीच एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों में गिरावट आई, केवल '10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक' और '20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक' की जमा वर्ग में आनेवाली कंपनियों को छोड़कर।

सारणी VI.17: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण	देयताएं		जमाराशियां		उधार राशियां	
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त	50,998 (68.4)	53,068 (70.3)	1,161 (56.9)	1,364 (70.3)	34,093 (67.4)	40,232 (72.8)
उपस्कर पट्टा	162 (0.2)	192 (0.3)	10 (0.5)	3 (0.2)	76 (0.2)	54 (0.1)
किराया खरीद	178 (0.2)	425 (0.6)	169 (8.3)	186 (9.6)	38 (0.1)	43 (0.1)
निवेश	402 (0.5)	-	19 (0.9)	-	358 (0.7)	-
ऋण	22,819 (30.6)	21,831 (28.9)	682 (33.4)	388 (19.9)	16,012 (31.7)	14,960 (27.1)
एमएनबीसी	3 (0.0)	-	1 (0.1)	-	0	-
कुल	74,562	75,516	2,042	1,941	50,577	55,289

- : शून्य / नगण्य
अ: अनेतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.18: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां
(राशि करोड़ रुपए में)

गै.बैं.वि. कंपनी समूह	मार्च के अंत में				प्रतिशत घट-बढ़ 2008-09
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		सार्वजनिक जमाराशियां		
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ	
1	2	3	4	5	6
आस्तित्त वित्त	185	147	1,161 (56.9)	1,364 (70.3)	17.5
उपस्कर पट्टा	15	11	10 (0.5)	3 (0.2)	-70.6
किराया खरीद	76	74	169 (8.3)	186 (9.6)	10.1
निवेश	1	1	19 (0.9)	-	-
ऋण	70	42	683 (33.4)	388 (19.9)	-43.3
एमएनबीसी	3		1	-	-
कुल	350	275	2,042	1,941	-4.9

- : शून्य / नगण्य
अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

‘50 करोड़ रुपए और उससे अधिक’ जमा वर्ग का हिस्सा कुल जमाराशियों में 80 प्रतिशत था जबकि अन्य जमा वर्गों के कुल

हिस्सों को मिलाकर भी उनका हिस्सा एनबीएफसी क्षेत्र की कुल सार्वजनिक जमाराशियों का मात्र 20 प्रतिशत ही था।

सारणी VI.19: जमा स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशियों का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		जमाराशि	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
0.5 करोड़ रुपए से कम	213	177	28 (1.4)	22 (1.1)
0.5 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	85	53	82 (4.0)	51 (2.6)
2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	38	30	186 (9.1)	133 (6.9)
10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक	4	6	61 (3.0)	76 (3.9)
20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	2	3	56 (2.7)	115 (5.9)
50 करोड़ रुपए और उससे अधिक	8	6	1,629 (79.8)	1,544 (79.5)
कुल	350	275	2,042	1,941

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्रवार हिस्सेदारी

6.52 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2008-09 के दौरान एनबीएफसी द्वारा सभी क्षेत्रों में, केवल पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर, धारित जमाराशियों में गिरावट रही (सारणी VI.20)। पश्चिमी क्षेत्र की सार्वजनिक जमाराशियों में 85.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमाराशियों में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा (लगभग 76 प्रतिशत) दक्षिणी क्षेत्र का था, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा (लगभग 15 प्रतिशत) था तथा पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा (लगभग 8 प्रतिशत) था। पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में कुल सार्वजनिक जमाराशियों में एनबीएफसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में उच्च था। वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एनबीएफसी का हिस्सा शून्य ही रहता आया। महानगरों में चेन्नै का हिस्सा जमाराशियों में सर्वाधिक बड़ा था जबकि नई दिल्ली में एनबीएफसी कंपनियों की संख्या सर्वाधिक बढ़ी रहती आई।

एनबीएफसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज दर

6.53 एनबीएफसी द्वारा 10 प्रतिशत तक की ब्याज दरों की संविदा पर धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष के

सारणी VI.20: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि- क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2007-08		2008-09 अ	
	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5
मध्य	54	25 (1.2)	42	20 (1.0)
पूर्व	9	18 (0.9)	5	8 (0.4)
उत्तरी	180	284 (13.9)	139	283 (14.6)
दक्षिणी	84	1,631 (79.9)	66	1,474 (75.9)
पश्चिमी	23	84 (4.1)	23	156 (8.0)
कुल	350	2,042	275	1,941
महानगरीय क्षेत्र :				
कोलकाता	6	15	3	8
चेन्नै	46	1,565	33	1,407
मुंबई	10	76	11	148
नई दिल्ली	63	204	47	207
कुल	125	1,860	94	1,770
अ : अनंतिम				
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।				
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।				

73.0 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 के दौरान 30.1 प्रतिशत हो गया था, जबकि '10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक' के कोष्ठक में संकुचित हिस्सा 25.4 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 65.0 प्रतिशत हो गया (सारणी VI.21)।

सारणी VI.21: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियाँ-जमाराशि पर ब्याज दर-दायरा-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की ब्याज दर दायरा	मार्च के अंत में	
	2007-08	2008-09 अ
	2	3
10 प्रतिशत तक	1,491 (73.0)	584 (30.1)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	518 (25.4)	1,261 (65.0)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	33 (1.6)	96 (4.9)
कुल	2,042	1,941
अ : अनंतिम		
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।		
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।		

सारणी VI.22: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

परिपक्वता अवधि	मार्च के अंत में	
	2007-08	2008-09 P
	2	3
1. एक वर्ष से कम	611 (29.9)	698 (36.0)
2. एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	491 (24.0)	506 (26.1)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	663 (32.5)	593 (30.6)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	211 (10.3)	84 (4.3)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक	66 (3.2)	60 (3.0)
कुल	2,042	1,941
अ : अनंतिम		
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।		
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।		

सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता की प्रवृत्ति

6.54 वर्ष के दौरान '1वर्ष से कम', '1वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक' तथा '5वर्ष और अधिक' की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों में वृद्धि हुई। मार्च 2009 के अंत में '2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक' तथा '3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम' परिपक्वता वाली जमाराशियों में महत्वपूर्ण रूप से कमी आयी। इसके परिणामस्वरूप कुल जमाराशियों में उनके हिस्से में कमी दर्ज हुई (सारणी VI.22)।

एनबीएफसी द्वारा ली गई उधार राशियां

6.55 एनबीएफसी की बकाया उधार राशियों में 2008-09 के दौरान 9.3 प्रतिशत वृद्धि हुई (सारणी VI.23)। उपस्कर पट्टादायी कंपनियों और ऋण कंपनियों की उधार राशियों में कमी आयी परंतु आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और किराया खरीद कंपनियों की उधार राशियों में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। समस्त एनबीएफसी में उधार राशियों का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा एएफसी(72.8 प्रतिशत) का था जिसके बाद ऋण कंपनियों का था (27.1 प्रतिशत)।

6.56 2008-09 के दौरान एनबीएफसी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उधार राशियों में 29.3 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा बांडों और डिबेंचरों के जरिए तथा बाह्य स्रोतों से प्राप्त की गयी उधार राशियां पहले के स्तर पर ही रहीं। 2008-09 के दौरान सरकार

सारणी VI.23: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियां-गै.बैं.वि. कंपनी के वर्गीकरण-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में				प्रतिशत अंतर
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		कुल उधारी		
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09 अ	
1	2	3	4	5	6
आस्ति वित्त कंपनी	185	147	34,093 (67.4)	40,232 (72.8)	18.0
उपस्कर पट्टा कंपनी	15	11	76 (0.2)	54 (0.1)	-28.8
किराया खरीद कंपनी	76	74	38 (0.1)	43 (0.1)	13.2
निवेश कंपनी	1	1	358 (0.7)	-	-
ऋण कंपनी	70	42	16,012 (31.7)	14,960 (27.1)	-6.6
एमएनबीसी	3		-	-	-
कुल	350	275	50,577	55,289	9.3

अ: अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

से प्राप्त की गयी उधार राशियों में 21.4 प्रतिशत की कमी हुई। अन्य जमाराशियों (जिसमें अन्य के साथ-साथ दूसरी कंपनियों से प्राप्त की गयी उधार राशियां, निदेशकों/ प्रमोटर्स से प्राप्त किए गए गैर जमानती ऋणों, वाणिज्य पेपर, म्यूच्युअल फंडों तथा किन्हीं अन्य प्रकार के फंडों, जिनकी गिनती सार्वजनिक जमाराशियों में नहीं की जाती, से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं) में 2008-09 के दौरान 2.6 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है (सारणी VI.24)।

एनबीएफसी की आस्तियां

6.57 2008-09 के दौरान जमा लेने वाली एनबीएफसी की कुल आस्तियों में 1.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई जो मुख्यतया ऋण कंपनियों की आस्तियों में आयी गिरावट के कारण थी (सारणी VI.25)। वर्ष के दौरान एनबीएफसी के ऋणों और अग्रिमों (7.3 प्रतिशत) और साथ ही निवेशों (32.1 प्रतिशत) में भी वृद्धि हुई। मार्च 2009 के अंत में सभी एनबीएफसी की कुल आस्तियों का

सारणी VI.24: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियों के स्रोत

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में									
	सरकार		बाह्य स्रोत @		बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		डिबेंचर		अन्य	
	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आस्ति वित्त	0	0	828	832 (0.5)	16,330	21,775 (33.3)	10,216	11,620 (13.7)	6,719	6,005 (-10.6)
उपस्कर पट्टा	0	0	0	0	4	7 (83.2)	0	0	72	47 (-34.8)
किराया खरीद	0	0	0	0	0	13	3	2 (-33.3)	35	28 (-19.7)
निवेश	72	0	0	0	82	0	0	0	204	0
ऋण	2,247	1,824 (-18.8)	627	631 (0.7)	2,579	2,770 (7.4)	2,835	1,444 (-49.1)	7,723	8,291 (7.4)
एमएनबीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	2,319	1,824 (-21.4)	1,455	1,463 (0.6)	18,995	24,565 (29.3)	13,054	13,066 (0.1)	14,753	14,371 (-2.6)

अ: अनंतिम

@ : इसमें (i) विदेशी सरकार (ii) विदेशी प्राधिकरण और (iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ के द्योतक हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.25: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त	50998	55115	42368	43607	4060	3545
	(68.4)	(73.0)	(79.3)	(75.4)	(36.2)	(23.9)
उपस्कर पट्टा	162	156	92	65	48	41
	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.4)	(0.3)
किराया खरीद	178	194	136	153	40	6390
	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(43.1)
निवेश	402	-	146	-	256	-
	(0.5)	(0.0)	(0.3)	-	(2.3)	-
ऋण	22819	20051	10653	13480	6807	4837
	(30.6)	(26.6)	(20.0)	(23.5)	(60.7)	(32.7)
एमएनबीसी	3	-	2	-	0	-
	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-
कुल	74562	75516	53397	57305	11211	14813

अ: अनंतिम।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

73.0 प्रतिशत और ऋण तथा अग्रिमों का 75.4 प्रतिशत और निवेश का 23.9 प्रतिशत एएफसी द्वारा धारित किया गया था।

एनबीएफसी-जमा का संवितरण आस्ति आकार के अनुसार

6.58 एनबीएफसी की आस्ति का आकार 25 लाख रुपए से कम 500 करोड़ रुपए से अधिक के बीच महत्वपूर्ण रूप से घटता-बढ़ता रहा। आस्ति धारिता प्रवृत्ति 2008-09 में लगभग स्थिर रही अर्थात् मार्च 2009 के अंत में '500 करोड़ रुपए से अधिक' वाली 12 एनबीएफसी सभी एनबीएफसी की कुल आस्ति का 95.8 प्रतिशत धारित कर रही थीं जबकि शेष 263 एनबीएफसी की आस्ति धारिता कुल आस्तियों का 4.2 प्रतिशत थी (सारणी VI.26)।

एनबीएफसी आस्तियों का संवितरण-कार्य का प्रकार

6.59 वर्ष 2008-09 के दौरान किराया क्रय, निवेश तथा ऋण और अंतर-कॉरपोरेट जमाराशियों के रूप में धारित आस्तियों में बहुत अच्छी वृद्धि हुई। तथापि 2008-09 के दौरान किराया क्रय रूप में धारित आस्तियों में कमी आई तथा अन्य आस्तियों में तीव्र कमी आई। कुल आस्तियों में किराया क्रय कार्य का हिस्सा निरंतर सर्वाधिक बढ़ा (47.2 प्रतिशत), जिसके बाद ऋण और अंतर-कॉरपोरेट जमाराशियों का हिस्सा सर्वाधिक बढ़ा (27.9 प्रतिशत) और अंत में निवेशों का हिस्सा सर्वाधिक बढ़ा था (19.6 प्रतिशत) (सारणी VI.27)।

एनबीएफसी का वित्तीय निष्पादन

6.60 2008-09 के दौरान आय और निवल लाभ के संदर्भ में एनबीएफसी के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। फंड आधारित

सारणी VI.26: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियाँ-आस्ति आकार के दायरे के अनुसार

(राशि करोड़ रुपए में)

आस्ति आकार	मार्च के अंत में			
	सूचना देने वाली कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
0.25 करोड़ रुपए से कम	40	2	4	0
			(0.0)	(0.0)
0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 0.50 करोड़ रुपए तक	28	19	11	7
			(0.0)	(0.0)
0.50 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	119	107	133	118
			(0.2)	(0.2)
2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	91	85	385	383
			(0.5)	(0.5)
10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	38	36	779	783
			(1.0)	(1.0)
50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	10	10	620	649
			(0.8)	(0.9)
100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	9	4	2,055	1,263
			(2.8)	(1.7)
500 करोड़ रुपए से अधिक	15	12	70,575	72,313
			(94.7)	(95.8)
कुल	350	275	74,562	75,516

अ: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.27: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां-कार्यकलापवार

(राशि करोड़ रुपए में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
ऋण और अंतर-कंपनी जमाराशियां निवेश	18,823 (25.2)	21,073 (27.9)	70.2	12.0
किराया खरीद	11,210 (15.0)	14,813 (19.6)	51.2	32.1
उपस्कर और पट्टा बिल	33,525 (45.0)	35,647 (47.2)	27.9	6.3
अन्य आस्तियाँ	1,048 (1.4)	585 (0.8)	-45.6	-44.2
	13 (0.0)	23 (0.0)	85.7	76.9
कुल	74,563	75,516	53.6	1.3

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

आय (16.9) प्रतिशत और शुल्क आधारित आय (46.0 प्रतिशत) दोनों में ही अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में व्यय की वृद्धि में कमी आई है तथापि आय की तुलना में इसमें उच्च वृद्धि रही है जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक लाभ में 2.2 प्रतिशत की कमी आई है। निवल लाभ में धीमी वृद्धि रही है जो मुख्यतया कर के लिए किए गए न्यून प्रावधान के कारण थी। आय के प्रति लागत अनुपात 2007-08 में रहे 68.9 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 74.1 प्रतिशत हो गया था (सारणी VI.28)।

6.61 गैर ब्याज लागत 97.6 प्रतिशत थी जो 2008-09 के दौरान एनबीएफसी की कुल लागत का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा रही। इसके साथ ही कुल लागत में ब्याज लागत का हिस्सा सबसे कम था (सारणी VI.29)।

6.62 2008-09 के दौरान आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यय (प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए) में वृद्धि परिलक्षित हुई। तथापि आस्ति के प्रतिशत के रूप में आय, जिसकी गति उच्च थी, के कारण आस्ति अनुपात के प्रति निवल लाभ में वृद्धि हुई (चार्ट VI.3)।

अच्छी स्थिति के सूचक : एनबीएफसी - जमा की आस्ति गुणवत्ता

6.63 सकल एनपीए अनुपात में 2007-08 में हुई 2.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2008-09 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो

सारणी VI.28: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन
(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	10,038	11,799	75.5	17.5
(i) निधि आधारित	9,832 (98.0)	11,498 (97.0)	75.9	16.9
(ii) शुल्क आधारित	206 (2.0)	301 (3.0)	57.4	46.0
ख. व्यय (i+ii+iii)	6,913	8,742	43.1	26.5
(i) वित्तीय	4,525 (60.0)	5,641 (66.0)	63.7	24.7
जिसमें से :				
ब्याज भुगतान	226 (6.0)	211 (2.3)	-55.5	-6.6
(ii) परिचालन	2,178 (30.5)	2,369 (27.6)	72.7	8.8
(iii) अन्य	210 (3.4)	732 (4.1)	-73.9	248.6
ग. कर प्रावधान	1,213	1,002	215.1	-17.4
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	3,125	3,057	251.1	-2.2
ङ. निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	1,912	2,055	279.4	7.5
च. कुल आस्तियाँ	74,562	75,516	53.6	1.3
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
i) आय	13.5	15.6		
ii) निधि आधारित आय	97.9	15.2		
iii) शुल्क आधारित आय	0.3	0.4		
iv) व्यय	9.3	11.6		
v) वित्तीय व्यय	6.1	7.5		
vi) परिचालन व्यय	2.9	3.1		
vii) कर प्रावधान	1.6	1.3		
viii) निवल लाभ	2.6	2.7		
ज. आय की तुलना में लागत अनुपात	68.9	74.1		


अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत थी। मार्च 2009 के अंत में निवल एनपीए, जिसमें किए गए प्रावधान एनपीए से अधिक थे, ऋणात्मक ही रहा (सारणी VI.30)।

सारणी VI.29: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी की ब्याज लागत
(राशि करोड़ रुपए में)

मार्च के अंत में	कुल आय	कुल लागत	ब्याज लागत	ब्याज से इतर लागत
1	2	3	4	5
2007-08	10,038	6,913	226	6,687
2008-09 अ	11,799	8,742	211	8,531

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।



6.64 आस्ति कंपनियों, उपस्कर पट्टादायी और निवेश कंपनियों तथा किराया क्रय कंपनियों के सकल एनपीए (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) में 2008-09 के दौरान गिरावट आई। तथापि आस्ति वित्त कंपनियों तथा किराया क्रय कंपनियों के मामले में निवल एनपीए (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) में मामूली वृद्धि हुई है जबकि उपस्कर पट्टादायी कंपनियों और निवेश कंपनियों के मामले में कमी आई है। 2008-09 के दौरान ऋण कंपनियों का एनपीए भी ऋणात्मक रहा (सारणी VI.31)।

सारणी VI.30: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के अनर्जक आस्ति - अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3
2001	11.5	5.6
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	0*
2009 अ	2.7	0*

अ: अर्न्तम
 * : अर्न्जक आस्तियों से अधिक प्रावधान।
 स्रोत : छमाही विवरणियां।

6.65 एनपीए (अवमानक, संदिग्ध और हानि) की विभिन्न श्रेणियों में यथाप्रदर्शित एनबीएफसी की विभिन्न प्रकार की आस्ति गुणवत्ता से पता चलता है कि 2008-09 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उपस्कर पट्टादायी कंपनी की आस्ति गुणवत्ता में उत्कृष्ट सुधार आया है तथा किराया क्रय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता घटी है (सारणी VI.32)।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

6.66 सीआरएआर मानदंडों को 1998 में एनबीएफसी के लिए लागू किया गया जिसके अनुसरण में प्रत्येक जमा लेने वाली एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजी अर्थात् अपनी सकल जोखिम भारित आस्तियों का और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का 12 प्रतिशत से अन्यून (रेटिंग न की गयी जमा लेनेवाली ऋण/निवेश कंपनियों के मामले में 15 प्रतिशत) टियर I और टियर II पूंजी रखने की अनिवार्यता अपेक्षित थी। किसी भी समय में टियर II पूंजी का योग टियर I पूंजी के योग से 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मार्च 2008 के अंत में 12 प्रतिशत सीआरएआर की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा का पालन करने वाली एनबीएफसी की संख्या 47 थी जो मार्च 2009 के अंत घटकर 9 रह गयी (सारणी VI.33)। मार्च 2008 के अंत में 327 एनबीएफसी में से 280 एनबीएफसी उपर्युक्त अपेक्षा का पालन कर रही थी जिसके मुकाबले मार्च 2009 के अंत में 207 एनबीएफसी में से 198 एनबीएफसी 12 प्रतिशत अथवा इससे अधिक सीआरएआर रख रही थीं जबकि 30 से अधिक सीआरएआर रखने वाली एनबीएफसी की संख्या मार्च 2008 के अंत में रही 239 से घटकर मार्च 2009 के अंत में 168 हो गयी थी। इन सबके बावजूद यह ध्यान देने योग्य बात है कि एनबीएफसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में समेकन प्रक्रिया के तहत है जिसके अंतर्गत कमजोर एनबीएफसी क्रमशः छोड़कर जा रहे हैं और मजबूत एनबीएफसी क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

6.67 एनबीएफसी का एनओएफ चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि का सकल है जिसमें से (i) संचयित हानियों की राशि; और (ii) आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अमूर्त आस्ति, यदि कोई हो को निकाल दिया जाता है तथा शेषों में किए गए निवेश, और (क) सब्सिडीयरी, (ख) एक ही समूह की कंपनियों, और (ग)

सारणी VI.31: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रूप में)

वर्गीकरण / मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां			निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियां		
		राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	आस्ति की तुलना में प्रतिशत		राशि	निवल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	आस्ति की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त								
2007	11,824	262	2.2	2.2	11,548	-14	-0.1	-0.1
2008	37,233	652	1.8	1.7	36,609	28	0.1	0.1
2009 अ	34,240	573	1.7	1.6	34,023	356	1.0	1.0
उपस्कर पट्टा								
2004	3,306	582	17.6	13.3	3,067	344	11.2	7.8
2005	4,187	514	12.3	11.0	4,018	345	8.6	7.4
2006	2,878	69	2.4	2.2	2,786	-23	-0.8	-0.7
2007	1,057	45	4.2	4.0	992	-20	-1.9	-1.8
2008	26	6	24.3	7.2	-10	-29	293.6	-34.2
2009 अ	26	2	7.7	2.5	4	-20	-491.2	-24.6
किराया खरीद								
2004	10,437	942	9.0	7.3	9,748	253	2.6	2.0
2005	15,900	610	3.8	3.6	15,544	253	1.6	1.5
2006	17,607	444	2.5	2.4	17,238	74	0.4	0.4
2007	18,280	464	2.5	2.3	17,884	67	0.4	0.3
2008	324	158	48.8	43.8	244	78	32.0	21.6
2009 अ	205	138	67.6	61.8	133	67	50.1	29.8
निवेश								
2004	63	15	23.8	2.6	55	7	12.7	1.2
2005	58	10	17.2	1.8	58	10	18.0	1.8
2006	59	0	0.4	0.0	59	0	0.4	0.0
2007	31	1	2.8	0.1	31	1	2.8	0.1
2008	732	108	14.8	7.7	732	108	14.8	7.7
2009 अ	1,729	87	5.0	3.6	1,729	87	5.0	3.6
ऋण								
2004	2,038	142	7.0	4.1	1,833	-63	-3.4	-1.8
2005	1,955	117	6.0	5.1	1,772	-65	-3.7	-2.8
2006	690	252	36.5	19.3	483	45	9.3	3.4
2007	7,594	124	1.6	5.9	7,463	-6	-0.1	-0.3
2008	16,631	132	0.8	0.6	10,832	-5,667	-52.3	-27.6
2009 अ	15,039	547	3.6	3.6	10,148	-4,344	-42.8	-28.3

अ: अर्न्तम ।

स्रोत : छमाही विवरणियां ।

अन्य एनबीएफसी (स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक) को दिए गए ऋणों और अग्रिमों का समायोजन कर लिया जाता है। एनओएफ के बारे में जानकारी सीआरएआर संबंधी जानकारी को सहायता देती है। मार्च 2009 के अंत में एनबीएफसी के प्रति सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात, ऋण कंपनियों और किराया

कंपनियों के मामले में, कम हुआ था जबकि अन्य श्रेणी की कंपनियों में मामूली वृद्धि हुई। किराया क्रय कंपनियों का अनुपात लगातार कम ही रहा जो ऋणात्मक एनओएफ के कारण था। एनओएफ के प्रति एनबीएफसी की अन्य सभी श्रेणियों का जमा अनुपात मार्च 2009 के अंत में 0.2 प्रतिशत अर्थात् अपरिवर्तित ही रहा (सारणी VI.34)।

सारणी VI.32 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी की आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए)

वर्गीकरण / मार्च के अंत में	मानक आस्तिया	अवमानक आस्तियां	संदिग्ध आस्तियां	हानि आस्तियां	सकल अनर्जक आस्तियां	सकल अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त						
2007	11,562 (97.8)	242 (2.1)	17 (0.1)	3 (0.0)	262 (2.2)	11,824 (100.0)
2008	36,581 (98.2)	584 (1.6)	41 (0.1)	27 (0.1)	652 (1.8)	37,233 (100.0)
2009अ	33,667 (98.3)	520 (1.5)	35 (0.1)	18 (0.1)	573 (1.7)	34,240 (100.0)
उपस्कर पट्टा						
2006	2,809 (97.6)	12 (0.4)	21 (0.7)	36 (1.2)	69 (2.4)	2,878 (100.0)
2007	1,013 (95.8)	4 (0.4)	2 (0.2)	38 (3.6)	45 (4.3)	1,057 (100.0)
2008	19 (75.7)	1 (4.7)	1 (4.5)	4 (15.0)	6 (24.3)	26 (100.0)
2009अ	24 (92.3)	0 (1.1)	1 (2.6)	1 (3.9)	2 (7.7)	26 (100.0)
किराया खरीद						
2006	17,163 (97.5)	184 (1.0)	47 (0.3)	212 (1.2)	444 (2.5)	17,607 (100.0)
2007	17,817 (97.5)	194 (1.1)	81 (0.4)	188 (1.0)	464 (2.5)	18,280 (100.0)
2008	166 (51.2)	7 (2.0)	7 (2.3)	144 (44.4)	158 (48.8)	324 (100.0)
2009अ	66 (32.4)	4 (1.8)	3 (1.6)	131 (64.2)	138 (67.6)	205 (100.0)
निवेश						
2006	59 (99.6)	0 (0.0)	0 (0.2)	0 (0.2)	0 (0.4)	59 (100.0)
2007	31 (97.2)	1 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	31 (100.0)
2008	624 (85.2)	100 (13.7)	8 (1.1)	0 (0.0)	108 (14.8)	732 (100.0)
2009अ	1,643 (95.0)	38 (2.2)	49 (2.8)	0 (0.0)	87 (5.0)	1,729 (100.0)
ऋण						
2006	438 (63.5)	19 (2.7)	99 (14.3)	134 (19.4)	252 (36.5)	690 (100.0)
2007	7,470 (98.4)	9 (0.1)	91 (1.2)	24 (0.3)	124 (1.6)	7,594 (100.0)
2008	16,499 (99.2)	22 (0.1)	81 (0.5)	29 (0.2)	132 (0.8)	16,631 (100.0)
2009अ	14,492 (96.4)	465 (3.1)	66 (0.4)	16 (0.1)	547 (3.6)	15,039 (100.0)

अःअनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े ऋण जोखिम का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : छमाही विवरणियां ।

सारणी VI.33: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(प्रतिशत)

सीआरएआर सीमा	मार्च के अंत में									
	2007-08					2008-09 अ				
	आ.वि.कं.	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल	आ.वि.कं.	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1) 12 प्रतिशत से कम (क+ख) क.) 9 प्रतिशत से कम ख.) 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	19 4 0	4 4 0	15 15 0	9 9 0	47 32 0	0 0 0	2 2 0	4 3 0	3 3 0	9 8 0
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	3	0	0	1	4	3	0	0	0	3
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	5	0	0	3	8	4	0	0	2	6
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	25	0	1	3	29	17	0	2	2	21
5) 30 प्रतिशत और उससे अधिक	117	10	66	46	239	99	8	34	26	168
जोड़	169	14	82	62	327	123	10	40	33	207

आ.वि.कं. : आस्ति वित्त कंपनी; उ.प. - उपस्कर पट्टा; कि.ख. - किराया खरीद; ऋण कं./नि.क. - ऋण कंपनियां / निवेश कंपनियां
अ : अनंतिम
स्रोत : छमाही विवरणियां।

6.68 एनबीएफसी के एनओएफ की रेंज 25 लाख रुपए से कम - 500 करोड़ रुपए से अधिक तक है। 25 लाख रुपए तक और '25 लाख से अधिक तथा 2 करोड़ रुपए तक' के एनओएफ की श्रेणी में आनेवाली एनबीएफसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों, एनओएफ के अनुपात रूप में, में कमी आयी, जबकि '10 करोड़

रुपए से अधिक तथा 50 करोड़ रुपए तक' और '100 करोड़ रुपए से अधिक तथा 500 करोड़ रुपए तक' के अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई। एनओएफ के अन्य सभी रेंज में आनेवाली एनबीएफसी सामान्यतया यथावत थी (सारणी VI.35)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

सारणी VI.34 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियां की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में			
	निवल स्वाधिकृत निधियां		सार्वजनिक जमाराशियां	
	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त	6,939	7,632	1,161 (0.2)	1,364 (0.2)
उपस्कर पट्टा	-50	10	10 (-0.2)	3 (0.3)
किराया खरीद	-76	-72	169 (-2.2)	186 (-2.6)
निवेश	83	0	19 (0.2)	-
ऋण	3,306	4,018	682 (0.2)	388 (0.1)
एमएनबीसी	1	-	1	-
जोड़	10,203	11,588	2,042 (0.2)	1,941 (0.2)

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठकों को आंकड़े निवल स्वाधिकृत निधि के प्रति सार्वजनिक जमाराशि के अनुपात हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

6.69 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान आरएनबीसी की आस्तियों में 17.3 प्रतिशत की कमी आयी। भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में उनकी आस्ति में तीव्र वृद्धि रही जबकि बांडों/ डिबेंचरों तथा सावधि जमाराशियों/एससीबी जमाप्रमाणपत्रों में कमी दर्ज हुई। 2007-08 के दौरान आरएनबीसी के एनओएफ में 25.8 प्रतिशत की हुई वृद्धि के ऊपर 2008-09 के दौरान 8.9 प्रतिशत की वृद्धि और हुई (सारणी VI.36)।

6.70 2008-09 के दौरान आरएनबीसी की आय में हुई वृद्धि व्ययों में हुई वृद्धि की तुलना में कम थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आरएनबीसी के परिचालन लाभ में कमी आयी। करधान के लिए प्रावधान में भी कमी आयी। परिणामस्वरूप 2007-08 में 406.8 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2008-09 के दौरान आरएनबीसी के निवल लाभ में 33.7 प्रतिशत की कमी आयी।

आरएनबीसी की जमाराशियों में क्षेत्रीय प्रवृत्ति

6.71 दो आरएनबीसी में से एक पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) में अवस्थित है तथा दूसरी मध्य क्षेत्र में अवस्थित है। आरएनबीसी

सारणी VI.35 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	मार्च के अंत में					
	2007-08			2008-09 अ		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां
1	2	3	4	5	6	7
1. 0.25 करोड़ रुपए तक	18	-552	178 (-0.3)	3	-201	153 (-0.8)
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	231	167	91 (0.5)	172	126	48 (0.4)
3. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	63	267	136 (0.5)	66	249	133 (0.5)
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	21	440	145 (0.3)	20	358	158 (0.4)
5. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	3	226	91 (0.4)	2	127	45 (0.4)
6. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	7	1,507	636 (0.4)	4	649	389 (0.6)
7. 500 करोड़ रुपए से अधिक	7	8,148	764 (0.1)	8	10,280	1,015 (0.1)
जोड़	350	10,203	2,041 (0.2)	255	11,588	1,941 (0.2)

अ: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सार्वजनिक जमाराशियां हैं जो संबन्धित निवल स्वाधिकृत निधि के अनुपात के रूप में हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

अन्य कारोबार मॉडलों, यथा सहमति से, को अपनाने की प्रक्रिया में हैं और अपनी जमा देयताएं को 2015 तक 'शून्य' कर देंगी। इसके साथ-साथ दोनों ही आरएनबीसी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में कमी आयी है। केवल एक आरएनबीसी का मुख्यालय महानगर अर्थात कोलकाता में है (सारणी VI.37)।

आरएनबीसी की निवेश प्रवृत्ति

6.72 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट आरएनबीसी की निवेश प्रवृत्ति की पुनरीक्षा करके 31 मार्च 2006 को उसमें संशोधन किया गया। जमाकर्ता के प्रति सकल दायित्व(एएलडी) का विभाजन 31 दिसम्बर 2005 को दो शीर्षों यथा - एएलडी और वृद्धिशील एएलडी में किया गया। वृद्धिशील एएलडी जमाकर्ताओं के प्रति दायित्व हैं जो 31 दिसम्बर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति दायित्वों की सकल राशि से अधिक होती हैं। आरएनबीसी को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसम्बर 2005 को रहे एएलडी का न्यूनतम 95 प्रतिशत तथा वृद्धिशील एएलडी का संपूर्ण निवेश विनिर्दिष्ट विधि से करें।

आरएनबीसी को यह सूचित किया गया था कि वे एएलडी की संपूर्ण राशियों का निवेश 1 अप्रैल 2007 से एक मात्र निदेशित निवेशों में करें तथा उन्हें ऐच्छिक निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

6.73 2008-09 के दौरान एएलडी में 12.3 प्रतिशत की कमी आयी। बैंकों में रखी सावधि जमाराशियों और बांड तथा डिबेंचरों में जहां एक ओर कमी आयी वहीं भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों और अन्य निवेशों में वृद्धि दर्ज हुई (सारणी VI.38)।

जमा न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से आवश्यक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी - एनडी - एसआइ)

6.74 2008 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में आए झंझावात का असर एनबीएफसी क्षेत्र समेत घरेलू वित्तीय क्षेत्र पर भी पड़ा, विशेष रूप से कुछ एनबीएफसी-एनडी-एसआइ पर अधिक पड़ा। ये संस्थाएं अल्पावधिक वाणिज्य पेपर तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, जिसे म्यूच्युअल फंड मुख्य रूप से खरीदती थीं, के माध्यम से दीर्घावधि आस्ति का वित्तीयन किया करती थीं। इस प्रकार के एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को तमाम कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्योंकि

सारणी VI.36: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत में	
	2007-08	2008-09 अ	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
क. आस्तियां (I से V)	24,452	20,211	5.5	-17.3
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	3,137	5,247	-5.4	67.3
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मियादी जमाराशि / जमा प्रमाणपत्र में निवेश	6,562	5,999	17.1	-8.6
(iii) सरकारी कंपनी / सरकारी क्षेत्र बैंक / सरकारी वित्त संस्था / निगम के बांड / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र	12,320	6,993	5.3	-43.2
(iv) अन्य निवेश	573	299	-50.4	-47.8
(v) अन्य आस्तियाँ	1,860	1,743	33.5	-6.3
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	1,718	1,870	25.8	8.9
ग. कुल आय (I+ii)	2,326	2,416	22.9	3.8
(i) निधि आय	2,303	2,315	22.1	0.5
(ii) शुल्क आय	23	101	182.6	346.0
घ. कुल व्यय (I+ii+iii)	1,725	2,069	4.7	19.9
(i) वित्तीय लागत	1,322	1,604	7.5	21.3
(ii) परिचालन लागत	329	379	15.5	15.4
(iii) अन्य लागत	74	86	-44.8	16.2
ड. कराधान	224	149	409.6	-33.7
च. परिचालन लाभ (पीबीटी)	601	347	144.3	-42.3
छ. निवल लाभ (पीएटी)	377	198	87.3	-47.4
अ : अनंतिम पीबीटी : कर पूर्व लाभ पीएटी : करोत्तर लाभ				
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।				

म्यूच्युअल फंड संकट की अवधि के दौरान इन लिखतों को रोल ओवर करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी रिपोर्टें भी थीं कि बैंक, जिन्हें

ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गयी थीं, वित्तीय संकट के कारण निधियां जारी करने से पीछे हट गए थे।

सारणी VI.37: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2008		2009 अ	
	अ.गै.बैं.क. की संख्या	राशि	अ.गै.बैं.क. की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
मध्य	1	18,056 (80.8)	1	15,672 (79.9)
पूर्वी	1	4,303 (19.2)	1	3,935 (20.1)
उत्तर-पूर्वी	-	-	-	-
उत्तरी	-	-	-	-
दक्षिणी	-	-	-	-
पश्चिमी	-	-	-	-
कुल	2	22,358	2	19,607
महानगरीय क्षेत्र:				
चेन्नै	-	-	-	-
कोलकाता	1	4,303	1	3,935
मुंबई	-	-	-	-
नई दिल्ली	-	-	-	-
कुल	1	4,303	1	3,935
- : शून्य / नगण्य अ : अनंतिम				
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।				
स्रोत : वार्षिक विवरणी				

सारणी VI.38 : अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

1	मार्च के अंत में	
	2007-08	2008-09 अ
2	3	
जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताएं (एएलडी)	22,358	19,607
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां	3,137 (14.0)	5,247 (26.8)
(ii) बैंकों में सावधि जमाराशियां	6,562 (29.3)	5,999 (30.6)
(iii) सरकारी कं./सरकारी क्षेत्र के बैंक / सरकारी वित्तीय संस्था / निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	12,320 (55.1)	6,993 (35.7)
(iv) अन्य निवेश	573 (2.6)	299 (1.5)
अ : अनंतिम		
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएलडी का प्रतिशत दर्शाते हैं।		
स्रोत : वार्षिक विवरणी ।		

6.75 रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर और नवम्बर 2008 में कई एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के साथ चर्चा प्रारंभ की और उनके मार्ग में आनेवाली चलनिधि समस्याओं की जांच के लिए उनके तुलनपत्रों का अध्ययन किया। जब तक बाजार में चलनिधि रही, सीपी का रोलओवर सुचारु रहा परंतु जब बाजार, सीपी बाजार भी सम्मिलित करते हुए, में चलनिधि की समस्या आ खड़ी हुई तब रोलओवर करने की भी समस्या आ गयी जिसके परिणामस्वरूप लिखतों के शोधन का दबाव बन गया क्योंकि आस्तियों में से अधिकतर दीर्घावधि थीं, उनका समेटा जाना संभव नहीं था। यद्यपि चलनिधि की ऐसी समस्याएं केवल कुछ ही बड़ी एनबीएफसी के सामने थीं, विश्वास की आम कमी पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो गई जिसके कारण बैंक ऋण स्वीकृत /रोलओवर नहीं कर रहे थे। रिज़र्व बैंक द्वारा इस समस्या का समाधान समय पर और पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराकर कर लिया गया। किए गए उपायों के ब्यौरे बॉक्स

VI.1 में दिए गए हैं।

6.76 विद्यमान भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामवली के अनुसरण में सभी एनबीएफसी, जिनकी आस्ति 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक आकारवाली है और जो सार्वजनिक जमाराशियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) स्वीकार नहीं करतीं, से अपेक्षित है कि वे मुख्य वित्तीय मानदंडों के संबंध में मासिक विवरणी भारिबैंक को प्रस्तुत करें। जैसे ही एनबीएफसी का आस्ति आकार 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का हो जाता है, वह उपरिवर्णित एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए विनियामक अपेक्षाओं के अंतर्गत आ जाती है, भले ही अंतिम तुलनपत्र की तारीख को इसके पास ऐसी आस्तियां न रही हों। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ मुख्यतया डिबेंचर जारी करके, बैंकों और एफआइ से उधार लेकर, वाणिज्य पत्रों आदि के जरिए निधियां जुटाती हैं। हाल ही में उनकी संख्या और आकार में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।

बॉक्स VI.1 : एनबीएफसी द्वारा झेले गए वित्तीय दबावों को ध्यान में रखकर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संकट के संदर्भ में एनबीएफसी क्षेत्र के बारे में निर्मांकित उपाय किए गए :

- एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को कतिपय शर्तों पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधारियां प्राप्त करने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में अनुमति दी गई थी। यद्यपि जुटाए गए संसाधनों का उपयोग केवल अल्पावधिक देयताओं के पुनर्वित्त के लिए किया जाना था, न कि नयी आस्तियां निर्मित करने के लिए, तथापि यह भी सूचित किया गया है कि इस प्रकार प्राप्त उधार राशियों की परिपक्वता 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम राशि एनओएफ के 50 प्रतिशत अथवा 10 मिलि.अम.डालर (अथवा इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सुविधा के अंतर्गत 11 कंपनियों को 834.95 मिलि.अम.डालर +1566.38 करोड़ रुपए (उपभोग न किया गया) के समतुल्य विदेशी मुद्रा निधियां उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी जिनमें से अब तक 7 कंपनियों ने 645.58 मिलियन अमरीकी डालर तक उधार प्राप्त किया है।
- बैंकों को अस्थायी आधार पर एलएएफ विंडो के तहत चलनिधि सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी जिसके लिए उन्हें एसएलआर रखने में उनके एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत तक छूट दी गई जो एकमात्र एनबीएफसी और म्यूच्युअल फंडों की निधीयन अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ थी।
- एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के प्रति बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में जोखिम भार को क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान न देते हुए 125 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया गया जबकि एएफसी के प्रति एक्सपोजर, जो 150 प्रतिशत जोखिम भार वहन करता था, भी घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।

- एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को शाश्वत ऋण लिखतें जारी करके अपनी पूंजी निधियां बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा जुटाई गई पीडीआइ की राशि को रिज़र्व बैंक निदेशों के अर्थ में 'सार्वजनिक जमा' नहीं माना जाएगा।
- एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए सीआरएआर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने और बाद में 15 प्रतिशत करने अर्थात 31 मार्च 2010 तक 12 प्रतिशत करने तथा 31 मार्च 2011 तक 15 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया।
- अंतिम उधारदाता (एलओएलआर) के रूप में सीधे उधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिसके अंतर्गत भारिबैंक एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को उनके रेटेड वाणिज्य पत्रों के आधार पर एसपीवी के माध्यम से अपने बांडों की खरीद करवाकर उन्हें उधार देता है। यह सुविधा जनवरी 2009 में 'आइडीबीआइ एसएएफएस न्यास' नाम के एसपीवी के माध्यम से एनबीएफसी के निवेश योग्य वाणिज्य पत्रों के आधार पर चलनिधि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिचालित की गई, बशर्ते एनबीएफसी लगाई गई शर्तों का पालन करते हों। इस सुविधा की डिजाइन एलओएलआर के रूप में की गई थी जो अल्पावधिक अस्थायी चलनिधि आवश्यकताओं से जूझ रही वित्तीय रूप से स्वस्थ एनबीएफसी के तुलनपत्र के आकार को उचित रूप से कम करने में सहायता करती। इस सुविधा का लाभ अब तक केवल एक एनबीएफसी ने ही उठाया है जिसने योजना के अंतर्गत 1,040 करोड़ रुपए आहरित किए हैं और अभी तक कोई बकाया शेष नहीं है। भारत सरकार ने इस सुविधा का लाभ 30 सितंबर 2009 तक जारी किसी भी पेपर के लिए उपलब्ध कराया है तथा एसपीवी 31 दिसंबर 2009 के बाद कोई नया क्रय नहीं करेगा तथा सभी प्राप्य राशियों की वसूली 31 मार्च 2010 तक कर लेगा।

देयताओं का वर्गीकरण

6.77 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की देयताओं को (i) स्वाधिकृत निधि, (ii) उधारियां और (iii) अन्य देयताएं वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। उधारियों में (i) डिबेंचर, (ii) बैंकों से ऋण, (iii) वाणिज्य पत्र (सीपी), (iv) अंतर कारपोरेट ऋण (आइसीएल अथवा आइसीडी) और (v) अन्य सम्मिलित हैं। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के समेकित तुलनपत्र का आकार मार्च 2008 के अंत में रहे 4,08,705 करोड़ रुपए के मुकाबले मार्च 2009 के अंत में 4,94,673 करोड़ रुपए था जो 27.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा था। मार्च 2009 को समाप्त अवधि के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के तुलनपत्र के आकार में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए मुख्य रूप से स्वाधिकृत निधि, डिबेंचर और अन्य देयताओं में हुई तीव्र वृद्धि जिम्मेदार है (सारणी VI.39)।

6.78 स्वाधिकृत निधि में मार्च 2009 के अंत में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल देयताओं में इसका हिस्सा 28.3 प्रतिशत रहा। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा जारी डिबेंचरों में मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल देयताओं में पिछले वर्ष के 21.7 प्रतिशत हिस्से के मुकाबले इस वर्ष इसका हिस्सा 23.0 प्रतिशत था। बैंकों और एफआइ से प्राप्त उधार राशियों का हिस्सा में पिछले वर्ष के 19.8 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2009 को समाप्त वर्ष में थोड़ा गिरकार 18.5 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत अंतर कारपोरेट उधार राशियों में मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान 36.7 प्रतिशत की गिरावट आई और कुल देयताओं में इसका हिस्सा 2.8 प्रतिशत था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वाणिज्य पत्रों के रूप में प्राप्त उधार राशियों का हिस्सा कुल देयताओं में 4.5 प्रतिशत था और इसमें 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल राशियों में अन्य का हिस्सा, जिसमें मुख्य रूप से उपार्जित ब्याज और अन्य उधारियां सम्मिलित हैं, 15.2 प्रतिशत था और मार्च 2009 को समाप्त वर्ष में इसमें 30.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2009 के अंत में लीवरेज अनुपात में मामूली कमी आई और यह 2.5 प्रतिशत था।

6.79 मार्च 2009 को समाप्त अवधि के दौरान जमानती ऋण में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल देयताओं में इसका हिस्सा 30 प्रतिशत था, जबकि गैर जमानती ऋणों में इसी अवधि के दौरान 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल देयताओं में इसका हिस्सा मामूली रूप से बढ़कर 34.6 प्रतिशत था।

सारणी VI.39: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों के स्रोत

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2008	मार्च 2009	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
स्वाधिकृत निधि	1,10,118 (26.9)	1,40,210 (28.3)	27.3
डिबेंचर	88,871 (21.7)	1,14,018 (23.0)	28.3
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार	80,961 (19.8)	91,527 (18.5)	13.1
अंतर कंपनी ऋण	22,019 (5.4)	13,937 (2.8)	-36.7
वाणिज्यिक पत्र	20,068 (4.9)	22,392 (4.5)	11.6
रिश्तेदारों से ऋण	1,822 (0.4)	2,370 (0.5)	30.1
अन्य	57,547 (14.1)	75,064 (15.2)	30.4
चालू देयताएं तथा प्रावधान	27,299 (6.7)	35,155 (7.1)	28.8
कुल देयताएं	4,08,705	4,94,673	21.0
ज्ञापन मर्दे :			
1. जमानती ऋण	1,21,082 (29.6)	1,48,314 (30.0)	22.5
2. बे-जमानती ऋण	1,50,206 (36.8)	1,70,994 (34.6)	13.8
3. लीवरेज अनुपात	2.71	2.53	
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयताओं के प्रति प्रतिशत के रूप में हैं।			
स्रोत : जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मासिक विवरणी।			

6.80 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआइ से प्राप्त विवरणियों पर आधारित जानकारी से पता चला है कि मार्च 2008 को समाप्त वर्ष में उनकी देयताओं/आस्तियों में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए निधि के स्रोत रूप में गैर जमानती ऋण एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत बना रहा, जिसके बाद जमानती ऋण और आरक्षित निधि एवं अधिशेष आते थे (सारणी VI.39)।

उधार राशियां

6.81 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा ली गई कुल उधार राशियां (जमानती और गैर-जमानती दोनों) मार्च 2009 को समाप्त वर्ष में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 3,19,308 करोड़ रुपए थीं कुल देयताओं में जिनका हिस्सा 64.5 प्रतिशत था। जून 2009 को समाप्त तिमाही के दौरान कुल उधार राशियों में 3.4 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप राशियां बढ़कर 3,30,288 करोड़ रुपए हो गई (सारणी VI.40)।

सारणी VI.40: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	को समाप्त		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कंपनियों की संख्या	189	234	232
कुल देयताएँ	4,08,705	4,94,673	5,08,026
चुकता पूंजी	24,490 (6.0)	30,173 (6.1)	30,358 (6.0)
अधिमानी शेयर	4,573 (1.1)	4,311 (0.9)	3,835 (0.8)
आरक्षित निधि और अधिशेष	81,055 (19.8)	1,05,726 (21.4)	1,07,191 (21.1)
जमानती ऋण	1,21,082 (29.6)	1,48,314 (30.0)	1,48,576 (29.2)
बेजमानती ऋण	1,50,206 (36.8)	1,70,994 (34.6)	1,81,712 (35.8)
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।			
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।			

निधियों का नियोजन

6.82 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा निधियों के नियोजन की प्रवृत्ति पिछले वर्ष के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप बनी रही। जमानती ऋणों का हिस्सा निरंतर सर्वाधिक बढ़ा (45.6 प्रतिशत) बना रहा जिसके बाद गैर जमानती ऋणों का हिस्सा 23.2 प्रतिशत था (सारणी VI.41)।

वित्तीय निष्पादन

6.83 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ ने 11,850 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जो मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ (8,705 करोड़ रुपए) की तुलना में 36.1 प्रतिशत अधिक था (सारणी VI.43)।

6.84 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के कुल आस्ति के प्रति सकल एनपीए अनुपात 2.3 प्रतिशत रहकर अपरिवर्तित रहा परंतु इसमें जून 2009 को समाप्त तिमाही में मामूली वृद्धि हुई है। कुल आस्ति के प्रति निवल एनपीए अनुपात मार्च 2008 को रहे 1.6 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2009 के अंत में 0.7 प्रतिशत पर आ गया था, तथापि, जून 2009 को समाप्त तिमाही में यह बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गया था (सारणी VI.44)।

सारणी VI.41: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	समाप्त		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कंपनियों की संख्या	189	234	232
क) जमानती उधार राशियां	1,21,082 (44.6)	1,48,314 (46.4)	1,48,576 (45.0)
(i). डिबेंचर	44,439 (16.4)	49,078 (15.4)	49,530 (15.0)
(ii) बैंकों से प्राप्त ऋण	25,774 (9.5)	35,571 (11.1)	38,300 (11.6)
(iii) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,988 (2.2)	6,038 (1.9)	6,543 (20.0)
(iv) उपचित ब्याज	2,017 (0.7)	2,800 (0.9)	2,441 (0.7)
(v) अन्य	42,864 (15.8)	54,827 (17.2)	51,761 (15.7)
ख) बेजमानती उधार राशियां	1,50,206 (55.4)	1,70,994 (53.6)	1,81,712 (55.0)
(i) संबंधियों से ऋण	1,822 (0.7)	2,370 (0.7)	2,210 (0.7)
(ii) अंतर कंपनी जमाराशि	22,019 (8.1)	13,937 (4.4)	18,347 (5.6)
(iii) बैंकों से प्राप्त ऋण	46,243 (17.0)	43,880 (13.7)	43,464 (13.2)
(iv) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	2,956 (1.1)	6,038 (1.9)	6,543 (2.0)
(v) वाणिज्यिक पत्र	20,068 (7.4)	22,392 (7.0)	26,530 (8.0)
(vi) डिबेंचर	44,432 (16.4)	64,940 (20.3)	67,971 (20.6)
(vii) उपचित ब्याज	1,819 (0.7)	3,167 (1.0)	3,692 (1.1)
(viii) अन्य	10,847 (4.0)	14,270 (4.5)	12,955 (3.9)
ज्ञापन:			
कुल उधार राशियां	2,71,288	3,19,308	3,30,288
कुल देयताएं	4,08,705	4,94,673	5,08,026
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधारियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।			
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।			

4. प्राथमिक व्यापारी

6.85 सितंबर 2009 के अंत में 19 प्राथमिक व्यापारी थे जिनमें से 11 बैंक थे जो विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी कारोबार (बैंक-पीडी)कर रहे थे तथा शेष 8 भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45 Iए के अंतर्गत पंजीकृत एनबीएफसी के रूप में स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारी थे तथा मुख्यतया सरकारी प्रतिभूति

सारणी VI.42 : जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
जमानती ऋण	1,60,017 (44.7)	1,90,818 (45.6)	2,08,097 (47.8)
बेजमानती ऋण	88,783 (24.8)	97,287 (23.2)	90,556 (20.8)
आस्तियों की किराया खरीद	29,832 (8.3)	36,051 (8.6)	37,017 (8.5)
दीर्घावधि निवेश	53,856 (15.0)	64,316 (15.4)	65,879 (15.1)
चालू निवेश	25,758 (7.2)	30,360 (7.2)	33,670 (7.7)
कुल	3,58,246	4,18,832	4,35,219
ज्ञापन मर्दे :			
पूंजी बाजार एक्सपोजर	1,11,630	86,881	90,750
जिनमें से :			
इक्विटी शेयर	35,957	39,437	39,301
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।			
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।			

कारोबार कर रहे थे। मॉर्गेन स्टेनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्रा.लि. तथा नोमुरा फिक्सड इनकम सिक्यूरिटीज प्रा.लि. को क्रमशः 20

सारणी VI.43: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कुल आस्तियां	4,08,705	4,94,673	5,08,026
कुल आय@	39,537 (9.7)	61,921 (12.5)	14,502 (2.9)
कुल व्यय @	27,291 (6.7)	44,271 (8.9)	10,948 (2.2)
निवल लाभ@	8,705 (2.1)	11,850 (2.4)	2,373 (0.5)
@ : संचयी।			
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।			
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी ।			

सारणी VI.44: जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियां

(प्रतिशत)

मद	वर्ष के अंत में		
	मार्च 2008	मार्च 2009	जून 2009
1	2	3	4
कुल ऋण एक्सपोजर की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	3.1	3.0	3.3
कुल ऋण एक्सपोजर की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	2.0	1.0	1.1
कुल आस्तियों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	2.3	2.3	2.5
कुल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	1.6	0.7	0.9
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी।			

जुलाई 2009 तथा 7 दिसंबर 2009 से प्राइमरी डीलर कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

6.86 वर्ष 2008-09 के दौरान पीडी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए गए। सर्वप्रथम गौण ऋण जारी करके बाजार से अधिक पूंजी प्राप्त करने में पीडी को सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा टियर-II और टियर-III की पूंजी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए गौण लिखतें जारी किए जाते समय ब्याज दर स्प्रेड पर 200 आधार अंकों के कैप को हटा दिया गया है। अब प्राथमिक व्यापारियों को अपने निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्णीत कूपन दरों पर अधीनस्थ टियर-II और टियर-III बांडों को जारी करने अनुमति हो गई है। द्वितीय, स्टैंड अलोन पीडी को अनुमति दी गई कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान कीमतों की घटबढ़ से अपने वित्त को बचाए रखने के लिए अपनी 100 प्रतिशत चुकता पूंजी को परिपक्वता तक धारित (हेल्ड टू मैच्युरिटी) वर्ग में रखें। तृतीय, ब्याज दर फ्यूचर्स (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 2009 दिनांक 28 अगस्त 2009 के संदर्भ में स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर (पीडी) को अनुमति दे दी गई है कि वे अपने खाते में, न कि ग्राहक के खाते में, हेजिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) का कारोबार विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करते हुए करें। चतुर्थ, पीडी द्वारा कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार से प्राप्त की जानेवाली उधार राशियों, औसतन रिपोर्टिंग पखवाड़े में, की सीमा उनके एनओएफ के विद्यमान 200 प्रतिशत से बढ़ाकर पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में एनओएफ का 225 प्रतिशत कर दी गई है। पंचम, अस्थिर ब्याज दरों के

समय में प्राथमिक व्यापारियों की स्थिरता बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दी गई। अन्य अनुमत कार्य करने की अनुमति चाहने वाले पीडी के लिए पहले के 100 करोड़ रुपए की तुलना में अब 250 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियां होनी चाहिए।

6.87 भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों की नीलामी प्रक्रिया पर गठित आंतरिक कार्यकारी दल (अध्यक्ष: एच.आर.खान)की संस्तुतियों, यथा-बोली प्रस्तुत करने और नीलामी परिणामों की घोषणा के बीच के अंतराल को कम करना, भौतिक रूप में बोली लगाने की सुविधा समाप्त करना और मात्र एनडीएस के माध्यम से ही प्रतियोगी बोलियां प्रस्तुत करना और गैर प्रतियोगी बोलियों के लिए बैंक/प्राथमिक व्यापारी(पीडी)द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित बोली लगाना, इन सभी को लागू किया जा चुका है। अब तक 2008-09 और 2009-10 में सरकार के उधार कार्यक्रम के जवाब में पीडी की हामीदारी आय में सतत वृद्धि हुई है (बॉक्स VI.2)।

पीडी का परिचालन और उनका निष्पादन

6.88 पीडी द्वारा 2008-09 के दौरान प्राथमिक बाजार में प्रस्तुत दिनांकित प्रतिभूतियों (3,49,393 करोड़ रुपए) की वास्तविक बोलियां अधिसूचित राशि (2,61,000 करोड़ रुपए) का 1.3 गुना थी जबकि पिछले वर्ष यह अधिसूचित राशि का 1.6 गुना थी।

6.89 राजकोषीय बिलों के मामले में पीडी की संचयी बोली प्रतिबद्धता प्रत्येक नीलामी में अधिसूचित राशि का 111 प्रतिशत थी। सामूहिक रूप से पीडी(बैंक पीडी को सम्मिलित करते हुए) द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बोलियों की राशि उनकी बोली प्रतिबद्धता की राशि 2,84,985 करोड़ रुपए के मुकाबले 5,09,794 करोड़ रुपए थी जो 1.8 बिड कवर अनुपात में थी। स्वीकार की गई बोलियों की राशि 59.1 प्रतिशत के सफल अनुपात में 1,72,474 करोड़ रुपए थी। सभी पीडी ने वर्ष की दोनों छमाहियों में 40 प्रतिशत के न्यूनतम विनिर्दिष्ट सफलता अनुपात की प्राप्ति कर ली थी। राजकोषीय बिलों की प्राथमिक नीलामियों में पीडी का हिस्सा 2007-08 में रहे 51.7 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 के दौरान 60.5 प्रतिशत हो गया था।

6.90 राजकोषीय वर्ष 2008-09 के दौरान, बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गईं। पीडी, जिसमें बैंक-पीडी भी सम्मिलित हैं, ने 4,24,723 करोड़ रुपए की दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी करने का प्रस्ताव किया और बैंक ने 2,53,786 करोड़ रुपए स्वीकार किए जो अधिसूचित राशि के 97.2 प्रतिशत हिस्से को कवर करता था।

6.91 वर्ष 2008-09 के दौरान 2,61,000 करोड़ रुपए की दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की 56 प्राथमिक नीलामियों में से पीडी द्वारा 3,49,393 करोड़ रुपए के लिए बोलियां प्रस्तुत की गईं जो अधिसूचित राशि का 1.3 गुणा थीं। पीडी को 1,11,094 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया और सफलता अनुपात 2007-08 में रहे 46.2 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 42.6 प्रतिशत हो गया। पीडी के संबंध में कुल भार पिछले वर्ष रहे 957 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 10,773 करोड़ रुपए था। दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार निर्गम में पीडी का हिस्सा वर्ष 2007-08 में रहे 46.2 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 42.6 प्रतिशत रह गया (सारणी VI.45)।

6.92 वर्ष 2008-09 के दौरान द्वितीयक बाजार का टर्नओवर (आउटराइट और रिपो दोनों ही) 26,17,283 करोड़ रुपए था। बाजार टर्नओवर के प्रति पीडी की हिस्सेदारी 2007-08 में रहे 16.1 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 12.8 प्रतिशत हो गई थी (सारणी VI.46)।

निधियों का स्रोत और उनका उपयोग

6.93 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान सात स्टैंड अलोन पीडी के समेकित तुलन पत्र के आकार में 5.3 प्रतिशत की मामूली कमी आई। मार्च 2008 के अंत में पीडी की संख्या नौ थी जो मार्च 2009 के अंत में घटकर सात हो गई तथा स्टैंड अलोन पीडी के रिजर्व और अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सामान्यतया दिसंबर तिमाही में हुए लाभ के विनियोजन के कारण थी। वर्ष के दौरान एक ओर जहाँ एबीएन एमरो सिक्युरिटीज इंडिया प्रा.लि.का अधिग्रहण 16 दिसंबर 2008 से उसके मालिकाना बैंक एबीएन एमरो बैंक द्वारा कर लिया गया, वहीं दूसरी ओर लेमैन ब्रदर्स को प्राथमिक

बॉक्स VI.2: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की हामीदारी

प्राथमिक व्यापारी (पीडी) प्रणाली के उद्देश्यों के अनुसरण में पीडी से अपेक्षित है कि वे सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए नीलामियों की सहायता दिनांकित प्रतिभूतियों की हामीदारी करके और हामीदारी/बिडिंग प्रतिबद्धताओं को पूरा करके करें। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में भारतीय रिजर्व बैंक की भागीदारी 1 अप्रैल 2006 से, केवल अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर, समाप्त कर दी गई है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिभूति बाजार पर एक आंतरिक तकनीकी समूह का गठन किया गया जिसने बिडिंग प्रतिबद्धता की आंतरिक प्रक्रिया के पुनर्गठन की संस्तुति की जिसके लिए उसने प्राथमिक व्यापारियों के दायित्वों के लिए संशोधित कार्यविधि लागू करने का सुझाव दिया। नई योजना के अंतर्गत प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे पहले की बिडिंग प्रतिबद्धता और ऐच्छिक हामीदारी के स्थान पर प्रत्येक नीलामी में 100 प्रतिशत हामीदारी प्रतिबद्धता पूरी करें। हामीदारी की योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू की गई। इस योजना की पुनरीक्षा 2007 में की गई और निर्णय किया गया कि एसीयू नीलामी में प्रत्येक पीडी के लिए न्यूनतम बिडिंग अपेक्षा एमयूसी की राशि के समतुल्य होगी।

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों संबंधी हामीदारी प्रतिबद्धता को समान रूप से दो भागों में - न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतियोगात्मक हामीदारी (एसीयू) बांटा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पीडी द्वारा प्रत्येक निर्गम की अधिसूचित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत की हामीदारी अधिदेशात्मक रूप से एकसमान की गई है या नहीं, प्रत्येक पीडी के एमयूसी की गणना की जाती है। एमयूसी के अंतर्गत हिस्सेदारी सभी पीडी के लिए एकसमान होगी, भले ही उनकी पूंजी अथवा उनके तुलनपत्र का आकार कुछ भी क्यों न हो। अधिसूचित राशि के बचे हुए भाग की हामीदारी एक अतिरिक्त प्रतियोगी हामीदारी (एसीयू) नीलामी के द्वारा की जाती है। एसीयू बिडिंग को प्रतियोगी बनाने के लिए एसीयू के तहत स्वीकृत राशि पर दिया जानेवाला कमीशन विभेदक (बहु-मूल्य) होता है जबकि एमयूसी राशि के लिए दिया जानेवाला कमीशन अंतरात्मक होता है। अधिसूचित राशि के 4 प्रतिशत अथवा अधिक के लिए एसीयू नीलामी में सफलताप्राप्त पीडी एसीयू नीलामी में स्वीकृत सभी बोलियों के भारित औसत दर पर एमयूसी कमीशन प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं जबकि 4 प्रतिशत से कम एसीयू नीलामी अथवा असफल रहे पीडी को एसीयू में सर्वाधिक न्यून तीन बोलियों के भारित औसत दर पर एमयूसी कमीशन प्राप्त होता है।

हामीदारी नीलामी में इस प्रकार से आबंटित राशि मुख्य नीलामी में पीडी के लिए न्यूनतम बिडिंग (बोली) दायित्व बन जाती है। पीडी के लिए प्रतिभूतियों संबंधी गतिविधि, यदि कोई हो, समान अनुपात आधार पर होती है जो मुख्य नीलामी में सफल बोलियां समायोजित करने के पश्चात प्रत्येक पीडी के हामीदारी दायित्व की राशि पर निर्भर करती है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान पीडी के लिए कुल गतिविधि पिछले वर्ष के 957 करोड़ रुपए के मुकाबले 10,773 करोड़ रुपए की थी। चालू वित्त वर्ष में सितंबर 2009 के अंत तक प्रतिभूतियों की कुल गतिविधि 6,050 करोड़ रुपए की थी।

2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितंबर 2009 के अंत तक) अवधि के दौरान प्राथमिक व्यापारियों द्वारा उद्धृत हामीदारी शुल्क की तुलनात्मक

स्थिति नीचे की सारणी में दी गई है।

सारणी: स्वीकृत हामीदारी कट-ऑफ शुल्क की तुलनात्मक स्थिति

तिमाही	स्वीकृत हामीदारी कट-ऑफ मूल्य की सीमा पैसे/100 रुपए		
	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
अप्रैल-जून	1.72-5.00	0.97-16.00	1.07 – 39.00
जुलाई-सितंबर	0.39-1.99	0.37-49.00	0.37 – 15.60
अक्तूबर-दिसंबर	0.39-1.45	0.46-15.98	–
जनवरी-मार्च	0.28-0.54	1.24-99.00	–

हामीदारी योजना ने पीडी द्वारा सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया और सुनिश्चित किया कि सरकारी प्रतिभूतियां पूरी तरह से बिक जाएं। वर्ष 2006 से प्राथमिक नीलामियों में भारिबैं ने भाग लेना बंद किया और इसे संपूर्ण रूप से घरेलू ऋण बाजार के सुपुर्द कर दिया और तबसे ही केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों में पीडी का हिस्सा (कुल अधिसूचित राशि के प्रति पीडी से स्वीकृत बोलियों को अनुपात) बहुत महत्वपूर्ण बन गया है।


सारणी: सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में पीडी का निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

ब्यौरे	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5
अधिसूचित राशि	1,46,000	1,56,000	2,61,000	2,95,000
पीडी द्वारा प्रस्तुत बोलियां	2,02,462	2,54,253	3,49,393	3,61,325
पीडी की स्वीकृत बोलियां	64,727	72,122	1,11,094	1,17,023
बिड-कवर अनुपात	1.39	1.63	1.34	1.22
सफलता अनुपात (प्रतिशत)	31.97	28.37	31.80	32.39
पीडी का हिस्सा (प्रतिशत)	44.33	46.23	42.56	39.67

* सितंबर 2009 के अंत तक

वर्षों से किए जा रहे सुधार के उपायों के मध्यनजर भारतीय सरकारी प्रतिभूति बाजार क्रमिक रूप से विस्तृत हो गया है जिसमें सक्षम नीलामी प्रक्रिया, एक सक्रिय द्वितीयक बाजार, 30 वर्षों तक के लिए चलनिधि यील्ड वक्र है और जिसके समर्थन में एक सक्रिय प्राथमिक बाजार प्रणाली कार्यरत है।



सारणी VI.45: प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2008	2009
1	2	3
खजाना बिल		
बोली वचनबद्धता	1,04,385	2,84,985
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	3,18,201	5,09,794
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	3.0	1.8
स्वीकृत बोली	1,04,819	1,72,474
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	100.4	59.1
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां		
अधिसूचित राशि	1,56,000	2,61,000
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	2,54,253	3,49,393
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	1.6	1.3
स्वीकृत बोली	72,122	1,11,094
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	46.2	42.6

बाजार में सहभागिता करने से रोक दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2009 को स्टैंड अलोन पीडी की पूंजी निधि में 25.7 प्रतिशत की गिरावट आ गई। स्रोत पक्ष में जमानती ऋणों में 35.7 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई तथापि गैर-जमानती ऋणों में 41.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नियोजन पक्ष में पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियों

में निवेश में 3.7 प्रतिशत की कमी आई वहीं वाणिज्य पत्रों में निवेश में 2.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। कारपोरेट बांड में निवेश में 19.8 प्रतिशत (621 करोड़ रुपए से घटकर 498 करोड़ रुपए) की गिरावट आई जो 2007-08 के दौरान हुई 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के सर्वथा विपरीत थी (सारणी VI.47)।

6.94 पीडी की कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों और राजकोषीय बिलों का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में रहे 70 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 70.9 प्रतिशत पर आ गया था। मार्च 2009 के अंत में म्यूच्युअल फंडों के इक्विटी में निवेशों में मार्च 2008 के अंत की तुलना में 85.3 प्रतिशत की भारी गिरावट आई।

पीडी का वित्तीय निष्पादन

6.95 वर्ष 2008-09 के दौरान पीडी द्वारा अर्जित आय में 2007-08 की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पीडी द्वारा वर्ष की तीसरी तिमाही में विद्यमान न्यून यील्ड का उपयोग कर उच्च लाभ दर्ज करने के कारण थी। (सारणी VI.48)।

6.96 वर्ष के दौरान ट्रेडिंग लाभ में वृद्धि और ब्याज व्यय में कमी को देखते हुए पीडी के लाभ में तीव्र वृद्धि हुई है। समग्र रूप से वर्ष के दौरान आरओए में तीव्र वृद्धि हुई है क्योंकि पीडी के

सारणी VI.46: द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अप्रैल-जून 2008	जुलाई-सितंबर 2008	अक्तू.-दिसं. 2008	जन.-मार्च 2009	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
एकमुश्त						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	1,38,895	1,65,252	2,78,915	2,13,125	7,96,187	6,37,768
बाजार पण्यावर्त	7,03,669	7,60,791	14,25,305	13,65,587	42,55,352	32,68,551
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	19.7	21.7	19.6	15.6	18.7	19.5
रिपो						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	3,39,292	3,41,826	5,16,341	6,23,637	18,21,096	24,00,106
बाजार पण्यावर्त	38,76,794	29,18,136	39,22,851	55,16,951	1,62,34,732	1,55,75,515
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	8.8	11.7	13.2	11.3	11.2	15.4
कुल						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	4,78,187	5,07,079	7,95,254	8,36,763	26,17,283	30,37,873
बाजार पण्यावर्त	45,80,463	36,78,927	53,48,156	68,82,538	2,04,90,084	1,88,44,065
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	10.4	13.8	14.9	12.2	12.8	16.1

सारणी VI.47: प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5
निधियों के स्रोत	10,882	10,307	-19.7	-5.3
1. पूंजी	1,508	1,121	-27.8	-25.7
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	1,944	2,213	-37.3	13.8
3. ऋण (क+ख)	7,430	6,973	-11.2	-6.2
क) जमानती	4,580	2,945	17.1	-35.7
ख) बेजमानती	2,850	4,028	-36.1	41.3
निधियों का उपयोग	10,882	10,307	-19.7	-5.3
1. अचल आस्तियां	14	13	-80.5	-7.1
2. निवेश (क से ग)	8,291	7,891	-10.3	-4.8
क) सरकारी प्रतिभूति	7,584	7,305	2.3	-3.7
ख) वाणिज्यिक पत्र	86	88	-93.1	2.3
ग) कंपनी बांड	621	498	4.3	-19.8
3. ऋण और अग्रिम	429	959	-62.2	123.5
4. गैर चालू आस्तियां	0	0		
ईक्विटी, म्यूचुअल फंड आदि	150	22	-83.9	-85.3
अन्य*	1,998	1,422	-1.2	-28.8

* : अन्य में नकदी + बैंक शेष + उपचित ब्याज + मांग और मीयादी आस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

स्रोत: संबंधित प्राथमिक व्यापारियों के वार्षिक रिपोर्ट।

निवल लाभ में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई थी और औसत आस्ति में 24.5 प्रतिशत की गिरावट आई जिसके कारण 2007-08 में

सारणी VI.48: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य - निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09	प्रतिशत घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i से iii)	1,307	1,825	518	39.6
i) ब्याज और छूट	914	878	-36	-3.9
ii) कारोबारी लाभ	255	843	588	230.6
iii) अन्य आय	138	104	-34	-24.6
ख. व्यय (i+ii)	775	692	-83	-10.7
i) ब्याज	595	546	-49	-8.2
ii) प्रशासनिक लागत	180	146	-34	-18.9
कर पूर्व लाभ	532	1,133	601	113.0
करोत्तर लाभ	373	749	376	100.8
प्राथमिक व्यापारियों की संख्या §	9	7		

§ : केवल स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी

स्रोत : प्राथमिक व्यापारी विवरणी (पीडीआर)

15,039 करोड़ रुपए रही औसत आस्तियां 2008-09 में घटकर 11,348 करोड़ रुपए हो गई (सारणी VI.49)।

6.97 स्टैंड अलोन पीडी की पूंजी पर्याप्तता निरंतर बनी रही। मार्च 2009 के अंत में एकल स्टैंड अलोन पीडी का सीआरएआर विनिर्दिष्ट न्यूनतम 15 प्रतिशत के ऊपर बना रहा। मार्च 2009

सारणी VI.49: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2007-08	2008-09
1	2	3
i) निवल लाभ	373	749
ii) औसत आस्तियां	15,039	11,348
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	2.5	6.6
iv) पूंजी निधि	3,611	3,464
v) प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	9	7

स्रोत : प्राथमिक व्यापारी विवरणी (पीडीआर)

के अंत में स्टैंड अलोन पीडी का सीआरएआर सामूहिक रूप में 34.8 प्रतिशत था (सारणी VI.50)।

सारणी VI.50 : प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रूप में)

मद	2008	2009
1	2	3
कुल आस्तियां	10,882	10,307
इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	7,584	7,305
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां	70.0	70.9
सकल पूंजी निधि	3,611	3,464
सीआरएआर (प्रतिशत में)	38.0	34.8
चलनिधि समर्थन सीमा	3,000	3,000
प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	9	7
स्रोत: प्राथमिक व्यापारी विवरणी (पीडीआर)		

5. निष्कर्ष

6.98 हाल के वित्तीय संकट ने एनबीएफआइ के समक्ष कम लागत पर निधियां जुटाने के मार्ग में समस्याएं खड़ी कीं जिसके कारण उन्हें अपनी आस्ति आधार के निधीयन के लिए गैर-जमानती ऋणों की ओर मुड़ना पड़ा। सीएफएसए 2009 ने परामर्श दिया है कि एनबीएफसी को कम लागत पर निधियाँ प्राप्त न होने की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि वैकल्पिक निधि स्रोत, यथा-सक्रिय कारपोरेट बांड मार्केट का विकास किया जाए। वैकल्पिक निधि स्रोत उनकी (एनबीएफसी)आस्ति आधार में वृद्धि और आस्ति विविधीकरण में सहायक सिद्ध होंगे। वर्तमान हालातों में एनबीएफसी की वृद्धि में एनबीएफसी-एनडी वृद्धि के मुख्य प्रेरक हैं तथापि महत्वपूर्ण स्वामित्व के अंतरण, बड़े अभिग्रहणों, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी के लिए आपसी संबंधों के क्षेत्र में अंतरालों को पूरा करने के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु उचित संरचना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय स्थिरता

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विश्व के सभी देशों - विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले दोनों ही प्रकार के देशों में केंद्रीय बैंकों के लिए वित्तीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में उभरकर सामने आयी है। मौद्रिक नीति ढांचे के विपरीत वित्तीय स्थिरता ढांचे को परिभाषित करना कठिन है। इसमें संकल्पनागत और मापन के मुद्दे निहित हैं। इसके बावजूद कई देशों ने वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम और दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए वित्तीय स्थिरता से जुड़ी रिपोर्टों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता का विश्लेषण आरंभ कर दिया है। इस अध्याय में इन मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ भारत में मूल्य स्थिरता और साथ ही वित्तीय स्थिरता के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि वैश्विक स्थिति की तुलना में हमारा अब तक का सफर दूसरों से बहुत आगे और सफल रहा है लेकिन आगे चलकर जैसे-जैसे हमारे देश का और वैश्वीकरण होता जाएगा तब वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने की बड़ी चुनौती का सामना हमें करना होगा।

1. परिचय

7.1 वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुसार समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लंबे दौर के बावजूद वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विश्व के सभी देशों - विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले दोनों - में केंद्रीय बैंकों के लिए वित्तीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में उभरकर सामने आयी है। उक्त संकट विशाल पैमाने पर घटित हुआ जिससे वित्तीय बाजार और संस्थान धराशायी हो गए और नीतिगत चर्चाओं में वित्तीय स्थिरता का मुद्दा प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया।

7.2 मौजूदा संकट पर यदि हम पुनःगौर करें तो यह एक ऐसे समष्टि आर्थिक परिवेश का परिणाम लगता है जिसमें निम्न ब्याज दरों, उच्च तरलता और निम्न अस्थिरता का लंबा दौर चला जिसके कारण वित्तीय संस्थान जोखिमों का सही आकलन नहीं कर सके, कई वित्तीय संस्थाओं में ऋण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का विफल होना और वित्तीय विनियम एवं पर्यवेक्षण की कमियां भी इसका कारण रहीं। अमेरिकी भूसंपदा बाजार में आई मंदी के कारण ऋण-अदायगी में चूकों की झड़ी सी लग गई, विशेषकर जटिल संरचनावाली प्रतिभूतियों के मामले में और परिणामतः संचित घाटा हिमकंदुक के समान बढ़ता चला गया। अमेरिकी सब प्राइम संकट की वजह से एक तो वित्तीय बाजारों में तनावपूर्ण स्थिति बनी और दूसरे समग्र अर्थव्यवस्था पर मंदी छा गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अभी भी भारी चुनौतियों का

सामना करना पड़ रहा है जिसमें वित्तीय बाजारों पर दबाव, कमजोर होता श्रम बाजार और बिगड़ती आर्थिक गतिविधियों का समावेश है। ये समस्याएं सितंबर 2008 के मध्य में और भी गहरा गईं जब बड़े पैमाने पर हुए घाटे की वजह से लीमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच, फैंनी मे और फ्रेंडी मैक जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थान फेल हो गए।

7.3 सितंबर 2008 के मध्य में लीमन ब्रदर्स के धराशायी होने की वजह से वित्तीय बाजारों में विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा जिसके परिणामस्वरूप विकसित अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय बाजार भी इसकी चपेट में आ गए। अचानक, न केवल घाटे की व्यापकता बल्कि बैंक किस सीमा तक उस घाटे को सहन कर सकते हैं इसके बारे में अनिश्चितता का माहौल बन गया और पूरी व्यवस्था में जोखिम की व्यापकता, वह कहां मौजूद है और किस तरह से विस्फोट होकर वह सामने आएगा इस बारे में भी अनिश्चितता छा गई। इस अनिश्चितता ने अभूतपूर्व अफरा-तफरी को जन्म दिया और वित्तीय मध्यस्थता की पूरी कड़ी को लगभग पंगु बना दिया। बैंकों ने चलनिधि की जमाखोरी की। ऋण, बांड और शेयर बाजार करीब-करीब जड़वत हो गए। सुरक्षित स्थिति में पहुंचने की होड़ के परिचायक के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में गिरावट आई जबकि बाजार के विविध खंडों में जोखिम रहित सरकारी प्रतिभूतियों के स्प्रेड में तेजी से वृद्धि हुई। कई मजबूत वित्तीय संस्थान धराशायी होने के कगार पर आ गए। नियंत्रणों में बड़े पैमाने पर दी

गई ढील से आस्तियों की कीमतों में गिरावट हुई और एक दुश्चक्र बन गया। विश्वासयुक्त माहौल पूरी तरह से समाप्त हो गया।

7.4 हालांकि इस संकट का केंद्रबिंदु विकसित अर्थव्यवस्थाएं थीं लेकिन जल्द ही यह दो दिशाओं में फैल गया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसका प्रसार वित्तीय क्षेत्र से स्थायी संपदा क्षेत्र की ओर हुआ जिससे उपभोग, निवेश, निर्यात और आयात बुरी तरह प्रभावित हुए। भौगोलिक दृष्टिकाण से इसका प्रसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर हुआ और जल्द ही इसने व्यापार, वित्त एवं विश्वास चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया।

7.5 इस संकट से मिली कई सीखों में से वित्तीय स्थिरता से जुड़ी प्रमुख सीखें हैं; पहली, वित्तीय स्थिरता जिसे हम स्थायी तत्व मान बैठे थे उसे उस तरह से मान लेना सही नहीं है; दूसरी, मूल्य स्थिरता और समष्टि आर्थिक स्थिरता के बावजूद भी वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है; तीसरी, विश्व में कहीं भी वित्तीय स्थिरता संभवतः सर्वत्र वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है और अंततः वित्तीय स्थिरता को आर्थिक नीति के अन्तर्निहित घटक से बहिर्वाह घटक के रूप में परिवर्तित होना है¹।

7.6 पूरे विश्व में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक इस संकट का सामना करने में सबसे आगे हैं। यह तो स्पष्ट है कि वे इस समस्या का समाधान खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बात पर उंगली उठाई जा रही है कि कहीं वे ही इस संकट के लिए जिम्मेदार तो नहीं थे। कई देशों में पिछले दो दशकों के दौरान मौद्रिक नीति ढांचे में किए गए बदलावों ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में सफलता दिलाई है। लेकिन इसी अवधि के दौरान वित्तीय स्थिरता ढांचा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर न चल सका।

7.7 वित्तीय स्थिरता पर केंद्रीय बैंकों को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा धीरे-धीरे बढ़ रहा था जिसे बढ़ते समष्टि आर्थिक असंतुलन, आस्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी, ऋण विस्तार और न्यूनतर जोखिम

प्रावधान के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन व्यापक तौर पर केंद्रीय बैंक कई कारणों की वजह से कड़े सुधारात्मक उपाय अपनाने से कतराते रहे हैं जिनमें प्रमुख हैं - यह धारणा कि मौद्रिक नीति आस्तियों के मूल्यों में आए दिखावटी उछाल को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है, मौद्रिक और विनियामक नीतियों में विभाजन तथा वित्तीय बाजारों के स्व-सुधारात्मक उपायों पर झूठा विश्वास।

7.8 वैश्विक परिदृश्य के विपरीत मोटे तौर पर भारत वैश्विक वित्तीय संकट के संसर्ग से बचा रहा। संकट के मध्य में भी भारत का वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित और सुव्यवस्थित बना रहा और वित्तीय बाजार सामान्य तौर पर कार्य करते रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं। क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार अभी भ्रूणावस्था में है; भारत का 'संवितरण हेतु उत्पन्न' मॉडल विकसित बाजारों में मौजूद मॉडलों से तुलनीय नहीं है; विदेशों में जारी ऐसे लिखतों में निवासियों द्वारा निवेश करने पर प्रतिबंध है; और प्रतिभूतिकरण से संबंधित विनियामक दिशानिर्देश लाभ को तत्काल हिसाब में लेने की अनुमति नहीं देते हैं। भारत में विवेकपूर्ण नीतियों को अपनाने की दृढ़ता की वजह से वित्तीय स्थिरता पायी जा सकी है जो संस्थानों को अत्यधिक जोखिम लेने और वित्तीय बाजारों को अत्यधिक अस्थिर एवं उथल-पुथल भरा होने से रोकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, एक ओर जहां वित्तीय बाजार सुव्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से बैंक मजबूत बने हुए हैं और इस तरह के संकट का सामना करने में सक्षम हैं। जहां एक ओर पर्यवेक्षण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मण्डल में से बनाए गए स्वतंत्रत्व बोर्ड द्वारा किया जाता है वहीं दूसरी ओर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के संबंध में विनियमन और पर्यवेक्षण के बीच आपसी गहरा संबंध है तथा बाजार पर विनियमन के मामले में अन्य विनियामकों के साथ निकट संपर्क बना हुआ है।

7.9 इस परिप्रेक्ष्य में, आठ खंडों में फैले इस अध्याय में वित्तीय स्थिरता के संकल्पनागत पहलुओं के मूल प्रश्न और खंड 2 में उसके मापन पर प्रकाश डाला गया है; खंड 3 में 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों' के माध्यम से केंद्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय

¹ डी. सुब्बाराव (2009) 'वित्तीय स्थिरता-मुद्दे और चुनौतियां', 10 सितंबर को मुंबई में फिक्की - आइबीए के वार्षिक सम्मेलन में 'ग्लोबल बैंकिंग : पैराडाइम शिफ्ट' पर दिया गया समापन संबोधन।

स्थिरता के विश्लेषण का लेखा-जोखा; खंड 4 में वित्तीय स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर की गई पहलें; खंड 5 में भारत की वित्तीय प्रणाली का एक मूल्यांकन; खंड 6 में घरेलू वित्तीय बाजारों और खंड 7 में पिछले दो वर्षों के दौरान भारत ने वित्तीय स्थिरता कैसे प्राप्त की, इस पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय स्थिरता के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा की गई है। भारतीय वित्तीय प्रणाली की कमजोरी के मूल स्रोतों पर भी इस खंड में प्रकाश डाला गया है। खंड 8 में वित्तीय स्थिरता के समग्र मूल्यांकन और उसके सम्मुख आगे आनेवाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए इस अध्याय का समापन किया गया है।

2. वित्तीय स्थिरता : संकल्पना और मापन

7.10 मौजूदा परिवेश में चुनौती वित्तीय स्थिरता संरक्षित रखने, मूल्य स्थिरता कायम करने, मुद्रास्फीतिजनक प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने और वृद्धि की गति को बनाए रखने के बीच सर्वोत्तम संतुलन स्थापित करने की है।² समष्टि आर्थिक स्थितियों के अनुसार समय-समय पर इन उद्देश्यों पर दिया जानेवाला अलग-अलग जोर बदलता रहा है। वित्तीय स्थिरता को दिए जा रहे बढ़ते महत्व के मद्देनजर मौद्रिक नीति को लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य पहले से कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गया है।

वित्तीय स्थिरता क्या है ?

7.11 एक संकल्पना के रूप में वित्तीय स्थिरता से सभी परिचित हैं। तथापि, इसकी व्यावहारिक परिभाषा पर आम राय नहीं है। कुछ वित्तीय स्थिरता को, जो यह नहीं है अर्थात् वित्तीय अस्थिरता न होने के रूप में परिभाषित करते हैं। जबकि कुछ अन्य सम्यक रूप से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तीय स्थिरता को समूची प्रणाली में व्याप्त वित्तीय संकट की घटनाओं की मौजूदगी में वास्तविक उत्पादन (आउटपुट) में महत्वपूर्ण हानियों के जोखिमों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित/विनिर्दिष्ट करते हैं। वित्तीय स्थिरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें वित्तीय प्रणाली अपने तीन मूलभूत कार्यों को

संतोषजनक ढंग से एक साथ पूरा करने में समर्थ रहती है। पहला, आम तौर पर वित्तीय प्रणाली बचतकर्ताओं से निवेशकों तक संसाधनों का अंतर-सामयिक आबंटन दक्ष और सुचारु बनाती है और आर्थिक संसाधनों का आबंटन करती है। दूसरा, भावी वित्तीय जोखिमों का आकलन किया जाता है और उनका समुचित रूप से सटीक मूल्य तय किया जाता है और सापेक्षतः उनका ठीक तरह से प्रबंधन किया जाता है। तीसरा, वित्तीय प्रणाली ऐसी स्थिति में है कि वह सहज रूप से न सही लेकिन सुविधाजनक तरीके से वित्तीय और वास्तविक आर्थिक झटकों एवं अकस्मात् घटनेवाली घटनाओं को सहन कर सकती है। यदि इन मूलभूत कार्यों में से किसी एक या अधिक कार्यों को संतोषजनक ढंग से नहीं किया और बनाए रखा जा सका तो हो सकता है कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता डांवाडोल हो जाए और किसी बिंदु पर जाकर उसमें अस्थिरता दिखाई देने लगे। उदाहरण के लिए, पूंजी आबंटन में अदक्षताओं अथवा जोखिम के आकलन की त्रुटियों से असंतुलन एवं कमजोरी पैदा होगी जिससे आगे चलकर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता प्रभावित होगी।

वित्तीय स्थिरता का अध्ययन क्यों किया जाए ?

7.12 वर्ष 1990 के आरंभ से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का मुद्दा आर्थिक नीति निर्माताओं के लिए निरन्तर प्रमुख उद्देश्य का रूप धारण कर चुका है।³ वित्तीय स्थिरता को आम जनता के लिए लाभकारी बताया गया है। वित्तीय स्थिरता पर अधिक जोर वित्तीय प्रणाली की कई प्रमुख प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है जो उदारीकरण की व्यापकता और आगे चलकर वित्तीय प्रणाली के वैश्वीकरण को दर्शाता है। इन सभी की वजह से आर्थिक निष्पादन पर वित्तीय अस्थिरता के व्यापक प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सर्वप्रथम, वास्तविक अर्थव्यवस्था के मुकाबले वित्तीय प्रणाली में उल्लेखनीय रूप से तेज विस्तार हुआ है। दूसरे, वित्तीय पैठ की यह प्रक्रिया वित्तीय प्रणाली के घटकों में आप परिवर्तन से जुड़ी रही है जिसमें मौद्रिक आस्तियों की घटती हिस्सेदारी और गैर-मौद्रिक आस्तियों की बढ़ती हिस्सेदारी शामिल रही है जिसका तात्पर्य है मौद्रिक आधार को अधिक लीवरेज

² 24 अक्टूबर 2008 को वर्ष 2008-09 की शेष अवधि के लिए मौद्रिक नीति रुझान पर गवर्नर डॉ.डी.सुब्बाराव का प्रेस वक्तव्य।

³ सेलिनासी गैरी जे.(2006). 'वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना; सिद्धांत और व्यवहार', आइएमएफ, वाशिंगटन।

देना। तीसरे, विभिन्न देशों और उद्योगों के बीच बढ़ते जुड़ाव के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणालियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, अधिक समेकित हो गई हैं। चौथे, वित्तीय लिखतों की बारीकियों, क्रियाकलापों की विविधता और जोखिमों के सहगामी संचलन से वित्तीय प्रणाली और भी जटिल हो गई है। सामान्य तौर पर, इस बढ़ती जटिलता, विशेषरूप से जोखिम अंतरण की वृद्धि ने बाजार सहभागियों, पर्यवेक्षकों और नीति निर्माताओं सभी के लिए समय के साथ प्रणाली में निहित जोखिमों पर नजर रखने में एकसमान रूप से कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। आर्थिक दक्षता में उपर्युक्त प्रवृत्तियों के योगदान को यदि नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो भी उनके लिए जोखिम और कमजोरियों के स्वरूप और वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं पर भी जोखिमों एवं कमजोरियों के निहितार्थ हैं तथा वित्तीय स्थिरता को कायम रखने में नीति निर्माताओं की भूमिका भी इनसे प्रभावित हुई है।

7.13 मौद्रिक स्थिरता, जोकि मुद्रास्फीति और मौद्रिक संकेतकों के द्वारा आंकी जाती है, के विपरीत वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ परस्पर निर्भरता और जटिल पारस्परिक प्रभावों को देखते हुए वित्तीय स्थिरता को परिभाषित करना या उसका आकलन करना आसान नहीं है। यह समय और ऐसे पारस्परिक प्रभावों के विदेशी आयामों की वजह से और भी जटिल हो जाता है। इस तरह से वित्तीय स्थिरता को ठीक तरह से परिभाषित नहीं किया गया है और न ही उसका आकलन करना आसान है।

3. केंद्रीय बैंक और वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें

7.14 वित्तीय स्थिरता से संबंधित संकल्पनागत और मापन विषयक समस्याओं के बावजूद पिछले दो दशकों में केंद्रीय बैंकों और अन्यत्र के शोधकर्ताओं ने वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों के विभिन्न संकेतकों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता की स्थितियों का पता लगाने के प्रयास किए हैं। वास्तव में कई केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता की अपनी रिपोर्टों के माध्यम से कुछ मूलभूत संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम का आकलन करने का प्रयास करते हैं। दोनों ही प्रकार के केंद्रीय बैंक, एक वे जो मूल्य स्थिरता जैसे एकमेव उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे वे जो आर्थिक प्रगति, मूल्य स्थिरता और सुव्यवस्थित व मजबूत

बाह्य क्षेत्र जैसे बहुविध उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं (बाक्स VII.1 और अनुबंध सारणी VII.1)।

7.15 इसके अलावा एक ऐसे समग्र साधन का विकास करने के प्रयास जारी हैं जो वित्तीय दुर्बलता अथवा दबाव की मात्रा को प्रकट कर सके। इन स्थितियों को दर्शानेवाले वित्तीय प्रणाली स्थिरता के सम्मिश्रित मात्रात्मक मापक अत्यंत आकर्षक हैं क्योंकि उनकी सहायता से नीति निर्माता और वित्तीय प्रणाली के सहभागी (क) प्रणाली की वित्तीय स्थिरता की अवस्था पर बेहतर निगरानी रख सकेंगे (ख) प्रणाली में वित्तीय दबाव पैदा करनेवाले कारणों और स्रोतों का पूर्वानुमान लगा सकेंगे और (ग) दूसरों को ऐसी स्थितियों के प्रभाव के बारे में बेहतर ढंग से समझा सकेंगे।

7.16 वित्तीय प्रणाली स्थिरता की स्थिति को दर्शाने के लिए अलग-अलग घटकों की तुलना में वित्तीय स्थिरता के सम्मिश्रित संकेतक अधिक उपयुक्त हैं जो इसके खतरों और बेंचमार्क मूल्यों को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा प्रणाली में अतिरेकी घटनाओं के न होने पर भी इनकी सहायता से दबाव का पता लगाया जा सकता है (उदाहरणार्थ, संचित असंतुलन के मापन के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है)। तथापि, वित्तीय प्रणाली के जटिल स्वरूप और विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद जटिल सम्पर्कों को देखते हुए वित्तीय स्थिरता के मापन के लिए किसी एक समग्र साधन को तैयार कर पाना एक कठिन कार्य है। प्रमुख सकल मदों की अनुपस्थिति में बैंकिंग स्थिरता सूचकांक अथवा बाजार तरलता सूचकांक जैसे आंशिक सम्मिश्रित साधनों का कई वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में प्रयोग किया जा रहा है। वित्तीय स्थिरता के लिए एक अकेले समग्र साधन को चाहे तैयार किया गया हो अथवा नहीं, वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों के लिए यह जरूरी होगा कि वे भूसंपदा, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के मूलभूत घटकों के साथ ही बाह्य क्षेत्र के घटकों का भी विश्लेषण करें।

7.17 मूलभूत संकेतकों के निर्माण और प्रयोग में कुछ विविधता है। सीमा-पार देशों से व्यापक तुलना हेतु ऐसे संकेतकों के लिए एक उपयुक्त मानक एवं प्रणाली का होना उपयोगी होगा, हालांकि प्रत्येक देश की परिस्थिति विशेष में ऐसा कर पाना एक कठिन कार्य

बाक्स VII.1 : केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें : तुलनात्मक आकलन

विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों की समीक्षा से यह पता चलता है कि विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के 67 केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता पर आवधिक रूप से एक अलग रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं (अध्याय का अनुबंध)। सबसे पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वर्ष 1996 में इंग्लैंड में अलग से प्रकाशित की गई थी जिस पर आगे चलकर उत्तरी यूरोप के पांच प्रमुख देशों ने भी अमल किया। उसके बाद वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करनेवाले केंद्रीय बैंकों की संख्या बढ़कर वर्ष 2004 में 25 तथा वर्ष 2008 में 67 हो गई। इनमें से अधिकांश केंद्रीय बैंक यूरोप के हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों को प्रकाशित करनेवाले एशियाई देश हैं जापान, कोरिया, हांगकांग एसएएआर, सिंगापुर, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया और हाल ही में मलेशिया। कुछ समय पहले कुछ अफ्रीकी (घाना, केन्या, दक्षिण अफ्रीका) और मध्य पूर्वी (इजरायल एवं कतार) देशों ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों का प्रकाशन आरंभ कर दिया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं।

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस), बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति, जी-20 समूह, बीमा पर्यवेक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय असोसिएशन और दि यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) जैसे कई बहुपक्षीय संस्थान/केंद्रीय बैंक, वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों का सामना करते हैं लेकिन इनमें से केवल दो संस्थान अर्थात् आइएमएफ और ईसीबी ही अलग से वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं।

केंद्रीय बैंक अनेक कारणों से वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं। एक सर्वे के आधार पर ओस्टरलू और हान (2004) का कहना है कि वित्तीय स्थिरता का आकलन करके उसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करने के तीन मुख्य कारण हैं; (i) वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता में योगदान करने के लिए; (ii) वित्तीय स्थिरता के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों में सहयोग को मजबूत बनाने; और (iii) वित्तीय स्थिरता कार्य की पारदर्शिता एवं जवाबदेही में बढ़ोतरी करने हेतु।

ऐसा लगता है कि अधिकांश केंद्रीय बैंकों के लिए अंतिम लक्ष्य वित्तीय स्थिरता में योगदान करना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार वित्तीय स्थिरता समीक्षा का लक्ष्य है; (i) जोखिम, विनियमन और वित्तीय बाजारों पर नवीनतम चिंतन को बढ़ावा देना; (ii) यूके की वित्तीय प्रणाली को जोखिम पहुंचा सकनेवाले मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना; और (iii) प्रयोगकर्ताओं, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करना। वित्तीय स्थिरता समीक्षा में छपे लेखों से चर्चा में मदद मिलेगी, फिर चाहे वे बैंक द्वारा लिखे गए हों या फिर सेक्यूरिटी एण्ड इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एसआइबी) के स्टाफ अथवा बाहरी लोगों द्वारा लिखे गए हों और जरूरी नहीं है कि वे बैंक अथवा एसआइबी नीति का वक्तव्य हों। बैंक दि फ्रांस के अनुसार वैश्वीकृत और निरंतर जटिल होते वित्तीय परिवेश में वित्तीय स्थिरता के आकलन और उसको बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि सरकारों, केंद्रीय बैंकों, बाजार विनियामकों और पर्यवेक्षकों जैसे विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के बीच एक जोरदार तालमेल हो। वे वित्तीय क्षेत्र के समस्त व्यावसायिकों के साथ निकट संपर्क बनाए रखने की पूर्वधारणा भी रखते हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए अन्य

कई केंद्रीय बैंकों के समान ही बैंक दि फ्रांस ने भी आवधिक रूप से वित्तीय स्थिरता समीक्षा प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। ईसीबी के अनुसार इस वित्तीय स्थिरता समीक्षा के प्रकाशन के साथ ही वह विश्व के उन केंद्रीय बैंकों की बढ़ती संख्या में शामिल हो रहा है जो आवधिक रूप से एक आम रिपोर्ट जारी कर वित्तीय स्थिरता से जुड़े अपने अधिदेश का टुकड़ों में सामना कर रहे हैं। इस समीक्षा को प्रकाशित करने का उद्देश्य है वित्तीय उद्योग और आम जनता में यूरो क्षेत्र की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। यह समीक्षा वित्तीय स्थिरता के जोखिम और कमजोरियों के मूल कारकों का समग्र आकलन प्रस्तुत कर वित्तीय तनाव को रोकने में भी मदद करती है। कई उभरते देशों के केंद्रीय बैंकों की भी यही राय है। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील के अनुसार मौद्रिक प्राधिकारियों की *पारदर्शिता और आर्थिक एजेंटों की प्रत्याशाओं* को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय प्रणाली निष्पादन के विश्लेषण को प्रकाशित करने की परंपरा अत्यंत सराहनीय है। सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी के अनुसार वित्तीय स्थिरता समीक्षा घरेलू और वैश्विक क्रियाकलापों से उत्पन्न हुए जोखिमों और कमजोरियों का विश्लेषण करती है तथा घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिरता एवं सुचारुपन पर उनके प्रभावों का आकलन करती है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का लक्ष्य है, देश की *वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करनेवाले मुद्दों के बारे में बाजार सहभागियों, विश्लेषकों और आम जनता के बीच आपसी समझ और विचारों के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने में योगदान करना।*

कुछ वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें (एफएसआर) वित्तीय अस्थिरता को कम करना अपना अंतिम ध्येय के रूप में स्पष्ट तौर पर स्वीकार करती हैं। बैंक ऑफ कनाडा के अनुसार यह 'एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से वे घरेलू वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालीन मजबूती में योगदान करना चाहती हैं'। वे निम्नांकित के द्वारा ऐसा कर सकती हैं: (i) आर्थिक परिवेश में वित्तीय मध्यस्थों के लिए जोखिम के बारे में समझ को बेहतर बनाकर (और चर्चा में योगदान देकर); (ii) वित्तीय संस्थानों और बाजार सहभागियों को उनके व्यक्तिगत क्रियाकलापों के संभावित सामूहिक प्रभाव के बारे में सतर्क करके; और (iii) वित्तीय स्थिरता और वित्तीय संरचनात्मकता में सुधार के लिए आम राय बनाकर। एक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निजी एजेंटों द्वारा वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के महत्व को बढ़ा सकती है क्योंकि केंद्रीय बैंक इसकी समष्टि आर्थिक विशेषज्ञता तथा भुगतान एवं निपटान में इसकी भूमिका का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा निजी एजेंट आर्थिक परिवेश के प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं रहते क्योंकि वे अपने क्रियाकलापों से दूसरे एजेंटों को प्रभावित करने के प्रति कम रूचि रखते हैं। अंततः आम जनता को कभी-कभार घटनेवाली लेकिन विनाशकारी अस्थिरता के परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है (निम्न मुद्रास्फीति हेतु एक क्षेत्र तैयार करने की मौद्रिक नीति की आवश्यकता के अनुरूप)।

संदर्भ:

1. विभिन्न केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें।
2. ओस्टरलू, एस एंड जे दि हान (2003), ए सर्वे ऑफ इंस्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टैबिलिटी, दि निदरलैंड बैंक ऑफ जेनल स्टडीज, खंड 1 सं.4.

है। (विशेष रूप से वित्तीय प्रणाली के घटकों के तुलनात्मक महत्व में अंतर और संबंधित अर्थव्यवस्थाओं के खुलेपन की मात्रा में अंतर के कारण)। यदि कोई एक कदम आगे बढ़कर एकल समग्र साधन की मदद से वित्तीय स्थिरता का आकलन करना चाहे तो उस स्थिति में ऐसे समग्र साधन का हिस्सा रहे विभिन्न घटकों को दिए गए भार में भी वह नजर आना चाहिए।

7.18 हालांकि कुछ केंद्रीय बैंकों ने एकल समग्र साधन की सहायता से वित्तीय स्थिरता की गणना का प्रयोग किया है लेकिन ज्ञान और अन्य मात्रात्मक एवं गुणात्मक साधनों के बिना ऐसे किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यद्यपि एकल समग्र साधन वित्तीय प्रणाली की स्थितियों को उनके बीत जाने के बाद की अवस्था में बेहतर तरीके से दर्शाता है लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वे वित्तीय दबाव के आगमन की सूचना देने में कितने कारगर साबित होंगे।

7.19 आम तौर पर, केंद्रीय बैंक निर्मांकित चार प्रमुख क्षेत्रों से वित्तीय स्थिरता की जिम्मेदारी प्राप्त करते हैं; (i) बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन और पर्यवेक्षण; (ii) भुगतान प्रणाली की निगरानी; (iii) अंतिम उधारदाता का कार्य; और (iv) वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न विनियामकों को शामिल करते हुए समेकित संरचना का कार्य। सर्वप्रथम, जमाराशि स्वीकार करनेवाले वाणिज्यिक बैंकों और जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग संस्थाओं के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कई केंद्रीय बैंकों को एक सुगठित, सुरक्षित और सुस्थिर वित्तीय प्रणाली को कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, जमाराशि स्वीकर करनेवाले बैंक और गैर-बैंकिंग इकाइयां बचत और संसाधनों के निवेश में अपनी प्रमुख भूमिका के कारण वित्तीय प्रणाली के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और समूची वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के मद्देनजर मूलभूत संस्थानों और बाजारों की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है। दूसरे, केंद्रीय बैंक एक सुरक्षित और दक्ष भुगतान एवं निपटान प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वीडन के रिक्स बैंक के अनुसार, सभी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भुगतान प्रणाली महत्वपूर्ण है और यह वित्तीय प्रणाली का एक केंद्रीय घटक है। इस वजह से रिक्स बैंक, स्वीडिश

वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के जोखिमों एवं खतरों का नियमित रूप से विश्लेषण करता है। तीसरे, अंतिम उधारदाता के रूप में अपने कार्य के कारण केंद्रीय बैंक वित्तीय संकट को कम करने हेतु चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पीपल्स बैंक आफ चायना के अनुसार, किसी भी देश में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में उसके केंद्रीय बैंक की 'स्वाभाविक भूमिका होती है क्योंकि वह अंतिम उधारदाता होता है और वित्तीय प्रणाली में चलनिधि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथे, कुछ ऐसे देशों में जहां बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन का कार्य एक सुपर रेग्यूलैटर अथवा प्रमुख संगठन को सौंपा गया हो और वह विभिन्न प्रकार के वित्तीय विनियामकों के बीच तालमेल स्थापित करता हो वहां केंद्रीय बैंक को उस ढांचे में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। कुछ केंद्रीय बैंक परिचालन की दृष्टि से वित्तीय प्रणाली स्थिरता हेतु इस समन्वित ढांचे के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आस्ट्रेलिया में काउंसिल ऑफ फाइनेंशियल रेग्यूलैटर्स की अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया (आरबीए) के गवर्नर करते हैं। इस काउंसिल में ट्रेजरी-राजकोषीय प्राधिकारी, केंद्रीय बैंक-मौद्रिक प्राधिकारी, आस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेग्यूलेशन अथारिटी - बैंकिंग विनियामक और आस्ट्रेलियन सेक्यूरिटीज एवं इन्वेस्टमेंट कमीशन (एएसआइसी)- पूंजी बाजार के विनियामक का समावेश है। इस तरह से आरबीए को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह विनियमन की दक्षता और प्रभावात्मकता तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में योगदान करे।

7.20 वित्तीय उथल-पुथल के देश-विदेश में फैल जाने की प्रवृत्ति के कारण पूरे विश्व में वित्तीय स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गयी है। मौजूदा संकट ने इसे सही ठहराते हुए वित्तीय स्थिरता के मुद्दे को सबसे आगे ला खड़ा किया है। अमेरिकी आवास बंधक क्षेत्र में सब प्राइम संकट के रूप में आरंभ हुए इस संकट ने धीरे-धीरे वैश्विक बैंकिंग संकट, वैश्विक वित्तीय संकट और अब एक वैश्विक आर्थिक संकट का रूप धारण कर लिया है। मौजूदा संकट के अलावा, हाल के वर्षों में मेक्सिको (1994), एशिया (1997), टर्की (1999) और अर्जेंटीना (2001) के संकट संबंधित देशों पर अत्यधिक भारी पड़े और पड़ोसी देशों पर भी उनके स्वाभाविक गंभीर परिणाम हुए जिसकी वजह से सरकारें और बहुपक्षीय संस्थान वित्तीय संकट को रोकने

हेतु सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित हुए। जहां विश्व के समस्त देश *भीषण मंदी* के बाद आर्थिक गतिविधियों में आई इस सबसे बड़ी गिरावट का सामना करने के लिए अपने आपको समर्थ बनाने में जुटे हुए हैं वहीं पूरे विश्व में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर भी नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। वित्तीय अस्थिरता को बढ़ावा देनेवाले कुछ कारक हैं - समष्टि आर्थिक नीतियों को कायम न रख पाना, डावांडोल वित्तीय प्रणालियां, विनियामक अंतर, संस्थागत कमजोरियां और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्वरूप की संरचनागत कमियां। यह मान लिया गया है कि वित्तीय सुस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा विफलता-मुक्त उपाय नहीं है, क्योंकि अस्थिरता वित्तीय बाजारों का एक आंतरिक अंग है। तथापि, बेहतर होगा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं ताकि व्यवधानकारी एवं भारी पड़नेवाली वित्तीय संकट की घटनाओं को कम किया जा सके। अतएव वित्तीय अस्थिरता को जन्म देनेवाले ऊपर उल्लिखित पांच कारणों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु देशों को सतर्क रहना होगा। इन उपायों में वित्तीय कमजोरियों के समष्टि आर्थिक स्रोतों पर रोक लगाना, वित्तीय संरचना को मजबूत बनाना और यदि वित्तीय संकट पैदा हो जाए तो उसके शीघ्र और

त्वरित निपटान हेतु तत्पर उपचारात्मक उपायों को अपनाना शामिल हैं।

7.21 केंद्रीय बैंकों के वित्तीय स्थिरता लक्ष्य, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को प्रकाशित करने के अधिदेश, रिपोर्ट के शीर्षक, इस प्रकाशन के आरंभ, आवधिकता और आकार, प्रसार नीति, अध्यायों के निर्धारण, कवरेज और विभिन्न रिपोर्टों में अपनाई गई प्रणालियों से जुड़े कई मुद्दे हैं। कुछ संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया गया है, जैसे कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करनेवाला केंद्रीय बैंक क्या बैंक विनियामक भी है अथवा नहीं और क्या किसी विधिक व्यवस्था के माध्यम से केंद्रीय बैंक को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के कार्य के लिए अधिदेश दिया गया है (अनुबंध VII.1)।

7.22 वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के लिए नीति निर्माताओं और शोधकर्ता विद्वानों ने कई मात्रात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। निगरानी घटकों के अलावा आइएमएफ (आइएमएफ, 2006) द्वारा तैयार वित्तीय सुस्थिति संकेतकों का संग्रह ऐसे संकेतकों के उदाहरण हैं जो बाजार दबावों, बाह्य अस्थिरता और बैंकिंग प्रणाली अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुबंध सारणी VII.2, संबंधित

बाक्स VII.2: वित्तीय स्थिरता के महत्वपूर्ण खंड और चर

सबसे पहले, *वास्तविक क्षेत्र* सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि, सरकार की राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति से आकार लेता है। जीडीपी वृद्धि संपदा निर्माण करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता और उसके क्रियाकलापों में तेजी (ओवरहीटिंग) के जोखिम को दर्शाती है। सरकार की राजकोषीय स्थिति राजस्व से अधिक उसके खर्चों के लिए वित्तपोषण पाने की (और वित्तपोषण की अनुपलब्धता की स्थिति में देश की अस्थिरता से संबद्ध) सरकार की योग्यता का परिचायक है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की संरचनागत समस्याओं और उससे जुड़ा जनता के असंतोष को दर्शाती है जिससे आगे चलकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।

दूसरे, *कापॉरिट क्षेत्र* के जोखिम का आकलन उसके लीवरेज और खर्चों के अनुपात, इक्विटी के लिए उसका निवल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और ऋणदाताओं से बचाव के बहुत से तरीकों के आधार पर किया जा सकता है।

तीसरे, *घरेलू क्षेत्र* की स्थिति का पता उसकी निवल आस्तियों (आस्तियों में से देयताओं को घटाकर) और निवल प्रयोज्य आय (अर्जन में से उपभोग को घटाकर और फिर उसमें से ऋण चुकौती एवं मूलधन की अदायगी को घटाकर प्राप्त आय) से लगाया जा सकता है। निवल आस्तियों और निवल प्रयोज्य अर्जन से घरेलू क्षेत्र में (अकस्मात्) घटित होनेवाली मंदी का सामना करने की क्षमता का आकलन किया जा सकता है।

चौथे, *बाह्य क्षेत्र* की स्थितियों का पता वास्तविक विनियम दर, विदेशी मुद्रा भंडार, चालू खाता, पूंजी प्रवाह और परिपक्वता/करेंसी विसंगतियों से चलता

है। ये चर पूंजी अंतर्वाह की दिशा में हुए अकस्मात् बदलावों, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में हुई गिरावट और घरेलू उधार के लिए मिलनेवाले विदेशी वित्तपोषण के बने रहने के परिचायक हो सकते हैं।

पांचवें, *वित्तीय क्षेत्र* में मौद्रिक समुच्चयों, वास्तविक ब्याज दरों, बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम उपायों, बैंकों के पूंजी और चलनिधि अनुपातों, उनकी ऋण बही की गुणवत्ता, स्टैंड अलोन क्रेडिट रेटिंग और उनके उधारी क्रियाकलापों के केंद्रीकरण/प्रणालीगत फोकस का समावेश होता है। ये सभी प्राक्सी बैंकिंग अथवा वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं का आईना हो सकते हैं और यदि कोई संकट आता है तो ये वास्तविक अर्थव्यवस्था पर उस संकट के प्रभाव का मापन कर सकते हैं।

अन्तिम, *वित्तीय बाजारों* की स्थिति को दर्शानेवाले चर हैं शेयर सूचकांक, कापॉरिट स्प्रेड, चलनिधि प्रीमियम और अस्थिरता। जोखिम स्प्रेड का उच्च स्तर निवेशकों द्वारा जोखिम वहन करने की क्षमता के क्षरण को दर्शाता है और संभवतः शेष अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण की समस्या का भी परिचायक है। चलनिधि में आनेवाले व्यवधान अर्थव्यवस्था के भीतर ही अधिशेष निधियों को दक्षतापूर्वक निवेश करने की बाजार की क्षमता की वजह से हो सकते हैं।

संदर्भ:

ब्लेज गैडनेक एवं कौशिक जयराम (2009), वित्तीय स्थिरता के उपाय - एक समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक।

सामग्री में सामान्य तौर पर प्रयुक्त उपायों; उनकी बारंबारता, वे किसका मापन करते हैं और साथ ही उनके संकेतक गुणों का सारांश प्रस्तुत करती है। जैसा कि देखा जा सकता है छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है (बॉक्स VII.2 और अनुबंध VII.2)।

7.23 वित्तीय स्थिरता के आम विश्लेषण में कई क्षेत्रों के घटकों को अलग-अलग अथवा एक साथ प्रयोग किया जाता है। वित्तीय स्थिरता के मूल संकेतकों के रूप में वित्तीय सुस्थिति के संकेतकों सहित ऐसे साधनों का प्रयोग उनके बेंचमार्क और आरंभ पर निर्भर करता है जो साधारण समय एवं दबाव के समय उनके व्यवहार को तय करते हैं। बेंचमार्क की अनुपस्थिति में इन साधनों का विश्लेषण प्रवृत्तियों के बदलावों, प्रमुख व्यवधानों और अन्य बाहरी कारकों की पहचान पर निर्भर करता है।

7.24 चूंकि जोखिम आकलन एक अनवरत प्रक्रिया है और समष्टि आर्थिक लिकेज सहित दूसरे दौर के प्रभावों और संसर्गजन्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस टेस्ट किया जाना चाहिए, अतएव वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की घोषणा किये जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक में एक अंतर अनुशासित वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) की स्थापना की गई जो प्रणालीगत कमजोरियों पर निगरानी रखेगी और उन्हें दूर करने के उपाय ढूंढेगी। आगे चलकर यह इकाई वित्तीय स्थिरता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

4. वित्तीय स्थिरता के लिए विश्व-व्यापी पहलें

7.25 संकट ने इस बात का एक जबरदस्त वादविवाद पैदा किया है कि वित्तीय स्थिरता का बचाव कैसे किया जाए। अनेक सबक स्पष्ट हैं। पहला, यह बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम करना और केंद्रीय बैंकों को चाहिए कि वे असंतुलनों का जमाव रोकने के लिए चक्रीयतारोधी (काउंटर साइक्लिकल) नीतिपरक कार्य करें। दूसरा, इस अभिमत पर एक आम सहमति बन रही है कि केंद्रीय बैंकों के अधिकार-क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता स्पष्टतः शामिल होनी चाहिए। तीसरा, इस बात को अधिकाधिक मान्यता मिल रही है कि वित्तीय स्थिरता को व्यष्टि और समष्टि दोनों ही दृष्टिकोणों से समझने और बनाये रखने की आवश्यकता है। व्यष्टि स्तर पर, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अलग-अलग संस्थाएं स्वस्थ, सुरक्षित और

सुदृढ़ हों और साथ ही हमें समष्टि स्तर पर वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग - हाल ही के कदम

7.26 हाल ही में वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने हेतु प्रस्ताव बनाने के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय उपाय किए गए हैं। इस संबंध में किए गए प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- हाल ही में कई रिपोर्टें जारी की गई हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉरम (अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड) की 'इनहान्सिंग मार्केट एन्ड इंस्टिट्यूशनल रिजिलियन्स' पर रिपोर्ट, 'द फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स ऑफ फाइनेंशियल रेग्युलेशन' पर जिनेवा रिपोर्ट, 'द हाइ लेवल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल सुपरविजन इन दि ई. यू.' पर लॉरोशियर रिपोर्ट और 'रेग्युलेटरी रिस्पान्स टु द ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस' पर टर्नर रिव्यू।
- जी-20 देशों ने भी कई पहलें की हैं। वॉशिंगटन में नवंबर 2008 में आयोजित शिखर-सम्मेलन में जी-20 देशों ने एक कार्य-योजना तैयार की है और चार कार्य-दलों का गठन किया है, जो इस प्रकार हैं - (i) सुदृढ़ विनियमन को बढ़ाना और पारदर्शिता को मजबूत करना; (ii) अंतराष्ट्रीय सहयोग को प्रबलित करना और वित्तीय बाजारों में सत्यनिष्ठता को प्रोन्नत करना; (iii) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार; और (iv) विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक।
- जी-20 के नेतागण 2 अप्रैल 2009 को दुबारा लंदन में मिले और उन्होंने 'ग्लोबल प्लान फॉर रिकवरी एन्ड रिफॉर्म' तैयार किया। जी-20 ने वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यतः 'इनहान्सिंग साउंड रेग्युलेशन एन्ड स्ट्रेन्थेनिंग ट्रॉन्सपैरेन्सी' के दल की सिफारिशों के अनुसार एक घोषणा भी की है। घोषणा में अंतरराष्ट्रीय निकायों की सदस्यता में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विवेकपूर्ण विनियमनों, विनियमनों की व्याप्ति, क्षतिपूर्ति, कर पनाह वाले देशों और गैर-सहकारी क्षेत्राधिकारों, लेखांकन मानकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संबंध में दूरगामी सुधार लाने लिए सहमति जताई गई है।

- विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के उपायों के एक विस्तृत सेट की समीक्षा करने के लिए 4-5 सितंबर 2009 के दौरान लंदन में जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक बैठक हुई जिसमें यह सहमति बनी कि 'स्थिति को बहाल करने और सुधारों के लिए वैश्विक योजनाट को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन जारी रखा जाए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता बोर्ड के रूप में पुनःनामित वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ)का भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हुए विस्तार किया गया है और उसे सौंपे गये सभी कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है। एफएसएफ वित्तीय प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित करने वाली कमजोरियों का आकलन और उनसे निपटने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की पहचान और उसपर निगरानी रखने संबंधी अपने नियत कार्यों के साथ-साथ बाजार की गतिविधियों पर सलाह देगा और अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक मानकों की पूर्ति करने में सर्वोत्तम पद्धतियों पर निगरानी रखेगा।
- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) का भी विस्तार किया गया और उक्त समिति में एक सदस्य को नामित करने के लिए भारत से आग्रह किया गया। तदनुसार, श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर को बीसीबीएस के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।
- 30 के समूह (जी-30) ने विवेकपूर्ण विनियमनों और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 15 जनवरी 2009 को 'फाइनेंशियल रिफॉर्म - ए फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी' पर रिपोर्ट का विमोचन किया।

विनियामक और पर्यवेक्षी पहलें

7.27 बीस के समूह (जी-20) ने विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक सुधारों का प्रवर्तन किया है। समूह ने इस संबंध में कई सिफारिशों की हैं/कार्य-योजनाएं बनाई हैं और इन सिफारिशों की क्रियान्वयन योजना पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालयों, राष्ट्रीय वित्तीय विनियामकों और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों, केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड और तत्तुल्य संगठनों को सौंपा है।

बीस का समूह (जी-20)

7.28 'इन्हेन्सिंग साउंड रेग्युलेशन एवं स्ट्रेथनींग ट्रैस्पेरन्सी' पर गठित जी-20 के कार्यदल-1 की रिपोर्ट (मार्च 2009) में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों को मजबूत करने की सिफारिशों की गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें ये हैं: (i) वित्तीय विनियमन के प्रति प्रणाली-व्यापी दृष्टिकोण अर्थात् व्यष्टिगत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के पूरक के रूप में समष्टिगत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, (ii) सर्वांगी महत्वपूर्ण संस्थाओं, बाजारों और निजी पूंजी के पूल सहित लिखतों को शामिल करते हुए विनियमन और पर्यवेक्षण का दायरा बढ़ाना, (iii) पूंजी और चलनिधि बफरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ाना, (iv) लेखांकन ढांचों एवं पूंजीगत विनियमन के अनुचक्रिय पहलुओं से निपटना, (v) चलनिधि विशेषकर बृहद और जटिल सीमापार बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन और, (vi) ओटीसी डेरिवेटिव विशेषकर प्रणालीगत जोखिमों को सीमित करने के लिए क्रेडिट चूक स्वैपों के लिए बुनियादी सुविधा।

7.29 'रीइन्फोर्सिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एण्ड प्रमोटिंग इन्टेग्रिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स' पर गठित जी 20 के कार्यदल 2 (मार्च 2009) ने अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक सहयोग को मजबूत करने, सीमापार संकट प्रबंधन और आइएमएफ एवं एफएसबी द्वारा संयुक्त एवं नियमित रूप से पूर्व चेतावनी अभ्यासों हेतु आवश्यक कदम अठाये जाने की सिफारिशें की हैं। इस समूह ने सभी प्रमुख सीमापार वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी महाविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश की है और एफएसबी और प्रमुख सीमापार वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न देशी पर्यवेक्षकों से उन्नत सीमापार पर्यवेक्षी सहयोग, पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था में सुधार लाने और विशेषकर वित्तीय संकट के दौर में सीमापार संकट प्रबंधन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की समीक्षा करने और निगरानी रखने की अपील की है। समूह ने यह पाया है कि बैंकिंग पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय सहमति ज्ञापन एक प्रमुख

माध्यम है। अतः, सूचना के द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए समूह ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिती को अपने टेम्प्लेट 'एसेंन्शियल एलिमेन्ट्स ऑफ ए स्टेटमेन्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन बैंकिंग सुपरवाइजर्स को अद्यतन करने की सलाह दी है।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

7.30 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने ऐसी पहलें की हैं जो विश्व में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सृजित दबावों को कम करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्तीय संकट से ली गई प्रमुख सीखों के समाधान के लिए प्रस्तावित हैं। इन पहलों से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि बैंक ऐसे उच्चतर पूंजी मानक अपनायेंगे जो कि अल्पावधि में तनाव बढ़ाये बिना दीर्घकालिक स्थिरता और बनाये रखने लायक संवृद्धि को प्रोन्नत करेंगे।

न्यूनतम विनियामक पूंजी ढांचे को मजबूत करना

7.31 बासेल समिति ने जुलाई 2009 में ऐसे पूंजी-बफरों के निर्माण को प्रोन्नत करने के लिए, जिनका उपयोग तनाव की अवधियों में किया जा सकता है, के मौजूदा पर्यवेक्षी पूंजीगत ढांचे को विशेषकर बैंक-पूंजी की गुणवत्ता को मजबूत करने तथा बासेल-II के पश्चरोधक (बैंक स्टॉप) के रूप में एक लीवरेज अनुपात शुरू करने के नये मानकों का प्रस्ताव किया है। यह समिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की अतिरिक्त चक्रीयता को कम करने तथा प्रवधानीकरण के प्रति अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय कर रही है।

7.32 समिति ने 'रिविजन्स टु-द बासेल-II मार्केट रिस्क फ्रेमवर्क' और 'ग्राइडलाइन्स फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल फॉर इन्क्रीमेन्टल रिस्क इन द ट्रेडिंग बुकः' पर दिशानिर्देश जारी किये हैं, जो 2010 के अंत में प्रभावी होने की आशा है, और जटिल व्यापारिक कार्यकलापों की ऋण जोखिम से निपटने हेतु उच्चतर पूंजीगत अपेक्षाएं आरंभ की हैं। समिति ने पिलर-1 में कतिपय प्रतिभूतिकरणों के लिए विनियामक कार्य-विधि को मजबूत करने हेतु कार्रवाई शुरू की है। इसने पुनः

प्रतिभूतिकरण एक्स्पोजरों (एबीएस के तथाकथित सीडीओ) के लिए उच्चतर जोखिम भार निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है ताकि इन उत्पादों की अंतर्निहित जोखिम बेहतर ढंग से प्रकटित हो जाए।

स्ट्रेस-टेस्ट परीक्षण के सिद्धांत

7.33 स्ट्रेस-टेस्ट एक ऐसा साधन (टूल) है जो जोखिम प्रबंधन के अन्य दृष्टिकोणों एवं उपायों के पूरक का काम करता है। इस वित्तीय संकट ने समग्रतः चार व्यापक क्षेत्रों में इसके शुरू होने के पूर्व अपनाई गई स्ट्रेस-टेस्ट पद्धतियों की कमजोरियों को उजागर किया है। ये क्षेत्र हैं - (i) जोखिम गवर्नेंस में स्ट्रेस-टेस्ट और अनुकूलन (ii) स्ट्रेस-टेस्ट कार्य-प्रणालियां, (iii) परिदृश्य चयन; और (iv) विशिष्ट जोखिमों और उत्पादों का तनाव-परीक्षण। मई 2009 में बासेल समिति ने सुदृढ़ स्ट्रेस-टेस्ट पद्धतियों और पर्यवेक्षण के सिद्धांत सुझाये हैं (बॉक्स VII.3)।

पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का विवर्धन

7.34 समिति ने संकट द्वारा उद्घटित जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की कमियों से निपटने के लिए बासेल-II के पिलर 2 (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया) के अंतरगत अनुपूरक मार्गदर्शन जारी किया है। यह मार्गदर्शन तुलन-पत्र में न आनेवाले ऋणों और प्रतिभूतिकरण संबंधी कार्यकलापों की जोखिम को शामिल करते हुए फर्म-व्यापी गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन, जोखिमों के संकेंद्रणों के प्रबंधन और दीर्घावधि में जोखिम और प्रतिलाभ के बेहतर प्रबंधन के लिए बैंकों को प्राप्ताहन प्रदान करने हेतु मानकों को उन्नत करता है। इस मार्गदर्शन में वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा अप्रैल 2009 में जारी 'प्रिन्सिपल्स फॉर साउंड कम्पन्सेशन प्रैक्टिसेस' समाहित है।

बाजार अनुशासन

7.35 संकट के दौरान यह पाया गया कि प्रभावी बाजार अनुशासन में संरचित उत्पादों की अपर्याप्त पारदर्शिता गतिरोध पैदा करती है। उन आस्तियों अपने अधिकार में रखने वाले बैंकों के जोखिम प्रोफाइलों और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में पारदर्शिता का अभाव था। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप, प्रतिभूतिकरणों, तुलन-पत्र में न आनेवाली ऋण जोखिमों और व्यापारिक गतिविधियों के प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं

बॉक्स VII.3: सुदृढ़ तनाव-परीक्षण पद्धतियों और पर्यवेक्षण के सिद्धांत बैंकों के लिए सिद्धांत

जोखिम गवर्नेंस में तनाव-परीक्षण और एकीकरण का प्रयोग

1. तनाव-परीक्षण बैंक के समग्र गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन संस्कृति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तनाव-परीक्षण कार्रवाई करने योग्य होना चाहिए क्योंकि तनाव-परीक्षण विश्लेषण के परिणामों का प्रभाव बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र के रणनीतिपरक कारोबारी निर्णयों सहित उपयुक्त प्रबंधकीय स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों पर पड़ता है। तनाव-परीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उसमें बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का शामिल होना अत्यावश्यक है।
2. बैंक को एक ऐसा तनाव-परीक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए जो जोखिम की पहचान और नियंत्रण को प्रोत्साहित करता हो; जोखिम प्रबंधन के अन्य उपायों को एक पूरक जोखिम दृष्टिकोण प्रदान करता हो; पूंजी और चलनिधि प्रबंधन को सुधारता हो और आंतरिक तथा बाह्य संप्रेषण को बढ़ाता हो।
3. तनाव-परीक्षण कार्यक्रमों को समस्त संगठन के मतों को ध्यान में रखना चाहिए और उनमें तरह-तरह के दृष्टिकोण और तकनीकें शामिल होनी चाहिए।
4. बैंक के पास तनाव-परीक्षण कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाली लिखित नीतियां और कार्य-प्रणालियां होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के परिचालन को उपयुक्त ढंग से प्रलेखित किया जाना चाहिए।
5. बैंक के पास उपयुक्त तथा ठोस बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए जो भिन्नता के उचित स्तर पर अलग-अलग तथा संभवतः बदलते तनाव-परीक्षणों को अंगीकार करने में पर्याप्त रूप से लचीली हो।
6. बैंक को चाहिए कि वह अपने तनाव-परीक्षण ढांचे को नियमित रूप से बनाये रखे और अद्यतन करे। तनाव-परीक्षण कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता एवं अलग-अलग प्रमुख घटकों की मजबूती का नियमित और स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

तनाव-परीक्षण कार्यपद्धति और परिदृश्य चयन

7. तनाव-परीक्षणों में तरह-तरह की जोखिमों और कारोबार क्षेत्र शामिल होने चाहिए जिनमें फर्म-व्यापी स्तर वाले परीक्षण भी शामिल हों। बैंक को फर्म-व्यापी जोखिम का पूरा चित्र प्रस्तुत करने के लिए अपनी तरह-तरह की तनाव-परीक्षण गतिविधियों को सार्थक तथा प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए।
8. तनाव-परीक्षण कार्यक्रमों में दूरगामी परिदृश्यों सहित तरह-तरह के परिदृश्य शामिल होने चाहिए और उनका लक्ष्य प्रणाली-व्यापी संपर्कों और प्रतिसूचनाओं को भी हिसाब में लेने का होना चाहिए।
9. तनाव परीक्षणों में अनेक गंभीर स्थितियां शामिल होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं भी शामिल होनी चाहिए जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाने में सक्षम हों, चाहे यह हानि आकार द्वारा हो अथवा प्रतिष्ठा में कमी से हो। किसी भी तनाव-परीक्षण कार्यक्रम को यह भी निर्धारित करना होगा कि कौन-कौन से परिदृश्य बैंक की व्यवहार्यता को चुनौती दे सकते हैं (उलटा तनाव-परीक्षण) जिससे छुपी हुई जोखिमों और जोखिमों के बीच संबंधों का अनावरण हो जाता है।
10. समग्र तनाव-परीक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किसी भी बैंक को चाहिए कि वह निधीयन और आस्ति बाजारों में साथ-साथ होने वाले तनावों और एक्सपोजर के मूल्य-निर्धारण पर बाजार चलनिधि में कमी के प्रभाव को ध्यान में रखने का लक्ष्य बनाए।

सर्वेक्षण के विशिष्ट क्षेत्र

बैंकों के लिए जारी निम्नलिखित सिफारिशें जोखिम को कम करने और जोखिम अंतरण के विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित हैं जो वित्तीय संकट से उजागर हुए हैं।

11. जोखिम को कम करने की तकनीकों की कारगरता प्रणालीबद्ध रूप से परखी जानी चाहिए।
12. इस तनाव-परीक्षण कार्यक्रम में प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर जैसे जटिल और आवश्यकतानुसार बनाए गए उत्पाद स्पष्ट रूप से कवर किए जाने चाहिए। प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए तनाव-परीक्षण के समय अंतर्निहित आस्तियों, प्रणालीगत बाजार तत्वों में उनके एक्सपोजर, संबद्ध संविदात्मक व्यवस्था तथा अंतर्लिप्त उत्प्रेरकों पर विचार किया जाना चाहिए और लीवरेज के प्रभाव पर भी विशेषकर विचार करना होगा क्योंकि यह निर्गम के ढांचे के कम महत्व के स्तर से संबंधित है।
13. तनाव-परीक्षण कार्यक्रम में पाइपलाइन और वेअरहाउसिंग जोखिमें शामिल होनी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ऐसे एक्सपोजरों को उनकी छानबीन की संभाव्यता पर ध्यान दिये बिना अपने तनाव-परीक्षण में शामिल करना होगा।
14. प्रत्येक बैंक को अपनी तनाव-परीक्षण पद्धतियों में सुधार लाना चाहिए ताकि प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम के प्रभाव को दर्ज किया जा सके। बैंकों को चाहिए कि वे अपने तनाव-परीक्षण कार्यक्रम में तुलन-पत्र से इतर साधनों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं से होने वाली जोखिमों का एकीकरण करें।
15. प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह विशिष्ट आस्ति श्रेणियों अथवा बाजार के उतार-चढ़ाव से संबंधित अपनी कमजोरियों पर विचार करते समय अत्यधिक लीवरेज वाली काउंटरपार्टियों के लिए और जोखिमों को कम करने की तकनीकों से संबंधित संभावित अनुचित जोखिम का मूल्यांकन करने के अपने तनाव-परीक्षण दृष्टिकोणों को उन्नत बनाए।

पर्यवेक्षकों के लिए सिद्धांत

16. पर्यवेक्षकों को प्रत्येक बैंक के तनाव-परीक्षण कार्यक्रम का नियमित और विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए।
17. पर्यवेक्षक प्रबंधतंत्र से यह अपेक्षा करें कि यदि तनाव-परीक्षण कार्यक्रम में वस्तुनिष्ठ कमियां पहचानी गयी हों अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तनाव-परीक्षणों के परिणामों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।
18. पर्यवेक्षकों को फर्म-व्यापी परिदृश्यों की व्याप्ति और गंभीरता का आकलन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उस पर प्रश्न चिह्न लगाएं। पर्यवेक्षक बैंकों से विशिष्ट संविभागों अथवा मानदंडों के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण करने, विशिष्ट परिदृश्यों का प्रयोग करने अथवा ऐसे परिदृश्यों जिनके अंतर्गत व्यवहार्यता खतरे में है (उलटे तनाव-परीक्षण परिदृश्यों), का मूल्यांकन करने के लिए कह सकते हैं।
19. बासेल-II ढांचे के स्तंभ-2 (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया) के अंतर्गत पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे बैंक के आंतरिक पूंजी आकलन और उसके चलनिधि जोखिम प्रबंधन दोनों की पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा के हिस्से के रूप में बैंक के तनाव-परीक्षण परिणामों की जांच करें। पर्यवेक्षक विशेषकर, पूंजी और चलनिधि की पर्याप्तता को आकलन करने के लिए दूरगामी तनाव-परीक्षण के परिणामों पर विचार करें।
20. पर्यवेक्षकों को सामान्य परिदृश्यों के आधार पर तनाव-परीक्षण के अभ्यासों के कार्यान्वयन पर विचार करना चाहिए।

संदर्भ:

1. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (2009): 'प्रिन्सिपल्स फॉर साउंड स्ट्रेस टेस्टिंग प्रैक्टिस एण्ड सुपरविजन', मई।

को सुदृढ़ करने के लिए समिति ने पिलर 3 (बाजार अनुशासन) को उन्नत करने का प्रस्ताव किया है। इन अतिरिक्त प्रकटीकरण अपेक्षाओं से पूंजी बाजार गतिविधियों से संबंधित बैंकों के तुलन-पत्रों की मजबूती संबंधी बाजार अनिश्चितताओं को कम करने में मदद मिलेगी।

बैंक और प्रणाली-व्यापी स्तर पर चलनिधि निधीयन ढांचों को मजबूत करना

7.36 चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी कमियों और वित्तीय संकट से ली गई सीख के प्रतिसाद में बासेल समिति ने सितंबर 2008 में 'प्रिन्सिपल्स ऑफ साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेन्ट एण्ड सुपरविजन' जारी किया। इन सिद्धांतों का निर्गम टोस चलनिधि जोखिम मापन, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के निमित्त नये वैश्विक मानक निर्धारित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मानक के अंतर्गत बैंकों को चाहिए कि वे जमानती व गैर-जमानती दोनों निधीयनों की हानि सहित तनाव की तरह-तरह की घटनाओं को सहने के लिए अति-चल-आस्तियों का पर्याप्त बफर रखें। ये सुदृढ़ सिद्धांत उक्त वैश्विक मानक को बैंकिंग संगठनों में चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए मजबूत ढांचे के प्रमुख तत्वों से संबंधित पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के एक सुसंगत समूह में परिवर्तित करता है। समिति की यह आशा है कि वर्ष के अंत तक प्रस्तावित ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा और 2010 में मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन और जनता के साथ परामर्श किया जाएगा।

समष्टिगत विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना/ अनुचक्रीयता का समाधान

7.37 बीसीबीएस ने एक ऐसा सम्यक विवेकपूर्ण विन्यास शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो बैंकिंग प्रणाली में अनुचक्रीय (प्रोसाइक्लिकल) गतिशीलता को कम करेगा तथा वैश्विक बैंकिंग संगठनों के आकार और आपसी संबंधों से उभरती प्रणालीगत जोखिम का समाधान करेगा। समय अनुकूल होने पर बफरों को बनाने का प्रयास किया जाता है जिनका प्रयोग प्रतिकूल आर्थिक व वित्तीय स्थितियों में किया जा सकता है जिससे आर्थिक चक्र में उतार-चढ़ाव का प्रवर्धन कम हो जाता है। बफर पूंजी प्रतिक्रिय कार्य करेगी। इसके अलावा, अनुकूल समय में बैंकों से प्रावधानों को बढ़ाये जाने

की अपेक्षा की जानी चाहिए। बीसीबीएस ने प्रतीक्षित हानियों के आधार पर अधिक मजबूत प्रावधानों को प्रान्त करने के लक्ष्य से आईएस 39 को संशोधित करने में लेखांकन मानक निर्धारकों की मदद करने के लिए सिद्धांत जारी किये हैं।

7.38 एफएसबी ने 'एड्रेसिंग प्रोसाइक्लिसिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम' पर एक रिपोर्ट (अप्रैल 2009) जारी की है। एफएसबी ने यह पाया है कि अनुचक्रीयता का समाधान विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचों के समष्टिगत विवेकपूर्ण अनुकूलन को मजबूत करने का एक अत्यावश्यक घटक है। इसने नीतिगत कार्य के लिए प्राथमिकताओं के रूप में तीन क्षेत्रों अर्थात् पूंजी व्यवस्था, बैंकों के प्रावधानीकरण प्रथाओं और मूल्य निर्धारण व लीवरेज के बीच का अंतर्व्यवहार की पहचान की है और समिति इन सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रख रही है।

ओटीसी डेरिवेटिव से होने वाली जोखिमों को कम करना

7.39 संकट के समय तनाव को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले ओटीसी डेरिवेटिव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पहलें की जा रही हैं। ओटीसी डेरिवेटिव एक्सपोजरों को केंद्रीय काउंटरपार्टियों और शेयर बाजारों को अंतरित करने के प्रयासों पर फोकस देते हुए राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय समितियों ने जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाये हैं। क्रेडिट चूक स्वैपों (सीडीएस) के लिए केंद्रीय काउंटरपार्टी (सीसीपी) के समाशोधन के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राष्ट्र में ऐसे सीसीपी समाशोधनों को पहले ही शुरू किया गया है। बासेल समिति द्वारा बासेल-II ढांचे के अंतर्गत काउंटरपार्टी ऋण जोखिम संबंधी कार्य की समीक्षा की जा रही है।

7.40 समिति यह अपेक्षा करती है कि बैंक और पर्यवेक्षक उक्त पिलर-2 मार्गदर्शन का कार्यान्वयन तत्काल शुरू करेंगे। पिलर -1 की नई पूंजी अपेक्षाओं तथा पिलर-3 के प्रकटीकरणों को 31 दिसंबर 2010 तक कार्यान्वित किया जा सकता है। संयुक्त रूप से इन उपायों और बासेल-II ढांचे में की गई बढ़ोतरियों से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पूंजी पर्याप्तता ढांचे में सभी महत्वपूर्ण एक्सपोजर शामिल हैं, उन्हें उपयुक्त पूंजी का

समर्थन है, जोखिम प्रबंधन व निमंत्रण को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया गया है और वे उपयुक्त ढंग से क्षतिपूर्ति तथा बोनसों से सहबद्ध हैं और जोखिम व पूंजी के संबन्ध का बेहतर प्रकटीकरण होता है।

सीमापारीय संकट प्रबंधन और बैंक समाधान (रिजोल्यूशन)

7.41 संकट ने सीमापार आकस्मिकता योजना और संकट प्रबंधन की ओर पर्यवेक्षणात्मक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। तदनुसार, एफएसबी ने सीमापार सहयोग और संकट प्रबंधन के लिए सिद्धांत निर्धारित किये हैं (अप्रैल 2009)। इसके अलावा, बासेल समिति के सीमापार बैंक विघटन समूह (सीबीआरजी) सीमापारीय बैंकों के संकट प्रबंधन तथा विघटन में सहयोग के संबंध में होने वाले संभावित अवरोधों और सुधारों का आकलन करने के लिए मौजूदा बैंक विघटन नीतियों तथा संबद्ध देशों के कानूनी ढांचे का विश्लेषण कर रहा है। हाल के संकट ने यह दर्शाया है कि मौजूदा कानूनी और विनियामक ढांचे/व्यवस्थाएं बहुविध एवं पृथक विधिक संस्थाओं के माध्यम से परिचालित वित्तीय समूह में तनावों/समस्याओं से निपटने के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित नहीं हैं और सीमापार और देशी दोनों वित्तीय समूहों के मामले में यह सही हो सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ है कि सर्वोत्तम पद्धतियां स्थानीय प्रकृति की हैं (रिंग-फेंसिंग)। उक्त समूह सीमापार संकट प्रबंधन और समाधान की निरंतरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सीमापार बैंक विघटन प्रणालियों के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भी बैंकों के दिवालियेपन से निपटने के प्रस्ताव जारी किये हैं।

पर्यवेक्षी ढांचा

7.42 संकट के उपरान्त संस्थाओं (उदा. बैंक, बीमा कंपनियों) के विधिक स्वरूप पर आधारित पर्यवेक्षणात्मक ढांचा, जो विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रति एक आधानात्मक (साइलो) दृष्टिकोण है, छोड़ देने और प्रमुखतः प्रणाली की स्थिरता में विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा अदा की जा रही भूमिकाओं (चलनिधि का प्रावधान, उधार लेना और मार्केट मेकिंग) के आधार पर विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचा अपनाने के लिए वार्ता जारी है।

7.43 यूरोप में, दी लॉरोशयर रिपोर्ट (फरवरी 2009) की सिफारिश के आधार पर यूरोपियन सिस्टमिक रिस्क बोर्ड (ईएसआरबी) की स्थापना की गई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यह प्रस्ताव किया गया है कि फेडरल रिजर्व भविष्य में प्रणालीगत पर्यवेक्षक बनेगा। फ्रांस में, सरकार ने ऐसा सुधार लाने का निर्णय लिया है जहां बैंकवे दी फ्रांस के तत्वावधान में 'सिस्टमिक' कॉलेज की छत्रछाया में बीमा और बैंकिंग पर्यवेक्षण का विलय किया जाएगा।

वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण : जारी पहलें

7.44 पहले ही की गई पहलों के अलावा, कई क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से अनेक पहलों पर कार्य प्रगति पर है:

- एक वैश्विक चलनिधि मानक को विकसित करना: यह पहचानते हुए कि बैंकों की अतरलता अपर्याप्त पूंजी की तरह उसकी ऋण चुकाने की क्षमता के लिए खतरा बन सकती है और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, चलनिधि जोखिम विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा विकसित करने का कार्य अब हो रहा है।
- सीमापार संस्थाओं के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना: सीमापार वित्तीय संगुटों की बढ़ती संख्या एवं जोखिम को संचारित करने में उनकी भूमिका को देखते हुए विनियामकों के बीच सीमापार सहयोग के लिए तथा पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की स्थापना के लिए व्यवस्था की जा रही है।
- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों की समीक्षा करना: ऐसा एक मत है कि वर्तमान में लागू कुछ लेखांकन मानक बाजार में अस्थिरता पैदा करने में सहायक बने हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड और लेखांकन मानक निकाय, मानकों विशेषकर वित्तीय लिखतों तथा उनके मूल्य-निर्धारण से संबंधित मानकों को संशोधित करने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
- विनियमन की परिधि बढ़ाना: बैंकेतर संस्थाओं पर लागू करने के लिए पंजीकरण, विनियामक प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को शासित करने वाला एक वैश्विक ढांचे को विकसित करने का कार्य अब हो रहा है। इस संबंध में प्रस्तुत किया जा

रहा सिद्धांत यह है कि यदि कोई संस्था बैंक की तरह दिखाई देती हो और बैंक के रूप में कार्य करती हो तो उसके विधक स्वरूप पर ध्यान न देते हुए बैंक के रूप में उस विनियमित किया जाना चाहिए।

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना: संकट ने ऋण-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों की इमानदारी, कार्यसंचालन और व्यवसाय मॉडल पर प्रश्न चिह्न लगाया है। जो सुधारात्मक पहलें की जा रही हैं उनमें ऋण-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों को अधिक सख्ती से विनियमित करना, परस्पर विरोधी हितों से निपटना, संरचित और अन्य उत्पादों की ऋण-श्रेणी-निर्धारणों के बीच विभेदीकरण और ऋण-श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता को मजबूत करना शामिल हैं।
- क्षतिपूर्ति संरचना को युक्तिसंगत बनाना: इस बात पर सहमति जताई गई है कि बड़ी वित्तीय संस्थाओं में क्षतिपूर्ति संरचना ने स्टाफ को अधिकाधिक लाभ कमाने हेतु अनिष्टकर प्रोत्साहनों को बढ़ावा दिया है जिससे उसकी दीर्घावधि निरंतरता की कीमत चुकानी पड़ी है। इन प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रमुख उद्देश्य ऐसी क्षतिपूर्ति योजनाओं को बढ़ावा देना है जिससे पिछले भुगतान दायित्वों सहित उठाई गई अंतर्निहित जोखिमों तथा भावी हानियों की स्थिति के आधार पर बोनस का पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजन करनेवाली, कराधान द्वारा भरपाई करने संबंधी शर्तों का पता चले।

5. भारतीय वित्तीय प्रणाली का मूल्यांकन

7.45 भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर अब भी बैंकों की वित्तीय मध्यस्थता का प्रभुत्व है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में वित्तीय उदारीकरण के साथ यद्यपि पूंजी बाजार का आकार उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुआ है, फिर भी बैंक मध्यस्थता उसकी प्रमुख विशेषता रही है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटकों की सात श्रेणियां हैं; जैसे - वाणिज्य बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां, विकास वित्तीय संस्थाएं तथा बीमा क्षेत्र। भारतीय वित्तीय परिदृश्य में वाणिज्य बैंक प्रमुख संस्थाएं हैं जिनका कुल आस्तियों में लगभग 60 प्रतिशत

हिस्सा है। सहकारी बैंकों को मिलाकर भारतीय वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों के लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बैंकिंग क्षेत्र का है।

7.46 पिछले दशकों में भारत की वित्तीय संस्थाओं को स्थिर समष्टि आर्थिक माहौल से निरंतर वृद्धि का लाभ हुआ है; विशेषकर 2003 के बाद जब भारत ने एक उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर रिकार्ड की थी जिसके साथ सामान्यतः मुद्रास्फीति का स्तर स्वीकार्य था। केवल 2008 में मुद्रास्फीति में अस्थायी विचलन था। क्रमिक और अंशशोधित वित्तीय क्षेत्र सुधारों से पिछले दस वर्ष में विभिन्न वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल को झेलने में वित्तीय संस्थाओं को सहायता मिली है। यह आघात सहन क्षमता भी वर्तमान में इस बात की गवाह है कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर अब तक प्रगत अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय उथल-पुथल का गंभीर रूप से असर नहीं हुआ है।

7.47 सरकारी क्षेत्र के बैंक, बैंकिंग प्रणाली के एक प्रमुख भाग के रूप में बने रहे। 31 मार्च 2009 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का 71.9 प्रतिशत तथा कुल अग्रिमों का 75.3 प्रतिशत हिस्सा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सुधार की एक अनूठी विशेषता थी उनकी वित्तीय पुनर्रचना की प्रक्रिया। उक्त बैंकों को सरकार ने पुनः पूंजीकृत किया था ताकि पुनः पूंजीकरण बांडों के जरिए विवेकपूर्ण मानदंडों की पूर्ति की जा सके। निजी शेयरधारकों को शेयर जारी करनेवाले, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं की ही तरह प्रकटीकरण और बाजार अनुशासन मानक लागू होंगे। विपदाग्रस्त आस्तियों की समस्या की ओर ध्यान देने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है ताकि स्वतंत्र वाणिज्यिक संस्था के रूप में परिचालित आस्ति पुनर्रचना कंपनी को ये आस्तियां बेचने की अनुमति दी जा सके।

7.48 बीसवीं सदी के अंतिम दशक के मध्य से वित्तीय संस्थाओं को एक नियंत्रित व्यवस्था के माहौल से बाजार निर्धारित ब्याज और विनिमय दरों की प्रमुखता वाली एक प्रणाली में अंतरित किया है तथा केंद्रीय बैंक का अंतरण प्रत्यक्ष और मात्रात्मक मौद्रिक नीति और परिचालनों से उसके मूल्याधारित लिखतों में किया गया है। तथापि, बढ़ते हुए वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र का और विस्तार तथा परिष्करण हुआ जिसने विशेषकर, बैंकिंग प्रणाली

के विनियमन और पर्यवेक्षण के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दीं। इस संदर्भ में मौजूदा विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना की क्षमता का भी सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की तुलना में न्यूनतम मानदंड लागू कर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

7.49 देश में वित्तीय क्षेत्र सुधार बीसवीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में शुरू किए गए। सुधार प्रक्रिया के कार्यान्वयन की कतिपय अनूठी विशेषताएं थीं। हमारे वित्तीय क्षेत्र सुधार, सुधार चक्र के आरंभ में किए गए जिससे बैंकिंग क्षेत्र के रूप में बड़ा परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से, सुधार प्रक्रिया न किसी बैंकिंग संकट से प्रभावित हुई और न ही किसी विदेशी सहायता पैकेज का वह नतीजा था। इसके अलावा, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर विचार कर, सुधारों का डिजाइन देशी विशेषज्ञों से बनवाया गया था। प्रयोग में लाए जानेवाले लिखतों और हासिल किए जानेवाले उद्देश्यों के अनुसार सुधारों को सावधानीपूर्वक अनुक्रम दिए गए थे। इस प्रकार, सुधार चक्र में प्रारंभ में विवेकपूर्ण मानदंड और पर्यवेक्षी मजबूती आरंभ की गई, जिसके बाद ब्याज दर अविनियमन और सांविधिक पूर्वक्रय अधिकारों को क्रमिक रूप से घटाना शुरू किया गया। विधिक और लेखाकरण उपायों के अधिक जटिल पहलुओं को उसके बाद में शुरू किया गया जब सुधारों के मूल सिद्धांत स्थापित हो चुके थे।

7.50 बैंकिंग प्रणाली के लिए विवेकपूर्ण विनियामक ढाँचे के संबंध में नियंत्रित ब्याज दर प्रणाली से लेकर अविनियमित ब्याज दरों तक अष्ट-स्तरीय स्वास्थ्य संहिता (हेल्थ कोड) की प्रणाली, निर्णयगत ऋण वर्गीकरण से वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित विवेकपूर्ण आस्ति वर्गीकरण, सरल सांविधिक न्यूनतम पूंजी तथा पूंजी-जमा अनुपात की आवश्यकता से जोखिम-संवेदनशील पूंजी पर्याप्तता मानदंडों तक एक लंबा रास्ता तय किया गया है; प्रारंभ में बासल I ढाँचे के अधीन और अब बासल II व्यवस्था के अधीन। बैंकों में समन्वित जोखिम प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने और अधिक पारदर्शी प्रकटीकरण मानकों के जरिए बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के बाद ठउपयुक्त और उचित मानदंड के जरिए कंपनी अभिशासन व्यवस्था में सुधार लाने पर अब बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नीति संबंधी उक्त प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ हमारे विनियामक मानदंडों को आधारभूत बनाने के लिए हैं।

निश्चय ही उसमें देशी अनिवार्यताओं और देश के संदर्भ को ध्यान में रखा है। विवेकपूर्ण विनियमों को तैयार करने में भारतीय रिजर्व बैंक का परामर्शी दृष्टिकोण मौजूदा विनियामक प्रणाली की पहचान है जिससे उक्त मामलों संबंधी व्यापक विभिन्न दृष्टिकोणों को विचार में लेना संभव हो सकता है। सुधारों में कार्यान्वयन का बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय स्वास्थ्य पर समग्रतः लाभदायी प्रभाव है जो कई विवेकपूर्ण मापदंडों, जैसे- पूंजी पर्याप्तता अनुपात आस्ति गुणवत्ता लाभप्रदता, आस्ति पर प्रतिलाभ और बैंकों की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधारों से परिलक्षित होते हैं।

वाणिज्य बैंक

7.51 कतिपय तुलनपत्र और लाभप्रदता संकेतक यह सूचित करते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अब वैश्विक न्यूनतम मानदंडों के साथ अच्छी तरह मेल खाते हैं। विभिन्न वित्तीय और स्वस्थता संकेतकों, जैसे - कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ, अनर्जक ऋण अनुपात और पूंजी स्तर की तुलना करके भारतीय बैंकिंग प्रणाली का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया गया है। (अधिक वर्षों के आंकड़ों के लिए सारणी VII-1 और सारणी VII-7 तथा विश्लेषण पैरा 2.38 में)।

7.52 लाभप्रदता के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त संकेतकों में से एक संकेतक है आस्ति पर प्रतिलाभ, जो बैंकिंग प्रणाली की वाणिज्यिक सुस्थिति दर्शाता है। भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आस्ति पर प्रतिलाभ मार्च 2008 के अंत में 1.0 प्रतिशत था (मार्च 2009 के अंत में 1.02 प्रतिशत) जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। कई प्रगत देशों में तथा कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आस्ति पर प्रतिलाभ एक प्रतिशत से कम था।

7.53 वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य से, बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता, जो कुल अग्रिमों के साथ अनर्जक ऋणों के अनुपात में परिलक्षित होती है, एक महत्वपूर्ण बैंकिंग स्वस्थता संकेतक है। अनर्जक ऋण अनुपात का निम्न स्तर न केवल बैंकिंग प्रणाली द्वारा अनुशासन की गई विवेकी व्यापार कार्यनीति को दर्शाता है बल्कि वह वसूली के लिए अनुकूल वातावरण और ऋणों की वसूली के विधिक

सारणी VII.1 : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की बेंचमार्किंग

(प्रतिशत)

देश	आस्तियों पर प्रतिलाभ	सकल अग्रिमों से सकल एनपीएल	सीआरएआर	एनपीएल के प्रति प्रावधान	आस्ति से पूंजी
1	2	3	4	5	6
भारत	1.0 *	2.3 *	13.0 *	52.6 *	6.4 **
उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं					
ब्राजील	1.1	4.3	18.5	157.3	9.2
मैक्सिको	1.2	3.8	15.2	143.7	9.1
रूस	0.5 *	7.6	18.5	90.8	13.6 *
चीन	1 *	1.8	12.0 *	134.3	5.4
संयुक्त अरब अमीरात	2.2 *	2.5 *	16.2	101.5 *	10.6 *
दक्षिण अफ्रीका	1.0	5.1	13.5	-	7.9 *
विकसित अर्थव्यवस्थाएं					
अमरीका	0.2	3.8	13.5	66.5	10.1
इंग्लैंड	-0.5 *	1.6 *	12.9 *	54.6 ^	4.4 *
जापान	0.2	1.7 *	13.4	25.5	3.6 *
फ्रांस	0.4 **	2.8 **	10.2 **	51.3 **	4.2 *
जर्मनी	0.3 **	2.7 **	12.9 **	56.7 *	4.5 *
इटली	0.3 *	5.5	10.8 *	46.1 *	6.6 *
कनाडा	1.3	0.9	10.3	29.8	5.8
कोरिया	0.5 *	1.5	12.9	125.3	9.5

* : आंकड़े 2008 से संबंधित हैं। ** : आंकड़े 2007 से संबंधित हैं। ^ : आंकड़े 2006 से संबंधित हैं।

टिप्पणी : आंकड़े 2009 से संबंधित हैं।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल, 2009

ढांचे को भी दर्शाता है। पर्याप्त ऋण जोखिम प्रणालियोंवाले बैंकों से यह अपेक्षित है कि उनके अनर्जक ऋण कम हों। भारत में, सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा किये गए कई उपायों से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनर्जक ऋणों का अपना स्तर मार्च 1997 के अंत के 15.7 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से घटाकर मार्च 2001 के अंत तक लगभग 11 प्रतिशत तक लाने में सहायता मिली। 2008 से 2009 के बीच एनपीएल अनुपात 2.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। अनर्जक ऋणों से प्रावधानीकरण का अनुपात किसी बैंक की उसके आस्ति मूल्य में हुई हानियों से सामना करने की क्षमता दर्शाता है। अनर्जक ऋणों से प्रावधानीकरण का निम्न अनुपात बैंकिंग प्रणाली को झटकों को सहने की दृष्टि से कमजोर बना देता है। मार्च 2008 के

अंत में भारतीय बैंकों का अनर्जक ऋणों से प्रावधानीकरण का अनुपात 52.6 प्रतिशत था जो अधिकांश उन्नत देशों के प्रावधानीकरण अनुपात से तुलनीय है।

7.54 बैंक जिन हानियों का सामना करता है बैंक की पूंजी उन हानियों के प्रति अंतिम बफर के रूप में कार्य करती है। न्यूनतम जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) बासल I और बासल II दोनों ढांचे में अधीन बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा 8 प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया गया है। भारतीय संदर्भ में, मार्च 2009 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र पूंजी पर्याप्तता 13.2 प्रतिशत थी जो 8 प्रतिशत के बासल मानदंड से तथा भारत में स्थित बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट 9 प्रतिशत के मानदंड

से काफी अधिक थी। 78 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक और केवल एक बैंक का 9 से 10 प्रतिशत के बीच था। भारतीय बैंकों का सीआरएआर अधिक उभरते बाजारों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप था। सीआरएआर का वैश्विक दायरा 2008 में 10 प्रतिशत और 28.7 प्रतिशत के बीच विभिन्न रहा। किसी बैंक की स्वस्थता को मापने का एक अन्य सरल उपाय है आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात। यह अनुपात जितना कम उतनी उस बैंक की लीवरेज अधिक और जोखिम अधिक। वैश्विक रूप से यह अनुपात 2008 में 3.5 प्रतिशत से 22.7 प्रतिशत तक विभिन्न रहा जबकि भारतीय बैंकों का आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात 6.3 प्रतिशत रहा जिसने लीवरेज का निम्न स्तर तथा उच्चतर स्थिरता सूचित की।

गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं

7.55 यद्यपि बैंकों का भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर प्रभुत्व है; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने वित्तीय बाजारों में अहम भूमिका निभाई है। वे अपनी अद्वितीय ताकद के साथ, मजबूत गैर-बैंकिंग वित्तीय बैंकों को नवोन्मेषक तथा भागीदार के रूप में पूरक बन सके। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रमुख ताकद उनके मजबूत ग्राहक संबंध, क्षेत्रीय गतिविज्ञान की अच्छी समझ, सेवा उन्मुखता तथा उन ग्राहकों तक पहुंचने की क्षमता में है जो बैंकों द्वारा अन्यथा उपेक्षित होगी। इससे ऐसी संस्थाएं वित्तीय समावेशन के लिए कारगर मार्ग बनती हैं।

7.56 हाल की वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल ने अन्य वित्तीय संस्थाओं, जो भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप परिचालन करती हैं, के ज़रिए सर्वांगीण स्थिरता पर हुए प्रभाव को उजागर किया है। भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज़) की दो स्थूल श्रेणियां हैं अर्थात् एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की हाल की वृद्धि प्रमुखतः - एनबीएफसी-एनडी के कारण हुई है। एनबीएफसी-डी खंड के वित्तीय संकेतक कोई महत्वपूर्ण बात नहीं दर्शाते और इनकी विशेषता है उच्च सीआरएआर, निम्न अनर्जक आस्तियां और आस्तियों पर उचित लाभ। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी-एसआइ

तीव्र गति से बढ़ रही हैं। यह क्षेत्र वित्तीय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार दर्शा रहा है और इसकी विशिष्टता है निम्न और घटती हुई अनर्जक आस्तियां और आस्तियों पर उच्च प्रतिलाभ।

7.57 अप्रैल 2007 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू विनियामक ढांचे के अनुभव की समीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसीज़ के मामले में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज़-एनडी-एसआइ) के लिए पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकताएं बढ़ा दीं और अक्टूबर 2008 में प्रकटीकरण के लिए विनिर्दिष्ट मनदंडों के साथ चलनिधि प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए। तथापि, इन एनबीएफसीज़ के लिए जोखिम भारत आस्ति की तुलना में 31 मार्च 2009 तक 12 प्रतिशत के और 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत के पूंजी अनुपात को लागू करना एक वर्ष तक इस दृष्टि से आस्थगित किया गया कि बाजार में ईक्विटी पूंजी जुटाने में कठिनाई थी क्योंकि वैश्विक रूप से आस्ति मूल्यों में तेज अधोमुखी परिवर्तन के साथ, वर्ष के उत्तरार्ध में बाजार में मंदी थी। कारोबार तथा विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए एनबीएफसीज़-एनडी-एसआइ को बेमियादी ऋण लिखत जारी करने की अनुमति दी गई। मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में चलनिधि और आस्ति देयता प्रबंधन के बेमेल होने की समस्या की ओर ध्यान देने के लिए रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसीज़-एनडी-एसआइ को आस्थायी उपाय के तौर पर, कतिपय शर्तों पर, अनुमोदन के अधीन अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार जुटाने की अनुमति दी है तथा एक विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीवी) के माध्यम से पात्र एनबीएफसीज़-एनडी-एसआइ को चलनिधि सहायता प्रदान की है।

7.58 तथापि इस क्षेत्र का अपने आस्ति आधार के निधीयन के लिए अल्पावधि निधियों का आश्रय लिया जाना चिंता का कारण है। उनकी निधीयन आवश्यकताओं का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उधारों का है। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति, 2009 (सीएफएसए-2009) ने कहा है कि एनबीएफसीज़ की निधि संबंधी आवश्यकताओं और निम्न-लागत जमाराशियों की उपलब्धता के अभाव पर गौर करते हुए, एक सक्रिय कंपनी बांड बाजार विकसित करने की आवश्यकता है जो निधि के वैकल्पिक स्रोत के रूप में कार्य कर सके।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस): पहलें

7.59 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) को रिजर्व बैंक की परिधि में आनेवाली वित्तीय संस्थाओं पर एकीकृत निरीक्षण सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है तथा उक्त बोर्ड रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहल के पीछे प्रमुख मार्गदर्शी शक्ति के रूप में है।

7.60 बीएफएस वाणिज्य बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित निरीक्षण के निष्कर्षों और बैंकों की कार्यपद्धति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे खातों का समामेलन, धोखाधड़ी पर निगरानी, विदेशी परिचालन और मासिक निगरानी के अधीन आनेवाली बैंकों संबंधी आवधिक रिपोर्टों की समीक्षा करता है। इसके अलावा बीएफएस सूक्ष्म और स्थूल विवेकपूर्ण संकेतकों, बैंकिंग दृष्टिकोण और ब्याज दर के उतार-चढ़ावों के विश्लेषण की भी समीक्षा करता है। वह अलग-अलग बैंकों तथा बैंकिंग प्रणाली की समग्र कार्यपद्धति को मजबूत बनाने की दृष्टि से कई निदेश भी जारी करता है। बीएफएस ने जुलाई 2008 से जुलाई 2009 तक की अवधि में आठ बैठकें कीं। इन बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ बीएफएस ने 2008-09 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कार्यनिष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया। उसने 70 निरीक्षण रिपोर्टों (सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 27, निजी क्षेत्र के बैंकों की 16, विदेशी बैंकों की 20, स्थानीय क्षेत्र बैंकों की 4 तथा वित्तीय संस्थाओं की 3 रिपोर्टें) की समीक्षा की। 2008-09 के दौरान बीएफएस ने जिन मामलों पर विचार-विमर्श किया उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

- वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में, बीएफएस को दोषपूर्ण आस्तियों में भारतीय बैंकों के न्यूनतम एक्सपोजर के बारे में तथा बैंकों की जोखिम प्रबंधन और चलनिधि प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आरंभ किए गए विनियामक उपायों के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जानकारी दी गई। बीएफएस को सूचित किया गया कि बैंकों के निवेश संविभाग की गहन जाँच वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के भाग के रूप में की जा रही थी। बीएफएस ने अपना ध्यान मासिक आधार पर ऋण

डेरिवेटिव और भारत में बैंकों के विदेशी परिचालनों के अन्य निवेश संविभागों में प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) हानियों पर निगरानी रखने की ओर भी केंद्रित किया।

- विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव से जुड़े जोखिम से संबंधित कुछ हिस्सों की चिंता की प्रतिक्रिया में, रिजर्व बैंक ने सबसे अधिक एक्सपोजर वाले कुछ चुनिंदा बैंकों से निर्धारित फॉर्मेटो में विस्तृत जानकारी मंगाई। अन्य बातों के साथ-साथ 'उपयुक्तता और औचित्य' तत्वों और जोखिम प्रबंधन नीतियों के संबंध में इन बैंकों के साथ वार्तालाप प्रक्रिया के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट बीएफएस के समक्ष रखी गई।
- संदर्भाधीन अवधि में, वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बीएफएस ने कई निदेश जारी किए जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निदेश निम्नानुसार हैं: (i) सांख्यिकीय गणना और खुदरा ऋण संविभागों की व्यवस्था करने के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए हानि अनुमान मॉडलों का मजबूती और प्रभावकारिता के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है; (ii) वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के लिए शाखाओं के चयन हेतु अतिरिक्त मापदंडों का समावेश कर शाखाओं के चयन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और अधिक गतिशील बनाने की आवश्यकता है; (iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार बैंक को ही जो कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं है वे कार्यकलाप बैंक की सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए जाने पर प्रतिबंध लगाना; (iv) बैंकों द्वारा की गई बाहरी स्रोतों से कार्य करवाने की व्यवस्था संबंधी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में पुष्टि रिपोर्ट तथा अनुपालन प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण; (v) बैंकों को सुग्राही बनाना कि अक्टूबर 2007 में अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद के लिए जारी सिद्धांत एक स्थूल मानदंड के रूप में थे जो केवल समझौता निपटान करते समय अंगीकार किए जाने हैं और न कि सख्त और प्रतिबंधात्मक रूप में (अतः बैंक प्रत्येक मामले की स्थितियों/तथ्यों और अपने वाणिज्य निर्णयों के आधार पर उनका निपटान कर सकेंगे और लिए गए निर्णय का औचित्य

प्रतिपादन कर सकेंगे; और (vi) समेकन के प्रयोजन के लिए अनुषंगी, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश के समय अस्थायी अवधि के लिए अथवा अन्यथा, निवेश धारिता के उद्देश्य को रिकार्ड करना।

- बीएफएस ने विनियामक प्रावधान/उद्देश्य और पर्यवेक्षी संकेद्रण के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपना अनुमोदन भी दिया है। उनमें से कुछ निम्नानुसार है; (i) जब भी कभी बैंकों के विलयन और समामेलन के मामले उभरते हैं तब विलयन/समायोजन योजना में टियर I और टियर II के प्रति स्वीकार्य देयता की सीमा निर्धारित करना; (ii) 31 मार्च 2002 तक की अल्प मूल्य बकाया नोस्ट्रो प्रविष्टियों की बड़ी संख्या को निपटाने में बैंकों की सहायता करने के लिए तैयार किए गए एक बारगी उपाय; जब कि साथ-साथ बैंकों को निदेश देना कि वे अब तक बकाया उच्च मूल्य प्रविष्टियों के अनुवर्तन प्रयासों पर तथा लीवरेज वाली प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करें ताकि समाधान न किए गए शेषों का बढ़ना टाला जा सके।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति, 2009

7.61 वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन संबंधी समिति (सीएफएसए) ने सितंबर 2006 में भारत के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक स्व-मूल्यांकन कार्य शुरू किया जिसमें विशेषकर स्थिरता मूल्यांकन, तनाव परीक्षण और सभी वित्तीय मानकों तथा संहिताओं के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया। मार्च 2009 में सरकार तथा रिजर्व बैंक ने संयुक्त रूप से सीएफएसए की रिपोर्ट जारी की। सीएफएसए ने एक दूसरे को मजबूत बनाने वाले तीन स्तंभों - वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन और स्ट्रेस टेस्ट; विधिक, मूलभूत सुविधा और बाजार विकास संबंधी मामले; और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों तथा संहिताओं के कार्यान्वयन के स्तर का मूल्यांकन- पर आधारित, स्वमूल्यांकन के प्रति भविष्य की सोचनेवाला और पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाया।

7.62 सीएफएसए ने समग्रतः यह पाया कि भारतीय वित्तीय प्रणाली तत्त्वतः स्वस्थ और लचीली है, और उसकी सर्वांगीण

स्थिरता व्यापक रूप से मजबूत है। भारत ने अधिकतर, बहुतांश मानकों और संहिताओं का पालन किया, यद्यपि दिवालियेपन संबंधी कार्यवाहियों के समय पर किए गए कार्यान्वयन में अंतर को नोट किया गया। सीएफएसए ने ऋण और बाजार जोखिमों, चलनिधि अनुपात तथा परिदृश्य विश्लेषण के लिए एकल-कारक तनाव परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने यह दर्शाया कि बैंकिंग प्रणाली में कोई उल्लेखनीय जोखिम नहीं है। यद्यपि, चालू आर्थिक मंदी के दौरान अनर्जक आस्तियां बढ़ सकीं; बैंकों के तुलनपत्रों की मजबूती को देखते हुए इस वृद्धि से किसी प्रकार की सर्वांगीण जोखिम होने की संभावना नहीं है।

7.63 सीएफएसए, 2009 की ओर से भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में किया गया मूल्यांकन निम्नानुसार है:

- (i) वाणिज्य बैंकों ने स्वस्थ वृद्धि दर दर्शाई है और पूंजी पर्याप्तता; आस्ति गुणवत्ता, अर्जन तथा कार्यक्षमता के संकेतकों से कार्यनिष्पादन में सुधार परिलक्षित होता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 (सितंबर 2008 तक) में कुछ प्रतिकूलता के बावजूद बैंकिंग प्रणाली के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक किसी बड़ी चिंता अथवा जोखिम को नहीं दर्शाते हैं और यह प्रणाली लचीली रही है।
- (ii) भारत के लिए हरफिंदाल-हिरस्कमैन सूचकांक (जो 2008 में 536 था) यह दर्शाता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र संकेद्रण काफी ढीलापन लिए हुए है। संकेद्रण सूचकांक की अन्य देशों के साथ की गई तुलना यह दर्शाती है कि भारत की स्थिति की विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के साथ तुलना की जा सकती है, परंतु यह तुलना अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निम्न संकेद्रण दर्शाती है।
- (iii) बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय स्वास्थ्य पर सुधारों के कार्यान्वयन ने समग्रतः लाभकारी असर किया है जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा बैंकों की उत्पादकता जैसे कई विवेकपूर्ण मापदंडों में हुए उल्लेखनीय सुधारों से परिलक्षित होता है। साथ ही, वाणिज्य बैंकों की जेड गणना (उच्चतर जेड गणना में दिवालियेपन की जोखिम की निम्नतर संभावना अंतर्निहित

है और इस मॉडल में जोखिम का उस मानक विचलन की संख्या के रूप में संक्षेप किया गया है जितना ईक्विटी पूंजी समाप्त होने के पहले किसी संस्था के अर्जन उसके प्रत्याशित मूल्य से नीचे गिरने होंगे) 1997-2006 की अवधि के 10.2 से बढ़कर 1999-2008 की अवधि में 13.2 हुई जो बढ़ती हुई शोधक्षमता का परिचायक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पूंजी अनुपात का स्तर अन्य कई देशों की बैंकिंग प्रणाली के साथ तुलना में काफी अच्छा है; यद्यपि विकसित देशों के कुछ बैंकों की पूंजी पर्याप्तता सब-प्राइम संकट के नतीजे के कारण कुछ समय पहले काफी तनावग्रस्त रही है।

(iv) चिंता का एक क्षेत्र यह रहा कि हाल के वर्षों में तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के मामले में। तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की आनुमानिक मूलधन राशि मार्च 2002 के अंत में 8,42,000 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 1,49,69,000 करोड़ रुपये हुई।⁴ कुल आस्तियों के प्रति तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का अनुपात मार्च 2002 के 57 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 204 प्रतिशत हुआ। तुलनपत्रेतर एक्सपोजर में यह उछाल मुख्यतः डेरिवेटिव के कारण हुआ, जिसका हिस्सा औसत लगभग 80 प्रतिशत रहा। उक्त डेरिवेटिव संविभाग भी एकल मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली से परिवर्तित हुआ, जिसने मार्च 2008 के अंत में कुल संविभाग के 57 प्रतिशत हिस्सा बनाया। मार्च 2002 के अंत में वह 15 प्रतिशत से भी कम था। ब्याज दर डेरिवेटिव में काउंटर पर लेनदेनों की अनुमति देने वाले प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में 2003 में किए गए संशोधनों के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में भी उक्त एक्सपोजर में हाल में वृद्धि पाई गई है। सीएफएसए द्वारा किया गया तनाव परीक्षण बॉक्स VII.4 में दिया है।

7.64 भविष्य के लिए अन्य जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों की सहायता के लिए एक साधन के रूप में बहुविध-कारक वाला स्ट्रेस

टेस्ट करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा सिफारिश किए गए तनाव परीक्षण के स्वस्थ सिद्धांतों का कार्यान्वयन करना आवश्यक है (बॉक्स VIII.3)।

7.65 चिंता के दो क्षेत्रों में से पहला है ऋण वृद्धि के निधीयन हेतु बड़ी जमाराशियों पर निर्भर रहना बढ़ गया है। इससे चलनिधि और लाभप्रदता में उलझाव हो सकता है। आवास ऋण, स्थावर संपदा एक्सपोजरों तथा बुनियादी सुविधा की बढ़ती में वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंक आस्तियों की परिपक्वता के स्वरूप में वृद्धि हुई है। दूसरी बात, बैंकिंग प्रणाली के लिए प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की हानियों, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आस्ति मूल्यों की गिरावट के कारण हुई हैं, ने ऐसी आस्तियों में काफी निवेश होने के कारण कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों के तुलनपत्रों पर गंभीर तनाव दर्शाया है। अत्यधिक तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों ने तनाव के उनके स्तर को और बढ़ाया। इस संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह आवश्यक समझा कि समय पर कार्रवाई और पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के लिए यदि अपेक्षित हो तों भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों के एक्सपोजरों की गुणवत्ता का ट्रैक रखा जाए। इसके फलस्वरूप, रिजर्व बैंक ने चुनिंदा प्रमुख बैंकों के साथ उनके विदेशी एक्सपोजरों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु चर्चा आयोजित की। उक्त मूल्यांकन से यह पता चला कि बैंकों का अमरीकी सब-प्राइम बाजार में कोई सीधा एक्सपोजर नहीं है। तथापि, कुछ बैंकों का अपनी विदेशी शाखाओं और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से अमरीकी सब-प्राइम बाजारों में सुनियोजित उत्पादों, जैसे-संपाश्विकृत ऋण दायित्व और अन्य निवेश के रूप में परोक्षतः एक्सपोजर था। ऋण डेरिवेटिव में एक्सपोजर वाले कुछ बैंकों को ऋण चूक अदला-बदली के अंतरों के विस्तार के कारण प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की हानियों को सुरक्षित करना पड़ा। तथापि, उक्त मूल्यांकन ने यह दर्शाया कि ऐसे एक्सपोजर बहुत अधिक नहीं थे और बैंकों ने प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य संबंधी हानियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान किया था। इसके अलावा, बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात का उच्च स्तर भी बनाए

⁴ नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ओबीएस एक्सपोजर मार्च 2008 के अंत के 1,44,98,587 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2009 के अंत में 1,06,71,961 करोड़ रुपए हो गए, जो आंशिक रूप से रिजर्व बैंक द्वारा उचित विवेक सम्मत विनियमनो के कार्यान्वयन को दर्शाता है।

बॉक्स VII.4: सीएफएसए, 2009 द्वारा तनाव परीक्षण

जैसा कि सर्वविदित है, किसी वित्तीय प्रणाली का लचीलापन उस प्रणाली को तनाव परिदृश्यों से गुजारकर जांच जा सकता है। सामान्यतः ऐसे परीक्षण अकस्मात आघातों तथा उसके तात्कालिक प्रभाव के संदर्भ में किए जाते हैं; परंतु व्यवहार में, जब ऐसे आघात लगते हैं तब बैंकों को उसके प्रभाव के अनुकूल बनने और उसे कम करने के लिए समय मिलता है। सीएफएसए, 2009 ने ऋण जोखिम बाजार/ब्याज दर जोखिम तथा चलनिधि जोखिम को शामिल करते हुए वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के लिए एकल-कारक तनाव परीक्षण किये। इन परीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि बैंकिंग प्रणाली ऋण की गुणवत्ता, ब्याज दर और चलनिधि की स्थितियों में बड़े संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होनेवाले बड़े आघातों को सह सकती है। ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिम के ये तनाव परीक्षण यह दर्शाते हैं कि भारतीय बैंक सामान्यतः आघातसह है।

- ऋण जोखिम : अनर्जक आस्तियों का स्तर और मानक, अवमानक तथा संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण की आवश्यकता- दोनों को ही बढ़ाकर ऋण जोखिम के लिए तनाव परीक्षण किया गया। तीन परिदृश्यों के तहत मार्च 2008 के अंत के लिए सकल स्तर तथा प्रत्येक बैंक का स्तर-दोनों की दृष्टि से उक्त विश्लेषण किया गया। हाल की वैश्विक वित्तीय गतिविधियों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके संभाव्य असर को देखते हुए, सितंबर 2008 के अंत के लिए उक्त तनाव परीक्षण फिर से किए गए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे खराब स्थिति में भी सीआरएआर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से पर्याप्त ऊपर रहा (सारणी 1)। यद्यपि ऋण जोखिम निम्न आँका गया, फिर भी मध्यावधि में आस्ति गुणवत्ता में किसी अप्रत्याशित और उल्लेखनीय गिरावट को टालने के लिए लगातार निगरानी आवश्यक है।
- बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम के प्रति बैंकिंग प्रणाली की जांच करने हेतु जोखिम पर अर्जनों तथा अर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य दोनों का उपयोग करते हुए तनाव परीक्षण किया गया। जोखिम पर अर्जन के परिप्रेक्ष्य में उपचय अथवा रिपोर्ट किए गए अर्जनों पर ब्याज दरों के परिवर्तनों का असर विश्लेषण का केंद्र रहा। जोखिम पर अर्जन वाला दृष्टिकोण लागू करते समय मार्च 2008 में यह पाया गया कि ब्याज दरों में वृद्धि के लिए निवल ब्याज आय (एनआइआइ) 45 बैंकों के लिए बढ़ी है, जिसने बैंकिंग आस्तियों का 64 प्रतिशत हिस्सा बनाया। यह इसलिए हुआ क्योंकि बैंकों के तुलनपत्र आम तौर पर आस्ति संवेदनशील हैं और ब्याज दर में होनेवाली वृद्धि ब्याज संबंधी व्ययों की तुलना में ब्याज संबंधी आय को बढ़ाती है।
- बैंक अपने संविभागों का ड्यूरेशन कम करके अपने ब्याज दर जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन करते रहे हैं। ईक्विटी के ड्यूरेशन को मार्च 2006 के 14 वर्ष से घटाकर मार्च 2008 में लगभग 8 वर्ष तक कम करना बेहतर ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का सूचक है। एक वर्षीय धारिता अवधि के लिए 244 आधार अंकों पर अनुमानित प्रतिलाभ अस्थिरता पर आधारित प्रभाव ने, अन्य सभी बातें स्थिर होते हुए, पूंजी और रिजर्वों के 19.5 प्रतिशत की कमी दर्शाई। 244 आधार अंक आघात के मुकाबले के लिए सीआरएआर 13.0 प्रतिशत से घटकर 10.9

प्रतिशत होगा। कुल आस्तियों के 36 प्रतिशत का हिस्सा बनानेवाले 29 बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के विनियामक सीआरएआर से नीचे गिरेगा। ये परिणाम स्थूल रूप से विभिन्न संभाव्य तनाव परिदृश्यों और धारणाओं के लिए संतुलित होंगे। सितंबर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए किए गए इस प्रकार के परीक्षणों ने भी बैंकिंग प्रणाली के लिए अतिरिक्त जोखिम नहीं दर्शाई है।

- चलनिधि जोखिम : चलनिधि जोखिम का प्रबंध करने का महत्व हाल की उथल-पुथल के दौरान सामने आया जब अंतर-बैंक मुद्रा बाजार में चलनिधि में कमी आई। जोखिम देयताओं में कमी अथवा आस्तियों में वृद्धि के लिए आवश्यक मांग की पूर्ति करने के लिए चलनिधि पैदा करने में बैंक की गंभीर असमर्थता से चलनिधि जोखिम उत्पन्न होती है। जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने की दृष्टि से बैंकों के लिए चलनिधि जोखिम का प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
- आम तौर पर, बैंक चलनिधि संबंधी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दो पद्धतियों से कर सकते हैं: संचित चलनिधि और खरीदी गई चलनिधि। संचित चलनिधि में तुलनपत्र वाली चलनिधि आस्तियों तथा सुनियोजित जमा संरचना का उपयोग किया जाता है ताकि निधि संबंधी सभी आवश्यकताओं का प्रावधान किया जा सके। खरीदी गई चलनिधि में निधीयन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गौण देयताओं और उधारों का उपयोग किया जाता है। हालांकि संचित चलनिधि पर निर्भर करना चलनिधि जोखिम परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से सुरक्षित माना जाता है, इसमें लागत निहित है। संचित और खरीदी गई चलनिधि पर निर्भरता के अनुसार चलनिधि रणनीति के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अधिक किफायती और न्यूनतम जोखिम वाली रणनीति है।
- बैंकिंग क्षेत्र की निधीयन रणनीति तथा परिणामी चलनिधि जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए चलनिधि अनुपातों का एक सेट विकसित किया गया और उसका विस्तार से विश्लेषण किया गया। चलनिधि अनुपातों के इस सेट के विश्लेषण से यह पता चला कि खरीदी गई चलनिधि पर निर्भर रहना बढ़ रहा है और निधि आस्ति की वृद्धि में बड़ी जमाराशियों जैसी अस्थिर देयताओं पर अधिक निर्भर रहने से बैंकों के तुलनपत्रों में चलनिधि कारक में भी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ, अवशिष्ट परिपक्वता अवधियों में कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप आस्ति-देयता के बीच उच्चतर बेमेल होगा।
- सीएफएसए रिपोर्ट ने इस संदर्भ में अप्रत्याशित आकस्मिकताओं की पूर्ति करने के लिए चलनिधि प्रबंधन मजबूत करने तथा प्रमुख जमाराशि आधार को सहायता देने और चलनिधि आस्तियों का पर्याप्त कुशन रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि खरीदी गई चलनिधि पर बैंक का निर्भर करना एक निश्चित सीमा को पार कर देता है तो एक विनिर्दिष्ट विनियामक पूंजी प्रभार का विचार करना भी बेहतर होगा। बैंकों तथा रिजर्व बैंक को सर्वांगीण संपर्क वाले कुछ बड़े बैंकों के मामले में चलनिधि संबंधी झटकों के प्रति लचीलेपन का मूल्यांकन करने हेतु आवधिक तनाव परीक्षण तथा परिदृश्य परीक्षण करने की भी आवश्यकता है। बाद में यह अन्य बैंकों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

सारणी 1: ऋण जोखिम का तनाव परीक्षण - 30 सितंबर 2008 के संदर्भ में परिदृश्य और परिणाम

	तनाव रहित	परिदृश्य I - एनपीएज में वृद्धि								परिदृश्य II		परिदृश्य III		
		25 प्रतिशत		50 प्रतिशत		100 प्रतिशत		150 प्रतिशत						
	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
सभी बैंक	12.5	11.8	4	11.6	4	11.1	8	10.6	12	11.2	12	12.0	2	
राष्ट्रीयकृत	12.0	11.2	2	11.0	2	10.5	4	9.9	6	10.2	5	11.5	1	
भारतीय स्टेट बैंक समूह	12.1	11.1	0	10.8	0	10.3	0	9.7	2	10.6	2	11.4	0	
नये निजी	139	13.5	0	13.3	0	12.8	1	12.4	1	13.4	1	13.7	0	
पुराने निजी	14.1	13.3	1	13.0	1	12.4	2	11.8	2	12.4	2	13.6	1	
विदेशी	12.2	12.0	1	11.9	1	11.8	1	11.6	1	11.5	2	12.1	0	

* : आघात के कारण जिन बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे गिरेगा उन बैंकों की संख्या स्रोत: सीएफएसए 2009.

रखा था। रिजर्व बैंक के मूल्यांकन ने यह सुझाव दिया कि बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम, जो प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य संबंधी हानियों के साथ जुड़े हैं बहुत सीमित तथा नियंत्रणाधीन प्रतीत होते हैं। तदनुसार, सितंबर 2007 में भारतीय बैंकों में ऋण डेरिवेटिव के प्रति और आस्ति आधारित वाणिज्य पत्रों और बंधक आधारित प्रतिभूतियों जैसे निवेशों के प्रति विदेशी एक्सपोजरों को पकड़नेवाली एक मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली आरंभ की गई। इस प्रकार इकट्ठा की गई जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि ऋण व्युत्पन्नों और अन्य निवेशों में अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से भारतीय बैंकों के एक्सपोजर जून 2008 के स्तर से धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। तथापि, प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य संबंधी उनकी हानियां मार्च 2009 तक धीरे-धीरे बढ़ गईं जिनसे उनके संविभागों में आस्तियों के मूल्य में निरंतर गिरावट का असर परिलक्षित हुआ।

7.66 उपर्युक्त वित्तीय संकट के सीधे प्रभाव के अलावा बाजार सापेक्ष हानियों के जरिये, जिन्हें भारतीय बैंकों के लिये महत्वहीन माना जाता था, विकास की कमजोर संभावनाओं के चलते आस्ति गुणवत्ता की संभाव्य चिंताएं एक अन्य प्रमुख केन्द्र बिन्दु बन गईं क्योंकि वैश्विक मंदी और उसके बाद घरेलू निजी मांग में आयी कमी के कारण अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र गिरती हुयी बाढ़ मांग से प्रभावित हुये। संभावित दबावपूर्ण क्षेत्रों में बैंकों के निवेश की आस्ति गुणवत्ता पर्यवेक्षणीय चिंता का एक मुद्दा बन गयी। इस प्रकार के सात क्षेत्रों में (रसायन/ रंग/ पेंट, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, जवाहरात और आभूषण, निर्माण, आटोमोबाइल, लौह और स्टील और वस्त्र), जहां सकल अग्रिमों का 15.4 प्रतिशत और सकल अनर्जक आस्तियों का 12.2 प्रतिशत निवेश किया गया था वहाँ बैंकों के निवेश ऋण जोखिम हेतु स्ट्रेस-टेस्ट किया गया ताकि प्रत्याशित अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के चलते बैंकों की पूंजी पर्याप्तता पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। स्ट्रेस-टेस्ट का कार्य करने के लिए दो परिस्थितियों का सृजन किया गया अर्थात् अनर्जक आस्तियों में 300 प्रतिशत और 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी मानी गई, सात सेक्टरों में यह परीक्षण एक साथ किया गया। अनर्जक आस्तियों में परिकल्पित वृद्धि को मौजूदा

नियामक पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों में से समायोजित करते हुये प्रावधानीकरण की अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया ताकि समायोजित पूंजी पर्याप्तता का अनुमान लगाया जा सके। तनाव परीक्षण के परिणामों से सुनिश्चित क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता में काफी गिरावट आने के बावजूद उसका मुकाबला करने की बैंकों की अंतर्निहित शक्ति के बारे में पता चला। इस तनाव के दोनों परिदृश्यों के तहत केवल दो बैंको का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निर्धारित न्यूनतम स्तरों से नीचे गिरा जो कि बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों को लगभग 3 प्रतिशत बनता है।

7.67 इस प्रकार एमटीएम हानियों और तनाव परीक्षण परिणामों का अनुमान भारतीय बैंकिंग प्रणाली के वैश्विक आर्थिक संकट से उठने वाली चिंताओं और झटकों के प्रति इसके लचीलेपन को पुनः प्रमाणित करता है।

7.68 सारांश रूप में कहा जा सकता है कि अभूतपूर्व वैश्विक वित्तीय संकट के समय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का लचीलापन काफी हद तक आर्थिक प्रगति और विकास की सहायता हेतु वित्तीय सुधारों के प्रति देश की सोच और रिजर्व बैंक की नियामक और पर्यवेक्षणीय नीतियों की सुदृढ़ता को प्रकट करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान रिजर्व बैंक की नियामक और पर्यवेक्षणीय पहलों में ग्राहक सेवाओं में सुधार, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन और बैंकिंग क्षेत्र में धन-शोधन निवारण के लिये विवेकपूर्ण नियमन और उपाय लागू करना शामिल है। मानक आस्तियों पर जोखिम भारों और प्रावधानीकरण की प्रति-चक्रीयता का उपयोग करते हुये आर्थिक तेजी के दौरान जिन विवेकपूर्ण विनियमनों में पूर्व में वृद्धि की गई थी उन्हें कम करके सामान्य स्तरों पर लाया गया ताकि आर्थिक मंदी के दौरान ऋण संवृद्धि में होनेवाली गिरावट को रोकने के लिये अनुकूल स्थितियों का निर्माण किया जा सके/ सर्वोत्कृष्ट अंतर-राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप देश-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने, सीमा-पार पर्यवेक्षण के रूप में पर्यवेक्षणीय ढांचे की सुदृढ़ता; जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और बैंकों की अगुवाई वाले समूहों; और बैंकों के ऋण पोर्टफोलियों को निगरानी हेतु सुदृढ़ बनाने के लिये भी उपाय किये गये।

6. घरेलू वित्तीय बाजार

7.69 किसी अर्थव्यवस्था की विकासात्मक क्षमता का लाभ उठाने के लिये जिस प्रकार गहन और कुशल वित्तीय बाजार आवश्यक हैं, उसी प्रकार अव्यवस्थित वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थानों और वास्तविक अर्थव्यवस्था दोनों के लिये जोखिम का स्रोत हो सकते हैं। व्यापार, पूंजी प्रवाह और विश्वास माध्यम के जरिये फैलनेवाले वैश्विक संकट से होने वाले संक्रमण ने दबाव बनाया और भारत के वित्तीय बाजारों में, विशेषकर विदेशी मुद्रा बाजार और मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी। भारतीय वित्तीय बाजारों पर फैलते हुये वैश्विक वित्तीय संकट का मुख्य प्रभाव निवल पूंजी अंतर्वाह में कमी के रूप में और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी बाजार में की गई बिक्री के फलस्वरूप घरेलू स्टॉक बाजारों में आयी महत्वपूर्ण गिरावट के रूप में पड़ा।



7.70 भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्रकार से संक्रमण के प्रभावों से बचने के लिये उपाय किये। सितम्बर 2008 के मध्य से 5,61,700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध करायी गई (अध्याय III भी देखें)। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों के प्रभावों को दर्शाते हुये नवम्बर 2008 के प्रारंभ से मुद्रा बाजार में मांग दरें, पूर्ववर्ती दो महीनों के दौरान कई-कई दिनों के कारोबार में जिन्होंने उँचाई का रिकार्ड तोड़ दिया था, अनौपचारिक एल.ए.एफ. कॉरिडोर में वापस आ गयीं। विदेशी मुद्रा बाजार में वित्तीय वर्ष के अंत तक भारतीय रुपयों में सामान्यतः अन्य प्रमुख मुद्राओं के प्रति गिरावट ही दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही में इसमें उछाल दर्ज किया गया। ऋण बाजार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरें नवम्बर 2008 से क्रमिक रूप से नीचे आईं। 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ में भी वर्ष के अंत में अक्टूबर 2008 के स्तर की तुलना में कमी आई, जो कि चलनिधि की सहज स्थिति को दर्शाता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में अधिकतर समय मंदड़िया गिरफ्त में रहा, तथापि, मध्यम से दीर्घावधि परिपक्वता अवधियों के लाभ में सुदृढ़ता आयी। सरकार द्वारा 2008-09 के लिए बाजार से लिए गए उधारों में बढ़ोतरी के कारण बाजार

में स्थिति बिगड़ी और मध्यम से दीर्घ अवधि की परिपक्वता वाली आय में मजबूती आई। वैश्विक संकेत भांपते हुये मार्च 2009 के अंतिम सप्ताह में भारतीय इक्विटी बाजारों में कुछ रिकवरी हुई जो वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही और उसके बाद भी जारी रही।

मुद्रा बाजार

7.71 चलनिधि में तंगी की स्थितियों को दर्शाते हुये सितंबर 2008 की दूसरी छमाही के दौरान मांग-मुद्रा दर रेपो दर से अधिक बनी रही। अतिशय अस्थिरता को रोकने के लिये रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही के प्रारंभ में मुद्रा बाजारों पर दबाव बना रहा। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2008 के प्रथम पक्ष में मांग दर अनौपचारिक कॉरिडोर के ऊपर बनी रही और 10 अक्टूबर 2008 को वर्ष के सर्वोच्च स्तर 19.7 प्रतिशत पर पहुँच गयी। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों के प्रभावों को दर्शाते हुए मुद्रा बाजार में मांग दर जिसने सितंबर-अक्टूबर 2008 में उँचाई का रिकार्ड तोड़ दिया था, नवंबर 2008 के प्रारंभ से अनौपचारिक एल.ए.एफ. कॉरिडोर में वापस आ गयी। वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही के प्रारंभ से मांग मुद्रा दर में और कमी आई। इसका मुख्य कारण सरकारी व्यय के चलते चलनिधि स्थितियों में पर्याप्त सुधार होना, बाजार स्थिरीकरण योजना का पुनः परिचालन करना और खुला बाजार परिचालनों के साथ-साथ एल.ए.एफ. नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी होना है। वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही में औसत दैनिक मांग 3.22 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही के दौरान यह 4.17 प्रतिशत थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में मांग दर अब तक एल.ए.एफ. कॉरिडोर के निचले स्तर के आस-पास ही बनी रही है (चार्ट VII-1)।

7.72 इस समय संपाश्विकृत बाजार मुद्रा बाजार का एक प्रभावी हिस्सा है जो वर्ष 2008-09 के दौरान रही कुल मात्रा के 75 प्रतिशत से अधिक बैठता है। मुद्रा बाजार के संपाश्विक हिस्से - बाजार रेपो (एल.ए.एफ.के बाहर) और सी.बी.एल.ओ. में ब्याज दरें साथ-साथ चलीं परंतु मांग दर से नीचे रहीं। सी.बी.एल.ओ. और बाजार रेपो दोनों ही हिस्सों में म्यूचुअल फंड



प्रमुख ऋणदाता बने रहे जबकि वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक डीलर प्रमुख उधारकर्ता थे।

7.73 भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के चलते अक्टूबर 2008 के मध्य से जमा-प्रमाणपत्र जारी करने में कुछ कमी आयी परंतु मध्य दिसम्बर 2008 के बाद से चलनिधि स्थितियों में सुधार के चलते इनमें पुनः तेजी आ गयी। जमा-प्रमाणपत्र की भारित औसत बढ़ा दर (डब्ल्यू.ए.डी.आर.) सामान्यतः मांग मुद्रा के अनुरूप बनी रही। वर्ष 2008-09 में डब्ल्यू.ए.डी.आर. में लगातार वृद्धि हुई। अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उथल पुथल के बीच 10 अक्टूबर 2008 को यह 12.6 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी। बाद में रिज़र्व बैंक द्वारा लागू किये गये विभिन्न मौद्रिक उपायों के बाद चलनिधि स्थितियों में सुधार के साथ इसमें गिरावट दर्ज की गई और यह मार्च 2009 के अंत में यह 7.53 प्रतिशत रही।

7.74 वर्तमान राजकोषीय वर्ष में अब तक सीडी का औसत पाक्षिक निर्गम लगभग 10,800 करोड़ रुपये रहा जबकि विगत वर्ष में इसी अवधि के दौरान यह निर्गम 5,900 करोड़ रुपये था। वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में डब्ल्यू.ए.डी.आर. में गिरावट आई और अगस्त 2009 के अंत में यह 4.9 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 10.98 प्रतिशत थी (चार्ट VII.2)।

7.75 सितंबर 2008 के बाद से दिसंबर 2008 के मध्य तक वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम में होने वाली क्रमिक वृद्धि धीमी हो गई जो मुख्य रूप से वित्तीय उथल-पुथल के दौरान म्यूचुअल फंडों पर आ रहे मोचन के दबाव को दर्शाता है। चलनिधि स्थितियों में सहजता आने से दिसंबर 2008 के उत्तरार्ध और जनवरी 2009 के दौरान वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम में तेजी आयी। वाणिज्यिक पत्रों के डब्ल्यू.ए.डी.आर. में सतत तेजी आयी और यह 31 अक्टूबर 2008 को 14.17 प्रतिशत हो गयी और बाद में चलनिधि स्थितियों में सुधार होने पर यह मार्च 2009 के मध्य में घटकर 9.78 प्रतिशत हो गयी। 2009-10 के दौरान अब तक सीपी का औसत पाक्षिक निर्गम 7500 करोड़ रुपये पर रहा, इसकी तुलना में विगत वर्ष की समनुरूपी अवधि में यह 5400 करोड़ रुपये था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक डब्ल्यू.ए.डी.आर. में भी गिरावट रही और यह विगत वर्ष की समनुरूपी अवधि में रहे 11.5 प्रतिशत की तुलना में अगस्त 2009 के अंत में 5.0 प्रतिशत रही।

असंपाश्विक अंतर-बैंक मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव

7.76 जैसा कि विगत पैराग्राफों से स्पष्ट है, वैश्विक वित्तीय संकट के आघातों ने स्वदेशी मुद्रा बाजार में मात्रा और दरों पर प्रतिकूल और आकस्मिक प्रभाव डाला। तथापि, इसका प्रभाव बहुत थोड़े समय के लिए ही रहा, इसका कारण केवल इतना ही नहीं था कि विफल हो रही संस्थाओं और संकटग्रस्त आस्तियों में भारतीय बैंकों

और वित्तीय संस्थाओं का कोई सीधा एक्सपोजर नहीं था, बल्कि यह कारण भी था कि भारतीय प्राधिकरणों ने पारम्परिक और गैर-पारम्परिक दोनों ही प्रकारों से दरों में अनपेक्षित उतार-चढ़ाव पर काबू रखा और स्वदेशी मुद्रा बाजार में तेजी से सामान्य हालात बहाल कर दिए। भारतीय अनुभव का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वित्तीय बाजार की कीमतों की अस्थिरता में अचानक उछाल (उतार-चढ़ाव के सहनीय उच्च स्तर के विपरीत) को सामान्यतया वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करने के रूप में देखा जाता है, अर्थात् बाजार/संस्थागत स्तर पर भयंकर अव्यवस्था फैलने के रूप में देखा जाता है, जिससे वास्तविक क्रियाकलाप में बड़ी गिरावट आ सकती है, जैसा कि बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया।

7.77 इस पृष्ठभूमि में भारत में गैर संपाश्विक अन्तर बैंक मुद्रा बाजार दर के उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति चुनिंदा विकसित और उदीयमान बाजार वाले देशों के ठीक विपरीत रहीं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.डालर), यूरो जोन (यूरो), इंग्लैंड (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड), जापान (जापानी येन), रूस(रूसी रूबल), दक्षिण कोरिया (कोरियाई वॉन)। यह विचाराधीन अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2009 है जो हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से पूर्व अस्थिरता की प्रवृत्तियों को मापने और संकट के दौरान तथा उसके बाद के महीनों में अस्थिरता में परिवर्तनों को मापने में सहायक होगी। उतार-चढ़ाव की प्रक्रिया के बारे में इसी प्रकार का विश्लेषण निम्नलिखित संदर्भों में किया जाएगा - (क) विदेशी मुद्रा बाजार में हाजिर मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव, और (ख) इस अध्याय के परवर्ती खंडों में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिलाभ। इस विश्लेषण में उतार-चढ़ाव का आशय दैनिक प्रतिलाभ के वार्षिकीकृत मानक विचलन से है। इसी के अनुरूप दैनिक प्रतिलाभों का मानक विचलन 30 डाटा अंकों की धारिता अवधि की चल विंडो अर्थात् विगत 30 कैलेन्डर दिवस में प्रतिदिन के समापन स्तरों के आधार पर परिकलित किया जाता है। जहां ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव (अर्थात् गैर संपाश्विक अंतर-बैंक मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिलाभ) का आकलन करने के लिए दैनिक प्रतिलाभ में वास्तविक परिवर्तन पर विचार किया जाता है, वहीं मानक व्यवहारों के अनुरूप विनिमय दरों की अस्थिरता का आकलन करने के लिए लॉगनार्मल दैनिक प्रतिलाभों

का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण में प्रयुक्त ब्याज दरें और विनिमय दरें नीतिगत हस्तक्षेपों का प्रभाव दर्शाती हैं।

7.78 चार्ट VII.3 से यह स्पष्ट है कि हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत के पहले और बाद, दोनों ही स्थितियों में अन्य देशों की तुलना में भारत में अंतर-बैंक गैर संपाश्विक मुद्रा बाजार में अस्थिरता सामान्यतया अधिक रही। इसके बावजूद भारतीय अंतर-बैंक गैर-संपाश्विक दरों में उतार-चढ़ाव में उछाल (सितंबर-अक्टूबर 2008 की) एक अल्प अवधि के लिए रहा और थोड़े ही समय में यह संकट पूर्व की अवस्था से भी निचले स्तरों पर जा पहुंचा, जो कि दक्ष चलनिधि प्रबंधन और अन्य नीतिगत क्रियाकलापों के प्रभाव को दर्शाता है। अमरीका में अंतर-बैंक दरों के उतार-चढ़ाव में एक उल्लेखनीय स्पाइक थी; वस्तुतः, फेड फंड टारगेट रेट में तीव्र कटौतियों के बाद उतार-चढ़ाव में व्यवस्थागत परिवर्तन भी स्पष्ट है। वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण कोरिया में भी अंतर-बैंक असंपाश्विक मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ी, लेकिन उनके स्तर भारत और अमरीका के स्तरों से काफी कम रहे। दूसरी ओर, रूस और जापान में इस उतार-चढ़ाव ने केवल मामूली और थोड़े समय के लिए बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई।

ब्याज दर फ्यूचर्स

7.79 वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति में की गई घोषणा के अनुसरण में एक मजबूत ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) बाजार विकसित करने के लिए अगस्त 2007 में मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक की तकनीकी परामर्शी समिति (टीएसी) समिति ने ब्याज दर फ्यूचर्स पर एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री वी.के.शर्मा) गठित किया था। ब्याज दर फ्यूचर्स के संबंध में यह टीएसी रिपोर्ट अगस्त 2008 में जारी की गई थी। इस कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ 10-वर्षीय सांकेतिक कूपनवाले सरकारी बांड के आधार पर भौतिक रूप से निपटाई जाने वाली संविदाएं प्रारंभ करने का सुझाव दिया था जिसके साथ-साथ विनियामक परिवर्तन भी सुझाए गए थे, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग की अवधि बढ़ाना ताकि वह आइआरएफ संविदाओं के साथ-साथ समाप्त होनेवाली हो, एचटीएम पोर्टफोलियो में समस्त एसएलआर प्रतिभूतियां रखने की व्यवस्था की साथ-साथ समीक्षा करना, बैंकों

चार्ट VII. 3: रातभर के अंतर-बैंक बाजार की प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव



को ट्रेडिंग पोजिशन लेने की अनुमति प्रदान करना, आइआरएफ और समर्थित भारत सरकार प्रतिभूतियों के साथ-साथ ब्याज दर स्वैप आदि के लिए समरूपी लेखांकन मानक। इस टीएसी रिपोर्ट की

सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक-सेबी स्थायी तकनीकी समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने मई 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 10-वर्षीय साकेतिक

कूपनवाले सरकारी बांड के संबंध में आइआरएफ संविदाओं को भौतिक रूप से निपटाने की प्रथा प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी तथा शेयर बाजार के स्तर पर उत्पाद विनिर्देशन तथा जोखिम प्रबंधन उपायों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इसी बीच, अक्टूबर 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आइआरएफ में ट्रेडिंग पोजिशन देने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रारंभ में दिसंबर 2009 और मार्च 2010 में डिलिवरी के लिए 7 प्रतिशत (सांकेतिक) कूपनवाले 10-वर्षीय सरकारी बांड के संबंध में आइआरएफ संविदा राष्ट्रीय शेयर बाजारों के करेसी फ्यूचर्स खंड में 31 अगस्त 2009 को प्रारंभ की गई थी। यह संविदा के बिक्रीकर्ता के विकल्प पर डिलिवरीयोग्य सरकारी बांडों में से एक की वास्तविक डिलिवरी के द्वारा परिपक्वता पर निपटायी जाएगी। 9 अक्टूबर 2009 की स्थिति के अनुसार, कुल खुला ब्याज 109.80 करोड़ रुपए था। उस दिन डिलिवरी में सबसे सस्ती (सीटीडी) प्रतिभूति की निहितार्थ रिपो दर (7.94 प्रतिशत जीएस2021) 1.54 प्रतिशत थी और 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति (6.90 प्रतिशत जीएस 2019) के लिए (-) 14.39 प्रतिशत थी। इन दोनों प्रतिभूतियों के लिए आरबीट्रेज रहित प्रतिलाभ हेतु संबंधित आंकड़े क्रमशः 8.01 प्रतिशत और 7.48 प्रतिशत थे।

ब्याज दर स्वैप

7.80 भारत में स्वैप बाजार विशेषकर ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआइएस) बाजार अत्यंत सक्रिय रहे हैं और बैंकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किसी अन्य लिखत से भी अधिक उनकी अपनी ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मीयादी मुद्रा बाजार के अभाव में ऐसा होता है और इसलिए तीन या छह महीने की बेंचमार्क दरें पूरे बाजार को ओवरनाइट बेंचमार्क पर इकट्ठा कर देती है। ब्याज दर स्वैपों के संबंध में वाणिज्य बैंकों के लिए सांकेतिक मूलधन बकाया 31 मार्च 2005 के 10,81, 867 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 80,18,647 करोड़ रुपए हो गए।

7.81 ओवर-द-काउंटर बाजार में अपर्याप्त पारदर्शिता ने रिजर्व बैंक को अगस्त 2007 से अंतर-बैंक व्यापारों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एक रिपोर्टिंग व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। इस रिपोर्टिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को सूचित

किया है कि वे 16 अक्टूबर 2009 को समाप्त सप्ताह से ग्राहक स्तरीय लेनदेन तथा साप्ताहिक अंतराल पर इनकी सूचना दें।


विदेशी मुद्रा बाजार

7.82 विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक मांग की स्थितियों से निपटने के लिये विशिष्ट उपायों के परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडारों तक कुछ सीमा तक बृहत्तर पहुँच सुनिश्चित करके और अंतर्वाह में आंशिक सुधार करके आपूर्ति स्थिति को सामान्य बनाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये। विदेशी मुद्रा बाजार में वास्तविक रूप से हस्तक्षेप-बिक्री करने के अलावा रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिये विदेशी मुद्रा के स्वैप की सुविधा भी मुहैया करायी। अंतर-राष्ट्रीय तेल मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि और बढ़ती कीमतों वाले दौर में तेल आयात कंपनियों की ओर से पड़ने वाले मांग के दबाव को कम करने के लिये बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के तेल बांडों के प्रति विदेशी मुद्रा चलनिधि की सीधी आपूर्ति को शामिल करते हुये वाणिज्यिक बैंकों के जरिये द्वितीयक बाजार में पहले ही विशेष बाजार परिचालन प्रारंभ कर दिये थे। विदेशी मुद्रा चलनिधि की आपूर्ति में सुधार करने के उद्देश्य से किये गये नीतिगत उपायों में, विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर अपनी विदेशी शाखाओं से ऋण लेने की बैंकों को अनुमति देना, बाह्य वाणिज्यिक उधारों की नीति में और अधिक छूट देना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को विदेशी मुद्रा में उधार लेने की अनुमति देना और अनिवासी जमा राशियों पर ब्याज दरों में वृद्धि की अनुमति प्रदान करना शामिल है। विदेशी मुद्रा बाजार में मांग के दबाव की परवाह न करते हुये अंतर-राष्ट्रीय आस्तियों की घटी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुये कापोरिट निकायों को मौजूदा बड़ा दरों पर अपने एफ.सी.सी.बी. की पुनः खरीद करने की अनुमति प्रदान की गई (अध्याय III में देखें)।

7.83 वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय रुपये ने द्विमार्गी चाल अधिक दर्शायी और यह 39.9रुपये और 52.1रुपये प्रति अमरीकी डालर के बीच चढ़ता उतरता रहा। वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के दौरान सामान्यतया रुपये में मंदी आयी जो कि विदेशी संस्थागत निवेशों के बहिर्वाह, शेयर बाजार में मंदड़िया स्थितियाँ, उच्च मुद्रास्फीति और कच्चे तेल उच्चतर मूल्य और डालरों अधिक मांग दर्शाती है। गहराते बाह्य आघातों के साथ ही इसमें और अधिक

गिरावट आयी और इसके बाद 27 अक्टूबर 2008 को इसने रुपए50 प्रति डालर का स्तर भी तोड़ दिया। वर्ष की समाप्ति पर रुपया 50.9 रुपये प्रति अमरीकी डालर पर बंद हुआ।

7.84 वर्ष 2009-10 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशों के अंतर्वाह में आये महत्वपूर्ण अंतर, सीधे विदेशी निवेश और अनिवासी जमा राशियों के निरंतर अंतर्वाह, वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में आशा से कहीं अधिक बेहतर समष्टि आर्थिक निष्पादन होने और अंतर-राष्ट्रीय बाजारों में यू.एस.डालर के कमजोर होने के कारण यू.एस.डालर के प्रति रुपये में सामान्य तौर पर वृद्धि ही हुई है। इसके अलावा, आम चुनावों के परिणाम, जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता की संभावना उत्पन्न की, ने बाजार संभावनाओं को आशा प्रदान की और रुपये की मजबूती में अपना योगदान दिया, विशेष रूप से मई 2009 के उत्तरार्ध में। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2009-10 में अब तक (25 अगस्त 2009 तक) यू.एस.डालर के प्रति रुपये में 6.4 प्रतिशत की मजबूती आ चुकी है (चार्ट VII.4)।



विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता

7.85 गैर-संपार्श्वीकृत अंतर-बैंक मुद्रा बाजार दरों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने की भांति अमरीका डॉलर की तुलना में विभिन्न मुद्राओं की हाजिर विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का आकलन किया गया और इसे विनिमय दरों के स्तर के साथ-साथ रखा गया (चार्ट VII.5)। यह स्पष्ट है कि अमरीकी डालर और जापानी येन में सुरक्षा का आश्रय तलाशने का काम वित्तीय संकट के कारण शुरू हुआ और इन दोनों मुद्राओं में मजबूती आती गई। इसी अवधि में उतार-चढ़ाव में बढ़ोतरी भी हुई। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये में कमजोरी की प्रवृत्ति के बावजूद अमरीकी डालर/भारतीय रुपये में होने वाले उतार-चढ़ाव अन्य मुद्रा-जोड़ियों की अपेक्षा कम रहे।


सरकारी प्रतिभूति बाजार

7.86 अप्रैल 2008 से 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभ में हुये संचलन को 3 बड़े चरणों (चार्ट VII.6) में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम चरण अर्थात् अप्रैल से जुलाई 2008 के मध्य के दौरान जिन्सों के वैश्विक मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि और साथ-साथ घरेलू नीतिगत दरों⁵ में हुयी वृद्धि से अत्यधिक मुद्रास्फीति की संभावनाओं के चलते 10 वर्षीय प्रतिलाभों पर असर पड़ा और 15 जुलाई 2009 को यह 9.51 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँच गये। दूसरे चरण के दौरान (जुलाई मध्य से दिसम्बर 2008 के अंत तक) कच्चे तेल के मूल्यों में कमी को देखते हुये मुद्रास्फीति के दबाव में हुई कमी, घरेलू चलनिधि स्थितियों में सुधार होने और वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल (सितम्बर 2008 के मध्य से) के अपरोक्ष प्रभाव के प्रत्युत्तर में घरेलू नीतिगत दरों में कमी होने और अमेरिका⁶ में मौद्रिक नीति के सरल होने के कारण 10 वर्षीय प्रतिलाभ बेहतर हो गए। दिसंबर 2008 के अंत में 10

⁵ 30 अगस्त 2008 को नकदी आरक्षित अनुपात 25 आधार अंक बढ़कर 7.25 प्रतिशत हो गया और 29 जुलाई 2008 को एलएफ रेपो दर 50 आधार अंक बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई।

⁶ 11 अक्टूबर 2008 को नकदी आरक्षित अनुपात 150 आधार अंक बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गया। यू.एस.फंड निधियों की टारगेट दर 8 अक्टूबर 2008 को 50 आधार अंक घटकर 1.50 प्रतिशत हो गई और 29 अक्टूबर 2008 को 50 आधार अंक और पुनः 16 दिसम्बर 2008 को 75 आधार अंक घटकर 0 से 0.25 प्रतिशत के दायरे में आ गई।

चार्ट VII. 5: करेसियों की प्रवृत्ति एवं उतार-चढ़ाव



वर्षीय प्रतिलाभ 5.31 प्रतिशत रहे जबकि सितम्बर 2008 के अंत में यह 8.63 प्रतिशत और मार्च 2009 के अंत में यह प्रतिलाभ 7.93 प्रतिशत था। तीसरे चरण (जनवरी से जुलाई 2009) के दौरान सहज चलनिधि स्थितियों के लगातार बने रहने और जनवरी 2009 तथा मार्च 2009 में घरेलू नीतिगत दरों⁷ में और कमी होने के बावजूद 10 वर्षीय प्रतिलाभ सामान्यतः कठोर (फरवरी और अप्रैल की कुछ अल्पावधियों को छोड़कर) बने रहे। इसका मुख्य

कारण वर्ष 2008-09 के लिये सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम में तेजी आना और वर्ष 2009-10 के लिये सरकार की भारी बाजार उधार आवश्यकताओं के चलते बिगड़ती हुई बाजार संवेदनार्थी थीं। एन.डी.एस.- ओ.एम. के जरिये अपनी खरीदारियों के अलावा फरवरी 2009 में रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी आधारित खरीद की श्रृंखला प्रारंभ करने से यद्यपि सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ में आई वृद्धि को रोकने में कुछ

⁷ 17 जनवरी 2009 को नकदी आरक्षित अनुपात 50 आधार अंक घटकर 5 प्रतिशत हो गया। 2 जनवरी 2009 को एलएफ रेपो दर और रिवर्स रेपो दर प्रत्येक के लिए 100 आधार अंक कम होकर क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत हो गई।

मदद मिली। जुलाई 2009 के अंत में 10 वर्षीय प्रतिलाभ 7.15 प्रतिशत था जबकि मार्च 2009 के अंत में यह 7.01 प्रतिशत था (सारणी VII.2)।

सरकारी प्रतिभूति बाजारों में उतार चढ़ाव

7.87 सरकारी प्रतिभूति बाजार में उतार-चढ़ाव को आंकने के लिये 10 वर्षीय स्थानीय मुद्रा साधारण सरकारी बांड दर का उपयोग किया गया है (चार्ट VII.6)। यूरो जोन के मामले में 10 वर्षीय साधारण प्रतिलाभ देश विशिष्ट प्रतिभूति, मुख्य रूप से जर्मनी और फ्रांस, के लिये लागू प्रतिलाभ पर आधारित है। यह स्पष्ट है कि वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत के कुछ समय बाद सरकारी प्रतिलाभों में तेज गिरावट हुई, जो कि प्रणालीगत चलनिधि को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के प्रभाव को दिखाता है, लेकिन बाद में इनमें कुछ बढ़ोतरी हुई जो कि राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों के अनिवार्य वित्तपोषण से उत्पन्न प्रतिभूतियों की बढ़ी हुई आपूर्ति में परिलक्षित

होता है। जापान को छोड़कर सभी देशों में सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में तेज उतार-चढ़ाव रहे। इसके अलावा, रूस को छोड़कर अन्य सभी देशों की तुलना में भारतीय सरकारी प्रतिभूति बाजार में उतार-चढ़ाव उच्चतर रहे।

ऋण बाजार

7.88 जैसा कि अध्याय IV में दर्शाया गया है, बैंक जमा राशियाँ और उधार दरें जो अक्टूबर 2008 तक मजबूत थीं नवम्बर 2008 से उनमें कुछ नरमी आनी प्रारंभ हुई जो घरेलू ऋण बाजारों पर वैश्विक वित्तीय संकट के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों का प्रभाव परिलक्षित करता है। मार्च 2008 और मार्च 2009 के बीच सभी परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेश की जा रही ब्याज दरों में कुछ नरमी आयी जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की एक से तीन वर्षीय जमाराशियों पर ब्याज दरें मजबूत हुईं। मांग पर निर्यात ऋण और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के

सारणी VII.2: ब्याज दरों का ढांचा

(प्रतिशत)

लिखत	निम्नलिखित के अंत में			
	मार्च 2007	मार्च 2008	मार्च 2009	जुलाई 2009
1	2	3	4	5
I. ऋण बाजार				
1. सरकारी प्रतिभूति बाजार				
5 -वर्ष	7.97	7.70	6.75	6.72
10 -वर्ष	7.97	7.93	7.01	7.15
II. मुद्रा बाजार				
2. मांग मुद्रा उधार (औसत)	14.07	7.37	4.17	3.21
3. वाणिज्यिक पत्र				
डबल्यूएडीआर 61 - 90 दिवसीय	11.65	10.79	9.87	3.67 @
डबल्यूएडीआर 91-180 दिवसीय	11.81	10.01	9.47	4.06 @
दायरा	10.25-13.00	9.50-14.25	6.40-12.50	3.04-8.85 @
4. जमा प्रमाणपत्र				
दायरा	10.23-11.90	9.00-10.75	6.00-11.50	
डबल्यूएडीआर समग्र	10.75	10.00	7.53	4.98 *
3 माह	11.35	10.73	7.04	4.82 *
12 माह	10.59	9.97	7.82	5.36 *
5. खजाना बिल				
91 दिवसीय	7.98	7.36	4.92\$	3.23 \$
364 दिवसीय	7.98	7.35	5.50\$	3.80 \$
डबल्यूएडीआर : भारित औसत बट्टा दर				
* : 17 जुलाई 2009 को समाप्त पखवाड़े से संबंधित है।				
@ : 15 जुलाई 2009 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति की अनुसार				
\$: आंकड़े संबंधित महीनों की अंतिम नीलामियों से संबंधित हैं।				

चार्ट VII. 6: सरकारी बांड प्रतिलाभ वक्र के संबंध में 10 वर्षीय प्रतिलाभ बिंदु की प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव



लिये मीयादी ऋणों को छोड़कर मार्च 2008 और दिसंबर 2008 के बीच वास्तविक उधार दरों में वृद्धि हुई। गिरती हुई नीतिगत दरों और कम होती मुद्रास्फीति के बावजूद इस स्थिति ने अंतरण प्रक्रिया को और अधिक दुरुह बना दिया। यद्यपि, अक्टूबर 2008 के प्रारंभ से ही नीतिगत

दरों को काफी सहज बना दिया गया है बैंकों की जमा राशियों और उधार दरों में काफी कठोरता दृष्टिगत होती है और यह कठोरता पिछले कुछ महीनों में थोड़ी सहजता आने के बावजूद बनी हुयी है। इस कठोरता के लिये विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं। पहला, छोटी बचतों पर ब्याज दरें

अभी भी प्रशासित हैं और बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर में कटौती बैंक जमा राशियों को अपेक्षाकृत अनाकर्षक बना सकती है और जैसा कि पूर्व में देखा गया है, इससे जमा राशियों में होने वाली वृद्धि कुछ कम हो सकती है। दूसरा, जबकि वृद्धिशील सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें कम हो रही हैं, जमा राशियों की औसत लागत उच्च बनी हुई है क्योंकि बैंकों की अधिकतर सावधि जमाराशियाँ पूर्व में उठायी गयी थीं और उन पर अधिक ब्याज दर बनी हुयी है। इसके परिणामस्वरूप यह उधार दरों में तत्काल बड़ी कमी होने से रोकता है। तीसरा, जोखिम निवारण में बढ़ोतरी के कारण क्रेडिट की माँग में गिरावट के दौरान भी उधार देने की दरों की प्रवृत्ति ऊँची रहने की रही। वर्ष 2009-10 में अब तक जमा राशियों और उधार पर ब्याज दरों में कटौती कुछ हद तक काफी मुखर रही है क्योंकि चलनिधि स्थितियाँ सहज रहीं और जोखिम कम प्रतीत हुये और नीतियों में दी गई ढिलाई कुछ हद तक काम करती हुई दिखाई दी। समस्त बैंक समूहों में सावधि जमा दरों और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग दरों में कमी हुयी हैं। भारत औसत उधार दर वर्ष 2006-07 के 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 12.3 प्रतिशत हो गयी परंतु मार्च 2009 में इसके कम होकर 11.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया। वर्ष 2009-10 में प्रभावी उधार दर के अब तक और कम होने का अनुमान लगाया है।


पूंजी बाजार

7.89 बढ़ते व्यापार और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों के साथ निवेश संबंधों के कारण भारतीय स्टॉक बाजार के बढ़ते हुये एकीकरण के साथ ही और इक्विटी बाजारों के मुद्रा बाजारों, ऋण बाजारों और विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ गतिशील संबंधों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के प्रारंभिक छींटे बी.एस.ई.सेन्सेक्स और एस.एन्ड.पी. सी.एन.एक्स निफ्टी पर महसूस किये गये। यह एकीकरण विकसित बाजारों की तुलना में उभरते बाजारों के साथ अधिक प्रतीत होता है जैसा कि वर्ष 2008-09 के दौरान 0.63 पर एम.एस.सी.आई (उदीयमान) के साथ बी.एस.ई सेन्सेक्स का उच्चतर सह संबंध दृष्टिगत होता है जबकि डो जॉस और एफ.टी.एस.ई. के साथ यह क्रमशः 0.13 और 0.37 ही है।

7.90 आधारभूत सिद्धांतों और वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं पर वित्तीय संकट के प्रभाव के विस्तार के रूप में देशों के बीच अंतर

होने के बावजूद वैश्विक स्टॉक बाजार का ध्वंस व्यापक था क्योंकि विश्वभर के लगभग सभी देशों में स्टॉक कीमतों में गिरावट आयी। जैसे-जैसे विकसित देशों में उथल-पुथल व्यापक होती गई वैसे-वैसे बहुत सी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आस्ति मूल्य बुलबुले का अंश बन गयीं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता की निरंतरता के चलते चिंताओं के कारण अंतर-राष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में आयी गिरावट के अनुसार ही वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार ज्यादातर कमजोर और अस्थिर बने रहे।

7.91 09 मार्च 2009 को बी.एस.ई.सेन्सेक्स गिरकर 8106 के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर चला गया। यह शीर्ष से 60.9 प्रतिशत से अधिक के गिरावट थी (8 जनवरी 2008 की स्थिति के अनुसार)। वर्ष 2008-09 के दौरान बी.एस.ई.सेन्सेक्स और एस.एंडपी.सी.एन.एक्स.निफ्टी में क्रमशः 37.9 प्रतिशत और 36.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। मार्च 2009 में, बाजार पूंजीकरण पुनः गिरकर 30,86,076 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 39.9 प्रतिशत की गिरावट रही। मार्च 2008 के अंत की तुलना में 31.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार पी.ई. अनुपात 13.7 था। बी.एस.ई. सेन्सेक्स की उथल-पुथल (घटबढ़ का गुणांक) 2007-08 के 13.7 से बढ़कर 2008-09 में 24.2 हो गया (चार्ट VII.7)।



7.92 वर्ष 2008-09 के दौरान घरेलू शेयर बाजार में हुआ घाटा सभी क्षेत्रों के शेयरों में फैला हुआ था। वर्ष 2008-09 के दौरान औसत बी.एस.ई. सेन्सेक्स की तुलना में धातु, उपभोक्ता टिकाऊ सामग्रियों, पूंजीगत वस्तुओं और बैंकिंग क्षेत्र के सूचकांकों में ज्यादा घाटा हुआ जबकि सूचना प्रौद्योगिकी, आटो, तेल और गैस, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, हेल्थकेयर और एफ.एम.सी.जी.वस्तु खण्डों के सूचकांकों में अपेक्षाकृत कम हानियाँ हुई। बी.एस.ई. सेन्सेक्स के पूर्ववर्ती खंडों के समूह द्वारा उठाई गई हानियाँ दर्शाती हैं कि ये क्षेत्र आर्थिक मंदी और वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान बी.एस.ई. मिड कैप और बी.एस.ई स्मॉल कैप ने अधिक हानियाँ उठायीं, इसका कारण आंशिक रूप से इन श्रेणी की कंपनियों पर ऋण की कमी का अधिक प्रभाव पड़ना और छोटी तथा मध्यम दर्जे की कंपनियों पर निर्यात में आयी मंदी का अधिक प्रभाव पड़ना हो सकता है।

7.93 वैश्विक डीलीवरेजिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में और ई.एम.ई.ज के प्रति जोखिम अपवर्तन में सामान्य वृद्धि होने से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से बड़ी मात्रा में अपने निवेश निकाल लिए। सेबी द्वारा जारी किए गये आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार में की गई बड़ी निवल खरीदारी की प्रक्रिया को वर्ष 2008-09 के दौरान भारी निवल बिक्री में परिवर्तित कर दिया। 2008-09 के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा शेयरों में कम निवेश किया गया जबकि ऋण में उनके द्वारा किये गये निवेश में वृद्धि हुई जो सरकारी ऋण में निहित कम जोखिम की ओर इशारा करता है।

7.94 वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही के दौरान घरेलू शेयर बाजारों में अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों के अनुरूप ही रौनक परिलक्षित हुई और आम चुनाव के परिणामों की घोषणा के साथ ही इस रौनक में तेजी आई। बढ़त की यह प्रवृत्ति कई सकारात्मक घटनाओं की वजह से रही जैसे कि अप्रैल 2009 में नीतिगत दरों में कमी, कुछ भारतीय बैंकों और कार्पोरेट निकायों के वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही के सकारात्मक परिणाम, चुनाव-बाद अवधि में अधिक राजनीतिक स्थिरता और वर्ष 2009-10 के लिये केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा दी जाने वाली बृहत्तर प्रोत्साहनों की प्रत्याशाएं और घरेलू इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की रुचि बहाल होना। 06

अक्टूबर 2009 की स्थिति के अनुसार बी.एस.ई सेन्सेक्स और एस.एंड.पी. सी.एन.एक्स निफ्टी ने मार्च 2009 के अंत की स्थिति की तुलना में क्रमशः 74.7 प्रतिशत और 66.4 प्रतिशत लाभ दर्शाया। वर्ष 2008-09 में एन.एस.ई. सेन्सेक्स के थोक ऋण बाजार क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार आया और टर्नओवर में 19.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

7.95 वर्ष 2008-09 के दौरान इस संकट के कारण होने वाले पूंजी बहिर्वाह ने भारतीय इक्विटी बाजारों को लगभग 48,249 करोड़ रुपए (10,439 मिलियन अमरीकी डालर) के विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों से महरूम रखा। सितम्बर से नवम्बर 2008 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 25,548 करोड़ रुपए (5,344 मिलियन अमरीकी डालर) निकाले। विदेशी संस्थागत निवेशकों के बहिर्वाहों ने इस प्रकार के बहिर्वाह की गुणवत्ता के विषय में गंभीर चिंतायें उत्पन्न कर दीं जिससे बाजार और नीचे जाने लगा। एम.एस.सी.आई वर्ल्ड बैंक सूचकांक (0.62) के साथ बी.एस.ई बैंकेक्स के एकीकरण की तुलना में वैश्विक शेयर बाजारों के साथ भारतीय शेयर बाजारों का एकीकरण उच्चतर (0.78 पर एम.एस.सी.आई वर्ल्ड सूचकांक के साथ बी.एस.ई सेन्सेक्स का सहसंबंध) था। यह भारतीय बैंकिंग शेयरों के मजबूती को दर्शाता है जोकि कुछ हद तक अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग शेयरों की कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित है (बॉक्स VII.5)।

म्यूचुअल फंड

7.96 वैश्विक चलनिधि के संकुचन के परिणामस्वरूप कार्पोरेट्स ने देशी मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों से अपने निवेश बाहर निकाले जिसने म्यूचुअल फंडों पर शोधन का दबाव डाला। मुद्रा बाजार योजनाओं के तहत म्यूचुअल फंडों के संग्रह का काफी बड़ा भाग कार्पोरेट क्षेत्र से थोक निधियों को दर्शाता है जो आंशिक रूप से कर तथा अन्य विनियामक अंतरपणन (आरबिट्राज) बताता है। यद्यपि म्यूचुअल फंडों ने तत्काल मोचन का वादा किया था लेकिन उनकी आस्तियाँ अपेक्षाकृत अतरल थीं। म्यूचुअल फंडों की आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता असंतुलनों ने समस्या को और गंभीर बना दिया।

7.97 वर्ष 2008-09 के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा किये गये निवल संसाधन संग्रहण की स्थिति उलटी रही; वर्ष 2007-08 के

बॉक्स VII.5 : पूंजी बाजार और बैंकिंग श्रेयों के बीच सहसंबंध


वर्तमान वित्तीय संकट का प्रारंभ वर्ष 2007 के मध्य में अमेरिकी सब-प्राइम बंधक संकट के क्रमिक प्रकटीकरण से जोड़ा जा सकता है। अगस्त 2007 से अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजार (जैसा कि एम.एस.सी.आई.वर्ल्ड सूचकांक में परिलक्षित होता है) में गिरावट आनी शुरू हो गयी थी। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग स्टॉक सूचकांक (एन.एस.सी.आई.वर्ल्ड बैंक सूचकांक के जरिए नापा जाने वाला) जुलाई 2007 तक समग्र स्टॉक सूचकांक की तुलना में कमतर निष्पादन कर रहा था (चार्ट 1)। जैसे ही अंतर राष्ट्रीय बैंक कठोर उधार बाजारों से प्रभावित हुये और सब-प्राइम बंधक हानियों से संबंधित और अधिक बट्टेखाते वित्तीय सेवा क्षेत्र पर भारी होते गये वैसे ही अगस्त 2008 से और वर्ल्ड बैंक सूचकांक के बीच का अंतर बढ़ने लगा। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों के डूबने से विकसित देशों में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के संबंध में निवेशकों की चिंताये बढ़ने लगी। वित्तीय संकट की अवधि के दौरान बैंकों में शामिल जोखिम की संभावनाओं में स्पष्ट वृद्धि होने लगी जैसा कि लगातार गिरते हुये अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग स्टॉक सूचकांक और उधार चूक स्वैप प्रीमियम के बीच बढ़ते अंतर से स्पष्ट होता है। मार्च 2009 के मध्य तक समग्र स्टॉक मार्केट सूचकांक की तुलना में बैंकों और वित्तीय कंपनियों के स्टॉक मार्केट निष्पादन में उल्लेखनीय गिरावट जारी रही जो इस डर का द्योतक है कि संकट के बाद की स्थितियों में बैंकों को काफी हानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बड़े स्तर के राहत पैकेजों और नीति निर्माता प्राधिकारियों द्वारा किये गये समायोजन उपायों के

कारण अंतर-राष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में कुछ रौनक लौटी। अब तक वर्ष 2009-10 के दौरान अंतर-राष्ट्रीय इक्विटी सूचकांक में अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग इक्विटी मूल्यों ने उछाल दर्शाया है। अगस्त 2008 के अंत तक की समस्त अवधि के दौरान वर्ल्ड सूचकांक की तुलना में वर्ल्ड बैंक सूचकांक का निष्पादन लगातार कम ही रहा है। दूसरी ओर बी.एस.ई. सूचकांक ने मई 2008 के अंत से अगस्त 2008 के अंत तक और मध्य फरवरी 2009 से लेकर अप्रैल 2009 के अंत तक की अवधियों को छोड़कर बी.एस.ई.सेन्सेक्स की तुलना में बेहतर निष्पादन किया है। एम.एस.सी.आई.वर्ल्ड सूचकांक और एम.एस.सी.आई. वर्ल्ड बैंक सूचकांक (0.98) के बीच सुदृढ़ सहसंबंध में वैश्विक इक्विटी सूचकांक और अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग सूचकांक के बीच एक निकट एकीकरण परिलक्षित होता है जो बी.एस.ई.सेन्सेक्स और बी.एस.ई. बैंकेक्स (0.96) (चार्ट.2) के बीच सह संबंध से उच्चतर संबंध है।

एम.एस.सी.आई.वर्ल्ड बैंक सूचकांक (0.62) के साथ बी.एस.ई. बैंकेक्स के एकीकरण की तुलना में वैश्विक स्टॉक बाजारों के साथ भारतीय स्टॉक बाजारों का एकीकरण उच्चतर (0.78 पर एम.एस.सी.आई.वर्ल्ड बैंक सूचकांक के साथ बी.एस.ई.सेन्सेक्स का सहसंबंध) था। यह भारतीय बैंकिंग श्रेयों के गहरेपन को दर्शाती है जिसने अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग इक्विटी कीमतों के उतार-चढ़ाव से इसे कुछ हद तक सुरक्षित रखा।


चार्ट 1: एमएससीआई विश्व और बैंकिंग में उतार-चढ़ाव

(अप्रैल 2007 तक सामान्यीकृत)



चार्ट 2: बीएसई सेन्सेक्स और बैंकेक्स में उतार-चढ़ाव

(अप्रैल 2007 तक सामान्यीकृत)



1,53,801 करोड़ रुपए के निवल अंतर्वाह की तुलना में वर्ष के दौरान निवल बहिर्वाह 28,297 करोड़ रुपए रहा। म्यूचुअल फंडों द्वारा प्रबंधित निवल आस्तियाँ भी 17.4 प्रतिशत घटकर 4,17,299 करोड़ रुपए रह गई (सारणी VII.3)। उस समय मौजूद तंग चलनिधि स्थितियों के कारण श्रेय बाजारों में अनिश्चित स्थितियों तथा बैंकों और कार्पोरेट से मोचन दबावों के चलते जून 2008 (39,233 करोड़ रुपए), सितम्बर 2008 (45,651 करोड़ रुपए) और अक्टूबर 2008 (45,796 करोड़ रुपए) के दौरान काफी मात्रा में बहिर्वाह हुआ। तब रिजर्व बैंक ने बैंकों के जरिये म्यूचुअल फंडों को चलनिधि सहायता मुहैया कराने के लिये तत्काल उपाय घोषित किए। समग्र चलनिधि स्थितियों में सहजता आने से म्यूचुअल फंडों में निवेश

पुनः आकर्षक बन गये। नवंबर 2008 से फरवरी 2009 के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा किया गया निवल संसाधन संग्रहण सकारात्मक हो गया यद्यपि मार्च 2009 के दौरान 98,697 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय बहिर्वाह भी हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान म्यूचुअल फंडों की योजनाओं की संख्या और उनके द्वारा किये गये निवल संसाधन संग्रहण दोनों में कमी आई। वर्ष 2008-09 के दौरान, योजनावार आय/ऋण आधारित योजनाओं में 32,161 करोड़ रुपए का निवल बहिर्वाह परिलक्षित हुआ जबकि विकास / इक्विटी उन्मुख योजनाओं में 4,024 करोड़ रुपयों का निवल अंतर्वाह देखा गया। अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान द्वितीयक बाजार में फिर से जान आने को दर्शाते हुए म्यूचुअल फंडों द्वारा किए गए संसाधन

सारणी VII.3: म्यूच्युअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपए में)

म्यूच्युअल निधियां	2007-08			2008-09		
	सकल संग्रहण	निवल संग्रहण@	निवल आस्तियां*	सकल संग्रहण	निवल संग्रहण@	निवल आस्तियां*
1	2	3	4	5	6	7
निजी क्षेत्र	37,80,753	1,33,304	4,15,621	42,92,750	-34,018	3,35,527
सरकारी क्षेत्र	3,37,498	9,820	41,123	7,10,472	9,380	43,971
यूटीआई	3,46,126	10,677	48,408	4,23,131	-3,659	37,801
कुल	44,64,377	1,53,801	5,05,152	54,26,353	-28,297	4,17,299

@ : मोचन घटाकर।

* : मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार

स्रोत : सेबी

संग्रहण में काफी वृद्धि हुई और पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के 48,128 करोड़ रुपए की तुलना में 2,56,755 करोड़ रुपए का निवल अंतर्वाह रहा।

7.98 भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1990 के दशक के प्रारंभ से शुरू हुये वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में से एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय बाजारों में मूल्य प्रकटन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना था और इस प्रकार मध्यवर्ती संस्थाओं और बाजार प्रतिभागियों के आबंटन और परिचालन कुशलताओं में सुधार करना था। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि भारतीय वित्तीय बाजारों ने मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के रूप में काफी परिपक्वता दिखायी है। विभिन्न बाजार क्षेत्रों के एकीकरण इसका साक्ष्य है जो वित्तीय बाजारों की परिचालन कुशलता दर्शाता है। इस बात का भी साक्ष्य है कि वित्तीय बाजार विभिन्न जोखिमों का मूल्य तय कर पाने में सक्षम हैं जो वित्तीय मध्यवर्तियों और जोखिमों के प्रति हेजिंग, इष्टतम हेजिंग रणनीतियां बनाना, व्यापार रणनीतियां बनाना और पोर्टफोलियो आबंटन निर्णयों के प्रतिभागियों द्वारा जोखिम प्रबंधन करना दर्शाता है। वित्तीय मध्यवर्तियों और अन्य बाजार प्रतिभागियों के लिये जोखिम का कीमत निर्धारण परिचालन कुशलता बन सकता है। इस प्रकार की कुशलता उत्पादक क्षेत्रों को संसाधन आबंटन की कुशलता में योगदान देती है और इस प्रकार एक अधिक परिपक्व और विकसित वित्तीय प्रणाली की ओर ले जाती है (बॉक्स VII.6)।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली

7.99 वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के दौरान सभी स्थानों पर भुगतान प्रणालियों ने खुदरा ग्राहकों और उद्यमों दोनों और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं दोनों के लिये भली प्रकार कार्य किया।

इस प्रकार उन्होंने आर्थिक गतिविधि को उस अवधि के दौरान बनाये रखने में मदद दी जबकि प्रतिपक्षियों में विश्वास की कमी थी (अध्याय I में बॉक्स IV.4)

7.100 वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों ने सामान्य रूप से कार्य किया और इन प्रणालियों में जनता का विश्वास बनाए रखा। देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ने वर्षों से देश में सुरक्षित, संरक्षित, अच्छी और कुशल भुगतान प्रणाली का निर्माण करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वाह किया है। देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के लिये संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2005 में केन्द्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड का गठन किया गया। पी.एस.एस. अधिनियम और बी.पी.एस.एस.नियमावली, 2008 की अधिसूचना के बाद अगस्त 2008 में भुगतान निपटान प्रणाली बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

7.101 वर्ष 2008-09 के दौरान मूल्य के रूप में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों के तहत कुल टर्न ओवर में 2007-08 के दौरान 41.8 प्रतिशत की तुलना में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद की आनुपातिक कीमत के रूप में वार्षिक टर्न ओवर 2007-08 के 12.7 प्रतिशत से कुछ बढ़कर वर्ष 2008-09 में 12.9 प्रतिशत रहा। कुल टर्न ओवर में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एस.आई.पी.एस.) की हिस्सेदारी 53.08 प्रतिशत बैठती है और उसके बाद वित्तीय बाजारों की क्लियरिंग 33.9 प्रतिशत बैठती है। एसआईपीएस में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई और वर्ष 2008-09 में मूल्य के हिसाब से इसमें 12.2 प्र.श. की

बॉक्स VII.6: भारत के वित्तीय बाजारों में जोखिम मूल्य निर्धारण

नब्बे के दशक के अंत में तथा वर्तमान दशक के आरंभ में समस्त उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में हुए संकटों, और हाल की अवधि में अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्था से उत्पन्न वैश्विक संकट से ली गई एक सीख यह है कि नीतिगत प्रयोजनों के लिए वित्तीय बाजारों में अंतर्निहित जोखिम मूल्य-निर्धारण प्रणाली का सतत मूल्यांकन व निगरानी उपयोगी है।

भारत के संदर्भ में, नब्बे के दशक के प्रारंभ में शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र सुधार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय बाजारों में मूल्य प्रकटन प्रक्रिया को प्रोन्नत करना और उसके द्वारा मध्यवर्ती संस्थाओं और बाजार के सहभागियों की आबंटन तथा परिचालनगत दक्षताओं को सुधारना रहा है। इस सुधार प्रक्रिया ने दो दशक पूरे किये हैं। सामान्यतः इस बात पर सहमति व्यक्त की जा रही है कि भारत के वित्तीय बाजारों ने मूल्य प्रकटन प्रक्रिया के मामले में उल्लेखनीय रूप में परिपक्वता का परिचय दिया है। बाजार के विभिन्न खंडों के बीच एकीकरण का प्रमाण विद्यमान है जो वित्तीय बाजारों की परिचालनगत दक्षता दर्शाता है (भोई एण्ड धल, 1999, आरबीआइ 2005-06)।

जोखिम मूल्य-निर्धारण के अनुसार, यूनिवर्सिटि जनरलाइज्ड ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडैस्टिसिटी (GARCH) मॉडल पर आधारित अध्ययन विभिन्न परिदृश्य प्रदान करते हैं। पहला, कंपनी बांड प्रतिलाभ को छोड़कर, वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों ने मूल्य जोखिमों के प्रति अपनी दक्षता दर्शायी। बाजार के दीर्घावधि प्रतिभूति संबंधी भाग में अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन के प्रति शेयर बाजार की संवेदनशीलता तथा दीर्घावधि वाले कंपनी बांड बाजार खंड में जोखिम मूल्य निर्धारण के अभाव की वजह से इन बाजार खंडों को और विकसित करने के संबंध में सोचा जाना अपेक्षित है। दूसरा, विभिन्न ब्याज दरों के लिए अंतर्निहित कीमत-निर्धारण प्रणाली ईक्विटी आय निर्धारण प्रणाली से अलग हो सकती है। विशेषकर जीएआरसीएच मॉडल से उत्पन्न होने वाले प्रतिबंधित जोखिम-मापन का सकारात्मक प्रभाव भिन्न-भिन्न ब्याज-दर विस्तारों के प्रतिबंधित औसत पर पड़ा था जो सह-बाजारों में जोखिम और आय के बीच का समन्वयन दर्शाता है। दूसरी ओर, प्रतिबंधित जोखिम ने ईक्विटी आय के साथ प्रतिकूल संबंध दर्शाया है जो वित्त-साहित्य में की गई अवधारणानुसार लीवरेज के प्रभाव के कारण है। तीसरा, चलनिधि, ब्याज-दर, ऋण, विनिमय-दर और परिसंपत्ति मूल्यों से संबंधित विभिन्न बाजार खंडों ने विभिन्न स्थायी

प्रकार की अस्थिरता प्रदर्शित की है। चौथा, मुद्रा बाजार ब्याज दरें, वायदा विनिमय दर प्रीमियम और ईक्विटी-मूल्यों ने अच्छी (बुरी) खबर के प्रति उल्लेखनीय रूप से असंयमित प्रतिक्रिया दर्शायी है जो सूचना प्रणाली की क्षमता का परिचायक है। पांचवां, सभी वित्तीय परिवर्ती घटक गैर-मानक सामान्यीकृत त्रुटि- बंटन के अनुरूप पाये गये। इससे यह संकेत मिलता है कि बाजारों ने कीमत-निर्धारण जोखिमों के अंश के रूप में अत्यधिक उतार-चढ़ावों से प्रभावित स्क्यूनेस और कुरटोसिस मापदंडों को भी ध्यान में लिया है। छठा, अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन ने घरेलू शेयर बाजार में उच्चतर औसत तथा जोखिम आय समंजन के अनुसार जोखिम के कीमत-निर्धारण में बल प्रदान किया है।

नीतिगत दृष्टिकोण से, जोखिम कीमत-निर्धारण प्रणाली को समझना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। विभिन्न जोखिमों के मूल्य निर्धारण की बाजारों की क्षमता का असर वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं तथा सहभागियों द्वारा जोखिमों से बचाव करने, इष्टतम बचाव रणनीतियां बनाने और संविभाग आबंटन संबंधी निर्णय लेने के लिए किये जा रहे जोखिम प्रबंधन पर पड़ सकता है। साथ ही, जोखिम का कीमत निर्धारण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं और बाजार के अन्य सहभागियों की ओर से होने वाली परिचालनगत दक्षता का द्योतक हो सकता है। बदले में ऐसी दक्षता से उत्पादनपरक क्षेत्रों को संसाधन आबंटित करने में कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे वित्तीय प्रणाली अधिक परिपक्व और विकसित बन जाती है।

संदर्भ :

भोई, बी.के. और एस. धल (1999): 'इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया: एन एम्पीरिकल एनालिसिस', रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑकेजनेल पेपर्स, खंड 19 और सं. 4.

इंग्ले, रॉबर्ट एफ (1982), 'ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडैस्टिसिटी विथ एस्टिमेट्स ऑफ द वेरियन्स ऑफ युनाइटेड किंगडम इंप्लेशन', इकॉनोमेट्रिका, 50 (4) 987-1007।

मिश्रा, बी.एम. और एस. धल (2009) प्राइसिंग ऑफ रिस्क इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, डीप स्टाफ अध्ययन, भा.रि.बैं., मुंबई, अगस्त।

वृद्धि हुई, जबकि उसके पहले वर्ष में 39.6 प्र.श. की बढ़ोतरी हुई थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2008-09 में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेनों में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई, जबकि वर्ष के दौरान एसआईपीएस के उच्च मूल्य के समाशोधन घटक में 17.3 प्र.श. की कमी हुई। उच्च मूल्य के एसआईपीएस समाशोधन में कमी, कागज-आधारित लेनदेनों के आरटीजीएस जैसे इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों को अपनाने के अलावा, इस प्रकार के लेनदेनों के मूल्य एवं मात्रा पर अर्थव्यवस्था में आई सामान्य मंदी के प्रभाव की वजह से हुई।

7.102 हाल के वर्षों में कागज-आधारित समाशोधन तथा इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन की मात्रा एवं मूल्य की प्रवृत्तियों की तुलना करने पर पता चलता है कि मूल्य की दृष्टि से इलैक्ट्रॉनिक लेनदेनों के हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि मात्रा की दृष्टि से अब भी कागज-आधारित लेनदेनों का बोल-बाला है (सारणी VII.4)।

7.103 बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों को एनईएफटी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, जो कि राष्ट्रव्यापी इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है। मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार 89 बैंकों की 55,225 शाखाओं ने एनईएफटी में भाग

सारणी VII.4: लेनदेनों की मात्रा और मूल्य

(मात्रा '000 में और मूल्य करोड़ रुपए में)

1	मात्रा				मूल्य			
	पेपर आधारित	इलेक्ट्रॉनिक *	कुल	इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा (प्रतिशत में)	पेपर आधारित	इलेक्ट्रॉनिक*	कुल	इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा (प्रतिशत में)
2	3	4	5	6	7	8	9	
2003-04	10,22,800	1,67,547	11,90,346	14.1	1,15,95,960	48,90,962	1,64,86,922	29.7
2004-05	11,66,848	2,30,016	13,96,864	16.5	1,04,58,895	1,09,09,497	2,13,68,392	51.1
2005-06	12,86,758	2,87,421	15,74,179	18.3	1,13,29,134	1,94,86,152	3,08,15,286	63.2
2006-07	13,67,280	3,83,358	17,50,638	21.9	1,20,42,426	30,31,79,623	4,23,60,389	71.6
2007-08	14,60,564	5,42,123	20,02,687	27.1	1,33,96,066	4,66,89,754	6,00,85,820	77.7
2008-09	13,95,906	6,82,299	20,78,205	32.8	1,24,61,202	5,59,72,211	6,84,33,413	81.8

टिप्पणी: * इलेक्ट्रॉनिक में शामिल हैं ईसीएस नामे, ईसीएस जमा, ईएफटी, आरटीजीएस, कार्ड, सीसीआइएल.

लिया। रिटेल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं, जैसे (i) खाता न रखने वाले ग्राहकों से नकदी प्राप्त करके एनईएफटी लेनदेन कराने हेतु पहल करना (इसके पहले एक खाते से दूसरे खाते में ही अंतरण होता था), (ii) क्रेडिट कार्ड भुगतान का विकल्प, (iii) एनईएफटी के लिए निपटान टाइम विन्डो के कार्य-समय को डेढ़ घंटा बढ़ा दिया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2008-09 में रिटेल इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणालियों में हुए लेनदेनों की मात्रा एवं राशि में काफी वृद्धि हुई है।

7.104 एटीएम, भारत में बैंकिंग लेनदेन एवं सेवाएं सुपुर्द करने, विशेष रूप से नकदी आहरण एवं खाते में शेष राशि की पूछताछ करने का एक महत्वपूर्ण चैनल है। मार्च 2008 में 34,789 एटीएम थे, जबकि मार्च 2009 में उनकी संख्या बढ़कर 43,651 हो गई। मार्च 2008 में भारत में प्रति एटीएम की आबादी 29,500 से अधिक रही, वही, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) वाले कुछ देशों में इसका दायरा 1000 - 9500 के बीच रहा।

7.105 आरटीजीएस प्रणाली ने मार्च 2004 से काम करना प्रारंभ किया है, यह मुख्य रूप से बड़ी राशियों के लेनदेनों के लिए है, जिसकी न्यूनतम प्रारंभिक सीमा 1 लाख रुपये है। दिनांक 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार आरटीजीएस में काम करनेवाली 55,006 बैंक शाखाएं थीं और वर्ष 2008-09 के दौरान आरटीजीएस नेटवर्क के अंतर्गत 11,494 और शाखाएं जुड़ गईं। नेटवर्क कवरेज में वृद्धि आरटीजीएस की मात्रा एवं अदा किए गए मूल्य में हुई बढ़ोतरी

के रूप में परिलक्षित हुई। दिनांक 30 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार एक दिन में आरटीजीएस की उच्चतम मात्रा एवं मूल्य क्रमशः 1,28,295 लेनदेन एवं 2,73,450 करोड़ रुपये रहा। अगस्त 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार आरटीजीएस का बैंक/शाखा कवरेज और बढ़कर 58,720 शाखाएं हो गया। अगस्त 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार 90,000 लेनदेनों की दैनिक औसत मात्रा में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का लेनदेन है जिसमें से 82,000 लेनदेन में लगभग 98,000 करोड़ रुपए का कारोबार ग्राहक लेनदेनों से संबंधित है।

7.106 भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण लिखतों एवं विदेशी मुद्रागत लेनदेनों के समाशोधन व निपटान के संबंध में देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की दृष्टि से कुछ मुख्य बैंकों को स्थायी प्रवर्तक के रूप में शामिल करते हुए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) की स्थापना करने हेतु पहल की है। वर्तमान में सीसीआइएल सरकारी प्रतिभूतियों के समाशोधन के लिए गारंटीकृत निपटान, संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) के समाशोधन तथा विदेशी विनिमय संबंधी समाशोधन की सुविधा उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रतिपक्षी पार्टियों के संबंध में सीएफएसए द्वारा किया गया मूल्यांकन बॉक्स VII.7 में दिया गया है।

7.107 अनेक ढांचागत समस्याओं के कारण अन्य वित्तीय बाजारों की तुलना में भारत में कारपोरेट बांड बाजार का विकास पिछड़ गया। सुपुर्दगी बनाम भुगतान आधार पर आरटीजीएस प्रणाली में ओवर-द-काउंटर कारपोरेट बांड लेनदेन का निपटान सुसाध्य बनाने

बॉक्स VII.7: केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टियां - सीएफएसए द्वारा मूल्यांकन

केवल सीसीआइएल मुद्रा, प्रतिभूति एवं विदेशी मुद्रा बाजारों के संबंध में सीसीपी के रूप में प्रबंध करने की भूमिका निभाता है, अतः इसमें संकेंद्रण की जोखिम की संभावना है। हालांकि सीसीआइएल के साथ कारोबार के संकेंद्रण से जोखिमों के पूलन एवं इस व्यवस्था में लेनदेन की समग्र लागतों को कम करने में सहायता मिलती है, फिर भी सीसीआइएल में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। सरकारी प्रतिभूतियों, सीबीएलओ एवं विदेशी मुद्रा बाजार खंडों में आंतर-दिवसीय एक्सपोजर और मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं (आंतर-दिवसीय एक्सपोजर पर आधारित) को आंकने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

ईक्विटी निपटान प्रणालियों में एनएससीसीएल एवं बीओआईएसएल/बीएसई के मूल्यांकन से पता चलता है कि वे सभी सिफारिशों का अनुपालन करते हैं।

सीसीआइएल, अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी जोखिम, सहभागिता संबंधी अपेक्षाओं, परिचालन जोखिम प्रबंधन, गवर्नेंस एवं विनियमन तथा चूक से संबंधित सिफारिशों का अनुपालन करता है। मूल्यांकन में पर्याप्त वित्तीय संसाधन, ऋण एक्सपोजरों का मापन व प्रबंधन, मुद्रागत निपटान तथा चूक संबंधी प्रक्रियाएं प्रमुख मुद्दों के रूप में दर्शाई गई हैं।

यद्यपि, सीसीआइएल की जोखिम प्रबंधन प्रणालियां संतोषजनक हैं, साथ ही, उसमें अपने कारोबार के अनुरूप वृद्धि हुई है, फिर भी उसकी चलनिधि संबंधी अपेक्षाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। अपने परिचालनों के अंतर्गत सीसीआइएल

को आंतर-दिवसीय चलनिधि की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। अपनी आंतर-दिवसीय चलनिधि संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से सीसीआइएल ने कुछ वाणिज्य बैंकों के साथ निर्धारित ऋण व्यवस्था (एलओसी) की है। चूंकि ऋण, मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा बाजारों में होने वाले व्यापारों की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई है और दिन के अंत में सीसीआइएल में प्रभावी तरीके से निपटान होता है, अतः सीसीआइएल को अंतर-राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप वाणिज्य बैंकों से चलनिधि जुटाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सीसीआइएल को सीमित प्रयोजन वाला बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने से वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त चलनिधि-संबंधी अपेक्षा की पूर्ति करने हेतु अन्य बैंक या रिजर्व बैंक से रिपो सुविधा प्राप्त कर सकेगा। कानूनी प्रावधानों में समुचित संशोधन करने पर विचार किया जाए ताकि इस प्रयोजन के लिए विभेदीकृत बैंक लाइसेंस जारी किए जाने की दिशा में सहजता से आगे बढ़ सके।

सीएफएसए ने यह पाया है कि सीसीआइएल प्रारंभ में विभिन्न बैंकों से प्राप्त 400 करोड़ रुपये की सामान्य ऋण राशि से कार्य कर रहा था, जो कि बाद में 1300 करोड़ रुपये हो गई, तत्पश्चात् वह राशि और बढ़कर 1600 करोड़ रुपये हो गई। सीसीआइएल समाशोधन-सदस्य की संकल्पना स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसके अंतर्गत निश्चित सदस्यों की बहियों में ही निपटान होगा और ऐसे मामलों में सीसीआइएल प्रणाली में चलनिधि संबंधी अपेक्षाएं स्वतः कम हो जाएंगी।

के लिए यह निर्णय लिया गया था कि एक्सचेंजों के समाशोधनगृहों को रिजर्व बैंक के पास ट्रांजिटरी पूलिंग खाता सुविधा की अनुमति प्रदान की जाए। आरटीजीएस में कारपोरेट बांड लेनदेनों के निपटान हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लि. (एनएससीसीएल) के लिए एक ट्रांजिटरी पूलिंग खाता खोला गया है। कारपोरेट बांड लेनदेनों का निपटान बिना गारंटी आधार पर होगा और इसलिए उन्हें ऋण व्यवस्था की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी, तथापि, इस निपटान में भाग लेनेवाले बैंक बैंकों को दी जानेवाली अंतर-दिवसीय चलनिधि (आइडीएल) सहायता के लिए पात्र होंगे।

7.108 संक्षेप में, भारतीय रिजर्व बैंक देशी व विदेशी मुद्रा दोनों में अपने चलनिधि संबंधी परिचालनों के माध्यम से कम अवधि में वित्तीय बाजारों में सामान्य स्थिति की बहाली कर सकेगा, जबकि भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का उन्नत देशों में स्थित संकटग्रस्त परिसंपत्तियों एवं विफल वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एक्सपोजर न होने के कारण वित्तीय प्रणाली किसी गंभीर तनाव होने से बच गई। वैश्विक अनुभव के अनुरूप भारत में भी भुगतान व निपटान प्रणाली कुशलतापूर्वक संचालित हुई, जिसने वित्तीय स्थिरता के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा मुहैया कराया है।

7. भारत ने किस प्रकार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की

7.109 भारत में विकास की गति को युक्तिसंगत स्तर पर जारी रखते हुए मूल्य स्थिरता को उच्च प्राथमिकता देकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना मौद्रिक नीति की मुख्य चिंता है। भारत में विवेकपूर्ण नीतियों का सख्त अनुपालन करते हुए वित्तीय स्थिरता हासिल करने की नीति है, जो संस्थाओं को अत्यधिक जोखिम उठाने एवं वित्तीय बाजारों के अस्थिर व अस्तव्यस्त होने से रोकती है। परिणामस्वरूप, जहाँ वित्तीय बाजारों में व्यवस्थित स्थिति कायम है, वहीं, वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से बैंकों में दृढ़ता व आघात-सहनशीलता दिखाई देती है। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कतिपय नीतिगत उपायों को अपनाया गया।

निवेश संविभाग

7.110 वर्ष 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती ब्याज दर के परिदृश्य में बैंकों के निवेश संविभाग का तनाव परीक्षण किया, जबकि उस समय ब्याज दरों में कमी की प्रवृत्ति चल रही थी। उस समय भारत में स्थित बैंकों ने बाजार जोखिम के संबंध में एवजी पूंजी प्रभार बनाए रखा, जबकि वह बासेल मानदंडों से भिन्न था। निष्कर्षों

के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था को ब्याज दर संबंधी जोखिमों के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में बेहतर स्थिति हासिल कराने की दृष्टि से जनवरी 2002 में बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे पांच वर्ष की अवधि के भीतर निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) का निर्माण करें। आईएफ़आर के विवेकपूर्ण लक्ष्य के तहत उन्हें अपने निवेशों का 5 प्रतिशत 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफ़टी) एवं 'बिक्री के लिए उपलब्ध' एफ़एस वर्गों में रखना था। बैंकों को एफ़एस एवं एचएफ़टी निवेशों के 10 प्रतिशत तक का उच्चतर प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रति-चक्रीय विवेकपूर्ण अपेक्षा के परिणामस्वरूप बैंक कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभावों को झेलने में समर्थ हुए, जबकि वर्ष 2004 के उत्तरार्द्ध में ब्याज-दरें विलोम दिशा में आगे बढ़ रही थी। मार्च 2006 के अंत से बैंक बासेल मानदंडों के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार रखे हुए हैं।

7.111 भारत में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने निवेशों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तीन वर्गों में वर्गीकृत करना अपेक्षित है। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग के अंतर्गत समाविष्ट निवेश, कुल निवेशों के 25 प्रतिशत तक सीमित रखा गया तथा बैंकों को प्रीमियम, यदि कोई हो, के परिशोधन के अधीन लागत पर एचटीएम वर्ग में निवेश करने की अनुमति दी गई। वर्ष 2004 में ब्याज दरों की चाल में दिशा-परिवर्तन होने के कारण सांविधिक अपेक्षा (भारत में सांविधिक चलनिधि अनुपात [एसएलआर] के रूप में जानी जाती हैं) के आलोक में एचटीएम वर्ग की सीमा की समीक्षा की गई, जबकि उक्त अपेक्षा के तहत बैंकों को अपनी मांग एवं मीयादी देयताओं की 25 प्रतिशत तक की राशि पात्र सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। चूंकि सरकारी प्रतिभूतियां सांविधिक अग्रक्रम स्वरूपी है और उनकी अवधि लंबी होती है, अतः बैंकों को परिपक्वता तक धारित वर्ग के तहत कुल निवेशों के 25 प्रतिशत तक की सीमा से अधिक राशि निवेश करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि ऐसी अधिक राशि एसएलआर प्रतिभूतियों में ही समाविष्ट हो। साथ ही, एचटीएम वर्ग के अंतर्गत रखी जाने वाली कुल एसएलआर प्रतिभूतियां उनकी एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से अधिक न हों। ऐसे बदलाव की अनुमति अभिग्रहण या बही मूल्य या बदलाव की तारीख को यथाविद्यमान बाजार

मूल्य, जो भी न्यूनतम हो, पर दी गई तथा ऐसे अंतरण पर होने वाले मूल्यहास के लिए पूरी तरह प्रावधान किया जाना जरूरी था। उक्त परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जिसके तहत एचटीएम वर्ग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा एसएलआर के सांविधिक स्वरूप होने के नाते उसे उपयुक्त समझा गया। साथ ही, उससे एचटीएम वर्ग में रूपांतरण के मूल्यांकन में विवेकपूर्णता व पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। चूंकि इस वर्ग की पहले की अपेक्षा, अपेक्षाकृत अधिक परिमित थी, अतः सितम्बर 2004 में हुए परिवर्तनों से ब्याज दर चक्रों से गतिशील इंटरफ़ेस का पता चला, जोकि प्रति-चक्रीय था।

पूंजी पर्याप्तता - जोखिम भार

7.112 रियल इस्टेट क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में बढ़ोतरी के कारण उन परिसंपत्तियों की गुणवत्ता एवं उनसे पैदा होने वाली संभाव्य प्रणालीगत जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सलाह दी गई कि वे उस क्षेत्र से संबद्ध जोखिमों से निपटने के लिए समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई कि वे ऋणों की मंजूरी/संवितरण किए जाने से पहले संबंधित कागज-पत्रों की समुचित जांच एवं प्रलेखन सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली तैयार करें। जून 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे रियल इस्टेट के संबंध में एक्सपोजर सीमाओं, विचारार्थ प्रतिभूतियों, अपेक्षित मार्जिनों, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी/स्तर तथा वित्तपोषित किए जाने वाले क्षेत्र आदि को शामिल करते हुए अपने बोर्ड द्वारा अधिदेशित अपेक्षित नीति निर्धारित करें।

7.113 अग्रक्रम प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण एवं 'संवेदनशील क्षेत्रों' के संबंध में विभेदीकृत जोखिम भार के निर्धारण के माध्यम से कुछ क्षेत्रों के ऋण में हुई उच्च वृद्धि तथा बैंकों के तुलन-पत्रों में परिसंपत्तियों के मूल्य में हुए उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित रख गया (बॉक्स VII.8)। उपभोक्ता ऋण की तीव्र वृद्धि एवं पूंजी बाजारों में अस्थिरता के मद्देनजर यह महसूस किया गया कि तीव्र विस्तारण के दौर में उधार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अतः, एक प्रति-चक्रीय उपाय के तौर पर उपभोक्ता ऋण एवं पूंजी बाजार के एक्सपोजरों के जोखिम भार को 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

बॉक्स VII.8: प्रति-चक्र्रीय विवेकपूर्ण विनियमन - भारत का अनुभव

वर्तमान विश्वव्यापी वित्तीय मंदी के परिप्रेक्ष्य में एक मुद्दे ने पूरे विश्व में नीति-निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वह है प्रति-चक्र्रीय वित्तीय उपाय, जिसके अंतर्गत बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का प्रतिचक्र्रीय विवेकपूर्ण विनियमन एवं पर्यवेक्षण शामिल है। सैद्धांतिक साहित्य में इस बात की आम सहमति है कि बैंकों सहित वित्तीय संस्थाएं अनु-चक्र्रीय रीति से पेश आती हैं। साहित्य में वित्तीय संस्थाओं के इस अनु-चक्र्रीय बर्ताव के लिए विभिन्न कारण बताए गए हैं, वे हैं समूह से प्रेरित स्वभाव, ठआपदाजन्य निकटदर्शिताड तथा अर्थव्यवस्था के उलटाव के दौरान उनके बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा (जिम्मेस एवं सौरिना, 2005)। इसके अलावा बैंक के अनु-चक्र्रीय बर्ताव में अपने विवेकपूर्ण विनियामक ढांचे में अंतर्निहित कमजोरियों का भी हाथ होता है। इससे वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु प्रति-चक्र्रीय विवेकपूर्ण विनियम तैयार किया जाना कितना युक्तिसंगत है, यह स्पष्ट होता है।

विद्यमान विनियामक ढांचे के अनु-चक्र्रीय स्वरूप की सांगोपांग समीक्षा करने के बाद वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) ने यह सुझाव दिया है कि विनियामक प्राधिकारियों को बासेल ढांचे के तहत लचीलेपन का रवैया अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिम प्रबंधन, पूंजी बफर तथा ऋण की संभाव्य हानियों का अनुमान उपयुक्त रूप से भविष्य-लक्षी हो। साथ ही, उसके मॉडलों, मूल्यांकनों एवं संकेद्रण जोखिमों में मौजूद अनिश्चितताओं और पूरे चक्र में प्रत्याशित अंतरों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस साहित्य में आम तौर पर गतिशील प्रावधानीकरण, लीवरेज अनुपात, पूंजी बीमा, प्रति-चक्र्रीय पूंजी बफर, पूंजी की समयांतर-संबंधी अपेक्षाएं जैसे कुछ प्रति-चक्र्रीय विवेकपूर्ण उपायों पर विचारविमर्श किया गया है। बैंक ऑफ स्पेन बैंकिंग प्रणाली में अनु-चक्र्रीयता को सीमित रखने के प्रयास के तौर पर पहले ही गतिशील प्रावधानीकरण को अपना चुका है। संयुक्त राष्ट्र जैसे कुछ देशों ने लीवरेज अनुपात को अपना लिया है।

भारत ने भी तेज ऋण वृद्धि के दौर में जोखिम भारों में नपी-तुली बढ़ोतरी तथा प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं के जरिए एक प्रति-चक्र्रीय दृष्टिकोण अपनाया। किंतु महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारतीय दृष्टिकोण में क्षेत्र-विशेष संबंधी अपेक्षाएं समाविष्ट थीं। इसका उद्देश्य, आस्तियों के बढ़ते मूल्य के बवंडर के सम्मुख झुकना नहीं, बल्कि, बैंकिंग क्षेत्र की संवेदनशील आस्ति की श्रेणियों, जहां तीव्र गति से ऋण का विस्तारण पाया गया हो, से संबंधित एक्सपोजर को नियंत्रित रखने का एहतियाती उपाय करने का है [गोपीनाथ, एस (2009)]।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 में यह सूचित किया कि बैंकों को अनुकूल समय में चल प्रावधानों की, जैसे बफर के निर्माण की महत्ता समझनी चाहिए ताकि वे उनका प्रयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में कर सकें। अतः भारत स्थित बैंकों को आस्ति की गुणवत्ता पर कालांतर में पड़ने वाले संभाव्य तनावों के मद्देनजर बफर के रूप में चल प्रावधानों का निर्माण करने हेतु प्रेरित किया गया। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अनुदेश दिया कि चल प्रावधानों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान तैयार करने के लिए किया जा सकता है, परंतु उन्हें क्रेडिट के तौर पर लाभ-हानि लेखे में वापस शामिल नहीं किया जा सकता। जब तक ऐसा प्रयोग होता हो तब तक इन प्रावधानों को निवल अनर्जक आस्तियों के प्रकटन के परिकलन के लिए सकल एनपीए से घटाया जा सकता है, अथवा, वैकल्पिक तौर पर उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के अंतर्गत टीयर-II पूंजी के अंश के रूप में लेखाबद्ध किया जा सकता है। किंतु ज्यों ही प्रति-चक्र्रीय प्रावधानीकरण सहित अनु-चक्र्रीयता को कम करने के उपायों के संबंध में एफएसबी, बीसीबीएस, सीजीएफएस तथा लेखांकन मानकों के निर्धारकों द्वारा किए जा रहे कार्य पूरे हो जाएंगे त्यों ही इस नीति को बदल दिया जाएगा।

सारणी : रिजल इस्टेट के उधार एवं बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर जोखिम भार

वर्ष/माह	ऋण की मात्रा	आवास ऋण		वाणिज्यिक रिजल इस्टेट	
		जोखिम भार (%)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (%)	जोखिम भार (%)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (%)
मई 2002 से पूर्व		100	0.25	100	0.25
मई 2002		50	0.25	100	0.25
दिसंबर 2004		75	0.25	100	0.25
जुलाई 2005		75	0.25	125	0.25
मार्च 2006		75	0.40	125	0.40
मई 2006	20 लाख रु. तक	75	0.40	150	1.00
	20 लाख रु. से अधिक	75	1.00		
जनवरी 2007	20 लाख रु. तक	75	0.40	150	2.00
	20 लाख रु. से अधिक	75	1.00		
मई 2007	20 लाख रु. तक	50	0.40	150	2.00
	20 लाख रु. से अधिक	75	1.00		
मई 2008	30 लाख रु. तक	50 (एलटीवी=75%)	0.40		
		100 (एलटीवी>75%)		150	2.00
	30 लाख रु. से अधिक	75 (एलटीवी=75%)			
		100 (एलटीवी>75%)	1.00		
नवंबर 2008	30 लाख रु. तक	50 (एलटीवी=75%)	0.40		
		100 (एलटीवी>75%)		100	0.40
	30 लाख रु. से अधिक	75 (एलटीवी=75%)	0.40		
		100 (एलटीवी>75%)			

संदर्भ :

1. जिम्मेस, गेब्रियल एवं जीसस सौरिना (2005), 'क्रेडिट साइकल्स, क्रेडिट रिस्क एंड प्रूडेन्शियल रेगुलेशन्स', बन्को दे इस्पाना, स्पेन।
2. वित्तीय स्थिरता मंच (2009), 'बासेल वित्तीय प्रणाली में अनु-चक्र्रीयता पर विचार-विमर्श संबंधी वित्तीय स्थिरता मंच की रिपोर्ट।
3. गोपीनाथ, एस (2009), 'लेसेन्स फॉर फाइनेन्शियल पॉलिसी मेकिंग - इंटरप्रेटिंग द ड्राइलामाज'। 3 मार्च को मुंबई में आयोजित 10वें एफआईएमएमडीए-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन भाषण।

मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान

7.114 रियल इस्टेट क्षेत्र, वैयक्तिक ऋणों, क्रेडिट कार्ड की प्राप्य-राशियों तथा पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में योग्यता-प्राप्त ऋणों व अग्रिमों में लगातार हुई उच्च वृद्धि एवं वैयक्तिक ऋणों एवं क्रेडिट कार्ड की प्राप्य-राशियों में चूक-दर के काफी बढ़ जाने, जोकि चिंताजनक बात है, के मद्देनजर नवंबर 2005, मई 2006 तथा जनवरी 2007 में मानक परिसंपत्तियों के प्रावधानों को कई चरणों में उत्तरोत्तर रूप से संशोधित किया गया। ऋणों एवं अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत मानक परिसंपत्तियों के लिए दो प्रतिशत का प्रावधानीकरण अपेक्षित है : (i) वैयक्तिक ऋण (क्रेडिट कार्ड की प्राप्य-राशि सहित); (ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में योग्यता-प्राप्त ऋण एवं अग्रिम; (iii) रियल इस्टेट ऋण (आवासीय गृह ऋणों को छोड़कर) तथा (iv) जमा न स्वीकारने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम। अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक उत्पादनकारी क्षेत्रों को ऋण की निरंतर व पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अन्य ऋणों एवं अग्रिमों, जिन्हें मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, से संबंधित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसे (i) कृषि एवं लघु और मझोले उद्योगों को 0.25 प्र.श. पर प्रत्यक्ष अग्रिम; तथा (ii) 0.4 प्र.श. पर अन्य सभी ऋण और अग्रिम। नवंबर 2008 में सभी प्रकार की मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा को 0.40 प्र.श. के समान स्तर पर कम कर दिया गया सिवाय कृषि एवं लघु और मझोले उद्योगों को प्रत्यक्ष अग्रिम को छोड़कर जिनके लिए पहले के समान ही 0.25 प्र.श. का प्रावधानीकरण लागू रहेगा।

7.115 भारतीय प्रणाली की ऐसी विशेषताओं को रेखांकित करना समीचीन होगा, जिन्होंने वित्तीय स्थिरता हासिल करने में योगदान दिया हो :

- बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रणाली के तहत जोखिम-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी देयताओं का न्यूनतम प्रतिशत रखना अपेक्षित है। इस शर्त से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक को संकट काल में भरपूर तरलता उपलब्ध है।
- पूंजी लेखे का सक्रिय रूप से प्रबंध किया गया। 2006-08 के दौरान पूंजी के अत्यधिक आगमन की दशा में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में नपे-तुले तरीके से की गई बढ़ोतरी तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) संबंधी प्रतिभूतियों के जारी किए जाने से परिणामी अतिरिक्त चलनिधि काबू में आई। जब 2008 की अंतिम तिमाही में निधि प्रवाह विलोम दिशा में हुआ तो उक्त उपायों का विपरीत क्रम में प्रयोग किया गया। बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि समाविष्ट करने की दृष्टि से सीआरआर में कटौती की गई और एमएसएस प्रतिभूतियां वापस खरीदी गईं।
- प्रतिभूतिकरण का मूल्य-वर्धित होना सुनिश्चित करने के लिए 'वास्तविक बिक्री' पर जोर दिया जाता है और क्रेडिट में बढ़ोतरी एवं चलनिधि का समर्थन पूंजीगत विनियमों के अधीन है। एसपीवी को बेची जाने वाली परिसंपत्तियों से प्राप्त होने वाले लाभ की चुकौती निर्गमित प्रतिभूतियों के बने रहने की अवधि तक हो जानी चाहिए।
- रात भर की गैर-जमानती मांग मुद्रा बाजार में भाग लेना केवल बैंकों एवं प्राथमिक व्यापारियों तक सीमित है। अन्य संस्थाएं उन जमानती लिखतों के माध्यम से रात भर की मुद्रा बाजार में प्रवेश पा सकती हैं, जिन्हें एक केंद्रीय प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा गारंटीकृत आधार पर समाशोधित व निपटाया जाता हो।
- विनियमन एवं निरीक्षण की परिधि में प्रणालीगत महत्व रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो जमा-राशि प्राप्त न करती हो, को भी शामिल किया गया है, किंतु उसमें लीवरेज एवं विनियामक आर्बिट्रेज की सीमित गुंजाइश है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रदत्त बैंकों के एक्सपोजरों को विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत शामिल करके प्रणालीगत अंतर-संबंधता का समाधान किया गया।
- वर्तमान में केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (सीसीपी) समाशोधन एवं गारंटीकृत निपटान सरकारी प्रतिभूति-संबंधी लेनदेनों एवं अंतर-बैंक रुपया-यूएसडी विदेशी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में संचालित होता है। विदेशी मुद्रा वायदा लेनदेनों एवं ओटीसी रुपया ब्याज दर अदला-बदली से संबंधित सीसीपी गारंटीकृत व्यवस्थाएं प्रगति पर हैं।

- इसके अतिरिक्त, अंतर-बैंक देयता के एक्सपोजर, प्रतिभूतिकरण, बैंकों के एसलएलआर से इतर प्रतिभूतियों में निवेश तथा कई वर्षों से बाजार मूल्य को बही में अंकित किए जाने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश मददगार साबित हुए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक में वित्तीय स्थिरता इकाई

7.116 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने हेतु मौद्रिक व विनियामक दोनों उपायों का प्रयोग किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक प्राधिकारी होने के साथ-साथ बैंकों, गैर-बैंकों एवं वित्तीय बाजारों के एक बड़े खंड के विनियामक होने के नाते ही यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण संभव हो सका है। भविष्य में हमारे वित्तीय बाजारों का काफी विकास होगा और उनकी व्यापकता बढ़ेगी। साथ ही, हमें भौगोलीकरण की और अधिक ताकतों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी बातों की वजह से वित्तीय स्थिरता में उल्लंघन पैदा हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता पर और ध्यान-केंद्रित करने एवं इस क्षेत्र में हमारी कार्य-कुशलता बढ़ाने के प्रति सजग है। इस दिशा में शुरुआती तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमित वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक बहु-उद्देश्यीय वित्तीय स्थिरता इकाई स्थापित की है। आने वाले कुछ महीनों में पहली रिपोर्ट तैयार करने की योजना बनाई गई है। इन रिपोर्टों के जरिए वित्तीय प्रणाली की स्थिति का समग्र एकीकृत मूल्यांकन परिलक्षित होगा। साथ ही, प्रणालीगत स्थिरता की संभाव्य जोखिमों की शिनाख्त व विश्लेषण पर प्रकाश डाला जाएगा।

भारतीय वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों के स्रोत:

7.117 इस सिलसिले में भारत में वित्तीय प्रणाली में मौजूद कमजोरियों के प्रमुख स्रोतों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय स्थिरता का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, जिनमें से कुछ नीचे दर्शाए गए हैं:

बुनियादी ढांचे के लिए वित्त-पोषण

7.118 बैंकों द्वारा बुनियादी ढांचे के लिए दी जाने वाली निधियों के संबंध में यह चिंता जताई गई है कि उसमें समष्टि-अर्थव्यवस्थागत

कमजोरियां पैदा होने की आशंका है। ग्यारहवीं योजना-अवधि के दौरान भारत में मूर्त बुनियादी ढांचे (जिसके तहत सड़कें, बिजली, दूरसंचार, रेल्वे, विमान-पत्तन एवं बंदरगाह शामिल हैं) संबंधी अपेक्षाओं के वित्त-पोषण के लिए मोटे तौर पर 22,50,000 करोड़ रुपये के निवेश की अपेक्षा आंकी गई है जिसमें से लगभग 6,75,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र द्वारा मुहैया कराए जाने हैं। चूंकि बजट के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन सीमित हैं, अतः सरकार को एक ऐसी नीति एवं प्रक्रियागत वातावरण तैयार करना पड़ा, जहाँ सरकारी-निजी सहभागिता (पीपीपी) को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही, यह माना जाता है कि बैंक जैसी वाणिज्य संस्थाएं उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। विकासशील बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्त-पोषण करने में बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष आस्ति देयता का असंतुलन एक महत्वपूर्ण चुनौती बनेगा, क्योंकि बैंकों की आस्तियों की परिपक्वता-अवधि बढ़ गई है, जबकि उनकी देयताओं की अवधि कम हो गई है। बैंक बड़े निर्माताओं के लिए एक्सपोजर की सीमाएं तय करेंगे। गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए जाने वाले उधार निरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वे ज्यादातर बेजमानती उधारों पर आश्रित होती हैं और वित्त-पोषण करने में निश्चित सीमा तक वाणिज्य बैंकों की निधियों पर निर्भर रहती हैं तथा एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक उधार-संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों की वजह से लागत में बढ़ोतरी होगी। परिणामी समष्टि-अर्थव्यवस्था से संबद्ध कमजोरियों एवं पूंजी प्रवाह के वांछित स्तरों को ध्यान में रखते हुए बाह्य वाणिज्यिक उधार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंध किया जाए।

थोक जमा-राशियों एवं खरीदी हुई चलनिधि पर बैंकों की निर्भरता

7.119 प्रथा के अनुसार बैंक अपनी चलनिधि की अपेक्षाओं की पूर्ति दो तरीके से कर सकते हैं: संचित चलनिधि एवं खरीदी हुई चलनिधि। संचित चलनिधि के अंतर्गत तुलन-पत्राधीन तरल परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही, सभी प्रकार की निधियन-आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक सुव्यवस्थित जमा संरचना मौजूद है। खरीदी जाने वाली चलनिधि के तहत निधियन-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गैर-स्थायी देयताओं व उधारों का प्रयोग किया जाता है। चलनिधिगत जोखिम की दृष्टि से संचित चलनिधि पर निर्भरता को सुरक्षित माना जाता है, किंतु उसमें लागत की उल्लंघन बनी रहती है।

7.120 भारतीय बैंकों में खरीदी हुई चलनिधि पर निर्भरता में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। साथ ही, बढ़ती परिसंपत्ति के लिए निधि उपलब्ध कराने में थोक जमा-राशि जैसी अस्थिर देयताओं पर निर्भरता बढ़ रही है और उनके तुलन-पत्रों में गैर-चलनिधिगत तत्वों की मौजूदगी में भी बढ़ोतरी हो रही है। परिणामस्वरूप चलनिधि एवं लाभप्रदता संबंधी उलझनें पैदा होने की संभावना है। आवास ऋणों, रियल इस्टेट एक्सपोजर के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के ऋणों में बढ़ोतरी होने की वजह से बैंक की परिसंपत्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल बढ़ गई है। इसी तरह, अवशिष्ट परिपक्वताएं कम होती जा रही हैं, जिसके कारण आस्ति-देयता के असंतुलन में बढ़ोतरी हो रही है।

7.121 इस परिप्रेक्ष्य में चलनिधि प्रबंधन को मजबूत बनाना जरूरी है। साथ ही, स्थायी जमा-आधार को प्रबल बनाना चाहिए और अप्रत्याशित आकस्मिक स्थितियों का सामना करने हेतु चलनिधिगत परिसंपत्तियों की पर्याप्त व्यवस्था हो। संचित व खरीदी हुई चलनिधि पर निर्भरता के संदर्भ में चलनिधि के लिए एक सुसंतुलित दृष्टिकोण को अपनाना किफायती और समुचित जोखिमपरक कार्य-नीति है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि एक पृथक् बैंक के स्तर पर रिटेल जमा-राशियां अस्थिर हो सकती हैं, परंतु वे समग्र बैंकिंग व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को बुनियादी ढांचे एवं तत्संबंधी कार्यकलापों जैसी दीर्घ-कालीन परिसंपत्तियों के लिए वित्त-पोषण करने में एक ठोस आधार प्रदान करती हैं। फिर भी बैंकों की थोक संसाधनों पर निर्भरता पर काबू पाना जरूरी है।

8. समग्र मूल्यांकन एवं प्रगति पथ

7.122 अन्य सभी नीतिगत उपायों की तरह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पथ पर आगे बढ़ने में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नवत् हैं:

7.123 किसी भी वित्तीय स्थिरता के ढांचे के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि नीचे दर्शाए गए हैं, का समाधान करने की आवश्यकता है:

- ब्याज दर एवं विनिमय दर जैसी समष्टि-चर राशियों की अत्यधिक अस्थिरता जोकि वास्तविक अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित करती हों;

- वित्तीय, कार्पोरेट एवं घरेलू क्षेत्र के तुलन-पत्रों में महत्वपूर्ण लीवरेज का निर्माण;
- 'टू बिग टू फ़ेल' या अत्यंत अंतर-संबद्ध रहना या इतना जटिल हो कि समाधान करना ही मुश्किल हो जाए, ऐसे कारणों से संस्थाओं के समक्ष मौजूद नैतिक जोखिम;
- अर्थव्यवस्था के सम्मुख प्रत्याशित झटकों को झेलने के लिए वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत संस्था एवं प्रणालीगत दोनों स्तरों पर आंतरिक प्रणालीगत बफ़र;
- ये सुदृढ़ नीति और संस्थागत तंत्र की स्थापना करना;
- वित्तीय क्षेत्र में अनियमित नोडों की मौजूदगी, जो औपचारिक नियंत्रित प्रणाली के साथ अपनी परस्पर संबद्धता के माध्यम से प्रणालीगत कमजोरियां पैदा कर सकती है।

7.124 दूसरी बात यह है कि इस संकट के कारण समुचित विनियामक संरचना पर सक्रिय चर्चा प्रारंभ हुई है, जोकि वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। अब हमारे चारों तरफ कई प्रकार के विनियामक मॉडल मौजूद हैं, जहाँ केंद्रीय बैंक मात्र मौद्रिक प्राधिकरण है और बैंक विनियमन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किसी अन्य एजेंसी को सौंपा गया है। संकट के बाद यह विचार प्रकट हुआ कि उक्त अलग-अलग निकायों के बीच समन्वय एवं संप्रेषण के अभाव का भी संकट पैदा करने वाले कारणों में कम-से-कम एक अंश रहा है। जबकि वित्तीय स्थिरता के हित में यही श्रेयस्कर होगा कि केंद्रीय बैंकों को बैंकों व गैर-बैंकों के विनियमन का कार्य सौंपा जाए।

7.125 तीसरी बात है विकास एवं वित्तीय स्थिरता के बीच तालमेल बनाए रखने का एक और मुद्दा। वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रथानुसार कई प्रकार के विवेकपूर्ण उपायों का प्रयोग किया है, जैसे एक्सपोजर के संबंध में मानदंड विनिर्दिष्ट करना, जोखिम भारों को सख्त करने हेतु अग्रक्रय एवं प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं का निर्धारण। किंतु इन उपायों पर हमेशा कोई लागत नहीं लगती है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर, जोखिम भारों को कड़ा करने से कुछ क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता तो होगी, लेकिन अत्यधिक, अविचारित या अनावश्यक कड़ाई से विकास कुंठित हो सकता है।

अतः मूल्य स्थिरता के मामले में केंद्रीय बैंक को वित्तीय स्थिरता एवं विकास के बीच तालमेल बिठाने में दुरुह चुनौती का सामना करना पड़ता है।

7.126 चौथी बात है विनियामक ढांचे में सुधार का अत्यंत महत्वपूर्ण होते जाना, क्योंकि केंद्रीय बैंक एक नव-नूतन रूप धारण करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लगभग सभी देश अपने विनियामक ढांचे की समीक्षा कर रहे हैं। इस परिवर्तन के दो कारण हैं : पहला यह है कि वित्तीय स्थिरता को विभिन्न विनियामकों में बांटा नहीं जा सकता; बेशक, वह किसी एक विनियामक के पास हो और यदि वह एकल विनियामक, केंद्रीय बैंक हो तो श्रेयस्कर होगा। दूसरी बात यह है कि विनियामकों के बीच नियमित रूप से समन्वय होना जरूरी है तथा संकट की स्थिति का सामना करने हेतु प्रोटोकॉल की व्यवस्था हो। इस दृष्टि से भारत में विनियामक समन्वय होना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए एवं पीएफ़आरडीए जैसे वित्तीय क्षेत्र के कई विनियामक मौजूद हैं। उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए वित्तीय बाज़ार की एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसी-एफ़एम) है, जिसमें सभी विनियामक एवं वित्त सचिव समाविष्ट हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर एचएलसीसी-एफ़एम के अध्यक्ष हैं, वित्त मंत्रालय सचिवालयीन कार्य का निर्वाह करता है। यह बैठक अनौपचारिक होती है, जहाँ खुले रूप से स्थितियों, विचारों और अभिमतों का आदान-प्रदान होता है। यह विचार प्रकट किया गया है कि एचएलसीसी-एफ़एम को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया जाए। औपचारिक रूप धारण करने से दायित्व-निर्धारण को लागू किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक कमी भी है कि यह मंच अत्यंत अफ़सरशाही हो सकता है और उसकी मूल्य-वर्धक विशेषताओं में कमी हो सकती है।

7.127 वर्तमान में वित्तीय बाज़ारों के विनियमन की व्यवस्था निम्नवत् है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार, क्रेडिट बाज़ार तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार और उससे संबद्ध व्युत्पन्नियों का विनियमन करता है। ओटीसी व्युत्पन्नियों के संबंध में केवल उन व्युत्पन्नियों को कानूनी वैधता प्राप्त है, जिनके लेनदेनों में एक पार्टी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की

जाने वाली संस्था हो। एक्सचेंजों (बाज़ारों) में जिन उत्पादों का लेन-देन होता है, उनके लेनदेन के निष्पादन संबंधी प्रक्रिया सेबी की विनियामक परिधि के अंतर्गत होगी। इस प्रकार, कई देशों के विपरीत, भारत में ओटीसी व्युत्पन्नियों के विनियमन के लिए सुस्थापित प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

7.128 ईक्विटी मूल्यों के विपरीत, ब्याज दरें एवं विनिमय दरें प्रमुख समष्टि-अर्थव्यवस्थागत चर हैं, जिनमें मौद्रिक नीति एवं समग्र समष्टि-अर्थव्यवस्थागत स्थिरता संबंधी विवक्षाएं मौजूद हैं। इसके अलावा, ब्याज एवं विनिमय दर बाज़ारों पर बैंकों का वर्चस्व रहता है। इन बाज़ारों का विनियामक होने की हैसियत से भारतीय रिज़र्व बैंक इन संस्थाओं, बाज़ारों, उत्पादों का पर्यवेक्षण कर सकता है, बाज़ार की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता है, आसन्न परिवर्तनों का पता लगा सकता है, अग्रिम कार्रवाई कर सकता है, अत्यधिक अस्थिरता को रोक सकता है तथा प्रणालीगत स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रख सकता है। इस व्यवस्था ने समय की कसौटी पर खरी उतरकर ताकतवर झटकों को झेलते हुए हमारी वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखा है। वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के हित में वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना श्रेयस्कर होगा।

7.129 विनियामक ढांचे के सुधार में एक प्रश्न उठता है कि क्या केंद्रीय बैंक को बैंकिंग विनियामक भी होना चाहिए। संकट के पहले इस बात को लेकर खूब बहस हो रही थी कि मौद्रिक एवं विनियामक कार्यों को अलग-अलग कर दिया जाए, नहीं तो हितों में टकराव हो सकता है। इस नज़रिए से यदि वित्तीय स्थिरता केंद्रीय बैंक के लिए सर्वाधिक महत्व रखने वाली बात बन जाए तो उससे बैंकों के सामने नैतिक जोखिम की स्थिति पैदा हो सकती है। इस संकट से यह भी मालूम पड़ा कि मौद्रिक नीति प्रबंधन एवं वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के बीच सुस्पष्ट सहक्रियाएं हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश, जहाँ विनियमन एवं पर्यवेक्षण कार्य केंद्रीय बैंक से इतर किसी एजेंसी द्वारा किया जाता हो, अब अपने विनियामक ढांचे पर पुनर्विचार कर रहे हैं और उसके एकीकरण की ओर ध्यान-केंद्रित कर रहे हैं।

7.130 पाँचवीं बात है वित्तीय व मौद्रिक नीतियों के बीच तनाव, जो वित्तीय स्थिरता को डगमगा सकता है। यदि सरकारें लगातार

भारी वित्तीय घाटा करती रहेंगीं तो केंद्रीय बैंकों को मूल्य स्थिरता बनाए रखना कठिन हो जाएगा। चालू संकट से पता चला है कि केवल मूल्य स्थिरता से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। लेकिन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल्य स्थिरता वित्तीय स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है। उच्चतर मुद्रास्फीति से आय-वक्र ऊर्ध्वमुखी हो सकता है। परिणामस्वरूप नियत आयदायी लिखतों के बाजार मूल्यों पर अंकित करने से काफी हानि हो सकती है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।

7.131 भारत में वैश्विक संकट के शुरू होने के काफी पहले ही समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमन जोखिम-भारों एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के प्रति-चक्रीय प्रयोग के रूप में मौजूद थे। बैंकों तथा संस्थाओं, वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर-संबद्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रणालीगत जोखिम विश्लेषण किया जाना जरूरी है, जिसके तहत इन तीनों खंडों के बीच परिवर्तनशील गतिकी का निरंतर रूप से मूल्यांकन शामिल है। इन खंडों में से किसी एक में भी कमजोरी हो तो उसके बढ़ जाने की आशंका है तथा उनकी मजबूत अंतर-संबद्धता की दृष्टि से प्रणालीगत मुद्दा भी उठ सकता है।

7.132 सतत अंतरराष्ट्रीय पहलों के तहत स्थिरता के विभिन्न पहलुओं वाला बहुमुखी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। (क) प्रति-चक्रीय पूंजी प्रभार को अपनाते हुए विनियामक ढांचे में स्वचालित स्टेबिलाइजर को शामिल करना; (ख) बासेल-II जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे के मुताबिक पूंजी की पर्याप्तता व गुणवत्ता तथा साथ ही

साथ लीवरेज अनुपात जैसे सरल उपायों का प्रयोग; (ग) प्रतिभूतिकरण गतिविधियों एवं प्रायोजित या संबद्ध माध्यमों/आभासी बैंकों के कार्यकलापों में निहित प्रतिष्ठागत और अन्य जोखिमों के लिए पूंजी की अपेक्षाएं; (घ) ट्रेडिंग बही एक्सपोजरों के लिए पूंजी का निर्धारण और वृद्धिशील जोखिम प्रभार के साथ जोखिम मूल्य दृष्टिकोण की पूरक व्यवस्था की आवश्यकता; (ङ) पिलर-2 पर्यवेक्षण को मजबूत बनाना, जोखिम संकेंद्रण पर ध्यान-केंद्रित करना, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर, वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन, वित्तीय संकट की परिकल्पित स्थिति में चलनिधि उपलब्ध कराने में सुगम्यता, बैंकों द्वारा अंगीकृत तनाव परीक्षण प्रथाएं तथा प्रणालीगत स्तर पर तनाव परीक्षण और उनका पूंजी एवं चलनिधि की आयोजना के साथ एकीकरण; तथा (च) कतिपय लिखतों से संबंधित एक्सपोजरों में निहित जोखिम का बेहतर प्रकटन एवं उसकी स्पष्टता के माध्यम से पिलर-3 के तहत बाजार अनुशासन को बढ़ावा देना। अंतर-राष्ट्रीय विचार-विमर्श के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे बाजार के खिलाड़ियों के लिए विरूपित प्रोत्साहन ढांचों में निहित जोखिम, रेटिंग एजेंसियों के संबंध में स्व-विनियमन की अपर्याप्तता, जोखिम विश्लेषण और आकलन के मॉडलों में मौजूद कमियां तथा व्युत्पन्नियों के लिए बाजार ढांचे में सुधार की आवश्यकता। उभरते अंतर-राष्ट्रीय मानकों एवं उत्कृष्ट प्रथाओं की भारतीय परिप्रेक्ष्य में सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। साथ ही, वित्तीय प्रणाली पर पड़ने वाले प्रणालीगत तनाव से बचने के लिए देशी वित्तीय स्थिरता के ढांचे को और मजबूत किया जाए।

परिशिष्ट सारणी II.1: संकट के प्रति नीतिगत जवाबी कार्रवाई: वित्तीय क्षेत्र के बचाव हेतु प्रयास

वित्तीय क्षेत्र के लिए हेडलाइन समर्थन और अग्रिम वित्तपोषण की जरूरत, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में							
1	2	3	4	5	6	7	8
	पूंजी अंतर्वेशन (क)	आस्तियों की खरीद तथा ट्रेजरी द्वारा ऋण प्रदान (ख)	ट्रेजरी की सहायता से केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया समर्थन (ग)	केंद्रीय बैंक द्वारा चलनिधि प्रावधान और अन्य समर्थन (घ)	गारंटी (ड)	कुल (क+ख+ग+घ+ड)	अग्रिम सरकारी वित्तपोषण
ओईसीडी के सदस्य							
ऑस्ट्रेलिया	0	0.7	0	0	n.a.	0.7	0.7
ऑस्ट्रिया	5.3	0	0	0	30	35.3	5.3
बेल्जियम	4.7	0	0	0	26.2	30.9	4.7
कनाडा	0	8.8	0	1.6	11.7	22	8.8
फ्रांस	1.2	1.3	0	0	16.4	19	1.5
जर्मनी	3.7	0.4	0	0	17.6	21.7	3.7
ग्रीस	2.1	3.3	0	0	6.2	11.6	5.4
हंगरी	1.1	0	0	4	1.1	6.2	1.1
आयरलैंड	5.3	0	0	0	257	263	5.3
इटली	1.3	0	0	2.5	0	3.8	1.3
जापान	2.4	6.7	0	0	3.9	12.9	0.2
नीदरलैंड	3.4	2.8	0	0	33.7	39.8	6.2
नॉर्वे	0	13.8	0	0	0	13.8	13.8
पोलैंड	0.4	0	0	0	3.2	3.6	0.4
पुर्तगाल	2.4	0	0	0	12	14.4	2.4
दक्षिण कोरिया	2.5	1.2	0	0	10.6	14.3	0.2
स्पेन	0	4.6	0	0	18.3	22.8	4.6
स्वीडन	2.1	5.3	0	15.3	47.3	70	5.8
स्विजरलैंड	1.1	0	0	10.9	0	12.1	1.1
तुर्की	0	0	0	0.2	0	0.2	0
यूनाइटेड किंगडम	3.5	13.8	12.9	0	17.4	47.5	19.8
संयुक्त राज्य अमरीका	4	6	1.1	31.3	31.3	73.7	6.3
गैर-ओईसीडी के सदस्य							
अर्जेंटीना	0	0.9	0	0	0	0.9	0
ब्राजील	0	0	0	1.5	0	1.5	0
चीन	0.5	0	0	0	0	0.5	0
भारत	0	0	0	5.6	0	5.6	0
इंडोनेशिया	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1
रूस	0.1	0.4	2.9	3.2	0.5	7.1	0.6
सऊदी अरब	0.6	0.6	0	8.2	n.a.	9.4	1.2
जी 20 औसत	1.9	3.3	1	9.3	12.4	27.9	3.3

स्रोत: बेहिनार, गार्ट (2009): दि टर्मोइल एंड दि फिनान्सियल इंडस्ट्री: डेवेलपमेंट्स एंड पॉलिसी रेस्पोंसेस, ओईसीडी।

अनुबंध III.1 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किए गए पहल - 2008-09 (जुलाई-जून)

- बैंकों द्वारा भौतिक आस्तियों के पुनर्मूल्यन के संबंध में, बीएफएस ने यह राय प्रकट की कि बैंकों के लिए यह उचित नहीं होगा कि वे अपनी परिचालनगत आस्तियों, यथा भवन जहां से बैंक कार्य कर रहा था/व्यवसाय कर रहा था, का पुनर्मूल्यन करें तथा आरक्षित निधियों में कल्पित मूल्यवृद्धि को शामिल करें जैसे कि बैंक ने वस्तुतः उस संपत्ति को बेच दिया हो। इस संदर्भ में बैंकों द्वारा *बिक्री तथा वापसी लीज* के मुद्दे पर चर्चा की गयी, जिसमें एक पक्षकार संपत्ति को खरीदार को बेचना है तथा खरीदने वाला तत्काल उस संपत्ति को वापस विक्रेता को लीज पर दे देता है, तथा बीएफएस ने यह निदेश दिया कि बैंकों द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं / समूह की संस्थाओं और / अथवा बैंक द्वारा बनाए गये एसपीवी को संपत्ति बेचे जाने के प्रस्ताव पर संपत्ति को बाद में वापस लीज पर लिए जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- वैश्विक वित्तीय संकट पृष्ठभूमि में, बीएफएस ने वैश्विक बाजारों से उभरते संकेतों तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर उसके परिणामी प्रभावों पर कड़ी निगरानी रखी। एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, बीएफएस अब ऋण डेरिवेटिवों तथा भारत में बैंकों के विदेशी परिचालनों के अन्य निवेश संविभाग में बाजार भाव पर दर्शाई गई हानियों पर मासिक आधार पर निगरानी रख रहा है। इस संदर्भ में, बीएफएस भारत में वाणिज्य बैंकों के ऋण संविभाग के तनाव परीक्षण के परिणाम पर भी निगरानी रख रहा है ताकि मार्च 2008 के अंत में, विभिन्न तनावपूर्ण परिदृश्यों के तहत बैंकों की आघात-सहनीयता का आकलन किया जा सके, जिससे यह प्रकट हुआ कि प्रणाली स्तर पर किसी भी परिदृश्य में सीआरएआर निर्धारित न्यूनतम स्तर के नीचे नहीं गिरा। यह भी देखा गया कि कुछ अलग-अलग बैंकों का सीआरएआर अपेक्षित न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाने पर भी, प्रणालीगत प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा।
- विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों के संबंध में मीडिया में उभरती चिंताओं को देखते हुए, बीएफएस ने यह निदेश दिया कि एक्सपोजर के ऊपरी छोर वाले कुछ चुनिंदा बैंकों के बारे में संरचित फार्मेट में ब्यौरेवार जानकारी मंगाई जाए। विदेशी बैंकों सहित कुछ बैंकों के अध्यक्षों / सीईओ के साथ हुई कई बैठकों में इन उत्पादों के बारे में 'उपयुक्तता तथा औचित्य के सिद्धांतों, कंपनियों की जोखिम प्रबंधन नीतियों तथा बैंकों द्वारा लागत में कटौती के लिए शुरू किये गये उपायों के संदर्भ में चर्चा की गयी तथा इस मामले में रिजर्व बैंक की चिंता से उन्हें अवगत करा दिया गया। इन चर्चाओं के आधार पर बीएफएस के सामने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
- बैंक द्वारा सहायक संस्था के माध्यम से ऐसे कार्यकलाप करने, जिनकी अनुमति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत बैंकों को नहीं दी गयी है, संबंधी मुद्दे की जांच करते हुए बीएफएस ने निर्णय लिया कि जो कार्यकलाप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं करने के लिए बैंकों को अनुमति नहीं है, उसे उन संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकता जिनमें बैंक की महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है।
- जहां तक आउटसोर्सिंग व्यवस्था का संबंध था, बीएफएस ने तीसरे पक्षकार के सेवा प्रदाताओं के साथ बैंकों द्वारा हस्ताक्षरित आउटसोर्सिंग संबंधी संविदाओं में एक उचित प्रलेखन प्रक्रिया / उचित प्रलेख परिरक्षण खंड की उपलब्धता पर विशेष बल दिया। बोर्ड ने इस बात पर भी बल दिया कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है यदि रिकार्ड उचित हों तथा प्रलेखीकरण पूर्ण हो। प्रलेखों तथा रिकार्डों के अभाव में बैंक तथा आउटसोर्सिंग वाली एजेंसी के कानूनी अधिकारों तथा उनकी जिम्मेदारी को और संविदा की प्रवर्तनीयता तक को निर्धारित करना कठिन हो जाता है। बोर्ड ने निदेश दिया कि (i) आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों में आउटसोर्सिंग संविदाओं के बारे में प्रवर्तनीयता संबंधी अपेक्षा पर स्पष्ट रूप से बल दिया जाना चाहिए तथा संविदा में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि आउटसोर्सिंग संबंधी सभी प्रलेख रिजर्व बैंक तथा बैंक के आंतरिक निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और (ii) बैंकों के आंतरिक लेखा-परीक्षकों

के लिए आउटसोर्सिंग एजेंटों / एजेंसियों की लेखा-परीक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए तथा (iii) इस संबंध में, एक पुष्टि रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए। बीएफएस के निदेशों के आधार पर, बैंकों द्वारा पुष्टि रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में विनियामक अंतर्गत को भरने हेतु सभी वाणिज्य बैंकों को एक परिपत्र जारी किया गया।

- वाणिज्य बैंकों में मौजूद खुदरा ऋण संबंधी प्रथाओं की ओर बीएफएस ने ध्यान दिया। बीएफएस को बताया गया खुदरा ऋण कारोबार की प्रथाओं में तेजी आई तथा वे इस संबंध में परंपरागत बैंकिंग प्रथाओं से काफी अलग हैं। इस संबंध में, बीएफएस ने यह निर्णय लिया कि जहां बैंकों को इस संबंध में सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यह आवश्यक है कि इन मॉडलों की सुदृढ़ता, समर्थता और कारगरता की जांच की जाए। इन पद्धतियों, विनियोजित मान्यताओं, सैम्पलिंग तकनीकों सहित प्रयुक्त नमूनों की जांच करने की जरूरत है। यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि इन तकनीकों / मॉडलों के तहत की गयी प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं कम-से-कम अलग खाता मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत की गयी अपेक्षाओं के बराबर हों, क्योंकि प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा के आकलन में किसी तरह की कमी स्वीकार नहीं की जा सकती। यह भी महसूस किया गया कि पेशेवरों की नियुक्ति सहित बैंक में परिमाणात्मक योग्यता का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो रहा था क्योंकि बासेल II के तहत उन्नत पद्धतियों के संदर्भ में मॉडलों का उपयोग बढ़ेगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि एक अंतर-विभागीय दल मूल्यांकन का कार्य करेगा।
- बैंकों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के आधार पर नोस्ट्रो खातों के समाधान में की गई प्रगति के संदर्भ में, बीएफएस ने अन्य बातों के साथ-साथ लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित को अंतरित करने की अनुमति बैंकों को देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (i) 1 अप्रैल 1996 से पहले की अवधि से संबंधित प्रविष्टियों को घटाकर मौजूद शेष राशि (ii) नोस्ट्रो तथा '2500 अमरीकी डालर से कम' कम के नमूना (मिरर) खातों में समाधान न की गयी अलग-अलग जमा प्रविष्टियों जो 1

अप्रैल 1996 तथा 31 मार्च 2002 के बीच उत्पन्न हुई तथा निरुद्ध खाते में रखी गयीं, का योग।

- बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मुद्दे पर, विशेष तौर पर बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही ऐसी प्रक्रियाओं में पायी गयी कमियों के संदर्भ में, बीएफएस ने निर्णय लिया कि बैंकों को इस बात की जानकारी दी जाए कि अक्टूबर 2007 में जारी किए गए वर्तमान परिपत्र में सिर्फ ऐसे स्थूल सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनका अनुपालन समझौता निपटान करते समय बैंकों द्वारा किया जाना है। बैंक परिस्थितियों, प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर समझौता निपटान करना जारी रख सकते हैं तथा उन्हें लिए गए निर्णय को उचित साबित करने में समर्थ होना चाहिए।
- बैंकों के विलय के संदर्भ में, बीएफएस की राय यह थी कि विलय की गयी संस्था के गौण ऋण को उसी तरह पुनः जारी किया जाना चाहिए जिस प्रकार इक्विटी को पुनः जारी किया जाता है। इसने इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया कि भारतीय संदर्भ में ऐच्छिक विलय/अनिवार्य विलय तथा अभिग्रहण के सभी मामलों में, विलय/समामेलन की योजना में टियर I तथा टियर II लिखतों के प्रति स्वीकार्य देयता की मात्रा निर्धारित होगी। फलस्वरूप, इन लिखतों को दुबारा जारी करना पड़ सकता है।
- शाखा निरीक्षण के वर्तमान दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करते समय, बीएफएस ने वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के लिए शाखाओं के चयन हेतु वर्तमान मानदंडों को संशोधित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अग्रिमों की न्यूनतम निर्धारित व्याप्ति सहित वर्तमान मानदंडों के अलावा, यह प्रस्ताव किया गया कि अतिरिक्त मानदंडों का एक मिश्रण निर्धारित किया जाए, यथा 'सामान्यतः उच्च कारोबारी वृद्धि वाली शाखाएं', 'प्रतिकूल आंतरिक रेटिंग वाली शाखाएं', 'एक अल्पावधि के भीतर सामान्यतः बड़ी संख्या में खाते खोलने वाली शाखाएं' तथा 'अग्रिमों की उल्लेखनीय शीघ्र मर्त्यता वाली शाखाएं'। अग्रिमों, केवाईसी/एएमएल के अनुपालन, सीटीआर/एसटीआर, तथा ग्राहक सेवा की पर्याप्तता की तुलना में आस्ति वर्गीकरण, अग्रिमों के संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही, यह भी प्रस्ताव है कि तुलनपत्र बाह्य कारोबार के तहत, बैंक द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार

के डेरिवेटिव उत्पादों की जांच कारोबार की मात्रा पर निर्भर रहते हुए वर्ष के दौरान तुलनपत्र बाह्य लेनदेनों के 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के दायरे के साथ नमूना आधार पर की जानी चाहिए। इन अतिरिक्त मानदंडों के फलस्वरूप शाखाओं की पहचान की गतिशील प्रक्रिया बनेगी जिससे निरीक्षण के लिए शाखाओं के बेहतर नमूने सामने आएंगे। प्रस्ताव का अनुमोदन बीएफएस द्वारा किया गया तथा आवश्यक अनुदेश सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं।

- हाल के सब-प्राइम संकट की पृष्ठभूमि में, बीएफएस ने वर्तमान संकट जैसे परिदृश्य में वैश्विक देयताओं के परिसमापन हेतु भारत में विदेशी बैंकों की आस्तियों के व्यवहार/की उपलब्धता पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। चक्रीय घेराबंदी (रिंग फेंसिंग), शाखाओं और सहायक संस्थाओं की चक्रीय घेराबंदी में अंतर, चक्रीय घेराबंदी की देशवार प्रथाओं तथा चक्रीय घेराबंदी के संबंध में भारतीय विधिक स्थिति संबंधी शैक्षणिक साहित्य तथा अंतरराष्ट्रीय विधिक स्थिति पर व्यापक चर्चा करने के बाद, बीएफएस ने यह निदेश दिया कि इस मामले में यथास्थिति बनायी रखी जाए तथा यह भी कि रिजर्व बैंक इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों तथा मानकों के उभरने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

- मूल बैंक के साथ समेकित किए जाने के लिए अपेक्षित समूह संस्थाओं (सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों) के बारे में व्याख्यात्मक मुद्दों पर विचार करते हुए, बीएफएस ने यह निदेश दिया कि बैंकों को एक अस्थायी अवधि के लिए अथवा अन्यथा सहायक संस्था, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम में निवेश करने के समय निवेश की धारिता के आशय को दर्ज करना चाहिए। ऐसे निवेश के समय बोर्ड द्वारा इस प्रकार का आशय दर्ज न किए जाने पर, समेकन के प्रयोजन के लिए उसे हिसाब में लिया जाएगा।
- पर्यवेक्षणात्मक रेटिंग मॉडल के लागू किए जाने के समय से उसे परिष्कृत करने पर बल देना जारी रखते हुए, बीएफएस ने रेटिंग मॉडल के अर्जन मूल्यांकन घटक के संशोधन को अनुमोदित किया तथा वर्तमान रेटिंग मॉडल के अर्जन मूल्यांकन घटक में आरओई (इक्विटी पर प्रतिलाभ) को आबंटित अंक 60 से घटाकर 30 कर दिया और 30 अंकों के साथ आरओए (आस्तियों पर प्रतिलाभ) नामक मानदंड को दुबारा लागू किया। वर्तमान अंकों के साथ अन्य सभी मानदंडों को भी बनाए रखा गया है। बीएफएस ने यह भी निदेश दिया कि 2009-10 के निरीक्षण चक्र से संशोधित मॉडल का कार्यान्वयन किया जाए।

परिशिष्ट VII.1: केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें : महत्वपूर्ण विशेषताएं

देश	प्रकाशन का शीर्षक	आरंभ का वर्ष	प्रकाशन का शीर्षक	अद्यतन रिपोर्ट	आकार (पृष्ठ)
1	2	3	4	5	6
विकसित अर्थव्यवस्थाएं					
ऑस्ट्रेलिया	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	छमाही	सितंबर-08	71
ऑस्ट्रिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2001	छमाही	दिसंबर-08	175
बेल्जियम	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2003	वार्षिक	2008	160
कनाडा	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2002	छमाही	दिसंबर-08	66
डेनमार्क	डेनमार्क में वित्तीय स्थिरता	2002	वार्षिक (2008 से छमाही)	2008	62
यूरोपियन यूनियन	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	छमाही	2008(दिसंबर)	157
फिनलैंड	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2008	तिमाही	2008(4)	22
फ्रांस	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2002	प्रारंभ में छमाही, बाद में अनियमित	अक्टूबर-08	150-200
जर्मनी	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2003*	वार्षिक	नवंबर-07	150
हांगकांग	मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2003	छमाही	दिसंबर-08	90
आइसलैंड	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2005	वार्षिक	2008	80-100
आयरलैंड	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2001	वार्षिक	2007	60-80
जापान	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2005	छमाही#	सितंबर-08	85
कोरिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2005	छमाही	अक्टूबर-08	117
नीदरलैंड	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	छमाही	सितंबर-08	25
न्यूजीलैंड	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2004	छमाही	नवंबर-08	52
नार्वे	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	1999	छमाही#	2008(एच2)	60-70
पुर्तगाल	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2004	वार्षिक	2007	178
सिंगापुर	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	वार्षिक#	नवंबर-08	70
स्पेन	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2002	छमाही	नवंबर-08	52
स्वीडन	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	1997	छमाही	नवंबर-08	124
स्विट्जरलैंड	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2003	वार्षिक	जून-08	45
यूके	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	1996*	छमाही	अक्टूबर-08	70-80
विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं					
अल्बानिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (पूर्व में बुलेटिन)	2007	वार्षिक	2007	70
अर्जेंटीना	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2004	छमाही	सितंबर, 08	87
आर्मेनिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2007	वार्षिक	2007	56
बहरीन	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2007	छमाही	जुलाई-08	49
बांग्लादेश	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2006	छमाही	जून-08	88
बेलारूस	बेलारूस में वित्तीय स्थिरता	2007	वार्षिक	2007	61
बोस्निया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2007	वार्षिक	2007 (जुलाई 2008)	66
ब्राजील	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2002	छमाही	मई-08	156
चिली	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2004	छमाही	की दूसरी छमाही 2008	80
चीन	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2005	वार्षिक	मई-08	170
कोलंबिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2002	छमाही	मार्च 08	104
क्रोएशिया	वित्तीय स्थिरता क्रोएशिया	2008	छमाही	जून 08	48
चेक गणराज्य	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	वार्षिक	2007	110
पूर्व कैरिबियन	मौद्रिक और वित्तीय समीक्षा	2001	वार्षिक/तिमाही	2008(जून)	109
एस्तोनिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2003	छमाही	2008(2)	73

परिशिष्ट VII.1: केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें : महत्वपूर्ण विशेषताएं (जारी)

देश	प्रकाशन का शीर्षक	आरंभ का वर्ष	प्रकाशन का शीर्षक	अद्यतन रिपोर्ट	आकार (पृष्ठ)
1	2	3	4	5	6
जॉर्जिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2006	वार्षिक	2008	44
हंगरी	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2000	छमाही	2008(अक्तूबर)	67
इंडोनेशिया	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2003	छमाही	सितंबर-08	104
इजराइल	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2003	वार्षिक	2005 से स्थगित	150
जमैका	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2005	वार्षिक	2007	62
कजाखिस्तान	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2006	वार्षिक	2008	120
लात्विया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2003	छमाही	2007	61
मेसीडोनिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2007	वार्षिक	2007	107
मलेशिया	वित्तीय स्थिरता और भुगतान प्रणाली रिपोर्ट	2006	वार्षिक	2007	157
मेक्सिको	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2007	वार्षिक	2007	185
मंगोलिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	##	छमाही		
पाकिस्तान	वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन	2000	वार्षिक	2005	185
फिलिपीन्स	फिलिपीन्स की वित्तीय प्रणाली के संबंध में स्थिति रिपोर्ट	उ.न.	छमाही	प्रथम सत्र 2008	225
पोलैंड	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2003	छमाही समीक्षाओं के साथ वार्षिक एफएसआर	अक्तूबर-08	118
कतार	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2006	तिमाही	2006	11
रोमानिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2006	वार्षिक	2008	94
रूस	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2005	वार्षिक	2006	45
सर्बिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2005	वार्षिक	2008	68
स्लोवाकिया	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2003	वार्षिक	2007	89
स्लोवेनिया	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	वार्षिक	मई-08	173
दक्षिण अफ्रीका	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	छमाही	मार्च-08	41
श्रीलंका	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	वार्षिक	2007 (अक्तूबर)	83
थाईलैंड	उपलब्ध नहीं				
तुर्की	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2005	छमाही	नवंबर-08	86
अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं					
आइएमएफ	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2002	छमाही	अक्तूबर-08	220-230
ईसीबी	वित्तीय स्थिरता समीक्षा	2004	छमाही	दिसंबर-08	200-250

परिशिष्ट VII.1: केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट : महत्वपूर्ण विशेषताएं (जारी)

देश/संस्थाएं	नवीनतम अंकों की अध्याय योजना	सांख्यिकीय परिशिष्ट	प्रकाशन का स्तर	क्या बैंकिंग विनियामक है!	क्या वित्तीय स्थिरता मुख्य कार्य है!	प्रकटीकरण
1	7	8	9	10	11	12
विकसित अर्थव्यवस्थाएं						
ऑस्ट्रेलिया	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
ऑस्ट्रिया	मिश्रित	हां	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
बेल्जियम	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
कनाडा	मिश्रित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
डेनमार्क	थीम	नहीं	नहीं	नहीं	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
यूरोपियन संघ	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	हां	नहीं	नहीं	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
फिनलैंड	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
फ्रांस	कोई निर्धारित ढांचा नहीं (विहगावलोकन और लेख)	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
जर्मनी	मिश्रित (निर्धारित और मुद्रों पर आधारित लेख)	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	होम पेज पर लिंक
हाँगाँग	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	हां	होम पेज पर लिंक
आइसलैंड	कुछ पक्का नहीं	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
आयरलैंड	मिश्रित (निर्धारित, थीम आधारित और लेख)	नहीं	सांविधिक	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
जापान	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
कोरिया	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
नीदरलैंड	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
न्यूजीलैंड	निर्धारित	ग्राफिकीय परिशिष्ट	सांविधिक	हां	हां	होम पेज पर लिंक
नॉर्वे	पहले निर्धारित थी अब मुद्रा आधारित	हां	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
पुर्तगाल	मिश्रित	हां	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
सिंगापुर	मिश्रित (पहले निर्धारित)	हां	सांविधिकेतर	हां	हां	होम पेज पर लिंक
स्पेन	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
स्वीडन	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	नहीं	सांविधिक	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
स्विट्जरलैंड	मिश्रित	नहीं	सांविधिक	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
यूके	कोई निर्धारित ढांचा नहीं / थीम	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं						
अल्बानिया	निर्धारित	हां	सांविधिक	हां	हां	होम पेज पर लिंक
अर्जेंटीना	निर्धारित	हां	सांविधिकेतर	हां	हां	होम पेज पर लिंक
आर्मेनिया	निर्धारित	नहीं	सांविधिक	हां	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
बहरीन	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
बांग्लादेश	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
बेलारूस	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
बोस्निया	निर्धारित	हां	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
ब्राजील	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	हां	सांविधिकेतर	हां	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
चिली	निर्धारित फार्मेट में नहीं	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	होम पेज पर लिंक
चीन	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	हां	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक

परिशिष्ट VII.1: केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट : महत्वपूर्ण विशेषताएं (समाप्त)

देश/संस्थाएं	नवीनतम अंकों की अध्याय योजना	सांख्यिकीय परिशिष्ट	प्रकाशन का स्तर	क्या बैंकिंग विनियामक है!	क्या वित्तीय स्थिरता मुख्य कार्य है!	प्रकटीकरण
1	7	8	9	10	11	12
कोलंबिया	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
क्रोएशिया	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	होम पेज पर लिंक
चेक गणराज्य	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	नहीं	सांविधिक	हां	नहीं	होम पेज पर लिंक
पूर्व केरेबियन एस्तोनिया	निर्धारित मिश्रित (निर्धारित और लेख)	हां नहीं	नहीं नहीं	हां नहीं	नहीं हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से प्रकाशन लिंक के माध्यम से
जॉर्जिया	मिश्रित	हां	सांविधिकेतर	हां	हां	होम पेज पर लिंक
हंगरी	मिश्रित	हां	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	होम पेज पर लिंक
इंडोनेशिया	मिश्रित (निर्धारित और लेख)	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	होम पेज पर लिंक
इजराइल	मिश्रित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
जमाइका	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
कजाखिस्तान	मिश्रित	हां	सांविधिकेतर	हां	हां	होम पेज पर लिंक
लात्विया	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
मेसिडोनिया	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
मलेशिया	निर्धारित फार्मेट में नहीं	हां	सांविधिक	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
मेक्सिको	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
मंगोलिया					हां	होम पेज पर लिंक
पाकिस्तान	निर्धारित	हां	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
फिलीपीन्स	निर्धारित	हां	सांविधिक	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
पोलैंड	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
कतार	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	होम पेज पर लिंक
रोमानिया	मिश्रित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
रूस	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
सर्बिया	निर्धारित	नहीं	सांविधिक	हां	हां	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
स्लोवाकिया	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
स्लोवेनिया	निर्धारित	हां	सांविधिकेतर	हां	नहीं	प्रकाशन लिंक के माध्यम से
दक्षिण अफ्रीका	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	नहीं	होम पेज पर लिंक
श्रीलंका	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	हां	हां	होम पेज पर लिंक
थाइलैंड						प्रकाशन लिंक के माध्यम से
तुर्की	निर्धारित	नहीं	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं						
आइएमएफ	थीम आधारित	45-50	सांविधिकेतर	नहीं	हां	होम पेज पर लिंक
ईसीबी	निर्धारित	50-60 पृष्ठ	सांविधिकेतर	नहीं	'मूल कार्यों' का अंग नहीं लेकिन 'और कार्यों' का अंग प्रकाशन लिंक के माध्यम से	प्रकाशन लिंक के माध्यम से

परिशिष्ट VII.2: वित्तीय स्थिरता विश्लेषण में आम तौर पर प्रयोग की गई चार राशियां

क्षेत्र	माप	बारंबारता	वे क्या मापते हैं?	संकेतकारी विशेषताएं
1	2	3	4	5
वास्तविक अर्थव्यवस्था	जीडीपी वृद्धि	ति. या वा.	समष्टि अर्थव्यवस्था की शक्ति का सूचक है, जीडीपी महत्वपूर्ण मापों में से हैं जो विशेष रूप से ऋण विस्तार, राजकोषीय घाटे जैसी मापों के साथ उपयोग किया जाता है।	नकारात्मक अथवा कम धनात्मक मूल्य मंदी दर्शाएंगे, अत्यधिक ऊंचे मूल्य अवहनीय वृद्धि दर्शा सकती है।
	सरकार की राजकोषीय स्थिति	वा., ति. या मा.	वित्तीयन खोजने की सरकार की योग्यता, वित्तीयन न मिलने पर सरकारी ऋणी की असहायता।	जीडीपी के सापेक्ष ऊंचे घाटा मूल्य का अर्थ अवहनीय सरकारी ऋणग्रस्तता और सरकारी कर्जदार की असहायता हो सकता है।
	मुद्रास्फीति	मा. या वा.	विभिन्न मूल्य सूचकांकों में वृद्धि की दर	मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर अर्थव्यवस्था में संरचनागत कमजोरियों का संकेत देंगे और ऋणग्रस्तता के बड़े हुए स्तर से संभवतः मौद्रिक स्थितियां कठोर होंगी। उलटे, मुद्रास्फीति के निम्न स्तर से वित्तीय बाजारों में जोखिम भूख बढ़ने की संभावना रहेगी।
कारपोरेट क्षेत्र	इक्विटी के प्रति कुल ऋण	ति. या वा.	कारपोरेटों की लीवरेज	अत्यंत ऊंचे स्तर ऋण दायित्वों को पूरा करने में आनेवाली कठिनाइयों का संकेत दे सकते हैं।
	ब्याज से आय और मूल व्यय	ति. या वा.	आंतरिक संसाधनों पर निर्भर रहते हुए भुगतान दायित्व को पूरा करने की कारपोरेटों की योग्यता	चलनिधि के अत्यंत निम्न स्तर ऋण दायित्वों को पूरा करने की असमर्थता का संकेत दे सकते हैं।
	इक्विटी के प्रति निवल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	ति. या वा.	करेंसी विसंगतियां	इस अनुपात के ऊंचे स्तर खराब करेंसी चालों से उत्पन्न होनेवाली कारपोरेट क्षेत्र की घटनाओं का संकेत दे सकते हैं।
	कारपोरेट चूकें	ति. या वा.	कारपोरेट क्षेत्र में दिवालिया होने की घटनाएं निवल घरेलू	यदि भावी समस्याओं के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए तो ऊंचे मूल्य बैंकिंग क्षेत्र की भावी समस्याओं का संकेत दे सकते हैं।
घरेलू क्षेत्र	घरेलू आस्तियां (वित्तीय, रियल इस्टेट)	वा., ति. या मा.	निवल घरेलू आस्तियों की गणना के लिए आस्तियों और ऋण का उपयोग किया जा सकता है	निवल घरेलू आस्तियां और खर्च करने योग्य आय (अप्रत्याशित) आर्थिक मंदी से बच निकलने में घरेलू आस्तियों की योग्यता माप सकती है।
	घरेलू ऋण	वा., ति. या मा.		
	घरेलू आय (श्रम आय, बचत आय)	वा., ति. या मा.	निवल खर्च करने योग्य आय की गणना करने के लिए आय उपभोग और ऋण सेवा भुगतानों को मिलाया जा सकता है।	
	घरेलू उपभोग	वा., ति. या मा.		
	घरेलू ऋण सेवा और मुख्य भुगतान	वा., ति. या मा.		

परिशिष्ट VII.2: वित्तीय स्थिरता विश्लेषण में आम तौर पर प्रयोग की गई चार राशियां (जारी)

क्षेत्र	माप	बारंबारता	वे क्या मापते हैं?	संकेतकारी विशेषताएं
1	2	3	4	5
बाह्य क्षेत्र	(वास्तविक) विनिमय दर	दैनिक	करेंसी का अधिक/कम मूल्यन	करेंसी के अधिक या कम मूल्यन से संकट की शुरुआत हो सकती है (पूंजी का बहिर्गमन, भारी अंतर्वाह से अथवा निर्यात प्रतियोगिता में हानि)।
	विदेशी मुद्रा आरक्षित	दैनिक	बाह्य आघातों को झेल सकने की देश की योग्यता	अल्पावधि विदेशी ऋण से कम अथवा तीन महीनों के निर्यात के बराबर मूल्य के आरक्षितों से समस्याओं के संकेत मिल सकते हैं।
	चालू खाता/पूंजी प्रवाह	वा..ति. या मा.	देश की व्यापार स्थिति	महत्वपूर्ण व्यापार घाटों को भारी पूंजी अंतर्वाहों की आवश्यकता होगी ताकि उनका वित्तपोषण किया जा सके, यह ऐसे अंतर्वाहों के बारे में वहनीयता के मुद्दे उठाता है।
	परिपक्वता/करेंसी विसंगतियां	वा..ति. या मा.	करेंसी में असमानता/आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता संघटन	करेंसी के खराब उतार-चढ़ावों या पूंजी अंतर्वाहों के अचानक विपरीत प्रवाहों के मामले में परिपक्वता और करेंसी विसंगतियों से अर्थव्यवस्था को गंभीर आघातों का सामना करना पड़ सकता है।
वित्तीय क्षेत्र	मौद्रिक समुच्चय	मा.	लेनदेन, बचत, क्रेडिट	अत्यधिक वृद्धि मुद्रास्फीति दबावों का संकेत दे सकती है।
	(वास्तविक) ब्याज दरें	दैनिक	क्रेडिट की लागत, जमाराशियां आकर्षित करने की योग्यता, ऋण की वहनीयता	प्रारंभिक सीमा से ऊपर वास्तविक ब्याज दरों के आर्थिक वृद्धि की प्रवृत्ति दर से आगे जाने की संभावना है और इस प्रकार कर्ज/ जीडीपी अनुपात विस्फोटक बन जाएंगे नकारात्मक वास्तविक दरों का अर्थ होगा कि बैंकों को जमाराशियां अकर्षित करने में मशक्कत करनी पड़ेगी।
	बैंक क्रेडिट बैंक लिवरेज अनुपातों में वृद्धि, एनपीएल, रिस्क प्रीमिया (सीडीएस); 3 माह के लिबोर के ऋण जोखिम घटक - ओआइएस स्प्रेड ;	मासिक ति.या वा. ति.या वा. दैनिक	बैंकिंग क्षेत्र की जोखिम में हैं।	उधारों में अत्यंत तेज वृद्धि के साथ अकसर गिरते उधार मानक/ (सापेक्षतया) अधिक जोखिम जुड़े रहते हैं। अत्यंत ऊंची ऋण हानियां। लीवरेज अनुपात और जोखिम प्रीमियम किसी बैंकिंग संकट को पहले से ही ढंके रहते हैं। ऋण हानियां / जीडीपी अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग संकट की कीमत को माप सकते हैं।
	पूंजी पर्याप्तता	ति.या वा.	प्रत्याशित अथवा अप्रत्याशित हानियों से निपटने के लिए बैंक के पूंजी कुशन का आकार	इस अनुपात के अत्यंत निम्न स्तर गंभीर चूकों की ओर संकेत करते हैं और ये बैंकिंग संकट के अगुवा हो सकते हैं।
	चलनिधि अनुपात	ति.या वा.	बैंक के सुगमता से उपलब्ध अल्पावधि संसाधनों का अनुपात जिसे अल्पावधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।	इस अनुपात के अत्यंत कम स्तरों से आगे चलकर प्रणाली संकट उत्पन्न हो सकता है।
	स्टैंड अलोन बैंक क्रेडिट रेटिंग	अनियमित	सरकारी अथवा अन्य गारंटियों को हिसाब में लेने के उपरांत बैंकों की अपनी शक्ति	बैंकों की स्थिति का संभावित सम्पाती संकेतक जो उनकी भावी निधायन लागतों को प्रभावित कर सकता है।
क्षेत्र/क्षेत्रीय संकेद्रण, प्रणालीगत फोकस	ति.या वा.	बैंक की उधार देने की नीति के विविधीकरण का संकेद्रण	क्या अर्थव्यवस्था में आघातों को आगे बढ़ाने की गति के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।	

परिशिष्ट VII.2: वित्तीय स्थिरता विश्लेषण में आम तौर पर प्रयोग की गई चार राशियां (समाप्त)

क्षेत्र	माप	बारंबारता	वे क्या मापते हैं?	संकेतकारी विशेषताएं
1	2	3	4	5
वित्तीय बाजार	इक्विटी सूचकांक में परिवर्तन	दैनिक	फर्मों के भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की निवल मालियत जिससे सूचकांक बनता है।	सूचकांक में प्रवृत्ति से अधिक वृद्धि अथवा बाजार की अत्यंत उंचाई जब लोग मुनाफा वसूली के लिए उतर पड़ें, इक्विटी मूल्यों के बुलबुलों का सूचक हो सकता है।
	कारपोरेट बांड स्प्रेड	दैनिक	जोखिम रहित लिखतों की तुलना में कर्ज की जोखिमता	स्प्रेड में अचानक तेज उतार-चढ़ाव जोखिम के अधिक ऊंचे स्तरों, जोखिम भूख में परिवर्तनों और बाजार द्वारा मूल्यों में खबरों को शामिल करने में बदलाव।
	बाजार चलनिधि (सरकारी बांड, 3एम लिबोर का चलनिधि जोखिम घटक - ओआइएफ स्प्रेड)	दैनिक	बाजार द्वारा जोड़े गए मूल्य जिसके साथ तरल लिखतों की ट्रेडिंग की जा सकती है।	इन प्रीमियमों में होनेवाला अचानक संक्षिप्त तेज उतार-चढ़ाव बाजार चलनिधि की भिन्न-भिन्न स्थिति दर्शा सकता है।
	अस्थिरता	दैनिक	बाजारों पर मूल्यों के उतार-चढ़ाव की तीव्रता। बाजारों पर ट्रेड करने में आसानी।	निम्न अस्थिरता शांत बाजार की परिचायक हो सकती है लेकिन यह मूल्य खोज प्रक्रिया का फेल होना भी हो सकता है। उच्च अस्थिरता बाजार चलनिधि के बिखरने का प्रतिबिम्ब हो सकती है।
	घरेलू मूल्य	ति., वा. या मा.		आवास मूल्य बुलबुला, इक्विटी आहरणों से प्रेरित उपभोग उछाल (बूम), मूल्यों के गिरने की स्थिति में वित्तीय क्षेत्र को होनेवाली संभावित हानियां।

वा. : वार्षिक

ति. : तिमाही

मा. : मासिक

दै. : दैनिक

टिप्पणी : उच्च बारंबारता के साथ उपलब्ध आंकड़े कभी-कभी वित्तीय स्थिरता निगरानी की निम्न बारंबारता के साथ उपयोग किए जा सकते हैं।

स्रोत : ब्लैज गडानिस और कौशिक जयराम (2009), 'वित्तीय स्थिरता के माप - एक समीक्षा', बीआइएस।

परिशिष्ट सारणी IV.1(अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलनपत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मदें	सरकारी क्षेत्र के बैंक*				राष्ट्रीयकृत बैंक				स्टेट बैंक समूह			
	2008		2009		2008		2009		2008		2009	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
देयताएं												
1. पूंजी	13,065	0.4	13,536	0.4	10,774	0.6	11,731	0.5	1,566	0.2	1,080	0.1
2. अरक्षित निधि व अधिशेष	1,61,721	5.4	1,94,762	5.2	93,484	5.0	1,14,721	5.0	60,140	5.9	71,341	5.6
3. जमा राशियाँ	24,53,868	81.2	31,12,748	82.6	16,06,995	85.5	19,93,305	86.1	7,73,875	76.5	10,07,042	78.7
3.1. माँग जमा राशियाँ	2,83,322	9.4	3,11,236	8.3	1,55,859	8.3	1,67,742	7.2	1,20,195	11.9	1,32,374	10.3
3.2. बचत बैंक जमा राशियाँ	5,95,734	19.7	7,05,481	18.7	3,86,277	20.5	4,44,128	19.2	2,04,635	20.2	2,55,855	20.0
3.3. सावधि जमा राशियाँ	15,74,812	52.1	20,96,031	55.6	10,64,859	56.6	13,81,434	59.7	4,49,045	44.4	6,18,814	48.3
4. उधार	1,56,357	5.2	1,58,305	4.2	47,943	2.5	51,647	2.2	64,591	6.4	62,240	4.9
5. अन्य देयताएँ और प्रवधान	2,36,913	7.8	2,87,366	7.6	1,21,075	6.4	1,42,698	6.2	1,10,787	11.0	1,38,508	10.8
कुल देयताएं	30,21,924	100.0	37,66,716	100.0	18,80,271	100.0	23,14,102	100.0	10,10,959	100.0	12,80,212	100.0
आस्तियाँ												
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	2,29,679	7.6	2,24,141	6.0	1,48,271	7.9	1,41,443	6.1	74,714	7.4	74,107	5.8
2. बैंकों के पास शेष और माँग तथा अन्य सूचना पर मुद्रा	63,586	2.1	1,31,304	3.5	42,453	2.3	75,153	3.2	19,069	1.9	53,522	4.2
3. निवेश	7,99,841	26.5	10,12,666	26.9	5,03,215	26.8	6,04,994	26.1	2,63,823	26.1	3,57,624	27.9
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (क+ख) में	6,48,847	21.5	8,47,232	22.5	4,16,780	22.2	5,05,507	21.8	2,08,764	20.7	3,01,007	23.5
क) भारत में	6,43,430	21.3	8,41,597	22.3	4,11,757	21.9	5,00,615	21.6	2,08,370	20.6	3,00,264	23.5
ख) भारत से बाहर	5,418	0.2	5,635	0.1	5,023	0.3	4,892	0.2	394	-	743	0.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	10,274	0.3	7,931	0.2	7,003	0.4	5,671	0.2	3,260	0.3	2,252	0.2
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,40,720	4.7	1,57,504	4.2	79,432	4.2	93,816	4.1	51,799	5.1	54,365	4.2
4. ऋण और अप्रिम	17,97,401	59.5	22,60,156	60.0	11,21,466	59.6	14,17,121	61.2	5,93,722	58.7	7,39,606	57.8
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	1,07,783	3.6	1,27,523	3.4	60,860	3.2	71,605	3.1	44,280	4.4	53,465	4.2
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	6,92,443	22.9	8,95,999	23.8	4,62,440	24.6	5,82,858	25.2	2,21,771	21.9	3,00,331	23.5
4.3 सावधि ऋण	9,97,175	33.0	12,36,634	32.8	5,98,165	31.8	7,62,659	33.0	3,27,672	32.4	3,85,809	30.1
5. अचल आस्तियाँ	28,797	1.0	33,743	0.9	21,440	1.1	25,407	1.1	4,591	0.5	5,512	0.4
6. अन्य आस्तियाँ	1,02,619	3.4	1,04,707	2.8	43,426	2.3	49,984	2.2	55,039	5.4	49,840	3.9
कुल आस्तियाँ	30,21,924	100.0	37,66,716	100.0	18,80,271	100.0	23,14,102	100.0	10,10,959	100.0	12,80,212	100.0

* आइडीबीआई बैंक लिमि. शामिल है।

परिशिष्ट सारणी IV.1(आ): निजी क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलनपत्र
(मार्च के अंत में)

मंदा	निजी क्षेत्र के बैंक						निजी क्षेत्र के पुराने बैंक						निजी क्षेत्र के नए बैंक					
	2008		2009		2008		2009		2008		2009		2008		2009			
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
देयताएं																		
1. पूंजी	4,613	0.5	4,591	0.5	1,083	0.6	1,171	0.5	3,531	0.5	3,420	0.4						
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	86,757	9.2	95,431	9.3	14,232	7.3	16,309	7.0	72,525	9.7	79,122	9.9						
3. जमा राशियाँ	6,75,033	71.8	7,36,379	71.7	1,65,569	85.1	1,99,274	85.9	5,09,444	68.3	5,37,105	67.5						
3.1. माँग जमा राशियाँ	99,534	10.6	1,00,793	9.8	17,313	8.9	17,632	7.6	82,220	11.0	83,160	10.5						
3.2. बचत बैंक जमा राशियाँ	1,22,064	13.0	1,40,269	13.7	29,869	15.4	34,532	14.9	92,195	12.4	1,05,738	13.3						
3.3. सवधि जमा राशियाँ	4,53,435	48.2	4,95,317	48.2	1,18,406	60.9	1,47,110	63.4	3,35,029	44.9	3,48,207	43.8						
4. उधार	87,957	9.4	94,754	9.2	3,477	1.8	4,263	1.8	84,480	11.3	90,490	11.4						
5. अन्य देयताएँ और प्रवधान	85,783	9.1	96,311	9.4	10,164	5.2	10,984	4.7	75,619	10.1	85,327	10.7						
कुल देयताएँ	9,40,144	100.0	10,27,465	100.0	1,94,544	100.0	2,32,001	100.0	7,45,599	100.0	7,95,464	100.0						
आस्तियाँ																		
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	71,282	7.6	57,477	5.6	15,512	8.0	13,250	5.7	55,769	7.5	44,227	5.6						
2. बैंकों के पास शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर मुद्दा	25,588	2.7	34,026	3.3	6,880	3.5	10,122	4.4	18,708	2.5	23,904	3.0						
3. निवेश	2,78,578	29.6	3,06,455	29.8	54,080	27.8	72,316	31.2	2,24,498	30.1	2,34,139	29.4						
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (कन्व) में	1,94,025	20.6	2,17,216	21.1	42,133	21.7	53,623	23.1	1,51,892	20.4	1,63,593	20.6						
क) भारत में	1,93,885	20.6	2,17,121	21.1	42,133	21.7	53,623	23.1	1,51,752	20.4	1,63,497	20.6						
ख) भारत से बाहर	140	-	95	-	-	-	-	-	140	-	95	-						
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	281	-	217	-	245	0.1	185	0.1	36	-	31	-						
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	84,272	9.0	89,022	8.7	11,702	6.0	18,508	8.0	72,570	9.7	70,514	8.9						
4. ऋण और अग्रिम	5,18,402	55.1	5,75,336	56.0	1,11,670	57.4	1,28,512	55.4	4,06,733	54.6	4,46,824	56.2						
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	27,441	2.9	31,227	3.0	7,028	3.6	7,523	3.2	20,413	2.7	23,704	3.0						
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	1,29,861	13.8	1,44,835	14.1	49,035	25.2	56,419	24.3	80,826	10.8	88,416	11.1						
4.3 सवधि ऋण	3,61,100	38.4	3,99,274	38.9	55,606	28.6	64,570	27.8	3,05,493	41.0	3,34,703	42.1						
5. अचल आस्तियाँ	9,628	1.0	9,880	1.0	2,022	1.0	2,183	0.9	7,607	1.0	7,698	1.0						
6. अन्य आस्तियाँ	36,666	3.9	44,290	4.3	4,381	2.3	5,617	2.4	32,285	4.3	38,673	4.9						
कुल आस्तियाँ	9,40,144	100.0	10,27,465	100.0	1,94,544	100.0	2,32,001	100.0	7,45,599	100.0	7,95,464	100.0						

* आइटीबीआई बैंक लिमि. शामिल है।

परिशिष्ट सारणी IV.1(इ): भारत के विदेशी बैंकों के समेकित तुलनपत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मदे	2008		2009	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	22,286	6.1	25,911	5.8
2. आरक्षित निधि व अधिशेष	27,046	7.4	34,026	7.6
3. जमाराशियां	1,91,161	52.5	2,14,077	47.9
3.1. माँग जमाराशियाँ	59,200	16.3	60,550	13.5
3.2. बचत बैंक जमाराशियाँ	26,254	7.2	28,789	6.4
3.3. सावधि जमाराशियाँ	1,05,707	29.0	1,24,737	27.9
4. उधार	58,315	16.0	70,127	15.7
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	65,291	17.9	1,03,009	23.0
कुल देयताएँ	3,64,099	100.0	4,47,149	100.0
आस्तियां				
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	22,011	6.0	15,646	3.5
2. बैंकों के पास शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	19,935	5.5	33,251	7.4
3. निवेश	98,910	27.2	1,30,354	29.2
3.1. सरकारी प्रतिभूतियों (क+ख) में	82,851	22.8	99,997	22.4
क) भारत में	82,851	22.8	99,997	22.4
ख) भारत से बाहर	-	-	-	-
3.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	33	-	6	-
3.3. गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	16,026	4.4	30,350	6.8
4. ऋण और अग्रिम	1,61,133	44.3	1,65,415	37.0
4.1. खरीदे गए व भुनाए गए बिल	15,763	4.3	15,160	3.4
4.2. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि.	66,578	18.3	72,723	16.3
4.3. सावधि ऋण	78,791	21.6	77,531	17.3
5. अचल आस्तियाँ	3,969	1.1	4,738	1.1
6. अन्य आस्तियाँ	58,141	16.0	97,746	21.9
कुल आस्तियाँ	3,64,099	100.0	4,47,149	100.0

- : शून्य / नगण्य।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (करोड़ रुपए)	बढ़ा दर का कुल दायरा (प्रतिशत) @	समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपए)	बढ़ा दर का कुल दायरा (प्रतिशत) @
1	2	3	4	5	6
2008			2009		
4 जनवरी	1,27,154	6.9 - 9.8	2 जनवरी	1,52,901	7.0 - 11.5
18 जनवरी	1,29,123	7.9 - 9.2	16 जनवरी	1,62,883	6.1 - 11.5
1 फरवरी	1,32,395	7.9 - 9.9	30 जनवरी	1,64,979	5.3 - 11.5
14 फरवरी	1,35,097	6.8 - 9.8	13 फरवरी	1,74,088	5.4 - 11.5
29 फरवरी	1,39,160	9.2 - 10.3	27 फरवरी	1,75,057	5.4 - 11.5
14 मार्च	1,43,714	7.0 - 10.5	13 मार्च	1,67,320	5.5 - 11.5
28 मार्च	1,47,792	9.0 - 10.8	27 मार्च	1,92,867	6.0 - 11.5
11 अप्रैल	1,49,986	8.0 - 9.7	10 अप्रैल	1,98,497	5.9 - 11.5
25 अप्रैल	1,50,865	7.7 - 10.0	24 अप्रैल	2,10,954	3.9 - 11.5
9 मई	1,53,410	7.8 - 10.2	8 मई	2,11,370	3.8 - 6.2
23 मई	1,56,780	8.0 - 10.2	22 मई	2,18,437	3.7 - 7.6
6 जून	1,59,696	8.6 - 10.2	5 जून	2,18,079	3.9 - 6.6
20 जून	1,63,143	8.6 - 9.8	19 जून	2,21,491	3.6 - 8.0
4 जुलाई	1,64,557	8.3 - 10.6	3 जुलाई	2,28,638	3.3 - 8.3
18 जुलाई	1,64,892	8.9 - 11.0	17 जुलाई	2,35,715	3.3 - 8.0
1 अगस्त	1,63,546	8.9 - 11.1	31 जुलाई	2,40,395	3.6 - 8.0
15 अगस्त	1,66,996	8.9 - 11.1	14 अगस्त	2,30,198	3.8 - 8.0
29 अगस्त	1,71,966	10.0 - 11.6	28 अगस्त	2,32,522	3.6 - 8.0
12 सितंबर	1,78,280	8.9 - 12.0			
26 सितंबर	1,75,522	8.9 - 12.4			
10 अक्तूबर	1,74,975	8.9 - 21.0			
24 अक्तूबर	1,58,562	8.8 - 12.9			
7 नवंबर	1,54,172	8.9 - 11.5			
21 नवंबर	1,51,493	8.8 - 11.8			
5 दिसंबर	1,50,779	8.5 - 11.0			
19 दिसंबर	1,51,214	7.0 - 11.5			

@ : प्रभावी बढ़ा दर का वार्षिक दायरा।

परिशिष्ट सारणी IV.3: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	क्षेत्र	निम्नानुसार बकाया			घट-बढ़	
		31 मार्च 2007	28 मार्च 2008	27 मार्च 2009	2007-08	2008-09
1		2	3	4	5	6
I.	सकल बैंक ऋण (II + III)	18,48,187	22,47,289	26,48,501	3,99,102	4,01,212
II.	खाद्यान्न ऋण	46,947	44,399	46,211	-2,548	1,812
III.	खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	18,01,240	22,02,890	26,02,290	4,01,650	3,99,400
		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
1.	कृषि एवं संबंधित कार्य	2,30,377	2,75,343	3,38,656	44,966	63,313
		(12.8)	(12.5)	(13.0)	(11.2)	(15.9)
2.	उद्योग (लघु, मध्यम एवं बड़े)	6,97,339	8,66,875	10,54,390	1,69,536	1,87,515
		(38.7)	(39.4)	(40.5)	(42.2)	(46.9)
3.	सेवाएं	4,20,766	5,53,185	6,46,765	1,32,419	93,580
		(23.4)	(25.1)	(24.9)	(33.0)	(23.4)
3.1	परिवहन परिचालक	28,332	37,818	39,302	9,486	1,484
		(1.6)	(1.7)	(1.5)	(2.4)	(0.4)
3.2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	5,156	8,251	9,687	3,095	1,436
		(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.8)	(0.4)
3.3	पर्यटन, होटल एवं रेस्टॉरेंट	9,797	12,205	13,625	2,408	1,420
		(0.5)	(0.6)	(0.5)	(0.6)	(0.4)
3.4	नौवहन	6,860	7,557	9,417	697	1,860
		(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(0.5)
3.5	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाएं	23,932	27,133	45,373	3,201	18,240
		(1.3)	(1.2)	(1.7)	(0.8)	(4.6)
3.6	व्यापार	1,06,662	1,23,721	1,44,377	17,059	20,656
		(5.9)	(5.6)	(5.5)	(4.2)	(5.2)
3.6.1	थोक व्यापार (खाद्यान्न खरीद से इतर)	50,143	55,702	67,425	5,559	11,723
		(2.8)	(2.5)	(2.6)	(1.4)	(2.9)
3.6.2	खुदरा व्यापार	56,519	68,019	76,951	11,500	8,932
		(3.1)	(3.1)	(3.0)	(2.9)	(2.2)
3.7	स्थावर संपदा ऋण	44,079	63,314	91,575	19,235	28,261
		(2.4)	(2.9)	(3.5)	(4.8)	(7.1)
3.8	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	48,924	79,018	98,853	30,094	19,835
		(2.7)	(3.6)	(3.8)	(7.5)	(5.0)
3.9	सभी अन्य	1,47,024	1,94,168	1,94,556	47,144	388
		(8.2)	(8.8)	(7.5)	(11.7)	(0.1)
4.	वैयक्तिक ऋण	4,52,758	5,07,488	5,62,479	54,730	54,991
		(25.1)	(23.0)	(21.6)	(13.6)	(13.8)
4.1	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	9,189	8,799	8,187	-390	-612
		(0.5)	(0.4)	(0.3)	(-0.1)	(-0.2)
4.2	आवास	2,30,990	2,57,792	2,76,957	26,802	19,165
		(12.8)	(11.7)	(10.6)	(6.7)	(4.8)
4.3	सावधि जमा राशियों पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमाराशियां आदि सहित)	40,835	45,005	48,676	4,170	3,671
		(2.3)	(2.0)	(1.9)	(1.0)	(0.9)
4.4	शेयर, बांडों आदि की जमानत पर व्यक्तियों को प्रदत्त ऋण	4,876	4,177	2,286	-699	-1,891
		(0.3)	(0.2)	(0.1)	(-0.2)	(-0.5)
4.5	क्रेडिट कार्ड बकाया	18,299	26,393	28,000	8,094	1,607
		(1.0)	(1.2)	(1.1)	(2.0)	(0.4)
4.6	शिक्षा	15,208	20,532	28,579	5,324	8,047
		(0.8)	(0.9)	(1.1)	(1.3)	(2.0)
4.7	अन्य वैयक्तिक ऋण	1,33,361	1,50,658	1,69,795	17,297	19,137
		(7.4)	(6.8)	(6.5)	(4.3)	(4.8)
	ज्ञापन :					
5.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	6,35,966	7,47,380	9,15,886	1,11,414	1,68,506
		(35.3)	(33.9)	(35.2)	(27.7)	(42.2)
5.1	कृषि एवं संबंधित कार्य	2,30,377	2,75,342	3,38,656	44,965	63,314
		(12.8)	(12.5)	(13.0)	(11.2)	(15.9)
5.2	लघु उद्योग *	N.A.	2,04,892	2,59,998	-	55,106
			(9.3)	(10.0)		(13.8)
5.3	आवास	1,60,343	1,91,878	2,03,154	31,535	11,276
		(8.9)	(8.7)	(7.8)	(7.9)	(2.8)

* : माइक्रो और लघु उद्योगों में विनिर्माण एवं सेवा उद्यम शामिल हैं।

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी: 1 आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, जिनके पास सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के 90 प्रतिशत का हिस्सा है, से संबंधित हैं। इसमें भारत ओवरसीज बैंक, जिसका 31 मार्च 2007 को इंडियन ओवरसीज बैंक में विलय हुआ था, के आंकड़े शामिल हैं।

2 सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अंतर बैंक सहायिता के साथ पुनःभुनाए गए बिल शामिल हैं।

3 कोष्ठकों के आंकड़े कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण का अंश दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.4: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार को)

क्षेत्र	खातों की संख्या (लाख में)				बकाया राशि (करोड़ रुपए)					
	जून 1969	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	मार्च 2009@	जून 1969	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	मार्च 2009@
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि	1.7	238	251	276	294	162 (15.3)	1,55,220 (15.4)	2,02,614 (15.4)	2,49,397 (17.5)	2,98,211 (17.2)
i) प्रत्यक्ष	221.0	237	237	272	288	1,12,126 (11.0)	1,44,372 (11.0)	1,44,372 (11.0)	1,77,259 (13.0)	2,15,643 (12.8)
ii) अप्रत्यक्ष	17.0	14	14	4	6	43,093 (4.2)	58,242 (4.4)	58,242 (4.4)	72,138 (5.3)	82,569 (4.9)
II. लघु उद्योग	0.5	17	17	-	-	257 (8.1)	82,434 (7.8)	1,02,550 (7.8)	-	-
II. अ) छोटे उद्योगी*	-	-	-	40	42	-	-	-	1,51,137 (11.1)	1,91,307 (11.3)
III. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	0.4	92	111	-	-	22 (0.7)	1,63,756 (16.1)	2,06,661 (15.7)	-	-
IV. खुदरा व्यापार*	-	-	-	32	34	-	-	-	40,519	43,061
V. माइक्रो क्रेडिट*	-	-	-	7	9	-	-	-	2,707	3,943
VI. शिक्षा*	-	-	-	12	16	-	-	-	19,748	26,913
VII. आवास*	-	-	-	34	36	-	-	-	1,46,868	1,56,590
VIII. कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	2.6	358	389	401	431	441 (14.6)	4,09,748 (40.3)	5,21,376 (39.7)	6,10,450 (44.7)	7,20,083 (42.5)
IX. निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	-	3,016	10,17,656	13,13,840	13,64,268	16,93,437
IX. अ) समायोजित निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

@ : अन्ततिम

: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम के नए दिशा-निर्देशों में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार छोटे और माइक्रो उद्यमों की संशोधित परिभाषा रखी गई है।

* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम देने के विस्तृत वर्गीकरण में कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र, खुदरा व्यापार, माइक्रो ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े निवल बैंक ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं। 2007-08 से ये आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य ऋण एक्सपोजर के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हों, का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.5: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम		कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	एएनबीसी का प्रतिशत या आर्बीई के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो	राशि	एएनबीसी का प्रतिशत या आर्बीई के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो	राशि	एएनबीसी का प्रतिशत या आर्बीई के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो	राशि	एएनबीसी का प्रतिशत या आर्बीई के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो	राशि	एएनबीसी का प्रतिशत या आर्बीई के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सरकारी क्षेत्र के बैंक										
	राष्ट्रीयकृत बैंक										
1.	इलाहाबाद बैंक	7,045	14.2	1,944	3.9	8,989	18.1	5,010	10.1	20,040	40.3
2.	आंध्रा बैंक	6,122	17.7	712	2.1	6,834	19.8	4,891	14.2	14,955	43.3
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	10,466	12.4	6,498	7.7	16,964	16.9	8,156	9.7	39,239	46.4
4.	बैंक ऑफ इंडिया	12,082	13.7	4,264	4.8	16,346	18.2	10,400	11.8	41,317	46.7
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3,181	10.7	1,341	4.5	4,522	15.2	1,893	6.4	11,933	40.1
6.	केनरा बैंक	15,510	14.6	4,634	4.4	20,144	19.0	10,809	10.2	48,763	46.0
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8,835	12.0	4,804	6.5	13,639	16.5	7,392	10.0	28,453	38.7
8.	कार्पोरेशन बैंक	2,567	6.6	1,764	4.5	4,330	11.1	2,118	5.4	15,752	40.2
9.	देना बैंक	2,563	11.0	1,288	5.5	3,851	15.5	1,462	6.3	9,715	41.6
10.	इंडियन बैंक	6,438	16.9	1,180	3.1	7,618	19.9	4,079	10.7	18,157	47.5
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7,961	14.0	2,612	4.6	10,573	18.5	6,073	10.7	23,719	41.6
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	4,823	8.8	3,742	6.9	8,565	13.3	2,984	5.5	22,230	40.7
13.	पंजाब नेशनल बैंक	18,529	15.4	5,277	4.4	23,806	19.7	13,509	11.2	50,136	41.5
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1,763	9.6	1,206	6.6	2,969	14.1	1,670	9.1	7,388	40.1
15.	सिंडिकेट बैंक	8,154	13.9	2,641	4.5	10,796	18.4	6,218	10.6	27,445	46.8
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8,608	11.5	4,625	6.2	13,233	16.0	6,278	8.4	35,747	47.7
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,382	8.5	1,487	5.3	3,869	13.0	2,595	9.2	11,652	41.4
18.	यूको बैंक	7,200	14.5	3,839	7.7	11,038	19.0	5,663	11.4	24,607	49.4
19.	विजया बैंक	3,053	9.5	1,460	4.6	4,513	14.0	3,045	9.5	13,450	42.0
20.	आइडीबीआई बैंक लिमि.	4,799	5.8	3,512	4.3	8,311	10.1	1,214	1.5	22,738	27.5
	स्टेट बैंक समूह										
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	52,253	13.8	17,026	4.5	69,279	18.3	43,597	11.5	1,60,892	42.5
22.	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर	3,986	15.7	842	3.3	4,828	19.1	2,709	10.7	11,122	43.9
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5,160	14.3	1,772	4.9	6,932	18.8	4,602	12.8	14,496	40.2
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2,575	14.0	769	4.2	3,343	18.2	2,164	11.8	10,052	54.8
25.	स्टेट बैंक ऑफ मेसूर	2,744	12.9	827	3.9	3,571	16.8	2,185	10.3	8,370	39.3
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4,405	12.0	635	1.7	5,040	13.7	3,323	9.1	13,779	37.5
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2,431	8.5	522	1.8	2,953	10.3	2,804	9.8	13,350	46.4

टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं।

2. एएनबीसी - 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, प्रभावी है।

3. कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

स्रोत:

परिशिष्ट सारणी IV.5 अ: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम.सं.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर वर्ग
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक			
	राष्ट्रीयकृत बैंक*			
1.	इलाहाबाद बैंक	√	√	√
2.	आंध्रा बैंक	√	√	√
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	√	x	x
4.	बैंक ऑफ इंडिया	√	√	√
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	√	x	x
6.	केनरा बैंक	√	√	√
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	x	x	√
8.	कापेरिशन बैंक	√	x	x
9.	देना बैंक	√	x	x
10.	इंडियन बैंक	√	√	√
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	√	√	√
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	√	x	x
13.	पंजाब नेशनल बैंक	√	√	√
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	√	x	x
15.	सिडीकेट बैंक	√	√	√
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	√	x	x
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	√	x	x
18.	यूको बैंक	√	√	√
19.	विजया बैंक	√	x	x
20.	आइडीबीआई बैंक लिमि.	√	√	x
	स्टेट बैंक समूह			
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	√	√	√
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	√	√	√
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	√	√	√
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	√	√	√
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	x	x	√
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	x	x	x
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	√	x	x

* : आइडीबीआई बैंक लि. के आंकड़े शामिल हैं।

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड के अनुपालन को सूचित करता है।

x : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड में कमी को सूचित करता है।

टिप्पणी : आइडीबीआई लिमि. के लिए सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को रियायती प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण तथा कृषि ऋण का लक्ष्य क्रमशः 27.0 प्रतिशत तथा एएनबीसी का लक्ष्य 10.0 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.6: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रूपए)

क्षेत्र	मार्च 2007		मार्च 2008		मार्च 2009@	
	राशि	समायोजित निवल बैंक-ऋण का प्रतिशत	राशि	समायोजित निवल बैंक-ऋण का प्रतिशत	राशि	समायोजित निवल बैंक-ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	1,44,549	42.9	1,64,068	47.8	1,90,207	46.8
<i>जिनमें से :</i>						
I. कृषि	52,034	12.7	58,567	15.4	76,062	15.9
II. छोटे उद्योग	13,136	3.9	-	-	-	-
III. लघु उद्यम*	-	-	46,912	13.7	47,916	12.0
IV. अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	76,919	22.9	-	-	-	-
V. खुदरा व्यापार	-	-	8,037	2.4	7,325	1.8
VI. माइक्रो ऋण	-	-	2,494	0.7	4,612	1.1
VII. शिक्षा	-	-	509	0.1	797	0.2
VIII. आवास	-	-	47,516	13.8	53,463	13.2

@ : आंकड़े अनंतिम हैं।

: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम में मुख्यतः कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, माइक्रो ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम संबंधी नए दिशा-निर्देशों में लघु तथा व्यक्ति उद्यमों की संशोधित परिभाषा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की परिभाषा के अनुसार ली गई है।

टिप्पणी : 1. कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

2. एएनबीसी - 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो/ प्रभावी है।

स्रोत: बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.7: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये)

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर वर्गों को अग्रिम		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के बैंक										
1.	एक्सिस बैंक लि.	5,629	10.3	2,453	4.5	8,083	14.8	3,573	6.6	23,025	42.2
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	148	2.0	815	10.8	962	6.5	98	1.3	1,992	26.5
3.	कैथोलिक सोरियन बैंक लि.	467	13.9	214	6.4	681	18.4	356	10.6	1,462	43.5
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	319	7.0	87	1.9	406	8.9	207	4.5	1,833	40.1
5.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	444	10.8	325	7.9	770	15.3	214	5.2	1,553	37.8
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	361	16.8	191	8.9	552	21.3	220	10.3	1,135	52.9
7.	फेडरल बैंक लि.	1,770	9.4	705	3.7	2,475	13.1	906	4.8	8,687	46.0
8.	यस बैंक लि.	1,723	18.3	532	5.6	2,255	22.8	649	6.9	4,020	42.6
9.	एचडीएफसी बैंक लि.	5,775	9.0	7,601	11.9	13,376	13.5	1,199	1.9	33,696	52.6
10.	आइसीआईसीआई बैंक लि.	19,675	14.5	11,701	8.7	31,376	19.0	2,074	1.5	68,426	50.6
11.	इंडसट्र बैंक लि.	2,014	15.7	1,020	8.0	3,035	20.2	1,280	10.0	6,257	48.9
12.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	740	5.1	951	6.5	1,691	9.6	389	2.7	6,293	43.0
13.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1,184	7.1	703	4.2	1,886	11.3	2,031	12.1	7,339	43.8
14.	कनाटक बैंक लि.	452	4.1	709	6.4	1,161	8.6	149	1.3	4,553	41.0
15.	करूर वैश्य बैंक लि.	681	7.1	295	3.1	976	10.2	520	5.4	3,815	39.9
16.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	2,022	12.9	566	3.6	2,588	16.5	906	5.8	6,473	41.2
17.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	694	18.0	105	2.7	799	20.7	329	8.5	1,763	45.7
18.	नैनीताल बैंक लि.	169	17.0	25	2.5	194	19.5	90	9.1	628	69.2
19.	रत्नाकर बैंक लि.	62	10.0	37	6.0	99	14.5	16	2.7	276	44.8
20.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	4	1.0	36	9.8	39	5.5	-	-	134	36.8
21.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1,438	13.4	330	3.1	1,768	16.4	274	2.6	4,263	39.6
22.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	740	13.6	262	4.8	1,002	18.1	364	6.7	2,680	49.4

टिप्पणी: 1) आंकड़े अनंतिम हैं।

2) एएनबीसी - 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य ऋण जो भी अधिक हो प्रभावी है।

3) कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सफलता की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि समायोजित निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, को लिया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.7 अ: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राप्त लक्ष्य
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर क्षेत्र
1	2	3	4	
	निजी क्षेत्र के बैंक			
1.	एक्सिस बैंक लि.	√	×	×
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	×	×	×
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	√	√	√
4.	सिटी यूनिन बैंक लि.	√	×	×
5.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	×	×	×
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	√	√	√
7.	फेडरल बैंक लि.	√	×	×
8.	यस बैंक लि.	√	√	×
9.	एचडीएफसी बैंक लि.	√	×	×
10.	आइसीआईसीआई बैंक लि.	√	√	×
11.	इंडसइंड बैंक लि.	√	√	√
12.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	√	×	×
13.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	√	×	√
14.	कर्नाटक बैंक लि.	√	×	×
15.	करूर वैश्य बैंक लि.	×	×	×
16.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	√	×	×
17.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	√	√	×
18.	नैनीताल बैंक लि.	√	√	×
19.	रत्नाकर बैंक लि.	√	×	×
20.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	×	×	×
21.	साउथ इंडियन बैंक लि.	×	×	×
22.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	√	√	×

√: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड के अनुपालन को सूचित करता है।

×: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड में कमी को सूचित करता है।

परिशिष्ट सारणी IV.8: विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	मार्च -2007		मार्च -2008		मार्च -2009 @	
	राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स.नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	37,831	33.4	50,254	39.5	55,483	34.3
<i>जिसमें से :</i>						
I. निर्यात ऋण	20,711	18.3	28,954	22.7	31,511	19.4
II. लघु उद्योग*	11,637	10.3	15,489	12.2	18,138	11.2

@ : अंतिम

* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम को प्रमुख श्रेणियों में कृषि, माइक्रो तथा लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, माइक्रो ऋण, शिक्षा और आवास शामिल है।

: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम में मुख्यतः कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, माइक्रो ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

टिप्पणी: एएनबीसी - 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, प्रभावी है।

स्रोत: बैंको द्वारा दिए गए आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.8 अ: विदेशी बैंकों द्वारा माइक्रो तथा लघु उद्योग (एमएसई) और निर्यात क्षेत्र के लिए अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	माइक्रो तथा लघु उद्योग अग्रिम		निर्यात ऋण		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	
		राशि	स. नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स. नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	स. नि. बैं. ऋ. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	
	विदेशी बैंक						
1	एबीएन एमरो बैंक	2,341	11.4	5,062	24.7	6,688	32.6
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	6	3.3	19	10.5	40	21.9
3	एंटवेर्प डायमंड बैंक	152	31.9	770	161.7	713	149.7
4	एबी बैंक	10	38.8	0	0.6	10	39.5
5	बैंक ऑफ अमरीका	335	10.3	784	24.1	1,119	34.4
6	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	48	17.1	22	7.7	70	25.1
7	बैंक ऑफ सिलोन	7	13.1	12	21.5	20	35.1
8	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	351	7.4	1,563	32.7	1,824	38.2
9	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी	156	6.8	809	35.1	1,017	44.1
10	बरकलेज बैंक पीलसी	1,004	13.2	953	12.5	2,559	33.5
11	बी.एन.पी. परिव्वास	670	17.6	532	14.0	1,292	34.0
12	चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	40	31.3	18	14.1	59	45.4
13	सिटी बैंक	3,994	10.4	6,534	17.0	12,678	33.0
14	काल्योन बैंक	215	11.6	469	25.2	684	36.8
15	ड्यूश बैंक	1,051	11.7	2,006	22.2	3,108	34.4
16	डीबीएस बैंक	422	17.9	660	27.9	1,084	45.8
17	एचएसबीसी बैंक लि.	3,461	11.4	5,131	16.8	10,077	33.1
18	जेपी मॉर्गन चैस बैंक	126	10.3	288	23.6	414	33.9
19	क्रुंग थार्ड बैंक	7	73.6	0	3.0	7	73.6
20	मशरेक बैंक	3	7.4	8	20.6	11	28.0
21	मिजुओ कार्पोरेट बैंक	93	10.8	200	23.2	344	39.8
22	ओमान इंटरनेशनल बैंक	-	-	-	-	-	-
23	सिनहन बैंक	39	12.3	40	12.7	111	35.2
24	सोसाइटी जनरेल	41	10.5	90	23.3	130	33.8
25	सोनाली बैंक	1	9.0	8	105.2	9	114.3
26	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3,565	10.7	5,439	16.3	11,359	34.1
27	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस	35	16.4	16	7.5	81	38.0

- शून्य/नगण्य।

टिपण्णी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. एएनबीसी - 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, प्रभावी है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.8 आ: विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य
(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	समग्र	माइक्रो और लघु उद्योग अग्रिम	निर्यात ऋण
1	2	3	4	
	विदेशी बैंक			
1	एबीएन एमरो बैंक	√	√	√
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	x	x	x
3	एंटवेर्प डायमंड बैंक	√	√	√
4	एबी बैंक	√	√	x
5	बैंक ऑफ अमरीका	√	√	√
6	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	x	√	x
7	बैंक ऑफ सिलोन	√	√	√
8	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	√	x	√
9	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी	√	x	√
10	बरकलेज बैंक पीलसी	√	√	√
11	बी.एन.पी. परिबास	√	√	√
12	चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	√	√	√
13	सिटी बैंक	√	√	√
14	काल्योन बैंक	√	√	√
15	ड्यूश बैंक	√	√	√
16	डीबीएस बैंक	√	√	√
17	एचएसबीसी बैंक	√	√	√
18	जेपी मोर्गन चैस बैंक	√	√	√
19	क्रुंग थाई बैंक	√	√	x
20	मशरेक बैंक	x	x	√
21	मिजुओ कार्पोरेट बैंक	√	√	√
22	ओमान इंटरनेशनल बैंक	x	x	x
23	सिनहन बैंक	√	√	√
24	सोसाइटे जनरेल	√	√	√
25	सोनाली बैंक	√	x	√
26	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	√	√	√
27	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस	√	√	x

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड के अनुपालन को सूचित करता है।

x : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड की कमी को सूचित करता है।

परिशिष्ट सारणी IV.9: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	उद्योग	को बकाया			समग्र अंतर	
		31 मार्च 2007	28 मार्च 2008	27 मार्च 2009	2007-08	2008-09
1		2	3	4	5	6
	उद्योग	6,97,339	8,66,875	10,54,390	1,69,536	1,87,515
	(लघु, मध्यम और बड़े)					
1.	खनन एवं उत्खनन (कोयले सहित)	7,704	12,262	14,241	4,558	1,979
2.	खाद्यान्न प्रसंस्करण	40,011	49,382	53,779	9,371	4,397
	जिसमें से :					
	चीनी	11,551	16,080	17,309	4,529	1,229
	खाद्य तेल एवं वनस्पति	6,114	7,260	6,763	1,146	-497
	चाय	2,340	2,483	2,731	143	248
	अन्य	20,006	23,559	26,976	3,553	3,417
3.	पेय एवं तंबाकू	4,774	6,297	8,405	1,523	2,108
4.	वस्त्रोद्योग	79,006	96,489	1,02,695	17,483	6,206
	जिसमें से :					
	सूती वस्त्र	38,049	47,802	51,307	9,753	3,505
	जूट वस्त्र	967	1,080	1,469	113	389
	मानव निर्मित वस्त्र	4,178	5,280	6,398	1,102	1,118
	अन्य वस्त्र	35,812	42,327	43,521	6,515	1,194
5.	चमड़ा व चमड़े के उत्पाद	4,774	5,743	6,146	969	403
6.	लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	2,889	3,160	4,138	271	978
7.	कागज व कागज के उत्पाद	11,588	13,462	15,983	1,874	2,521
8.	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आण्विक ईंधन	35,886	41,601	68,147	5,715	26,546
9.	रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	55,900	62,460	75,555	6,560	13,095
	जिसमें से :					
	उर्वरक	9,837	9,179	14,265	-658	5,086
	औषधि और भेषज	18,653	23,451	29,755	4,798	6,304
	पेट्रो-रसायन	8,316	8,755	8,782	439	27
	अन्य	19,094	21,075	22,753	1,981	1,678
10.	रबड़, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद	9,250	11,148	13,587	1,898	2,439
11.	कांच एवं कांच का सामान	2,564	2,776	4,240	212	1,464
12.	सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	9,410	12,566	19,220	3,156	6,654
13.	मूल धातु और धातु उत्पाद	83,737	1,07,501	1,28,763	23,764	21,262
	जिसमें से :					
	लोहा तथा इस्पात	63,744	82,602	99,159	18,858	16,557
	अन्य धातु और धातु उत्पाद	19,993	24,899	29,604	4,906	4,705
14.	समस्त इंजीनियरी	43,762	54,452	65,807	10,690	11,355
	जिसमें से :					
	इलेक्ट्रॉनिक्स	13,511	15,833	18,912	2,322	3,079
	अन्य	30,251	38,619	46,895	8,368	8,276
15.	वाहन, वाहन के पुर्जे एवं परिवहन उपस्कर	20,855	29,221	34,642	8,366	5,421
16.	रत्न और आभूषण	23,850	25,083	28,537	1,233	3,454
17.	निर्माण	19,997	27,949	38,505	7,952	10,556
18.	बुनियादी संरचना	1,43,375	2,05,120	2,69,972	61,745	64,852
	जिसमें से :					
	पावर	73,158	95,067	1,24,447	21,909	29,380
	दूर संचार	19,446	38,043	50,326	18,597	12,283
	सड़क और बंदरगाह	24,984	34,530	47,060	9,546	12,530
	अन्य संरचना	25,787	37,479	48,159	11,692	10,680
19.	अन्य उद्योग	97,977	1,00,203	1,02,028	2,226	1,825

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं। आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक के इंडियन ओवरसीज बैंक में, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय का प्रभाव भी शामिल है।

2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एक्विजिशन बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अंतर बैंक सहभागिता के साथ पुनःभुनाए गए बिल शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का निभाव

(राशि करोड़ रुपए)

सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार को	कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त		अन्य		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6 (2+4)	7 (3+5)
2003						
मार्च	5,048	85	400	-	5,448	85
2004						
मार्च	4,664	-	400	-	5,064	-
2005						
मार्च	4,912	50	400	-	5,312	50
2006						
मार्च	6,051	1,568	-	-	6,051	1,568
2007						
जनवरी	7,470	3,013	-	-	7,470	3,013
फरवरी	7,946	-	-	-	7,946	-
मार्च	8,110	4,985	-	-	8,110	4,985
अप्रैल	8,872	3,760	-	-	8,872	3,760
मई	8,511	2,746	-	-	8,511	2,746
जून	8,343	101	-	-	8,343	101
जुलाई	8,103	1	-	-	8,103	1
अगस्त	7,807	92	-	-	7,807	92
सितंबर	7,505	45	-	-	7,505	45
अक्टूबर	7,705	-	-	-	7,705	-
नवंबर	7,836	169	-	-	7,836	169
दिसंबर	7,819	779	-	-	7,819	779
2008						
जनवरी	8,413	3,844	-	-	8,413	3,844
फरवरी	8,709	173	-	-	8,709	173
मार्च	9,103	2,825	-	-	9,103	2,825
अप्रैल	9,509	474	-	-	9,509	474
मई	9,265	166	-	-	9,265	166
जून	9,052	1,132	-	-	9,052	1,132
जुलाई	9,763	3,129	-	-	9,763	3,129
अगस्त	9,450	977	-	-	9,450	977
सितंबर	9,434	4,481	-	-	9,434	4,481
अक्टूबर	9,653	91	-	-	9,653	91
नवंबर	34,740	2,698	-	-	34,740	2,698
दिसंबर	35,992	5,331	-	-	35,992	5,331
2009						
जनवरी	37,367	1,037	-	-	37,367	1,037
फरवरी	35,173	1,532	-	-	35,173	1,532
मार्च	34,952	3,107	-	-	34,952	3,107
अप्रैल	36,432	1,322	-	-	36,432	1,322
मई	34,542	715	-	-	34,542	715
जून	33,196	1,800	-	-	33,196	1,800
जुलाई	33,293	-	-	-	33,293	-
अगस्त	31,855	-	-	-	31,855	-

- : शून्य / नगण्य

टिप्पणी : सामान्य और बैंक स्टॉप सुविधा के अंतर्गत कुल सीमा का 29 मार्च 2004 से एकल सुविधा में विलय कर दिया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.11: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	स्टेट बैंक समूह		राष्ट्रीयकृत बैंक		सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			सरकारी क्षेत्र के बैंक				
	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाजार #	8,429 (1.4)	8,674 (1.2)	2.9	19,597 (1.8)	21,582 (1.5)	10.1	2,976 (3.6)	2,947 (2.9)	-1.0	31,002 (1.7)	33,202 (1.5)	7.1
2. भू-संपदा क्षेत्र @	85,768 (14.5)	92,945 (12.6)	8.4	1,81,926 (16.2)	2,19,566 (15.5)	20.7	15,731 (19.1)	21,793 (21.1)	38.5	2,83,425 (15.8)	3,34,305 (14.8)	18.0
3. पण्य	-	-	-	734 (0.1)	-	-100.0	-	-	-	734 (0.0)	-	-100.0
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	94,197 (15.9)	1,01,619 (13.7)	7.9	2,02,258 (18.0)	2,41,148 (17.0)	19.2	18,706 (22.8)	24,740 (23.9)	32.3	3,15,161 (17.5)	3,67,507 (16.3)	16.6

क्षेत्र	निजी क्षेत्र के नए बैंक		प्रतिशत अंतर	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		प्रतिशत अंतर	विदेशी बैंक		प्रतिशत अंतर	अनुसूचित वाणिज्य बैंक		प्रतिशत अंतर
	2007-08	2008-09		2007-08	2008-09		2007-08	2008-09		2007-08	2008-09	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाजार #	22,729 (5.6)	13,779 (3.1)	-39.4	2,539 (2.3)	2,273 (1.8)	-10.5	5,368 (3.3)	6,028 (3.6)	12.3	61,638 (2.5)	55,282 (1.8)	-10.3
2. भू-संपदा क्षेत्र @	1,17,457 (28.9)	1,23,307 (27.6)	5.0	18,645 (16.7)	22,212 (17.3)	19.1	37,331 (23.2)	44,405 (26.8)	19.0	4,56,858 (18.4)	5,24,228 (17.5)	14.8
3. पण्य	-	-	-	809 (0.7)	897 (0.7)	10.9	101 (0.1)	-	-100.0	1,644 (0.1)	897 (0.0)	-45.4
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	1,40,186 (34.5)	1,37,086 (30.7)	-2.2	21,994 (19.7)	25,382 (19.8)	15.4	42,800 (26.6)	50,432 (30.5)	17.8	5,20,141 (21.0)	5,80,407 (19.3)	11.6

- : शून्य / नाप्य।

: पूंजी बाजार एक्सचेंज में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।

@ : वास्तविक क्षेत्र एक्सचेंज में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण तथा अग्रिम से संबंधित बैंक समूह का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपये)

परिवर्ती	27 मार्च 2009 को बकाया	अंतर											
		वित्तीय वर्ष						अप्रैल-सितंबर					
		2007-08		2008-09		2008-09		2008-09		2009-10		2009-10	
		समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
घटक													
घ. I निवासियों को कुल जमा राशि (घ. I.1 + घ. I.2)	37,66,842	5,95,531	23.4	6,26,838	20.0	2,36,442	7.5	2,84,727	7.6				
घ. I.1 मांग जमा राशि	5,23,085	94,579	22.0	-1,225	-0.2	-25,411	-4.8	28,487	5.4				
घ. I.2 निवासियों की सावधि जमा राशि (घ. I.2.1 + घ. I.2.2)	32,43,757	5,00,952	23.7	6,28,063	24.0	2,61,853	10.0	2,56,240	7.9				
घ. I.2.1 अल्पवधि सावधि जमा राशि	14,59,691	2,25,429	23.7	2,82,628	24.0	1,17,834	10.0	1,15,308	7.9				
घ. I.2.1.1 जमा राशि प्रमाणपत्र (सीडी)	1,98,931	69,200	71.0	32,289	19.4	890	0.5	21,004	10.6				
घ. I.2.2 दीर्घवधि सावधि जमा राशि	17,84,067	2,75,524	23.7	3,45,435	24.0	1,44,019	10.0	1,40,932	7.9				
घ. II वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधोवन	1,13,936	20,668	24.1	7,432	7.0	5,900	5.5	-19,347	-17.0				
स्रोत													
स्रो. I घरेलू ऋण (एस. I.1 + एस. I.2)	41,51,147	6,41,799	22.4	6,43,388	18.3	1,85,013	5.3	3,24,947	7.8				
स्रो. I.1 सरकार को ऋण	11,55,786	1,82,603	23.5	1,97,124	20.6	13,604	1.4	2,01,351	17.4				
स्रो. I.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	29,95,361	4,59,196	22.0	4,46,264	17.5	1,71,409	6.7	1,23,596	4.1				
(स्रो. I.2.1 + स्रो. I.2.2 + स्रो. I.2.3 + स्रो. I.2.4)													
स्रो. I.2.1 बैंक ऋण	27,75,549	4,30,724	22.3	4,13,636	17.5	1,89,112	8.0	97,606	3.5				
स्रो. I.2.1.1 खाद्यान्न ऋण	46,211	-2,121	-4.6	1,812	4.1	776	1.7	-3,793	-8.2				
स्रो. I.2.1.2 खाद्येतर ऋण	27,29,338	4,32,846	23.0	4,11,824	17.8	1,88,336	8.1	1,01,399	3.7				
स्रो. I.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	1,671	721	25.8	-1,850	-52.6	-1,971	-56.0	3,245	194.2				
स्रो. I.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10,624	-2,405	-15.6	-2,429	-18.6	-760	-5.8	5,260	49.5				
स्रो. I.2.4 अन्य निवेश (रेर सांख्यिक चलनिधि प्रतिभूतियों में)	2,07,517	30,155	21.5	36,907	21.6	-14,972	-8.8	17,485	8.4				
स्रो. II वाणिज्य बैंकों को निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां													
(स्रो. II.1-स्रो. II.2-स्रो. II.3)													
स्रो. II.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	-53,359	-29,585	72.8	16,837	-24.0	-25,489	36.3	1,489	-2.8				
स्रो. II.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमा राशि	55,312	-27,564	-46.9	24,123	77.3	-5,449	-17.5	-11,012	-19.9				
स्रो. II.3 समुद्रपारिय विदेशी मुद्रा उधार	67,268	-10,525	-15.6	10,332	18.1	5,946	10.4	1,171	1.7				
स्रो. III निवल बैंक रिजर्व (स्रो. III.1 + स्रो. III.2-स्रो. III.3)	41,404	12,546	39.3	-3,047	-6.9	14,094	31.7	-13,672	-33.0				
स्रो. III.1 भांडविक के पास शेष	2,46,748	81,050	42.6	-24,418	-9.0	64,522	23.8	3,598	1.5				
स्रो. III.2 उपलब्ध नकदी	2,38,195	76,900	42.7	-18,927	-7.4	61,179	23.8	-12,514	-5.3				
स्रो. III.3 भारिबैंक से ऋण और अग्रिम	20,281	1,905	11.8	2,237	12.4	5,438	30.1	4,384	21.6				
स्रो. IV पूंजी खाता	11,728	-2,245	-35.9	7,728	193.2	2,094	52.4	-11,728	-100.0				
स्रो. V अन्य भेदे (निवल) (स्रो. I-स्रो. II-स्रो. III-स्रो. IV-स्रो. I-स्रो. II)	3,32,444	69,821	34.4	59,822	21.9	52,550	19.3	43,840	13.2				
स्रो. V.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (स्रो. -II.3 का निवल)	1,31,313	7,244	4.0	-58,285	-30.7	-70,845	-37.4	20,815	15.9				
स्रो. V.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों के अलावा)	2,66,116	43,576	20.7	12,212	4.8	-15,980	-6.3	22,839	8.6				
	-20,785	-3,105	-22.3	-31,582	-292.5	-6,139	-56.9	13,099	-63.0				

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.13: ऋण-जमाराशि अनुपात
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह/बैंक	2008	2009	बैंक समूह/बैंक	2008	2009
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	74.6	73.9	रत्नाकर बैंक	53.2	61.3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	73.2	72.6	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक	68.7	52.9
राष्ट्रीयकृत बैंक	69.8	71.1	साउथ इंडियन बैंक	69.0	65.5
इलाहाबाद बैंक	69.4	69.2	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक	69.5	68.7
आंध्र बैंक	69.3	74.3	निजी क्षेत्र के नए बैंक	79.8	83.2
बैंक ऑफ बड़ौदा	70.2	74.8	एक्सिस बैंक	68.1	69.5
बैंक ऑफ इंडिया	75.6	75.3	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब	74.2	-
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	70.1	65.6	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	67.0	70.5
केनरा बैंक	69.6	74.0	एचडीएफसी बैंक	62.9	69.2
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	66.2	65.1	आइसीआइसीआइ बैंक	92.3	100.0
कापेरिशन बैंक	70.7	65.6	इंडसइंड बैंक	67.2	71.3
देना बैंक	67.8	67.1	कोटक महिंद्रा बैंक	94.7	106.3
इंडियन बैंक	65.3	70.9	यस बैंक	71.1	76.7
इंडियन ओवरसीज बैंक	71.6	74.8	विदेशी बैंक	84.3	77.3
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	70.1	69.6	एबी बैंक लि.	84.2	92.1
पंजाब नेशनल बैंक	71.8	73.8	एबीएन एमरो बैंक	107.8	104.4
पंजाब एंड सिंध बैंक	73.9	71.0	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	39.2	27.0
सिंडिकेट बैंक	67.3	70.4	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-	211.5
यूको बैंक	68.9	68.7	एंटवर्प डायमंड बैंक	597.8	867.2
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	71.5	69.6	बी.एन.पी. परिबास	116.6	110.6
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	59.3	64.9	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-	-
विजया बैंक	66.1	65.0	बैंक ऑफ अमरीका	82.4	80.5
स्टेट बैंक समूह	76.7	73.4	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	70.9	60.8
स्टेट बैंक ऑफ बोम्बे एंड जयपुर	73.5	76.1	बैंक ऑफ सिलोन	55.9	52.4
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	71.5	69.9	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	127.1	161.5
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	77.5	73.1	बैंक ऑफ टोकिया-मित्सुबिशी यूएफजे	173.9	144.1
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	73.8	76.3	बरकलेज बैंक	110.6	84.5
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	76.6	77.8	काल्योन बैंक	159.7	215.4
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	74.9	72.7	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	139.8	244.3
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	75.7	-	सिटी बैंक	83.2	77.3
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	79.6	77.8	डीबीएस बैंक	46.4	45.2
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			इयूश बैंक	65.1	62.2
आइडीबीआई बैंक लिमिटेड	112.6	92.0	हांगकांग और शांघाई बैंकिंग कारपोरेशन	70.3	55.2
निजी क्षेत्र के बैंक	76.8	78.3	जेपी मोर्गन चेंस बैंक	32.0	19.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	67.4	64.5	जेएससी वीटीबी बैंक	-	466.7
बैंक ऑफ राजस्थान	53.7	51.2	कुंग थाई बैंक	11.1	9.0
कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	62.3	58.2	मशरुक बैंक	130.3	46.8
सिटी यूनियन बैंक	70.6	68.8	मिजुओ कार्पोरेट बैंक	191.6	97.5
धनलक्ष्मी बैंक	58.3	64.3	ओमान इंटरनेशनल बैंक	0.8	1.0
फेडरल बैंक	73.0	69.5	सिनहान बैंक	93.4	59.7
आइएनजी वैश्य बैंक	71.6	67.3	सोसाइटी जनरेल	28.2	44.4
जम्मू एंड कश्मीर बैंक	66.0	63.4	सोनाली बैंक	33.5	25.4
कर्नाटक बैंक	63.7	58.1	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	90.1	89.8
करूर वैश्य बैंक	75.1	68.9	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस	86.3	81.3
लक्ष्मी विलास बैंक	68.7	71.3	यूबीएस एजी	-	-
नैनीताल बैंक	55.6	52.9			

- : शून्य / नगण्य।

स्रोत : बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.14: भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर

(राशि करोड़ रुपये)

मद	स्टेट बैंक समूह			राष्ट्रीयकृत बैंक			सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			सरकारी क्षेत्र के बैंक		
	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विनिमय संबिदा	4,15,116 (41.1)	3,91,018 (30.5)	-5.8	5,48,699 (29.2)	6,15,292 (26.6)	12.1	30,294 (23.2)	33,829 (19.6)	11.7	9,94,109 (32.9)	10,40,139 (27.6)	4.6
2. दी गई गारंटियां	61,440 (6.1)	88,979 (7.0)	44.8	1,01,840 (5.4)	1,40,444 (6.1)	37.9	11,798 (9.0)	26,495 (15.4)	124.6	1,75,078 (5.8)	2,55,918 (6.8)	46.2
3. स्वीकृतियाँ, समर्थन आदि.	4,68,233 (46.3)	3,79,746 (29.7)	-18.9	1,70,289 (9.1)	1,80,056 (7.8)	5.7	59,114 (45.2)	53,565 (31.1)	-9.4	6,97,637 (23.1)	6,13,366 (16.3)	-12.1
आकास्मिक देयताएं	9,44,789 (93.5)	8,59,742 (67.2)	-9.0	8,20,828 (43.7)	9,35,792 (40.4)	14.0	1,01,206 (77.4)	1,13,889 (66.1)	12.5	18,66,824 (61.8)	19,09,422 (50.7)	2.3

मद	निजी क्षेत्र के नए बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर	2007-08	2008-09	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विनिमय संबिदा	12,17,367 (163.3)	9,19,698 (115.6)	-24.5	85,454 (43.9)	96,661 (41.7)	13.1	85,79,297 (2356.3)	58,58,713 (1310.2)	-31.7	1,08,76,228 (251.4)	79,15,211 (151.0)	-27.2
2. दी गई गारंटियां	65,571 (8.8)	93,420 (11.7)	42.5	9,272 (4.8)	10,486 (4.5)	13.1	45,584 (12.5)	57,241 (12.8)	25.6	2,95,506 (6.8)	4,17,064 (8.0)	41.1
3. स्वीकृतियाँ, समर्थन आदि.	10,26,943 (137.7)	6,11,920 (76.9)	-40.4	16,411 (8.4)	9,686 (4.2)	-41.0	15,85,863 (435.6)	11,04,714 (247.1)	-30.3	33,26,853 (76.9)	23,39,686 (44.6)	-29.7
आकास्मिक देयताएं	23,09,881 (309.8)	16,25,037 (204.3)	-29.7	1,11,137 (57.1)	1,16,834 (50.4)	5.1	1,02,10,744 (2804.4)	70,20,667 (1570.1)	-31.2	1,44,98,587 (335.1)	1,06,71,961 (203.6)	-26.4

- : शून्य / नागण्य

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.15: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आय - घटकवार

(राशि करोड़ रूपए)

क्रम सं	बैंक का नाम	व्यापार आय		विदेशी मुद्रा आय	
		2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1		2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	8,107	11,434	2,991	4,312
	राष्ट्रीयकृत बैंक	4,716	7,643	1,972	2,745
1.	इलाहाबाद बैंक	471	573	54	44
2.	आंध्र बैंक	119	221	57	53
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	532	900	279	372
4.	बैंक ऑफ इंडिया	366	746	307	624
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	78	176	22	16
6.	केनरा बैंक	435	675	154	174
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	154	410	48	67
8.	कार्पोरेशन बैंक	136	442	41	78
9.	देना बैंक	90	54	42	44
10.	इंडियन बैंक	179	195	100	105
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	230	637	110	157
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	154	481	69	107
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	18	119	30	40
14.	पंजाब नेशनल बैंक	442	665	211	294
15.	सिंडिकेट बैंक	336	193	67	86
16.	यूको बैंक	210	314	50	87
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	377	321	261	339
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	179	216	28	16
19.	विजया बैंक	210	304	41	41
	स्टेट बैंक समूह	2,223	3,269	932	1,479
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1,650	2,567	693	1,179
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	69	76	24	70
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	169	177	68	53
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	67	74	19	36
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	80	121	29	44
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	95	108	33	48
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	50	-	14	-
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	43	145	53	49
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	1,168	522	87	87
1.	आइडीबीआई बैंक लिमि.	1,168	522	87	87

टिप्पणी: 1. व्यापार आय : निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।

2. विदेशी मुद्रा आय : विदेशी मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.16 : महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक - बैंक समूहवार (जारी)

वर्ष	परिचालन लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज से आय (5)	अन्य आय (6)	व्यय (8+9+11)	व्यय किया गया (8)	परिचालन व्यय		प्राधान्य व आकांक्षिक देयताएं (11)	अंतर (स्रेड) (नि. ब्या आय) (12)
								कुल	जिसमें से: वेतन बिल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2006-07	65,977 (1.9)	31,203 (0.9)	2,74,716 (7.9)	231,675 (6.7)	43,041 (1.2)	243,514 (7.0)	142,420 (4.1)	66,319 (1.9)	36,148 (1.0)	34,775 (1.0)	89,255 (2.6)
2007-08	83,590 (1.9)	42,726 (1.0)	368,873 (8.5)	308,482 (7.1)	60,391 (1.4)	326,147 (7.5)	208,001 (4.8)	77,283 (1.8)	39,954 (0.9)	40,864 (0.9)	100,481 (2.3)
2008-09	111,349 (2.1)	52,771 (1.0)	463,837 (8.9)	388,816 (7.4)	75,021 (1.4)	411,066 (7.8)	263,221 (5.0)	89,268 (1.7)	47,660 (0.9)	58,578 (1.1)	125,596 (2.4)
सरकारी क्षेत्र के बैंक											
2006-07	42,655 (1.8)	20,152 (0.8)	187,869 (7.7)	164,185 (6.7)	23,684 (1.0)	167,717 (6.9)	101,960 (4.2)	43,255 (1.8)	27,803 (1.1)	22,503 (0.9)	62,225 (2.6)
2007-08	50,307 (1.7)	26,592 (0.9)	245,872 (8.1)	213,075 (7.1)	32,797 (1.1)	219,280 (7.3)	148,902 (4.9)	46,663 (1.5)	28,660 (1.0)	23,715 (0.8)	64,172 (2.1)
2008-09	66,972 (1.8)	34,394 (0.9)	315,608 (8.4)	273,428 (7.3)	42,180 (1.1)	281,215 (7.5)	193,447 (5.1)	55,190 (1.5)	34,250 (0.9)	32,578 (0.9)	79,981 (2.1)
राष्ट्रीयकृत बैंक											
2006-07	27,456 (1.8)	12,950 (0.9)	117,612 (7.7)	104,375 (6.8)	13,237 (0.9)	104,662 (6.8)	63,666 (4.2)	26,489 (1.7)	17,050 (1.1)	14,507 (1.0)	40,709 (2.7)
2007-08	31,563 (1.7)	16,856 (0.9)	154,004 (8.2)	134,606 (7.2)	19,398 (1.0)	137,147 (7.3)	93,729 (5.0)	28,711 (1.5)	17,983 (1.0)	14,707 (0.8)	40,877 (2.2)
2008-09	42,184 (1.8)	21,639 (0.9)	197,318 (8.5)	172,601 (7.5)	24,718 (1.1)	175,679 (7.6)	121,371 (5.2)	33,764 (1.5)	21,350 (0.9)	20,544 (0.9)	51,230 (2.2)
स्टेट बैंक समूह											
2006-07	14,292 (1.8)	6,572 (0.8)	62,885 (7.8)	53,465 (6.6)	9,420 (1.2)	56,313 (7.0)	32,607 (4.1)	15,987 (2.0)	10,470 (1.3)	7,720 (1.0)	20,858 (2.6)
2007-08	17,444 (1.7)	9,006 (0.9)	82,245 (8.1)	70,428 (7.0)	11,818 (1.2)	73,240 (7.2)	47,809 (4.7)	16,993 (1.7)	10,294 (1.0)	8,438 (0.8)	22,619 (2.2)
2008-09	23,410 (1.8)	11,896 (0.9)	105,268 (8.2)	89,196 (7.0)	16,073 (1.3)	93,373 (7.3)	61,770 (4.8)	20,088 (1.6)	12,331 (1.0)	11,515 (0.9)	27,425 (2.1)

परिशिष्ट सारणी IV.16: महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक - बैंक समूहवार (समाप्त)

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	परिचालन लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज से आय	अन्य आय	व्यय (8+9+11)	व्यय किया गया	परिचालन व्यय		प्राक्धान व आकस्मिक देयताएं	अंतर (स्प्रेड)(नि. ब्या आय)
								कुल	जिसमें से: वतन बिल		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक											
2006-07	907 (0.9)	630 (0.6)	7,373 (7.1)	6,345 (6.1)	1,027 (1.0)	6,742 (6.5)	5,687 (5.5)	778 (0.8)	283 (0.3)	276 (0.3)	658 (0.6)
2007-08	1,299 (1.0)	729 (0.6)	9,623 (7.4)	8,041 (6.2)	1,582 (1.2)	8,893 (6.8)	7,364 (5.6)	959 (0.7)	382 (0.3)	570 (0.4)	676 (0.5)
2008-09	1,378 (0.8)	859 (0.5)	13,022 (7.6)	11,632 (6.8)	1,390 (0.8)	12,163 (7.1)	10,306 (6.0)	1,338 (0.8)	569 (0.3)	519 (0.3)	1,326 (0.8)
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2006-07	3,021 (1.9)	1,122 (0.7)	13,042 (8.1)	11,474 (7.2)	1,568 (1.0)	11,920 (7.4)	7,055 (4.4)	2,967 (1.9)	1,693 (1.1)	1,899 (1.2)	4,420 (2.8)
2007-08	3,604 (1.9)	1,978 (1.0)	16,798 (8.6)	14,614 (7.5)	2,184 (1.1)	14,821 (7.6)	9,960 (5.1)	3,235 (1.7)	1,804 (0.9)	1,626 (0.8)	4,654 (2.4)
2008-09	4,799 (2.1)	2,409 (1.0)	21,572 (9.3)	18,783 (8.1)	2,789 (1.2)	19,163 (8.3)	12,834 (5.5)	3,939 (1.7)	2,225 (1.0)	2,390 (1.0)	5,949 (2.6)
निजी क्षेत्र के नए बैंक											
2006-07	10,682 (1.8)	5,343 (0.9)	48,837 (8.4)	38,092 (6.5)	10,745 (1.8)	43,494 (7.4)	25,802 (4.4)	12,353 (2.1)	3,571 (0.6)	5,339 (0.9)	12,291 (2.1)
2007-08	15,632 (2.1)	7,544 (1.0)	71,199 (9.6)	56,377 (7.6)	14,822 (2.0)	63,655 (8.5)	38,535 (5.2)	17,032 (2.3)	5,310 (0.7)	8,087 (1.1)	17,842 (2.4)
2008-09	19,480 (2.5)	8,459 (1.1)	81,444 (10.2)	66,283 (8.3)	15,160 (1.9)	72,985 (9.2)	44,123 (5.6)	17,840 (2.2)	6,301 (0.8)	11,022 (1.4)	22,160 (2.8)
विदेशी बैंक											
2006-07	9,619 (3.5)	4,585 (1.7)	24,968 (9.1)	17,924 (6.5)	7,044 (2.6)	20,382 (7.4)	7,603 (2.8)	7,745 (2.8)	3,081 (1.1)	5,034 (1.8)	10,320 (3.8)
2007-08	14,047 (3.9)	6,612 (1.8)	35,004 (9.6)	24,417 (6.7)	10,588 (2.9)	28,392 (7.8)	10,604 (2.9)	10,353 (2.8)	4,180 (1.2)	7,435 (2.0)	13,813 (3.8)
2008-09	20,098 (4.5)	7,510 (1.7)	45,213 (10.1)	30,322 (6.8)	14,891 (3.3)	37,703 (8.4)	12,817 (2.9)	12,299 (2.8)	4,884 (1.1)	12,588 (2.8)	17,506 (3.9)

टिप्पणी : 1. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में क्रमशः 82, 79 तथा 80 थी।

2. पुराने निजी बैंकों की संख्या 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में क्रमशः 17, 15 तथा 15 थी।

3. नए निजी बैंकों की संख्या 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में क्रमशः 8, 8 और 7 थी।

4. विदेशी बैंकों की संख्या क्रमशः 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में क्रमशः 29, 28 तथा 31 थी।

5. कोष्ठकों के आंकड़े कुल आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

6. नि. ब्या आय : निवल ब्याज आय।

7. वर्ष 2007-08 के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े 2008-09 के तुलनापत्र में प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं और इसलिये भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2007-08 में प्रस्तुत आंकड़ों से संगत नहीं होंगे, उस सीमा तक 2007-08 के आंकड़े कुछ बैंकों द्वारा संशोधित किए गए हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनापत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.17 (अ): अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	3,68,873 (100.0)	4,63,837 (100.0)	94,964	25.8
i) ब्याज आय	3,08,482 (83.6)	3,88,816 (83.8)	80,334	26.0
<i>जिसमें से:</i> अग्रिमों पर ब्याज	2,21,171	2,87,678	66,507	30.1
निवेश पर आय	77,952	92,096	14,144	18.1
ii) अन्य आय	60,391 (16.4)	75,021 (16.2)	14,630	24.2
<i>जिसमें से:</i> कमीशन और दलाली	30,735	37,061	6,326	20.6
आ. व्यय (i+ii+iii)	3,26,147 (100.0)	4,11,066 (100.0)	84,918	26.0
i) व्यय किया गया ब्याज	2,08,001 (63.8)	2,63,221 (64.0)	55,219	26.6
<i>जिसमें से:</i> जमाराशियों पर ब्याज	1,79,559	2,30,189	50,630	28.2
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	40,864 (12.5)	58,578 (14.3)	17,714	43.4
<i>जिसमें से:</i> एनपीए के लिए प्रावधान	134	192	58	43.0
iii) परिचालनगत व्यय	77,283 (23.7)	89,268 (21.7)	11,985	15.5
<i>जिसमें से:</i> वेतन बिल	39,954	47,660	7,705	19.3
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	83,590	1,11,349	27,759	33.2
ii) निवल लाभ	42,726	52,771	10,046	23.5
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	1,00,481	1,25,596	25,114	25.0
उ. कुल आस्तियां	43,26,166	52,41,331	9,15,165	21.2

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.17 (आ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	2,45,872 (100.00)	3,15,608 (100.00)	69,737	28.4
i) ब्याज आय	2,13,075 (86.7)	2,73,428 (86.6)	60,353	28.3
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	1,54,101	2,04,709	50,609	32.8
निवेश पर आय	53,119	63,080	9,961	18.8
ii) अन्य आय	32,797 (13.3)	42,180 (13.4)	9,383	28.6
जिसमें से : कमीशन और दलाली	14,799	18,475	3,675	24.8
आ. व्यय (i+ii+iii)	2,19,280 (100.00)	2,81,215 (100.00)	61,935	28.2
i) व्यय किया गया ब्याज	1,48,902 (67.9)	1,93,447 (68.8)	44,545	29.9
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	1,32,718	1,74,313	41,595	31.3
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	23,715 (10.8)	32,578 (11.6)	8,863	37.4
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	80	93	12	15.5
iii) परिचालनगत व्यय	46,663 (21.3)	55,190 (19.6)	8,527	18.3
जिसमें से : वेतन बिल	28,660	34,250	5,590	19.5
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	50,307	66,972	16,665	33.1
ii) निवल लाभ	26,592	34,394	7,802	29.3
ई. निवल ब्याज आय / मार्जिन	64,172	79,981	15,809	24.6
उ. कुल आस्तियां	30,21,924	37,66,716	7,44,793	24.7

* : आइडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.17 (इ): राष्ट्रीयकृत बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	1,54,004 (100.0)	1,97,318 (100.0)	43,315	28.1
i) ब्याज आय	1,34,606 (87.4)	1,72,601 (87.5)	37,995	28.2
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	96,218	1,29,550	33,333	34.6
निवेश पर आय	34,832	39,966	5,133	14.7
पुनर्पूजीकृत बांडों पर आय	473	-	-473	-100.0
ii) अन्य आय	19,398 (12.6)	24,718 (12.5)	5,320	27.4
जिसमें से : कमीशन और दलाली	6,525	8,011	1,486	22.8
आ. व्यय (i+ii+iii)	1,37,147 (100.0)	1,75,679 (100.0)	38,532	28.1
i) व्यय किया गया ब्याज	93,729 (68.3)	1,21,371 (69.1)	27,642	29.5
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	87,329	1,12,731	25,402	29.1
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	14,707 (10.7)	20,544 (11.7)	5,837	39.7
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	5,512	6,182	670	12.2
iii) परिचालन गत व्यय	28,711 (20.9)	33,764 (19.2)	5,053	17.6
जिसमें से : वेतन बिल	17,983	21,350	3,366	18.7
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	31,563	42,184	10,620	33.7
ii) निवल लाभ	16,856	21,639	4,783	28.4
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	40,877	51,230	10,353	25.3
उ. कुल आस्तियां	18,80,271	23,14,102	4,33,832	23.1

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.17 (ई): स्टेट बैंक समूह का वित्तीय कार्य - निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	82,245 (100.00)	1,05,268 (100.00)	23,023	28.0
i) ब्याज आय	70,428 (85.6)	89,196 (84.7)	18,768	26.7
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	51,354	65,903	14,549	28.3
निवेश पर आय	16,916	21,030	4,114	24.3
ii) अन्य आय	11,818 (14.4)	16,073 (15.3)	4,255	36.0
जिसमें से : कमीशन और दलाली	7,926	9,739	1,813	22.9
आ. व्यय (i+ii+iii)	73,240 (100.00)	93,373 (100.00)	20,133	27.5
i) व्यय किया गया ब्याज	47,809 (65.3)	61,770 (66.2)	13,962	29.2
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	41,588	54,961	13,373	32.2
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	8,438 (11.5)	11,515 (12.3)	3,076	36.5
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	2,362	2,927	565	23.9
iii) परिचालनगत व्यय	16,993 (23.2)	20,088 (21.5)	3,095	18.2
जिसमें से : वेतन बिल	10,294	12,331	2,037	19.8
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	17,444	23,410	5,966	34.2
ii) निवल लाभ	9,006	11,896	2,890	32.1
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	22,619	27,425	4,806	21.3
उ. कुल आस्तियां	10,10,959	12,80,212	2,69,253	26.6

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.17 (उ): निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	16,798 (100.00)	21,572 (100.00)	4,774	28.4
i) ब्याज आय	14,614 (87.0)	18,783 (87.1)	4,169	28.5
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	10,706	14,194	3,488	32.6
निवेश पर आय	3,413	4,138	725	21.3
ii) अन्य आय	2,184 (13.0)	2,789 (12.9)	605	27.7
जिसमें से : कमीशन और दलाली	842	965	124	14.7
आ. व्यय (i+ii+iii)	14,821 (100.00)	19,163 (100.00)	4,342	29.3
i) व्यय किया गया ब्याज	9,960 (67.2)	12,834 (67.0)	2,874	28.9
जिसमें से : जमा राशियों पर ब्याज	9,474	12,277	2,803	29.6
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	1,626 (11.0)	2,390 (12.5)	764	47.0
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	353	621	268	76.0
iii) परिचालनगत व्यय	3,235 (21.8)	3,939 (20.6)	704	21.8
जिसमें से : वेतन बिल	1,804	2,225	421	23.3
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	3,604	4,799	1,195	33.2
ii) निवल लाभ	1,978	2,409	431	21.8
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	4,654	5,949	1,295	27.8
उ. कुल आस्तियां	1,94,544	2,32,001	37,456	19.3

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.17(ऊ): निजी क्षेत्र के नए बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	71,199 (100.00)	81,444 (100.00)	10,245	14.4
i) ब्याज आय	56,377 (79.2)	66,283 (81.4)	9,906	17.6
जिसमें से : अग्रिमों पर ब्याज	40,653	48,196	7,543	18.6
निवेश पर आय	14,404	16,130	1,726	12.0
ii) अन्य आय	14,822 (20.8)	15,160 (18.6)	338	2.3
जिसमें से : कमीशन और दलाली	9,737	10,922	1,185	12.2
आ. व्यय (i+ii+iii)	63,655 (100.00)	72,985 (100.00)	9,330	14.7
i) व्यय किया गया ब्याज	38,535 (60.5)	44,123 (60.5)	5,588	14.5
जिसमें से : जमाराशियों पर ब्याज	30,191	34,311	4,120	13.6
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	8,087 (12.7)	11,022 (15.1)	2,934	36.3
जिसमें से : एनपीए के लिए प्रावधान	4,317	6,692	2,375	55.0
iii) परिचालनगत व्यय	17,032 (26.8)	17,840 (24.4)	808	4.7
जिसमें से : वेतन बिल	5,310	6,301	991	18.7
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	15,632	19,480	3,849	24.6
ii) निवल लाभ	7,544	8,459	914	12.1
ई. निवल ब्याज आय / मार्जिन	17,842	22,160	4,318	24.2
उ. कुल आस्तियां	7,45,599	7,95,464	49,865	6.7

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.17(ए): भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	अंतर	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	35,004 (100.00)	45,213 (100.00)	10,209	29.2
i) ब्याज आय	24,417 (69.8)	30,322 (67.1)	5,906	24.2
<i>जिसमें से</i> : अग्रिमों पर ब्याज	15,712	20,579	4,868	31.0
निवेश पर आय	7,017	8,748	1,731	24.7
ii) अन्य आय	10,588 (30.3)	14,891 (32.9)	4,303	40.6
<i>जिसमें से</i> : कमीशन और दलाली	5,357	6,699	1,342	25.1
आ. व्यय (i+ii+iii)	28,392 (100.00)	37,703 (100.00)	9,311	32.8
i) व्यय किया गया ब्याज	10,604 (37.4)	12,817 (34.0)	2,213	20.9
<i>जिसमें से</i> : जमाराशियों पर ब्याज	7,176	9,288	2,112	29.4
ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	7,435 (26.2)	12,588 (33.4)	5,153	69.3
<i>जिसमें से</i> : एनपीए के लिए प्रावधान	719	2,587	1,868	259.9
iii) परिचालनगत व्यय	10,353 (36.5)	12,299 (32.6)	1,946	18.8
<i>जिसमें से</i> : वेतन बिल	4,180	4,884	704	16.8
इ. लाभ				
i) परिचालन लाभ	14,047	20,098	6,051	43.1
ii) निवल लाभ	6,612	7,510	898	13.6
ई. निवल ब्याज आय/मार्जिन	13,813	17,506	3,693	26.7
उ. कुल आस्तियां	3,64,099	4,47,149	83,051	22.8

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (जारी)
(मार्च 2009 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात			निवल अनर्जक आस्तियों/ निवल अग्रिम	ब्याज आय/ कार्यशील निधियाँ	ब्याज आय/ कार्यशील निधियाँ	परिचालनगत लाभ/ कार्यशील निधियाँ	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी	
		टियर I	टियर II	जोड़						कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सारकारी क्षेत्र के बैंक										
	राष्ट्रीयकृत बैंक										
1.	इलाहाबाद बैंक	8.0	5.1	13.1	0.7	8.7	1.3	2.2	0.9	706	4
2.	आंध्र बैंक	8.7	4.6	13.2	0.2	9.0	1.3	2.2	1.1	728	5
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.5	5.6	14.1	0.3	7.8	1.4	2.2	1.1	914	6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	8.9	4.1	13.0	0.4	8.1	1.5	2.7	1.5	833	7
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.1	5.9	12.1	0.8	8.3	1.0	1.5	0.7	636	3
6.	केनरा बैंक	8.0	6.1	14.1	1.1	8.7	1.2	2.0	1.1	780	5
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7.0	6.2	13.1	1.2	8.2	0.8	1.1	0.5	560	2
8.	कार्पोरेशन बैंक	8.9	4.7	13.6	0.3	8.4	1.5	2.5	1.2	1,049	8
9.	देना बैंक	6.8	5.3	12.1	1.1	8.3	1.0	1.8	1.0	714	4
10.	इंडियन बैंक	11.9	2.1	14.0	0.2	8.9	1.4	2.9	1.6	617	6
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7.9	5.3	13.2	1.3	9.7	1.6	2.6	1.2	690	5
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9.1	3.9	13.0	0.7	8.6	1.0	1.6	0.9	1,142	6
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	8.4	5.9	14.4	0.3	9.4	1.2	2.1	1.3	656	5
14.	पंजाब नेशनल बैंक	9.0	5.1	14.0	0.2	8.7	1.3	2.6	1.4	655	6
15.	सिडिकिट बैंक	7.9	4.8	12.7	0.8	8.5	0.8	1.5	0.8	751	4
16.	यूको बैंक	6.5	5.5	11.9	1.2	8.6	1.1	1.3	0.6	732	2
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.2	5.1	13.3	0.3	8.8	1.1	2.3	1.3	694	6
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7.6	5.7	13.3	1.5	8.0	0.9	1.3	0.3	585	1
19.	विजया बैंक	7.7	5.4	13.2	0.8	8.9	1.2	1.5	0.6	756	2
	स्टेट बैंक समूह										
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9.4	4.9	14.3	1.8	7.3	1.5	2.1	1.0	556	5
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	8.5	6.1	14.5	0.9	8.7	1.3	2.0	0.9	555	4
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7.1	4.4	11.5	0.4	8.4	1.1	1.9	0.9	840	5
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	7.9	5.6	13.5	0.9	8.6	1.1	2.0	0.9	702	4
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	7.4	6.0	13.4	0.5	8.8	1.3	1.8	0.9	602	3
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6.9	5.7	12.6	0.6	9.3	1.0	1.5	0.8	910	5
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8.6	5.4	14.0	0.6	8.8	1.2	2.3	1.3	658	5
27.	सारकारी क्षेत्र के अन्य बैंक आइडीबीआई बैंक लि.	6.8	4.8	11.6	0.9	8.2	1.0	1.0	0.6	2,030	8

परिशिष्ट सारणी IV.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (जारी)
(मार्च 2009 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोड़क भाति आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात		निवल अनर्जक आस्तियां/ निवल अग्रिम	व्याज आय/ कार्यशील निधियों	व्याज आय/ कार्यशील निधियों	परिचालनगत लाभ/ कार्यशील निधियों	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (राशि लाख रुपए)		
		टियर I	टियर II						जोड़	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक										
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक										
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	6.2	5.3	11.5	0.7	8.7	0.8	1.2	0.7	533	3
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	8.8	3.5	12.3	2.4	8.5	1.5	1.2	0.6	374	1
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	11.5	1.2	12.7	1.1	9.9	1.5	2.8	1.5	565	5
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	13.8	1.6	15.4	0.9	8.6	1.7	1.9	1.2	586	4
5.	फेडरल बैंक लि.	18.4	1.8	20.2	0.3	9.8	1.5	3.7	1.5	750	7
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	6.9	4.8	11.7	1.2	8.3	2.0	1.6	0.7	606	3
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	13.8	0.7	14.5	1.4	8.8	0.7	2.3	1.1	500	5
8.	कर्नाटक बैंक लि.	10.6	2.9	13.5	1.0	9.0	1.7	2.3	1.3	649	5
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	14.4	0.5	14.9	0.3	9.2	1.7	2.7	1.5	638	6
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	8.8	1.5	10.3	1.2	9.3	1.5	1.5	0.7	510	2
11.	नैनीताल बैंक लि.	11.9	1.3	13.1	-	9.7	0.5	3.0	1.7	425	6
12.	रत्नाकर बैंक लि.	41.7	0.6	42.3	0.7	8.9	1.0	3.0	2.0	373	5
13.	एसबीआई कर्माशियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	21.5	-0.3	21.2	-	7.8	0.5	1.7	1.5	960	13
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	13.2	1.5	14.8	1.1	9.4	0.9	2.0	1.1	645	4
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	15.4	0.7	16.1	0.3	9.8	1.4	2.7	1.5	679	6
	निजी क्षेत्र के नए बैंक										
16.	एक्सिस बैंक	9.3	4.4	13.7	0.4	8.6	2.3	3.0	1.4	1,060	10
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	11.5	1.8	13.3	3.9	9.1	1.7	1.1	-1.3	379	-4
18.	एचडीएफसी बैंक	10.6	5.1	15.7	0.6	9.3	1.9	2.9	1.3	446	4
19.	आइसीआइसीआइ बैंक	11.8	3.7	15.5	2.1	8.1	2.0	2.3	1.0	1,154	11
20.	इंडसइंड बैंक लि.	7.5	4.8	12.3	1.1	9.1	1.8	1.5	0.6	836	3
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	16.1	3.9	20.0	2.4	11.4	1.3	2.5	1.0	347	3
22.	यस बैंक लि.	9.5	7.1	16.6	0.3	10.6	2.3	2.8	1.6	988	11

परिशिष्ट सारणी IV.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड (समान)
(मार्च 2009 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	जोड़िम भाति आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात		निवल अनर्जक आस्तियों/ निवल अग्रिम	व्याज आय/ कार्यशील निधियों	व्याज आय/ कार्यशील निधियों	व्याज आय/ कार्यशील निधियों	परिचलनगत लाभ/ कार्यशील निधियों	आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी	
		टियर I	टियर II							व्यवसाय (राशि लाख रुपए)	लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक										
1.	एबी बैंक	50.0	0.7	50.7	6.5	5.6	9.4	8.7	8.3	217	25
2.	एबीएन एमरो बैंक एनबी	7.4	5.2	12.7	2.2	9.2	3.6	4.2	0.1	1,029	1
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	46.7	0.9	47.6	-	7.0	0.8	2.9	2.4	1,760	42
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	20.1	1.3	21.3	4.3	5.9	25.3	-3.4	-7.9	134	-
5.	एटवेर्प डायमंड बैंक	26.4	0.4	26.8	3.4	4.9	1.4	3.2	1.6	3,372	71
6.	बी.एन.पी. परिवस	8.4	4.0	12.4	0.9	8.0	3.0	5.2	2.1	2,035	49
7.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	501.3	-	501.3	-	-	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	11.2	1.5	12.7	-	6.7	4.3	7.4	3.4	2,431	111
9.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	24.4	1.1	25.6	0.1	9.0	2.8	4.0	3.1	617	14
10.	बैंक ऑफ सिलोन	44.1	1.1	45.2	-	7.2	8.0	11.8	10.2	488	73
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	10.4	3.0	13.4	-	7.3	2.3	3.8	2.0	3,891	78
12.	बैंक ऑफ टोकियो-मिन्सुबिशी लिमि.	28.8	0.7	29.5	-	7.8	1.6	3.9	1.5	3,108	42
13.	बरकलेज बैंक पीएलसी	16.6	0.5	17.1	4.6	10.8	3.1	4.0	0.2	1,110	2
14.	काल्योन बैंक	9.8	3.4	13.2	-	9.0	6.6	8.6	4.1	2,105	130
15.	चायनास्ट्र कमर्शियल बैंक	44.8	0.7	45.4	-	9.9	1.3	3.2	2.9	675	18
16.	सिटी बैंक एन. ए.	12.4	0.8	13.2	2.6	6.7	3.5	3.7	2.1	1,880	45
17.	डीबीएस बैंक	10.3	5.4	15.7	0.6	8.5	3.2	4.7	2.7	1,662	72
18.	इयूशा बैंक एजी	14.6	0.6	15.3	0.9	7.7	4.2	4.7	1.7	1,434	27
19.	एनएसबीसी बैंक लि.	14.1	1.2	15.3	1.4	6.7	2.8	4.4	1.5	962	16
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	15.4	0.5	15.9	1.3	7.3	10.1	12.2	4.2	1,825	254
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	317.5	-	317.5	-	6.3	0.1	-	-0.3	73	-
22.	क्रुंग थार्ड बैंक पब्लिक कं. लि.	79.7	1.3	80.9	-	7.5	0.7	2.5	1.4	1,022	17
23.	मशरोक बैंक पीएससी	75.6	1.3	76.8	-	4.3	8.4	7.7	4.4	310	34
24.	मिजुओ कापिरिट बैंक लिमि.	37.3	0.3	37.6	-	7.3	2.2	4.1	2.4	2,024	38
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	23.3	1.9	25.2	-	6.0	1.1	0.7	1.2	480	8
26.	सिनहान बैंक	36.4	0.5	36.8	-	8.7	1.1	4.6	1.9	2,445	39
27.	सोसाइटे जनरेल	22.1	0.4	22.5	-	8.0	3.6	4.0	2.1	1,017	34
28.	सोनली बैंक	36.7	0.4	37.1	2.6	4.0	13.3	5.7	2.0	138	3
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	8.0	3.6	11.6	1.4	8.5	4.7	5.7	2.9	972	24
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	35.5	2.5	38.0	-	8.7	0.6	2.1	0.9	2,327	20
31.	यूबीएस एजी	229.4	-	229.4	-	3.1	-	-7.3	-8.0	-	-110

- : शून्य/नागण्य।

टिप्पणी : इस सारणी में सूचित आंकड़े अवधारणागत अंतर होने के कारण परिशिष्ट सारणी III.19 से परिशिष्ट सारणी III.25 में प्रस्तुत आंकड़ों से पूर्णतः संगत नहीं हैं।

स्रोत : संबन्धित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.4	2.7	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.3	2.7	2.2	1.9	1.7	1.7	1.8
	राष्ट्रीयकृत बैंक	2.3	2.7	2.2	1.8	1.8	1.7	1.8
1	इलाहाबाद बैंक	1.8	2.5	2.1	1.9	1.6	1.8	1.9
2	आंध्र बैंक	3.1	3.4	3.0	1.7	2.0	1.9	1.9
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.3	2.9	2.4	1.7	1.7	1.6	1.9
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2.7	2.6	1.5	1.5	1.7	2.1	2.4
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.1	2.1	1.7	1.2	1.6	1.4	1.3
6.	केनरा बैंक	2.4	2.9	2.3	1.9	1.8	1.6	1.8
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1.6	2.4	2.4	1.6	1.4	1.0	1.0
8.	कार्पोरेशन बैंक	3.2	3.1	3.0	2.4	2.2	1.9	2.1
9	देना बैंक	2.5	3.2	1.6	2.3	2.0	1.8	1.5
10	इंडियन बैंक	1.7	2.1	2.2	1.9	2.4	2.4	2.6
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.9	2.8	3.0	2.3	1.9	2.0	2.1
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3.4	3.7	2.3	2.0	1.8	1.3	1.5
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.9	1.0	1.6	1.4	2.2	1.8	1.8
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2.7	3.1	1.9	2.0	2.2	2.0	2.3
15.	सिंडिकेट बैंक	1.8	2.2	2.0	1.7	1.5	1.4	1.3
16.	यूको	1.8	1.8	1.5	1.2	1.3	1.1	1.1
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.6	2.5	2.2	1.6	1.9	2.1	1.9
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.3	2.4	2.4	1.9	1.7	0.9	1.1
19.	विजया बैंक	2.3	3.6	2.7	2.0	1.6	1.2	1.4
	स्टेट बैंक समूह	2.3	2.6	2.4	2.2	1.8	1.7	1.8
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2.1	2.3	2.4	2.3	1.8	1.8	1.9
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	2.5	3.4	3.1	1.7	2.0	1.6	1.9
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.9	3.3	2.0	1.8	2.0	1.6	1.7
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.7	4.1	2.1	1.9	1.6	1.5	1.9
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.1	3.1	2.7	2.3	1.8	1.7	1.6
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3.5	3.7	2.7	1.8	1.7	1.3	1.4
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.5	3.5	2.6	1.7	1.3	0.8	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.4	2.9	2.8	2.1	1.9	1.6	2.1
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआई बैंक लि.	-	-	0.4	0.9	0.9	1.0	0.8

**परिशिष्ट सारणी IV.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में सकल लाभ/हानि (जारी)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	2.4	2.3	1.8	1.7	1.8	2.0	2.4
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.7	2.6	1.7	1.5	1.9	1.9	2.1
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	2.4	2.2	0.9	0.2	1.6	1.1	1.1
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	2.9	2.9	1.8	0.8	1.2	1.2	1.1
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	3.1	3.7	2.3	2.6	2.5	2.5	2.5
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	3.0	2.7	0.7	0.8	1.1	1.1	1.6
5.	फेडरल बैंक लि.	2.9	2.9	2.4	2.2	2.4	2.4	3.2
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	2.1	2.0	0.7	0.6	1.2	1.2	1.3
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	3.3	3.0	1.5	1.6	1.9	2.0	2.1
8.	कर्नाटक बैंक लि.	2.7	3.1	2.7	2.2	2.2	2.0	2.1
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	3.2	3.0	2.5	2.5	2.5	2.1	2.5
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.5	2.3	1.4	0.8	1.3	1.4	1.3
11.	नैनीताल बैंक लि.	1.5	2.4	2.0	2.1	2.2	2.5	2.6
12.	रत्नाकर बैंक लि.	2.7	1.7	1.1	1.3	0.6	2.3	2.7
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	2.8	5.3	2.3	3.8	0.9	1.9	1.6
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.8	2.6	1.8	1.4	1.8	1.6	1.8
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	2.9	3.3	3.1	3.2	3.3	2.5	2.4
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8	2.1	2.4
16.	एक्सिस बैंक	2.1	2.9	1.5	2.0	1.7	2.0	2.5
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.6	0.3	0.7	1.5	1.5	1.3	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.4	1.0	-0.1	-0.5	0.8	1.4	1.3
19.	एचडीएफसी बैंक	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8
20.	आइसीआइसीआइ बैंक	2.4	2.0	1.8	1.5	1.7	2.0	2.4
21.	इंडसइंड बैंक लि.	3.3	3.0	2.6	1.1	0.8	0.8	1.3
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	4.2	2.2	2.1	2.1	1.6	2.4	2.4
23.	यस बैंक लि.	-	-	-0.3	2.4	1.6	2.1	2.3

परिशिष्ट सारणी IV.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	3.2	3.7	3.0	3.3	3.5	3.9	4.5
1.	एबी बैंक लि. मि.	5.3	6.9	6.2	7.6	6.6	7.0	9.1
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.1	3.4	2.9	2.5	3.6	2.5	4.4
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.7	0.7	0.3	0.6	1.4	3.1	3.0
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	3.4	2.9	2.6	2.9	4.0	-	-3.6
5.	एंटेवर्प डायमंड बैंक	1.1	2.3	2.0	2.1	3.0	2.4	3.2
6.	बैंक इंटरनेसनल इंडोनेशिया	-2.9	-	-0.2	0.9	4.6	11.1	1.1
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	2.7	2.3	2.9	4.8	5.6	6.5	6.8
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	2.2	1.2	0.3	0.5	1.4	2.4	3.5
9.	बैंक ऑफ सिलोन	2.6	3.0	3.6	4.2	4.2	5.5	12.0
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	3.2	2.0	2.1	1.9	2.7	2.4	4.1
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे	3.2	8.1	5.7	2.3	3.6	4.3	3.6
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	8.4	15.2	12.6	11.7	5.0	1.4	3.6
13.	बी.एन.पी. परिबास	0.1	1.2	1.9	2.1	3.3	3.7	4.2
14.	काल्योन बैंक	1.2	-0.3	-0.6	4.2	4.4	5.6	5.0
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	4.2	4.6	2.3	1.8	1.0	1.3	3.1
16.	सिटी बैंक एन. ए.	3.4	4.2	3.5	3.5	3.3	4.7	5.1
17.	डीबीएस बैंक	4.5	2.0	0.8	1.5	2.5	1.3	3.6
18.	ड्यूश बैंक एजी	5.9	5.9	2.0	2.7	2.3	3.5	4.6
19.	एचएसबीसी बैंक लि.	2.3	3.0	3.4	3.4	3.5	3.9	4.4
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	5.2	3.7	6.8	4.6	4.1	6.2	8.2
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	2.8	1.7	1.3	8.7	2.8	2.9	2.3
23.	मशरेक बैंक पीएससी	4.0	1.8	1.3	5.4	8.3	9.9	8.6
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	1.2	3.0	2.1	2.1	2.7	2.9	3.3
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-1.3	-0.2	-0.1	-0.7	-0.3	-0.7	0.5
26.	सिनहान बैंक	7.4	4.7	3.7	2.4	2.6	3.7	3.3
27.	सोसाइटे जनरेल	0.6	2.6	1.3	1.9	1.5	1.2	3.5
28.	सोनाली बैंक	2.2	6.4	7.6	3.3	2.9	3.2	3.7
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.8	4.0	2.9	3.7	4.0	4.1	3.9
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	4.1	5.2	2.4	2.7	2.3	2.3	1.7
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-6.1

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

**परिशिष्ट सारणी IV.20: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में निवल लाभ/हानि (जारी)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9
	राष्ट्रीयकृत बैंक	1.0	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9
1.	इलाहाबाद बैंक	0.6	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	0.8
2.	आंध्र बैंक	1.6	1.7	1.6	1.2	1.1	1.0	1.0
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1.0	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1.1	1.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.9	1.0	0.5	0.2	0.7	0.7	0.6
6.	केनरा बैंक	1.2	1.4	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.5	1.0	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.6	1.7	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0
9.	देना बैंक	0.6	1.0	0.3	0.3	0.6	0.9	0.9
10.	इंडियन बैंक	0.5	1.0	0.9	1.1	1.4	1.4	1.5
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.0	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1.3	1.7	1.3	0.9	0.8	0.4	0.8
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-	0.1	-0.5	0.6	1.0	1.2	1.1
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.3
15.	सिंडीकेट बैंक	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
16.	यूको बैंक	0.6	1.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	1.1	1.1
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1.3	1.2	1.0	0.6	0.6	0.6	0.3
19.	विजया बैंक	1.0	1.7	1.3	0.4	0.8	0.6	0.4
	स्टेट बैंक समूह	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
20.	भारतीय स्टेट बैंक	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	1.1	1.5	0.9	0.5	0.9	0.8	0.9
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.2	1.2	0.7	1.1	1.0	0.9	0.8
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1.8	1.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.0	1.3	1.3	1.1	0.9	1.0	0.8
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1.5	1.6	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.8	1.4	0.3	0.4	0.5	0.2	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआई बैंक लि.	-	-	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5

परिशिष्ट सारणी VI.20: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.2	1.2	0.3	0.6	0.7	1.0	1.0
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1.1	0.8	0.4	0.2	0.9	0.7	0.7
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	1.2	1.3	0.2	0.1	0.4	0.6	0.5
3.	सिटी यूनिन बैंक लि.	1.3	1.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.7	0.7	-0.8	0.3	0.5	0.7	1.0
5.	फेडरल बैंक लि.	0.9	0.9	0.5	1.1	1.2	1.1	1.3
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	0.8	0.5	-0.3	0.1	0.5	0.6	0.6
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.0	1.9	0.5	0.7	1.0	1.1	1.1
8.	कर्नाटक बैंक लि.	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	2.0	2.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.1	1.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.6
11.	नैनीताल बैंक लि.	1.0	1.4	1.1	0.9	1.0	1.3	1.5
12.	रत्नाकर बैंक लि.	1.3	1.0	-1.1	0.1	0.3	1.2	1.8
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-1.5	3.7	-2.1	1.1	1.1	1.9	1.5
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1.0	0.9	0.1	0.5	0.8	0.9	1.0
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	1.4	1.6	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	0.9	0.8	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1
16.	एक्सिस बैंक लि.	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	1.2
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	-0.8	-3.0	0.5	0.8	0.7	0.4	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.8	0.3	-3.5	-2.3	0.1	0.5	-1.5
19.	एचडीएफसी बैंक	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2
20.	आइसीआइसीआइ बैंक	1.1	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0
21.	इंडसइंड बैंक लि.	0.9	1.7	1.4	0.2	0.3	0.3	0.5
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	2.1	1.4	1.3	1.2	0.7	1.0	1.0
23.	यस बैंक लि.	-	-	-0.3	1.3	0.8	1.2	1.3

**परिशिष्ट सारणी IV.20: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में निवल लाभ/हानि (समाप्त)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	1.6	1.7	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7
1.	एबी बैंक लि.	2.7	4.1	3.6	4.3	3.3	3.7	4.7
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.6	1.8	1.3	1.0	1.4	0.8	0.1
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.2	0.5	-2.6	0.7	0.2	5.0	2.5
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-0.9	-0.7	0.6	1.4	1.3	-	-8.6
5.	एंटरप्राइज डायमंड बैंक	0.4	1.2	1.0	1.2	1.7	1.4	1.6
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	2.1	-0.2	-0.7	-1.0	4.7	8.8	1.7
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	1.7	1.3	1.5	2.4	3.1	3.8	3.4
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी. एस. सी.	1.1	0.1	-3.8	-1.5	-1.7	3.6	2.9
9.	बैंक ऑफ सिलोन	0.3	0.4	1.2	0.2	1.2	2.3	10.4
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	0.8	0.6	-0.4	0.9	1.7	1.4	2.2
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	3.3	7.0	0.9	-	2.1	2.4	1.5
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	2.9	9.4	6.7	6.5	2.9	0.1	0.1
13.	बी.एन.पी. परिबास	-0.5	-0.4	0.5	0.5	1.5	1.7	1.7
14.	काल्योन बैंक	0.4	0.5	-0.8	4.1	2.7	2.8	2.4
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	2.1	1.2	-7.7	-1.7	0.3	1.6	2.9
16.	सिटी बैंक एन. ए.	1.6	1.9	1.8	1.6	1.4	2.2	2.1
17.	डीबीएस बैंक	2.0	-1.3	0.6	0.5	1.2	0.7	2.1
18.	ड्यूश बैंक एजी	2.9	3.2	0.7	1.0	1.2	1.6	1.7
19.	एचएसबीसी लि.	0.7	1.6	1.2	1.4	1.5	1.6	1.4
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	3.1	2.3	3.6	2.5	1.7	3.1	4.2
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-0.3
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-0.7	1.4	-	5.4	1.5	1.6	1.2
23.	मशरेक बैंक पीएससी	3.3	1.8	1.1	4.2	9.4	7.8	5.0
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	0.3	2.4	2.1	0.9	1.3	1.7	2.0
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-1.8	-0.4	-3.1	-0.9	-0.6	2.0	0.7
26.	सिनहान बैंक	2.5	2.2	2.1	1.3	1.2	1.9	1.9
27.	सोसाइटी जनरेल	-1.6	2.0	1.7	1.0	0.8	1.3	1.8
28.	सोनाली बैंक	1.2	3.4	4.3	1.7	1.5	1.6	2.0
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2.9	1.7	1.6	2.0	2.3	2.3	2.0
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	1.1	1.3	1.2	0.7	1.5	1.1	0.9
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-6.6

- : लागू नहीं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से प्राप्त आय (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8.3	7.3	6.6	6.7	6.7	7.1	7.4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	8.3	7.5	6.8	6.8	6.7	7.1	7.3
	राष्ट्रीयकृत बैंक	8.4	7.4	6.9	6.7	6.8	7.2	7.5
1.	इलाहाबाद बैंक	9.2	7.7	7.1	6.8	7.2	7.4	7.5
2.	आंध्रा बैंक	8.9	8.3	7.0	6.6	7.0	7.4	7.8
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.0	7.2	6.8	6.2	6.3	6.6	6.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	7.8	6.8	6.4	6.3	6.3	6.9	7.2
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8.4	6.8	7.2	7.9	7.0	7.1	7.3
6.	केनरा बैंक	8.2	7.1	6.9	6.6	6.8	7.9	7.8
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8.9	8.0	7.6	7.2	6.7	6.4	7.1
8.	कार्पोरेशन बैंक	8.0	7.6	6.6	6.5	6.4	6.8	7.0
9.	देना बैंक	8.8	7.8	7.2	6.6	6.7	6.9	7.1
10.	इंडियन बैंक	7.2	6.8	6.5	7.1	7.5	7.4	8.1
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	8.5	7.9	7.8	7.4	7.1	7.6	8.0
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9.7	8.1	6.6	7.0	7.0	7.5	7.9
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	8.9	8.5	7.9	6.8	7.9	7.2	7.9
14.	पंजाब नेशनल बैंक	8.7	7.6	6.7	6.6	6.9	7.2	7.8
15.	सिंडीकेट बैंक	8.4	6.5	7.2	6.6	6.8	7.4	7.4
16.	यूको बैंक	8.0	7.1	6.5	7.0	7.0	7.2	7.3
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.4	7.7	6.9	6.6	7.2	7.4	7.4
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	8.7	8.0	7.3	7.1	6.7	6.5	7.0
19.	विजया बैंक	8.8	8.1	7.2	7.3	6.7	6.9	8.4
	स्टेट बैंक समूह	8.3	7.5	7.0	7.1	6.6	7.0	7.0
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.3	7.5	7.1	7.3	6.6	6.8	6.6
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	8.0	7.8	7.4	7.1	6.9	7.4	8.2
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7.9	7.2	6.7	6.8	6.9	7.1	7.4
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	8.7	8.0	6.6	6.4	6.8	7.6	8.2
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	9.2	7.7	7.1	7.0	6.6	7.5	8.0
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	8.3	7.0	6.8	6.0	6.5	7.3	8.3
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	7.9	7.6	7.5	7.1	6.9	7.3	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8.3	7.3	7.0	7.2	7.1	7.8	8.3
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआइ बैंक लि.	-	-	3.3	6.1	6.1	6.2	6.8

**परिशिष्ट सारणी IV.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत
के रूप में ब्याज से प्राप्त आय (जारी)**

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	8.3	7.0	6.1	6.2	6.6	7.6	8.3
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	8.5	7.6	7.0	6.9	7.1	7.5	8.1
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	7.7	6.0	5.7	5.5	6.3	6.6	8.0
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	9.0	8.3	8.3	7.7	7.7	8.1	7.9
3.	सिटी यूनिन बैंक लि.	8.9	8.7	8.3	7.9	7.5	8.1	8.7
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	9.0	7.8	7.3	7.4	7.2	7.7	7.2
5.	फेडरल बैंक लि.	9.1	7.9	7.1	7.0	7.2	7.7	8.5
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	7.9	7.0	6.4	7.3	6.6	6.6	7.0
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	8.5	7.2	6.3	6.5	6.6	7.4	7.9
8.	कर्नाटक बैंक लि.	8.8	8.0	6.7	6.8	7.7	8.1	8.4
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	8.4	9.1	7.5	7.2	7.8	7.6	8.5
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	8.5	7.5	7.4	6.5	7.2	7.8	7.9
11.	नैनीताल बैंक लि.	8.8	8.2	7.0	7.0	7.2	8.2	8.6
12.	रत्नाकर बैंक लि.	8.8	8.0	7.5	7.2	6.7	7.3	8.1
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	8.3	8.1	5.4	6.8	5.1	6.6	7.4
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	8.6	7.4	7.5	7.0	7.2	7.6	8.3
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	10.0	10.6	9.1	9.0	9.0	8.6	8.9
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	8.1	6.7	5.8	5.9	6.5	7.6	8.3
16.	एक्सिस बैंक लि.	7.5	6.6	5.1	5.8	6.1	6.4	7.3
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	11.0	9.4	7.5	7.1	6.7	8.1	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	8.1	6.5	6.5	7.4	6.6	7.4	10.9
19.	एचडीएफसी बैंक	6.6	6.0	6.0	6.1	7.3	7.6	8.9
20.	आइसीआइसीआइ बैंक	8.8	7.2	5.6	5.7	6.4	7.7	8.2
21.	इंडसइंड बैंक लि.	7.5	6.5	7.3	6.7	7.2	8.1	8.4
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	8.4	5.0	6.5	7.1	6.6	9.0	10.7
23.	यस बैंक लि.	-	-	2.4	4.6	5.3	7.7	8.7

परिशिष्ट सारणी IV.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से प्राप्त आय (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	7.7	6.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.8
1.	एबी बैंक लि.	4.7	4.8	4.4	5.6	6.3	5.6	5.6
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	7.9	7.2	5.9	5.9	7.7	8.3	9.7
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	9.7	8.5	7.7	16.2	5.9	11.2	7.3
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	10.1	9.0	8.9	7.1	7.2	-	6.4
5.	एंटेवर्प डायमंड बैंक	4.6	4.1	4.0	5.7	6.7	5.2	4.8
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	4.5	3.6	2.9	3.4	4.7	2.7	0.3
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	7.0	5.5	4.7	5.8	6.8	6.3	6.2
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी. एस. सी.	8.1	5.8	5.7	6.5	6.4	6.6	8.0
9.	बैंक ऑफ सिलोन	6.9	5.1	4.7	5.5	6.2	6.9	7.3
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	9.7	4.5	4.8	5.0	5.8	5.0	7.8
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मिजुबिशी यूएफजे	9.7	6.6	5.0	4.1	5.3	6.1	6.9
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	2.8	3.9	3.4	3.5	4.4	4.8	9.8
13.	बी.एन.पी. परिबास	9.1	5.9	6.0	6.0	7.2	6.1	6.5
14.	काल्योन बैंक	8.3	8.4	6.2	6.9	5.1	6.1	5.2
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	11.2	10.0	7.8	5.2	6.2	6.9	9.6
16.	सिटी बैंक एन. ए.	7.8	7.7	6.5	6.7	6.6	7.1	6.5
17.	डीबीएस बैंक लिमि.	10.6	4.9	2.4	4.9	6.3	7.0	6.4
18.	ड्यूश बैंक एजी	5.7	3.5	3.6	5.0	5.5	5.8	7.5
19.	एचएसबीसी लि.	7.1	6.1	5.8	5.9	6.4	6.6	6.7
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	4.8	5.4	3.1	4.4	4.5	5.6	4.9
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	6.0
22.	क्रुंग थार्ड बैंक पब्लिक कं. लि.	6.9	5.8	4.9	5.8	6.3	6.1	6.8
23.	मशरेक बैंक पीएससी	12.2	10.0	8.6	23.1	6.9	6.8	4.8
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	8.4	6.8	3.8	4.4	4.8	6.1	5.9
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	4.1	4.0	4.0	3.9	4.1	3.8	3.7
26.	सिनहान बैंक	10.4	5.4	4.5	4.2	5.1	6.8	6.2
27.	सोसाइटे जनरेल	5.6	4.0	4.2	5.1	5.9	7.0	7.1
28.	सोनाली बैंक	4.0	3.9	4.4	4.4	3.4	3.8	2.6
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	7.8	7.4	6.7	6.7	6.9	6.6	5.8
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	6.1	6.8	7.9	8.8	7.1	8.1	7.1
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	2.5

- : लागू नहीं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5.5	4.4	3.8	3.8	4.1	4.8	5.0
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5.4	4.5	3.9	4.0	4.2	4.9	5.1
	राष्ट्रीयकृत बैंक	5.4	4.4	3.9	3.8	4.2	5.0	5.2
1.	इलाहाबाद बैंक	5.9	4.6	4.0	4.0	4.6	5.4	5.3
2.	आंध्र बैंक	5.8	4.9	3.7	3.7	4.0	5.1	5.5
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	5.2	4.2	3.7	3.4	3.8	4.4	4.4
4.	बैंक ऑफ इंडिया	5.1	4.2	4.0	3.9	3.9	4.5	4.8
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5.6	4.4	4.5	4.8	4.2	4.8	5.1
6.	केनरा बैंक	5.4	4.4	4.0	3.9	4.4	5.9	5.6
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5.6	4.6	4.1	4.0	4.0	4.7	5.6
8.	कार्पोरेशन बैंक	5.0	4.2	3.3	3.5	3.9	4.6	5.0
9.	देना बैंक	6.0	5.2	4.3	3.9	4.0	4.7	4.9
10.	इंडियन बैंक	4.8	4.0	3.6	3.9	4.3	4.5	5.0
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.5	4.6	4.1	3.9	4.0	5.2	5.6
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	6.2	4.5	3.8	4.3	4.7	5.7	6.1
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	6.2	5.2	4.3	3.5	4.4	4.6	5.4
14.	पंजाब नेशनल बैंक	5.1	4.1	3.5	3.4	3.7	4.4	5.0
15.	सिंडीकेट बैंक	4.8	3.5	4.0	3.6	4.4	5.4	5.4
16.	यूको बैंक	5.5	4.3	3.9	4.5	4.8	5.6	5.8
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5.5	4.8	4.0	3.9	4.5	5.1	5.0
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	5.8	5.0	4.2	4.0	4.0	4.9	5.1
19.	विजया बैंक	5.4	4.6	3.8	4.2	4.1	5.4	6.6
	स्टेट बैंक समूह	5.5	4.6	4.0	4.1	4.0	4.7	4.8
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5.6	4.7	4.0	4.1	3.9	4.4	4.4
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	4.9	4.3	3.7	3.5	4.2	5.1	5.8
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5.1	4.5	3.9	4.1	4.4	5.3	5.5
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	5.5	4.5	3.6	3.8	4.6	5.6	6.0
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5.7	4.4	3.8	3.8	4.1	5.2	6.0
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4.6	4.0	3.7	3.6	4.3	5.8	6.7
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	5.1	4.5	4.2	4.2	4.7	5.6	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	5.6	4.4	3.9	4.2	4.5	5.6	5.7
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआई बैंक लि.	-	-	3.0	5.6	5.5	5.6	6.0

परिशिष्ट सारणी IV.22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	6.3	4.8	3.8	3.8	4.4	5.2	5.5
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	6.0	5.0	4.3	4.2	4.4	5.1	5.5
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	4.8	3.7	3.4	3.2	3.6	4.7	5.8
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	6.7	5.5	5.0	4.6	4.7	5.3	5.6
3.	सिटी यूनिन बैंक लि.	6.4	5.6	5.1	4.5	4.3	5.4	6.1
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	6.5	5.0	4.5	4.5	4.3	5.3	5.1
5.	फेडरल बैंक लि.	6.3	5.1	4.1	4.1	4.3	5.1	5.1
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	6.0	5.1	4.1	4.4	4.3	4.6	5.0
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	5.4	4.3	3.9	3.9	3.9	5.0	5.3
8.	कर्नाटक बैंक लि.	7.1	6.0	4.2	4.4	5.2	5.7	6.3
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	5.6	4.9	4.2	4.1	4.7	5.2	6.1
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	6.3	5.3	4.7	4.4	5.1	5.9	6.1
11.	नैनीताल बैंक लि.	5.1	4.3	3.5	3.0	3.2	4.5	4.8
12.	रत्नाकर बैंक लि.	6.1	5.3	4.5	4.1	3.7	3.6	4.4
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	6.2	5.3	3.5	3.6	3.4	5.4	4.9
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	6.3	5.2	4.8	4.2	4.5	5.4	5.7
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	6.4	6.3	5.0	5.0	4.8	5.6	5.9
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	6.4	4.7	3.6	3.6	4.4	5.2	5.6
16.	एक्सिस बैंक लि.	5.8	4.2	3.2	3.6	4.1	4.0	4.8
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	8.0	5.7	3.7	3.6	3.8	5.5	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	6.5	4.8	5.0	5.4	4.3	5.1	7.5
19.	एचडीएफसी बैंक	3.9	2.9	2.6	2.6	3.5	3.7	4.9
20.	आइसीआइसीआइ बैंक	7.4	5.6	3.9	3.8	4.7	5.9	6.0
21.	इंडसइंड बैंक लि.	5.6	4.4	4.6	5.0	5.9	6.8	6.7
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	4.0	2.0	3.0	3.3	3.5	4.6	5.4
23.	यस बैंक लि.	-	-	0.9	2.5	3.7	5.7	6.5

परिशिष्ट सारणी IV.22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय किया गया ब्याज (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	4.3	3.1	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9
1.	एबी बैंक लि.	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.5	0.9
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	4.0	2.9	2.2	2.8	3.6	4.0	4.5
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	8.8	7.5	7.1	14.7	4.1	4.6	3.1
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	6.6	5.2	5.0	4.2	4.1	-	6.7
5.	एंटवर्प डायमंड बैंक	1.2	1.1	1.5	3.3	4.0	2.9	2.1
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	1.1	0.7	0.6	0.8	1.3	0.2	-
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	4.5	3.2	2.3	2.5	2.7	2.0	1.5
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी. एस. सी.	6.4	4.7	3.6	4.5	3.7	3.5	4.1
9.	बैंक ऑफ सिलोन	3.8	3.1	2.9	2.3	2.4	1.9	1.7
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	6.8	3.1	3.2	3.5	4.1	3.7	5.3
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	4.5	1.7	1.4	1.6	2.0	2.2	3.8
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	2.0	0.9	0.9	1.5	2.3	2.5	4.7
13.	बी.एन.पी. परिबास	6.3	3.3	3.1	3.0	4.1	3.3	2.8
14.	काल्योन बैंक	6.0	5.5	5.2	5.6	2.9	3.1	2.6
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	4.2	3.2	2.8	1.7	3.7	4.0	3.3
16.	सिटी बैंक एन. ए.	4.1	3.1	2.2	2.2	2.6	2.8	2.3
17.	डीबीएस बैंक लि.	5.1	2.2	0.6	1.9	4.0	4.3	3.9
18.	ड्यूश बैंक एजी	3.0	2.7	2.8	3.1	2.6	2.2	2.4
19.	एचएसबीसी लि.	4.2	2.9	2.3	2.2	2.2	2.7	2.8
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	1.3	1.3	1.2	1.8	2.0	2.5	2.2
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
22.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	0.3	0.5	0.8	0.9	1.1	1.9	3.0
23.	मशरेक बैंक पीएससी	8.8	7.6	7.3	20.9	0.6	0.2	0.1
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	5.7	2.3	1.3	2.1	1.6	2.8	2.7
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	5.8	4.4	3.4	3.2	3.2	3.1	2.3
26.	सिनहान बैंक	3.2	1.1	1.0	1.8	1.2	2.1	2.5
27.	सोसाइटे जनरेल	3.7	2.2	2.4	2.9	4.1	5.3	3.7
28.	सोनाली बैंक	2.9	2.5	2.5	2.6	1.8	1.7	1.2
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.9	3.1	3.0	2.6	2.8	2.9	2.6
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	3.6	3.8	5.0	5.5	4.8	5.7	4.9
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय / मार्जिन (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.8	2.9	2.8	2.8	2.6	2.3	2.4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.9	3.0	2.9	2.8	2.6	2.1	2.1
	राष्ट्रीयकृत बैंक	3.0	3.1	3.0	2.9	2.7	2.2	2.2
1.	इलाहाबाद बैंक	3.2	3.1	3.0	2.9	2.6	2.0	2.2
2.	आंध्रा बैंक	3.1	3.4	3.3	2.9	3.0	2.4	2.4
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.8	3.0	3.2	2.8	2.5	2.2	2.3
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.7	2.4	2.7	3.1	2.8	2.3	2.1
6.	केनरा बैंक	2.8	2.8	2.9	2.7	2.4	2.0	2.1
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3.3	3.4	3.5	3.2	2.7	1.7	1.5
8.	कार्पोरेशन बैंक	3.0	3.3	3.3	3.0	2.5	2.2	1.9
9.	देना बैंक	2.8	2.7	2.9	2.7	2.7	2.2	2.2
10.	इंडियन बैंक	2.3	2.9	3.0	3.2	3.2	2.9	3.1
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3.0	3.4	3.7	3.5	3.1	2.4	2.4
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3.6	3.6	2.8	2.7	2.3	1.8	1.8
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.7	3.3	3.6	3.3	3.5	2.5	2.4
14.	पंजाब नेशनल बैंक	3.6	3.5	3.2	3.2	3.2	2.8	2.8
15.	सिंडिकेट बैंक	3.5	3.0	3.3	3.1	2.4	1.9	2.0
16.	यूको बैंक	2.5	2.7	2.6	2.5	2.1	1.7	1.5
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.9	3.0	2.9	2.7	2.7	2.3	2.4
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3.0	3.0	3.2	3.1	2.7	1.7	1.9
19.	विजया बैंक	3.4	3.5	3.4	3.1	2.5	1.5	1.8
	स्टेट बैंक समूह	2.8	2.8	3.1	3.1	2.6	2.2	2.1
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2.7	2.7	3.0	3.2	2.7	2.4	2.2
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.1	3.6	3.7	3.6	2.7	2.3	2.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	1.8	1.9
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.2	3.5	3.0	2.6	2.2	2.0	2.2
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.4	3.3	3.3	3.2	2.5	2.3	2.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3.7	3.1	3.1	2.4	2.1	1.5	1.6
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.8	3.2	3.4	2.9	2.2	1.7	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.8	2.9	3.1	3.0	2.6	2.2	2.6
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआई बैंक लि.	-	-	0.2	0.4	0.6	0.5	0.8

परिशिष्ट सारणी IV.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय/मार्जिन (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	2.0	2.2	2.3	2.4	2.2	2.4	2.7
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.4	2.6
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	3.0	2.3	2.3	2.3	2.6	2.0	2.2
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	2.3	2.8	3.3	3.1	3.0	2.8	2.4
3.	सिटी यूनिन बैंक लि.	2.5	3.0	3.2	3.4	3.1	2.7	2.6
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.5	2.2
5.	फेडरल बैंक लि.	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	2.7	3.4
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.9	1.9	2.3	2.9	2.3	2.0	2.0
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	3.1	2.9	2.4	2.5	2.7	2.5	2.7
8.	कर्नाटक बैंक लि.	1.7	2.0	2.5	2.4	2.6	2.4	2.1
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	2.7	4.2	3.3	3.1	3.1	2.3	2.4
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.1	2.2	2.6	2.1	2.0	1.9	1.8
11.	नैनीताल बैंक लि.	3.7	3.9	3.5	3.9	4.0	3.7	3.8
12.	रत्नाकर बैंक लि.	2.7	2.7	3.1	3.1	3.0	3.7	3.7
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	2.2	2.8	2.0	3.3	1.7	1.2	2.5
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.3	2.2	2.7	2.9	2.7	2.2	2.6
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	3.6	4.2	4.1	4.0	4.2	3.0	3.1
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.7	2.0	2.2	2.3	2.1	2.4	2.8
16.	एक्सिस बैंक लि.	1.6	2.4	1.9	2.2	2.0	2.4	2.5
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	3.0	3.7	3.9	3.5	2.9	2.6	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.6	1.8	1.5	2.0	2.3	2.3	3.3
19.	एचडीएफसी बैंक लि.	2.7	3.2	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0
20.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	1.3	1.6	1.7	1.9	1.6	1.8	2.2
21.	इंडसइंड बैंक लि.	1.9	2.1	2.7	1.8	1.3	1.3	1.7
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	4.4	2.9	3.5	3.7	3.1	4.3	5.3
23.	यस बैंक लि.	-	-	1.4	2.1	1.5	1.9	2.2

परिशिष्ट सारणी IV.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय/ मार्जिन (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	3.4	3.6	3.3	3.6	3.8	3.8	3.9
1.	एबी बैंक लि.	3.9	4.0	3.9	5.0	5.6	5.1	4.7
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.9	4.2	3.7	3.0	4.0	4.3	5.2
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.9	1.0	0.6	1.5	1.8	6.6	4.2
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	3.4	3.7	3.9	2.9	3.0	-	-0.3
5.	एंटेवर्प डायमंड बैंक	3.4	3.0	2.5	2.4	2.7	2.2	2.7
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	3.4	2.9	2.3	2.6	3.4	2.5	0.3
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	2.5	2.3	2.4	3.4	4.1	4.3	4.6
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी. एस. सी.	1.7	1.1	2.1	2.0	2.7	3.1	3.9
9.	बैंक ऑफ सिलोन	3.1	2.0	1.8	3.2	3.8	5.0	5.6
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.8	1.4	1.5	1.5	1.8	1.4	2.5
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	5.3	4.8	3.6	2.6	3.3	3.9	3.1
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	0.8	3.0	2.4	2.0	2.1	2.3	5.1
13.	बी.एन.पी. परिबास	2.9	2.6	2.9	2.9	3.1	2.7	3.7
14.	काल्योन बैंक	2.3	2.9	1.0	1.3	2.2	2.9	2.6
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	7.0	6.8	5.0	3.5	2.5	2.9	6.3
16.	सिटी बैंक एन. ए.	3.8	4.6	4.3	4.5	4.0	4.4	4.2
17.	डीबीएस बैंक लिमि.	5.5	2.6	1.8	3.0	2.3	2.6	2.5
18.	ड्यूश बैंक एजी	2.7	0.8	0.8	2.0	2.8	3.7	5.2
19.	एचएसबीसी लि.	2.9	3.3	3.5	3.7	4.2	3.9	3.9
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	3.5	4.1	1.8	2.6	2.4	3.1	2.7
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	6.0
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	6.6	5.3	4.2	4.9	5.2	4.2	3.8
23.	मशरेक बैंक पीएससी	3.4	2.4	1.3	2.2	6.3	6.6	4.7
24.	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	2.7	4.5	2.5	2.3	3.1	3.3	3.2
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-1.7	-0.4	0.7	0.7	0.9	0.7	1.3
26.	सिनहान बैंक	7.2	4.3	3.5	2.4	3.8	4.7	3.7
27.	सोसाइटे जनरेल	2.0	1.9	1.7	2.3	1.8	1.8	3.4
28.	सोनाली बैंक	1.1	1.4	1.9	1.8	1.7	2.1	1.4
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.9	4.2	3.7	4.1	4.1	3.7	3.2
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	2.5	3.0	3.0	3.3	2.3	2.5	2.2
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	2.5

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.4	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.4	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9
	राष्ट्रीयकृत बैंक	1.4	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9
1.	इलाहाबाद बैंक	1.3	1.2	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2
2.	आंध्र बैंक	1.4	1.7	1.4	0.5	0.8	0.9	0.9
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1.2	1.8	1.7	1.0	1.0	0.8	0.9
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1.6	1.5	1.2	0.9	0.9	0.9	1.1
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7
6.	केनरा बैंक	1.2	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	0.9
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1.1	1.4	1.8	1.3	0.8	0.6	0.6
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.7	1.4	1.8	1.3	1.1	0.8	1.0
9.	देना बैंक	1.9	2.2	1.3	2.0	1.4	0.8	0.6
10.	इंडियन बैंक	1.1	1.0	1.3	0.8	1.1	0.9	1.2
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.9	1.7	1.7	0.9	0.7	0.8	1.0
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.1	2.1	0.9	1.1	1.0	1.0	0.7
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.9	0.9	2.1	0.8	1.2	0.5	0.7
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1.7	2.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.1
15.	सिंडिकेट बैंक	0.8	1.2	1.2	0.8	0.7	0.6	0.6
16.	यूको बैंक	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1.5	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	0.8
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1.0	1.2	1.3	1.3	1.1	0.3	0.8
19.	विजया बैंक	1.2	1.9	1.4	1.6	0.9	0.5	1.0
	स्टेट बैंक समूह	1.4	1.6	1.5	1.3	1.0	0.8	0.9
20.	भारतीय स्टेट बैंक	1.2	1.4	1.5	1.4	1.0	0.9	0.9
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1.3	1.9	2.2	1.2	1.1	0.8	1.1
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.8	2.1	1.3	0.8	1.0	0.7	0.9
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1.9	2.4	1.3	1.2	0.8	0.7	1.0
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2.1	1.8	1.5	1.1	0.8	0.8	0.8
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.0	2.1	1.8	1.0	0.9	0.6	0.6
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1.7	2.2	2.3	1.3	0.9	0.6	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.5	1.9	1.9	1.3	1.0	0.7	0.9
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआई बैंक लि.	-	-	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3

परिशिष्ट सारणी IV.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	1.4	1.3	1.0	0.8	1.0	1.0	1.3
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.5	1.5	1.4	0.9	1.2	0.8	1.0
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1.3	1.4	0.5	-	0.7	0.4	0.4
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	1.7	1.6	1.5	0.6	0.8	0.6	0.6
3.	सिटी यूनिन बैंक लि.	1.8	1.9	1.0	1.3	1.1	1.1	1.1
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.3	2.0	1.5	0.5	0.7	0.4	0.5
5.	फेडरल बैंक लि.	2.0	2.0	1.8	1.1	1.3	1.3	2.0
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.4	1.5	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
8.	कर्नाटक बैंक लि.	1.6	1.9	1.6	1.0	1.1	0.8	0.9
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	1.2	0.8	1.2	1.0	1.0	0.7	1.1
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.4	1.2	1.3	0.4	1.0	1.0	0.7
11.	नैनीताल बैंक लि.	0.5	1.0	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2
12.	रत्नाकर बैंक लि.	1.4	0.7	2.2	1.3	0.3	1.1	0.9
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	4.2	1.6	4.4	2.7	-0.3	-0.1	0.1
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1.9	1.7	1.7	1.0	1.1	0.7	0.8
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	1.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.1	1.1
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.4	1.3	0.8	0.8	0.9	1.1	1.4
16.	एक्सिस बैंक लि.	1.1	1.7	0.6	1.0	0.8	1.1	1.3
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	1.4	3.3	0.1	0.7	0.8	0.9	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.6	0.7	3.4	1.8	0.6	0.9	2.7
19.	एचडीएफसी बैंक	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.6
20.	आइसीआइसीआइ बैंक	1.3	0.7	0.6	0.5	0.8	1.0	1.4
21.	इंडसइंड बैंक लि.	2.4	1.2	1.2	0.9	0.5	0.5	0.8
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	2.1	0.8	0.8	0.9	0.9	1.3	1.4
23.	यस बैंक लि.	-	-	-	1.1	0.7	0.9	1.0

परिशिष्ट सारणी IV.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक व्यय (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	1.6	2.0	1.7	1.8	1.8	2.0	2.8
1.	एबी बैंक लि.	2.5	2.9	2.6	3.3	3.2	3.3	4.4
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.6	1.5	1.6	1.4	2.3	1.7	4.3
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.5	0.2	2.8	-0.1	1.1	-1.9	0.5
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	4.3	3.6	2.0	1.5	2.7	-	5.0
5.	एंटेवर्प डायमंड बैंक	0.7	1.1	1.0	0.8	1.2	1.1	1.6
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-5.0	0.3	0.4	1.9	-0.1	2.4	-0.6
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	1.0	1.1	1.4	2.4	2.5	2.8	3.4
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी. एस. सी.	1.2	1.1	4.1	2.0	3.1	-1.2	0.7
9.	बैंक ऑफ सिलोन	2.3	2.6	2.4	3.9	3.0	3.2	1.6
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.4	1.4	2.4	1.0	1.0	1.0	1.9
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	-0.1	1.1	4.8	2.2	1.5	1.8	2.1
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	5.6	5.8	5.9	5.2	2.1	1.3	3.5
13.	बी.एन.पी. परिबास	0.6	1.6	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5
14.	काल्योन बैंक	0.9	-0.8	0.2	0.2	1.7	2.8	2.6
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	2.1	3.4	10.0	3.5	0.7	-0.3	0.2
16.	सिटी बैंक एन. ए.	1.9	2.2	1.7	1.9	1.9	2.5	3.1
17.	डीबीएस बैंक लिमि.	2.4	3.3	0.2	0.9	1.3	0.6	1.5
18.	ड्यूश बैंक एजी	3.0	2.7	1.3	1.6	1.1	2.0	2.9
19.	एचएसबीसी लि.	1.5	1.5	2.2	2.0	2.0	2.3	3.0
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	2.1	1.4	3.3	2.1	2.3	3.1	4.0
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	0.3
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	3.5	0.3	1.3	3.3	1.3	1.3	1.0
23.	मशरेक बैंक पीएससी	0.8	0.1	0.2	1.2	-1.0	2.2	3.7
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	0.9	0.5	-	1.2	1.4	1.2	1.4
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	0.5	0.2	3.0	0.2	0.3	-2.7	-0.3
26.	सिनहान बैंक	5.0	2.5	1.6	1.0	1.4	1.8	1.4
27.	सोसाइटे जनरेल	2.2	0.6	-0.4	1.0	0.7	-0.1	1.7
28.	सोनाली बैंक	0.9	3.0	3.3	1.6	1.4	1.6	1.7
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	0.9	2.3	1.3	1.8	1.7	1.8	1.9
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	3.1	3.9	1.2	2.0	0.7	1.2	0.8
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	0.5

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.25: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9	1.8	1.7
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.3	2.2	2.1	2.1	1.8	1.5	1.5
	राष्ट्रीयकृत बैंक	2.3	2.2	2.2	2.0	1.7	1.5	1.5
1.	इलाहाबाद बैंक	3.3	2.8	2.4	1.9	1.5	1.4	1.4
2.	आंध्र बैंक	2.4	2.4	2.5	2.1	2.0	1.6	1.6
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.2	2.1	2.1	2.1	1.8	1.7	1.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.5	1.4
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.1	1.7	2.2	2.1	1.9	1.7	1.6
6.	केनरा बैंक	2.1	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2.7	2.5	2.5	2.3	1.8	1.4	1.3
8.	कार्पोरेशन बैंक	1.8	2.0	2.0	1.8	1.5	1.3	1.2
9.	देना बैंक	2.5	2.3	2.6	2.1	1.9	1.7	1.6
10.	इंडियन बैंक	2.1	2.7	2.1	2.3	2.2	2.0	1.7
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.3	2.1	2.3	2.1	1.7	1.5	1.6
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1.7	1.6	1.5	1.6	1.3	1.2	1.2
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.9	4.0	3.6	2.5	2.4	1.8	1.7
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2.4	2.3	2.6	2.1	2.0	1.8	1.7
15.	सिंडीकेट बैंक	3.2	2.5	2.4	2.3	1.6	1.4	1.3
16.	यूको बैंक	2.5	2.3	2.0	1.9	1.6	1.5	1.3
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.0	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.4
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.4	2.6	2.4	2.4	1.8	1.7	1.6
19.	विजया बैंक	2.9	2.1	1.8	2.0	1.5	1.2	1.5
	स्टेट बैंक समूह	2.1	2.2	2.1	2.3	2.0	1.7	1.6
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2.1	2.3	2.2	2.4	2.1	1.7	1.6
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2.5	2.6	2.7	2.8	2.2	1.8	1.7
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.7	1.7	1.9	2.0	1.6	1.3	1.2
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.2	2.2	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2.9	2.7	2.9	2.6	2.1	1.9	1.6
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.2	2.0	1.7	1.9	1.7	1.8	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.9	1.9	1.7	2.0	1.7	1.6	1.6
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
28.	आइडीबीआई बैंक लि.	-	-	0.6	1.0	0.7	0.7	0.8

परिशिष्ट सारणी IV.25: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के बैंक	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.1	2.0	2.0	2.1	1.8	1.7	1.7
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	2.6	2.2	2.1	2.6	2.1	1.7	1.8
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	2.7	2.7	2.6	3.1	2.6	2.5	2.6
3.	सिटी यूनिजन बैंक लि.	1.5	1.4	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.8	2.5	2.6	2.9	2.5	2.4	2.0
5.	फेडरल बैंक लि.	1.8	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.5
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	2.9	2.6	2.5	3.1	2.6	2.4	2.4
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
8.	कर्नाटक बैंक लि.	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.6	1.5
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	1.7	2.2	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.8	1.8
12.	नैनीताल बैंक लि.	2.8	3.0	2.4	2.8	2.0	1.6	1.6
13.	रत्नाकर बैंक लि.	2.6	2.5	2.6	2.4	2.8	2.0	1.9
15.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3
16.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1.9	2.1	2.0	2.1	1.6	1.5	1.6
17.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	2.0	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.2
18.	एक्सिस बैंक लि.	1.7	1.7	1.5	1.6	1.7	2.0	1.9
19.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	4.7	5.1	4.8	4.4	3.8	3.6	-
20.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	2.2	2.4	3.5	4.0	3.3	3.1	4.1
21.	एचडीएफसी बैंक	1.9	1.9	2.1	2.3	2.7	2.8	3.0
22.	आइसीआइसीआइ बैंक	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9
23.	इंडसइंड बैंक लि.	1.2	1.4	1.7	1.8	1.6	1.7	2.0
24.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	3.6	2.4	3.5	3.8	3.1	3.6	4.2
25.	यस बैंक लि.	-	-	3.1	2.1	1.7	2.0	1.8

परिशिष्ट सारणी IV.25: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
1.	एबी बैंक लि.	2.2	2.3	3.0	3.4	5.8	3.8	5.1
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.5	4.4	3.7	3.2	3.4	3.6	4.7
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.8	0.6	2.4	2.0	2.4	4.6	2.0
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	6.3	7.3	9.7	8.2	8.4	-	30.8
5.	एंटरप्राइज डायमंड बैंक	2.6	1.4	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	7.3	3.0	2.3	2.3	2.5	5.7	0.7
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	1.4	1.6	1.7	1.9	2.2	2.1	1.8
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी. एस. सी.	1.7	1.9	2.2	2.6	2.3	2.3	2.8
9.	बैंक ऑफ सिलोन	1.6	1.5	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1.4	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.8
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	4.7	3.5	3.0	2.2	1.7	0.9	0.9
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	1.9	3.2	3.4	2.8	4.1	5.4	4.3
13.	बी.एन.पी. परिबास	4.0	2.9	3.3	2.8	3.1	2.4	2.0
14.	काल्योन बैंक	2.0	2.2	2.8	2.8	2.4	2.4	1.5
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	3.7	3.3	3.9	2.2	2.2	2.4	4.4
16.	सिटी बैंक एन. ए.	3.3	3.4	3.6	3.4	2.8	2.6	2.5
17.	डीबीएस बैंक लिमि.	2.4	1.1	1.3	1.2	1.2	1.0	1.3
18.	ड्यूश बैंक एजी	2.9	2.0	2.6	3.9	4.2	4.3	4.6
19.	एचएसबीसी लि.	2.9	2.5	2.5	2.7	2.9	2.8	2.3
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	2.7	3.4	2.1	1.5	1.1	1.6	1.3
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	6.2
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	4.3	3.9	3.2	4.2	2.8	2.0	2.1
23.	मशरेक बैंक पीएससी	2.1	1.3	1.1	4.5	5.1	4.9	5.5
24.	मिज़ुओ कापॉरेट बैंक लिमि.	2.7	2.6	1.8	1.7	1.8	2.1	1.7
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	1.4	1.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5
26.	सिनहान बैंक	2.4	2.0	1.6	1.2	1.8	1.9	1.2
27.	सोसाइटे जनरेल	3.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.9	3.0
28.	सोनाली बैंक	6.1	7.2	9.2	11.0	7.6	9.2	6.3
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2.0	2.3	2.3	2.6	2.4	2.8	2.6
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.0
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	8.6

- : लागू नहीं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.26: पूनर्पूजीकरण बांडों के ब्याज के समायोजन पूर्व और बाद के परिचालनगत और निवल लाभ - राष्ट्रीयकृत बैंक

(राशि करोड़ रुपये)

क्रम सं.	बैंक का नाम	समायोजन पूर्व ब्याज राशि				समायोजन के बाद ब्याज राशि +			
		परिचालनगत लाभ		निवल लाभ		परिचालनगत लाभ		निवल लाभ	
		2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इलाहाबाद बैंक	1,480	1,901	975	769	1,467	1,901	962	769
2.	आंध्र बैंक	1,057	1,288	576	653	1,048	1,288	566	653
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	2,929	4,305	1,436	2,227	2,922	4,305	1,429	2,227
4.	बैंक ऑफ इंडिया	3,701	5,457	2,009	3,007	3,683	5,457	1,991	3,007
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	673	794	328	375	658	794	314	375
6.	केनरा बैंक	2,959	3,964	1,565	2,072	2,941	3,964	1,546	2,072
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,268	1,437	550	571	1,243	1,437	525	571
8.	कापेरिशन बैंक	1,251	1,797	735	893	1,249	1,797	732	893
9.	देना बैंक	686	726	360	423	681	726	354	423
10.	इंडियन बैंक	1,659	2,229	1,009	1,245	1,497	2,229	846	1,245
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2,002	2,524	1,202	1,326	1,988	2,524	1,188	1,326
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,219	1,685	353	905	1,216	1,685	350	905
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	543	728	382	437	510	728	350	437
14.	पंजाब नेशनल बैंक	4,006	5,744	2,049	3,091	3,991	5,744	2,034	3,091
15.	सिंडिकेट बैंक	1,468	1,746	848	913	1,456	1,746	836	913
16.	यूको बैंक	954	1,202	412	558	895	1,202	354	558
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,580	3,082	1,387	1,727	2,575	3,082	1,381	1,727
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	467	677	319	185	425	677	277	185
19.	विजया बैंक	661	899	361	262	646	899	347	262
	कुल	31,563	42,184	16,856	21,639	31,091	42,184	16,384	21,639

+ : पूनर्पूजीकरण बांडों पर ब्याज के लिए समायोजित।

टिप्पणी: 1. 10 प्रतिशत भारत सरकार राष्ट्रीय पूनर्पूजीकरण बांड 2006 और 10 प्रतिशत राष्ट्रीय बैंक विशेष प्रतिभूति 2006 को 15 फरवरी 2007 से 8.20 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2022, 8.24 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2027 और 8.28 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032 में परिवर्तित किया गया।

2. वर्ष 2008-09 के दौरान कोई ब्याज अदा नहीं किया गया क्योंकि सभी बांडों को दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.5	1.8	1.5	1.3	1.3	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.7	2.1	1.6	1.3	1.2	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6
	राष्ट्रीयकृत बैंक	3.0	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4
1.	इलाहाबाद बैंक	2.8	2.1	1.6	1.2	1.1	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4
2.	आंध्रा बैंक	1.3	1.1	0.8	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3.5	2.1	1.5	1.1	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2
4.	बैंक ऑफ इंडिया	3.3	2.2	1.5	1.1	1.1	1.6	0.9	0.4	0.3	0.3
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.9	3.0	2.1	1.6	1.4	0.9	1.1	0.7	0.5	0.5
6.	केनरा बैंक	2.1	1.3	0.9	0.7	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.7
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3.8	3.6	2.8	1.9	1.6	1.2	1.3	0.9	0.9	0.7
8.	कापेरिशन बैंक	1.9	1.5	1.2	0.9	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
9.	देना बैंक	4.8	3.6	2.4	1.5	1.3	2.5	1.6	1.2	0.6	0.6
10.	इंडियन बैंक	1.7	1.4	1.0	0.7	0.5	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.7	2.1	1.4	1.0	1.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.8
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	4.6	3.6	2.0	1.4	0.9	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7.6	4.9	1.3	0.4	0.4	3.2	1.2	0.4	0.2	0.2
14.	पंजाब नेशनल बैंक	3.0	2.2	2.1	1.7	1.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.1
15.	सिंडिकेट बैंक	2.7	2.5	1.7	1.7	1.2	0.8	0.5	0.4	0.6	0.5
16.	यूको बैंक	2.6	2.0	2.0	1.8	1.4	1.5	1.3	1.3	1.2	0.7
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.8	2.4	1.8	1.3	1.2	1.5	0.9	0.6	0.1	0.2
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.5	2.2	1.9	1.4	1.6	1.0	0.9	0.8	0.6	0.8
19.	विजया बैंक	1.5	1.7	1.3	0.9	1.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5
	स्टेट बैंक समूह	2.5	1.8	1.6	1.5	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2.7	1.9	1.8	1.8	1.6	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1.7	1.4	1.3	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.6	1.1	0.7	0.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1.8	1.8	1.2	0.9	0.9	0.5	1.0	0.6	0.5	0.6
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2.5	2.1	1.4	1.1	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.1	1.3	1.1	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1.2	1.0	0.6	0.8	-	0.6	0.6	0.4	0.5	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.3	1.9	1.4	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.6	0.4
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक										
28.	आइडीबीआई बैंक लि.	1.5	1.3	1.2	1.2	0.8	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6

परिशिष्ट सारणी IV.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	2.1	1.4	1.2	1.4	1.7	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.2	2.5	1.8	1.3	1.3	1.4	0.9	0.6	0.4	0.5
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1.7	1.4	1.0	0.8	0.9	0.8	0.4	0.1	0.2	0.3
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	3.8	3.3	2.4	2.2	2.4	2.0	1.6	1.1	0.9	1.2
3.	सिटी यूनिन बैंक लि.	3.5	2.7	1.6	1.1	1.1	1.9	1.2	0.7	0.6	0.7
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	4.7	3.9	2.8	1.6	1.1	2.3	1.6	0.9	0.5	0.5
5.	फेडरल बैंक लि.	4.0	2.7	1.8	1.4	1.5	1.2	0.5	0.3	0.1	0.2
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.3	1.1	0.7	0.5	0.7	1.3	1.1	0.6	0.4	0.6
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.3	1.4	1.8	1.5	1.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8
8.	कर्नाटक बैंक लि.	4.0	2.8	2.4	2.0	1.9	1.1	0.6	0.7	0.6	0.5
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	3.1	2.5	1.8	1.3	1.2	1.0	0.5	0.1	0.1	0.2
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	4.6	2.5	2.3	2.1	1.7	2.8	1.1	1.0	0.9	0.8
11.	नैनीताल बैंक लि.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	-	-	-	-	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	5.3	4.0	3.3	2.5	1.0	2.7	1.3	0.9	0.4	0.3
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	14.2	8.3	1.7	0.8	0.6	3.7	1.8	0.1	-	-
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	3.9	3.0	2.4	1.1	1.3	2.2	1.1	0.6	0.2	0.7
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	5.7	3.8	2.7	1.4	1.1	1.4	1.1	0.6	0.2	0.2
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.6	1.0	1.1	1.4	1.8	0.8	0.4	0.5	0.7	0.8
16.	एक्सिस बैंक लि.	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	3.4	2.8	1.7	2.0	-	1.2	0.7	0.8	1.0	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	6.7	8.4	2.8	0.8	5.1	3.1	2.2	0.8	0.4	2.1
19.	एचडीएफसी बैंक लि.	0.9	0.7	0.7	0.7	1.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
20.	आइसीआइसीआइ बैंक	1.7	0.9	1.2	1.9	2.5	0.9	0.4	0.6	0.9	1.2
21.	इंडसइंड बैंक लि.	2.1	1.5	1.6	1.7	0.9	1.6	1.1	1.3	1.3	0.6
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	0.4	0.4	1.4	1.6	2.5	0.2	0.1	1.1	1.0	1.4
23.	यस बैंक लि.	-	-	-	0.1	0.4	-	-	-	-	0.2

परिशिष्ट सारणी IV.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	1.4	1.0	0.8	0.8	1.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7
1.	एबी बैंक लि.	0.1	-	-	3.4	3.3	0.1	-	-	3.0	2.4
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.5	0.2	0.4	0.8	2.6	0.2	0.1	0.1	0.5	1.1
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.1	9.2	5.0	3.4	2.2	0.6	2.7	0.2	-	-
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	0.8	0.6	0.5	-	3.7	0.5	0.3	0.3	-	2.5
5.	एंटरप्राइज डायमंड बैंक	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	28.5	0.2	-	-	-	1.7	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	10.9	10.1	7.9	4.8	1.9	2.4	0.5	-	0.8	-
9.	बैंक ऑफ सिलोन	14.2	18.5	17.5	10.3	2.5	4.5	6.5	3.7	1.0	-
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.9	1.9	0.4	-	-	1.9	0.7	-	-	-
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	-	0.1	-	-	-
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	-	-	-	0.4	5.1	-	-	-	0.3	2.3
13.	बी.एन.पी. परिबास	2.1	1.1	0.9	0.4	0.8	0.3	-	-	-	0.3
14.	काल्योन बैंक	1.6	0.5	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	15.2	2.1	1.6	0.6	-	3.0	1.1	0.2	-	-
16.	सिटी बैंक एन. ए.	1.1	0.9	0.8	0.9	1.7	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0
17.	डीबीएस बैंक	-	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	0.1
18.	ड्यूश बैंक एजी	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	-	-	-	0.1	0.3
19.	एचएसबीसी लि.	1.5	0.9	0.7	0.9	1.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	-	-	1.0	1.5	0.6	-	-	0.3	0.3	0.1
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	मशरेक बैंक पीएससी	3.7	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	5.3	1.3	0.7	0.5	0.3	-	0.1	0.1	-	-
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	29.9	33.0	39.2	-	-	1.6	0.7	-	-	-
26.	सिनहान बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	सोसाइटे जनरेल	1.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-
28.	सोनाली बैंक	1.5	3.1	1.9	2.4	2.3	0.4	0.1	-	-	0.5
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.5	1.5	1.4	1.0	1.1	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	3.9	2.4	-	-	-	-	1.0	-	-	-
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- : शून्य / नगण्य।

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी IV.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5.2	3.3	2.5	2.3	2.3	2.0	1.2	1.0	1.0	1.1
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5.5	3.6	2.7	2.2	2.0	2.1	1.3	1.1	0.8	0.7
	राष्ट्रीयकृत बैंक	5.8	3.8	2.7	2.1	1.8	1.9	1.2	0.9	0.7	0.7
1.	इलाहाबाद बैंक	5.8	3.9	2.6	2.0	1.8	1.3	0.8	1.1	0.8	0.7
2.	आंध्रा बैंक	2.5	1.9	1.4	1.1	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	7.3	3.9	2.5	1.8	1.3	1.5	0.9	0.6	0.5	0.3
4.	बैंक ऑफ इंडिया	5.5	3.7	2.4	1.7	1.7	2.8	1.5	1.0	0.5	0.4
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7.0	5.5	3.5	2.6	2.3	2.2	2.0	1.2	0.9	0.8
6.	केनरा बैंक	3.9	2.3	1.5	1.2	1.6	1.9	1.1	0.9	0.8	1.1
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9.5	6.9	4.8	3.2	2.7	3.0	2.6	1.7	1.5	1.2
8.	कार्पोरेशन बैंक	3.4	2.6	2.1	1.5	1.1	1.1	0.6	0.5	0.3	0.3
9.	देना बैंक	9.7	6.4	4.1	2.4	2.1	5.2	3.0	2.0	0.9	1.1
10.	इंडियन बैंक	4.2	2.9	1.9	1.2	0.9	1.4	0.8	0.4	0.2	0.2
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.3	3.4	2.3	1.6	2.5	1.3	0.7	0.5	0.6	1.3
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9.1	6.0	3.2	2.3	1.5	1.3	0.5	0.5	1.0	0.7
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	17.2	9.6	2.4	0.7	0.7	8.1	2.4	0.7	0.4	0.3
14.	पंजाब नेशनल बैंक	6.0	4.1	3.5	2.7	1.8	0.2	0.3	0.8	0.6	0.2
15.	सिंडीकेट बैंक	5.2	4.0	3.0	2.7	1.9	1.6	0.9	0.8	1.0	0.8
16.	यूको बैंक	5.0	3.3	3.2	3.0	2.2	2.9	2.1	2.1	2.0	1.2
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5.0	3.8	2.9	2.2	2.0	2.6	1.6	1.0	0.2	0.3
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	6.1	4.7	3.6	2.7	2.9	2.4	2.0	1.5	1.1	1.5
19.	विजया बैंक	2.9	3.2	2.3	1.6	1.9	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8
	स्टेट बैंक समूह	5.3	3.3	2.6	2.6	2.5	2.2	1.6	1.3	1.4	1.5
20.	भारतीय स्टेट बैंक	6.0	3.6	2.9	3.0	2.8	2.7	1.9	1.6	1.8	1.8
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.3	2.4	2.2	1.7	1.6	1.6	1.2	1.1	0.8	0.9
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3.5	2.1	1.2	0.9	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.3	3.0	1.9	1.4	1.4	1.0	1.8	1.0	0.7	0.9
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.6	3.3	2.3	1.7	1.4	0.9	0.7	0.5	0.4	0.5
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4.1	2.4	1.8	1.4	1.3	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.7	1.9	1.1	1.4	-	1.4	1.2	0.7	0.9	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4.3	3.2	2.2	2.0	1.7	1.8	1.5	1.1	0.9	0.6
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक										
28.	आइडीबीआई बैंक लिमि.	2.9	2.0	1.9	1.9	1.4	1.7	1.1	1.1	1.3	0.9

परिशिष्ट सारणी IV.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां (जारी)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	3.8	2.5	2.2	2.5	2.9	1.9	1.0	1.0	1.2	1.5
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	6.0	4.4	3.0	2.3	2.3	2.7	1.7	0.9	0.7	0.9
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	5.3	3.3	2.1	1.7	2.0	2.5	1.0	0.2	0.4	0.7
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	7.2	5.8	4.2	3.9	4.6	3.8	2.8	2.0	1.6	2.4
3.	सिटी यूनिन बैंक लि.	5.9	4.3	2.6	1.8	1.8	3.4	2.0	1.1	1.0	1.1
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	8.5	6.7	5.1	2.9	2.0	3.9	2.8	1.8	0.9	0.9
5.	फेडरल बैंक लि.	7.3	4.6	3.0	2.4	2.6	2.2	1.0	0.4	0.2	0.3
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	2.1	1.8	1.1	0.8	1.2	2.1	1.8	0.7	0.7	1.2
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.7	2.5	2.9	2.5	2.6	1.4	0.9	1.1	1.1	1.4
8.	कर्नाटक बैंक लि.	7.6	5.1	3.9	3.4	3.7	2.3	1.2	1.2	1.0	1.0
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	5.1	3.9	2.8	2.0	1.9	1.7	0.8	0.2	0.2	0.3
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	7.9	4.1	3.6	3.5	2.7	5.0	1.9	1.6	1.6	1.2
11.	नैनीताल बैंक लि.	2.6	1.9	2.0	1.8	1.7	-	-	-	-	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	10.3	7.6	6.8	6.0	2.1	5.5	2.6	1.9	1.0	0.7
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	24.1	15.2	3.3	1.4	1.5	7.7	3.8	-	-	-
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	6.6	5.0	3.9	1.8	2.2	3.8	1.9	1.0	0.3	1.1
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	11.3	7.0	4.5	2.2	-	3.0	2.2	1.0	0.4	0.3
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	3.6	1.7	1.9	2.4	2.8	1.9	0.8	1.0	1.1	1.3
16.	एक्सिस बैंक	2.0	1.7	1.1	0.8	1.1	1.4	1.0	0.7	0.4	0.4
17.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	6.8	4.7	2.8	3.3	-	2.5	1.1	1.3	1.7	-
18.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	14.2	15.0	5.1	1.5	8.8	6.3	4.5	1.6	0.7	3.9
19.	एचडीएफसी बैंक	1.7	1.4	1.4	1.4	2.0	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
20.	आइसीआइसीआइ बैंक	4.3	1.5	2.1	3.3	4.3	1.7	0.7	1.0	1.6	2.1
21.	इंडसइंड बैंक लि.	3.5	2.9	3.1	3.0	1.6	2.7	2.1	2.5	2.3	1.1
22.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	0.7	0.6	2.5	2.9	4.3	0.4	0.2	2.0	1.8	2.4
23.	यस बैंक लि.	-	-	-	0.1	0.7	-	-	-	0.1	0.3

परिशिष्ट सारणी IV.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां (समाप्त)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां					निवल अनर्जक आस्तियां/कुल आस्तियां				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	2.8	2.0	1.8	1.8	4.0	0.9	0.8	1.0	0.9	1.7
1.	एबी बैंक लि.	0.3	-	-	10.2	9.5	0.2	-	-	9.3	6.5
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	2.3	0.3	0.5	1.4	4.9	0.4	0.1	0.1	0.9	2.2
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	34.4	38.8	16.4	10.7	9.3	12.7	16.0	0.6	-	-
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	1.6	1.0	1.4	-	6.3	1.0	0.6	0.8	-	4.3
5.	एंटवर्प डायमंड बैंक	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	3.4
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	66.5	3.2	-	-	-	10.5	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	20.8	21.2	17.9	8.4	3.9	5.5	1.3	0.1	1.5	0.1
9.	बैंक ऑफ सिलोन	33.4	46.9	45.6	29.5	9.5	13.8	23.7	15.0	4.0	-
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	4.7	2.8	0.6	0.0	0.0	3.1	1.0	-	-	-
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	1.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.0	0.1	-	-	-
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	-	-	-	0.7	9.3	-	-	-	0.4	4.6
13.	बी.एन.पी. परिबास	3.5	2.2	1.6	0.9	2.0	-	-	-	-	0.9
14.	काल्योन बैंक	4.2	0.9	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	-	-	-
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	24.3	3.5	2.5	1.0	0.0	6.0	1.8	0.3	-	-
16.	सिटी बैंक एन. ए.	2.0	1.6	1.6	2.0	4.4	1.0	1.0	1.0	1.2	2.6
17.	डीबीएस बैंक	-	-	-	0.2	1.3	-	-	-	0.1	0.6
18.	ड्यूश बैंक एजी	0.3	0.3	0.2	0.6	2.7	-	-	0.0	0.2	0.9
19.	एचएसबीसी लि.	3.2	1.9	1.7	2.3	5.4	0.5	0.6	0.4	0.6	1.4
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	-	-	7.3	10.5	8.1	-	-	2.2	2.1	1.3
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	मशरेक बैंक पीएससी	39.5	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	8.2	2.1	1.0	0.8	0.6	-	0.2	-	-	-
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	95.9	96.9	98.9	-	-	55.1	40.5	-	-	-
26.	सिनहान बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	सोसाइटे जनरेल	6.9	1.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-
28.	सोनाली बैंक	7.9	23.5	17.8	10.0	10.5	1.8	0.8	-	-	2.6
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2.7	2.8	2.6	2.1	2.8	1.1	1.6	1.4	1.0	1.4
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	7.7	4.6	-	-	-	4.1	1.9	-	-	-
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-: शून्य / नगण्य।

स्रोत : 1.संबंधित बैंक के तुलनपत्र।

2.ऑफ साइट विवरणियां (घरेलू)

परिशिष्ट सारणी IV.29(अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार
(मार्च 2009 के अंत में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		नौर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल	
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,708	13.0	6,984	15.9	11,626	26.4	24,318	55.2	474	1.1	19,251	43.7	44,042	
	राष्ट्रीयकृत बैंक	3,707	14.2	4,958	18.9	7,206	27.5	15,871	60.6	297	1.1	10,001	38.2	26,169	
1.	इलाहाबाद बैंक	203	18.8	185	17.2	283	26.3	671	62.3	17	1.6	389	36.1	1,077	
2.	आंध्रा बैंक	17	4.5	61	16.6	80	21.6	157	42.7	2	0.5	209	56.8	368	
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	225	13.5	307	18.5	287	17.3	820	49.2	2	0.1	843	50.7	1,664	
4.	बैंक ऑफ इंडिया	336	15.3	594	27.1	634	29.0	1,564	71.4	-	-	626	28.6	2,190	
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	112	14.0	80	10.0	335	42.0	527	66.1	22	2.7	249	31.2	798	
6.	केनरा बैंक	287	13.4	180	8.4	465	21.8	932	43.6	-	-	1,207	56.4	2,139	
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	417	18.0	659	28.4	512	22.1	1,587	68.4	59	2.5	675	29.1	2,320	
8.	कार्पोरेशन बैंक	79	14.2	83	14.9	210	37.6	373	66.7	-	-	186	33.3	559	
9.	देना बैंक	55	8.8	132	21.3	226	36.4	413	66.5	-	-	208	33.5	621	
10.	इंडियन बैंक	27	6.4	77	18.0	119	27.8	223	52.2	-	-	204	47.8	426	
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	156	8.6	339	18.7	278	15.3	773	42.7	30	1.7	1,007	55.7	1,810	
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	133	12.6	182	17.2	295	27.9	610	57.6	1	-	448	42.3	1,058	
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	18	11.3	59	36.6	16	10.0	93	58.0	-	-	68	42.0	161	
14.	पंजाब नेशनल बैंक	537	19.4	1,000	36.2	899	32.5	2,436	88.0	1	-	331	12.0	2,767	
15.	सिंडिकेट बैंक	166	10.5	177	11.1	457	28.7	801	50.3	27	1.7	764	48.0	1,592	
16.	यूको बैंक	285	18.5	180	11.7	541	35.2	1,007	65.4	14	0.9	519	33.7	1,540	
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	270	14.0	198	10.3	804	41.8	1,272	66.1	124	6.5	527	27.4	1,923	
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	191	18.7	231	22.6	295	28.9	717	70.3	-	-	303	29.7	1,020	
19.	विजया बैंक	75	10.7	164	23.5	247	35.3	486	69.5	-	-	213	30.5	699	
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक														
20.	आइडीबीआई बैंक लि.	118	8.2	69	4.8	223	15.5	410	28.6	-	-	1,026	71.4	1,436	
	स्टेट बैंक समूह	2,001	11.2	2,026	11.3	4,420	24.7	8,447	47.3	177	1.0	9,250	51.8	17,874	
21.	स्टेट बैंक ऑफ बंकाचेर एंड जयपुर	7	1.4	38	7.7	135	27.5	180	36.6	-	-	311	63.4	490	
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	23	4.7	56	11.5	135	27.7	214	43.9	-	-	272	56.1	486	
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,789	11.8	1,712	11.3	3,509	23.2	7,010	46.4	163	1.1	7,932	52.5	15,105	
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	18	5.9	19	6.5	82	27.4	120	39.7	10	3.4	171	56.9	301	
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	25	6.8	62	16.8	116	31.5	203	55.1	-	-	165	44.9	368	
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	110	19.1	61	10.7	166	28.9	336	58.6	-	-	238	41.4	574	
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	29	5.3	78	14.2	277	50.5	384	70.0	3	0.6	161	29.4	549	

परिशिष्ट सारणी IV.29(आ): निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल राशि
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	निजी क्षेत्र के बैंक	1441	8.5	670	4.0	1529	9.1	3640	21.6	75	0.4	13172	78.0	16887
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	263	8.6	307	10.0	663	21.6	1233	40.1	-	-	1839	59.9	3072
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	4	2.3	20	12.4	24	14.7	47	29.4	-	-	114	70.6	161
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	16	9.6	26	14.9	56	32.4	98	56.8	-	-	74	43.2	172
3.	सिटी यूनिजन बैंक लि.	4	3.5	5	4.7	16	15.8	24	24.0	-	-	78	76.0	102
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	4	5.6	6	9.0	20	31.3	30	45.9	-	-	35	54.1	64
5.	फेडरल बैंक लि.	68	11.5	20	3.4	193	32.8	281	47.7	-	-	308	52.3	590
6.	आइएनडी वैश्य बैंक लि.	32	15.5	26	12.3	6	2.7	64	30.4	-	-	146	69.6	209
7.	जम्मु एंड कश्मीर बैंक लि.	30	5.3	46	8.3	156	28.0	232	41.6	-	-	327	58.4	559
8.	कर्नाटक बैंक लि.	49	11.1	56	12.6	62	14.0	167	37.7	-	-	276	62.3	443
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	5	2.4	40	19.2	18	8.5	62	30.2	-	-	144	69.8	206
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	10	6.7	10	6.7	12	8.6	32	22.0	-	-	112	78.0	144
11.	नैनीताल बैंक लि.	4	21.0	3	15.0	8	40.5	15	76.6	-	-	4	23.4	19
12.	रत्नाकर बैंक लि.	2	11.9	5	31.2	6	34.6	13	77.7	-	-	4	22.3	17
13.	एसबीआई कर्मीशियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-	-	-	-	2	35.5	2	35.5	-	-	3	64.5	5
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	15	5.7	25	9.6	63	24.3	103	39.6	-	-	157	60.4	261
15.	तमिलनाडु मैट्रियल बैंक लि.	21	17.5	20	17.1	21	17.9	63	52.5	-	-	57	47.5	120
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1178	8.5	363	2.6	866	6.3	2407	17.4	75	0.5	11334	82.0	13815
16.	एक्सिस बैंक लि.	123	13.8	9	1.0	166	18.6	297	33.4	75	8.4	519	58.2	890
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	9	3.0	28	9.3	2	0.7	40	13.1	-	-	266	86.9	306
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	101	5.1	211	10.6	67	3.4	380	19.1	-	-	1604	80.9	1984
19.	आइसीआईसीआई बैंक लिमि.	874	9.1	15	0.2	560	5.9	1449	15.1	-	-	8116	84.9	9565
20.	इंडसइंड बैंक लि.	34	13.2	1	0.3	64	25.2	99	38.7	-	-	156	61.3	255
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	37	5.1	99	13.5	6	0.8	143	19.5	-	-	588	80.5	731
22.	यस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	100.0	85

परिशिष्ट सारणी IV.29(इ): विदेशी बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार
(मार्च 2009 के अंत में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	कृषि		लघु उद्योग		अन्य		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		नैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल राशि
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	विदेशी बैंक			220	3.1	429	6.0	649	9.1			6506	90.9	7155
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	एबीएन एमरो बैंक एनबी	-	-	-	-	11	1.5	11	1.5	-	-	697	98.5	707
3.	आबू धाबी कमाशियल बैंक लि.	-	-	5	34.9	-	-	5	34.9	-	-	9	65.1	14
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	100.0	45
5.	एटवेप डायमंड बैंक लि.	-	-	26	100.0	-	-	26	100.0	-	-	-	-	26
6.	बीएनपी परिवार	-	-	-	-	-	0.6	-	0.6	-	-	75	99.4	75
7.	बैंक ऑफ अमेरिका एनटी तथा एसए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.0	1
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	-	-	-	-	10	86.8	10	86.8	-	-	2	13.2	12
9.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	7.9	3	65.0	3	72.9	-	-	1	27.1	5
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.0	2
11.	बरकलेज बैंक पीएलसी	-	-	8	0.6	38	3.0	46	3.7	-	-	1189	96.3	1235
12.	काल्योन बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.0	1
13.	चाइनास्ट्रट कमाशियल बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	सिटो बैंक एनए	-	-	-	-	153	7.3	153	7.3	-	-	1934	92.7	2087
15.	ड्यूशा बैंक (एशिया)	-	-	-	-	7	2.7	7	2.7	-	-	237	97.3	243
16.	डीबीएस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	100.0	34
17.	एचएसबीसी लि.	-	-	140	9.1	117	7.6	257	16.7	-	-	1283	83.3	1540
18.	जेपी मोर्गन चेसी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	100.0	61
19.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	12.5	-	75.0	-	87.5	-	-	-	12.5	-
22.	मिजुओ कापोरिट बैंक लिमि.	-	-	-	-	6	100.0	6	100.0	-	-	-	-	6
23.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	सिनहान बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	सोसाइटी जनरेल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	सोनोली बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	40	3.8	84	7.9	124	11.7	-	-	1	100.0	1
28.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	बैंक ऑफ टोकियो-मिजुबिशी लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934	88.3	1058
30.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(राशि करोड़ रुपए)

—: शून्य / नापाय ।
टिप्पणी : विदेशी बैंकों की क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्तियों के मामले में निर्यात व्यापार को अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की अनर्जक आस्तियों में जोड़ा गया है और नैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों को तदनुसार समायोजित किया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आंकड़ों में निर्यात व्यापार भी शामिल है।
स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां (घरेलू)

**परिशिष्ट सारणी IV.30(अ): प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों पर
अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक
(मार्च 2009 के अंत में)**

(राशि करोड़ रूपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिम		
		कुल	जिसमें से: अनर्जक आस्तियाँ	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,22,894	5,074	4.1
	राष्ट्रीयकृत बैंक	85,923	3,784	4.4
1.	इलाहाबाद बैंक	5,010	165	3.3
2.	आंध्रा बैंक	4,891	20	0.4
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	4,805	174	3.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	10,400	1,400	13.5
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,921	136	7.1
6.	केनरा बैंक	10,809	205	1.9
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,037	344	16.9
8.	कार्पोरेशन बैंक	2,118	51	2.4
9.	देना बैंक	1,250	69	5.5
10.	इंडियन बैंक	1,508	41	2.7
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6,238	15	0.2
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,019	54	1.8
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1,670	22	1.3
14.	पंजाब नेशनल बैंक	10,627	400	3.8
15.	सिंडिकेट बैंक	5,663	37	0.7
16.	यूको बैंक	5,973	219	3.7
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,250	198	8.8
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,613	175	6.7
19.	विजया बैंक	3,045	59	1.9
	स्टेट बैंक समूह	36,971	1,290	3.5
20.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2,801	47	1.7
21.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4,602	99	2.2
22.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	22,990	1,032	4.5
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2,164	34	1.6
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,203	13	1.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	408	16	3.8
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2,803	50	1.8
	अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक			
27.	आइडीबीआई बैंक लिमि.	77	1	1.4

- : शून्य / नगण्य ।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

परिशिष्ट सारणी IV.30(आ): प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों पर अनर्जक आस्तियाँ - निजी क्षेत्र के बैंक
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम-सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिम		
		कुल	जिसमें से: अनर्जक आस्तियाँ	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	निजी क्षेत्र के बैंक	15,052	91	0.6
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	5,538	77	1.4
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	106	7	6.8
2.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	48	11	23.6
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	211	-	0.2
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	221	3	1.5
5.	फेडरल बैंक लि.	905	-	-
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	358	4	1.0
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2,031	17	0.8
8.	कर्नाटक बैंक लि.	150	5	3.0
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	534	21	4.0
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	329	-	0.1
11.	नैनीताल बैंक लि.	-	-	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	-	-	-
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	-	-	-
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	272	8	2.9
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	372	-	0.1
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	9,514	14	0.1
16.	एक्सिस बैंक लि.	3,671	-	-
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	210	-	-
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	1,108	5	0.4
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	2,065	-	-
20.	इंडसइंड बैंक लि.	1,275	-	-
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	536	10	1.8
22.	यस बैंक लि.	649	-	-

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

परिशिष्ट सारणी IV.31: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	बासेल-I 2007-08	बासेल-I 2008-09	बासेल-II 2007-08	बासेल-II 2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	12.8	12.3	12.3				
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.9	12.2	12.4				
	राष्ट्रीयकृत बैंक	13.2	12.3	12.4				
1.	इलाहाबाद बैंक	12.5	13.4	12.5	उ.न.	उ.न.	12.0	13.1
2.	आंध्र बैंक	12.1	14.0	11.3	11.6	12.4	उ.न.	13.2
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	12.6	13.7	11.8	12.9	12.9	12.9	14.1
4.	बैंक ऑफ इंडिया	11.5	10.8	11.8	13.0	13.2	12.0	13.0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	12.7	11.3	12.1	10.9	10.8	उ.न.	12.1
6.	केनरा बैंक	12.8	11.2	13.5	उ.न.	उ.न.	13.3	14.1
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12.2	11.0	10.4	10.4	11.8	9.4	13.1
8.	कार्पोरेशन बैंक	16.2	13.9	12.8	12.1	13.7	उ.न.	13.6
9.	देना बैंक	11.9	10.6	11.5	11.1	10.7	उ.न.	12.1
10.	इंडियन बैंक	14.1	13.2	14.1	12.7	13.3	उ.न.	14.0
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	14.2	13.0	13.3	11.9	12.7	उ.न.	13.2
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9.2	11.0	12.5	12.1	12.0	उ.न.	13.0
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	9.5	12.8	12.9	11.6	11.9	उ.न.	14.4
14.	पंजाब नेशनल बैंक	14.8	12.0	12.3	13.0	12.6	13.5	14.0
15.	सिंडीकेट बैंक	10.7	11.7	11.7	11.2	11.4	11.8	12.7
16.	यूको बैंक	11.3	11.1	11.6	10.1	9.8	11.0	11.9
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12.1	11.4	12.8	12.5	12.0	उ.न.	13.3
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	18.2	13.1	12.0	उ.न.	उ.न.	11.2	13.3
19.	विजया बैंक	12.9	11.9	11.2	11.2	13.1	उ.न.	13.2
	स्टेट बैंक समूह	12.4	12.0	12.3				
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12.5	11.9	12.3	13.5	13.0	उ.न.	14.3
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	12.6	12.1	12.9	13.5	13.2	12.5	14.5
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	11.7	12.1	12.5	12.4	10.6	12.0	11.5
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	11.6	11.4	11.8	11.3	11.8	11.3	13.5
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	12.1	11.4	11.5	12.3	12.4	11.7	13.4
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	14.2	13.7	12.4	12.5	11.4	13.6	12.6
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	11.1	11.2	11.7	12.7	12.1	13.5	14.0
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक							
27.	आइडीबीआई बैंक लिमि.	15.5	14.8	13.7	12.0	11.2	उ.न.	11.6

परिशिष्ट सारणी IV.31: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जारी)
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	बासेल-I 2007-08	बासेल-I 2008-09	बासेल-II 2007-08	बासेल-II 2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	12.5	11.7	12.1				
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	12.8	10.6	11.3	11.9	12.0	NA	11.5
2.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	11.4	11.3	9.6	NA	NA	11.2	12.3
3.	सिटी यूनिन बैंक लि	12.2	12.3	12.6	12.5	12.5	NA	12.7
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	10.2	9.8	9.8	9.2	14.4	NA	15.4
5.	फेडरल बैंक लि.	11.3	13.8	13.4	22.5	20.1	NA	20.2
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	9.1	10.7	10.6	10.2	11.7	NA	11.7
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	15.2	13.5	13.2	12.8	13.5	NA	14.5
8.	कर्नाटक बैंक लि.	14.2	11.8	11.0	12.2	13.5	NA	13.5
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	16.1	14.8	14.5	12.6	13.1	NA	14.9
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	11.3	10.8	12.4	12.7	10.1	NA	10.3
11.	नैनीताल बैंक लि.	14.9	13.9	12.9	12.3	13.9	NA	13.1
12.	रत्नाकर बैंक लि.	12.0	10.8	34.3	49.2	44.9	NA	42.3
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	23.6	22.3	20.9	25.1	23.8	23.5	21.2
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	9.9	13.0	11.1	13.8	13.9	NA	14.8
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	19.7	18.3	16.8	15.4	14.5	NA	16.1
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	12.1	12.6	12.0				
16.	एक्सिस बैंक	12.7	11.1	11.6	13.7	NA	NA	13.7
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	9.9	9.7	11.3	13.4	13.4	NA	13.3
18.	एचडीएफसी बैंक	12.2	11.4	13.1	13.6	15.1	NA	15.7
19.	आइसीआइसीआइ बैंक	11.8	13.4	11.7	14.9	15.9	14.0	15.5
20.	इंडसइंड बैंक लि.	11.6	10.5	12.5	11.9	12.3	NA	12.6
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	12.8	11.3	13.5	18.7	19.9	NA	20.0
22.	यस बैंक लि.	18.8	16.4	13.6	13.6	14.5	NA	16.6

परिशिष्ट सारणी IV.31: पूंजी पर्याप्तता अनुपात-अनुसूचित वाणिज्य बैंक (समाप्त)
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	बासेल-I 2007-08	बासेल-I 2008-09	बासेल-II 2007-08	बासेल-II 2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत में कार्यरत विदेशी बैंक	14.0	13.0	12.4				
1.	एबी बैंक लि.	109.4	86.2	100.0	109.4	136.6	43.1	50.7
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	10.6	10.4	11.3	ला.न.	ला.न.	12.9	12.7
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	14.4	37.0	27.7	55.7	54.3	51.7	47.6
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	10.9	10.3	13.0	ला.न.	ला.न.	16.6	21.3
5.	एंटेवर्प डायमंड बैंक	40.0	39.7	46.5	41.9	29.0	37.1	26.8
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	92.3	108.9	141.2	235.8	501.3	ला.न.	ला.न.
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	30.1	23.4	13.3	12.1	13.8	13.5	12.7
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	11.7	20.0	22.0	24.6	30.5	21.6	25.6
9.	बैंक ऑफ सिलोन	49.4	56.4	63.2	56.0	63.7	56.0	45.2
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	15.3	13.7	23.3	20.2	19.3	ला.न.	13.4
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लि. यूएफजे	32.1	33.4	30.7	ला.न.	ला.न.	26.9	29.5
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	20.9	22.9	13.7	21.1	ला.न.	ला.न.	17.1
13.	बी.एन.पी. परिबा	9.4	11.6	10.8	11.8	12.6	12.7	12.4
14.	काल्योन बैंक	14.4	19.8	15.1	ला.न.	ला.न.	9.7	13.2
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	59.9	38.0	22.1	ला.न.	ला.न.	22.7	45.4
16.	सिटी बैंक एन. ए.	10.8	11.3	11.1	12.1	14.8	12.0	13.2
17.	डीबीएस बैंक	35.1	31.3	29.2	21.3	18.4	18.2	15.7
18.	ड्यूश बैंक एजी	16.2	12.7	10.6	13.6	15.4	15.1	15.3
19.	एचएसबीसी लि.	14.0	10.6	11.1	10.6	14.1	ला.न.	15.3
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	10.2	11.8	16.1	17.7	16.8	ला.न.	15.9
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	ला.न.	ला.न.	ला.न.	371.5
22.	क्रुंग थार्ड बैंक पब्लिक कं. लि.	99.6	133.5	121.7	125.9	110.5	109.0	80.9
23.	मशरेक बैंक पीएससी	60.1	136.9	97.1	161.6	175.5	52.8	76.8
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	28.8	65.8	34.4	27.8	37.2	29.7	37.6
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	13.5	9.6	11.0	25.1	27.5	23.1	25.2
26.	सिनहान बैंक	55.3	81.7	89.3	62.6	51.7	48.7	36.8
27.	सोसाइटे जनरेल	64.8	37.4	31.8	28.0	32.5	20.8	22.5
28.	सोनाली बैंक	105.8	93.8	71.4	41.3	37.1	ला.न.	ला.न.
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	10.5	9.9	10.4	ला.न.	ला.न.	10.6	11.6
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	31.1	35.4	39.0	41.1	34.6	41.7	38.0
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	ला.न.	ला.न.	ला.न.	229.4

ला.न. : लागू नहीं।

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

स्रोत : 1. संबंधित बैंक के तुलनपत्र।

2. ऑफ साइट विवरणियां (घरेलू)

परिशिष्ट सारणी IV.32: बंबई शेयर बाजार में बैंक स्टॉक का शेयर मूल्य तथा मूल्य / अर्जन अनुपात

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मार्च के अंत में बंद मूल्य (रु.)			प्रतिशत घट-बढ़ (2007-08 की तुलना में 2008-09)	मूल्य / अर्जन अनुपात (मार्च के अंत में)		
		2006-07	2007-08	2008-09		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सरकारी क्षेत्र के बैंक							
1.	इलाहाबाद बैंक	80	77	39	-49.3	4.3	3.4	2.2
2.	आंध्रा बैंक	81	74	45	-38.6	6.9	6.1	3.3
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	238	284	235	-17.4	7.6	6.7	3.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	151	253	220	-13.1	7.3	6.4	3.7
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	32	50	21	-58.9	6.2	6.6	2.4
6.	केनरा बैंक	242	225	166	-26.3	5.6	5.1	3.3
7.	कापेरिशन बैंक	317	282	181	-36.0	7.7	5.4	2.9
8.	देना बैंक	32	51	32	-36.2	5.0	4.0	2.2
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	101	135	46	-66.4	5.6	6.1	1.9
10.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	212	177	110	-37.8	5.7	5.3	3
11.	पंजाब नेशनल बैंक	455	508	411	-19.1	9.7	7.3	4.1
12.	सिंडीकेट बैंक	73	75	48	-35.8	4.7	4.6	2.7
13.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	114	141	147	4.4	6.2	5.1	4.3
14.	विजया बैंक	47	49	ला.न.		6.3	ला.न.	ला.न.
15.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	997	1,599	1,067	-33.3	11.5	10.1	6.2
16.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3,465	500	196	-60.7	5.5	7.9	2.4
17.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5,392	750	331	-55.9	7.4	8.5	3.5
18.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	3,576	478	212	-55.5	4.6	6.2	1.7
19.	यूको बैंक	21	37	24	-34.7	5.4	7.1	3.2
	अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक							
20.	आइडीबीआई लिमि.	75	89	45	-49.0	8.9	8.6	4.3
	निजी क्षेत्र के बैंक							
21.	एक्सिस बैंक	395	781	415	-46.9	21.0	24.7	8.2
22.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	38	83	37	-55.3	3.8	11.6	5.2
23.	सिटी यूनियन बैंक लि.	129	28	12	-56.9	5.7	8.9	3.2
24.	सेचुरिटी बैंक ऑफ पंजाब लि.	27	-	-	-	48.5	-	-
25.	धनलक्ष्मी बैंक	38	63	50	-20.0	11.6	7.1	5.6
26.	फेडरल बैंक लि.	205	217	138	-36.3	6.3	6.8	4.9
27.	आइएनजी वैश्य बैंक	145	335	128	-61.7	17.9	17.9	6.9
28.	इंडसईड बैंक लि.	45	79	32	-59.0	19.7	33.5	7.6
29.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	494	679	315	-53.6	11.4	9.1	3.7
30.	कर्नाटक बैंक लि.	122	200	66	-67.2	11.7	10.1.	2.9
31.	करूर वैश्य बैंक लि.	229	334	200	-40.1	8.7	8.7	4.6
32.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	347	629	283	-55.0	110.7	21.2	14.9
33.	साउथ इंडियन बैंक लि.	74	112	51	-54.2	6.7	9.3	2.9
34.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. #	29	-	-	-	-	-	-
35.	एचडीएफसी बैंक लि.	911	1,320	968	-26.7	26.6	28.5	18.3
36.	आइसीआईसीआई बैंक लि.	711	770	333	-56.8	28.8	23.9	10.4
37.	यस बैंक	109	169	50	-70.4	41.8	24.0	4.9

#: 30 सितंबर 2006 को युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमि. का विलय आइडीबीआई बैंक लिमि. में हुआ।

ला.न. - लागू नहीं।

उ. न. - उपलब्ध नहीं।

परिशिष्ट सारणी IV.33: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेयधारिता का स्वरूप (जारी)
(मार्च 2009 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भारिबैं निवासी	वित्तीय संस्थाएं- निवासी	वित्तीय संस्थाएं- अनिवासी	अन्य कंपनियां- निवासी	अन्य कंपनियां- अनिवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीयकृत बैंक									
1.	इलाहाबाद बैंक	55.2	14.4	10.3	4.1	-	15.9	0.1	89.7	10.3
2.	आंध्रा बैंक	51.6	16.9	14.6	2.6	-	14.3	0.1	85.3	14.7
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	53.8	22.1	-	3.1	13.5	6.8	0.6	85.8	14.2
4.	बैंक ऑफ इंडिया	64.5	12.8	14.3	1.2	0.1	6.6	0.5	85.1	14.9
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.8	4.6	4.3	2.4	-	11.7	0.2	95.4	4.6
6.	केनरा बैंक	73.2	8.6	11.2	1.0	-	5.9	0.1	88.7	11.3
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80.2	5.0	1.8	4.5	-	8.4	0.1	98.1	1.9
8.	कार्पोरेशन बैंक	57.2	34.4	3.6	1.9	-	2.7	0.3	96.1	3.9
9.	देना बैंक	51.2	7.9	9.2	6.7	-	24.0	1.1	89.7	10.3
10.	आइडीबीआई बैंक लि.	52.7	21.8	-	9.2	-	16.3	-	100.0	-
11.	इंडियन बैंक	80.0	3.4	12.2	1.0	-	3.2	0.1	87.7	12.3
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	61.2	15.3	7.8	1.8	-	13.2	0.7	91.5	8.5
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	51.1	30.9	9.6	2.4	-	5.9	0.1	90.3	9.7
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
15.	पंजाब नेशनल बैंक	57.8	21.1	14.9	1.6	-	4.7	-	85.1	14.9
16.	सिंडीकेट बैंक	66.5	10.6	-	6.5	3.5	12.9	-	96.5	3.5
17.	यूको बैंक	63.6	8.3	-	4.2	1.5	21.9	0.5	98.0	2.0
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55.4	15.9	14.1	3.6	-	10.9	-	85.9	14.1
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
20.	विजया बैंक	53.9	1.8	1.2	7.6	-	34.8	0.7	98.1	1.9
	स्टेट बैंक समूह									
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	-	77.5	-	4.4	2.4	12.8	3.0	94.7	5.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	59.4	16.0	12.3	5.5	-	6.7	0.1	87.7	12.3
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	-	98.1	-	0.7	-	1.2	-	100.0	-
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	-	94.5	-	0.3	-	5.2	-	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.1	76.0	2.7	3.5	-	13.2	3.5	93.8	6.2

परिशिष्ट सारणी IV.33: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप (समाप्त)
(मार्च 2009 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भारिबैं निवासी	वित्तीय संस्थाएं- निवासी	वित्तीय संस्थाएं- अनिवासी	अन्य कंपनियां- निवासी	अन्य कंपनियां- अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक									
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	-	3.8	13.3	67.6	-	15.0	0.2	86.5	13.5
2.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	-	-	-	9.5	14.9	46.1	29.5	55.6	44.4
3.	सिटी युनियन बैंक लि.	-	8.2	12.7	18.7	8.6	51.3	0.6	78.2	21.8
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	6.8	23.0	19.9	-	44.9	5.4	71.6	28.4
5.	फेडरल बैंक लि.	-	19.3	38.9	10.0	5.0	21.5	5.3	50.8	49.2
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	-	13.5	24.7	3.2	43.8	10.3	4.5	27.0	73.0
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	53.2	2.8	31.0	2.2	-	10.3	0.5	68.5	31.5
8.	कर्नाटक बैंक लि.	-	39.8	-	14.2	-	45.7	0.3	99.7	0.3
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	-	5.0	21.4	14.1	-	54.6	4.8	73.7	26.3
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	-	15.9	-	22.4	2.7	58.9	0.2	97.1	2.9
11.	नैनीताल बैंक लि.	-	98.4	-	-	-	1.6	-	100.0	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	-	2.1	-	15.5	19.9	55.0	7.4	72.7	27.3
13.	एसबीआइ कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	-	12.1	35.9	12.2	-	36.5	3.4	60.7	39.3
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	-	0.1	-	9.3	16.5	73.8	0.4	83.1	16.9
	निजी क्षेत्र के नए बैंक									
16.	एक्सिस बैंक	-	53.7	31.2	7.5	1.5	6.0	0.2	67.1	32.9
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	-	2.8	-	18.4	39.8	37.9	1.1	59.1	40.9
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	-	13.9	-	28.2	46.2	11.2	0.6	53.2	46.8
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	-	19.6	63.2	8.7	-	8.0	0.5	36.2	63.8
20.	इंडसइंड बैंक लि.	-	3.6	18.7	14.7	44.3	15.7	3.0	34.0	66.0
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	-	3.3	28.4	7.2	0.6	59.7	0.7	70.3	29.7
22.	यस बैंक लि.	-	2.0	36.5	18.2	13.5	29.3	0.6	49.5	50.5

-: शून्य / नगण्य।

स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां (अलेखापरीक्षित और अंतिम)।

परिशिष्ट सारणी IV.34: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास पर किया गया व्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मार्च 2009 को समाप्त छमाही में किया गया व्यय	सितंबर 1999 तथा मार्च 2009 के दौरान किया गया व्यय
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,671	17,897
	राष्ट्रीयकृत बैंक	1,258	11,802
1.	इलाहाबाद बैंक	18	218
2.	आंध्र बैंक	203	733
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	56	1,378
4.	बैंक ऑफ इंडिया	214	1,473
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	16	352
6.	केनरा बैंक	37	1,019
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	20	449
8.	कार्पोरेशन बैंक	21	413
9.	देना बैंक	5	184
10.	इंडियन बैंक	54	560
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	45	396
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	38	456
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7	69
14.	पंजाब नेशनल बैंक	208	1,375
15.	सिंडीकेट बैंक	26	506
16.	यूको बैंक	29	541
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	122	739
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	109	375
19.	विजया बैंक	29	568
	स्टेट बैंक समूह	413	6,095
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	270	4,290
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	54	413
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	19	314
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	8	145
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	20	220
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5	259
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	28	210
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	9	244

परिशिष्ट सारणी IV.35: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण
(31 मार्च 2009 को)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत शाखाएं	पहले से पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं #	पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं (3+4)	अंशतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं
1	2	3	4	5	6
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	79.4	15.6	95.0	5.0
	राष्ट्रीयकृत बैंक	70.6	22.3	92.9	7.1
1.	इलाहाबाद बैंक	9.7	87.7	97.4	2.6
2.	आंध्रा बैंक	100.0	-	100.0	-
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	65.8	34.2	100.0	-
4.	बैंक ऑफ इंडिया	85.8	14.2	100.0	-
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	54.4	45.6	100.0	-
6.	केनरा बैंक	38.6	61.4	100.0	-
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	30.8	55.7	86.5	13.5
8.	कार्पोरेशन बैंक	100.0	-	100.0	0.1
9.	देना बैंक	51.2	48.6	99.8	-
10.	इंडियन बैंक	100.0	-	100.0	-
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	72.4	8.5	80.9	19.1
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	100.0	-	100.0	-
13.	पंजाब नेशनल बैंक	100.0	-	100.0	-
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.1	11.8	12.9	87.1
15.	सिंडिकेट बैंक	100.0	-	100.0	-
16.	यूको बैंक	49.8	1.5	51.3	48.7
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	100.0	-
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	69.3	22.2	91.5	8.5
19.	विजया बैंक	100.0	-	100.0	-
	स्टेट बैंक समूह	100.0	-	100.0	-
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	100.0	-
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	100.0	-	100.0	-
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.0	-	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	100.0	-	100.0	-
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	100.0	-	100.0	-
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.0	-	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	100.0	-	100.0	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	100.0	-	100.0	-

- : शून्य / नगण्य।

#: कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत शाखाओं से इतर शाखाएं।

परिशिष्ट सारणी IV.36: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (जारी)
(मार्च 2009 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	20,058	16,146	14,761	13,643	64,608	24,645	19,006	43,651	43.5	67.6
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	18,941	13,504	11,994	10,999	55,438	17,379	9,898	27,277	36.3	49.2
	राष्ट्रीकृत बैंक	13,381	8,669	8,951	8,375	39,376	9,861	5,177	15,038	34.4	38.2
1.	इलाहाबाद बैंक	952	398	466	401	2,217	121	90	211	42.7	9.5
2.	आंध्रा बैंक	393	394	376	262	1,425	248	477	725	65.8	50.9
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,099	651	536	629	2,915	691	488	1,179	41.4	40.4
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,231	603	542	559	2,935	300	200	500	40.0	17.0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	518	262	270	357	1,407	258	87	345	25.2	24.5
6.	केनरा बैंक	726	694	678	642	2,740	1,218	788	2,006	39.3	73.2
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,351	897	686	599	3,533	302	98	400	24.5	11.3
8.	कार्पोरेशन बैंक	190	219	309	317	1,035	522	510	1,032	49.4	99.7
9.	देना बैंक	352	225	219	297	1,093	289	102	391	26.1	35.8
10.	इंडियन बैंक	474	410	407	321	1,612	547	208	755	27.5	46.8
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	544	450	497	436	1,927	445	131	576	22.7	29.9
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	275	325	453	369	1,422	576	269	845	31.8	59.4
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	283	127	226	222	858	43	-	43	-	5.0
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1,881	895	849	702	4,327	1,541	609	2,150	28.3	49.7
15.	सिंडीकेट बैंक	657	530	557	502	2,246	911	179	1,090	16.4	48.5
16.	यूको बैंक	769	410	451	428	2,058	304	110	414	26.6	20.1
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	760	619	608	583	2,570	1,099	691	1,790	38.6	69.6
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	615	235	314	281	1,445	156	66	222	29.7	15.4
19.	विजया बैंक	257	229	336	279	1,101	290	74	364	20.3	33.1
	अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक										
20.	आइडीबीआई बैंक लि.	54	96	171	189	510	372	528	900	58.7	176.5
	स्टेट बैंक समूह	5,560	4,835	3,043	2,624	16,062	7,146	4,193	11,339	37.0	70.6
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,366	3,311	2,022	1,773	11,472	5,229	3,319	8,548	38.8	74.5
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	292	240	157	168	857	294	201	495	40.6	57.8
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	262	318	249	193	1,022	452	158	610	25.9	59.7
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	119	138	87	125	469	204	146	350	41.7	74.6
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	210	138	148	168	664	294	87	381	22.8	57.4
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	263	229	222	134	848	372	123	495	24.8	58.4
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	48	461	158	63	730	301	159	460	34.6	63.0

- : शून्य / नगण्य।

परिशिष्ट सारणी IV.36: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (जारी)
(मार्च 2009 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	1,113	2,638	2,715	2,411	8,877	6,996	8,324	15,320	54.3	172.6
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	842	1,554	1,344	933	4,673	1,830	844	2,674	31.6	57.2
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	99	92	142	125	458	84	27	111	24.3	24.2
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	19	194	100	47	360	87	51	138	37.0	38.3
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	36	61	72	40	209	117	5	122	4.1	58.4
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	21	80	52	28	181	59	13	72	18.1	39.8
5.	फेडरल बैंक लि.	39	321	152	99	611	345	271	616	44.0	100.8
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	83	83	147	131	444	172	179	351	51.0	79.1
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	220	83	124	64	491	182	68	250	27.2	50.9
8.	कर्नाटक बैंक लि.	90	94	138	129	451	133	37	170	21.8	37.7
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	33	95	113	69	310	263	61	324	18.8	104.5
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	36	86	81	44	247	88	16	104	15.4	42.1
11.	नैनीताल बैंक लि.	24	24	22	22	92	-	-	-	-	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	24	26	17	17	84	9	-	9	-	10.7
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	-	-	-	2	2	2	-	2	-	100.0
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	68	236	130	85	519	212	68	280	24.3	53.9
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	50	79	54	31	214	77	48	125	38.4	58.4
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	271	1,084	1,371	1,478	4,204	5,166	7,480	12,646	59.1	300.8
16.	एक्सिस बैंक लि.	30	189	314	253	786	1,004	2,591	3,595	72.1	457.4
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	4	14	13	50	81	73	43	116	37.1	143.2
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	67	325	468	548	1,408	1,749	1,546	3,295	46.9	234.0
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	138	461	400	410	1,409	1,863	2,850	4,713	60.5	334.5
20.	इंडसइंड बैंक लि.	5	36	88	53	182	174	182	356	51.1	195.6
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	14	37	48	121	220	212	175	387	45.2	175.9
22.	यस बैंक लि.	13	22	40	43	118	91	93	184	50.5	155.9

-: शून्य / नगण्य।

परिशिष्ट सारणी IV.36: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (समाप्त)
(मार्च 2009 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	विदेशी बैंक	4	4	52	233	293	270	784	1,054	74.4	359.7
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	2	-	9	19	30	34	88	122	72.1	406.7
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
5.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
9.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	-	1	2	2	5	6	5	11	45.5	220.0
13.	बी.एन.पी. परिबास	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-
14.	काल्योन बैंक	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-
15.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
16.	सिटी बैंक एन. ए.	-	1	11	29	41	54	415	469	88.5	1143.9
17.	डीबीएस बैंक	2	2	-	6	10	-	-	-	-	-
18.	ड्यूश बैंक एजी	-	-	6	7	13	12	20	32	62.5	246.2
19.	एचएसबीसी लि.	-	-	9	38	47	71	107	178	60.1	378.7
20.	जेपी मोर्गन चेंस बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
21.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
23.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
26.	सिनहान बैंक	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-
27.	सोसाइटे जनरेल	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
28.	सोनाली बैंक	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	12	78	90	92	149	241	61.8	267.8
30.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
31.	यूबीएस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

-: शून्य / नगण्य।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की (नवीनतम अद्यतन प्रति) मास्टर ऑफिस फाइल।

परिशिष्ट सारणी IV.37: भारत में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव-
बैंक समूह और जनसंख्या समूहवार

बैंक समूह	बैंकों की संख्या #	शाखाओं की संख्या									
		30 जून 2008 को @					30 जून 2009 को @				
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय स्टेट बैंक तथा सहायक बैंक	7	5,399 (35.1)	4,620 (30.0)	2,879 (18.7)	2,492 (16.2)	15,390 (100.0)	5,609 (34.5)	4,907 (30.2)	3,094 (19.0)	2,650 (16.3)	16,260 (100.0)
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	19	13,176 (35.1)	8,118 (21.6)	8,362 (22.3)	7,889 (21.0)	37,545 (100.0)	13,363 (34.2)	8,646 (22.1)	8,842 (22.6)	8,244 (21.1)	39,095 (100.0)
3. सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	1	54 (10.8)	95 (18.9)	164 (32.7)	189 (37.6)	502 (100.0)	56 (9.9)	112 (19.8)	196 (34.6)	202 (35.7)	566 (100.0)
4. निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	15	819 (18.1)	1,509 (33.4)	1,298 (28.7)	891 (19.7)	4,517 (100.0)	846 (18.0)	1,564 (33.3)	1,354 (28.8)	937 (19.9)	4,701 (100.0)
5. निजी क्षेत्र के नए बैंक	7	237 (6.3)	974 (25.7)	1,220 (32.2)	1,359 (35.9)	3,790 (100.0)	275 (6.4)	1,116 (26.2)	1,389 (32.6)	1,484 (34.8)	4,264 (100.0)
6. भारत स्थित विदेशी बैंक	32	- (-)	2 (0.7)	50 (17.9)	227 (81.4)	279 (100.0)	4 (1.4)	4 (1.4)	53 (18.0)	234 (79.3)	295 (100.0)
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	86	11,501 (77.6)	2,641 (17.8)	616 (4.2)	66 (0.4)	14,824 (100.0)	11,632 (76.8)	2,750 (18.2)	671 (4.4)	91 (0.6)	15,144 (100.0)
8. गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंक)	4	11 (25.0)	20 (45.5)	13 (29.5)	- (-)	44 (100.0)	11 (25.0)	20 (45.5)	13 (29.5)	- (-)	44 (100.0)
कुल	171	31,197 (40.6)	17,979 (23.4)	14,602 (19.0)	13,113 (17.1)	76,891 (100.0)	31,796 (39.6)	19,119 (23.8)	15,612 (19.4)	13,842 (17.2)	80,369 (100.0)

: 30 जून 2009 के अनुसार।

@ : शाखाओं का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित है।

टिप्पणी : 1. बैंक शाखाओं के आंकड़ों में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं है।

2. जून 2008 के आंकड़े संशोधित हैं और जून 2009 के आंकड़े अर्न्तित हैं।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक समूह में कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की (नवीनतम अद्यतन प्रति) मास्टर ऑफिस फाइल बीएसडी, डीएसआइएम।

**परिशिष्ट सारणी IV.38: वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का फैलाव -
क्षेत्र/राज्य/संघशासित प्रदेशवार@**

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/ संघशासित क्षेत्र	30 जून को शाखाओं की संख्या		निम्नलिखित अवधि के दौरान खुली शाखाएँ				जून के अंत में प्रति बैंक शाखा ('000 में) औसत जनसंख्या	
		2008	2009	जुलाई 2007 से जून 2008	उनमें से: बैंक रहित केंद्र	जुलाई 2008 से जून 2009	उनमें से: बैंक रहित केंद्र	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखिल भारतीय	76,891	80,369	4,349	203	3,649	212	15	15
1	उत्तरी क्षेत्र	13,175	13,800	811	31	677	35	12	11
	चंडीगढ़	246	261	23	-	16	-	4	4
	दिल्ली	2,072	2,186	176	-	127	1	8	8
	हरियाणा	2,044	2,183	150	8	142	13	12	11
	हिमाचल प्रदेश	907	954	37	6	47	5	7	7
	जम्मू और कश्मीर	957	976	42	2	21	4	13	13
	पंजाब	3,147	3,318	177	9	186	10	8	8
	राजस्थान	3,802	3,922	206	6	138	2	17	17
2	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2,051	2,133	83	5	84	8	21	21
	अरुणाचल प्रदेश	73	76	1	-	3	-	16	16
	असम	1,331	1,382	47	1	53	3	23	22
	मणिपुर	77	80	2	-	3	1	34	33
	मेघालय	190	201	4	-	11	2	13	13
	मिजोरम	91	93	7	1	2	1	11	11
	नगालैंड	82	86	4	1	4	1	27	26
	त्रिपुरा	207	215	18	2	8	-	17	17
3	पूर्वी क्षेत्र	13,017	13,406	545	28	409	18	19	19
	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	37	37	-	-	-	-	11	11
	बिहार	3,735	3,835	96	12	102	6	25	25
	झारखंड	1,646	1,717	92	2	73	4	18	18
	उड़ीसा	2,600	2,708	146	9	113	6	15	15
	सिक्किम	71	72	3	-	1	-	8	8
	पश्चिम बंगाल	4,928	5,037	208	5	120	2	18	18
4	मध्य क्षेत्र	15,328	16,027	938	54	724	46	19	19
	छत्तीसगढ़	1,158	1,225	71	4	70	2	21	20
	मध्य प्रदेश	3,785	3,991	210	7	211	8	18	18
	उत्तर प्रदेश	9,340	9,723	556	32	400	35	21	20
	उत्तराखंड	1,045	1,088	101	11	43	1	9	9
5	पश्चिमी क्षेत्र	11,839	12,440	674	20	635	29	14	14
	दादरा और नगर हवेली	21	24	-	-	3	-	13	11
	दमण और दीव	18	19	-	-	1	-	11	10
	गोवा	395	410	28	1	17	-	4	4
	गुजरात	4,203	4,374	250	11	182	11	13	13
	महाराष्ट्र	7,202	7,613	396	8	432	18	15	14
6	दक्षिणी क्षेत्र	21,481	22,563	1,298	65	1,120	76	11	11
	आंध्र प्रदेश	6,244	6,601	402	27	367	33	13	13
	कर्नाटक	5,566	5,803	302	11	245	9	10	10
	केरल	3,952	4,086	194	9	141	8	9	8
	लक्षद्वीप	10	11	-	-	1	-	7	6
	पुदुचेरी	109	125	11	-	16	3	10	9
	तमिलनाडु	5,600	5,937	389	18	350	23	12	11

- : शून्य/नगण्य

@ : गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक) की शाखाओं सहित।

टिप्पणी : 1. प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या का आधार महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त संबंधित वर्षों की वर्ष-मध्य जनसंख्या अनुमान पर आधारित है।

2. बैंक शाखाओं में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं है।

3. जून 2008 के आंकड़े संशोधित हैं।

4. जून 2009 के आंकड़े अंतिम हैं।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की अद्यतन मास्टर ऑफिस फाइल (नवीनतम अद्यतन प्रति) बीएसडी, डीएसआइएम।

परिशिष्ट सारणी IV.39: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश + ऋण-जमा अनुपात-क्षेत्र/राज्यवार

(प्रतिशत)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ऋण-जमा अनुपात				निवेश+ऋण-जमा अनुपात@				निवेश+ऋण+आरआईएफ - जमा अनुपात @				
		मार्च 2007		मार्च 2008		मार्च 2007		मार्च 2008		मार्च 2007		मार्च 2008		
		स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आखिल भारतीय	75.0	75.0	74.4	74.4	72.6	79.8	79.8	79.2	79.2	80.5	80.5	80.2	80.2
	उत्तरी क्षेत्र	69.6	71.2	67.7	70.1	68.5	73.0	74.6	71.4	73.8	73.6	75.2	72.7	75.1
	हरियाणा	56.9	68.4	60.1	61.5	61.5	61.7	63.6	63.6	70.7	62.9	74.3	64.7	71.8
	हिमाचल प्रदेश	42.8	51.1	43.4	51.3	38.5	58.1	66.5	62.7	70.6	60.9	65.9	65.9	73.8
	जम्मू और कश्मीर	62.5	60.9	56.4	56.3	66.3	69.9	68.3	68.3	68.3	73.0	71.4	71.6	71.5
	पंजाब	65.6	65.3	67.2	76.1	65.5	71.8	71.5	75.4	84.3	73.0	72.7	76.6	85.6
	राजस्थान	90.9	90.9	82.4	100.0	96.4	104.5	104.5	95.9	113.6	97.9	106.0	97.8	115.5
	चंडीगढ़	95.9	101.1	96.2	95.8	114.1	95.9	101.1	96.2	95.8	95.9	96.2	96.2	95.8
	दिल्ली	70.8	69.6	66.9	64.4	68.5	70.8	69.6	66.9	64.4	70.8	69.6	68.0	65.4
2	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	40.7	48.6	40.7	48.3	35.8	51.7	59.7	50.3	58.0	53.7	61.7	52.5	60.1
	अरुणाचल प्रदेश	28.0	46.0	31.7	57.7	24.8	36.6	54.7	40.3	66.3	46.2	64.2	48.2	74.2
	असम	42.8	52.5	42.4	49.8	38.3	51.7	61.5	50.3	57.8	53.1	62.9	51.9	59.4
	मणिपुर	55.1	55.6	48.4	50.3	38.7	76.8	77.4	65.0	66.8	77.5	78.0	65.8	67.6
	मेघालय	35.7	41.2	33.2	41.1	27.6	46.6	52.1	42.9	50.8	48.3	53.8	44.8	52.7
	मिजोरम	53.8	58.4	62.9	65.5	58.7	74.7	79.3	83.2	85.9	78.7	83.3	87.3	90.0
	नागालैंड	29.1	31.9	34.0	43.9	30.7	53.7	56.5	56.4	66.3	57.8	60.6	60.6	70.5
	त्रिपुरा	35.3	36.2	36.1	36.8	29.8	45.9	46.8	44.2	47.7	47.7	46.2	46.2	47.0
3	पूर्वी क्षेत्र	54.1	60.6	51.5	58.2	48.9	61.8	68.3	59.1	65.7	62.8	69.3	60.1	66.7
	बिहार	32.4	49.0	28.2	45.0	27.3	41.3	57.9	36.0	52.8	41.9	58.5	37.0	53.8
	झारखण्ड	32.8	33.3	35.3	40.2	32.0	36.8	37.3	38.8	43.6	38.4	38.9	40.2	45.0
	उड़ीसा	64.6	72.6	56.3	62.4	50.8	74.4	82.4	62.4	68.5	75.8	83.8	68.8	69.9
	सिक्किम	52.8	51.2	46.8	53.7	42.4	62.5	61.0	56.7	63.7	64.0	62.5	58.4	65.4
	पश्चिम बंगाल	64.7	68.4	62.4	65.8	60.8	72.3	76.0	71.1	74.5	73.1	76.9	71.9	75.3
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.7	56.6	30.7	75.0	32.2	27.7	56.6	30.7	75.0	27.7	56.6	30.7	75.0
4	पश्चिमी क्षेत्र	47.4	52.3	46.1	54.6	44.8	56.0	61.0	53.8	62.2	57.3	62.3	55.1	63.6
	छत्तीसगढ़	50.0	58.3	49.8	66.0	53.3	64.9	62.6	53.1	69.3	56.6	64.9	55.0	71.2
	मध्य प्रदेश	61.8	64.6	60.1	65.9	57.4	71.5	74.4	67.5	73.3	73.8	76.6	69.9	75.7
	उत्तर प्रदेश	45.1	50.4	43.7	52.6	42.1	54.2	59.4	52.1	61.0	55.1	60.3	53.0	61.9
	उत्तराखण्ड	26.7	32.1	26.2	31.6	25.6	33.8	39.2	33.6	38.9	35.5	40.8	35.2	40.6
5	पश्चिमी क्षेत्र	90.1	77.3	88.6	76.0	85.2	92.5	79.7	91.4	78.8	92.9	80.1	91.9	79.3
	गोवा	26.2	30.0	29.4	33.6	26.5	29.9	33.7	34.3	38.4	30.0	33.8	34.3	38.5
	गुजरात	63.7	88.4	66.5	97.8	63.2	69.6	94.3	74.3	105.6	71.8	96.5	76.4	107.7
	महाराष्ट्र	96.8	76.5	93.9	73.1	90.8	98.5	78.2	95.8	75.0	98.6	78.3	95.9	75.2
	वादर् और नार हवेली	20.6	116.4	23.9	121.9	20.8	20.6	116.4	23.9	122.0	20.6	116.4	23.9	122.0
	दमण और दीव	15.6	57.1	15.0	58.2	18.9	15.6	57.1	15.0	58.2	15.6	57.1	15.0	58.2
6	दक्षिणी क्षेत्र	87.0	96.6	89.1	96.8	88.4	92.7	102.3	95.1	102.8	93.6	103.2	96.1	103.8
	आंध्र प्रदेश	87.3	91.2	90.4	97.2	97.6	95.5	99.3	99.0	105.7	97.1	101.0	100.8	107.6
	कर्नाटक	76.3	99.8	78.1	94.3	76.6	79.9	103.4	81.2	97.3	80.4	103.9	81.7	97.9
	केरल	60.9	63.8	63.4	66.4	60.4	67.7	70.7	71.4	74.4	68.3	71.3	72.1	75.0
	तमिलनाडु	114.5	118.6	114.7	117.0	108.9	119.6	123.7	120.4	122.8	120.5	124.6	121.5	123.9
	लक्षद्वीप	10.2	24.7	7.5	14.9	5.4	10.2	24.7	7.5	14.9	10.2	24.7	7.5	14.9
	पुदुचेरी	47.9	51.5	49.7	50.1	51.9	47.9	51.5	57.1	57.5	47.9	51.5	57.1	57.5

@ : बैंकों के राज्यवार निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाओं, राज्य विद्युत बोर्ड, नगरपालिका निगम, नगरपालिका और बंदरगाह, राज्य वित्त निगम, आवास बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सड़क परिवहन निगम तथा अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों के राज्य सरकारी ऋण तथा शेयर, बांड, डिबेंचर आदि की अपनी राज्य स्तरीय प्रतिक्रियाओं की धारिता दर्शाता है।

आखिल भारतीय निवेश + ऋण-जमा अनुपात के क्षेत्रीय सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को छोड़कर है, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है।

टिप्पणी: 1. जमा व ऋण के आंकड़े (स्वीकृति और उपयोग के अनुसार) 2007 तथा 2008 के बीएसआर-1 तथा 2 के 31 मार्च के सर्वेक्षणों पर आधारित हैं।

2. निवेश के आंकड़े 31 मार्च 2009 के बीएसआर-7 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

3. 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2008 के ऋण-जमा अनुपात के आंकड़े बीएसआर - 5 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

4. आरआईएफ के बकाया आंकड़े नवाड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

परिशिष्ट सारणी IV.40: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण (जारी)
(2008-09 तक की अवधि के लिए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतों की संख्या/1000 खाते*	क्रेडिट कार्ड शिकायतों की संख्या/1000 क्रेडिट/डेबिट कार्ड खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या #	जमा खाता	प्रेषण	क्रेडिट कार्ड	ऋण/अग्रिम			पूर्व संचना के बिना प्रेषण	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य
									सामान्य	आवास ऋण	9						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक																
	सरकारी क्षेत्र के बैंक																
	राष्ट्रीयकृत बैंक																
1.	इलाहाबाद बैंक	838	0.1	1.9	0.4	105	99	25	139	4	30	33	229	59	4	111	
2.	आंध्र बैंक	619	0.0	0.2	0.5	62	67	141	46	5	10	48	181	7	0	52	
3.	बैंक ऑफ बड़ोदा	1450	0.1	0.4	0.5	157	171	164	235	32	140	45	303	82	3	118	
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1018	0.0	0.3	0.3	141	118	106	161	25	43	63	219	41	0	101	
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	308	0.0	0.3	0.2	50	48	14	28	2	21	27	63	24	1	30	
6.	केनरा बैंक	1443	0.1	0.3	0.5	215	163	145	188	5	50	101	319	113	2	142	
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1163	0.1	2.2	0.3	124	157	30	224	11	59	80	281	38	1	158	
8.	कापरेशन बैंक	277	0.0	0.1	0.3	55	42	23	42	3	15	4	54	8	1	30	
9.	देना बैंक	334	0.1	0.4	0.3	23	46	17	34	5	38	50	47	17	2	55	
10.	इंडियन बैंक	558	0.0	0.2	0.4	64	28	24	158	4	26	30	179	18	1	26	
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	549	0.0	0.5	0.3	50	41	32	134	2	20	29	191	13	2	35	
12.	ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	497	0.1	0.4	0.4	136	64	24	70	8	42	10	84	19	1	39	
13.	पंजाब नेशनल बैंक	2210	0.1	139.9	0.5	305	282	188	341	28	146	181	420	80	6	233	
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	186	0.0	0.0	0.2	33	22	0	21	8	8	10	46	11	1	26	
15.	सिंडिकेट बैंक	782	0.0	0.2	0.3	100	59	60	130	10	44	31	196	44	0	108	
16.	यूको बैंक	605	0.1	1.4	0.3	58	88	28	93	10	35	31	139	56	1	66	
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1110	0.1	0.3	0.5	106	116	140	192	11	73	48	255	58	4	107	
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	245	0.0	0.4	0.2	50	30	5	19	0	7	12	56	51	0	15	
19.	विजया बैंक	232	0.0	0.3	0.2	23	24	16	40	15	12	5	51	10	1	35	
20.	आइडीबीआई बैंक	550	0.2	0.2	1.1	84	57	38	38	15	79	4	121	31	3	80	
	स्टेट बैंक समूह																
21.	भारतीय स्टेट बैंक	15306	0.2	0.3	1.5	1195	1454	4295	1079	112	697	1785	2631	578	27	1453	
22.	स्टेट बैंक ऑफ बोकारो एंड जयपुर	979	0.1	0.4	1.1	43	130	159	212	1	143	99	78	5	3	106	
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	355	0.0	0.1	0.3	18	49	82	28	1	25	23	93	3	0	33	
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	360	0.1	0.3	0.8	26	56	36	31	1	28	26	105	17	0	34	
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	222	0.1	0.2	0.3	16	43	29	11	0	7	21	43	2	0	50	
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	321	0.1	0.2	0.4	77	31	37	30	12	17	29	58	6	0	24	
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	46	0.0	0.0	0.1	1	1	8	10	4	12	2	4	2	0	2	
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रिवणकोर	578	0.1	0.2	0.8	36	37	50	133	0	71	35	114	17	0	85	

परिशिष्ट सारणी IV.40: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण (जारी)
(2008-09 तक की अवधि के लिए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतों की संख्या/1000 खातों*	क्रेडिट कार्ड शिकायतों की संख्या/1000 क्रेडिट/डेबिट कार्ड खातों@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या #	जमा खाता	प्रेषण	क्रेडिट कार्ड	ऋण/अग्रिम			पूर्व संचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य	
									सामान्य	आवास ऋण	ऋण							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	निजी क्षेत्र के बैंक																	
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक																	
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	163	0.1	0.5	0.3	14	27	18	17	0	45	4	21	4	3	10		
2.	कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड	57	0.0	0.4	0.2	3	4	0	12	0	4	0	27	2	0	5		
3.	सिटी यूनिवर्सल बैंक लि.	30	0.0	0.3	0.2	1	1	2	8	0	2	0	14	0	0	2		
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	31	0.0	0.1	0.2	1	3	1	7	0	3	0	7	2	0	7		
5.	फेडरल बैंक लि.	209	0.1	0.1	0.3	13	10	5	39	3	27	0	69	17	1	25		
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	274	0.2	0.3	0.7	27	17	29	25	6	22	0	77	12	0	59		
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	43	0.0	0.1	0.1	14	7	0	10	1	0	0	9	0	0	2		
8.	कर्नाटक बैंक लि.	38	0.0	0.1	0.1	6	4	0	2	0	3	0	6	11	0	6		
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	80	0.0	0.1	0.3	9	5	6	11	1	4	2	31	2	0	9		
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	46	0.1	0.0	0.2	2	1	3	18	0	1	0	18	1	0	2		
11.	लॉर्ड कृष्ण बैंक लि.	3	0.0	0.0	0.0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
12.	नेनीताल बैंक लि.	19	0.1	0.0	0.2	2	5	0	4	0	2	0	1	2	0	3		
13.	रत्नाकर बैंक लि.	3	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
14.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटर. बैंक लि.	1	0.1	0.9	0.3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
15.	साउथ इंडियन बैंक लि.	126	0.1	0.2	0.2	29	7	7	20	2	14	0	31	4	0	12		
16.	तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लि.	54	0.0	21.5	0.2	5	1	2	17	0	4	0	15	1	0	9		
	निजी क्षेत्र के नए बैंक																	
17.	एक्सिस बैंक लि.	1733	0.2	0.2	2.7	200	137	329	57	33	400	3	260	88	2	224		
18.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	31	0.0	0.0	0.1	8	1	4	4	2	3	0	5	1	0	3		
19.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	93	0.2	0.1	0.9	5	9	5	15	3	10	0	15	8	0	23		
20.	एचडीएफसी बैंक लि.	6584	0.6	0.5	8.9	820	356	1869	625	101	558	10	1039	393	14	799		
21.	आरपीआईएचआई बैंक लि.	11453	0.4	0.5	10.2	1183	725	3560	1288	215	864	13	1914	403	15	1273		
22.	इंडसइड बैंक लि.	281	0.2	0.7	1.5	56	29	6	18	1	59	0	72	11	0	29		
23.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	602	0.8	0.7	3.4	69	32	101	91	7	49	1	99	54	0	99		
24.	यस बैंक लि.	28	0.1	0.3	0.6	3	3	3	2	0	5	0	6	0	0	6		

परिशिष्ट सारणी IV.40: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण (समान्त)
(2008-09 तक की अवधि के लिए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट कार्ड/ शिकायतों से भिन्न शिकायतों की संख्या/ 1000 खाते*	क्रेडिट कार्ड/ शिकायतों की संख्या/ 1000 खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या #	जमा खाता	प्रेषण कार्ड	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण			बाढ़े पूरा न करना	संस्था बिक्री एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य		
								सामान्य	ऋण/अप्रिम	पूर्व सूचना के बिना प्रथम आवस						
								9	10	11	12	13	14	15	16	
1	विदेशी बैंक	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	एबीएन एमरो बैंक लि.	1844	2.1	1.3	65.9	111	32	942	131	21	93	3	199	56	2	254
2.	आबू धाबी कर्माशियल बैंक लि.	5	0.5	0.0	2.5	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	98	0.0	0.2	98.0	6	3	60	4	0	4	0	9	2	0	10
4.	एंटवर्प डायमंड बैंक.	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1	2.4	0.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	3	0.5	0.0	0.8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस. सी.	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	बैंक ऑफ सिलोन	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1	0.2	0.0	0.2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मिन्सुबिशी यूएफजे लिमि.	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	1925	2.9	2.9	385.0	46	63	1065	149	7	167	2	153	39	2	232
13.	बी.एन.पी. परिबास	7	0.1	0.0	0.8	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
14.	काल्योन बैंक	2	2.3	0.0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
15.	चायइनाट्रस्ट कर्माशियल बैंक	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	सिटी बैंक एन. ए.	2563	0.6	0.5	94.9	184	77	1145	244	26	126	0	200	167	3	391
17.	डीबीएस बैंक लिमि.	3	0.1	0.0	1.5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	इयूरो बैंक एजी	417	1.0	0.5	41.7	28	7	196	45	3	21	3	41	9	1	63
19.	एयएसबीसी बैंक लि.	2838	0.7	1.1	60.4	204	55	1418	189	19	212	3	322	68	2	346
20.	जेपी मोर्गन चैस बैंक	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लिमि.	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	मशरैक बैंक पीएएससी	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मारिशास बैंक	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजुओ कापरेट बैंक लिमि.	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	सिनहान बैंक	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	सोसाइटी जनरेल	1	0.1	0.0	0.5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28.	सोनाली बैंक	1	0.5	0.0	0.5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमि.	1991	0.6	1.0	21.9	144	64	905	116	38	139	1	224	183	1	176

* : 31 मार्च 2008 को खातों की संख्या।

@ : 30 जून 2009 को क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या।

: 31 मार्च 2008 को शाखाओं की संख्या।

- : शून्य/नाग्य। उ.न: उपलब्ध नहीं।

**परिशिष्ट सारणी V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड
(मार्च 2009 के अंत में)**

क्रम सं.	बैंक का नाम	सीआरए आर (प्रतिशत)	कार्यशील निधि की तुलना में निवल ब्याज आय (प्रतिशत)	कार्यशील निधि की तुलना में ब्याज आय (प्रतिशत)	कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन लाभ (प्रतिशत)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	जमाराशियों की औसत लागत	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रुपए)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	21.8	3.5	1.2	3.6	2.4	4.4	6.1	300
2.	अहमदाबाद मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	47.6	4.7	0.4	2.9	2.7	5.2	7.0	204
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरु	-52.0	2.2	0.9	0.8	0.6	5.3	1.2	149
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	31.7	4.6	0.3	2.0	1.3	6.6	2.4	231
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	20.6	3.6	0.2	2.8	2.8	5.8	14.4	661
6.	भारत को. ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	16.6	3.8	0.3	1.8	1.1	6.4	4.4	539
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	13.9	4.2	0.5	1.4	1.3	6.0	2.3	245
8.	बॉम्बे मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-12	23	67	44	28	5.5	48	131
9.	चारमीनार को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-308.5	-	-	-	-2.3	69	-	-
10.	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, दादर	161	28	02	22	15	46	52	434
11.	कॉसमॉस को. ऑप. बैंक लिमिटेड	123	26	05	16	11	65	49	576
12.	डॉबिवलो नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	129	33	10	13	12	53	40	475
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	172	28	01	05	04	65	10	300
14.	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	160	22	09	08	08	70	22	404
15.	इंडियन मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	22.7	-	-	-	00	00	-	-
16.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	133	280	99	-5.3	-0.4	7.1	-0.6	203
17.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	-0.5	25	06	0.6	0.5	6.5	1.6	425
18.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	142	26	19	3.8	3.0	1.9	3.8	120
19.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	41	23	14	0.8	0.8	6.6	2.5	437
20.	कालापान्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	10.9	3.0	0.3	0.3	0.3	6.4	0.5	246
21.	कालूपुर कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	43.2	-	-	-	2.2	4.1	-	-
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	15.1	3.8	0.6	1.4	1.0	5.6	2.8	398
23.	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	10.3	2.8	0.4	0.5	0.3	6.6	0.5	242
24.	माधवपुरा मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-896.5	-0.3	2.7	2.0	1.6	3.9	104.3	6584
25.	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	14.8	-	-	-	0.0	0.0	-	-
26.	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	-16.0	-7.1	14.0	2.0	1.5	9.0	2.2	168
27.	महेंसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.4	3.0	0.3	1.5	0.9	6.7	3.5	540
28.	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	14.9	3.5	0.4	0.9	0.5	6.3	1.1	258
29.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	12.1	2.4	1.1	0.4	0.3	6.5	0.5	189
30.	नासिक मर्चेन्ट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	36.9	5.0	0.4	2.2	2.0	5.5	2.7	135
31.	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	28.3	3.6	0.5	1.3	0.9	7.1	-	-
32.	नॉर्थ केनरा जी.एस.बी.को. ऑप. बैंक लिमिटेड	12.4	3.0	0.9	1.8	1.3	6.8	4.6	496
33.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	27.6	2.5	1.5	1.0	0.8	6.5	2.1	318
34.	पौरसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	20.5	4.8	0.4	2.4	1.5	4.0	4.3	368
35.	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	12.3	0.0	0.1	-0.9	-0.8	3.6	-1.3	203
36.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.3	3.7	0.4	1.7	1.4	6.5	4.6	447
37.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	20.3	2.7	0.4	1.4	0.8	6.7	3.7	410
38.	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-69.7	0.3	0.4	-1.2	-0.7	6.7	-1.8	225
39.	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	11.1	1.3	0.4	0.9	0.8	1.7	0.6	91
40.	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	10.9	1.7	1.0	1.9	1.2	7.0	7.4	730
41.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	28.5	4.5	0.6	1.5	0.7	4.8	1.7	262
42.	शामराव विट्टल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.3	3.2	1.0	1.4	0.9	7.1	4.2	623
43.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	0.2	2.0	0.8	0.3	0.2	6.9	0.4	172
44.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	9.2	3.2	0.4	1.0	0.6	7.3	1.1	254
45.	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	21.1	3.8	0.3	1.3	0.9	6.6	2.8	370
46.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	10.0	2.8	0.5	0.8	0.5	7.0	1.2	326
47.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	14.7	3.5	0.5	1.4	0.9	6.5	4.1	608
48.	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	11.0	1.9	0.5	0.7	0.4	7.5	0.7	234
49.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	7.7	1.7	1.4	0.7	0.3	7.6	0.8	370
50.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	10.8	2.7	0.9	0.8	0.8	5.5	1.6	282
51.	खामगांव अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	9.2	-	0.5	0.1	0.1	7.3	0.1	159
52.	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	14.6	7.7	14.7	14.6	7.1	7.8	10.4	72
53.	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	14.1	2.8	0.3	1.8	1.7	6.5	7.9	606

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: ओएसएस विवरणियाँ।

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	परिचालनगत लाभ		करोत्तर निवल लाभ		ब्याज आय	
		2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.8	3.5	0.9	2.4	6.0	6.7
2.	अहमदाबाद मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.0	2.7	0.7	2.7	7.4	7.5
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरु	2.5	0.6	2.5	0.6	4.2	4.4
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.8	1.9	1.5	1.3	9.8	9.9
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.9	2.8	1.9	2.8	5.8	8.2
6.	भारत को. ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	0.7	1.7	1.3	1.1	7.1	9.1
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	1.6	1.3	0.7	1.3	7.9	8.7
8.	बॉम्बे मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.0	2.8	0.1	2.8	3.7	4.5
9.	चारमीनार को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0	2.0
10.	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, दादर	1.5	2.1	1.0	1.5	5.4	6.4
11.	कॉसमॉस को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.5	1.5	1.1	1.1	7.5	8.0
12.	डोबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	2.4	1.3	0.9	1.2	7.2	7.7
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.7	0.4	0.4	0.4	7.4	8.1
14.	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.6	0.8	0.8	0.8	7.0	8.1
15.	इंडियन मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.3	0.0	0.4	0.0	7.1	0.0
16.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.2	-0.3	-0.6	-0.4	2.0	7.4
17.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	-0.2	0.5	0.3	0.5	6.8	7.9
18.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.7	3.0	0.1	3.0	6.0	3.1
19.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.7	0.8	0.2	0.8	7.5	8.3
20.	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.6	0.3	0.3	0.3	8.0	7.9
21.	कालुपुर कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.1	2.2	1.2	2.2	6.5	5.5
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	1.3	1.3	0.8	1.0	5.2	8.2
23.	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.0	0.4	0.2	0.3	7.8	8.5
24.	माधवपुरा मर्केटाइल लको. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.4	1.6	6.4	1.6	2.0	1.3
25.	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.2	0.0	-0.2	0.0	2.2	0.0
26.	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	1.9	1.5	2.7	1.5	1.8	1.6
27.	महेसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.7	1.5	0.8	0.9	8.3	8.7
28.	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	1.0	0.8	0.5	0.5	7.9	7.9
29.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	0.8	0.4	0.3	0.3	7.1	7.9
30.	नासिक मर्चेण्ट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.9	2.0	1.0	2.0	7.8	7.8
31.	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	1.1	1.3	0.8	0.9	7.1	8.7
32.	नॉर्थ केनरा जी.एस.बी.को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.3	1.8	0.7	1.3	6.1	8.9
33.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	0.7	1.0	0.7	0.8	7.3	7.7
34.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	2.8	2.4	1.5	1.5	7.0	7.9
35.	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	1.0	-0.8	1.0	-0.8	5.0	3.1
36.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.6	1.6	1.6	1.4	8.8	8.6
37.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.2	1.0	0.7	0.8	5.6	5.7
38.	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.1	-0.7	-0.2	-0.7	4.5	3.9
39.	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.7	0.8	0.7	0.8	2.3	2.5
40.	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	1.8	1.7	1.1	1.2	5.8	6.7
41.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.9	1.3	0.6	0.7	6.7	7.0
42.	शामराव विट्टल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.4	1.3	0.8	0.9	8.3	8.8
43.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	6.1
44.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.2	0.9	0.9	0.6	11.5	9.0
45.	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.3	1.3	0.8	0.9	8.2	8.6
46.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	1.1	0.7	0.4	0.5	7.8	8.3
47.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.0	1.4	1.1	0.9	7.4	8.5
48.	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	1.3	0.6	0.4	0.4	7.9	8.1
49.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	1.0	0.7	0.2	0.3	8.3	8.1
50.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	1.0	0.8	0.3	0.8	7.7	7.6
51.	खामगांव अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	0.0	0.1	-2.3	0.1	7.5	8.1
52.	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	3.4	7.1	2.7	7.1	5.9	5.5
53.	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	1.6	1.7	1.4	1.7	8.2	8.4

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक (जारी)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	
		2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	9	10	11	12
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.6	3.3	0.0	1.1
2.	अहमदाबाद मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.9	3.0	1.4	0.0
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरु	2.7	2.7	0.0	0.0
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	4.8	5.4	0.5	0.6
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.4	4.6	0.0	0.0
6.	भारत को. ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	4.2	5.4	0.0	0.6
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	4.7	4.8	0.8	0.0
8.	बॉम्बे मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.5	2.9	0.1	0.0
9.	चारमीनार को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.0	3.1	0.0	0.0
10.	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, दादर	2.9	3.7	0.1	0.6
11.	कॉसमॉस को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.1	5.5	0.4	0.4
12.	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	4.0	4.5	0.9	0.2
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.6	5.4	0.2	0.0
14.	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.0	5.9	0.7	0.0
15.	इंडियन मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.2	0.0	0.9	0.0
16.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.4	5.5	0.8	0.0
17.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.1	5.6	0.1	0.0
18.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.0	1.1	2.6	0.0
19.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	5.9	0.2	0.0
20.	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	5.5	0.3	0.0
21.	कालूपुर कर्मशियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.7	2.6	0.4	0.0
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	3.0	4.5	0.0	0.4
23.	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.1	5.8	0.5	0.2
24.	माधवपुरा मर्केटाइल लको. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.7	1.5	0.0	0.0
25.	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.3	0.0	0.4	0.0
26.	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	1.4	7.2	0.0	0.0
27.	महेसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.2	5.7	0.3	0.6
28.	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	5.2	4.7	0.3	0.3
29.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.6	5.5	0.5	0.1
30.	नासिक मर्चेन्ट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.3	3.4	1.2	0.0
31.	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	3.9	5.0	0.1	0.3
32.	नॉर्थ केनरा जी.एस.बी.को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.0	5.9	0.1	0.5
33.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	4.4	5.2	0.0	0.2
34.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	2.8	3.2	0.5	0.9
35.	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	2.9	3.1	0.0	0.0
36.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.5	5.1	0.3	0.2
37.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	3.6	3.7	0.5	0.2
38.	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.5	3.8	0.3	0.0
39.	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.3	1.3	0.0	0.0
40.	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.4	5.2	0.3	0.4
41.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.9	3.0	0.9	0.6
42.	शामराव विठ्ठल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.3	5.8	0.3	0.4
43.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	0.0	4.5	0.0	0.0
44.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.0	5.9	1.1	0.3
45.	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.1	4.8	0.8	0.4
46.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	5.1	5.7	0.4	0.3
47.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.3	5.1	0.3	0.5
48.	अकोला-जनता कर्मशियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	5.7	6.3	0.4	0.2
49.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	6.4	6.5	0.5	0.4
50.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.7	4.9	0.7	0.0
51.	खामगांव अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	6.0	5.6	2.3	0.0
52.	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.4	1.8	0.0	0.0
53.	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.6	5.6	0.3	0.0

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक (समाप्त)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	परिचालन व्यय		स्प्रेड	
		2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	13	14	15	16
1.	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.2	4.9	3.3	3.4
2.	अहमदाबाद मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.7	5.2	4.5	4.5
3.	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरु	4.4	4.4	1.5	1.7
4.	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	7.5	7.9	5.0	4.6
5.	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.3	5.8	2.4	3.6
6.	भारत को. ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	6.1	7.9	2.9	3.7
7.	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	6.8	6.9	3.1	3.9
8.	बॉम्बे मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.1	4.8	1.2	1.5
9.	चारमीनार को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.0	4.3	0.0	-1.1
10.	सिटीजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, दादर	4.2	4.9	2.5	2.7
11.	कॉसमॉस को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.5	6.8	2.4	2.5
12.	डॉंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	5.6	6.2	3.3	3.2
13.	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.8	7.9	2.8	2.7
14.	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.2	8.3	2.1	2.1
15.	इंडियन मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.4	0.0	1.9	0.0
16.	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.0	7.5	0.7	1.8
17.	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	7.6	8.0	1.6	2.3
18.	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.3	1.6	2.0	2.0
19.	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.3	7.7	1.9	2.4
20.	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	7.7	7.6	2.5	2.4
21.	कालूपुर कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.9	3.7	2.8	2.8
22.	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.4	6.6	2.2	3.7
23.	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.2	7.8	2.7	2.7
24.	माधवपुरा मर्केटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.1	1.8	0.2	-0.2
25.	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	2.2	0.0	0.9	0.0
26.	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	2.6	10.3	0.3	-5.6
27.	महेशाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.6	7.0	3.1	3.1
28.	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	7.5	7.1	2.8	3.3
29.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	7.1	8.7	2.5	2.4
30.	नासिक मर्चेन्ट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.3	6.2	4.5	4.4
31.	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	6.7	8.1	3.3	3.6
32.	नॉर्थ केनरा जी.एस.बी.को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.1	7.8	2.1	2.9
33.	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	7.2	8.0	2.9	2.5
34.	पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	4.5	5.2	4.2	4.7
35.	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	4.3	4.0	2.1	0.0
36.	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	8.1	7.8	3.3	3.5
37.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.8	4.7	2.0	2.0
38.	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.6	4.9	1.1	0.2
39.	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.0	2.0	1.0	1.2
40.	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.8	6.8	1.5	1.5
41.	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.1	5.1	3.9	4.0
42.	शामराव विठ्ठल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.3	7.8	3.0	3.0
43.	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	0.0	6.5	0.0	1.6
44.	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	9.7	8.4	5.4	3.1
45.	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.3	6.9	4.1	3.8
46.	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	7.4	8.1	2.7	2.6
47.	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.9	6.7	3.1	3.4
48.	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	7.4	7.9	2.2	1.8
49.	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	7.8	8.0	1.9	1.6
50.	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	7.8	7.8	3.0	2.7
51.	खामगांव अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	7.9	7.5	1.6	2.5
52.	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	3.2	4.3	4.5	3.7
53.	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	6.9	7.0	2.6	2.8

अ : अर्नातिम ।

स्रोत: ओएसएस विवरणियाँ ।

परिशिष्ट सारणी V.3: राज्य सहकारी बैंकों के राज्यवार कार्यकारी परिणाम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रूपए)

क्रम. सं.	क्षेत्र/राज्य	लाभ / हानि की राशि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		वसूली (प्रतिशत)	
		2007	2008अ	2007	2008अ	2007	2008अ	2007	2008अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	113	72	302	322	3.1	2.9	98.2	97.8
1.	चंडीगढ़	4	9	5	6	22.7	11.5	67.4	63.7
2.	दिल्ली	9	31	37	48	13.1	14.7	89.7	88.5
3.	हरियाणा	26	5	5	3	0.2	0.1	99.9	99.8
4.	हिमाचल प्रदेश	29	-	124	124	11.5	11.5	76.1	76.1
5.	जम्मू और कश्मीर	-	-	19	20	24.1	23.2	36.6	43.4
6.	पंजाब	24	10	55	53	1.6	1.3	98.3	99.0
7.	राजस्थान	21	17	57	68	2.8	3.0	98.1	96.1
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	-4	-20	417	423	43.3	40.4	43.0	42.6
8.	अरुणाचल प्रदेश	-4	-13	131	128	93.3	97.5	14.4	10.6
9.	असम	3	-12	130	121	48.8	41.8	46.7	55.1
10.	मणिपुर	-	-	31	31	32.4	32.4	29.0	29.0
11.	मेघालय	1	2	31	34	21.0	17.5	45.3	41.3
12.	मिजोरम	6	4	21	22	18.8	17.9	72.2	73.1
13.	नगालैंड	-4	-	24	27	44.4	45.3	64.2	64.8
14.	सिक्किम	1	2	2	1	9.5	5.7	66.8	55.3
15.	त्रिपुरा	-8	-3	47	59	36.5	43.2	37.1	52.6
	पूर्वी क्षेत्र	31	26	501	534	10.8	10.8	70.6	82.2
16.	अंडमान और निकोबार	1	2	6	14	6.5	12.9	93.1	73.8
17.	बिहार	6	-	267	267	42.5	42.5	36.1	36.1
18.	उड़ीसा	9	10	129	123	6.7	6.1	77.9	92.6
19.	पश्चिम बंगाल	14	15	99	130	5.0	5.9	78.3	85.2
	मध्य क्षेत्र	72	65	763	820	13.9	12.5	82.5	82.9
20.	छत्तीसगढ़	6	5	46	50	31.9	14.2	90.4	77.4
21.	मध्य प्रदेश	31	26	185	161	8.8	6.6	93.5	96.3
22.	उत्तर प्रदेश	32	32	501	577	16.3	15.9	72.6	71.8
23.	उत्तरांचल	3	2	30	32	16.4	23.5	94.7	93.7
	पश्चिमी क्षेत्र	54	32	2,566	2,352	20.5	19.8	79.1	67.5
24.	गोवा	0	1	66	61	19.8	15.4	69.2	76.5
25.	गुजरात	6	6	133	105	6.1	4.8	97.3	97.9
26.	महाराष्ट्र	48	24	2,367	2,187	23.6	23.4	73.2	57.2
	दक्षिणी क्षेत्र	8	10	2,154	1,718	15.5	11.9	87.9	87.7
27.	आंध्र प्रदेश	2	6	1,135	931	18.7	15.6	71.8	72.2
28.	कर्नाटक	13	10	242	209	10.8	7.4	92.0	91.1
29.	केरल	-29	-18	504	480	22.9	22.0	87.2	89.4
30.	पुदुचेरी	1	-3	10	18	7.0	9.4	79.8	75.9
31.	तमिलनाडु	22	15	263	80	8.1	2.4	97.7	99.8
	कुल	275	185	6,704	6,168	14.2	12.8	86.0	84.6

अ : अनर्जक

- : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी: 1. बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर एनपीए तथा वसूली के 2007-08 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और अतः गत वर्ष के आंकड़े दोहराये गये हैं।

2. झारखंड में राज्य सहकारी बैंक ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है अतः इसे शामिल नहीं किया गया है ।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि सहकारी
समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार
(मार्च 2008 के अंत अनुसार)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	प्रा.क.स. स. की संख्या	ग्रामों की संख्या	प्रा.क.स. स. की तुलना में ग्रामों का अनुपात	सदस्य (हजार में)	उधारकर्ता सदस्य (हजार में)	जमा राशियाँ (करोड़)	उधार (करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	12,768	93,414	7	11,177	4,295	2,772	10,800
1.	चंडीगढ़	16	22	1	3	1	0.03	0.1
2.	हरियाणा	616	7,061	11	2,868	1,791	305	4,003
3.	हिमाचल प्रदेश	2,092	17,495	8	1,053	121	839	84
4.	जम्मू और कश्मीर	938	7,757	8	607	224	507	260
5.	पंजाब	3,979	12,329	3	2,219	16	811	3,647
6.	राजस्थान	5,127	48,750	10	4,427	2,142	310	2,806
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	3,511	37,599	11	3,791	318	130	432
7.	अरुणाचल प्रदेश	31	3,649	118	18	-	-	4
8.	असम	766	24,590	32	3,034	82	0	0
9.	मणिपुर	186	-	-	128	200	65	372
10.	मेघालय	184	5,780	31	186	20	1	7
11.	मिजोरम	175	710	4	120	-	-	0.3
12.	नगालैंड	1,719	969	1	14	14	64	9
13.	सिक्किम	180	861	5	29	2	-	-
14.	त्रिपुरा	270	1,040	4	262	-	0.3	41
	पूर्वी क्षेत्र	18,385	203,891	11	38,213	15,727	3,513	4,579
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप	46	204	4	11	3	1	2
16.	बिहार	5,969	45,098	8	3,997	305	67	501
17.	झारखंड	496	6,169	12	1,283	211	16	303
18.	उड़ीसा	3,813	45,954	12	16,350	6,369	2,342	2,241
19.	पश्चिम बंगाल	8,061	106,466	13	16,573	8,839	1,088	1,531
	मध्य क्षेत्र	16,123	198,233	12	13,118	3,825	1,325	4,824
20.	छत्तीसगढ़	1,257	18,366	15	1,933	897	260	576
21.	मध्य प्रदेश	4,633	54,160	12	4,916	2,518	458	2,620
22.	उत्तराखंड	1,304	12,903	10	3,509	410	539	657
23.	उत्तर प्रदेश	8,929	112,804	13	2,759	-	68	971
	पश्चिमी क्षेत्र	29,351	65,367	2	13,429	5,331	407	12,884
24.	गोवा	75	296	4	87	3	35	5
25.	गुजरात	8,092	23,976	3	2,495	1,299	248	3,735
26.	महाराष्ट्र	21,184	41,095	2	10,848	4,029	124	9,144
	दक्षिणी क्षेत्र	14,804	80,083	5	51,800	18,386	17,301	14,329
27.	आंध्र प्रदेश	4,064	29,851	7	22,001	3,101	325	6,534
28.	कर्नाटक	4,620	30,112	7	4,858	1,298	1,144	2,191
29.	केरल	1,555	1,582	1	16,400	9,929	13,161	2,268
30.	पुदुचेरी	52	128	2	103	44	59	33
31.	तमिलनाडु	4,513	18,410	4	8,439	4,014	2,613	3,302
	कुल	94,942	6,78,587	7	1,31,529	79,408	25,449	47,848

**परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि सहकारी
समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार (जारी)
(मार्च 2008 के अंत अनुसार)**

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	कार्यशील पंजी (करोड़ रु.)	जारी ऋण और अग्रिम (करोड़ रुपए)		बकाया ऋण और अग्रिम (करोड़ रुपए)		प्रति प्रा. कृ.स.स. औसत जमा राशियां (करोड़ रु.)	लाभदायी समितियां		हानिग्रस्त समितियां	
			अल्पावधि	मध्यावधि	कृषि	कृषितर		संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	उत्तरी क्षेत्र	19,891	14,288	698	7,425	749	1.6	8,212	207	3,705	167
1.	चंडीगढ़	0.2	-	-	-	-	0.01	15	0.03	1	0.001
2.	हरियाणा	5,733	4,839	49	4,130	327	9.3	365	57	251	54
3.	हिमाचल प्रदेश	1,205	10	190	338	-	0.6	1,672	12	367	4
4.	जम्मू और कश्मीर	1,933	603	169	362	281	2.1	499	16	365	18
5.	पंजाब	5,233	5,850	69	93	-	1.3	2,370	72	1,134	16
6.	राजस्थान	5,787	2,986	222	2,502	141	1.1	3,291	50	1,587	75
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	810	350	23	444	25	0.2	653	79	849	107
7.	अरुणाचल प्रदेश	16	-	1	1	-	0.5	20	0.3	6	0.1
8.	असम	111	7	1	6	-	0.1	309	76	419	99
9.	मणिपुर	459	339	21	416	-	2.5	-	-	108	2
10.	मेघालय	18	2	-	4	-	0.1	51	0.4	128	5
11.	मिजोरम	2	-	-	3	-	0.01	59	1	4	0.1
12.	नगालैंड	112	2	-	2	4	0.1	-	-	-	-
13.	सिक्किम	2	1	-	-	-	0.01	94	0.2	36	0.1
14.	त्रिपुरा	90	-	-	13	22	0.3	120	1	148	1
	पूर्वी क्षेत्र	10,277	4,287	910	4,615	483	0.6	5,024	38	12,603	142
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप	3	1	-	1	-	0.1	34	0.0002	-	-
16.	बिहार	493	350	-	432	-	0.1	1,180	6	3,962	1
17.	झारखंड	351	139	47	250	36	0.7	88	1	260	14
18.	उड़ीसा	5,746	2,692	582	2,826	189	1.5	1,300	9	2,450	110
19.	पश्चिम बंगाल	3,683	1,104	281	1,106	259	0.5	2,422	22	5,931	17
	मध्य क्षेत्र	7,859	3,964	211	3,843	253	0.5	7,582	141	5,403	249
20.	छत्तीसगढ़	990	491	22	580	56	0.8	779	18	478	28
21.	मध्य प्रदेश	4,169	2,172	116	1,809	154	0.9	1,772	77	2,470	209
22.	उत्तराखंड	1,441	515	62	654	43	1.1	495	28	487	11
23.	उत्तर प्रदेश	1,259	786	12	800	-	0.1	4,536	18	1,968	2
	पश्चिमी क्षेत्र	18,068	7,606	1,670	9,517	191	0.6	12,593	1,558	16,209	279
24.	गोवा	45	2	2	5	-	0.6	55	0.1	20	0.1
25.	गुजरात	5,482	3,311	344	4,056	147	0.7	4,948	78	2,764	275
26.	महाराष्ट्र	12,542	4,293	1,325	5,456	44	0.6	7,590	1,480	13,425	4
	दक्षिणी क्षेत्र	31,200	16,895	6,740	11,665	7,737	2.1	4,237	207	9,751	1,083
27.	आंध्र प्रदेश	5,811	2,360	345	3,507	140	1.4	874	16	3,031	226
28.	कर्नाटक	5,211	2,681	215	2,322	366	1.1	1,822	57	2,464	111
29.	केरल	13,074	8,528	4,944	3,608	5,397	8.4	759	75	727	165
30.	पुदुचेरी	106	104	9	47	67	2.0	19	1	38	6
31.	तमिलनाडु	6,999	3,221	1,227	2,181	1,766	1.6	763	58	3,491	575
	कुल	88,106	47,390	10,252	37,510	9,439	0.9	38,307	2,230	48,520	5,711

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि सहकारी
समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार (समाप्त)
(मार्च 2008 के अनुसार)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	अर्थक्षम समितियां	संभाव्य रूप से अर्थक्षम समितियां	निष्क्रिय समितियां	अप्रचलित समितियां	अन्य
1	2	20	21	22	23	24
	उत्तरी क्षेत्र	9,058	2,748	669	245	48
1.	चंडीगढ़	15	-	1	-	-
2.	हरियाणा	616	-	-	-	-
3.	हिमाचल प्रदेश	433	1,626	33	-	-
4.	जम्मू और कश्मीर	448	173	96	219	2
5.	पंजाब	3,204	277	489	6	3
6.	राजस्थान	4,342	672	50	20	43
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2,011	350	680	390	80
7.	अरुणाचल प्रदेश	31	-	-	-	-
8.	असम	709	57	-	-	-
9.	मणिपुर	186	-	-	-	-
10.	मेघालय	157	12	5	10	-
11.	मिजोरम	60	16	19	-	80
12.	नगालैंड	457	228	655	379	-
13.	सिक्किम	166	14	-	-	-
14.	त्रिपुरा	245	23	1	1	-
	पूर्वी क्षेत्र	8,907	6,209	1,561	1,188	520
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप	35	-	6	3	2
16.	बिहार	1,836	2,840	770	522	1
17.	झारखंड	202	228	32	-	34
18.	उड़ीसा	2,891	747	31	20	124
19.	पश्चिम बंगाल	3,943	2,394	722	643	359
	मध्य क्षेत्र	12,248	3,169	444	177	85
20.	छत्तीसगढ़	1,160	97	-	-	-
21.	मध्य प्रदेश	3,371	1,185	6	-	71
22.	उत्तराखंड	602	618	56	14	14
23.	उत्तर प्रदेश	7,115	1,269	382	163	-
	पश्चिमी क्षेत्र	17,800	10,360	678	272	241
24.	गोवा	56	12	7	-	-
25.	गुजरात	3,988	3,063	639	161	241
26.	महाराष्ट्र	13,756	7,285	32	111	-
	दक्षिणी क्षेत्र	8,448	4,611	646	197	902
27.	आंध्र प्रदेश	2,713	1,312	6	-	33
28.	कर्नाटक	2,933	1,199	142	91	255
29.	केरल	1,331	193	30	1	-
30.	पुदुचेरी	19	33	-	-	-
31.	तमिलनाडु	1,452	1,874	468	105	614
	कुल	58,472	27,447	4,678	2,469	1,876

उपलब्ध नहीं।

स्रोत: एनएफएससीओबी।

परिशिष्ट सारणी V.6: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र / राज्य	शाखाओं की संख्या	लाभ /हानि की राशि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		वसूली (प्रतिशत)	
			2008अ	2007	2008अ	2007	2008अ	2007	2008अ	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तरी क्षेत्र	85	6	68	1,409	700	24.1	12.6	79.1	58.0
1.	हरियाणा @	-	-33	28	866	162	45.1	9.5	96.8	74.8
2.	हिमाचल प्रदेश #	33	4	-	98	98	35.9	35.9	52.7	52.7
3.	जम्मू और कश्मीर*	45	-3	-5	13	11	92.9	96.8	16.0	37.6
4.	पंजाब @	0	25	29	1	1	0.03	0.04	91.0	79.8
5.	राजस्थान @	7	13	16	431	427	27.9	27.6	56.2	30.0
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	37	1	-0.03	17	18	57.8	59.0	22.9	71.0
6.	असम*	32	1	0.8	10	9	82.4	79.4	5.8	87.9
7.	मणिपुरा*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	त्रिपुरा*	5	-0.1	-0.8	7	9	40.7	47.3	62.9	66.1
	पूर्वी क्षेत्र	158	-2	-3	375	452	40.7	46.2	31.3	33.0
9.	बिहार *	151	-	-	83	83	89.7	89.7	16.0	16.0
10.	उड़ीसा @	5	-3	-3	178	179	99.8	101.5	3.5	59.9
11.	पश्चिम बंगाल #	2	2	-	113	190	17.4	26.8	66.0	33.1
	मध्य क्षेत्र	349	-122	-171	2,340	2,709	40.1	47.1	33.8	69.2
12.	छत्तीसगढ़ @	0	-2	-11	59	84	27.2	39.7	40.4	25.1
13.	मध्य प्रदेश @	7	-	-	213	206	13.9	13.8	40.5	68.3
14.	उत्तर प्रदेश*	342	-120	-161	2,068	2,419	50.6	59.7	31.8	70.7
	दक्षिणी क्षेत्र	181	218	-184	814	1489	42.4	76.0	32.5	8.3
15.	गुजरात*	181	23	19	328	358	53.1	53.8	42.9	25.3
16.	महाराष्ट्र @	-	195	-203	486	1132	37.3	87.4	30.1	2.7
	दक्षिणी क्षेत्र	56	-13	42	687	924	16.9	18.8	48.8	46.8
17.	कर्नाटक @	23	1	-15	304	341	23.7	26.3	36.9	33.6
18.	केरल @	14	14	16	127	161	7.1	9.1	87.2	77.1
19.	पुदुचेरी*	1	-	-	4	3	29.0	26.9	75.1	83.9
20.	तमिलनाडु @	18	-28	41	252	419	26.4	26.4	12.9	12.9
	कुल	866	89	-247	5,642	6,292	30.3	34.5	43.9	49.4

* एकल संरचना @ संघीय संरचना # समिश्र संरचना

अ : अनर्जक - : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: 1. बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु के 2007-08 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

2. मणिपुर का एससीएआरडीबी अप्रचलित हो गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.7: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	2006-07				2007-08अ				अनर्जक आस्तियां		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		वसूली (प्रतिशत)	
		लाभ		हानि		लाभ		हानि		2007	2008अ	2007	2008अ	2007	2008अ
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85	32	59	129	94	132	50	57	1,985	2,160	34.4	40.1	57.7	41.2
1.	उत्तरी क्षेत्र	5	2	14	62	17	100	2	1	869	762	46.2	46.8	69.0	36.9
2.	हरियाणा	1	1	-	-	-	-	-	-	24	24	31.5	31.5	63.3	63.3
3.	हिमाचल प्रदेश	52	13	36	45	53	21	36	32	617	797	27.6	37.6	54.0	44.6
4.	पंजाब	27	14	9	21	24	12	12	24	475	578	30.3	37.0	43.1	41.3
	राजस्थान	20	4	30	53	17	1	33	120	556	744	37.5	53.4	56.7	56.8
5.	मध्य क्षेत्र	7	1	5	2	8	0	4	1	56	71	29.1	38.2	52.6	47.5
6.	छत्तीसगढ़	13	3	25	51	9	1	29	118	500	674	38.8	55.7	57.5	57.9
	मध्य प्रदेश	11	5	55	22	7	3	63	38	229	201	33.6	28.5	51.0	48.7
7.	पूर्वी क्षेत्र	1	1	41	16	1	1	45	18	75	101	61.8	86.9	33.0	88.4
8.	उड़ीसा	10	4	14	7	6	1	18	19	154	100	27.5	17.0	53.4	35.4
	पश्चिम बंगाल	3	22	26	183	1	2	28	270	456	768	48.0	84.9	23.8	4.1
9.	पश्चिमी क्षेत्र	3	22	26	183	1	2	28	270	456	768	48.0	84.9	23.8	4.1
	महाराष्ट्र	231	356	172	179	80	32	97	32	1,091	1,240	33.0	38.5	53.9	46.8
10.	दक्षिणी क्षेत्र	83	65	94	82	80	32	97	32	291	366	25.5	29.9	54.2	22.7
11.	कर्नाटक	25	38	21	18	-	-	-	-	604	705	33.1	39.0	63.6	66.4
12.	केरल	123	254	57	78	-	-	-	-	196	169	57.9	87.2	24.8	30.4
13.	तमिलनाडु	350	419	342	566	199	170	271	516	4,316	5,113	35.4	53.7	52.0	44.0
	कुल														

अ : अर्न्तम ।

- : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : हिमाचल प्रदेश के 2007-08 के एनपीए तथा मांग के प्रति वसूली के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V8: मीयादी ऋण के लिए नाबार्ड की ब्याज दरें - 2008-09

(वार्षिक प्रतिशत)

एजेन्सी	प्रभावी तारीख	पुनर्वित्त पर ब्याज दर
वाणिज्य बैंक (सीबी)	26-मई-08	9.5 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एवं जम्मू व कश्मीर के वाणिज्य बैंक, आरआरबी; एसटीसीबी; एससीएआरडीबी; यूसीबी; एडीएफसी; तथा एनईडीएफआइ	26-मई-08	9.0 प्रतिशत
वाणिज्य बैंक (सीबी)	3-जुलाई-08	10.25 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू व कश्मीर के वाणिज्य बैंक	3-जुलाई-08	9.75 प्रतिशत
आरआरबी	3-जुलाई-08	10 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एवं जम्मू व कश्मीर के आरआरबी; एसटीसीबी, एससीएआरडीबी, यूसीबी, एडीएफसी, तथा एनईडीएफआइ	3-जुलाई-08	9.5 प्रतिशत
वाणिज्य बैंक (सीबी)	1-अगस्त-08	10.75 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू व कश्मीर के वाणिज्य बैंक; आरआरबी	1-अगस्त-08	10.25 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू व कश्मीर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; एसटीसीबी, एससीएआरडीबी; यूसीबी; एडीएफसी; तथा एनईडीएफआइ	1-अगस्त-08	9.75 प्रतिशत
वाणिज्य बैंक (सीबी)	1-जनवरी-09	10.25 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू व कश्मीर के वाणिज्य बैंक; आरआरबी	1-जनवरी-09	9.75 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एवं जम्मू व कश्मीर के आरआरबी; एसटीसीबी; एससीएआरडीबी; यूसीबी; एडीएफसी; तथा एनईडीएफआइ	1-जनवरी-09	9.25 प्रतिशत
वाणिज्य बैंक (सीबी)	2-फरवरी-09	9.5 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एवं जम्मू व कश्मीर के वाणिज्य बैंक; आरआरबी, एसटीसीबी; एससीएआरडीबी; यूसीबी; एडीएफसी; तथा एनईडीएफआइ	2-फरवरी-09	9.0 प्रतिशत
वाणिज्य बैंक (सीबी)	18-फरवरी-09	9.0 प्रतिशत
उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एवं जम्मू व कश्मीर के वाणिज्य बैंक; आरआरबी; एसटीसीबी; एससीएआरडीबी; यूसीबी; एडीएफसी; तथा एनईडीएफआइ	18-फरवरी-09	8.5 प्रतिशत

टिप्पणी:

1. सीबी- वाणिज्य बैंक
2. एसटीसीबी - राज्य सहकारी बैंक
3. आरआरबी - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. यूसीबी - शहरी सहकारी बैंक
5. एडीएफसी - कृषि विकास वित्त कंपनी
6. एनईडीएफआइ - उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि.
7. एससीएआरडीबी - राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.9: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रूप में)

राज्य का नाम	ग्राबुसुविनि I		ग्राबुसुविनि II		ग्राबुसुविनि III		ग्राबुसुविनि IV		ग्राबुसुविनि V	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी क्षेत्र	527	499	792	713	838	753	935	749	868	810
हरियाणा	27	19	64	62	67	62	53	48	90	80
हिमाचल प्रदेश	14	14	53	53	51	49	88	79	110	108
जम्मू और कश्मीर	6	6	-	-	36	24	107	103	111	109
पंजाब	61	61	63	62	89	85	96	75	103	91
राजस्थान	124	117	152	129	158	140	64	49	132	120
उत्तर प्रदेश	296	282	461	407	414	389	475	389	317	300
उत्तरांचल	-	-	-	-	22	2	51	6	5	-
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	9	8	63	61	23	23	117	103	364	270
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	25	23
असम	-	-	63	61	16	16	65	52	186	117
मणिपुर	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	3	3	-	-	7	7	9	9	31	31
मिजोरम	2	2	-	-	-	-	-	-	54	54
नागालैंड	1	1	-	-	-	-	-	-	16	14
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	21	21	9	9
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	22	21	44	22
पूर्वी क्षेत्र	286	257	307	286	432	363	481	392	442	363
बिहार	22	13	-	-	58	27	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	4	2	119	82	91	82
उड़ीसा	170	162	151	141	199	172	149	117	128	100
पश्चिम बंगाल	95	82	156	145	171	161	214	193	222	181
मध्य क्षेत्र	241	215	250	239	280	262	242	218	263	245
छत्तीसगढ़	82	78	10	6	57	58	69	65	34	32
मध्य प्रदेश	159	137	241	233	223	204	173	153	229	213
पश्चिमी क्षेत्र	345	322	359	319	408	381	426	380	572	511
गोवा	7	7	-	-	-	-	9	9	-	-
गुजरात	151	145	127	114	154	135	115	91	222	179
महाराष्ट्र	187	170	232	204	254	246	302	280	350	332
दक्षिणी क्षेत्र	499	460	865	780	752	673	702	640	925	856
आंध्र प्रदेश	227	215	337	308	282	252	287	273	379	359
कर्नाटक	176	159	195	180	171	162	172	167	173	165
कनाटक	96	86	87	73	89	74	64	57	127	117
तमिलनाडु	-	-	246	219	209	186	179	143	246	216
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अखिल भारतीय	1,906	1,761	2,636	2,398	2,733	2,454	2,903	2,482	3,435	3,055

परिशिष्ट सारणी V.9: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के
अंतर्गत स्वीकृतियां और सवितरण - राज्यवार (जारी)
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	ग्राबुसुविनि VI		ग्राबुसुविनि VII		ग्राबुसुविनि VIII		ग्राबुसुविनि IX		ग्राबुसुविनि X	
	स्वीकृतियां	सवितरण	स्वीकृतियां	सवितरण	स्वीकृतियां	सवितरण	स्वीकृतियां	सवितरण	स्वीकृतियां	सवितरण
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
उत्तरी क्षेत्र	1,070	1,006	1,439	1,359	1,558	1,400	1,386	1,259	1,764	1,443
हरियाणा	65	62	150	140	267	239	153	125	166	145
हिमाचल प्रदेश	127	128	168	175	169	154	142	111	92	72
जम्मू और कश्मीर	162	155	217	207	176	158	154	147	49	21
पंजाब	229	200	232	206	206	198	287	254	311	281
राजस्थान	254	245	375	347	347	281	140	125	356	232
उत्तर प्रदेश	233	218	298	269	323	304	218	208	481	407
उत्तरांचल	-	-	-	16	70	65	292	289	308	285
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	291	258	101	99	156	131	257	197	84	77
अरुणाचल प्रदेश	103	92	69	69	-	-	15	12	26	23
असम	50	45	-	-	76	62	190	134	14	11
मणिपुर	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-
मेघालय	30	29	18	17	16	15	16	14	-	-
मिजोरम	4	4	7	7	2	2	14	14	7	7
नागालैंड	56	48	1	1	7	7	17	17	29	28
सिक्किम	5	5	5	5	5	5	3	3	8	8
त्रिपुरा	35	28	-	-	50	41	3	3	-	-
पूर्वी क्षेत्र	512	442	672	544	965	704	538	435	1,051	693
बिहार	-	-	58	38	199	161	97	59	75	51
झारखंड	-	-	-	-	-	-	49	39	175	112
उड़ीसा	104	86	149	137	247	211	185	153	376	241
पश्चिम बंगाल	408	356	464	369	519	332	207	184	426	289
मध्य क्षेत्र	372	310	396	322	822	736	708	566	596	462
छत्तीसगढ़	51	43	85	70	282	242	433	351	63	35
मध्य प्रदेश	321	267	311	253	540	494	275	215	533	427
पश्चिमी क्षेत्र	964	881	586	471	743	690	966	952	1,407	1,336
गोवा	19	9	16	10	16	10	-	-	-	-
गुजरात	506	462	41	22	284	284	899	899	1,312	1,265
महाराष्ट्र	439	410	530	439	443	396	67	53	95	71
दक्षिणी क्षेत्र	1,279	1,174	1,388	1,256	1,706	1,480	1,784	1,462	2,818	2,189
आंध्र प्रदेश	559	511	609	558	904	752	856	647	1,534	1,136
कर्नाटक	292	275	235	212	220	202	290	254	407	343
केरल	175	159	192	159	194	168	90	67	219	150
तमिलनाडु	253	229	353	327	388	358	548	494	658	560
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अखिल भारतीय	4,489	4,071	4,582	4,052	5,949	5,141	5,639	4,871	7,720	6,200

परिशिष्ट सारणी V.9: ग्रामीण बूनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार (समाप्त)
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	ग्राभुसुविनि XI		ग्राभुसुविनि XII		ग्राभुसुविनि XIII		ग्राभुसुविनि XIV		राज्य का कुल	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
उत्तरी क्षेत्र	2,208	1,585	3,374	1,994	3,685	1,530	3,964	797	24,407	15,896
हरियाणा	178	161	253	186	310	148	301	70	2,145	1,546
हिमाचल प्रदेश	225	151	273	117	299	91	425	113	2,237	1,415
जम्मू और कश्मीर	80	68	461	287	602	257	342	112	2,503	1,654
पंजाब	283	208	553	432	418	190	525	123	3,455	2,465
राजस्थान	605	467	767	471	825	404	1,100	219	5,398	3,347
उत्तर प्रदेश	788	487	1,035	479	1,092	384	971	71	7,401	4,594
उत्तरांचल	50	43	32	22	138	56	300	90	1,269	875
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	658	395	671	296	407	140	947	142	4,150	2,202
अरुणाचल प्रदेश	136	48	139	59	29	11	122	42	665	379
असम	402	272	283	139	88	27	113	28	1,546	964
मणिपुर	28	-	7	7	-	-	-	-	45	16
मेघालय	32	16	32	11	57	38	66	11	318	202
मिजोरम	19	19	8	8	22	13	1	-	141	131
नागालैंड	34	34	25	18	15	10	240	20	440	200
सिक्किम	6	6	16	15	42	26	99	15	220	116
त्रिपुरा	-	-	161	39	154	15	305	25	774	194
पूर्वी क्षेत्र	1,423	918	1,932	854	2,089	756	3,034	436	14,162	7,441
बिहार	459	282	590	149	589	310	752	153	2,899	1,242
झारखंड	107	85	331	232	407	221	631	72	1,914	928
उड़ीसा	397	232	498	194	509	37	849	32	4,110	2,015
पश्चिम बंगाल	459	319	513	279	584	188	801	179	5,238	3,256
मध्य क्षेत्र	507	321	780	546	1,331	485	1,047	289	7,834	5,214
छत्तीसगढ़	117	61	51	16	66	15	72	11	1,471	1,083
मध्य प्रदेश	390	260	729	530	1,265	470	975	278	6,363	4,131
पश्चिमी क्षेत्र	960	691	1,501	653	1,760	935	2,293	726	13,290	9,247
गोवा	-	-	-	-	27	8	86	63	180	116
गुजरात	859	657	988	288	649	380	1,085	369	7,391	5,290
महाराष्ट्र	101	34	513	365	1,084	547	1,123	294	5,720	3,842
दक्षिणी क्षेत्र	2,544	1,815	2,342	1,432	3,477	1,211	3,435	623	24,515	16,051
आंध्र प्रदेश	1,286	890	757	408	1,277	492	1,315	273	10,609	7,072
कर्नाटक	449	353	498	267	956	142	659	-	4,892	2,881
केरल	205	106	261	129	287	84	501	100	2,586	1,528
तमिलनाडु	604	466	827	628	957	493	905	251	6,372	4,570
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	55	-	55	-
अखिल भारतीय	8,299	5,725	10,599	5,775	12,749	5,057	14,720	3,013	88,359	56,052

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.10: किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में और जारी किए गए कार्ड हजार में)

क्रम सं.	राज्य	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्य बैंक		कुल *	
		सं. **	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	सं. **	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	22	3,594	6,751.0	5	1,853	3,739.2	8,985	27,986.6	14,432	38,476.8
2.	असम	1	13	14.9	2	123	411.1	327	582.0	463	1,008.0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1.5	1	3	3.4	16	29.1	19	34.0
4.	बिहार	22	796	944.8	4	839	2,936.0	1,493	6,178.0	3,128	10,058.8
5.	गुजरात	18	1,182	18,377.6	3	242	2,590.2	1,377	20,712.0	2,801	41,679.8
6.	गोवा §	1	4	17.8	-	-	-	11	130.4	15	148.2
7.	हरियाणा	19	1,244	7,732.1	2	336	2,907.5	768	7,719.2	2,348	18,358.8
8.	हिमाचल प्रदेश	3	66	318.1	2	40	179.0	219	1,141.7	325	1,638.7
9.	जम्मू और कश्मीर	4	52	72.5	3	15	122.4	12	76.8	78	271.7
10.	कर्नाटक	21	1,677	6,872.9	6	1,097	5,376.6	2,266	13,011.3	5,041	25,260.8
11.	केरल	14	1,295	3,470.7	2	424	1,475.1	1,405	4,885.5	3,124	9,831.3
12.	मध्य प्रदेश	38	3,118	13,352.2	8	474	2,415.5	1,559	12,002.2	5,151	27,769.9
13.	महाराष्ट्र	30	5,217	30,802.9	4	276	1,100.0	2,426	10,949.4	7,919	42,852.3
14.	मेघालय	1	10	13.2	1	21	36.6	37	95.1	68	144.9
15.	मिजोरम	1	2	1.3	1	9	43.9	12	23.7	23	68.9
16.	मणिपुर	1	13	33.6	1	2	2.7	25	61.3	40	97.6
17.	नगालैंड	1	2	0.8	1	1	2.9	18	33.4	22	37.1
18.	उड़ीसा	17	3,268	9,587.0	5	597	1,299.5	1,069	3,124.6	4,934	14,011.2
19.	पंजाब	19	892	6,199.5	3	119	1,293.9	1,219	13,511.1	2,230	21,004.4
20.	राजस्थान	28	2,851	8,387.0	6	440	3,595.6	1,467	16,573.5	4,757	28,556.1
21.	सिक्किम §	1	3	6.3	-	-	-	7	22.8	9	29.1
22.	तमिलनाडु	22	1,803	5,228.9	2	265	588.9	3,741	11,776.4	5,809	17,594.2
23.	त्रिपुरा	1	4	5.6	1	41	62.5	52	106.2	97	174.3
24.	उत्तर प्रदेश	51	6,074	5,910.0	12	3,343	11,167.9	6,005	33,075.3	15,423	50,153.3
25.	पश्चिम बंगाल	20	1,463	5,494.9	3	311	1,357.5	1,334	3,964.4	3,108	10,816.7
26.	अंडमान व निकोबार §	1	3	8.3	-	-	-	2	8.0	6	16.3
27.	चंडीगढ़ §	-	-	-	-	-	-	3	15.3	3	15.3
28.	दमन और दीव @	-	-	-	-	-	-	2	13.9	2	13.9
29.	नई दिल्ली §	1	2	8.8	-	-	-	20	173.0	22	181.8
30.	दादरा और नगर हवेली @§	-	-	-	-	-	-	3	28.4	3	28.4
31.	लक्षद्वीप @§	-	-	-	-	-	-	1	2.6	1	2.6
32.	पुदुचेरी	1	7	34.3	1	-	-	48	172.2	56	206.5
33.	झारखंड	8	279	544.3	2	300	340.5	414	1,067.8	992	1,952.7
34.	छत्तीसगढ़	7	912	2,195.0	3	256	613.4	262	1,296.6	1,430	4,105.0
35.	उत्तराखंड	10	298	600.7	2	45	170.4	260	2,433.6	603	3,204.8
36.	अन्य राज्य जोड़	-	-	-	-	-	-	0.05	0.1	0.05	0.1
		385	36,145	1,32,988.2	86	11,471	43,832.3	37,051	1,93,249.5	84,667	3,70,070.08

* : वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी 188 कार्ड शामिल हैं तथा अखिल भारतीय स्तर पर 266 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए जिनका राज्यवार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

@ : इन राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

§ : इन राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।

** : योजना को कार्यान्वित करने वाले बैंकों की संख्या।

- : शून्य।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और सवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपये)

संस्थाएं	ऋण*						हामीदारों और प्रत्यक्ष अधिदान						अन्य #						कुल					
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
अ. अखिल भारतीय विकास बैंक (1 तथा 2)	16,131	15,089	29,616	28,273	-	-	-	-	16	10	29	20	16,146	15,099	29,645	28,293	84	87						
1. सिडबी	16,131	15,089	29,616	28,273	-	-	-	-	16	10	29	20	16,146	15,099	29,645	28,293	84	87						
2. आइआइबीआइ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
आ. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (3 तथा 4)	-	-	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	-	-						
3. आइवीपीएफ	-	-	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	-	-						
4. आइसीआईसीआई वेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
इ. निवेश संस्थाएं (5 तथा 6)	5,762	6,144	9,301	5,716	33,888	22,316	55,954	51,248	20	-	475	122	39,670	28,461	65,731	57,086	66	101						
5. एलआइसी	5,742	6,123	9,241	5,656	32,713	21,141	55,313	50,656	-	-	455	122	38,455	27,264	65,009	56,434	69	107						
6. जीआइसी@	20	21	60	60	1,175	1,175	642	592	20	-	20	-	1,215	1,196	722	652	-41	-46						
ई. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (अ+आ+इ)	21,693	21,233	36,934	33,997	33,888	22,316	55,954	51,248	36	10	504	142	55,816	43,560	95,391	85,387	71	96						
उ. राज्य स्तरीय संस्थाएं (7 तथा 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. एसएफसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. एसआइडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ऊ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (ई + उ)	21,693	21,233	36,934	33,997	33,888	22,316	55,954	51,248	36	10	504	142	55,816	43,560	95,391	85,387	71	96						

स्वी: स्वीकृत संवि: सवितरित -: शून्य *: ऋण में रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण शामिल है। #: अन्य में गारंटी शामिल है। @: आकड़ों में साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां शामिल हैं।

टिप्पणी: सभी आंकड़े अंतिम हैं।

आइएफसीआई लि. और टीएफसीआई लि. को अलग करने के लिए वर्ष 2006-07 के आंकड़ों को पुनः परिकल्पित किया गया है क्योंकि 31 मार्च 2008 को ये एनबीएफसी के रूप में नियमित हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.2: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन*

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था/वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एक्जिम बैंक									
जुटाए गए संसाधन	565	1,098	4,923	6,881	5,301	7,446	10,620	14,558	15,902
बकाया	4,068	5,303	9,154	12,752	11,771	15,830	21,662	31,716	37,202
सिडबी									
जुटाए गए संसाधन	1,076	1,557	1,547	2,972	2,434	3,489	2,176	5,084	15,797
बकाया	10,442	10,074	9,607	10,535	9,346	11,030	10,928	14,665	24,487
नाबार्ड									
जुटाए गए संसाधन	1,472	2,548	2,988	5,334	10,642	8,395	10,899	13,620	7,746
बकाया	3,614	6,078	8,702	11,883	26,429	23,313	31,260	32,630	26,867
एनएचबी									
जुटाए गए संसाधन	500	238	2,984	3,290	3,482	6,562	7,860	11,116	20,005
बकाया	5,256	4,830	7,932	10,569	12,395	16,344	19,003	17,313	16,503
जुटाए गए कुल संसाधन	3,737	5,553	12,535	18,649	21,882	25,958	31,555	44,378	59,450
कुल बकाया	24,056	26,952	36,027	46,285	60,370	66,913	82,853	96,324	105,059

* : इसमें दीर्घावधि (बांड तथा उधार), अल्पावधि (सीपी, टीडी, आइसीडी, सीडी एवं मीयादी मुद्रा) तथा विदेशी मुद्रा संसाधन (बांड तथा उधार) शामिल हैं।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के प्रोतों और विनियोजन **

(राशि करोड़ रु. में)

विवरण	2007-08										कुल		2008-09						कुल	
	समाप्त तिमाही										राशि	कुल का प्रतिशत	दिसंबर-07			दिसंबर-08			राशि	कुल का प्रतिशत
	जून-07	सितंबर-07	दिसंबर-07	मार्च-08	जून-08	सितंबर-08	दिसंबर-08	मार्च-09	जून-08	सितंबर-08			दिसंबर-08	मार्च-09	जून-08	सितंबर-08	दिसंबर-08	मार्च-09		
राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निधियों के प्रोत	60,891	100.0	72,660	100.0	27,980	100.0	52,423	100.0	213,954	100.0	47,666	100.0	77,253	100.0	66,748	100.0	105,629	100.0	297,296	100.0
आंतरिक	29,491	48.4	29,573	40.7	16,128	57.6	25,752	49.1	100,944	47.2	32,324	67.8	53,723	69.5	42,204	63.2	65,043	61.6	193,294	65.0
बाह्य	31,188	51.2	41,760	57.5	11,308	40.4	26,349	50.3	110,604	51.7	12,429	26.1	20,250	26.2	22,237	33.3	36,398	34.5	91,314	30.7
अन्य	213	0.3	1,328	1.8	543	1.9	322	0.6	2,406	1.1	2,913	6.1	3,280	4.2	2,307	3.5	4,188	4.0	12,688	4.3
निधियों के विनियोजन	60,891	100.0	72,660	100.0	27,980	100.0	52,423	100.0	213,954	100.0	47,666	100.0	77,253	100.0	66,748	100.0	105,629	100.0	297,296	100.0
नए विनियोजन	28,110	46.2	39,425	54.3	20,769	74.2	37,217	71.0	125,522	58.7	23,610	49.5	48,371	62.6	40,978	61.4	81,752	77.4	194,711	65.5
विगत उधारों की चुकौती	26,918	44.2	32,460	44.7	3,048	10.9	6,670	12.7	69,096	32.3	13,664	28.7	16,683	21.6	9,910	14.8	16,335	15.5	56,592	19.0
अन्य विनियोजन	5,861	9.6	775	1.1	4,161	14.9	8,536	16.3	19,333	9.0	10,392	21.8	12,199	15.8	15,860	23.8	7,542	7.1	45,993	15.5
जिसमें से :																				
ब्याज चुकौती	1,540	2.5	1,820	2.5	1,728	6.2	1,827	3.5	6,916	3.2	2,349	4.9	1,854	2.4	2,300	3.4	2,306	2.2	8,809	3.0

* : नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी तथा एक्जिम बैंक।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

**परिशिष्ट सारणी VI.4: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बांडों/डिबेंचरों* के जरिए
जुटाए गए संसाधनों की भारत औसत लागत/परिपक्वता**

(प्रतिशत)

संस्था / वर्ष	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्विज्म बैंक										
भारत औसत लागत	12.5	12.2	10.8	8.9	5.9	6.9	6.9	7.8	8.2	9.0
भारत औसत परिपक्वता	4.2	3.6	6.4	6.1	6.7	5.1	4.6	3.7	3.0	2.5
सिडबी										
भारत औसत लागत	9.7	9.8	7.5	6.5	4.9	6.3	5.9	6.9	8.2	6.5
भारत औसत परिपक्वता	2.6	1.3	1.0	2.3	2.8	7.0	3.9	6.5	1.0	3.4
नाबार्ड										
भारत औसत लागत	10.6	9.5	8.0	6.1	5.4	6.6	5.8	8.7	9.5	9.5
भारत औसत परिपक्वता	5.4	3.0	3.0	5.4	5.4	2.1	3.5	5.0	4.0	4.3
एनएचबी										
भारत औसत लागत	11.1	10.2	8.7	6.4	5.4	6.5	6.4	7.4	7.7	7.4
भारत औसत परिपक्वता	9.5	5.8	7.4	4.0	3.2	2.8	2.2	2.4	2.8	2.8

*: इसमें केवल रुपया संसाधन शामिल है और विदेशी मुद्रा उधार शामिल नहीं है।

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.5: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये)

क्र.सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			ब्याज आय छूट आय सहित	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिक्स्युरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2007-08	56	10	6	72	39	8	48	24	16	3.8
		2008-09	84	90	9	183	62	14	76	107	107	44.2
2	एसबीआई डीएफएचआइ लि.	2007-08	124	14	5	143	34	13	47	96	86	8.3
		2008-09	162	22	13	197	56	10	66	102	67	6.2
3	आइसीआइसीआइ सिक्स्युरिटीज लि.	2007-08	266	196	55	517	203	103	307	211	140	31.6
		2008-09	309	388	32	729	229	83	312	418	272	53.3
4	पीएनबी गिल्ट लि.	2007-08	151	-6	28	173	99	7	106	67	45	8.7
		2008-09	112	-29	29	112	67	7	74	38	25	4.7
5	एबीएन एमरो सिक्स्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.	2007-08	65	2	39	106	43	9	52	54	35	17.6
		2008-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	डीएसबी मेरिल लिंच लि.	2007-08	135	10	2	146	106	15	121	25	17	5.8
		2008-09	116	387	3	506	69	22	91	415	271	71.1
7	ड्यूश सिक्स्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.	2007-08	75	25	2	103	46	4	50	53	34	17.7
		2008-09	50	15	12	77	30	6	36	41	27	13.3
8	आइडीबीआई गिल्ट लि.	2007-08	21	-1	1	20	14	4	19	1	1	0.4
		2008-09	45	-30	6	21	33	7	40	-20	-20	-21.4
9	लीमन ब्रदर्स फिक्सड् इन्कम	2007-08	21	6	1	28	11	17	27	0	-1	-21.8
		2008-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	2007-08	914	255	138	1,307	595	180	776	531	373	10.8
		2008-09	878	843	104	1,825	546	149	695	1,101	749	22.8

* : लीमन ब्रदर्स फिक्सड इन्कम सिक्स्युरिटीज प्रा. लिमिटेड को 16 सितंबर 2008 से प्राथमिक बाजार लेन-देन कारोबार करने से मना कर दिया गया है।

^ ^ : एबीएन एमरो सिक्स्युरिटीज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड का 16 दिसंबर 2008 से एबीएन एमरो बैंक में विलय हो गया है।

- : लागू नहीं।

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों की विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी VI.6: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपये)

क्रम सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	पूँजीगत निधियाँ (टियर I + टियर II + पात्र टियर III)		सीआरएआर (प्रतिशत)		सरकारी प्रतिभूतियों व खजाना बिल (बही मूल्य / एमटीएम) का स्टॉक		कुल आस्तियाँ (चालू देयताओं और प्रावधानों का निवल)	
		2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	भारतीय सिक्युरिटीज व्यापार निगम लि.	208	253	22	38	489	1,067	673	1,176
2	एसबीआई डीएफएचआइ लि.	1,095	1,084	81	49	956	1,188	1,794	2,088
3	आइसीआईसीआई सिक्युरिटीज लि.	647	641	30	36	765	1,421	2,199	2,799
4	पी एन बी गिल्ट लि.	520	546	35	26	1,894	1,824	2,216	2,098
5	एबीएन एमरो सिक्युरिटीज (भारत) प्रा.लि. ^ ^	177	-	26	-	948	-	1,151	-
6	डीएसपी मेरिल लिंच लि.	370	638	21	29	947	770	1,065	1,016
7	इयूशा सिक्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.	196	221	42	25	698	615	769	663
8	आइडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसिस लि.	101	81	30	36	338	420	400	467
9	लीमन ब्रदर्स फिक्सड इन्कम सिक्युरिटीज प्रा. लि. *	297	-	77	-	549	-	615	-
	कुल	3,611	3,464	38	35	7,584	7,305	10,882	10,307

* : लीमन ब्रदर्स फिक्सड इन्कम सिक्युरिटीज प्रा. लिमिटेड को 16 सितंबर 2008 से प्राथमिक बाजार, लेन-देन कारोबार करने से मना कर दिया गया है।

^ ^ : एबीएन एमरो सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड का 16 दिसंबर 2008 से एबीएन एमरो बैंक में विलय हो गया है।

- : लागू नहीं।

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों की विवरणियां।